स्वाधीनता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की पत्रकारिता

जयसिंह रावत

'देवभूमि उत्तराखण्ड' केवल देवी-देवताओं और 'वीर भड़ों' की ही नहीं बल्कि उद्भट विद्वानों और यशस्वी कलमकारों की भी जन्मभूमि रही है। "स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखण्ड की पत्रकारिता" पुस्तक में उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के गौरवमय अतीत को प्रतिबिम्बित करने के साथ ही स्वाधीनता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। स्वाधीनता के महान राष्ट्रीय संकल्प में इस क्षेत्र के पत्रकारों के त्याग, तपस्या और समर्पण का लेखा-जोखा भी पुस्तक में दिया गया है।

इस शोधपूर्ण पुस्तक में कई अज्ञात ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में लाये गए हैं, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिलेखागारों के साथ ही विभिन्न स्रोतों से जुटाये गए हैं। उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के अतीत पर यह पहला ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें पहाड़ से लेकर मैदान तक और काली से लेकर टौंस तक सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू पत्रकारिता का प्रमाणिक विवरण संकलित है।

स्वाधीनता आन्दोलन
में
उत्तराखण्ड की पत्रकारिता

स्वाधीनता आन्दोलन
में
उत्तराखण्ड की पत्रकारिता
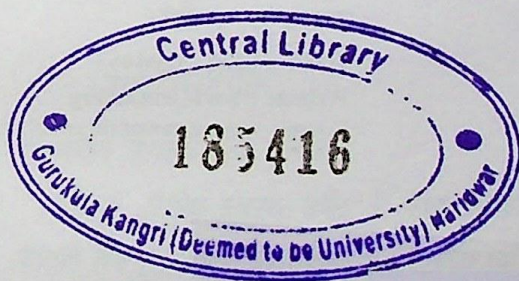
जयसिंह रावत

विनसर® पब्लिशिंग कं०
देहरादून–उत्तराखण्ड

स्वाधीनता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की पत्रकारिता

© : जयसिंह रावत

ISBN : 978-81-86844-83-0

संस्करण : प्रथम, 2015

मूल्य : ₹ 395.00

आवरण : राकेश 'राका'

प्रथम आवरण : अल्मोड़ा में एक जन समूह के बीच सन् 1929 में महात्मा गान्धी.

अंतिम आवरण : ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिबंधित विख्यात क्रान्ति गीत–
"सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है"

प्रकाशक : कीर्ति नवानी
विनसर पब्लिशिंग कम्पनी
8, प्रथम तल, के०सी० सिटी सेंटर
4, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून-248 001
उत्तराखण्ड, (भारत)
दूरभाष : 0135-3294463
Website : www.winsar.org
E-mail : winsar.nawani@gmail.com

शब्द संयोजन : लोक सम्मान समिति, देहरादून

फोटो/प्रतिबंधित साहित्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार, नयी दिल्ली,
नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली,
अखबारी दस्तावेज, राज्य अभिलेखागार देहरादून
एवं अन्य श्रोतों से संकलित

PRINTED IN INDIA

Published by Kirti Nawani for Winsar® Publishing Co., Dehradun and Printed at Xtreme Office Aids Pvt. Ltd. New Delhi

समर्पण
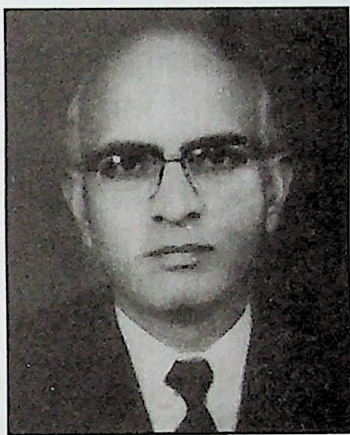
प्रख्यात पत्रकार स्व० एस०पी० पांधी

को

सादर समर्पित

जिनकी उंगली पकड़कर

मैंने पत्रकारिता

जगत में

प्रवेश किया!

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199
Sridev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
Badshahithaul, Tehri Garhwal- 249 199
Tel. : 01376-254110 (O) • Fax : 01376-254109 • Website : www.sdsuv.ac.in

प्राक्कथन

अखबार समाज का दर्पण होता है, इसलिये उसमें तात्कालिक सामाजिक परिवेश का ही अक्स उभरता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि पत्रकार अपने समय की आँख होता है। इसलिए भारत में जब अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो उस दौर में सामाजिक बुराइयां या अच्छाइयां, जो भी रही हों, मगर देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और समाज में आजादी के लिए कुलबुलाहट शुरू हो गयी थी, जिसे अखबारी पत्रकारिता ने उत्प्रेरक की तरह एक बवंडर का रूप दिया। प्रत्येक देश या क्षेत्र की पत्रकारिता की एक अपनी जरूरत होती है और उसी के मुताबिक वहाँ की पत्रकारिता का तेवर तय होता है। हमारे देश के शुरुआती पत्रकारों ने भी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के अनुसार ही अपने तेवर तय कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। दरअसल कलम को कलम की तरह चलाना और अपने सिर को तलवार की नोक पर रखकर लिखना आजादी के आन्दोलन के दौर के पत्रकारों की फितरत थी। इसमें दो राय नहीं कि भारत को आजाद करने में यहाँ की पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। पत्रकारों ने अपनी कलम के बल पर ऐसा माहौल तैयार किया कि सारा देश एक होकर अंग्रेजी हुकूमत के शोषण, अन्याय और दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए एकजुट हो गया। किसी संकट की परवाह किए बिना देश प्रेमियों ने समाचार पत्रों का प्रकाशन एक मिशन के रूप में शुरू किया।

देखा जाए तो महात्मा गाँधी सहित जिन नेताओं को हम देश के बड़े नेता मानते हैं, उन्होंने जनता को नेतृत्व, समाचार पत्रों के माध्यम से ही देना शुरू किया। आजादी के आन्दोलन में गाँधी के कूदने से पहले ही 15 नवम्बर, 1851 को दादाभाई नौरोजी ने गुजराती में 'रास्त गफ्तार' नामक पत्र निकाला था, जिसका मतलब हिन्दी में 'सत्यवादी' होता है। राजाराममोहन राय का 'बंगदूत' जो एक साथ बांगला, हिन्दी, फारसी और अंग्रेजी में छपता था, समाज सुधार का पत्र था। सन् 1857 में 'पयामे आजादी' के नाम से उर्दू तथा हिन्दी में एक पत्र प्रकाशित हुआ जो अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का प्रचारक था। उस अखबार को जब्त कर लिया गया था। सन् 1857 में ही हिन्दी के प्रथम दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' और उर्दू-फारसी के दो समाचार पत्रों, 'दूरबीन' और 'सुलतान-उल-अखबार' के विरुद्ध यह मुकदमा चला कि उन्होंने बादशाह बहादुरशाह जफर का एक फरमान छापा जिसमें लोगों से मांग की गयी थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दें। 'दिल्ली उर्दू अखबार' की सन् 1857 की गदर की विस्तृत और देशभक्ति पूर्ण कवरेज को भी ब्रिटिश शासकों ने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तरह राजद्रोही घोषित किया और 13 सितंबर 1857 को इस अखबार के
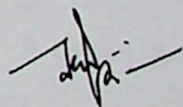
संपादक मौलवी मोहम्मद बकीर को दिल्ली के खूनी दरवाजे के सामने सार्वजनिक रूप से तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया। यह महान देशभक्त संपादक हिन्दू-मुस्लिम एकता का कट्टर समर्थक था। आजादी के आन्दोलन में अखबारों का असाधारण योगदान रहा है। उस दौरान तीन तरह के अखबार निकलते थे। जिनमें कुछ 'तटस्थ' रह कर केवल समाज सुधार की बात करते थे तो कुछ ब्रिटिश हुकूमत के समर्थक भी होते थे, जबकि अधिसंख्य अखबार स्वतंत्रता आन्दोलन की अलख जगा रहे होते थे। यही स्थिति उत्तराखंड में भी थी। ऐसे बहुत सारे संग्रामी अखबारों में से एक कलकत्ता का 'हिन्दू पेट्रियट' भी था। जिसकी स्थापना 1853 में लेखक व नाटककार गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में यह पत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर के हाथ में आ गया था। इसी तरह सन् 1868 में प्रसिद्ध पत्रकार गिरीश चंद्र घोष ने 'बंगाली' नाम से एक साप्ताहिक निकाला था। कुछ दिनों बाद सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इस पत्र को खरीद लिया और इसके बाद यह पत्र बंगाल में ही नहीं सारे देश में स्वाधीनता संग्राम का एक प्रबल पक्षधर हो गया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे। बाल गंगाधर तिलक ने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1 जनवरी, 1881 से मराठी में 'केसरी' और अंग्रेजी में 'मराठा' नामक दो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किये। लोकमान्य तिलक का 'केसरी' सारे भारत में स्वाधीनता संग्राम का एक प्रबल प्रचारक बन गया जिसने बंग-भंग विरोधी आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। 'युगांतर' जिसका प्रकाशन और संपादन अरविन्द घोष के छोटे भाई विरेन्द्र कुमार घोष ने, भूपेन्द्रनाथ दत्त तथा अविनाश भट्टाचार्य की सहायता से किया और बाद में जब समाचार पत्र बंद हो गया तो उसी के कार्यकर्त्ताओं ने एक क्रांतिकारी दल संगठित किया, जो 'युगांतर' गुट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 'गदर' अखबार अपने आप में क्रांति का बड़ा दूत था। उसी दौरान सन् 1857 में 'पयामे आजादी' का प्रकाशन शुरू हुआ। इस अखबार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका अदा की। इसीलिए इसे 'जंगे आजादी' का अखबार कहा जाता है। पयामे आजादी के अंक में स्वतंत्रता संग्राम की अगवानी करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के फरमान व आजादी का झण्डा गीत प्रकाशित करने को जुर्म करार देते हुए संपादक को फांसी पर लटका दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महान संपादक के योगदान को कोई कैसे भूल सकता है। सन् 1909 में लाला हरदयाल ने मैडम भीकाजी कामा और सरदार सिंह रावजी राना के सहयोग से पेरिस में 'वंदे मातरम' और 'तलवार' अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। देखा जाय जो भारत का क्रांतिकारी आंदोलन बंदूक और बम के साथ नहीं, समाचार पत्रों से शुरू हुआ।

हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे उत्तराखंड के स्वाधीनता सेनानियों ने भी अंग्रेजों की तोप तलवारों का मुकाबला करने के लिए अखबार के हथियार को चुना। बैरिस्टर बुलाकी राम, राजा महेन्द्र प्रताप और मुकुन्दी लाल से लेकर बदरीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, प्रो० भैरव दत्त धूलिया, भक्तदर्शन और अमीर चन्द बंबवाल तक दर्जनों स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी कलम को तोप से शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। उत्तराखण्ड में अभय, निर्बल सेवक, विशाल कीर्ति, अल्मोड़ा अखबार, शक्ति, स्वराज्य, पुरुषार्थ, गढ़देश,

पताका, तरुण कुमाऊँ, स्वाधीन प्रजा, स्वराज संदेश, उत्तर भारत, हिमालय, नव प्रभात और कर्मभूमि आदि अखबारों ने उत्तराखंड में आजादी की भावना भड़काने में आग में घी जैसा काम किया। उस दौर में देहरादून, पौड़ी, कोटद्वार, अल्मोड़ा आदि स्थानों में लगे छापेखानों ने अखबारों के जरिये स्वतंत्रता की चाह की ज्वाला उगली। हमारे इन स्वाधीनता संग्राम के जांबाज अखबारों और उनके पत्रकारों ने अपने त्याग और तपस्या से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी। राजा महेन्द्रप्रताप और रास बिहारी बोस जैसे कुछ संग्रामी पत्रकारों ने तो देश की सीमाओं से बाहर भी देश की आजादी का परचम फहराया। इसी उत्तराखण्ड में मुंशीराम जैसे स्वाधीनता सेनानी पत्रकार हुये, जिन्होंने महात्मा गाँधी को सर्वाधिक प्रभावित किया।

हर्ष का विषय है कि आजादी के दौर की उस गौरवमयी पत्रकारिता की स्मृतियों को उकेर कर इस पुस्तक में लिपिबद्ध किया गया है। मेरे लिये तो अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को गौरवमय अतीत का आईना दिखाने का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाल सखा जयसिंह रावत ने किया है। मेरा विश्वास है कि बाजारवाद के दौर में फंसी आज की पत्रकारिता को उबारने में इस तरह के प्रयास कारगर साबित होंगे। अतीत के इन उदाहरणों से नयी पीढ़ी को उद्देश्यपरक और जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए प्रेरणा मिलेगी। पुस्तक की विषय वस्तु स्वाधीनता आन्दोलन है, फिर भी लेखक द्वारा उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के इतिहास पर भी पैनी निगाह डाली गई है। देखा जाय तो स्वाधीनता आन्दोलन के आलोक में यह उत्तराखंड की पत्रकारिता का सम्पूर्ण इतिहास ही है। मेरा विश्वास है कि यह शोधकार्य न केवल पत्रकारिता के छात्रों के लिये बल्कि समूची नयी पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। भावी शोध के लिये भी यह पुस्तक एक 'डाटा बेस' की तरह काम आयेगी। इसके लिये मैं इस पुस्तक के लेखक और प्रकाशक को बधाई के साथ ही भावी पीढ़ियों को नयी राह दिखाने के लिए धन्यवाद भी दूंगा।

—डॉ० यू०एस० रावत
कुलपति

दिनांक : 15 अगस्त, 2015
बादशाही थौल
नई टिहरी

अपनी बात

मुद्रित शब्दों का महत्व सबसे पहले मुझे सन् 1977 में हुए चुनावों में समझ में आया। उससे पहले हम इमरजेंसी का दौर देख चुके थे। उसी दौरान मेरा सम्पादक के नाम पहला पत्र नन्दप्रयाग से प्रकाशित 'देवभूमि' में छपा। पत्र पर प्रतिक्रिया हुयी तो मुझे लगा कि मैं गांव का आम लड़का नहीं हूँ। उसके बाद मेरा दूसरा पत्र गोपेश्वर से प्रकाशित 'उत्तराखण्ड आब्जर्बर' में छपा तो उस पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुयी। होनी भी थी, क्योंकि वह पत्र भी तत्कालीन सरकार और बेकाबू राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की कारगुजारियों पर था। उसके बाद अखबारों में लिखने की धुन मेरे सिर पर सवार होती गयी।

देहरादून में डी०ए०वी० कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मुझे 'हिमाचल टाइम्स' में रिपोर्टर की नौकरी मिल गयी। हालांकि अंग्रेजी साहित्य का छात्र होने पर भी मेरी अंग्रेजी कुछ कमजोर अवश्य थी, मगर सम्पादक एस०पी० पांधी मेरे 'न्यूज सेंस' से काफी प्रभावित हुये। मुझे जब पहली बार रिपोर्टिंग के लिये देहरादून कोतवाली भेजा गया तो मैं डरा सहमा कोतवाली में एक विशालकाय कोतवाल के सामने जा बैठा। उसके सामने एक-एक कर कांस्टेबल आ कर सैल्यूट ठोक रहे थे और वह सबको कह रहा था—"आ गया साला बड़ा-बड़ा टोप्पा लेकर"। यह आशीर्वचन तो वह सबको दे ही रहा था, लेकिन कभी-कभी गन्दी-गन्दी गालियां भी निकाल रहा था। उसकी भावभंगिमा भी रूह कंपाने वाली थी। बहरहाल सारे के सारे पुलिसवाले निपटे तो उस खतरनाक इन्सान ने मेरी ओर रुख करते ही पूछा कि—बोलो क्यों आये हो ? डरते सहमते मैंने उसको अपना परिचय जो दिया, कि वह गिरगिट की तरह पलक झपकते ही बेहद नम्र हो गया। उस क्रूर चेहरे पर मुस्कराहट तैरते देर नहीं लगी। उसके बाद कोतवाल ने मेरे लिये चाय ही नहीं, मिठाई भी मंगाई। उस दिन मुझे पता चला कि आखिर पत्रकार भी किसी तोप से कम नहीं होता है।

पिछले 38 सालों में पत्रकारिता हर मामले में कहां से कहां पहुंच गयी है। टेक्नोलॉजी ने तो महाक्रान्ति कर दी। सूचना के स्रोत और उसके गन्तव्य के बीच की दूरी लगभग समाप्त ही हो गयी है। पहले केवल पढ़े-लिखे लोग अखबारों से खबर प्राप्त करते थे या रेडियो से देश-दुनिया को जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब खबर साक्षात् दिख रही है। हम जब गोपेश्वर डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां शाम को 5-6 बजे रोडवेज की बस अखबार लाया करती थी। बरसात में लोग दो-तीन दिन के अखबार एक साथ पढ़ते थे। गांव में कोई इक्का-दुक्का ही बीबीसी लन्दन के समाचार सुनता था और अन्य लोग जिनके घर में रेडियो होता था वे फरमाइशी प्रोग्राम सुनते थे। मैंने अपने जीवन का पहला अखबार

'कर्मभूमि' ही देखा था, क्योंकि वह हमारे हेडमास्टर जी के पास डाक से आता था। उसके बाद 'देवभूमि', 'उत्तराखण्ड आब्जर्बर' और 'सत्यपथ' जैसे साप्ताहिक देखने को मिले। आजकल सुबह ही गोपेश्वर, मुन्स्यारी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा नगरों में दैनिक अखबार पहुंच रहे हैं। अखबार भी एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में सुबह-सुबह कहीं भी पहाड़ों में आपको दिख जाते हैं। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के आगाज के बाद तो पल-पल की खबरें अखबारों से पहले ही आप तक पहुंच रही हैं। मैंने पहली बार दूरदर्शन की झलक अस्सी के दशक में देहरादून के घण्टाघर के निकट एक दुकान पर देखी थी। उस समय ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी चलता था।

सूचना प्रौद्योगिकी की इस महाक्रान्ति के दौर में सब कुछ बदल गया। मैं कभी डाकखाने से पी०टी०आई० और हिमाचल टाइम्स के लिये तार से खबरें भेजता था। अगर लाइन ठीक-ठाक होती थी तो तब ही संदेश आगे जाता था। तार से खबर भेजते समय बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना होता था, इसलिये लिखने में कंजूसी करनी होती थी। उसके बाद हमें फैक्स अथॉरिटी मिली और बाद में ई-मेल से ही खबरें भेजी जाने लगी। अब टेलीग्राम स्वयं इतिहास बन गया है। आजकल ई-मेल, लैपटाप, इंटरनेट, डाटाकार्ड और मोबाइल के व्हाट्सअप ने सूचनाओं को बिजली सी तेज गति दे दी। पहले लोग कहा करते थे कि मन की गति सबसे तेज होती है। लेकिन प्रौद्योगिकी ने अब सूचनाओं को मन से भी तेज गति दे दी है। पहले हम डेस्क पर अक्षर गिन कर समाचारों पर शीर्षक लगाते थे। टेलीप्रिन्टर के समाचारों का सम्पादन तो बड़ी टेढ़ी खीर होती थी, क्योंकि उस समय भारी शोर मचाने वाली मशीनें होती थीं। वी०एफ०टी० लाइनों की डिस्टर्वेंस के कारण सामग्री समाचार के रूप में नहीं बल्कि बाराहखड़ी जैसी और अक्सर ओवरलैप्ड निकलती थी। आज कम्प्यूटर में हर साइज और स्वरूप का अक्षर उपलब्ध है। कभी पत्रकारिता की पहचान लेखनी और कागज से होती थी, लेकिन अब वे दोनों ही गायब हो गये हैं।

उत्तराखण्ड में कभी देहरादून से केवल दो लोकल दैनिक अखबार निकलते थे। उनमें से एक में मैं भी काम करता था। देहरादून में जब प्रेस कांफ्रेंस होती थी तो मैं सबसे कम उम्र का पत्रकार होता था। शायद 19-20 साल का। उस समय साप्ताहिक अखबार ही ज्यादा होते थे। इसलिये प्रेस कान्फ्रेंसों में परिपूर्णानन्द पैन्यूली, वाइ०डब्ल्यू० दत्ता, राधाकृष्ण कुकरेती, एस०एम० सिंह, आचार्य गोपेश्वर कोठियाल, सोमवारी लाल उनियाल, सी०एम० लखेड़ा, जगमोहन सेठी और एस०पी० सभरवाल जैसे वरिष्ठ पत्रकार शामिल होते थे। उस समय के ज्यादातर सम्पादक खुद रिपोर्टिंग कर खुद ही अपने छापाखाने में उसे कम्पोज करते थे और ट्रेडल मशीन पर छाप कर अखबार फोल्ड करने के बाद टिकट लगा कर डाकखाने से ग्राहकों को भेज देते थे। अस्सी के दशक में मैं भी उसी दौर से गुजरा। उसके बाद उत्तराखण्ड में आफसेट मशीनों का आगमन होने के साथ ही मेरठ से 'अमर उजाला' और 'दैनिक जागरण' आ गये। जागरण में कुछ समय तक मैंने भी रिपोर्टिंग की। बाद में

उत्तराखण्ड में अच्छी रीडरशिप के साथ विज्ञापन की सम्भावनाओं को देख कर 'दैनिक हिन्दुस्तान' और 'राष्ट्रीय सहारा' जैसे हिन्दी के बड़े पत्र ही नहीं बल्कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'पायनियर' जैसे विख्यात अंग्रेजी पत्र भी देहरादून आ धमके। उनके बाद 'ट्रिब्यून' के कुछ पन्ने देहरादून के लिये छपने लगे। मेरठ के सुभारती ग्रुप के 'प्रभात' अखबार का मैं भी संपादक रहा। देहरादून के बाद बड़े अखबार हल्द्वानी से भी छपने लगे जबकि कभी कुमाऊँ से एकमात्र दैनिक अखबार 'उत्तर उजाला' ही छपता था और बरेली से वहाँ अन्य दैनिक अखबार आते थे।

मैं केवल इन लगभग चार दशकों में हुये परिवर्तन का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस बदलाव का चश्मदीद ही नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा भी रहा हूँ। इन कुछ ही दशकों में केवल पत्रकारिता में काम आने वाली टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली, मूल्य भी बदल गये और पत्रकारिता के उद्देश्य भी बदल गये। पत्रकारिता न केवल बाजारवाद के शिकंजे में आ गयी बल्कि काफी हद तक बाजारू भी हो गयी है। आप कितने प्रतिभावान पत्रकार हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आप से मीडिया संस्थान को कितनी आय होती है और आप व्यवसायी मालिकों के कितने काम के हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आप अपने तथा मालिकों के लिये कितना कमा कर देते हैं या फिर कितनी लाइजनिंग कर सकते हैं, यही सफलता की कुंजी बन गयी है। देहरादून जैसे शहरों में पत्रकार अब विज्ञापन ऐजेंट की भूमिका निभाने के लिये भी मजबूर होने लगे हैं। यही नहीं 'पेड न्यूज' ने तो पत्रकारिता जैसे पवित्र व्यवसाय को बीच चौराहे पर बेआबरू कर दिया है। सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद जैसी संकीर्णताएँ पत्रकारिता के लिए अभिशाप बन रही हैं। पहले हमारा लिखा हुआ एक पैराग्राफ का समाचार ही खलबली मचा देता था जबकि आज हम कई कालम के लेख और समाचार लिख डालते हैं फिर भी वे बेअसर ही रहते हैं।

आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मसूरी से 'द हिल्स' और बाद में नैनीताल से 'समय विनोद' और अल्मोड़ा से 'अल्मोड़ा अखबार' निकले होंगे तो उसके बाद से लेकर आज तक कितना बदलाव आ चुका होगा। पत्रकारिता के इतिहास के उन्हीं स्वर्णिम पन्नों को आज की पीढ़ी के सम्मुख रखने के उद्देश्य से मैंने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं नयी पीढ़ी को यह याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी ऐसे भी पत्रकार हुये जिन्होंने देश और समाज के लिये न केवल अपनी भरी जवानी बल्कि सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इससे पहले भी मैंने अपने मित्र महेन्द्र सिंह कुंवर की प्रेरणा से ग्रामीण पत्रकारिता पर एक पुस्तक लिखी थी। मैंने इस दौरान 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन' की पत्रिका सहित कुछ अन्य पत्र-पत्रिकाओं में भी उत्तराखण्ड की पत्रकारिता पर लेख लिखे।

इस पुस्तक में मैंने स्वाधीनता आन्दोलन में पत्रकारिता के जरिये आन्दोलन की चिंगारियों को दावानल में बदलने का प्रयास करने वाले बद्रीदत्त पाण्डे और अमीर चन्द

बम्बवाल जैसे पत्रकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के साथ ही परिपूर्णानन्द पैन्यूली जैसे क्रान्तिकारियों को भी शामिल किया है, जिन्होंने आजादी का मिशन पूरा होने के बाद पत्रकारिता को ही जीवन का ध्येय बना दिया था। इस पुस्तक में सुन्दरलाल बहुगुणा जैसे उन स्वाधीनता सेनानियों का भी उल्लेख है जो कि स्वयं सम्पादक नहीं रहे मगर, उन्होंने उस दौरान अन्य अखबारों में अपनी लेखनी से राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना योगदान दिया। यद्यपि इस पुस्तक की विषय वस्तु और मेरा ध्येय ही स्वाधीनता आन्दोलन है, फिर भी मैंने काफी खोजबीन कर उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के प्रचलित इतिहास में नये तथ्य जोड़कर धारणाओं को सही पटरी पर लाने का प्रयास किया है। अब तक उत्तराखण्ड की अंग्रेजी पत्रकारिता के अतीत पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार गढ़वाल के पत्रकारों का ध्यान केवल गढ़वाल और कुमाऊँ के लेखकों का ध्यान केवल कुमाऊँ पर रहा। इसी तरह हरिद्वार की पत्रकारिता हरिद्वार वालों के जिम्मे छोड़ी जाती रही। इस पुस्तक में मैंने समग्रता लाने के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के ऐतिहासिक तथ्यों को तलाश कर एक साथ पिरोने का प्रयास किया है। पत्रकारिता मेरा शौक ही नहीं बल्कि मेरा जुनून और मेरी आजीविका भी रही है। इसलिये अपनी अधिकतम् जानकारी के अनुसार भावी पीढ़ी के सामने सही स्थिति प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य मान कर मैंने पत्रकारिता के स्वर्णिम अतीत को वर्तमान के समक्ष प्रस्तुत करने का यह प्रयास किया है।

इस पुस्तक के लेखन में विद्यानुरागी मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मुझे जो प्रोत्साहन मिला, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने इस कार्य में मेरी आर्थिक मदद भी की। इस पुस्तक के लिए कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज जुटाने में मदद करने के लिए मैं डॉ० राकेश मोहन नौटियाल का विशेष रूप से आभारी हूँ। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड के महानिदेशक विनोद शर्मा, अपर निदेशक डॉ० अनिल चन्दोला, राजेश कुमार, कलमसिंह चौहान और पान सिंह बिष्ट के साथ ही दून लाइब्रेरी के सी०एस० तिवारी, पत्रकार मित्रों में द ट्रिब्यून की प्रमुख संवाददाता नीना शर्मा, ज्योतिर्मय थपलियाल, शक्ति के सम्पादक कैलाश पाण्डे, युगवाणी के संजय कोठियाल, वीर अर्जुन के प्रवीन उमा शंकर मेहता, चमोली के वरिष्ठ पत्रकार सुदर्शन कठैत, प्रकाश कपरुवाण, हरिद्वार दर्पण के सरदार रघुवीर सिंह, हरिद्वार के ही देवेन्द्र शर्मा, मसूरी के वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र पुण्डीर, समाजसेवी बृजभूषण गैरोला, प्रदेश के वरिष्ठतम् पत्रकारों एवं साहित्यकारों में से एक राधाकृष्ण कुकरेती और दिनेश कण्डवाल तथा राज्य अभिलेखागार के निदेशक डॉ० लालता प्रसाद, गुरुकुल कांगड़ी के जन संपर्क अधिकारी प्रदीप जोशी तथा उनके सहयोगी कुलभूषण आदि ने मेरी जो सहायता और मार्गदर्शन किया, उसके लिये मैं इन महानुभावों का आभारी रहूंगा। मैं समझता हूं कि मुझे पत्रकारिता का ककहरा सिखाने वाले सतपाल पांधी और देव पांधी की बदौलत मैं पत्रकारिता पर किताब लिखने लायक बना हूं।

विनसर पब्लिशिंग कंपनी के भाई कीर्ति नवानी की हौसलाफजाई और मार्गदर्शन के लिये मैं उनका भी आभारी हूं। त्रिलोचन भट्ट तो हमेशा ही मेरे वक्त का साथी रहा है। वह मेरी गलतियां भी सुधारता रहा है। मेरी जीवन संगिनी उषा इस पुस्तक के लेखन और अध्ययन में भी रात–दिन सक्रिय मदद देती रहीं। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली के उन अपरिचित महानुभावों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने अध्ययन करने में मेरी सहायता की। इन महानुभावों में सतीश चन्द्र ममगाईं भी शामिल हैं। मेरे फौजी बेटे अजय और इंजीनियर बेटे अंकित की हौसलाफजाई से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग चार दशक की कलम घिसाई और माथापच्ची के बाद खाली जेब रहने और ऊपर से आजीविका के चिरंतर संकट को मैं भूल जाता हूं।

मैं अपने उन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का आभारी हूं जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से मैंने पत्रकारिता में थोड़ी बहुत कलम चलानी सीखी। यह पुस्तक प्रेस में ही थी कि तब तक वरिष्ठ पत्रकार राधाकृष्ण कुकरेती का निधन हो गया। श्री कुकरेती हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहे। इसी तरह जब अखबार में मेरी पहली नौकरी लगी थी तो राधाकृष्ण वैष्णव ने मेरी जिम्मेदारी ली थी। उमा शंकर थपलियाल से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। रामप्रसाद बहुगुणा ने मुझे सबसे पहले प्रेस मान्यता दिलाई थी। इन चारों दिवंगत पत्रकारों का मैं सदैव ऋणी रहूंगा।

दिनांक : 30 अगस्त, 2015 **—जयसिंह रावत**

ई–11 फ्रेण्ड्स एन्क्लेव, शाहनगर
डिफेंस कालोनी, देहरादून
मोबाइल : 09412324999
e-mail : jaysinghrawat@gmail.com

अनुक्रमणिका

• सन्दर्भ : एक

इतिहास के पृष्ठों में पत्रकारिता

• सन्दर्भ : दो

स्वाधीनता आन्दोलन में अखबार

• सन्दर्भ : तीन

सामाजिक चेतना में अखबार

• सन्दर्भ : चार

विविध

• सन्दर्भ : पाँच

संदर्भ एक

पाषाण युग से लेकर अब तक पत्रकारिता समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। अगर सूचनाएं एक ही जगह पर स्थिर रहती तो धरती पर अपना आधिपत्य कायम करने के बाद अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा स्थापित करने के लिये आतुर मनुष्य कंदराओं से थोड़ा सा ही बाहर निकल सका होता।

समाज के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाली पत्रकारिता और समाज का विकास समानांतर रूप से चलता रहा है। जैसे-जैसे सूचना तंत्र को गति मिलती गयी, वैसे-वैसे पत्रकारिता का स्वरूप और उसके प्रभाव में तेजी से बदलाव आता गया। इन्हीं बदलावों के बीच हमारा इतिहास समाहित है। इस खण्ड में केवल अखबारी पत्रकारिता के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। विशेषकर उत्तराखंड की पत्रकारिता के अतीत पर प्रकाश डाला गया है। ....
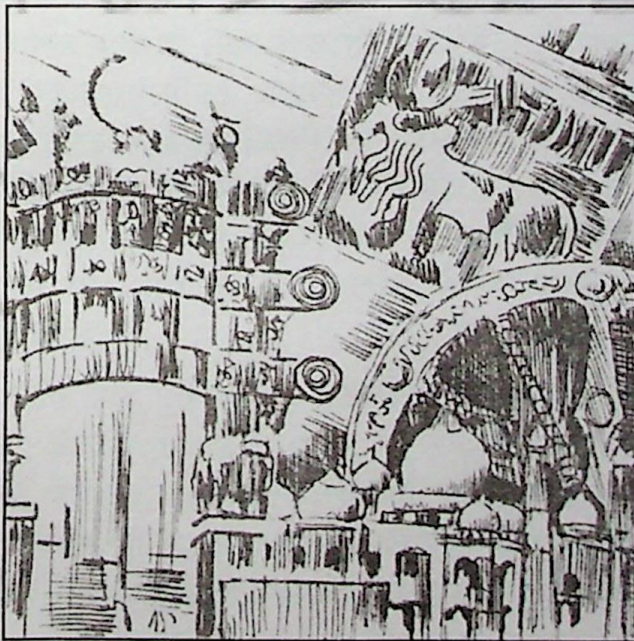
पत्रकारिता का उदय

महाभारत में एक चरित्र का जिक्र है। उस चरित्र का नाम है संजय। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उसका काम है युद्ध का आंखों देखा हाल दृष्टिहीन महाराजा धृतराष्ट्र को सुनाना। प्राचीन काल में जब व्यास ने महाभारत ग्रन्थ की रचना की होगी तो तब उनके दिमाग में इस रूप में युद्ध संवाददाता की कल्पना अवश्य रही होगी। हमारे शास्त्रों में नारद मुनि का चरित्र चित्रण एक खबरची के रूप में किया गया है।

सवाल केवल महाभारत का नहीं है। अन्य धर्मग्रन्थों और प्राचीनतम साहित्य में भी सूचनाओं के आदान-प्रदान या सूचना भेजने और जानने की व्यवस्थाओं का जिक्र है। दरअसल सभ्यता के विकास के साथ ही सूचनाओं को चलाने का काम भी शुरू हो गया होगा। हिन्दी में हम जिसे पत्रकारिता कहते हैं उसका मूल भी पत्र याने कि चिट्ठी ही है। पत्र भी तो सूचना और संदेश के लिए ही होते हैं। इसीलिए अखबारों को भी पत्र ही कहा जाता है। दरअसल अखबार समाज के नाम संपादक का एक पत्र ही होता है।

दुनिया का पहला पत्र कब से शुरू हुआ होगा और कहाँ से शुरू हुआ होगा, इस बारे में शोधकर्ता अलग-अलग राय व्यक्त करते हैं। जब दुनिया का पहला पत्र किसी न किसी रूप में शुरू हुआ होगा तो उस समय संचार क्रांति तो रही दूर, इस क्रांति की कल्पना तक नहीं हुई होगी। उस समय दुनिया की दूरियां अत्यधिक थीं। अगर कोई पत्र निकला होगा तो फिर लुप्त हो गया होगा। हो सकता है कि छापाखाने के आविष्कार से पूर्व हस्तलिखित अखबार निकलते होंगे। बहरहाल यह बात सत्य है कि दुनिया का पहला अखबार जिसने भी जिस रूप में भी निकाला होगा, वह धार्मिक या राजनीतिक सत्ता की ओर से निकला होगा। उससे भी पूर्व सूचना प्रसारण का माध्यम मौखिक रहा होगा और वह मौखिक पत्रकारिता क्षेत्र विशेष की बोली या भाषा के विकास के साथ शुरू हुई होगी। जाहिर है कि उससे भी पहले सूचना के माध्यम संकेत रहे होंगे।

कहा जाता है कि ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी के पहले रोम में संवाद लेखक हुआ करते थे। ये संवाद लेखक राजधानी से दूर के नागरिकों को राजकीय मतलब के समाचार लिख कर भेजते थे। इन संवाद लेखकों का उपयोग व्यापारी और राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी किया करते थे। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ईसा पूर्व 60 में जब जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य की परिषद् की कमान संभाली तो उसने 'एक्टा डार्यना' नाम का दैनिक समाचार बुलेटिन शुरू कराया। जाहिर है कि इसमें मुख्य रूप से सरकारी घोषणाएं प्रकाशित होती होंगी। उसी दौरान 'एक्टा सिनेटर्स'

बुलेटिन भी निकला जिसमें विधेयकों, भाषणों और रोमन सीनेट की गतिविधियों की जानकारी होती थीं। 'एक्टा पब्लिका' में आम जनता से सम्बन्धित सूचनाएं होती थीं। आज के अखबार के पूर्वजों में डौंडीगर, घण्टे वाले, पत्थरों पर उत्कीर्ण घोषणाएं, मत मतांतरों के गुटके, अवदान, धर्मशाला सूचना पत्रक तथा प्राचीन शासकों के गजट माने जाते हैं। कहा जाता है कि पश्चिम जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में 16वीं शताब्दी में मेलों में और दुकानों पर समाचार पर्चियां बिकती थीं। उन पर्चियों में युद्ध के ब्यौरे, चौंकाने वाले प्रसंग तथा राजमहलों-दरबारों के किस्से होते थे। 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में किसी न किसी रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैण्ड और इटली में खुले टाइप की सहायता से पत्रक छपने लगे थे। कुछ लोग चीन के 'टी चान' को दुनिया का पहला अखबार मानते हैं जो छठी शताब्दी में राजकीय सूचनाओं के लिए शुरू किया गया था।

सन् 1609 में आसनबर्ग में छपे 'अविश रिलेशन ओडेर जीटुंग' का एक पुलिंदा और उसी वर्ष छपे 'स्ट्रासबर्ग रिलेशन' की एक प्रति भी मिली है। 17वीं शताब्दी के अन्त तक जर्मनी में लगभग 30 दैनिक अखबार छपे। पुराने दैनिकों में बर्लिन का 'बोशिस्च जीटुंग' (1704), 'हेमबर्गुर नाखराख्टन' (1792) और 'अल्जीमीन जीटुंग' (1798) उल्लेखनीय हैं। पाठक संख्या बढ़ने के कारण सन् 1900 तक अकेले बर्लिन में 45 समाचार पत्र छपने लगे थे। सन् 1856 का 'फ्रेंकफर्टर जीटुंग', 1848 का 'कोयलनिश जीटुंग' और 'टायगलिश रूंडेशाऊ' उस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय अखबार होते थे। पहले बिस्मार्क और फिर प्रथम विश्व युद्ध में प्रशा-गुट ने जर्मनी में प्रेस को प्रचार का साधन बनाया। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबेल्स ने प्रेस का प्रोपेगेण्डा और जनसंपर्क के लिए भरपूर फायदा उठाया। गोयबेल्स एक मनोवैज्ञानिक था और जनसंपर्क तथा प्रोपेगेण्डा का इतिहास उसके बगैर अधूरा माना जायेगा। इंग्लैण्ड में छापाखाना की शुरुआत सन् 1476 में हुई। राजनीतिक और धार्मिक अशांति को ध्यान में रखते हुए छापाखाने सरकारी नियंत्रण में होते थे। प्रेस का उस समय भी कितना महत्व और कितना भय था, यह सरकारी नियंत्रण की बात से स्पष्ट हो जाता है। इंग्लैण्ड में छापे हुए समाचार पत्र का प्रमाण 1561 के आसपास प्रकाशित 'न्यूज आउट ऑफ रेंज' एक पृष्ठीय अखबार से मिलता था। यह काव्य परक भदेष शैली का था। नियमित रूप से अंग्रेजी में छपने वाला पहला अंग्रेजी अखबार 1620 में एम्सटर्डम से शुरू हुआ। इंग्लैण्ड से छपने वाले पुराने पत्रों में 'कोरांट' या न्यूज फ्रॉम इटली, जर्मनी, हंगरी, स्पेन एण्ड फ्रांस' भी था। धीरे-धीरे इंग्लैण्ड में एक के बाद एक पत्र छपते गये और पत्र तथा पत्रकारिता के पल्लवित और पुष्पित होने के साथ ही पत्रकारिता नये समाज की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। इंग्लैण्ड में प्रादेशिक पत्रकारिता 1706 में 'नारविच' के साथ शुरू हुई। सन् 1881 में साप्ताहिक 'मैनचेस्टर गार्जियन' छपना शुरू हुआ जिसे बाद में विश्व प्रसिद्धि हासिल हुई।

अमेरिका में पहला पत्र 25 सितम्बर 1690 को बेन्जामिन हेरिस नाम के अंग्रेज के सहयोग से शुरू हुआ। हेरिस के अखबार का नाम 'पब्लिक अकरेन्सेज बोथ फॉरेन एण्ड डोमेस्टिक' था। इस पत्र में फ्रांस के सम्राट पर अनैतिक होने का आरोप लगाया गया तथा फ्रांस के बंदियों पर अंग्रेजों के बर्बर अत्याचार के रहस्योद्घाटन से सरकार इतनी बौखलाई कि उसने प्रेस पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी और 'पब्लिक अकरेन्सेज' चार दिन बाद बंद हो गया। इसके कई वर्षों तक अमेरिका में अखबार नहीं छप सके। 24 अप्रैल 1704 में 'बोस्टन न्यूज लेटर' के नाम से अखबार शुरू हुआ। बोस्टन से 21 दिसम्बर 1719 को 'गजट' की शुरुआत हुई जो कि अमरीकी क्रांति के दौरान ब्रिटेन विरोधी नीति के कारण राष्ट्रभक्ति का मुख पत्र बना। तत्पश्चात एक के बाद एक पत्र अमेरिका से निकलते गये और उनके बनाये गये जनमत के कारण वहाँ से ब्रिटिश सत्ता के पावों तले जमीन खिसकती गई। सन् 1914 में अमेरिका में 15000 दैनिक एवं साप्ताहिक पत्र छपते थे। 1945 में अमेरिका के एक हजार शहरों से कोई न कोई दैनिक पत्र जरूर छपता था।

समृद्धि, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सैन्य शक्ति के लिहाज से अमेरिका आज दुनिया का एकमात्र महाबली है। उसे दुनिया का थानेदार भी कहा जाने लगा है। वहाँ की पत्रकारिता भी आज उतनी ही शक्तिशाली है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासनाध्यक्ष को वाटरगेट कांड उछालकर सत्ता से बेदखल करने का श्रेय भी अमेरिकी प्रेस को ही जाता है। अमरीकी पत्रकारिता ने रिचर्ड निक्सन को धूल चटाई थी। रॉबर्ट ली ने सन् 1869 में पत्रकारिता को एक स्वतंत्र विषय के तौर पर स्वीकार कर उसकी विधिवत् शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। इसके लिए अमेरिका में कुछ व्यावसायिक संस्थाएं कायम हुई। 'अमेरिकन न्यूजपेपर पब्लिशर्स एसोसिएशन' की 1887 में 'अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूजपेपर एडिटर्स' की 1922 में स्थापना हुई। पत्रकारिता का स्तर उठाने के लिए अमेरिका में ही दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान 'पुलित्जर' शुरू हुआ। अमेरिका में आज 'वाशिंगटन पोस्ट' और 'न्यूयॉर्क टाइम्स' जैसे विश्व प्रसिद्ध अखबार हैं। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' का 10 अक्टूबर 1971 का अंक 972 पृष्ठों का था जिसका वजन लगभग 3 किलो और उस समय भारतीय मुद्रा के हिसाब से मूल्य मात्र चार रुपया था। खाड़ी युद्ध का आंखों देखा हाल दुनियाभर में घर-घर पर टेलीविजन से दिखाने वाला सी०एन०एन० भी अमेरिका का ही है। मीडिया की दुनिया के बेताज बादशाह रूपर्ट मरडौक भी फिलहाल अमरीकी नागरिक ही है, आज सूचना महाक्रांति का नेतृत्व भी अमेरिका ही कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी साफ्टवेयर कम्पनी अमेरिका की ही है। बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। संचार महाक्रांति के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चमक-दमक के आगे अखबार समेत समस्त 'प्रिन्ट मीडिया' के भविष्य पर बहस चल रही है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रिन्ट मीडिया मौजूदा चुनौतियों का

सामना करने के लिए स्वयं को समय के साथ ढाल रहा है। अखबारों में छपे शब्दों के साथ कभी चित्र भी छपते थे तो अखबार की रौनक और प्रभाव बढ़ जाता था लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घटना या विषयवस्तु का सजीव दृश्य श्रव्य विवरण देने लगा तो अखबारों का दबदबा कम तो हो गया, मगर उनका अस्तित्व कायम रहा। इसका कारण यह रहा कि अखबार एक छपा हुआ दस्तावेज होता है और उसे सहेज कर कभी भी इच्छित सामग्री या समाचार पढ़ा जा सकता है। उस मुद्रित सामग्री को दस्तावेज के रूप में संग्रह किया जा सकता है। दूसरी तरफ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की एक अलग खासियत यह भी है कि उसके समाचार या अन्य सूचना जानने के लिए श्रोता को अक्षर ज्ञान जरूरी नहीं है। बहरहाल अब अखबार भी इंटरनेट पर आ गये हैं। आज दुनिया का कोई भी अखबार घर बैठकर पढ़ सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में मीडिया का स्वरूप कल क्या होगा, इसकी कल्पना भी काफी मुश्किल है। प्रिण्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ ही अब साइबर मीडिया और उसके जरिये सोशल मीडिया भी अपनी धाक जमाने लगा है।

❑❑

पत्रकारिता का महत्व

अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जब तोप से मुकाबला हो तो अखबार निकालना चाहिए। उनके अनुसार कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है। इन्द्र विद्यावाचस्पति की राय थी कि आज के समाज को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व समाचार पत्र ही है। कुछ अन्य लेखक समाचार पत्रों को पांचवां वेद मानते हैं। वैसे भी पत्रकारिता स्वयं को लोकतंत्र के चौथे पाये के रूप में स्थापित कर ही चुकी है।

समाचार पत्र तात्कालिक समाज की सोच व विचारधारा का दर्पण होता है। किसी बड़े तालाब के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हिस्से की रक्षा के लिए तालाब के छोटे-छोटे निकास के रास्तों की सहायता ली जाती है, ठीक इसी प्रकार वृहद् समाज में विकसित होने वाले विचारों को समाचार पत्र प्रश्रय देते हैं। समाचार पत्र परिष्कृत रूप में सामग्री प्रकाशित करते हैं, निर्णय लेते हैं तथा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पत्रकारिता जीवन की विविधता, तथ्यात्मकता तथा यथार्थ स्थितियों की जनसाधारण को जानकारी देने का शक्तिशाली साधन है। कला एवं विज्ञान, तर्क एवं भाव, हृदय तथा मस्तिष्क के संयोग से पत्रकारिता की त्रिवेणी बहती है।

समाचार पत्र अपने चारों ओर की नवीनतम खबरें या सूचनाएं पाठकों को देता है। पौराणिक काल में कभी यह काम नारद मुनि किया करते थे। इस दृष्टि से उस काल में नारद मुनि आकाश पाताल तथा चारों दिशाओं की खबरें देवताओं को दिया करते थे। आज यदि यह काम समाचार पत्र और टी०वी० चैनल करते हैं तो नारद के समान उनका महत्व बढ़ जाता है। समाचार पत्र अतीत के साथ-साथ वर्तमान का संकेत देता हुआ भविष्य की सम्भावना उजागर करता है। समाचारों के प्रति सजग व्यक्ति समाचार पत्रों की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा करते हैं, वे किसी दिन हड़ताल होने पर या अन्य किसी कारण से समाचार पत्र न मिलने से मायूस दिखते हैं। व्यापारी वर्ग समाचार पत्र पाते ही वाणिज्य पृष्ठ और खिलाड़ी खेल पृष्ठ, देखने को उत्सुक रहते हैं। शिक्षित वर्ग के लिए समाचार पत्र पर्याप्त मानसिक खुराक प्रदान करते हैं।

किसी भी समस्या के समाधान के लिए समाचार पत्र तरह-तरह के भिन्न-भिन्न हल प्रस्तुत करते हैं। इससे पाठकों को, नागरिकों को अपनी पसंद का हल चुनने में तथा उसके अनुसार काम करने की सुविधा होती है। बेकार व्यक्ति रोजगार की विभिन्न राहें पाते हैं, विभिन्न सम्भावनाओं से परिचित होते हैं, वैवाहिक विज्ञापनों से वर वधू तलाशे जाते हैं, किसान रासायनिक खाद तथा ट्रैक्टर की जानकारी पाता है उसे बैंक से मिलने वाले ऋण का ज्ञान होता है, खोये-पाये की सूचना मिलती है, संपादकीय स्तंभों से पाठकों को समसामयिक हालात का पता लगता है, वैज्ञानिक या

औद्योगिक शोधों के निष्कर्षों का ज्ञान होता है, खेल प्रतियोगिताओं की सूचनाएं मिलती हैं, किस छविगृह में कौन सी फिल्म चल रही है, परीक्षाओं के बाद छात्रों को समाचार पत्रों में छपने वाले परीक्षाफलों की प्रतीक्षा रहती है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो समाचार पत्रों से लाभान्वित न होता हो। कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी हिस्से में हो, वह समाचार पत्र से विश्व के समाचार जान सकता है, इससे तादात्म्य स्थापित कर सकता है।

समाचार पत्र से किसान जान सकता है कि कौन सा ट्रैक्टर सस्ता है तथा अधिक समय की गारन्टी वाला है। एक कदम और आगे बढ़ें तो टेलिविजन पर तो ट्रैक्टर को कार्य करते हुए दिखाया जाता है, इससे किसान अपनी पसंद या नापसंद का निर्णय कर सकता है। इससे किसान शिक्षित होते हैं तथा पत्रकारिता जनता को शिक्षित करने का उद्देश्य पूरा करती है। जो महिलाएं घर की चहारदीवारी से बाहर नहीं निकलती हैं वे भी बच्चों की देखभाल, उनका स्वास्थ्य, पाक शास्त्र की विधियां, कढ़ाई-बुनाई के नमूने आदि टीवी चैनलों या महिला पत्रिकाओं से जान लेती हैं। इस प्रकार टेलीविजन मात्र मनोरंजन का ही साधन नहीं है, वरन् वह सामान्य जनता को शिक्षित भी करता है। यदि कभी किसी कैदी पर जेल में अत्याचार होता है तो समाचार पत्र इस आशय के समाचार प्रकाशित कर लोगों की संवेदना जगा सकता है। मित्रों-पड़ोसियों की सहानुभूति प्राप्त कर सकता है। विद्यालयों में बच्चों को दिये जाने वाले शारीरिक दण्ड के विरोध में जनमत विकसित कर सकता है। इस प्रकार समाचार पत्र सम्भावित क्रांति के वाहक बन सकते हैं। बाल विवाह, छुआछूत, भ्रष्टाचार, बेमेल विवाह तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध समाचार पत्र वातावरण तैयार कर सकता है।

अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार, समाचार पत्र का स्वतंत्र समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। किसी ने जब उनसे पूछा कि वह समाचार पत्र विहीन शासनतंत्र चाहते हैं या शासनहीन व्यवस्था में समाचार पत्र, तो उन्होंने शासनविहीन व्यवस्था में समाचार पत्र को ही प्राथमिकता दी। समाचार पत्र को कोई सामाजिक या शारीरिक दण्ड देने की विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है पर इनके द्वारा लोकमत को प्रबल रूप से प्रभावित करने के कारण इसे चौथा स्तम्भ कहा जाता है। बर्क तथा ऑस्कर बाइल्ड भी इसी राय के हैं।

आज स्थिति यह है कि पत्रकारिता किसी भी समाज की अविच्छिन्न गतिविधि है। पत्र-पत्रिकाएं जनमत निर्माण में सहायक बनते हैं। समाज की रुचियां परिष्कृत करते हैं। अंधविश्वासों से मुक्त होने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, समाचार पत्र विदेशी घटनाओं, सामाजिक विकृतियों, राजनैतिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास, आर्थिक उतार-चढ़ाव से भी जनसाधारण को शिक्षित करने के साथ ही जनजागृति, जनसूचना, लोकरंजन, लोक कल्याण तथा राष्ट्र प्रेम विकसित करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि आज के समाज में समाचार पत्र अपरिहार्य हो गये हैं।

उपरोक्त विवेचित एकाधिक मतों पर गौर करने से पत्रकारिता का महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। डॉ० सुशीला गोयल के अनुसार समाचार पत्रों के रूप में पत्रकारिता स्पष्ट शब्दों में ज्ञान के प्रसारक, मनोरंजन के दाता, जनशिक्षण के पुरोधा, दैनन्दिन घटनाओं के प्रस्तुतकर्ता, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थितियों के व्याख्याकार तथा व्यापक भूमिका पर व्यक्ति को विश्व मानव से जोड़ने वाला सहज पर अनिवार्य साधन है।

पत्रकारिता : कार्य, आवश्यकता एवं स्वरूप

पत्रकारिता के क्या कार्य हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतया पत्रकारिता के कार्य जनसाधारण को शिक्षित करना, उन्हें सूचित करना तथा उनका विनोद करना बताये जा सकते हैं। इन तीन कार्यों में ही पत्रकारिता का मर्म आ जाता है। पत्रकारिता ने अपने विभिन्न क्षेत्रों से मानव जीवन को स्पर्श ही नहीं, बल्कि प्रभावित भी किया है। इससे नागरिकों का ज्ञान बढ़ता है, चेतना मिलती है, उनके भावों, विचारों को परिष्कृत करती है, इन्हीं सबसे मनुष्य संसृत जीवन जीने को तत्पर बनता है। पत्रकार खोजी पत्रकारिता के माध्यम से सत्य को ढूंढ़ निकालते हैं तथा विवेक से कार्य करते हुए मानव मूल्यों की स्थापना में योग देते हैं। इन सबसे अधिक पत्रकारिता का कार्य अन्याय तथा शोषण को प्रकाश में लाना, दोषों को दूर करवाना तथा असहायों-पीड़ितों एवं जरूरतमंदों को सहायता पहुँचाकर कष्टों से बचाना है, उनका जीवन बेहतर बनवाना है।

पत्रकारिता विश्व नागरिकता एवं भाईचारे का पाठ भी पढ़ा सकती है। विभिन्न देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत बना सकती है। पत्रकारिता के माध्यम से ही हम अपने जीवन के नकारात्मक पक्ष को देख सकते हैं। पत्रकारिता यह भी बताती है कि कैसे इनमें सुधार लाया जाए?

नागरिकों को शिक्षित करना

यहाँ शिक्षित करने का अर्थ साक्षरता से नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। अच्छे बुरे का अन्तर करना, विवेक से सोचना, निर्णय लेना ही शिक्षित करना है। देखा जाय तो इसका मुख्य कार्य नागरिकों को जागरूक करना है। इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। एक समाचार पत्र में दो विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के विज्ञान छपे हैं, कीमत लगभग दोनों की बराबर है, दोनों की गुणवत्ता समान है पर एक की गारन्टी 7 वर्ष है तथा दूसरे की 8 वर्ष। अन्य स्थितियां समान रहने पर किसान को अपना निर्णय लेना है। यहाँ यदि किसान विवेकपूर्ण निर्णय लेता है तो पत्रकारिता सही अर्थों में अपना कार्य पूरा कर रही है। इस प्रकार पत्रकार देखी तथा सुनी बातें नागरिकों-पाठकों तक पहुँचाता है, उन्हें सूचना देता है कि आपकी जरूरत की अमुक चीज बाजार में उपलब्ध हो रही है, दोनों के गुण दोष ये हैं—निर्णय लाभ हानि की दृष्टि से आपको लेना है। कौन-सा ट्रैक्टर या उत्पाद अच्छा है, ठीक है—इस पर एक आम राय बनती है। अर्थात् पत्रकारिता मार्ग दर्शन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठक

केवल विज्ञापन को पढ़ कर ही अपनी राय नहीं बनाते, उनको अपनी राय बनाने में, निर्णय लेने में संपादक के नाम पत्र, सम्पादकीय, आमुख, प्रबुद्ध जनों से इण्टरव्यू आदि पढ़ने से भी मदद मिलती है। कार्टून कितना प्रभावी तरीका है? पूरे पृष्ठ या पैराग्राफ की बात एक छोटे से कोने में छपा कार्टून पाठक तक पहुँचाकर अपना कार्य पूरा कर देता है। स्तम्भ लेखक भी पाठकों की मनोदशा जानते हैं। इन सबसे पाठक को न केवल जानकारी मिलती है बल्कि वे विचार करने, गुणावगुण के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए उद्यत होते हैं तथा उनकी वैचारिक चेतना आगे बढ़ती है। इस प्रकार सामान्य जन को शिक्षित करने का यह एक प्रभावी एवं वृहद् माध्यम है।

नागरिकों को सूचना देना

समाचार पत्रों या मीडिया से पाठक या श्रोता या दर्शक केवल शिक्षित ही नहीं होते वरन् उन्हें विभिन्न गतिविधियों, आविष्कारों, बाजार भावों, शैक्षिक संस्थानों के कार्यकलापों की जानकारी भी मिलती है, सरकार की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की जानकारी मिलती हैं तथा प्रतिक्रियायें सरकार तक भी पहुँचती है, निर्णय तो पाठकों को, उपभोक्ताओं को अपने विवेक से लेना होता है। आज कोई भी नागरिक एकाकी या अलग-थलग नहीं रह सकता, उसकी अन्तर्निर्भरता हर क्षेत्र में बढ़ी है। ऐसी स्थिति में उसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं चाहिए तथा उन पर फिर वह अपने विवेक से निर्णय लेता है। विभिन्न विकल्पों को पाकर वह देखता है कि किसके अनुसार कार्य करना उसके हित में है, क्या खरीदना उसके लिए लाभदायक है? पाठकों को यह सब सूचना के क्षेत्र में अद्यतन रहने पर निर्भर करता है। इस प्रकार समाचार पत्र पाठकों या उपभोक्ताओं को सूचना देकर लोक कल्याण का कार्य करते हैं।

पाठकों का विनोद करना

वैज्ञानिक आविष्कारों से, सप्ताहों का कार्य घंटों में कर लेने से कामगारों को फुर्सत मिलने लगी है। आज वृद्ध-बालक, पुरुष-नारी, शिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-शहरी सब नागरिकों को अवकाश मिलने लगा है। समाचार पत्र उनको अवकाश का सदुपयोग करना सिखाते हैं। अध्ययन के आनन्द से सब परिचित हैं। फिल्म समीक्षाओं से पाठक को मदद मिलती है कि कौन-सी फिल्म देखी जाय? पाठक सांस्कृतिक समारोहों के चित्र देखकर उल्लासित होते हैं। पुस्तक के लोकार्पण समारोह के समाचार जानकर पुस्तक पढ़ने का निश्चय करते हैं, कार्टून देखकर मन ही मन हंसते हैं। समाचार पत्र पाकर वे अपनी मानसिक भूख मिटाते हैं। प्रकाशित सामग्री रोचक ज्ञानवर्धक तथा विनोदपूर्ण होने से पाठकों को हल्का-फुल्का, प्रसन्नचित तथा तनावमुक्त बनाती है।

पाठक सिनेमा या थियेटर रेडियो या टेलिविजन के समान ही समाचार पत्रों से भी मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। पहेली तथा चित्रकला प्रमुखता से पढ़े जाते हैं, यह

सामग्री हल्की-फुल्की होने से पाठकों को सहज ही आकर्षित कर लेती है। इस मनोरंजन से पाठक कई बार मानव कल्याण का संदेश भी पा जाता है। हास्य व्यंग्य की इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टी०वी० चैनलों के कामेडी कार्यक्रमों के समान ही आज के राजनैतिक तथा नौकरशाही में कुरूपताओं को दूर कर स्वस्थ भावों का संचार भी पत्रकारिता ही करती है।

मानव चौबीसों घंटे किसी गंभीर काम में व्यस्त नहीं रह सकता। उसे विनोद या मनोरंजन चाहिए, इसीलिए मनोरंजन जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। काम में विविधता आने से भी उसका मनोरंजन होता है। कुछ पत्रिकाएं पूर्णत: इसी दृष्टि से प्रकाशित होती है जैसे लोट-पोट, फिल्म फेयर, फेमिना आदि। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री डॉ० एस०एन० मुखर्जी के अनुसार किसी देश के सांस्कृतिक सामाजिक उत्कर्ष का ज्ञान ही इससे होता है कि वहाँ के नागरिक अपने अवकाश का उपयोग किस प्रकार के मनोरंजन से करते हैं।

पाठकों की रुचियों में परिष्कार करना

पाठकों की रुचियों में परिष्कार करना पत्रकारिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। यह बात किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकती है, चाहे कोई चीज खरीदनी हो या बच्चों की पोषाक के लिए कोई कपड़ा लेना हो या कोई रसोईघर की वस्तु खरीदनी हो, या किसी दल विशेष के कार्यों का परिचय पाना हो। जब तक एक से अधिक विकल्प पाठकों या नागरिकों के सामने न हों तो वे सही चयन नहीं कर सकते हैं, बिना विकल्प के जो उपलब्ध है उसी से काम चलाना होता है। चयन कर रुचियों में परिष्कार लाने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता के सामने कई विकल्प हों।

विकल्प प्रस्तुत कर देने मात्र से ही पत्रकारिता का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। इसे पाठकों की रुचियां समाज सम्मत दिशाओं की ओर मोड़ने का और परिष्कृत करने का कार्य भी करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी सामग्री का विश्लेषण किया जाय। यह माना जा सकता है कि निर्णय पाठकों पर छोड़ दें। यद्यपि निर्णय के विकल्प भी सुझाये जा सकते हैं। ट्रैक्टर के उदाहरण में दोनों के गुण-दोष, लाभ-हानि, पक्ष-विपक्ष, कीमत, टिकाऊपन, जमीन की गहराई तक जुताई करने की क्षमता आदि पाठकों को बताना पत्रकारिता का ही कार्य है। यही बात राजनैतिक दलों, रोजगार के क्षेत्रों, बांधों, शिक्षा आदि के लिए भी कही जा सकती है। ऐसा होने पर ही पत्रकारिता पाठकों की रुचियां परिष्कृत करने में मदद ही नहीं, प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

पत्रकारिता की आवश्यकता

पत्रकारिता के कार्यों को देखते हुए मानव समाज के लिए उसकी आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है। मानव मन सदैव जिज्ञासु तथा कौतूहलपूर्ण रहा है और यही कारण है

कि वह अपने को विश्व में होने वाली हर घटना के सम्पर्क में रहकर परिचित रहना चाहता है। वह मात्र अपने पड़ोस, गांव या शहर तथा राज्य की घटनाओं में ही रुचिशील नहीं है वरन् वह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी अद्यतन परिचित रहना चाहता है। यही नहीं वह अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए भी प्रयत्नशील है। किसी राज्य के चुनाव परिणाम क्या रुख ले रहे हैं? इसका अन्य राज्यों में हुए चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सत्तारूढ़ दल के बारे में विभिन्न नेता एवं मतदाता क्या अनुमान लगा रहे हैं? दुनिया के देश पाकिस्तान को भारत के साथ सम्बन्धों के लिए क्या सलाह दे रहे हैं? एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ये सब बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए रुचिप्रद विषय हो सकता है। विवाह संस्था के प्रति युवाओं के मन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? समाज शास्त्र के अध्येता के लिए यह विषय चिन्तन-मनन का हो सकता है। आज आम आदमी तनाव से कितना पीड़ित है, उस पर अपने चारों ओर के वातावरण का कितना दबाव पड़ रहा है—यह मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। लेखक जानना चाहता है कि किस प्रकार की पुस्तकें इन दिनों प्रकाशित हो रही हैं? व्यापारी विभिन्न वस्तुओं की दरों में रुचि ले रहे हैं। इन सबके जानने के लिए संचार की आवश्यकता स्पष्ट है—फिर वह आकाशवाणी हो या अखबार हो या फिर टेलिविजन हो या जन सम्पर्क हो, सबका उद्देश्य नागरिकों को जानकारी देना है।

आज विश्व के कोने-कोने में घटनाएं हो रही हैं, आर्थिक उतार-चढ़ाव, सामाजिक परिवर्तन, राजनैतिक हलचल और इन सबसे परिचित रहने का सशक्त माध्यम है—पत्रकारिता! समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्य अपनी-अपनी रुचि की रचनाएं, समाचार आदि पढ़ कर अपनी जिज्ञासा शान्त करते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य इससे शिक्षित होता है तथा विवेकपूर्ण सोचना विचारना एवं निर्णय लेना सीखता है।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय में किये गये एक अध्ययन का निष्कर्ष था कि समाज में पढ़ने की आदत का अपना महत्व है तथा समाज के सदस्य उसकी पूर्ति पत्रिकाओं में छपने वाली सामग्री से करते हैं। इस अनुसंधान सर्वेक्षण का शीर्षक था—'अखबार न मिलने पर आपकी प्रतिक्रिया' समाचार जानकर पाठक अपने को सुरक्षित अनुभव करता है, पढ़ना उसके लिए नियमित यज्ञ के समान है, बिना पढ़े उनका भोजन नहीं पचता। इनके सिवाय उत्तरदाताओं के और रोचक उत्तर देखिये—'समाचार पत्र न पाने पर मैं बिन पानी की मछली के समान अनुभव करता हूँ।' दूसरा उत्तर था—'पड़ोस की गतिविधियां न जानने पर मुझे पीड़ा होती है।' इसी तरह अन्य उत्तर थे कि 'समाचार पत्र के बिना कारागार लगता है।' 'बिना समाचार पत्र पढ़े नींद नहीं आती।' इन उत्तरों से स्पष्ट है कि समाचार पत्र पढ़ने की आदत किसी लत से कम नहीं है, जो इसके अभ्यासी हो जाते हैं वे प्रातः सो कर उठते ही समाचार पत्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि कुछ पाठक समाचार पत्र पढ़ने

के लिए नित्यकर्म भी टाल देते हैं। इस प्रकार पत्रकारिता आज के मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गयी है।

समाचार के आधुनिक साधनों ने विश्व को एक गांव बना दिया है। हजारों मील दूर अमेरिका या अन्य देशों में घटी घटनाओं की जानकारी आपको तत्काल मिलने लगी है। टेलिविजन पर इनके चित्र भी देख सकते हैं। यदि घटना अनुकूल है तो सुनकर या देखकर लाभ उठाया जा सकता है तथा यदि प्रतिकूल हुई तो बचने का प्रयत्न कर सकते हैं या हानि से बच सकते हैं। इस प्रकार सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्वनागरिकता, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का विकास करने में समाचार पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वास्तव में समाचार पत्रों की मनुष्य के लिए वही भूमिका है जो पानी, धूप या खाद की एक पौधे को जीवित रखने के लिए होती है। आज इसके बिना मनुष्य जीवन अधूरा हो गया है। बिना समाचार के मनुष्य अपने को विश्व से कटा हुआ या अलग-थलग मानने लगता है। कई व्यक्ति दिनभर बिना समाचार के उदास रहते हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता। वे खाना-पीना भूल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने को समाचारों की दुनिया में अपडेट रखना चाहता है। ऐसा नहीं होने से उसके शिक्षित होने पर भी मित्र लोग उसे पिछड़ा हुआ समझते हैं। इन सबकी पूर्ति के लिए समाचार पत्र या मीडिया आज की अपरिहार्य वस्तु बन गई है।

पत्रकारिता का स्वरूप

पत्रकारिता के कार्य तथा आवश्यकता जान लेने पर पत्रकारिता के स्वरूप पर विचार करना समीचीन लगता है। आज दैनिक जीवन में कदम-कदम पर जब पत्रकारिता या समाचार पत्र या रेडियो तथा टेलिविजन अपरिहार्य बन गये हैं तो एक प्रकार से हमारा जीवन ही पत्रकारिता पर आधारित हो गया है। मनुष्य व्यस्त रहते हुए भी चाहता है कि विश्व की हलचल वह जाने, उनसे अपने को परिचित रखने तथा उन घटनाओं से पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों का अनुमान लगा सके। समाचार पत्रों में क्या नहीं होता? विज्ञापन, रिक्त स्थान, वर वधू की खोज, पाठकों की प्रतिक्रियायें, बाजार भाव, शेयर डिबेन्चर के समाचार, खेल समाचार, सिनेमा की जानकारी, सम्मेलन, उत्सव, कांफ्रेंस, गोष्ठी, उद्घाटन, पुस्तक समीक्षा, साहित्यिक विविधा, नारी-जगत, शिलान्यास, पुस्तक लोकार्पण समारोह, विज्ञान-जगत आदि से पाठक लाभान्वित होते हैं। हर नागरिक-पाठक किसी न किसी रूप में समाचार पत्रों का ऋणी होता ही है। हर आदमी अपनी रुचि की सामग्री चुन लेता है। ये सब उत्सव घटनाएं, समाचार हमारे दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। फलतः वे प्रत्यक्षतः हमारे दैनिक जीवन के एकाधिक पक्षों को प्रभावित भी करते हैं।

उपरोक्त विषयों के विस्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि पत्रकारिता का रूप विविधता लिए हुए है जो समाज के हर वर्ग की आवश्यकताएं पूरी करता है।

पढ़ा-लिखा बेकार व्यक्ति रिक्त स्थानों के विज्ञापनों में रुचि लेता है, किसान रासायनिक खाद के गुणों को जानना चाहता है, खिलाड़ी खेलों के परिणाम जानने को उत्सुक रहते हैं, सिनेमा देखने वाले फिल्म समीक्षा पढ़ कर फिल्म देखने का निर्णय करते हैं, धर्म प्रेमी सत्संग, भजन, कीर्तन के समाचारों से लाभ उठाते हैं, स्त्रियां नारी-जगत, नये व्यंजन, कढ़ाई-बुनाई नमूने देखने को उत्सुक रहती हैं, कई महिलाएं तो मनोरमा पत्रिका देखते ही सर्वप्रथम कढ़ाई-बुनाई वाले पृष्ठों पर अपना ध्यान केन्द्रित करती हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि समाचार पत्र मानव की रुचियों को परिष्कृत करते हैं, उनके आदर्शों, मूल्यों की रचना में योगदान करते हैं।

समाज का दर्पण

अखबार या मीडिया समाज का दर्पण होता है। समाज में हर रोज अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है, वह मीडिया में तत्काल नजर आता है। इसलिए लोग इस दर्पण में समाज की हर गतिविधि को देखते रहते हैं। अखबार या मीडिया वह आईना है जिसमें वर्तमान का सीधा प्रतिबिम्ब तो नजर आता ही है, साथ ही उसमें आने वाले समय का भी चित्र उभर जाता है। कल क्या होगा, उसकी जानकारी मीडिया आज ही आपको दे देता है। अखबार आपको आईना दिखाकर आपका मार्ग दर्शन भी करता है।

❑❑

भारत में पत्रकारिता का अभ्युदय

ऑगस्टस हिक्की भारत के प्रथम पत्रकार थे, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों से संघर्ष किया। हिक्की का मानना था कि, 'अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिये अपने शरीर को बंधन में डालने में मुझे मजा आता है।' हिक्की के समाचार पत्र की शुरुआत कंपनी शासन से विद्रोह की घोषणा से हुई। भारत में पत्रकारिता के प्रारम्भिक स्वरूप को पौराणिक काल से ही देखा जा सकता है। आदि काल से ही भारत में वेद-पुराण, रामायण, महाभारत जैसे महाग्रंथों की रचना होती रही है। सन् 1550 में पहला प्रिंटिंग प्रेस मिशनरियों ने गोवा में स्थापित किया, इसके बाद ब्रिटिश भारत में 1674 में बुम्बई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी के अन्त तक भारत के कई प्रमुख शहरों में मुद्रण की व्यवस्था हो चुकी थी। छापाखानों के खुलने के बावजूद भारत में सन् 1780 तक किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। भारत में पत्रकारिता के विकास में किये गये प्रयासों के कारण हालैण्ड निवासी विलियम वोल्ट का नाम उल्लेखनीय है। विलियम वोल्ट ने सितम्बर, 1768 में कलकत्ता के कौंसिल हाल एवं प्रमुख स्थानों पर पेम्पलेट चिपकवाये थे। इस प्रकार वोल्ट ने पेम्पलेट के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया। विचार एवं अभिव्यक्ति की मांग करने वाला पहला शिकार विलियम वोल्ट ही हुआ और सजा के तौर पर उसे भारत से इंग्लैण्ड में निर्वासित कर दिया गया।

उदन्तमार्तण्ड

जेम्स हिकी ने 29 जनवरी, 1780 को हिकीज गजट या 'हिकीज बंगाल गजट और दि आरिजिनल कैलकटा जनरल एड्वरटाइजर' नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारम्भ किया। इसलिये इसी दिन से भारत में पत्रकारिता का विधिवत प्रारम्भ माना जाता है। हिकी ने यह साप्ताहिक अखबार दो पृष्ठीय तीन कालम में छापा, इस समाचार पत्र में ब्रिटिश कम्पनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर लिखा गया। हिकी ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी करके उनकी अच्छी खबर ली। इस अखबार ने ब्रिटिश गर्वनर जरनल बारेन हेस्टिंग्स और
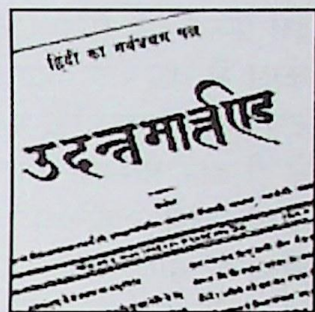
HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.
A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None.
59 From Saturday March 3d to Saturday March 10th 1781. No. VII

उनकी पत्नी के खिलाफ भी आलोचनात्मक सूचनाएँ प्रकाशित कर गवर्नर जनरल से सीधी अदावत मोल ली। हिकी के इस आपत्तिजनक लेखन के कारण वारेन हेस्टिंग्स ने सन् 1781 में इस अखबार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की और हिकी द्वारा भारी भरकम जुर्माना अदा न करने पर उसे जेल में डाल दिया गया। हिकी ने जेल में भी रहकर भी तत्कालीन सरकार की कटु आलोचना अपने लेखों में जारी रखी। जनवरी, 1782 में पुनः हिकी को एक वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई और मार्च में लगातार पत्र के टाइप एवं प्रकाशन सामग्री जब्त कर ली गई। इस प्रकार यह समाचार पत्र सदैव के लिये बन्द हो गया। जैम्स हिकी ने ब्रिटिश शासन काल में जब लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए हजार बार सोचते थे, उस समय पत्रकारिता में इस तरह की निर्भीकता दिखाई जो कि यादगार है। सन् 1780 में ही बी० मेसिन्क और पीटर रीड का 'इन्डियन गजट' शुरू हुआ जो कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की गतिविधियां छापता था। यह 50 साल तक चलता रहा। 1789 में 'बांबे होराल्ड' बम्बई से तथा 1785 में 'मैड्रास कूरियर' मद्रास से शुरू हुआ।

देखा जाय तो पत्रों के प्रकाशन से पूर्व भी बहुत पहले से पत्रकारिता याने कि संवाद प्रेषण और संवाद संकलन का काम होता था। यह बात दीगर है कि यह प्राचीन परम्परागत पत्रकारिता शासक वर्ग के राजकाज के लिए होती थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संवाद सेवाओं के क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात हुआ। मुगल शासकों ने संचार सेवाओं के लिए सूचना अधिकारियों की देशभर में नियुक्तियां कीं। औरंगजेब ने अपनी सल्तनत को सुचारू रूप से चलाने और अपनी सैन्य व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए सूचनाओं और आदेशों के आवागमन के लिए पुख्ता इंतजाम किये थे। दिल्ली दरबार के मुख्यालय से सूबों के सूबेदारों और फौजी ओहदेदारों को नियमित रूप से सूचनाएं और निर्देश भेजे जाते थे। सूबे के मुख्यालय पर उसने जासूसी का इंतजाम कर रखा था। वहाँ संवाद लेखक नियुक्त होते थे। इन संवाद लेखकों को वाकयानवीस कहा जाता था। इनके भेजे हुए खत बादशाह के सामने पढ़े जाते थे। उसी दौरान इटली का निकोला मनूकी नाम का मंत्री औरंगजेब के दरबार में कुछ समय रहा। उसने अपने यात्रा वृतांत में इस संवाद प्रेषण व्यवस्था का जिक्र किया।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 18वीं शताब्दी के पहले चरण में इन संवाद लेखकों का उपयोग किया। प्राचीन काल में भारत में जनसंचार के परम्परागत माध्यमों के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर शिलालेख भी संदेशों के प्रसार के काम आते थे, लेकिन उस समय सूचना जानने का अधिकार केवल शासकों को होता था और जनता को परम्परागत तरीके से केवल वही सूचनाएं दी जाती थीं जो कि शासकों के हित में होती थी।

भारतीय भाषाओं में भारत का पहला पत्र 'दिग्दर्शन' था, जो बांग्ला में छपा। इसका प्रकाशन 1818 में जे०सी० मार्शमन ने शुरू किया था। यह पत्र बाद में

साप्ताहिक के रूप में 'समाचार दर्पण' के नाम से छपने लगा। 1829 में यह पत्र हफ्ते में 2 बार छपने लगा। इसमें भारतीय और विदेशी खबरें अंग्रेजी और बांग्ला में छपती थी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में फारसी में पहला साप्ताहिक 'मिरातुल अखबार' शुरू किया। उन्होंने ही 'संवाद कौमुदी' भी शुरू कराया था। कुछ वर्षों बाद राजा राम मोहन राय ने बांग्ला, हिन्दी, फारसी और अंग्रेजी में 'बंगदूत' शुरू कराया। उसी दौरान जेम्स सिल्क ने 'कैलकट्टा जर्नल' निकाला जो कि शासकों का पर्दाफाश करता था। इसीलिए 'कैलकट्टा जर्नल' को अंग्रेज शासकों का कोपभाजन बनना पड़ा। 1857के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय पत्रकारिता को बुरे दिन देखने पड़े।

उस जमाने के कई पत्र आज भी न केवल जिंदा हैं, बल्कि देश के प्रतिष्ठित पत्रों में गिने जाते हैं। सन् 1821 में शुरू हुए 'इंग्लिशमैन' तथा 'फ्रेण्ड ऑफ इण्डिया' को मिलाकर 1875 में 'स्टेट्समैन' का प्रकाशन शुरू हुआ। 'बांबे स्टैण्डर्ड' और 'टेलीग्राफ कुरियर' को मिलाकर बम्बई से 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का जन्म हुआ। 'अमृत बाजार पत्रिका' एक बांग्ला साप्ताहिक के रूप में मार्च 1860 में शुरू हुआ था। इलाहाबाद से 'पायनियर' 1865 में शुरू हुआ। अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि रूडयार्ड किपलिंग 'पायनियर' से सम्बन्धित रहे। ट्रिब्यून का जन्म 1881 में हुआ था। दैनिक के रूप में इसका प्रकाशन 1906 से शुरू हुआ। मद्रास का 'हिन्दू' पहले एक साप्ताहिक पत्र के रूप में उदित हुआ। सन् 1879 में वह साप्ताहिक के रूप में छपने लगा और 1889 में उसका दैनिक प्रकाशन शुरू किया गया। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' का जन्म 1923 में हुआ। गांधी जी के 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' ने राष्ट्रीय आन्दोलन में अहम भूमिका अदा की। आजादी की लड़ाई के अंतिम चरण में 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय 'प्रेस इमरजेंसी अधिनियम' तथा युद्धकालीन आदेशों के तहत राष्ट्रीय समाचार पत्रों को बुरी तरह कुचला गया।

भारत में हिन्दी पत्रकारिता का एक विशेष स्थान रहा है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि हिन्दी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और हिन्दी के भारत में सर्वाधिक पाठक, श्रोता और दर्शक हैं। इसलिए हिन्दी पत्रकारिता के बिना भारतीय पत्रकारिता का उल्लेख पूरा नहीं हो सकता है। जनमत बनाने में सदैव भारत में हिन्दी पत्रकारिता का विशेष योगदान रहा है और खासकर राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। भारत में हिन्दी का पहला पत्र 30 मई 1826 को पंडित युगल किशोर शुक्ला ने 'उदंत मार्तण्ड' के नाम से शुरू किया था। उसके बाद कलकत्ता से पहला हिन्दी दैनिक अखबार 1854 में 'समाचार सुधावर्षण' के नाम से शुरू हुआ। तदोपरांत सन् 1868 तक देश में कई हिन्दी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थीं। इनमें 'बनारस अखबार', 'मार्तण्ड', 'ज्ञानदीप', 'मालवा अखबार', 'जगदीपक भास्कर', 'साम्यदण्ड', 'सुधाकर', 'बुद्धि प्रकाश', 'प्रजा हितैषी' और 'कवि वचन सुधा' शामिल थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 'कवि वचन सुधा' के संपादक थे। प्रख्यात लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन् 1900 में 'सरस्वती' नाम से एक लोकप्रिय पत्रिका शुरू की।

देश में 19वीं सदी के अन्त तथा 20वीं सदी की शुरुआत में कई दैनिक समाचार पत्र शुरू हुए। इनमें हिन्दोस्तान, भारतोदय, भारत मित्र, भारत जीवन, अभ्युदय, विश्वामित्र, आग, प्रताप, विजय, अर्जुन आदि शामिल थे। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से पूर्व हिन्दुस्तान, आर्यवर्त, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, पंजाब केसरी, भास्कर आदि प्रमुख अखबार शुरू हुए।

भारत में 31 मार्च 2009 को पंजीकृत समाचारपत्रों का विवरण

- 31 मार्च 2009 को पंजीकृत समाचारपत्रों की कुल संख्या : 73,146
- वर्ष 2008-2009 के दौरान पंजीकृत नए समाचारपत्रों की संख्या : 3,835
- गत वर्षों के दौरान कुल पंजीकृत प्रकाशनों पर वृद्धि की प्रतिशतता : 5.5 प्र.श.
- किसी भी भारतीय भाषा में सर्वाधिक पंजीकृत समाचारपत्रों तथा आवधिकों की संख्या (हिन्दी) : 29,094
- किसी भी भाषा में पंजीकृत दूसरे सर्वाधिक समाचारपत्रों तथा आवधिकों की संख्या (अंग्रेजी) : 10,530
- सर्वाधिक पंजीकृत समाचारपत्रों वाला राज्य: उत्तर प्रदेश : 11,543
- दूसरा सर्वाधिक पंजीकृत समाचारपत्रों वाला राज्य (दिल्ली) : 9,961
- वार्षिक विवरण जमा करने वाले कुल समाचारपत्रों की संख्या : 11,752
- समाचारपत्रों का कुल परिचालन : 25,79,53,373
- किसी भी भारतीय भाषा (हिन्दी) में वार्षिक विवरण जमा करने वाले सर्वाधिक समाचारपत्रों तथा आवधिकों की संख्या : 6,220
- किसी भी भाषा (अंग्रेजी) में वार्षिक विवरण जमा करने वाले दूसरे सर्वाधिक समाचारपत्रों तथा आवधिकों की संख्या : 1,291
- सर्वाधिक परिचालित (प्रसार संख्या) दैनिक : द हिन्दू, अंग्रेजी, चेन्नई : 14,20,368
- दूसरा सर्वाधिक परिचालित दैनिक : आनन्द बाजार पत्रिका, बंगाली, कोलकाता : 12,63,259
- तीसरा सर्वाधिक परिचालित दैनिक: द इनाडू, तेलुगु, हैदराबाद : 11,90,772
- सर्वाधिक परिचालित बहु संस्करणीय दैनिक : द टाइम्स ऑफ इंडिया (07 संस्करण), अंग्रेजी : 20,64,662
- दूसरा परिचालित बहु संस्करणीय दैनिक : इनाडू, तेलुगु (22 संस्करण) : 20,20,904
- सर्वाधिक परिचालित आवधिक : द हिन्दू, अंग्रेजी, साप्ताहिक, चेन्नई (12 अलग अलग मुद्रण प्रेस से मुद्रित) : 12,65,170

❑❑

उत्तराखण्ड की पत्रकारिता का सफर

उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का गौरवपूर्ण अतीत रहा है। अगर 131 ईस्वी पूर्व रोम साम्राज्य में शुरू हुये 'ऐक्टा डियूरना' (दिन की घटनायें) को दुनिया का पहला सूचना वाहक या अखबार माना जाय तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित 'बंगाल गजट एण्ड कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर' को भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र कहा जा सकता है। इसी तरह मसूरी से जॉन मैकिनन द्वारा 1842 से प्रकाशित 'द हिल्स' को उत्तराखण्ड का पहला अखबार माना जायेगा। भले ही बाद में ये अखबार अंग्रेजों के ही गले पड़े, मगर सच्चाई यही है कि उत्तराखण्ड सहित भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत करने वाले अंग्रेज ही थे और पत्रकारिता के उन अग्रदूतों की भाषा भी अंग्रेजी ही थी। मसूरी अंग्रेजों की पसन्दीदा आरामगाह होने के चलते इस पहाड़ों की रानी को देश के अग्रदूत समाचार पत्रों में से कुछ पत्रों को जन्म देने का सौभाग्य हासिल हुआ।

गढ़वाल-समाचार
मासिकपत्र
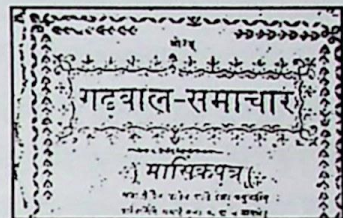
ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मैकिनन द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजी भाषा का 'द हिल्स' 1842 में शुरू हुआ तो 1850 में बन्द भी हो गया। उसके बाद इस अखबार का और बड़े आकार में 1860 में पुनर्जन्म हो गया, लेकिन वह फिर 1865 में दम तोड़ गया। हालांकि 'द हिल्स' दम तोड़ चुका था, मगर उसने खबरों और ज्ञानवर्धक पाठन सामग्री से पाठकों में अखबारों के प्रति उत्कण्ठा तो भड़का ही दी थी। 'द हिल्स' द्वारा तैयार की गयी जमीन पर मसूरी से ही बाद में 'द मसूरी एक्सचेंज एडवर्टाइजर' (1870) और कोलमैन का 'द मसूरी सीजन' (1872) जैसे अखबार पैदा हो गये। कोलमैन के भारत छोड़ने के साथ ही 'द मसूरी सीजन' की भी मौत हो गयी। इसके बाद सन् 1875 में जॉन नार्थम ने मसूरी से 'द हिमालयन क्रोनिकल' शुरू किया। सन् 1884 के दौरान उसी प्रेस से विज्ञापन पत्रक 'द चमेलियन' का प्रकाशन भी शुरू हुआ।

विशाल-कीर्ति

THE
INDIAN FORESTER
(FOUNDED IN 1875)
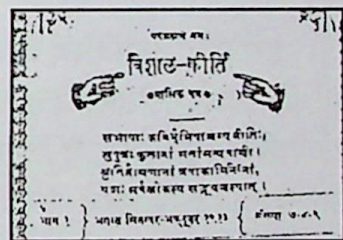
पहाड़ों की रानी मसूरी एक तरह से उत्तराखण्ड की पत्रकारिता की जननी रही। इसकी उर्वरक भूमि में उन्नीसवीं सदी में ही एक के बाद एक अखबार जन्म लेते रहे, जिनका जिक्र पृथक शीर्षक से किया जाना ही न्यायोचित होगा। (मसूरी के अखबारों के बारे में आगे पृथक से विस्तारपूर्वक विवरण दिया जा रहा है) 'द हिमालयन

क्रॉनिकल' के बाद देहरादून से वानिकी अनुसंधान संबंधी अंग्रेजी हाउस जर्नल 'द इंडियन फॉरेस्टर' का प्रकाशन 1 जुलाई, 1875 से शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि इसके बाद ही देहरादून में 1878 में 'इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल' शुरू हुआ जिसे 'भारतीय वन अनुसंधान संस्थान' या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफ०आर०आइ०) का अग्रदूत कहा जा सकता है। एफ०आर०आइ० का मूल नाम इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था जिसकी स्थापना 1906 में देहरादून के इसी स्थान पर हुयी थी।
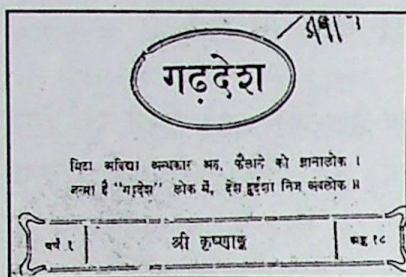
भारत का पहला हिन्दी अखबार अगर 'उदन्त मार्तण्ड' (30 मई 1826) था तो उत्तराखण्ड का पहला स्वदेशी भाषा का अखबार और कोई नहीं बल्कि 'समय विनोद' था, जो कि उर्दू के साथ ही हिन्दी में भी छपता था। प्रो० शेखर पाठक के एक लेख के अनुसार जब पहली बार 1867 में उत्तराखण्ड में प्रेस आई तो उसके माध्यम से 'समय विनोद' नामक अखबार निकला था फिर उसके दो साल बाद 'अल्मोड़ा अखबार' निकला था। मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक पं० जय दत्त जोशी द्वारा सन् 1868 में शुरू किया गया यह अखबार पाक्षिक था और हिन्दी के साथ ही उर्दू में भी निकलता था। नैनीताल से प्रकाशित 'समय विनोद' के शुरू में मात्र 32 ग्राहक थे जिनमें से 17 भारतीय और 15 यूरोपीय थे। बाद में इसके ग्राहकों की संख्या 225 तक पहुंच गयी थी। यह अखबार 1877 के आसपास बन्द हो गया। पत्र ने सरकारपरस्त होने के बावजूद ब्रिटिश राज में चोरी की घटनाएं बढ़ने, भारतीयों के शोषण, बिना वजह उन्हें पीटने, उन पर अविश्वास करने आदि मामलों पर अपने विविध अंकों में चिंता व्यक्त की थी।

इस तरह देखा जाय तो अगर उत्तराखण्ड का पहला अखबार मसूरी ने दिया तो अंग्रेजों की ही चहेती नैनीताल ने पहला हिन्दी और उर्दू अखबार 'समय विनोद' दिया था। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि मसूरी में अंग्रेज कैप्टन यंग और देहरादून के अधीक्षक मिस्टर शोर सन् 1825 में पहुंच गये थे, जबकि नैनीताल में अंग्रेजों के कदम 1839 में पड़े। उस समय आगरा में चीनी उत्पादन के कारोबार से जुड़ा अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन अपने मित्र के साथ भटक कर नैनीताल पहुंचा तो देखते ही दंग रह गया था। उसके बाद 1841 से इस झील के चारों ओर अंग्रेजों के शानदार बंगले, क्लब और मनोरंजन के स्थल बनने लगे। अगर अंग्रेजों की बसागत पहले नैनीताल में हुयी होती तो सम्भव है कि पहला अखबार देने का श्रेय नैनीताल को मिलता। इस ऐतिहासिक पत्र की प्रतियां उपलब्ध न होने के कारण उसके तेवरों और सामग्री की जानकारी शायद ही किसी को हो। बहरहाल वर्नाकुलर प्रेस रिपोर्ट के अनुसार 1874 में 'समय विनोद' का सम्पादन मोहम्मद अली नाम के व्यक्ति के हाथों में आ गया था। लार्ड नार्थब्रुक को 12 जुलाई 1875

को जान स्ट्रेची द्वारा लिखे गये पत्र के अनुसार उस समय मूल रूप से यह पत्र उर्दू में छपता था, जिसका हिन्दी में अनुवाद होता था। पत्र की प्रसार संख्या काफी गिर गयी थी। सन् 1878 के बाद इस पत्र का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 'समय विनोद' के बाद सन् 2000 तक नैनीताल से लगभग 22 अखबार निकले। इनमें 'उत्तर उजाला' (1977) और 'नैनीताल समाचार' (1978) भी शामिल हैं। अन्य ऐतिहासिक अखबारों में पीताम्बर पांडे का 'जागृत जनता' (1938) वकील निसार अहमद अंसारी का 'हादी-ए-आजम' (1936) भी शामिल हैं। अन्य अखबारों में 'खबर संसार' (1966), 'संदेश सागर' (1967), 'उत्तरायण' (1969), लोकालय (1971), आधारशिला (1984), पर्वतीय (1954), पिघलता हिमालय (1978), उत्तरा (1989), 'नागरिक', 'युवजन मशाल', 'नैनीजनदर्पण' (1978), 'कोसार' (1962), 'हिल रिव्यू', 'पहाड़', 'कुर्मांचल केसरी' (1980), 'उत्तराखण्ड मशाल' (1999), एवं 'हिमालयी भारत' आदि शामिल हैं। गोपाल सिंह भण्डारी का 'उत्तर उजाला' कुमायूं का पहला हिन्दी दैनिक अखबार था, जबकि 'नैनीताल समाचार' तो अपने आप में एक जन आन्दोलन माना जाता रहा है। 'हादी-ए-आजम' कुमाऊँ का दूसरा उर्दू अखबार था।

स्वाधीनता संग्रामी अखबारों की जननी अल्मोड़ा

सन् 1563 से लेकर 1790 ई० तक अल्मोड़ा का धार्मिक भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व कई दिशाओं में अग्रणी रहा। अल्मोड़ा न केवल सत्ता का बल्कि सांस्कृतिक समागम का केन्द्र भी रहा। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी अल्मोड़ा समस्त कुमाऊँ अंचल का प्रतिनिधित्व करता रहा। इसीलिये अल्मोड़ा को कुमाऊँ की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। मसूरी और नैनीताल की प्रसिद्धि को भले ही अंग्रेजों की उपस्थिति या चाहत ने चार चांद लगाये हों, मगर अल्मोड़ा का महत्व भी इतिहास में कम नहीं रहा। यह नगरी अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों के कारण न केवल इस पहाड़ी भूभाग की सांस्कृतिक

THE ALMORA AKHBAR

अल्मोड़ा अख़बार

एक साप्ताहिकपत्र

खण्ड १४ | श्रावणवदी ६ सोमवार संवत १९४१ १४ जौलाय सन ८४ | अंक १५

अलमोड़ा अखबार– 14 जुलाई 1884

राजधानी रही, बल्कि लगभग तीन सदियों तक कुमाऊँ की राजधानी रहने के कारण राजनीतिक गतिविधियों और जनजागरण का केन्द्र भी रही। हालांकि अपनी सुदूर पहाड़ी स्थिति के कारण बाद में सारा आकर्षण नैनीताल की ओर खिसक गया। फिर भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक नगर से ही गम्भीर उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता की शुरूआत 'अल्मोड़ा अखबार' से हुयी। दरअसल अल्मोड़ा के बौद्धिक वातावरण में एक ऐसे क्लब की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसमें लोग अपनी जानकारियों और
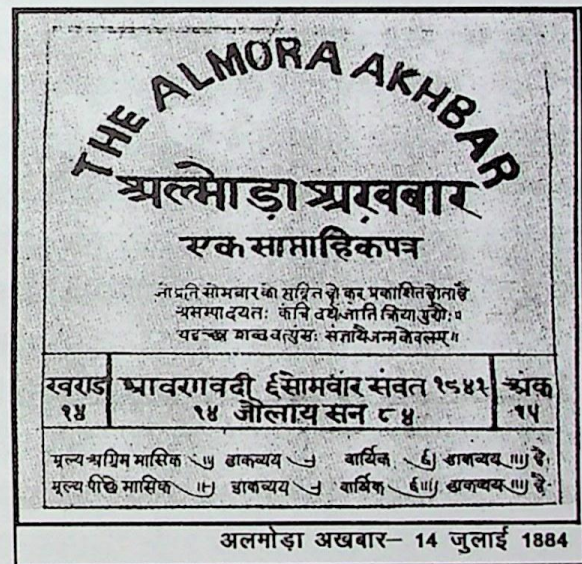
विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। इसी चाहत के चलते सन् 1870 में सत्ताच्युत चन्द राजवंश के वंचित उत्तराधिकारी राजा भीमसिंह की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक मिलन केन्द्र या चर्चा स्थल (डिबेटिंग क्लब) स्थापित हो गया। यह क्लब वास्तव में उस जमाने के विख्यात शिक्षा शास्त्री पण्डित बुद्धि बल्लभ पन्त के दिमाग की उपज थी। क्लब की स्थापना के बाद उसमें तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट गवर्नर विलियम म्यूर को लाने का श्रेय भी पन्त को ही जाता है। म्यूर ने अपनी इस विजिट में क्लब के सदस्यों को लन्दन के प्रसिद्ध काफी हाउस का जिक्र करने के साथ ही क्लब में होने वाले वैचारिक मन्थन से समाज में जागृति लाने के लिये एक अखबार शुरू करने का सुझाव दिया। हालांकि यह एक सेफ्टी वाल्व वाली थ्योरी थी और अंग्रेज अफसर को उस समय यह भान नहीं था कि एक दिन वही अखबार अंग्रेजी शासन की जड़ों में मट्ठा डालना शुरू कर देंगे।
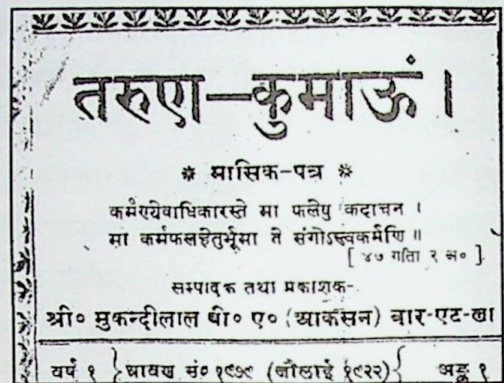
तरुण-कुमाऊं।

* मासिक-पत्र *

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥
[४७ गीता २ अ०]

सम्पादक तथा प्रकाशक-
श्री० मुकन्दीलाल बी० ए० (आक्सन) बार-एट-ला

वर्ष १ } श्रावण सं० १९७९ (जौलाई १९२२) { अङ्क १

बहरहाल 1871 में पण्डित बुद्धि बल्लभ पन्त के सम्पादकत्व में 'अल्मोड़ा अखबार' का जन्म हो गया। यह कूर्मांचल में उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता की शुरुआत थी। पंजीकरण संख्या 10 से शुरू हुये 'अल्मोड़ा अखबार' की प्रसार संख्या 150 तक पहुंच गयी थी। बाद में 'समय विनोद' के बन्द होने के कारण 'अल्मोड़ा अखबार' का कुमाऊँ में एकछत्र प्रसार हो गया। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार सन् 1871 से लेकर 1888 तक 'अल्मोड़ा अखबार' पाक्षिक के रूप में लिथो प्रेस से छपता रहा और फिर ट्रेडिल प्रेस में आकर साप्ताहिक हो गया। इसके 48 वर्ष के जीवनकाल में इसका संपादन क्रमशः बुद्धिबल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानन्द जोशी, सदानन्द सनवाल, विष्णुदत्त जोशी तथा 1913 के बाद बदरीदत्त पांडे ने किया। प्रारम्भिक चरण में 'अल्मोड़ा अखबार' सरकारपरस्त था फिर भी इसने औपनिवेशिक शासकों का ध्यान स्थानीय समस्याओं के प्रति आकृष्ट करने में सफलता पाई। कभी पाक्षिक तो कभी साप्ताहिक के रूप में निकलने वाले इस पत्र ने अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त पर्वतीय जनता की मूकवाणी को अभिव्यक्ति देने का कार्य किया। इस पत्र का मुख्य विषय आंचलिक समस्याएं, कुली बेगार, जंगल बंदोबस्त, बाल शिक्षा, मद्य निषेध, स्त्री अधिकार आदि रहे। इस अखबार ने सदानन्द सनवाल के सम्पादकत्व में काफी नाम कमाया। इससे पहले 1896 में 'कूर्मांचल समाचार पत्रिका' का प्रकाशन शुरू हुआ। कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डॉ० अनिल कुमार जोशी के एक शोध प्रबन्ध के अनुसार 'कुमाऊँ समाचार पत्रिका' का मुख्य उद्देश्य 'अल्मोड़ा अखबार' से हिसाब चुकता करना प्रतीत होता था। उस पत्र को विज्ञापन न मिलने की भी शिकायत रहती थी। सन् 1909 से लेकर 1913 तक 'अल्मोड़ा अखबार' के सम्पादन की जिम्मेदारी विष्णु दत्त जोशी के कन्धों पर रही। उसके बाद एक युवा तेज तर्रार सम्पादक बदरीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार की

कमान सम्भाली। इसी दौरान 1913 में अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ला से 'बाजार बन्धु' नाम से एक हस्तलिखित अखबार भी शुरू हुआ। राय बहादुर बदरीदत्त जोशी और जयदत्त पांडे की सिफारिश पर ही बदरीदत्त पांडे 'अल्मोड़ा अखबार' के सम्पादक बने थे। वैसे भी उस समय बदरी दत्त पांडे के अलावा उतना अनुभवी सम्पादक अन्य कोई नहीं था। बदरीदत्त के आते ही उसमें कुली बेगार और जंगलात सम्बन्धी कष्टों से सम्बन्धित सामग्री से अखबार पटने लगा। कहा जाता है कि जब बदरीदत्त ने इस अखबार का सम्पादन सम्भाला तो उस समय वह मरणासन्न स्थिति में आ गया था। उस समय उसकी मात्र 60 प्रतियां छप रही थीं। लेकिन पांडे के हाथ में आने के तीन महीने के अन्दर ही उसकी प्रसार संख्या 1500 तक पहुंच गयी और जब 1918 में वह बन्द हुआ तो उसकी प्रसार संख्या 2000 थी। वास्तव में बदरीदत्त पांडे इलाहाबाद से स्वाधीनता का जुनून लेकर आये थे। वह वहां कांग्रेस समर्थक अखबार 'इण्डिपेण्डेण्ट' और 'लीडर' में काम कर चुके थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह देहरादून से छपने वाले 'गढ़वाली' और 'कॉस्मोपोलिटन' अखबारों में भी तप कर आये थे। इनमें 'कास्मोपोलिटन' कांग्रेसी अखबार था। उस समय कुली बेगार और बरदायश के खिलाफ आन्दोलन चल रहे थे। इस युवा पत्रकार ने 'अल्मोड़ा अखबार' के तेवर बदल कर सरकार से लोहा लेना शुरू किया तो अखबार लोगों के सर माथे पर आ गया, मगर वह अपनी लोकप्रियता के साथ ही अंग्रेजों की आंख की किरकिरी भी बन गया। अल्मोड़ा अखबार पूरे 48 साल चलने के बाद बंद हुआ और इस आरोप में बंद हुआ जो कि उसके जन्म के समय उसके प्रारंभिक एजेंडे में कहीं भी नहीं था। तत्कालीन प्रशासकों ने कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन यह अखबार उन्हीं के गले पड़ जायेगा।

उत्तराखण्ड के मूर्धन्य पत्रकारों में से एक राधाकृष्ण कुकरेती ने अपने एक लेख में लिखा है कि एक बार डिप्टी कमिश्नर मिस्टर लोमस की एक पार्टी के बारे में इस अखबार ने कुछ लिखा तो आग बबूला लोमस ने मुद्रक प्रकाशक सदानन्द सनवाल से इस्तीफा लिखवा कर वह अखबार ही बन्द करा दिया। मगर बदरीदत्त पांडे कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर, 1918 से जनता से मिले चन्दे की मदद से 'शक्ति' अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया जो कि कांग्रेस का मुखपत्र बना। यह पत्र अब तक चल रहा है। इसके लिये बदरीदत्त पांडे ने हरिकृष्ण पन्त, हरगोविन्द पन्त, मोहन सिंह मेहता और गुरुदास शाह आदि के सहयोग से 'देश भक्त प्रेस' की स्थापना की। बदरीदत्त पांडे सन् 1930 तक 'शक्ति' के सम्पादक रहे। 'शक्ति' की रीति नीति से असहमत भवानी दत्त जोशी ने 1919 में

“शक्ति”

'ज्योति' और जय दत्त तिवारी ने 1924 में 'कूर्मांचल मित्र' अखबार शुरू किये। बीच-बीच में उनके विश्वासपात्र मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, रामसिंह धौनी, मनोहर पन्त, मथुरा दत्त त्रिवेदी, कृष्ण चन्द्र जोशी और पी.सी. तिवारी आदि ने भी सम्पादक का दायित्व निभाया।

'शक्ति' ने न केवल स्थानीय समस्याओं को उठाया, बल्कि इन समस्याओं के खिलाफ उठे आन्दोलनों को राष्ट्रीय आन्दोलन से एकाकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 'शक्ति' की लेखन शैली का अन्दाज 27 जनवरी, 1919 के अंक में प्रकाशित निम्न पंक्तियों से लगाया जा सकता है–

"आंदोलन और आलोचना का युग कभी बंद न होना चाहिए ताकि राष्ट्र हर वक्त चेतनावस्था में रहे अन्यथा जाति यदि सुप्तावस्था को प्राप्त हो जाती है तो नौकरशाही, जर्मनशाही या नादिरशाही की तूती बोलने लगती है।"

इतिहासकार डॉ० शेखर पाठक अपने एक लेख में कहते हैं कि–*"शक्ति की एक जबरदस्त राष्ट्रवादी भूमिका रही। शक्ति केवल एक साप्ताहिक अखबार नहीं था, बल्कि एक तरह की खिड़की थी, जहां से उत्तराखण्ड के लोग न सिर्फ अपने अंचलों में झांकते थे बल्कि उसका एक दूसरा दरवाजा देश की तरफ खुलता था और पूरे देश के हालात भी वहाँ पता चलते थे। गाँव में अगर 'शक्ति' का एक अंक जा रहा है तो पर्याप्त होता था। अखबार को 'बांच' करके लोगों को सुनाने की परम्परा थी। एक गांव में एक अखबार आ रहा है तो एक आदमी पढ़ रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं।"*

'शक्ति' ने एक ओर बेगार, जंगलात, डोला-पालकी, नायक सुधार, अछूतोद्धार तथा गाड़ी-सड़क जैसे आन्दोलनों को मुखर अभिव्यक्ति दी तो दूसरी ओर असहयोग, स्वराज, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन जैसी राष्ट्रवादी अवधारणाओं को ग्रामीण जन मानस तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसके साथ ही इसने साहित्यिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को भी मंच प्रदान किया। इसका प्रत्येक संपादक राष्ट्रीय आन्दोलन का संग्रामी था। बदरीदत्त पांडे, मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धौनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी, पूरन चन्द्र तिवाड़ी आदि में से एक-दो अपवादों को छोड़कर 'शक्ति' के सभी सम्पादक या तो जेल गये थे या तत्कालीन प्रशासन की घृणा के पात्र बने। बदरीदत्त पांडे के सम्पादकत्व में 'शक्ति' ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग उगलता रहा। इसीलिये कई बार 'शक्ति' का प्रकाशन बन्द भी करना पड़ा। शक्ति के प्रकाशन के दो वर्ष बाद ही उसकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने लगी थी। उस अखबार से जून, 1921 में दो हजार की जमानत मांगी गयी जिस कारण वह तीन सप्ताह बन्द रहा। इसके बाद बदरीदत्त पांडे जेल गये तो उन्होंने अपने पीछे सम्पादन कर रहे मोहन जोशी को संदेश भेजा कि 'शक्ति मुझे अपने पुत्र शक्ति प्रसाद पांडे से ज्यादा प्यारी है।'

पुराने दस्तावेजों के अनुसार अल्मोड़ा से ही पं० पूरण चन्द ने 15 अप्रैल, 1923 से 'जिला गजट' निकाला जो कि 'विन्ध्यवासिनी प्रेस' से छपता था। सन् 1925 से बसन्त

कुमार जोशी ने 'जिला समाचार' नाम से एक पाक्षिक शुरू किया। अगले ही साल उस अखबार का नाम बदल कर 'कुमाऊँ कुमुद' रख दिया गया। 'कुमाऊँ कुमुद' का वार्षिक मूल्य दो रुपये आठ आना था। इसका सम्पादन प्रेम बल्लभ जोशी, बसन्त कुमार जोशी, देवेन्द्र जोशी आदि ने किया। इसके 1936 के अंकों में डॉ० देवेन्द्र जोशी को अवैतनिक संपादक तथा प्रेम बल्लभ जोशी को प्रकाशक/ संचालक और प्रबंधक बताया गया है। इस पत्र की पंजीकरण संख्या ए-1203 थी तथा यह विन्ध्यवासिनी यंत्रालय से छपता था। शुरू में इसकी छवि राष्ट्रवादी पत्र की अपेक्षा साहित्यिक अधिक थी। प्रो० शेखर पाठक (कुमाऊँ में पत्रकारिता-कुमाउंनी संस्कृति) के अनुसार 'कुमाऊँ कुमुद' राष्ट्रवादी तो था मगर उसका मुख्य ध्येय अपने प्रतिद्वन्द्वी अखबार 'शक्ति' को सबक सिखाना था। कीचड़ उछालने का यह सिलसिला 'कुमाऊँ कुमुद' के 1948 में बन्द होने के साथ ही खत्म हुआ। इससे पहले बदरीदत्त पांडे के विश्वसनीय सहयोगी विक्टर जोजफ मोहन जोशी उनकी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से खिन्न होकर सन् 1930 में 'शक्ति' से अलग हो गये और उन्होंने अपना अखबार 'स्वाधीन प्रजा' शुरू कर दिया। इस अखबार के लिये पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी शुभकमानाएँ भेजीं थी। अल्पजीवी पत्र होने के बावजूद यह पत्र अत्यधिक आक्रामक सिद्ध हुआ। पत्र ने अपने पहले अंक में ही लिखा—

"भारत की स्वाधीनता भारतीय प्रजा के हाथ में हैं। जिस दिन प्रजा तड़प उठेगी, स्वाधीनता की मस्ती तुझे चढ़ जाएगी, ग्राम-ग्राम, नगर-नगर देश प्रेम के सोते उमड़ पड़ेंगे तो बिना प्रस्ताव, बिना बमबाजी या हिंसा के क्षण भर में देश स्वाधीन हो जाएगा। प्रजा के हाथ में ही स्वाधीनता की कुंजी है।"

मोहन जोशी पर "भारत में अंग्रेजी राज" पुस्तक के लेखक और 'स्वराज' पत्रिका के प्रकाशक सुन्दर लाल का व्यापक प्रभाव था। मोहन जोशी ने बी.ए. की शिक्षा पूरी करने के बाद अल्मोड़ा लौटने से पहले ही देश के इसाइयों को मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाने और देश की आजादी के आन्दोलन में भाग लेने के लिये उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से 20 सितम्बर 1920 को इलाहाबाद में ही 'क्रिश्चियन नेशनलिस्ट' नाम का अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू कर दिया था। जो कि ज्यादा नहीं चल सका और वह 1921 में प्रयाग से अल्मोड़ा लौट आये थे। विजय दत्त श्रीधर (भारतीय पत्रकारिता कोश-खंड-2) के अनुसार सन् 1926 में चतुर सिंह नायक के संपादकत्व में नैनीताल से हिन्दी साप्ताहिक 'हितैषी' का प्रकाशन शुरू हुआ। इसकी पृष्ठ संख्या 12 और वार्षिक मूल्य तीन रुपये चार आना था। सन् 1936 में अल्मोड़ा से हिन्दी मासिक 'नटखट' का प्रकाशन शुरू हुआ इस मनोरंजन प्रधान पत्रिका के संपादक और प्रकाशक मदन मोहन अग्रवाल और महेन्द्र मालवीय थे। 1937 में अल्मोड़ा से

जीवन चन्द्र जोशी के संपादकत्व में मासिक पत्र 'अंचल' निकला। इसका उद्देश्य उत्तराखण्ड की संस्कृति, साहित्य और भाषा का संरक्षण और उन्नयन करना था।

'शक्ति' से मोहन जोशी के अलग होने के बाद पीताम्बर पांडे भी अपने मित्र बदरी दत्त पांडे से अलग हो गये थे। सन् 1939 में पीताम्बर पांडे ने हल्द्वानी से 'जागृत जनता' का प्रकाशन शुरू किया। अपने आक्रामक तेवरों के कारण 1940 में इसके सम्पादक को सजा तथा 300 रु० जुर्माना भुगतना पड़ा। इससे पहले हरि प्रसाद टम्टा ने 1935 में 'समता' अखबार शुरू कर दिया था। यह पत्र राष्ट्रीय आन्दोलन के युग में दलित जागृति का पर्याय बना। इसके संपादक सक्रिय समाज सुधारक थे। सन् 1939 के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा का 'कांग्रेस बुलेटिन' भी छपता था। इसकी कुछ प्रतियाँ आज भी राज्य अभिलेखागार, देहरादून में सुरक्षित रखी गयी हैं। स्पष्ट है कि यह पत्र भी स्वतंत्रता आन्दोलन के लिये ही समर्पित था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान शोभन सिंह जीना की देखरेख में 'पताका' का प्रकाशन शुरू हुआ जिसके सम्पादक तारादत्त पांडे थे। सन् 1940 में नैनीताल, काशीपुर और मुरादाबाद से 'अरुण' साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। सन् 1936 में नैनीताल से उर्दू का 'हादी-ए-आजम' निकला जिसका सम्पादन वकील निसार अहमद अंसारी करते थे। समय विनोद के बाद कुमाऊँ से यह दूसरा उर्दू अखबार था। अल्मोड़ा से सन् 1935 से लेकर 1980 तक लगभग 30 पत्र-पत्रिकाएं निकलीं जिनमें बाल पत्रिका नटखट (1935), 'जागृत जनता', 'इण्डियन बी कीपिंग' और 'अंचल' (1938), 'पताका' (1939), 'उत्थान' (1946), रानीखेत से 'प्रजा बन्धु' (1947), 'कुमाऊँ राजपूत' पाक्षिक (1948), 'रूपा' और 'जनवाणी' (1952), पाक्षिक 'पथिक' और 'लोक कला' मासिक (1955), 'नागराज' (1962), 'जागृत युवक' (1964), 'उत्तर केशरी' और 'सत्य शांति संदेश' (1965), 'स्वाधीन प्रजा' (1967), 'विकास मासिक' (1968), रानीखेत से साप्ताहिक पत्र 'बदरीनाथ' (1970), द्वाराहाट से 'द्रोणाचल प्रहरी', रानीखेत से 'कुंजराशन' और अल्मोड़ा से 'माद्री' द्विमासिक (तीनों 1971), उत्तराखण्ड सेनानी (1972), हिमांजलि पा० (1974), रानीखेत से 'दस्तावेज' पाक्षिक और 'शिखर संदेश' (1975), हिलांस (1978), रानीखेत से 'उत्तराखण्ड दूत' पाक्षिक, अल्मोड़ा से 'पूर्णागिरि संदेश' सा० और रानीखेत से 'उत्तराखण्ड राही' (1979) और अल्मोड़ा से ही 'अल्मोड़ा समाचार' साप्ताहिक, 'दिशा', 'समन्वय' पत्रिका, 'उत्तराखण्ड उद्घोष', 'शिल्पी' मासिक, 'पर्वत बन्धु' सा०, 'जंगल के दावेदार' पाक्षिक एवं 'पुरवासी' (1980) शामिल हैं। उसके बाद सांस्कृतिक नगरी से नित नये पत्र प्रकाशित होते रहे। सन् 1945-46 में हीराबल्लभ जोशी ने पिथौरागढ़ से 'उत्थान' पत्रिका निकाली। उससे पहले वहीं से श्री जोशी 'उत्तराखण्ड ज्योति' निकाल चुके थे।

पताका

गढ़वाल मण्डल में अखबारों की यात्रा

सामान्यत: राजशाहियों या तत्कालीन शासकों की राजाज्ञाओं के प्रचार-प्रसार के लिये प्रकाशित होने वाले गजटों को ही क्षेत्र विशेष के अखबारों के पूर्वज माना जाता है। लेकिन गढ़वाल में 1905 से पहले टिहरी गढ़वाल के नरेशों की राजाज्ञाएं लाहौर और शिमला से छपने वाले 'सिविल एंड मिलिट्री गजट' में ही छपती थी। लेकिन 1905 से राजशाही ने 'एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट' के नाम से अपना गजट छापना शुरू किया। इतिहासकार डॉ० अतुल सकलानी के अनुसार यह गजट 1945 तक छपता रहा। फिर भी गढ़वाल में इससे पहले से ही अखबारों का उदय हो चुका था।
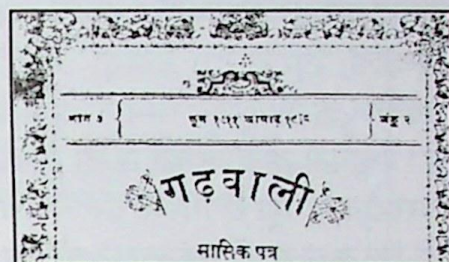
गढ़वाली
मासिक पत्र

गढ़वाल मंडल के मसूरी से उत्तराखण्ड का पहला अंग्रेजी अखबार 'द हिल्स' अवश्य निकला, मगर पहले-पहल हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत कराने का श्रेय महाराजा कीर्तिशाह को ही जाता है। हालांकि जिस नींव की तैयारी कीर्तिशाह ने की थी उस पर मजबूत बुनियाद डालने का काम पं० गिरजा दत्त नैथाणी ने किया था। डॉ० भक्त दर्शन (गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ द्वितीय संस्करण-पृष्ठ 190) के अनुसार—सन् 1901 ई० में यूरोप यात्रा से लौटने के बाद महाराजा कीर्तिशाह ने टिहरी नगर में एक मुद्रणालय स्थापित किया था और समूचे गढ़वाल क्षेत्र का सर्वप्रथम पाक्षिक समाचार पत्र 'रियासत टिहरी गढ़वाल' प्रकाशित कराना प्रारंभ किया था, पर वह कुछ ही वर्षों तक चल पाया। डॉ० योगेश धस्माना ने भी अपनी पुस्तक 'उत्तराखण्ड में जन-जागरण और आन्दोलनों का इतिहास' के पृष्ठ 85 पर 'रियासत टिहरी गढ़वाल' अखबार का उल्लेख किया है। भैरव दत्त धूलिया ने बसुधारा में छपे अपने लेख में भी 1901 में 'रियासत टिहरी गढ़वाल गजट' पत्र के प्रकाशन का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह हुआ कि गढ़वाल का पहला हिन्दी अखबार 'गढ़वाल समाचार' नहीं बल्कि टिहरी नरेश द्वारा स्थापित की गयी प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाला 'रियासत टिहरी गढ़वाल गजट' था। फिर भी अपने कलेवर और पत्रकारिता के उच्च मापदंडों तथा लोकप्रियता के चलते ज्यादातर लोगों के जेहन में 'गढ़वाल समाचार' ही छाया रहा। महाराजा कीर्ति शाह ने अपने वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी को प्रोत्साहित कर उनसे गढ़वाल का इतिहास भी लिखवाया था। जो आज भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इतिहासकार कैप्टन शूरवीर सिंह पंवार (गढ़ परिदृश्य वंश बैजयंती-पृष्ठ 53) के अनुसार महाराजा कीर्ति शाह ने सरकारी कागजातों के मुद्रण के लिये टिहरी में पहला छापाखाना खोला था। 'उत्तराखण्ड में जन-जागरण और आन्दोलनों का इतिहास' के पृष्ठ-89 के विवरण के अनुसार गढ़वाल के प्रमुख सुधारवादी कार्यकर्ता
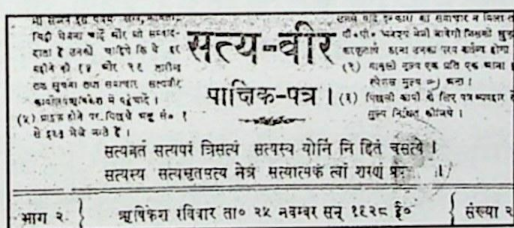
सत्य-वीर
पाक्षिक-पत्र
भाग २ | ऋषिकेश रविवार ता० २५ नवम्बर सन् १६२८ ई० | संख्या २

एवं सनातन धर्म के प्रवक्ता धनीराम शर्मा ने 1909 में पहली बार दुगड्डा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। वह ब्रिटिश गढ़वाल का पहला छापाखाना था।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही गढ़वाल मण्डल के पढ़े-लिखे युवाओं में सामाजिक चेतना की धुन सवार हो गयी थी। राय बहादुर तारादत्त गैरोला के नेतृत्व में विश्वम्भर दत्त चन्दोला, गिरजा दत्त नैथाणी, चन्द्र मोहन रतूड़ी और सत्यशरण रतूड़ी आदि युवाओं ने गढ़वाल के जाने माने सम्पन्न लोगों की प्रेरणा और सहायता से 1901 में 'गढ़वाल यूनियन' की स्थापना की जिसका हिन्दी नाम 'गढ़वाल हितकारिणी सभा' रखा गया। सन् 1902 में लैंसडौन, दुगड्डा से गिरजा दत्त नैथाणी के सम्पादकत्व में 'गढ़वाल समाचार' शुरू हो गया जो कि कुछ सालों तक चलने के बाद बन्द हो गया। इसका वार्षिक शुल्क सवा रुपया था। यह ऐतिहासिक पत्र 17×25 सेमी. आकार का था जिसमें कुल 16 पृष्ठ होते थे। यह अखबार सबसे पहले आर्य भास्कर प्रेस, मुरादाबाद से छपा। उसकी आर०एन०आइ० से पंजीयन संख्या एन०ए० 577 थी। वह 1912 से स्टॉवेल प्रेस दुगड्डा से छपने लगा था। इससे पहले गढ़वाल यूनियन ने एक पत्र निकालने की योजना बनाई तो पहले से ही मौजूद 'गढ़वाल समाचार' का स्मरण आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि गढ़वाल की हिन्दी पत्रकारिता की नींव का पत्थर ही वही अखबार था। इसके लिये गिरजा दत्त नैथाणी को विश्वास में लिया गया और उस पत्र को 1905 में 'गढ़वाली' के नाम से शुरू किया गया। देहरादून से प्रकाशित 'गढ़वाली' (1905-1952) गढ़वाल के शिक्षित वर्ग के सामूहिक प्रयासों द्वारा स्थापित एक सामाजिक संस्थान था। यह उत्तराखण्ड में उदार चेतना का प्रसार करने वाले तत्वों में से एक अर्थात् उदार सरकारपरस्त संगठनों के क्रम में स्थापित 'गढ़वाल यूनियन' का पत्र था। इसका पहला अंक मई 1905 को निकला जो कि मासिक था तथा इसके पहले सम्पादक होने का श्रेय गिरिजा दत्त नैथानी को ही जाता है। बाद में यह पत्र उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के इतिहास का एक आधार स्तम्भ बना।

शुरू में गढ़वाल यूनियन के इस पत्र की जिम्मेदारी भी 150 रुपये वार्षिक पारितोषिक के साथ नैथाणी को ही सौंपी गयी। 'गढ़वाली' सन् 1952 तक चला। गिरजा दत्त नैथाणी 1910 तक 'गढ़वाली' के सम्पादक रहे, मगर संचालकों से मतभेद होने पर वह अलग हो गये। इन्हीं दिनों समाज सेवी धनी राम शर्मा ने कोटद्वार में गढ़वाल भ्रातृ मण्डल का गठन किया और गढ़वाल के तत्कालीन कलक्टर स्टावेल के नाम से दुगड्डा में 'स्टावेल प्रेस' खोला। इसी प्रेस में गिरजा दत्त नैथाणी ने पुनः 'गढ़वाल समाचार' का प्रकाशन शुरू किया जो कि कुछ समय चलने के बाद पुनः बन्द हो गया। गढ़वाल यूनियन की पहल पर सन् 1914 में 'स्टावेल प्रेस' तथा 'गढ़वाल समाचार' को पुनः 'गढ़वाली' में शामिल किया गया। एक वर्ष बाद गिरजा दत्त नैथाणी पुनः 'गढ़वाली' से अलग हो गये और वह अपना पत्र 'पुरुषार्थ' चलाने लगे। किन्तु कुछ समय बाद वह भी बन्द हो गया। इसके बाद वह अपने गांव नैथाणा चले गये और वहाँ से उन्होंने 'पुरुषार्थ' को पुनः शुरू किया। सम्पादकाचार्य विश्वम्भर दत्त चन्दोला की पुत्री स्व० ललिता चन्दोला वैष्णव द्वारा सम्पादित पुस्तक

'गढ़वाल के जागरण में गढ़वाली का योगदान' में दिये गये विवरण के अनुसार गिरजा दत्त नैथाणी ने 'पुरुषार्थ' का पुनः प्रकाशन किया मगर एक अंक निकालने के बाद अचानक उनका देहावसान हो गया। जबकि गढ़वाल की पत्रकारिता के एक और स्तम्भ भैरव दत्त धूलिया (बसुधारा, मई 1981) के अनुसार गिरजा दत्त नैथाणी ने 1917 से 1921 तक दुगड्डा से और फिर अपने गांव नैथाणा से 'पुरुषार्थ' मासिक पत्र का संचालन किया। वह इस पत्र के माध्यम से जातिवाद और जातीय संस्थाओं पर प्रहार करते थे। उनके निशाने पर तारा दत्त गैरोला के नेतृत्व में बनी 'सरोला सभा' भी होती थी। उन्होंने 'क्षत्रिय सभा' की भी आलोचना की थी। चूंकि 'गढ़वाली' के कुछ संचालक व्यवसायी और सरकारी ओहदों पर थे, इसलिये उनकी सोच टिहरी की राजशाही और अंग्रेजों की तरफ झुकी होती थी और गिरजा दत्त नैथाणी उस माहौल में स्वयं को ढाल नहीं पाते थे, इसलिये उन्हें बार-बार 'गढ़वाली' से अलग होना पड़ा था। कुल मिला कर देखा जाय तो 1916 से 1952 तक गढ़वाली का संपादन-संचालन का सारा भार विश्वम्भर दत्त चंदोला के कंधों पर ही रहा था। कुल 47 साल तक जिन्दा रहने वाले इस पत्र ने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर विविध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों पर प्रखरता के साथ लिखा तथा अनेक सामाजिक आन्दोलनों की पृष्ठभूमि भी तैयार की।

भाग २ | संख्या १

मासिक

पुरुषार्थ

जनवरी | १९१९ ई०

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

विषय-सूची

पृष्ठ	विषय	लेखक
१	भारत का भव्य-स्मारक	----
४	रौलेट बिल	----
७	श्री० सर हर्बर्ट ... के नाम खुली चिट्ठी	[illegible]
९	कांग्रेस में किसान	----
१०	किसानों का कर्तव्य	[illegible]
११	राष्ट्रीय शिक्षा पर मि० अरंडेल का भाषण	----
१४	सभापति माननीय पं० मदनमोहन मालवीय का भाषण	----
२३	दो बातें	पं० [illegible]
२६	मेहरबानी की यादगारें	[illegible]
२८	बीज	पं० [illegible]
२९	खुली चिट्ठी	श्री [illegible]
३०	गढ़वाल अकाल फंड के शेष धन का सदुपयोग	[illegible]
	अल्मोड़ा पटवारी स्कूल	पं० [illegible]
३१	सरस्वती की मूर्ति	----
	माडरेट डेप्यूटेशन	----
	समय की महिमा	----
३२	कुली एजन्सी	----

अल्मोड़ा से 'अल्मोड़ा अखबार' मसूरी से कुछ अंग्रेजी अखबार और देहरादून से 'गढ़वाली' अखबार निकल ही रहे थे कि सन् 1913 में ब्रह्मानन्द थपलियाल ने पौड़ी में 'बदरी केदार प्रेस' की स्थापना की और फिर इस प्रेस से सदानन्द कुकरेती के सम्पादकत्व में फरवरी, 1913 से 'विशाल कीर्ति' का प्रकाशन शुरू हो गया, मगर आर्थिक कठिनाइयों के चलते वह अखबार 2 साल में ही दम तोड़ गया। अपने कटाक्षपूर्ण लेखों के कारण वह पत्रिका अक्सर अधिकारियों की आखों में खटकती रहती थी। कुकरेती के इस अखबार की भाषा बड़ी लच्छेदार और चटपटी होती थी। जोधसिंह नेगी के टिहरी रियासत का बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त होने पर वह सदानन्द को भी अपने साथ ले गये मगर कुछ साल बाद वह फिर बेरोजगार हो गये। उन्होंने पहले चैलूसैंण और फिर सिलोगी में स्कूल चलाया।

वह भले ही स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, मगर उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के उन स्तम्भों में से एक जरूर थे जिन पर आज यहाँ की पत्रकारिता का विशाल ढांचा खड़ा है। वह महान समाजसेवी भी थे जिनको भक्त दर्शन जी ने अपनी पुस्तक में 'सिलोगी के संत' से संबोधित किया है। डॉ० पार्थसारथी डबराल ने सदानंद जी के बारे में लिखा था कि—

विद्या हेतु मांगने भिक्षा, साधो!
जहां कहीं तुम विचरे, वहां सदा अंकुराई शिक्षा।

'गढ़वाली' अखबार के मई, 1912 के अंक में प्रकाशित सूची के अनुसार उस समय देहरादून स्थित गढ़वाली प्रेस से देशभर के 29 अखबार छपते थे, जिनमें देहरादून के तीन अखबार 'अनवर आलम', 'वायस आफ दि दून' और 'कास्मोपोलिटन' शामिल थे। इनके अलावा कलकत्ता, बम्बई, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ और गुजरांवाला पंजाब से भी देहरादून स्थित 'गढ़वाली प्रेस' में अखबार छपने आते थे। 'कास्मोपोलिटन' अखबार बैरिस्टर बुलाकी राम का था जो कि 1911 से छपना शुरू हुआ। काफी छानबीन के बावजूद 'अनवर आलम', 'वायस ऑफ दि दून' के संपादकों और संचालकों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई।

गढ़वाली

मासिक पत्र

The Garhwali.

गढ़वाल यूनियन देहरादून के कार्य्यालय से

गढ़वाली प्रेस

देहरादून।

चूँकि उन दिनों आज की तरह पत्रकारिता का व्यवसायीकरण नहीं हुआ था और अखबार विज्ञापनों से धन कमाने, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने या उल्टे-सीधे कामों के लिये ढाल बनाने के लिये या कुल मिला कर अपने लिये नहीं बल्कि समाज के लिये निकाले जाते थे, इसलिये यह काम बहुत ही श्रमसाध्य और आर्थिक कठिनाइयों वाला था। एक तरह से यह समाजोत्थान के लिये कड़ी तपस्या ही थी। तब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी मुसीबत मोल लेने के समान था, इसलिये अखबार शुरू तो हो जाते थे, मगर वे ज्यादा दिन तक मैदान में टिक नहीं पाते थे और दम तोड़ देते थे। इसके बावजूद नव चेतना के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर करने वालों की भी कमी नहीं थी। भैरव दत्त धूलिया (बसुधारा मई, 1981) के अनुसार ऐसे लोगों को एकजुट करने के लिये 16 फरवरी, 1914 को सिरमौर नरेशों के मुख्य सचिव रहे 'सरदार बहादुर' नारायण सिंह नेगी की अध्यक्षता में कोटद्वार में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन के मुख्य आयोजक धनी राम शर्मा, गिरजा दत्त नैथाणी, कुन्दन सिंह असवाल, अनुसूया प्रसाद घिल्डियाल, मथुरा प्रसाद नैथाणी, कन्हैया सिंह रावत और विश्वम्भर दत्त चन्दोला थे। सम्मेलन में तय किया गया कि अलग-अलग अखबार निकालने के बजाय एक ही सशक्त अखबार निकाला जाय। इस निर्णय के तहत

'गढ़वाल समाचार', 'विशाल कीर्ति' तथा 'गढ़वाली' को मिला कर केवल एक अखबार 'गढ़वाली' को चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ और उसके सम्पादन की जिम्मेदारी एक बार फिर गिरजा दत्त नैथाणी को सौंपी गयी। भक्त दर्शन (गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ) के अनुसार नैथाणी सन् 1915 से अगस्त 1916 तक ही गढ़वाली का सम्पादन कर सके और सम्पादकीय नीति में मतभेद होने के कारण वह दुबारा उससे अलग हो गये। इस पत्र को बाद में मासिक से साप्ताहिक बना दिया और विश्वम्भर दत्त चन्दोला के सम्पादकत्व में 'गढ़वाली' मासिक से साप्ताहिक हो गया। इससे पहले रायबहादुर तारा दत्त गैरोला भी 1912 से लेकर 1914 तक 'गढ़वाली' के सम्पादक रहे।

'गढ़वाली' की पुरानी फाइलों में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार सन् 1914 के बाद साप्ताहिक 'गढ़वाली' तीस के दशक तक लगातार चलता रहा, परन्तु उसके बाद वह भी अनियमित हो गया। इसके सम्पादक विश्वम्भर दत्त चन्दोला पर रवांई काण्ड के सिलसिले में टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल ने मानहानि का मुकदमा चलाया। चन्दोला ने अपने उस संवाददाता का नाम अदालत में नहीं बताया जिसने कि वह रिपोर्ट भेजी थी। इसलिये उन्हें एक वर्ष की जेल की सजा काटनी पड़ी। यही जेल की सजा उन्हें उत्तराखण्ड की पत्रकारिता का युगपुरुष बना गयी। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि पी०आर०बी० ऐक्ट के तहत किसी भी सामग्री के लिये अकेला संवाददाता जिम्मेदार नहीं होता है। इस तरह के अपराधों के लिये संवाददाता के साथ ही मुद्रक संपादक और प्रकाशक पर भी मुकदमा चलता है। यह बात दीगर है कि संपादक और प्रकाशक विश्वम्भर दत्त चंदोला ने संवाददाता को बचा लिया। मगर हकीकत यह थी कि वह स्वयं तीन भूमिकाओं के चलते इस आरोप से बच नहीं सकते थे। इसलिये अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो इसके लिये उन्होंने किसी अन्य पर कोई अहसान नहीं किया। वैसे भी सूचना देने वाला 'गढ़वाली' का संवाददाता नहीं बल्कि 'एक रवांई वासी' था। इसी नाम से रवांई कांड की वह रिपोर्ट छपी थी। विश्वम्भर दत्त चन्दोला एक मिशनरी या समाज सुधारक पत्रकार तो अवश्य थे, लेकिन अगर आप गढ़वाली की ज्यादातर फाइलें पढ़ें तो आप को उनके राजशाही से भी अच्छे सम्बन्ध प्रतीत होते हैं। उन्होंने 'कर्मभूमि' की तरह राजशाही के खिलाफ जन आक्रोश को आवाज नहीं दी। कुछ विद्वानों ने उन्हें अंग्रेज समर्थक भी माना है। गढ़वाली प्रेस देहरादून से ही 1914 में 'एडर्वटाइजर' नाम से एक अंग्रेजी पत्र शुरू हुआ जो कि जल्दी ही बन्द हो गया। सन् 1901 से 1920 तक गढ़वाल मण्डल से 'सेना की चिठ्ठी', 'रियासत टिहरी गढ़वाल गजट', 'गढ़वाल समाचार', 'गढ़वाली', 'विशाल कीर्ति' और 'पुरुषार्थ' ही प्रकाशित होते थे। इनमें से 'गढ़वाली' और 'सैनिक समाचार' को छोड़कर अन्य सभी पत्र ज्यादा दिन तक नहीं चल सके।

महान क्रांतिकारियों में गिने जाने वाले राजा महेन्द्र प्रताप सिंह ने देहरादून से ही 1914 में हिन्दी साप्ताहिक 'निर्बल सेवक' तो मानवेन्द्रनाथ राय ने 1937 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका 'रेडिकल ह्यूमनिस्ट' और साप्ताहिक 'इण्डिपेण्डेण्ट इण्डिया' का प्रकाशन शुरू किया। 'निर्बल सेवक' बैरिस्टर बुलाकी राम की कास्मोपोलिटन प्रेस से छपता था। गढ़वाल

मण्डल में ही प्रख्यात साहित्यकार डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने श्रीनगर गढ़वाल से एक हस्तलिखित पत्रिका 'मनोरंजनी' निकाली थी। डॉ० बड़थ्वाल ने अपने छात्र जीवन में इलाहाबाद से सन् 1921 में 'हिलमैन' पत्रिका शुरू की थी जो कि सालभर तक ही चल पाई। बाद में डॉ० बड़थ्वाल ने मेरठ से महेशानन्द थपलियाल, रत्नाम्बर चन्दोला और मंगत राम कोटनाला के साथ 'हृदय' नाम की पत्रिका निकाली।

राष्ट्रीय आन्दोलन के संग्रामी तथा बैरिस्टर मुकुन्दीलाल ने जुलाई, 1922 में लैंसडौन से 'तरूण कुमाऊँ' (1922-23) का प्रकाशन कर राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों को साथ-साथ अपने पत्र में स्थान देने की कोशिश की। जब बैरिस्टर मुकुन्दीलाल ने 'गढ़वाली प्रेस' देहरादून से 'तरुण कुमाऊँ' मासिक पत्र का मुद्रण शुरू किया तो उसी वर्ष पौड़ी से ठा० प्रताप सिंह नेगी ने 'क्षत्रिय वीर' पत्र का प्रकाशन शुरू किया जो कि सन् 1938 तक चलता रहा।

डॉ० योगेश धस्माना ने अपनी पुस्तक 'उत्तराखण्ड के जन-जागरण और आन्दोलनों का इतिहास' में लिखा है कि क्षत्रिय सभा द्वारा क्षत्रिय युवकों को शिक्षा सुविधा दिलाने के सफल प्रयासों के पश्चात संगठन के प्रचार प्रसार के लिये प्रचार माध्यम की आवश्यकता अनुभव करते हुये 15 जनवरी, 1922 को 'क्षत्रिय वीर' पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन संपादक प्रताप सिंह नेगी के संपादन में प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात ग्राम निगणा (पौड़ी गढ़वाल) से 1938 तक इसका प्रकाशन किया जाता रहा। सन् 1935 से 1938 तक क्रमशः कोतवाल सिंह नेगी और शंकर सिंह नेगी ने इसका संपादन किया। डॉ० धस्माना ने जिस गांव का नाम 'निगणा' बताया है, उस गांव का नाम 'गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में डॉ० भक्त दर्शन ने 'नेग्याणा' लिखा है। इस अखबार के प्रेरणा स्रोत जोध सिंह नेगी थे। 'क्षत्रिय वीर' पाक्षिक अखबार को ठाकुर हनुमन्त सिंह रघुवंशी द्वारा 'ओरियण्टल प्रेस' आगरा में मुद्रित कराया गया। यह अखबार सन् 1927 में कुंवर गजेन्द्र सिंह रघुवंशी द्वारा 'राजपूत ऐंग्लो ओरियण्टल प्रेस', मदन मोहन दरवाजा, आगरा में छापा गया। 'क्षत्रिय वीर' ने गढ़वाल की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और सामाजिक उत्थान तथा शैक्षिक जागरूकता पर बल देते हुये वह गाँवों के सुधार, कृषि उत्पादन, पहाड़ी भूमि के उपजाऊ तरीकों पर भी कृषकों का ध्यान आकर्षित करता रहा। जबकि बैरिस्टर मुकुन्दीलाल का पत्र 'तरुण कुमाऊँ' दो साल में ही बन्द हो गया। यह राष्ट्रीय विचारों का पत्र था। सन् 1925 में ही ऋषिकेश से ठाकुर प्रताप सिंह नेगी ने 'भारत भाल' का प्रकाशन पहाड़ी भूभाग की सेवा के लिये शुरू किया। इसके लेख राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होते थे। इसकी पृष्ठ संख्या 8 तथा इसका वार्षिक मूल्य तीन रुपये था। (विजय दत्त श्रीधर-भारतीय पत्रकारिता कोश-खंड-2) सन् 1926 में ठाकुर हरदेव सिंह ने ऋषिकेश से 'सत्यवीर' निकाला जो कि देहरादून की 'देहरा टाइम्स प्रेस' से ही छपता था। यह पत्र टिहरी रियासत की गतिविधियों
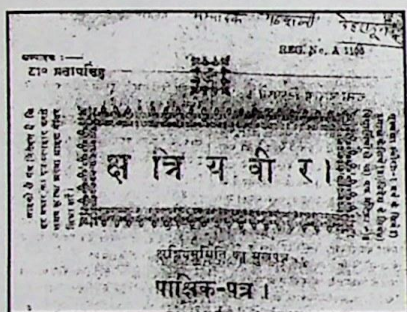
की जानकारी देने के साथ ही स्थानीय और विविध समाचारों तक ही सीमित होता था। आजादी के आन्दोलन को बल देने के लिये कोटद्वार से 1929 में कृपा राम मिश्र 'मनहर' ने 'गढ़देश' अखबार का प्रकाशन शुरू किया। 'गढ़देश' कभी मुरादाबाद से तो कभी बिजनौर और कभी मेरठ से छपता था, मगर उसका प्रकाशन स्थल कोटद्वार ही होता था। मनहर जी ने 1930 में साप्ताहिक 'गढ़देश' के छपने की व्यवस्था शान्ति प्रिंटिंग प्रेस सहारनपुर से भी की और सम्पादकीय जिम्मेदारी कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' को सौंपी। प्रभाकर के साहित्यिक मिजाज की छाप उस पत्र में आने से वह काफी लोकप्रिय भी हुआ। लेकिन तब तक सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हो गया और प्रकाशक तथा सम्पादक, दोनों के जेल चले जाने के कारण वह पत्र 13 जून, 1930 के अंक के बाद बन्द हो गया। सन् 1934 में मनहर जी ने 'गढ़देश' को पुनर्जीवित किया और उसे छापने की व्यवस्था स्वामी विचारानन्द सरस्वती की 'अभय प्रेस' देहरादून में कर दी। उसके सम्पादकों में भक्त दर्शन भी हुआ करते थे। लेकिन सरकार विरोधी कुछ लेखों के कारण सम्पादक और मुद्रक से प्रशासन ने दो-दो हजार की जमानतें मांगी जिसे अदा न किये जा सकने पर 'गढ़देश' बन्द हो गया। (गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां-1980 पृष्ठ 522) बाद में उन्होंने अपने अनुज हरि राम मिश्र 'चंचल' के सहयोग से 1940 में 'संदेश' कोटद्वार से शुरू किया, परन्तु सन् 1941 में मनहर जी के सत्याग्रह आन्दोलन में जेल चले जाने के कारण 'संदेश' भी बन्द हो गया। सन् 1930 में राय बहादुर पीताम्बर दत्त पसबोला ने अंग्रेजी हुकूमत समर्थक और कांग्रेस विरोधी 'गढ़वाल हितैषी' अखबार निकाला लेकिन वह भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के सहयोग से सन् 1934 में देवकी नन्दन ध्यानी ने हल्द्वानी से 'स्वर्गभूमि' का प्रकाशन शुरू किया। ध्यानी ने उससे पहले 1930 में मुरादाबाद से विजय अखबार शुरू किया था जो कि सत्याग्रह आन्दोलन में ध्यानी के जेल चले जाने के कारण बन्द हो गया। सन् 1937 में कोटद्वार से ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने साप्ताहिक 'उत्थान' पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके प्रकाशन में डबरालस्यूं ढौंरी निवासी ठाकुर प्रताप सिंह नेगी और बलदेव सिंह आर्य ने भी सहयोग दिया। उत्थान का वार्षिक शुल्क 3 रुपये था।

शहीद श्रीदेव सुमन ने 1937-38 में परमानन्द के संरक्षण में संचालित साप्ताहिक 'हिन्दू' का सम्पादन किया था। सुमन शंकराचार्य के साप्ताहिक 'धर्म राज्य' और लक्ष्मीधर बाजपेयी के साप्ताहिक 'राष्ट्रमत' के सम्पादकीय सहयोगी भी रहे। सन् 1936 में पं० महेशानन्द थपलियाल ने पौड़ी से 'उत्तर भारत' अखबार शुरू किया। यह अखबार अनुसूया प्रसाद बहुगुणा की 'स्वर्गभूमि प्रेस' से छपता था जो कि 1937 में बन्द हो गया। इससे पहले महेशानंद थपलियाल ने 1926 में हिन्दी में प्रकाशित साप्ताहिक 'हृदय' का संपादन भी किया था। उस पत्र के संपादक और प्रकाशक विश्वम्भर दयालु थे। इसका वार्षिक शुल्क साढ़े तीन रुपये था। उसमें
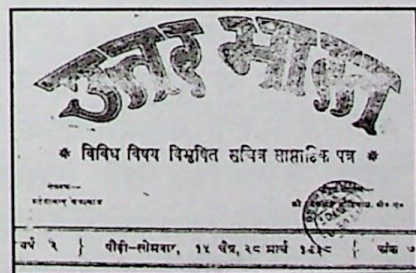
लेख और कविताएं छपतीं थीं। सन् 1936 में पौड़ी से 'उत्तर भारत' और 'संदेश' साप्ताहिक पत्रों का संविलियन कर 'नव प्रभात' नाम का स्वतंत्रता आन्दोलन समर्थक पत्र निकला, जिसका वार्षिक मूल्य 3 रुपये था। इसके शनिवार 17 मई, 1941 के अंक को वर्ष 5 का अंक 40 बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसमें 'उत्तर-भारत' और 'संदेश' साप्ताहिक पत्र सम्मलित हैं।

सन् 1938 में ज्योतिषाचार्य महेशानन्द शर्मा ने कराची से अंग्रेजी में 'प्रोफेसी' निकाला। भारत-पाक विभाजन के बाद महेशानन्द अहमदाबाद चले गये और फिर उन्होंने अपने पत्र का वहीं से प्रकाशन शुरू किया। लेकिन सन् 1952 में उनकी मृत्यु के साथ ही उनके पत्र का भी देहान्त हो गया। सन् 1938 में देहरादून से विजय राम रतूड़ी ने 'हिमालय केशरी' का प्रकाशन शुरू किया जो कि 2 वर्ष तक चलता रहा।

सन् 1938 में गढ़वाल में स्वतंत्रता संग्राम चलाने के लिये कांग्रेस का एक संगठन बना जिसके अध्यक्ष राम प्रसाद नौटियाल और महामंत्री भक्त दर्शन (राजदर्शन सिंह रावत) बने। इस संगठन ने आन्दोलन चलाने के लिये एक अखबार की आवश्यकता समझी तो लैंसडौन से 1939 में 'कर्मभूमि' का प्रकाशन शुरू हो गया। कुमाऊँ मण्डल के 'शक्ति' की ही तरह 'कर्मभूमि' भी आजादी के आन्दोलन का सशक्त स्तम्भ बना रहा। इसके पहले सम्पादक भक्त दर्शन और उनके सहायक भैरव दत्त धूलिया थे। 'गढ़वाली' का जहाँ राजशाही के प्रति आदरभाव रहा वहीं 'कर्मभूमि' शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विरोधी और टिहरी में राजशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे प्रजामण्डल का घोर समर्थक रहा। इसने हरिजनोत्थान की मुहिम में भी अहं भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आन्दोलन की भावनाओं से ओतप्रोत 'कर्मभूमि' की छपाई का खर्च हिमालय ट्रेडिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी ने उठाया। बाद में भैरव दत्त धूलिया ने 'कर्मभूमि' की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। इसके संस्थापक सम्पादक भक्त दर्शन भारत सरकार में उप मंत्री भी रहे और उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी। आजादी का दीवाना यह अखबार लक्ष्य प्राप्ति के बाद दशकों तक चलता रहा मगर इसके यशस्वी संपादक शरत चन्द्र धूलिया के निधन के बाद नब्बे के दशक में यह अनियमित हो गया। शरत चन्द्र स्वतंत्रता सेनानी संपादक भैदव दत्त धूलिया के सुपुत्र थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'शक्ति' के साथ ही 'कर्मभूमि' को भी स्वतंत्रता सेनानी अखबार घोषित किया था। इसके सम्पादक मण्डल में अमर शहीद श्रीदेव सुमन, कलम सिंह नेगी, नारायण दत्त बहुगणा, कुन्दन सिंह गुसांई और ललिता प्रसाद नैथाणी भी रहे। इस पत्र से योगेश्वर प्रसाद धूलिया और मधुर शास्त्री भी लम्बे समय तक जुड़े रहे। ललिता प्रसाद नैथाणी ने कोटद्वार से 1956 में 'सत्यपथ' और योगेश्वर प्रसाद धूलिया ने ऋषिकेश से 'तरुण हिन्द' का प्रकाशन शुरू किया। उसके बाद तो एक के बाद एक अखबारों का काफिला चल पड़ा।

देहरादून से चला काफिला

देश के शुरुआती पत्रों को जन्म देने वाली मसूरी की निकटता का असर देहरादून पर पड़ना स्वाभाविक ही था। देहरादून में भी सन् 1875 में नियमित पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने वाले अंग्रेज ही थे। देहरादून से वानिकी अनुसंधान संबंधी अंग्रेजी हाउस जर्नल 'द इंडियन फॉरेस्टर' का प्रकाशन 1 जुलाई, 1875 से शुरू हुआ, जो कि एक सदी से भी लंबी यात्रा तय करने के बाद अब भी एफ०आर०आइ० के सिल्विकल्चर डिविजन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह देश की उन दुर्लभ पत्रिकाओं में से एक है जो कि अपने जीवन काल के 140 साल पूरे कर चुकी हैं। 'द इंडियन फॉरेस्टर' का प्रकाशन शुरू होने के बाद ही देहरादून में 1878 में 'इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल' शुरू हुआ जिसे 'भारतीय वन अनुसंधान संस्थान' या फारॅरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफ०आर०आइ०) का अग्रदूत कहा जा सकता है। शुरू में एफ०आर०आइ० का नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था जिसकी स्थापना 1906 में देहरादून के इसी स्थान पर हुयी थी। जनवरी 1874 में इलाहाबाद में हुये वानिकी सम्मेलन (फॉरेस्ट्री कान्फ्रेंस) में पारित किये गये एक प्रस्ताव के अनुपालन में ही देहरादून से सन् 1875 में 'द इंडियन फॉरेस्टर' का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके पहले मानद संपादक डॉ० स्चलिच थे। तत्कालीन फॉरेस्टर जनरल डॉ० ब्रांडिस के दिशा निर्देशन में इस अंग्रेजी पत्रिका के संचालकों में बाडेनॉक पॉवेल, लैयर, पियर्सन, रिब्बेनट्रॉप, स्माइथीज, राउटेन, लेस, विलमॉट और गैम्बल आदि थे। ब्रिटिश शासन ने वन विभाग की स्थापना सन् 1864 में की थी तथा 1868 में कुमाऊँ कमिश्नरी के वनों को वन विभाग के अधीन कर दिया था। इस तरह देखा जाय तो मसूरी और देहरादून नगर उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के अग्रदूतों के जन्मदाता कहे जा सकते हैं।

देहरादून में पिछले 140 सालों से निरन्तर प्रकाशित हो रही एफ.आर.आइ. की अंग्रेजी पत्रिका, 'द इण्डिन फॉरेस्टर'।

प्रकाश थपलियाल द्वारा अनूदित एच०जी० वाल्टन के 'देहरादून का गजेटियर' (वर्ष 1910) के पृष्ठ संख्या 82 में कहा गया है कि, 'देहरादून और मसूरी में आठ छापेखाने या प्रिंटिंग प्रेस हैं—गुर्खा, अमीन, ग्रांड हिमालयन, श्री स्वामी, देहरा टाइम्स, मसूरी टाइम्स एवं मोफस्सिलाइट, मसूरी स्टार और मसूरी इको। यहाँ पाँच अखबार हैं—द वाइस ऑफ दून, द मसूरी टाइम्स, और द इको, साप्ताहिक और नि:शुल्क हैं। ये सस्ते विज्ञापन—पत्र हैं जिन्हें स्थानीय, राजनीतिक और सामाजिक समाचारों से जीवित रखा जाता है। अन्य अखबार गैर

महत्व के हैं। एच०जी० वाल्टन (आइ०सी०एस०) द्वारा अंग्रेजी में यह गजेटियर 1911 में प्रकाशित किया गया जिसमें पृष्ठ 76-77 में देहरादून और मसूरी के अखबारों तथा प्रिंटिंग प्रेसों का विवरण दिया गया है। भाषाई कठिनाई के कारण वाल्टन के इस विवरण में गड़बड़ी नजर आ रही है। इस विवरण में 'गढ़वाली' अखबार तथा गढ़वाली प्रेस का उल्लेख नहीं है। जबकि 1912 में इस प्रेस में अल्मोड़ा अखबार समेत देशभर के 29 अखबार छपते थे। इसमें अखबारों को छापाखाना और छापाखानों को अखबार बताया गया है। जैसे मसूरी टाइम्स को प्रिंटिंग प्रेस बताया गया है। ग्रांड हिमालय प्रेस के बारे में साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित "ठाकुर चंदन सिंह" नामक पुस्तक में स्थापना वर्ष 1926 बताया गया है। प्रकाश थपलियाल द्वारा अनूदित वाल्टन के इस गजेटियर का प्रकाशन वर्ष 1910 बताया गया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गतिविधियों का केन्द्र रहने के कारण भी देहरादून के बुद्धिजीवी अखबार निकालने के लिये प्रेरित होते रहे। देहरादून से 1905 में 'गढ़वाली' के प्रकाशन के बाद स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर बुलाकी राम ने 1911 में 'कास्मोपोलिटन' अखबार निकाला। यह अखबार भी शुरू में 'गढ़वाली प्रेस' से ही छपता था। उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी राजा महेन्द्र प्रताप ने 1914 में 'निर्बल सेवक' और बैरिस्टर बुलाकी राम ने 'सत्याग्रह' निकाला। बाबू बुलाकी राम की प्रेस का नाम 'भास्कर प्रेस' था जो आज भी देहरादून में आधुनिक मशीनरी के साथ चल रहा है। इसी दौरान देहरादून से ही 'देहरा-मसूरी एडवर्टाइजर' भी निकला। सन् 1924 में मसूरी से बनवारी लाल बेदम का 'द हेराल्ड वीकली' निकला।

मार्च, 1925 में देहरादून से हिन्दी साप्ताहिक 'सुदर्शन' का प्रकाशन शुरू हुआ। पत्र के संपादक गोपी बल्लभ उपाध्याय थे, जो इससे पूर्व हिन्दी 'चित्रमय जगत' और 'भ्रमर' का संपादन कर चुके थे। 'सुदर्शन' का वार्षिक शुल्क तीन रुपये चार आना था। इंडियन न्यूजपेपर्स रिपोर्ट, (सी 1868-1942) के अनुसार 'सुदर्शन' की प्रसार संख्या 300 प्रतियाँ थीं। उसकी छपाई आकर्षक होती थी। 'सुदर्शन' की एक समाचार टिप्पणी की बानगी यह थी कि–

"पंजाब में कुछ मनचले लोगों ने सनातन धर्म पब्लिसिटी ब्यूरो और महावीर दल के नाम से इश्तेहारबाजी कई दिन से शुरू कर रखी है, किन्तु अब तक उनके हाथ से उल्लेख योग्य कार्य कुछ भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि पंजाब वालों में जैसा जोश है वैसा ही काम भी करें।" (विजय दत्त श्रीधर-भारतीय पत्रकारिता कोश-खंड-2)

देहरादून से ही 1926 में ठाकुर चंदन सिंह ने नेपाली भाषा के साप्ताहिक अखबार 'गोर्खा संसार' का प्रकाशन शुरू किया, जो कि मार्च, 1929 तक चला। उस पत्र के अंतिम सम्पादक नंदराम थापा थे। ठाकुर चंदन सिंह के ससुर जनरल खड़ग शमशेर जंग बहादुर थे, जिन्हें उनके बड़े भाई महाराजा खड़ग वीर ने नेपाल से निर्वासित कर दिया था। ठाकुर चंदन

सिंह को भी नेपाली अदालत द्वारा बागी घोषित किया गया था। इसलिये उनका अखबार 'गोर्खा संसार' नेपाल में प्रतिबंधित था। साहित्य अकादमी द्वारा 1997 में प्रकाशित लेखक महेन्द्र पी० लामा की पुस्तक "ठाकुर चंदन सिंह" के पृष्ठ 10 से 32 तक दिए गये विवरण के अनुसार ठाकुर चन्दन सिंह ने 1926 से लेकर 1954 तक 'गोरखा संसार' के अलावा 'नार्दन स्वर', 'नवभारत', 'हिमालयन टाइम्स', 'तरुण गोरखा' तथा 'स्वतंत्र नेपाली' अखबार निकाले। सन् 1930 में 'द इण्डियन स्टेट्स रिफार्मर' भी निकला जिसके संपादक पी० अनंत नारायण और प्रकाशक एस०सी० बनर्जी थे। यह अखबार भी 'भास्कर प्रेस' से छपता था। इस पत्र के 1930 से लेकर 1931 तक नियमित छपने के ही प्रमाण उपलब्ध हुये हैं। राधाकृष्ण कुकरेती (सीमांत प्रहरी रजत जयंती विशेषांक में छपा लेख-राष्ट्रीय आन्दोलन में गढ़वाल क्षेत्र के पत्रों का योगदान) के अनुसार 'द इण्डियन स्टेट्स रिफार्मर' के सम्पादक पी० अनंत नारायण ने भी अपने समाचार पत्र के माध्यम से रवांई गोलीकांड की खुलकर भर्त्सना करते हुये जांच की मांग की तो टिहरी की रियासती सरकार ने 'गढ़वाली' के संपादक विश्वम्भर दत्त चंदोला और 'द इण्डियन स्टेट्स रिफार्मर' के संपादक पी० अनंतनारायण के खिलाफ मुकदमा दायर किया और दोनों ही यशस्वी संपादकों को जेल और जुर्माना की सजा भुगतनी पड़ी।
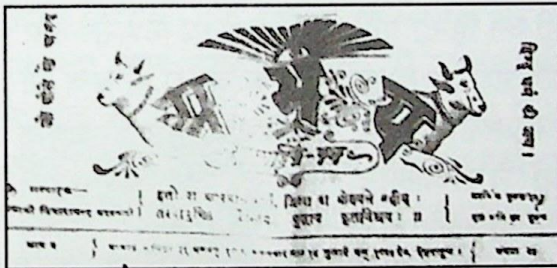
देहरादून से ही आर्य समाजी चन्द्र गुप्त विद्यालंकार ने 1927 में हिन्दी मासिक पत्रिका 'ज्योति' का प्रकाशन शुरू किया। उसके अगले साल एक और आर्यसमाजी स्वामी विचारानन्द ने 1928 में सरनीमल बाजार से हिन्दी साप्ताहिक 'अभय' शुरू किया। यह पत्र 'गढ़वाली प्रेस' से छपता था और उसके 28 जुलाई, और 25 अगस्त, 1925 के अंकों में साम्प्रदायिक लेख छपने पर जिला प्रशासन द्वारा मुख्य सचिव के दिनांक 14 सितम्बर, 1925 के आदेश के तहत संपादक-प्रकाशक स्वामी विचारानंद के साथ ही मुद्रक (गढ़वाली प्रेस के स्वामी) विश्वम्भर दत्त चंदोला के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

आर्य समाजी चन्द्रमणि विद्यालंकर 'पालीरत्न' ने 1934 में बैरिस्टर बुलाकी राम से उनका 'भास्कर प्रेस' खरीद लिया था। उसी

प्रेस में उन्होंने 1934 में हिन्दी साप्ताहिक 'हिमालय' और 1936 में 'दून समाचार' शुरू किया। सन् 1935 के आसपास ही स्वाधीनता सेनानी हुलास वर्मा का 'स्वराज्य-संदेश' शुरू हुआ। यह पत्र राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये पूरी तरह समर्पित था। इसके टाइटिल के ऊपर 'वंदे मातरम' और टाइटिल के नीचे तथा फोलियो के ऊपर नीति वचन या स्लोगन के रूप में *"वही धर्म, वही कर्म; बल; वही विद्या वही मंत्र, जासों निज गौरव सहित होय स्वदेश स्वतंत्र"* लिखा हुआ होता था। इसके 1 अगस्त, 1940 के अंक में प्रकाशन के वर्ष 5 और अंक 10 होने का उल्लेख किया गया है। उसमें हिन्दी
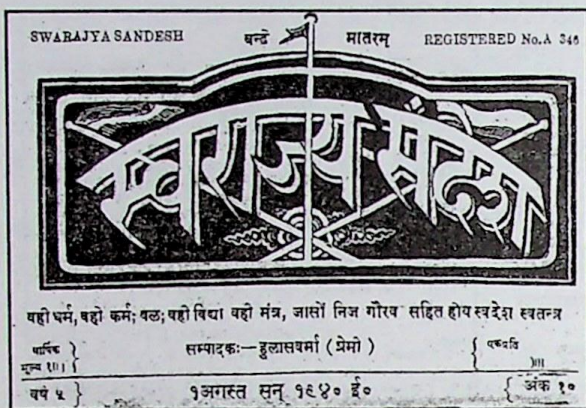
SWARAJYA SANDESH वन्दे मातरम् REGISTERED No.A 346

स्वराज्य संदेश

वही धर्म, वही कर्म; बल; वही विद्या वही मंत्र, जासों निज गौरव सहित होय स्वदेश स्वतन्त्र

सम्पादकः—हुलासवर्मा (प्रेमी)

वर्ष ५ } १अगस्त सन् १९४० ई० { अंक १०

भाग होने का भी उल्लेख किया गया है। इसलिये हो सकता है कि यह स्वतंत्रता संग्रामी अखबार अन्य भाषाओं में भी छपता हो। वह अखबार देहरा टाइम्स प्रेस से छपता था। एम०एन० राय द्वारा 1937 में 'रेडिकल ह्यूमनिस्ट' और 'इण्डिपेण्डेण्ट इण्डिया' प्रकाशित किये जाने के बाद 1938 में धर्मस्वरूप रतूड़ी और तारा दत्त लखेड़ा द्वारा 'गंगाजल' अखबार शुरू किये गये।

उसके बाद सन् 1940 में विजय राम रतूड़ी का हिन्दी पाक्षिक 'हिमालय केशरी' और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल की हस्तलिखित 'रणभेरी' शुरू हुयी जो कि जल्दी ही बन्द भी हो गये। इसी दौरान 1942 में कांग्रेसियों ने साइक्लोस्टाइल्ड भूमिगत 'ढिंढोरा' (ढंढोरा) शुरू किया। 'ढिंढोरा' ने तत्कालीन प्रशासन को इतना परेशान किया कि इसको बांटने वाले तीन कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिये गये। इसके अगले ही साल देहरादून के डी०ए०वी० कॉलेज के एक छात्र धर्मवीर से एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका 'आजाद हिन्दुस्तान' बरामद हुयी। देहरादून से ही सन् 1945 में दीवान सिंह मफतून का 'रियासत', ठाकुर चन्दन सिंह का अंग्रेजी पाक्षिक 'हिमालय टाइम्स' शुरू हुआ। सन् 1946 में तो देहरादून में नये अखबारों की बाढ़ आ गयी।
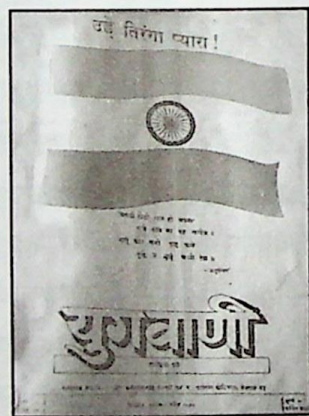
उस वर्ष 'फ्योंली', 'भास्कर', 'निर्मल', 'ब्रह्मचारिणी', 'सुदर्शन' और 'महिला हितकारी' आदि पत्र निकले। (शक्ति सकलानी-उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का इतिहास-वर्ष-2004)। आजादी के वर्ष 1947 में देहरादून से धर्मानन्द शास्त्री और गोविन्दा नन्द का मासिक 'सर्व हितकारी' और प्रो० भगवती प्रसाद पांथरी, आचार्य गोपेश्वर कोठियाल और तेज राम भट्ट का 'युगवाणी' शुरू हुआ। काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति रह चुके भगवती प्रसाद पांथरी की इस पत्र को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने

अपने जीवनकाल तक इस पत्र के सफल संचालन का बीड़ा उठाया। सन् 1948 में महान स्वाधीनता सेनानी अमीर चन्द बम्बवाल और यज्ञवल्क्य दत्ता का 'फ्रण्टियर मेल' और 1949 में सतपाल पांधी का अंग्रेजी साप्ताहिक 'द हिमाचल टाइम्स' शुरू हुआ। इस पुस्तक के लेखक ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरूआत भी 'हिमाचल टाइम्स' से ही सन् 1977 में की थी। वर्ष 1949 में ही पण्डित खुशदिल का उर्दू पाक्षिक 'देश सेवक' शुरू हुआ। 'फ्रण्टियर मेल' के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी अमीर चन्द बम्बवाल थे जो सन् 1907-10 तक प्रयाग से प्रकाशित 'स्वराज' के सम्पादक रह चुके थे। उनका उल्लेख अलग से भी किया जा रहा है।

कर्मभूमि

टेहरी जेल से सब राजबन्दी बिना शर्त रिहा

सब जगह सन्तोष की लहर—रियासत घोषणा पर प्रतिक्रिया

वास्तव में सन् 1920 से लेकर आजादी के समय 1947 तक गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल से दर्जनों अखबार निकले, मगर उनमें से विरले ही लम्बी अवधि तक जीवित रह पाये। उन सौभाग्यशाली अखबारों में दोनों स्वतंत्रता सेनानी अखबार 'शक्ति' और 'कर्मभूमि' शामिल रहे मगर 'कर्मभूमि' अखबार का प्रकाशन फिलहाल तो बन्द ही है। आजादी के बाद कई दशकों तक उत्तराखण्ड में अखबार निकालना बेहद श्रमसाध्य तथा खर्चीला शौक बना रहा मगर नब्बे के दशक से सूचना क्रांति और प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में क्रान्तिकारी बदलाव के प्रवेश के साथ ही उत्तराखण्ड में अखबारों ने कुटीर उद्योग का रूप ले लिया। अब तो एक-एक व्यक्ति एक साथ दो दर्जन तक अखबार छाप कर हर साल सरकार से लाखों रुपये के विज्ञापन ऐंठ रहा है। इन कुछ अखबार व्यवसायियों के कारण उत्तराखण्ड में पत्रकारिता की गरिमा गिर रही है। खास कर वे साप्ताहिक पत्र महत्वहीन होते जा रहे हैं जिन्हें कभी लोग हफ्तेभर तक अपने परिजनों की चिट्ठियों की तरह पढ़ा करते थे।

गढ़वाल में आजादी के बाद के प्रमुख अखबार

देश की आजादी के साथ ही उत्तराखण्ड की पत्रकारिता का भी नया अध्याय शुरू हुआ। आजादी के बाद हालांकि सैकड़ों की संख्या में अखबार पैदा हुए मगर उनमें से कम ही जीवित रह पाये। उन सभी अखबारों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ दीर्घजीवी और उद्देश्यपरक अखबारों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। सन् 1948 में सत्य प्रसाद रतूड़ी ने मसूरी से 'हिमाचल' का प्रकाशन शुरू किया। सन् 1953 में नन्दप्रयाग से रामप्रसाद बहुगुणा ने 'देवभूमि' का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र शुरू में कोटद्वार से छपता था। आर्थिक कठिनाइयों के

हिमाचल

बावजूद अब 'देवभूमि' को एडवोकेट समीर बहुगुणा निकाल रहे हैं। समीर स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा के पुत्र हैं। एक जमाने के प्रख्यात पत्रकार श्याम चन्द सिंह नेगी ने 1954 में देहरादून से हिन्दी साप्ताहिक 'प्रगति', 1962 में अंग्रेजी साप्ताहिक 'द नार्दर्न टाइम्स' और गढ़वाली भाषा के 'गढ़वाल' का प्रकाशन शुरू किया, मगर उनमें से कोई भी पत्र दीर्घजीवी न रहा सका। सन् 1955 में प्रवासी उत्तराखण्डी परशुराम नौटियाल ने मुम्बई से 'नवभारत' का प्रकाशन शुरू किया, जो कि कुछ समय बाद बन्द हो गया। इसी वर्ष हीरालाल बडोला ने मुनि-की-रेती, ऋषिकेश से 'साप्ताहिक उत्तराखण्ड' निकाला जो कि अब बन्द है। सन् 1956 में देहरादून से राधाकृष्ण कुकरेती ने 'नया जमाना' और कोटद्वार से ललिता प्रसाद नैथाणी ने 'सत्यपथ' निकाला। इनमें से 'नया जमाना' न केवल नये विचारों का संवाहक अपितु वामपन्थी सोच और सर्वहारा की आवाज के रूप में पहचाना जाता रहा है। सन् 1957 में भगवती प्रसाद चन्दोला ने देहरादून से 'पर्वतीय संस्कृति' पत्र शुरू किया जो कि बाद में बन्द हो गया। सन् 1958 में द्वारिका प्रसाद उनियाल ने दिल्ली से 'हिमालय टाइम्स' शुरू किया जो बाद में शिमला चला गया। नये राज्य के गठन के बाद 'हिमालय टाइम्स' देहरादून भी आ गया। सन् 1959 में नरेन्द्र सिंह भण्डारी नाम के दो पत्रकारों ने लखनऊ और पौड़ी से दो अलग-अलग पत्र निकाले। इनमें लखनऊ से जौरासी, चमोली के मूल निवासी नरेन्द्र सिंह भण्डारी का पत्र 'सरहदी' (1961) था जिसे बाद में उनके पुत्र इन्दुभूषण भण्डारी चलाते रहे मगर बाद में इन्दुभूषण भी स्वर्गवासी हो गये। पौड़ी के नरेन्द्र सिंह भण्डारी का पत्र 'युग धर्म' वामपंथी विचारों वाला साप्ताहिक था। 'युग धर्म' को बाद में नरेन्द्र सिंह भंडारी के पुत्र योगेन्द्र सिंह भंडारी ने संचालित किया। सन् 1964 में मसूरी से सरदार हरबचन सिंह ने 'सीमान्त प्रहरी'

स्वाधीनता आन्दोलन के बाद नए मिशन और नए संकल्प के साथ पत्रकारिता का झण्डा उठाने वाले देहरादून के प्रख्यात पत्रकार : *बाएं से सर्वश्री राधाकृष्ण कुकरेती (नया जमाना), आचार्य गोपेश्वर कोठियाल (युगवाणी) वाई०डब्ल्यू० दत्ता (फ्रन्टियर मेल), श्यामचन्द सिंह नेगी (वरिष्ठ पत्रकार) सरदार जयसिंह भाटिया (हिमसागर) तथा बीच में एक कांग्रेस नेता और राज्यपाल के बाद आठवें स्थान पर एस०पी० पांधी (हिमाचल टाइम्स) एवं नवें स्थान पर जितेन्द्र नाथ (वेनगार्ड) श्री जितेन्द्र नाथ के अलावा ये बाकी सारे पत्रकार स्वर्गवासी हो चुके हैं।*

और गोपेश्वर से धनंजय भट्ट ने 'उत्तराखण्ड आब्जर्वर' शुरू किया। दोनों ही पत्र दीर्घजीवी तथा प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र रहे। 'उत्तराखण्ड आब्जर्वर' अपनी बेवाक टिप्पणियों और सनसनीखेज सामग्री के कारण अक्सर चमोली जिले और खासकर जिला मुख्यालय में खलबली मचाता रहता था। उसी वर्ष पौड़ी से कुंवर सिंह रावत का 'पर्वतीय जन' और देहरादून से राजकंवर ने 'विटनेस', लाजवन्ती शर्मा ने 'दून सरोवर', और टेकचन्द गुप्ता ने 'देहरा पत्रिका' का प्रकाशन शुरू किया। सन् 1966 में देहरादून से सी०एम० लखेड़ा का 'जनलहर' वीर कुमार अधीर का 'छवि' और मुनि की रेती से निर्मल डंगवाल का 'नव जागरण' शुरू हुआ। उसी साल देहरादून से एक उर्दू पत्र 'रहनुमा-ए-आदाब' भी निकला। 'जन लहर' की जीवन यात्रा अब भी जारी है और चन्द्र मोहन लखेड़ा के पुत्र मनमोहन लखेड़ा पत्र और प्रेस का बखूबी संचालन कर रहे हैं। सन् 1966 में ही पूर्व सांसद एवं टिहरी रियासत के लोकतंत्र समर्थक आन्दोलन के क्रांतिकारी परिपूर्णानन्द पैन्यूली का साप्ताहिक 'हिमानी' शुरू हुआ। तीन दशक तक चलने के बाद हिमानी बन्द हो गया। टाइम्स ऑफ इण्डिया सहित कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों से आजादी से पहले से जुड़े रहे परिपूर्णानन्द पैन्यूली ने 'हिमानी' को सन् 1886-87 में सान्ध्य दैनिक के रूप में भी प्रकाशित किया जिसके सम्पादक जयसिंह रावत और प्रबन्ध सम्पादक स्वयं पैन्यूली जी रहे। परन्तु वह सान्ध्य दैनिक भी ज्यादा नहीं चला। पैन्यूली के बारे में विस्तार से दूसरे अध्याय/लेख में उल्लेख किया जा रहा है। सन् 1967 में उस जमाने के जानेमाने पत्रकार और स्वाधीनता सेनानी श्याम चन्द सिंह नेगी ने देहरादून से अंग्रेजी पाक्षिक 'द नादर्न पोस्ट' और हिन्दी मासिक 'जासूसी पिशाच' निकाले। सन् 1969 में सत्यसखा भण्डारी ने 'पौड़ी टाइम्स' शुरू किया।

देहरादून-पत्रकारिता जगत की दिवंगत विभूतियाँ : *नया जमाना साप्ताहिक पत्र के रजत जयन्ती समारोह में सम्मानित पाँच वरिष्ठ पत्रकारों में बांएं से श्याम चन्द सिंह नेगी, पण्डित खुशदिल, सत्यप्रसाद रतूड़ी, आचार्य गोपेश्वर कोठियाल एवं यज्ञवल्क्य दत्ता।*

उत्तराखण्ड में सत्तर के दशक में कई अखबार शुरू हुये। उनमें चिन्तक एवं कवि सोमवारी लाल उनियाल 'प्रदीप' का देहरादून से 'उत्तरांचल' (1970), सरदार प्रताप सिंह परवाना का 'यमुना किनारे', सरदार सोहन सिंह का मसूरी से 'दमामा', गिरीश चन्द्र जुयाल

का 'कमेण्टेटर' आर०के० वर्मा का '1970' और एस०एम० सिंह का 'नादर्न पोस्ट' निकला। उत्तरकाशी से पीताम्बर जोशी का 'पर्वतवाणी' (1972) कोटद्वार से सतेश्वर प्रसाद का 'मैती', श्यामचन्द सिंह नेगी का 'गढ़वाल', टिहरी से बंशी लाल पुण्डीर का 'शैल शिखर' (1972), उत्तरकाशी से सुरेन्द्र दत्त भट्ट का 'गढ़ रैबार' (1973), नरेन्द्रनगर से ठाकुर किशोरसिंह द्वारा प्रकाशित 'कर्मयुग' (1974), ऋषिकेश से योगेश्वर प्रसाद धूलिया का 'तरुण हिन्द' (1975) कोटद्वार से नरेन्द्र उनियाल का 'धधकता पहाड़' (1977), सन् 1977 से प्रकाशित चन्द्र प्रकाश वर्मा का 'जंजीर', देवानन्द बलोदी का 'युवा स्वप्न' (1976), कोटद्वार से कुंवर सिंह नेगी का 'गढ़गौरव' (1976), कोटद्वार से ही सुल्तान सिंह भण्डारी का 'हमारी आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं' (1974) देहरादून से राकेश चन्दोला का 'दून दर्शन', कोटद्वार से भारत सिंह रावत का 'शैल शिखर' (1975), लैंसडौन से योगेश्वर पांथरी का 'अलकनन्दा' (1975), गौचर से रमेश गैरोला 'पहाड़ी' का 'अनिकेत' (1978) चकराता से नारायण दत्त जोशी और वीरेन्द्र चौहान का 'जौनसार बावर मेल' शामिल हैं। राम प्रताप बहुगुणा का सन् 1972 से चलने वाला 'उपमन्यु' भी गढ़वाल के प्रमुख अखबारों में से एक रहा। बहुगुणा 'जनसत्ता' और 'लोकमत' आदि अखबारों के लिये भी लिखते रहे। पूर्व विधायक गोविन्द प्रसाद गैरोला ने टिहरी से मार्च, 1978 को 'हिमालय और हम' साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। वह पत्र भी कई सालों तक चलता रहा। मुम्बई से अर्जुन सिंह गुसांई का 'हिलांस' कई सालों तक निकलता रहा। वह पत्र न केवल मुम्बई बल्कि देशभर के अन्य प्रवासियों और उत्तराखण्ड में काफी लोकप्रिय रहा।

दिवंगत विभूतियाँ : *स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकार सरदार जयसिंह भाटिया और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल के साथ युगवाणी के कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व० ब्रह्मदत्त।*

उपरोक्त पत्रों के अलावा भी उत्तराखण्ड से बहुत सारे अन्य पत्र निकले मगर उन सब का उल्लेख न हो सकने के लिये लेखक को खेद है। गढ़वाल के कुछ अल्पजीवी अखबारों में गौचर चमोली से कुंवर सिंह रावत का 'उतिष्ठ', श्रीनगर से हीरा बल्लभ थपलियाल का 'गढ़वाल रिपोर्टर', अगस्त्यमुनि से धर्मानन्द सेमवाल का 'पर्वत मित्र', कोटद्वार से हरि राम मिश्र का 'हिमालय की ललकार', कोटद्वार से ही वामपन्थियों का 'आवाज', कोटद्वार से ही सुशील कुमार का 'पर्वतराज टाइम्स', ऋषिकेश से जे०पी० राजन का 'दैनिक गढ़वाल',

कोटद्वार से ही रामचन्द्र उनियाल और सुरेश कुकरेती का 'मस्ताना मजदूर', वहीं से भूपेन्द्र नेगी का 'ठहरो', किशन चन्द अग्रवाल का 'समृद्ध भारत', ऋषिकेश से स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास मुल्तानी का 'हिमालय की आवाज' (1971), दिल्ली से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे डॉ० शिवानन्द नौटियाल का 'शैलोदय', काशीपुर से भगवती प्रसाद कोटनाला का 'हिमालय लोकवाणी', रामनगर से सुशील कुमार का 'शैल शिल्पी', विष्णुदत्त उनियाल का 'पर्वतीय', चकराता से नारायण दत्त जोशी का 'जौनसार मेल', टिहरी से डॉ० महाबीर प्रसाद गैरोला का 'नैतिकी' तथा देहरादून से जयसिंह रावत के संपादकत्व में वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और भुवनेश्वर सिंह नेगी द्वारा संचालित 'उत्तरक्रांति' (1982) प्रकाशित हुआ जो लगभग 8 साल तक ही चल पाया। इनमें से ज्यादातर अखबार बन्द हो गये। हालांकि वर्तमान में हरिद्वार जिला प्रशासनिक दृष्टि से गढ़वाल मंडल का हिस्सा है, फिर भी राज्य गठन के समय तक हरिद्वार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल का हिस्सा रहा है। उससे पहले हरिद्वार सहारनपुर जिले में शामिल रहा है, इसलिये शुरू से ही उसके अखबारों का विवरण अलग से ही तैयार किया जाता रहा है। वैसे भी पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम में हरिद्वार के विशेष योगदान को देखते हुये भी हरिद्वार के अखबारों का अलग से उल्लेख करना उन्हें मुख्य धारा से अलग करना नहीं बल्कि उन्हें विशेष महत्व देना है।

मई 1912 तक गढ़वाली प्रेस देहरादून में छपने वाले 30 समाचार पत्र

सहयोगी, श्री बैंकटेश्वर समाचार-बम्बई, भारत मित्र (साप्ताहिक)-कलकत्ता, अल्मोड़ा अखबार-अल्मोड़ा, आर्य मित्र-आगरा, अबला हितकारक-बिजनौर, आनन्द-लखनऊ, नागरी प्रचारिणी पत्रिका-बनारस, अभ्युदय- इलाहाबाद, नागरी प्रचारक-लखनऊ, रसिक रहस्य-चिलकिया जौनपुर, नारद-छपरा, राजपूत-आगरा, लक्ष्मी-गया, नागरी हितैषिणी पत्रिका-आरा, रसिक मित्र-कानपुर, निगमागम चन्द्रिका-बनारस, वेद प्रकाश-मेरठ, जासूस-गहमर, सत्य सनातन धर्म-कलकत्ता, साधू-बड़ौदा, कामधेनु-हरिद्वार, धर्म कुसुमाकर-कानपुर, तेली समाचार-बाड़ (गया), भास्कर-मेरठ, गुरुकुल समाचार- गुजरांवाला (अब पाकिस्तान में), कन्याकुंज हितकारी-कानपुर, पयामयार-लखनऊ, अनवर आलम-देहरादून, वायस आफ दि दून-देहरादून, और कास्मोपोलिटन-देहरादून।

(स्रोत : गढ़वाली पाक्षिक, मई, 1912)

अखबारों के सम्पादकों और प्रकाशकों के अलावा उत्तराखण्ड में कई मूर्धन्य पत्रकार हुये हैं जिनमें गोविन्द प्रसाद नौटियाल, दामोदर प्रसाद नवनी, श्यामाचरण काला, श्याम चन्द नेगी, तेजराम भट्ट, भगवती प्रसाद पांथरी, सतपाल पांधी, वीरेन्द्र सिंह बर्त्वाल, हरिश्चन्द्र चन्दोला, नन्द किशोर नौटियाल, विश्व मोहन बडोला, मनोहर श्याम जोशी, मृणाल पांडे आदि कई मूर्धन्य पत्रकारों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है।

❑❑

मसूरी : उत्तराखण्ड की पत्रकारिता की जननी

बाहरी हिमालय के छोर पर बसी मसूरी अनादिकाल से जहां पर थी वहीं पर आज भी है। इसलिये मसूरी की खोज जैसे वाक्यों का प्रयोग करना उचित नहीं है। बजाय उसके, हम यह कह सकते हैं कि मसूरी को एक आधुनिक नगरी या पहाड़ों की रानी के रूप में सजाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। उनकी नजर पहले पहल कुदरत के इस हसीन तोहफे पर तब पड़ी जब सन् 1825 में एक साहसी ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी कैप्टन यंग और देहरादून के सुप्रीन्टेंडेंट मिस्टर शोर के कदम पहली बार इस जगह पर पड़े थे। वहाँ 1827 में जहां एक सैनिटोरियम बनवाया गया, लैंढौर में आज वहाँ कैन्टोनमैन्ट है। सन् 1832 में कर्नल ऐवरेस्ट ने यहीं अपना घर बनाया था। सन् 1901 तक यहां की जनसंख्या 6461 थी, जो कि ग्रीष्म ऋतु में 15000 तक पहुँच जाती थी। पहले मसूरी से सड़क द्वारा 58 मील दूर सहारनपुर से पहुंचा जाता था। सन् 1900 में देहरादून तक रेल के आने से इसकी पहुँच सरल हो गयी। उसके बाद सड़क मार्ग छोटा होकर केवल 21 मील रह गया। कहा जाता है कि यहां बहुतायत में उगने वाली दाल 'मसूर' के कारण ही वहाँ के लोग इस जगह को मन्सूरी के नाम से पुकारते थे। बाद में अंग्रेजों ने अंग्रेजी में इस नाम की स्पेलिंग ही बदल ली। मन्सूरी का मूल नाम बिगाड़ने का श्रेय 'मसूरी एक्सचेंज एडवर्टाइजर' (THE MUSSOORIE EXCHANGE ADVERTISER) नाम के विज्ञापन पत्रक को जाता है। उसी ने सबसे पहले 1870 में मन्सूरी की अंग्रेजी स्पेलिंग बदली थी। उससे पहले अंग्रेज भी इस जगह का नाम MASURI लिखते थे। मसूरी को सभी पहाड़ी नगरों में सबसे पहले पत्रकारिता की शुरूआत का सौभाग्य इसलिये मिला क्योंकि वे शिमला के बाद और नैनीताल से पहले यहीं पहुंचे थे। शिमला में अंग्रेजों का आगमन 1819 और नैनीताल में 1839 में माना जाता है। मसूरी का प्रसिद्ध माल रोड पूर्व में पिक्चर पैलेस से लेकर पश्चिम में पब्लिक लाइब्रेरी तक जाता है। ब्रिटिश राज में माल रोड पर लिखा होता था 'भारतीय और कुत्तों को अनुमति नहीं'। इस प्रकार के रंगभेदी चिन्ह अंग्रेज़ों की मानसिकता के परिचायक थे। इन्हें बाद में पैरों तले रौंद दिया गया था। जवाहर लाल नेहरू के पिता मोती लाल नेहरू द्वारा उनके मसूरी प्रवास के दौरान प्रतिदिन यह नियम तोड़ा जाता था और उनको इस हिमाकत का जुर्माना भी भुगतना पड़ता था।

उत्तराखण्ड की पत्रकारिता की जननी लगभग 175 साल पुरानी मसूरी

अगर भारत में अखबारी पत्रकारिता की नींव रखने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, तो उत्तराखण्ड में भी पत्रकारिता के बिगुल वादक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अंग्रेज ही थे। भारत का सब से पहला अख़बार 29 जनवरी 1780 में कलकत्ता से शुरू हुआ जेम्स ऑगस्टस हिकी का 'हिकीज' बंगाल गजट' और 'दि ऑरिजिनल कैलकटा जनरल एड्वरटाइजर' था। हिक्की ने कलकत्ता में अखबारी पत्रकारिता के युग का श्रीगणेश कर इतिहास रचा था और मसूरी में सन् 1842 में जॉन मैकिन्नन ने 'द हिल्स' का प्रकाशन शुरू कर इस हिमालयी क्षेत्र के सामाजिक जीवन को एक नयी दिशा दी थी। 'द हिल्स' उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी पर्वतीय क्षेत्र का पहला अखबार था जो कि अंग्रेजी में निकलता था। पहले यह पत्र गाजियाबाद में छप कर मसूरी आता था बाद में जॉन मैकिन्नन ने मसूरी सेमिनरी स्कूल परिसर में छापाखाना लगा कर इसका नियमित प्रकाशन वहीं से शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस अखबार की आवाज दिल्ली के मुगल दरबार तथा कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय तक पहुंचती थी। इसके संपादक आयरिश मूल के थे। संपादक ने अपने कुछ संपादकीयों में इंग्लैंड तथा आयरलैंड के विवाद में इग्लैंड की आलोचना भी की थी। इस प्रकार पहाड़ों की रानी और अंग्रेजों की चहेती मसूरी को पहाड़ों की पत्रकारिता की जननी होने का सौभाग्य अंग्रेजों ने ही उसे दिया।
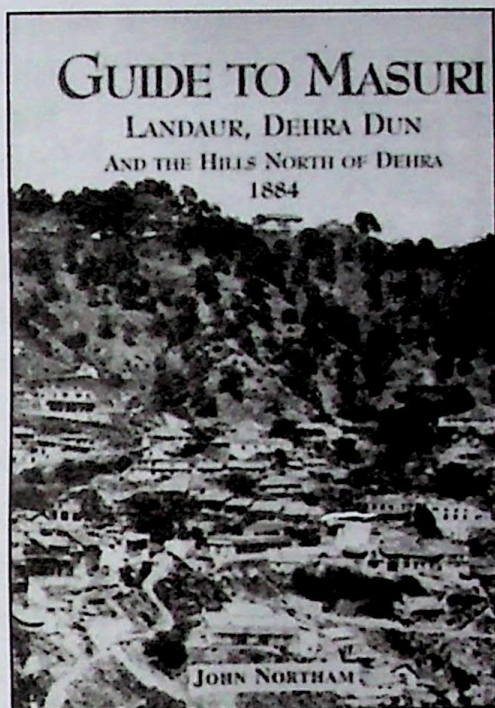
जॉन नॉर्थम द्वारा सन् 1884 में प्रकाशित एवं सम्पादित 'गाइड टू मसूरी'

उत्तराखण्ड के पहले अखबार 'द हिल्स' ने अपने जीवनकाल में कई उतार चढ़ाव देखे। जॉन मैकिन्नन ने सन् 1842 में इस अखबार का प्रकाशन तो शुरू किया मगर वह 1850 तक ही चल पाया और फिर बन्द हो गया। ठीक 10 साल बाद 'द हिल्स' का पुनर्जन्म तो हुआ मगर 5 साल बाद 1865 में अखबारों का वह अग्रदूत कालकवलित हो गया। 'द हिल्स' को 1860 में डॉ० स्मिथ ने दुबारा शुरू कराया था और इसका संपादन इसके संस्थापक मैकिन्नन के पुत्र ए० मैकिन्नन को सौंपा था। इसका मुख्य संवाददाता जिमी पेटनवशा को बनाया गया था। इसमें यूरोप से भी संवाददाता समाचार भेजते थे। 'मैफेसिलाइट प्रेस' मसूरी द्वारा प्रकाशित 'मसूरी मिसेलनी' (1936) के अनुसार 'द हिल्स' के बन्द होने के बाद 1870 में मसूरी से 'द मसूरी एक्सचेंज एडवर्टाइजर' का प्रकाशन शुरू हुआ, मगर वह समाचार पत्र न हो कर मात्र विज्ञापन पत्रक ही था। 'मसूरी एक्सचेंज एडवर्टाइजर' ने

समाचारों के प्रसारण के मामले में चाहे जो भी योगदान दिया हो, मगर मंसूरी का नाम जरूर बिगाड़ दिया। अंग्रेज जब यहाँ आये थे तो वे मसूरी की स्पेलिंग 'MASURI' लिखते थे और स्थानीय लोग उसे 'मन्सूरी' के नाम से जानते थे। लेकिन इस विज्ञापन पत्रक ने उसका नाम बिगाड़ कर 'MUSSOORIE' (मस्सूरी) कर दिया। मसूर की दाल के लिये क्षेत्र में मशहूर होने के कारण ही इस स्थान को तब मसूरी कहा जाता था। बहरहाल 'द हिल्स' और 'द मसूरी एक्सचेंज एडवर्टाइजर' के बाद तो मसूरी में अखबार निकालने की होड़ सी लग गयी। इन दो शुरुआती पत्रों के बाद मि० कोलमैन ने 1872 में 'द मसूरी सीजन' का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन कोलमैन के 1874 में इंग्लैण्ड लौटने पर 'मसूरी सीजन' भी बन्द हो गया। मफेसिलाइट के संपादक होराल्ड सी विलियम उर्फ द रैंबलर के 'मसूरी मिसलेनी' के अनुसार जॉन नार्थम ने 1875 में 'द हिमालया क्रॉनिकल' का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र 1884 में पूरे साल चला, जबकि उससे पहले इस अखबार सहित अन्य सभी प्रकाशन केवल सीजनल या साल में गर्मियों के कुछ महीनों के लिये ही निकलते थे। लेकिन जॉन नार्थम का पूरे साल अखबार चलाने का जोश अगले साल से ही ठंडा पड़ गया। जॉन नार्थम नें 1884 में 'गाइड टु मसूरी-लंढौर, देहरादून एंड द हिल नार्थ ऑफ देहरा' (GUIDE TO MUSURI- Landaur, Dehra Dun and the Hill North of Dehra) शुरू किया। इसे ठाकर, स्पिंक एंड कंपनी कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया था। नॉर्थम ने उसी दौरान अखिल भारतीय प्रसार के लिये एक अन्य विज्ञापन पत्रक 'द चैमेलियन' भी शुरू किया। मफेसिलाइट प्रेस के रिकार्ड के अनुसार मैसर्स बक्कल एण्ड कम्पनी ने 'द हिल एडवर्टाइजर' शुरू किया मगर ये सारे विज्ञापन पत्रक जल्दी ही बन्द भी हो गये। बक्कल एंड कंपनी बैलगाड़ी तथा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करती थी। इनके बन्द होते ही 1885 में मिस्टर हावथोर्न ने 'द बीकन' (BEACON) पत्र शुरू किया।

A MUSSOORIE MISCELLAN

BY
'The Rambler'
Of The "Mussoorie Times"

With 18 Illustrations

MAFASILITE PRESS,
MUSSOORIE — INDIA.

मसूरी की स्मृतियों का प्रमाणिक दस्तावेज
मफेसिलाइट प्रेस का प्रकाशन

इन पत्रों के बाद मसूरी की पत्रकारिता की तुरही 'द मफेसिलाइट' ने बजानी शुरू की। इसी अखबार के नाम से संचालित प्रिंटिंग प्रेस से 1936 में द रैम्बलर के नाम से हैरोल्ड सी० विलियम्स द्वारा लिखित 'मसूरी मिसलेनी' के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार 'मफेसिलाइट प्रेस' की स्थापना और इसी नाम का अखबार निकलना मसूरी के लिये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इस अखबार की स्थापना मिस्टर चार्ल्स लिड्डेल ने 1886 में की थी, जो कि शिमला स्टेन्टर के मालिक का चाचा था। मफेसिलाइट के बाद सन् 1896 में मिस्टर मर्टन ने 'द ईगल' शुरू किया, मगर 'द मफेसिलाइट' की खातिर मर्टन ने

स्वयं ही 1898 में अपने ही 'ईगल' (गरुड़) के पंख कतर दिये। उन्होंने 'द मफेसिलाइट' को सन् 1900 के अन्त तक चलाया। मफेसिलाइट प्रेस से छपे ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उसके बाद सन् 1901 में मिस्टर एफ० बाडीकॉट ने 'द मफेसिलाइट' अखबार और उसका प्रेस दोनों ही खरीद लिये। इसी प्रेस से बाडीकॉट ने अपना अंग्रेजी का ही 'द मसूरी टाइम्स' भी छापना शुरू कर दिया। इस प्रेस को छपाई वाला खूब जॉब वर्क तो मिलता ही था, साथ ही दोनों अखबारों से काफी विज्ञापन भी मिलने लगे थे। 'द मसूरी टाइम्स' उस समय के सबसे दीर्घजीवी अखबारों में से एक रहा, जिसके कम से कम 35 सालों के प्रकाशन के प्रमाण मौजूद हैं। प्रेस में अखबार के अलावा अन्य 'जॉब वर्क' भी होते थे। इन पत्रों के बाद मसूरी में मिस्टर किन्ने के 'द इको' का जन्म हुआ जो कि 1907 से लेकर 1913 तक ही चल सका। मिस्टर किन्ने के बाद आर०सी० गुप्ता ने अंग्रेजी में ही 1924 में 'द मसूरी हेराल्ड' का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन उस पत्र को भी 1927 में कब्र नसीब हो गयी। इसके बाद 'द मसूरी हेराल्ड' को फिर 1930 में कब्र से निकाला गया, मगर 1933 में गुप्ता ने उसे फिर दफना दिया। इस अखबार का सम्पादन बनवारी लाल बेदम ने भी किया था। उसके बाद 1935 में उस अखबार का एक बार फिर प्रकाशन शुरू हुआ, जिसका सम्पादन बी०आर० मिश्रा ने किया।

The Mussoorie Times
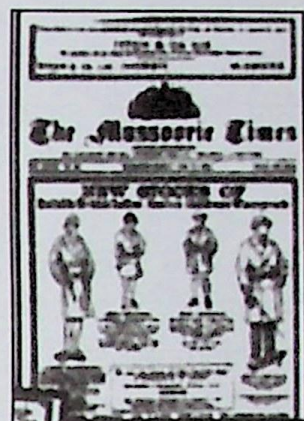
द मसूरी टाइम्स का एक अंक।

सन् 1929 में 'मफेसिलाइट प्रेस' और 'द मसूरी टाइम्स' के मालिक बॉडीकॉट के निधन के बाद न केवल प्रेस और अखबार बल्कि बॉडीकॉट के मकान को हासिल करने की होड़ लग गयी। लेकिन उससे पहले ही इन सबकी मिल्कियत एक अन्य अंग्रेज मिस्टर जॉस एच० जॉनसन के कब्जे में आ गयी थी। इसलिए सिंडिकेट की समझ में आ गया कि अगर सम्पत्ति हासिल करनी है तो जॉनसन को काबू करना होगा। चूँकि पूँजी लगाने के मामले में कुछ पूंजीपतियों का सिंडिकेट, व्यक्ति विशेष से अधिक पूंजी खड़ी कर सकता है, इसलिये आर्थिक रूप से सम्पन्न इस सिंडिकेट ने अखबार, प्रेस और बॉडीकॉट के आवास वाले भवन को खरीदने का आफर दे दिया। लेकिन एकआध घंटे के अंदर ही दूसरी पार्टी जॉनसन ने 8000 रुपये अधिक का प्रस्ताव देकर बाजी अपने पक्ष में कर ली। मफेसिलाइट प्रेस के अपने इस दस्तावेजी प्रकाशन (मसूरी मिसलेनी) में 'द मसूरी टाइम्स' का तो उल्लेख है, मगर उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि 'मफेसिलाइट प्रिंटिंग वर्क्स' के अपने मूल अखबार 'द मफेसिलाइट' का अंजाम क्या हुआ? इसी अस्पष्टता के कारण कुछ लोग 'मफेसिलाइट' के बारे में अपने-अपने ढंग से और अपनी-अपनी सुविधानुसार दावे कर रहे हैं।

जहाँ तक 'द मसूरी टाइम्स' का सवाल है तो यह पत्र काफी लंबा अवश्य चला लेकिन इस पत्र की कुछ सख्त टिप्पणियाँ इसी के गले की फाँस बन गयीं। 'द मसूरी

टाइम्स' को भी एक दिन अपनी टिप्पणियों के कारण इतिहास के गर्त में जाना पड़ा। दरअसल एक बार मसूरी में जनकल्याणार्थ धन जुटाने के लिये एक उत्सव (फेट) का आयोजन किया गया। उस उत्सव के बारे में 'द मसूरी टाइम्स' के सम्पादक ने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि स्थानीय मैजिस्ट्रेट की पत्नी ने मेले में एकत्र राशि से शराब के जाम (पेग) और अपने लिये वस्त्र खरीद लिये। उन दिनों मसूरी में 'क्राइटेरियन रेस्तरां' नाम से एक जाना माना मिलन स्थल होता था। एक शाम उस रेस्तरां में अचानक स्थानीय मैजिस्ट्रेट पहुंचा और उसने 'द मसूरी टाइम्स' के सम्पादक को तलब कर उसकी अच्छी खासी खबर ले ली। उन दिनों मसूरी के माल रोड पर फोटोग्राफर बिक्री के लिये मसूरी के मनोहारी दृश्यों वाले चित्रों की प्रदर्शनी लगाते थे। एक दिन माल रोड पर चलने वाले राहगीर सड़क किनारे की फोटो प्रदर्शनी में 'मसूरी टाइम्स' के सम्पादक का चित्र देख कर दंग रह गये। दरअसल फ्रेम चढ़े इस फोटो में सम्पादक को गधे पर बैठा दिखाया गया था। हालांकि यह सुनियोजित कारिस्तानी (ट्रिक) ही थी।

वास्तव में समाचार पत्रों ने जैसे ही अपने तेवर दिखाने शुरू किये तो सरकार और प्रशासन ने भी उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बीसवीं सदी के तीसरे दशक तक मसूरी और देहरादून से कुछ अन्य पत्र भी छपने लगे थे। 'मसूरी मिसलेनी' (1936) में रैम्बलर, (हैरोल्ड सी० विलियम्स का छद्म नाम) के अनुसार उन दिनों मसूरी के अखबारों पर इतना अंकुश था जितना देश के अन्य अखबारों पर नहीं था। उस समय भी अखबारों की प्रतियों की बिक्री से उनके खर्चे निकलने सम्भव नहीं होते थे, इसलिये अखबारों को जीवित रहने के लिये सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर रहना पडत़ा था। यही नहीं अखबारों के अपने छापाखाने होते थे, जिनमें 'जॉब वर्क' या छपाई के अन्य कार्य होते थे। सरकारी मशीनरी के पास छपाई का काफी काम होता था। अगर कोई अखबार 'द मसूरी टाइम्स' की तरह सीधे मैजिस्ट्रेट की पत्नी पर टिप्पणी करने जैसी हिमाकत करता था तो उसे दिया जाने वाला छपाई का काम रोक दिया जाता था या फिर उसके विज्ञापन बन्द कर दिये जाते थे। इस प्रकार सरकारी मशीनरी का प्रयास होता था कि अखबारों में वही छपे जो कि वह चाहती है। मजबूरी में सम्पादकगण अक्सर हालात से समझौता कर लेते थे। सामाजिक कार्यकर्ता हुक्म सिंह पंवार ने सन् 1970 में 'मसूरी टाइम्स' नाम से हिन्दी साप्ताहिक शुरू किया जो बाद में सम्पत्ति व्यवसायी अनिल पांधी के संरक्षण में आ गया। अनिल और उनके अनुज सुनील पांधी एक जमाने के प्रख्यात पत्रकार रहे एस०पी० पांधी के भतीजे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस से प्रकाशित डेन केनेडी की पुस्तक 'द मैजिक माउंटेन-हिल स्टेशन्स एंड ब्रिटिश राज' नामक पुस्तक के संदर्भ ग्रन्थों में मफेसिलाइट प्रिंटिंग वर्क्स के प्रकाशन (1907) 'गाइड टु मसूरी', एवं इको प्रेस मसूरी के प्रकाशन (1908) 'द इको गाइड टु मसूरी' का उल्लेख किया गया है। इसका अभिप्राय यह हो सकता है कि मफेसिलाइट प्रेस उस दौर में अपने प्रकाशन तो निकाल ही रही थी, मगर इस प्रिंटिंग प्रेस के अलावा मसूरी में 'इको प्रेस' नाम का मुद्रणालय भी था। हो सकता है कि उस दौर में मसूरी से कुछ अन्य

प्रकाशन भी अस्तित्व में रहे हों, जिनका उल्लेख मफेसिलाइट प्रिंटिंग वर्क्स के 'मसूरी मिसलेनी' में नहीं हुआ।

इन प्रारम्भिक अखबारों के बाद मसूरी और देहरादून नगरों से हिन्दी और अंग्रेजी में अखबार निकलने का एक सिलसिला शुरू हो गया। इस शृंखला में 1942 में के०एफ० मैकग्रोन का अंग्रेजी में 'मसूरी एडवरटाइजर' निकला। उसके बाद सत्य प्रसाद रतूड़ी का 'हिमाचल' (1948), सतपाल पांधी (एस०पी० पांधी) का सा० अंग्रेजी 'हिमाचल टाइम्स' (1949) का प्रकाशन शुरू हुआ। 'हिमाचल टाइम्स' बाद में देहरादून आ गया और कुछ सालों के बाद वह राजपुर रोड से दैनिक के रूप में छपने लग गया। श्री पांधी द्वारा स्थापित 'हिमाचल टाइम्स' समय के साथ तरक्की करता गया जिसने बाद में एक प्रकाशन समूह का आकार ले लिया। बाद में यही अखबार शिमला से भी प्रकाशित होने लगा। हिमाचल टाइम्स के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों का संचालन शिमला में स्वर्गीय एस०पी० पांधी के पुत्र देव कुमार पांधी कर रहे हैं। इन अखबारों के अलावा स्वर्गीय पांधी ने 1977 में 'पेट्रोलियम एशिया जर्नल' का प्रकाशन भी शुरू किया था। वह तकनीकी जर्नल पेट्रोलियम और भूगर्भ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी पत्रिका साबित हुयी। जिसकी मांग विदेशों में भी हुयी। बाद में विजय पांधी, देव पांधी और अशोक पांधी 'बन्धुओं' ने 'पेट्रोलियम एशिया प्रा०लि०' नाम की कम्पनी की स्थापना कर हिमाचल टाइम्स पत्र समूह को उसी कंपनी के स्वामित्व की छतरी के नीचे रख दिया। उत्तराखण्ड की पत्रकारिता में एस०पी० पांधी और हिमाचल टाइम्स समूह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी समाचारपत्र समूह से कई मूर्धन्य पत्रकार निकले हैं। हिमाचल टाइम्स के अलावा मसूरी से डॉ० गोविन्द चातक के 'अंगारा' (1952) और 'राँको' (1956), हरबचन सिंह का 'सीमान्त प्रहरी' (1964), नगर पालिका मसूरी की पत्रिका 'मसूरी संदेश' (1969), वर्ष 1970 में ही सरदार सोहन सिंह का 'दमामा', सुरेन्द्र कपिल का 'गुजरात' (1976), अनिल पांधी का हिन्दी साप्ताहिक 'मसूरी टाइम्स' (1996), जय प्रकाश उत्तराखण्डी का 'उत्तराखण्ड बिगुल' (1997), पवन कुमार गुप्ता का द्विमासिक 'हिमालय रैबार' (1989), प्रदीप भण्डारी का 'पर्वतीय बिगुल' (1999), हरि प्रसाद सकलानी का 'उत्तरांचल ज्योति' (2002) और जय प्रकाश उत्तराखण्डी का पाक्षिक 'मफेसिलाइट' निकला। हालांकि इस 'मफेसिलाइट' का पुराने ऐतिहासिक 'मफेसिलाइट' से कोई सम्बन्ध नहीं था। आजादी के बाद मसूरी से छपने वाले अखबारों में 'सीमान्त प्रहरी' को ही सबसे उम्रदराज माना जा सकता है। हरबचन सिंह का 'सीमान्त प्रहरी' केवल मसूरी में ही नहीं बल्कि उत्तराखण्ड के गुजरे जमाने के प्रतिष्ठित और दीर्घजीवी पत्रों में गिना जाता है।

मफेसिलाइट अखबार के बारे में भ्रांतियाँ

शक्ति प्रसाद सकलानी ने अपनी पुस्तक 'उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का इतिहास' में तथा डॉ० उमा शंकर थपलियाल ने 'गढ़वाल में पत्रकारिता और हिन्दी साहित्य' पुस्तक में जॉन लेंग के 'मोफुसिलाइट' और लिड्डेल के 'मैफेसिलाइट' को एक ही बता दिया, जबकि

इनमें कहीं कोई साम्य होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। डॉ० उमा शंकर थपलियाल ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 62 के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि—'*अंग्रेजी में एक अखबार मसूरी से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, सन् 1858 से, नाम था मफसिलाईट। यों इस अखबार को सन् 1854 में जॉन लेंग नामक विदेशी ने मेरठ से निकाला था, किन्तु यह छपता था मसूरी के मफसिलाइट प्रिंटिंग वर्क्स से। इस अखबार के सम्बन्ध में अपने अखबार के सम्पादकीय में जय प्रकाश उत्तराखण्डी लिखते हैं कि*—'*सन् 1858 से मफसिलाइट अखबार मसूरी से छपने लगा। जॉन लेंग के लेखन से घृणा करने वाले और अखबार को नापसन्द करने वाले यद्यपि अंग्रेजी समाज के बड़े और प्रबुद्ध वर्ग के थे, पर उसे पढ़ने वाले न्याय पसन्द गोरों, रजवाड़ों, नबाबों और आम हिन्दुस्तानियों की तादात मसूरी और उससे बाहर कई गुना ज्यादा थी।*'

THE MOFUSSILITE.

PUBLISHED EVERY SATURDAY EVENING.

No. II. Vol. I.] CALCUTTA : SATURDAY, AUGUST 9TH, 1845. { Terms of Subscription, 25 Rs. per Annum, payable in advance.

Notices to Correspondents. | constructed between Calcutta and Mir- | We think a Canal to Rajmahal

कुछ लोगों का दावा है कि बैरिस्टर एवं कवि जॉन लैंग ने मोफूसिलाइट नाम का यह अखबार मसूरी से भी प्रकाशित किया था लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद इसके कोई प्रमाण नहीं मिले है, यहाँ तक कि मफेसिलाइट प्रेस के ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी उक्त दावें की पुष्टि नहीं हुई।

इसी तरह शक्ति प्रसाद सकलानी अपनी पुस्तक 'उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का इतिहास' के पृष्ठ संख्या 33 में लिखते हैं कि '*उस दौर में अंग्रेज शाही विरोधी अखबार 'मेफिसलाइट' का प्रकाशन भी मसूरी में हुआ। यह अविश्वसनीय किन्तु सत्य है कि औपनिवेशिक शासन में इस आंग्लभाषी अखबार ने शासन की खूब टीका टिप्पणी की थी। अपने इस रवैये के कारण अखबार के सम्पादक मिस्टर जॉन लेंग अन्त तक ब्रिटिश हुकूमत की आखों की किरकिरी बने बने रहे। कुछ इतिहासकार 'मेफिसलाइट' का प्रकाशन वर्ष सन् 1845 मानते हैं। जॉन लेंग झांसी की रानी के वकील रह चुके थे। उन्होंने ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहाजी के विरुद्ध रानी लक्ष्मी बाई का मुकदमा लड़ा था। गदर में रानी की शहादत के बाद जान लेंग मसूरी आ गये यहीं से उन्होंने 'मेफिसलाइट' का फिर से प्रकाशन शुरू किया।*'सकलानी जी का यह दावा सुना सुनाया ही प्रतीत होता है, क्योंकि इसके कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। अगर उनके पास कोई प्रमाण होता तो वह अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख अवश्य करते। जॉन लेंग ने अखबार जरूर निकाला मगर उसका मसूरी के 'मैफसिलासाइट' से कोई सम्बन्ध होने के प्रमाण नहीं हैं। मसूरी निवासी पूर्व सांसद जगन्नाथ शर्मा ने भी अपने एक लेख में मसूरी से जॉन लेंग द्वारा 'मफेसिलाइट' अखबार निकाले जाने के दावे पर संदेह प्रकट किया है। जॉन लेंग पर अध्ययन करने वाले पत्रकार राजू गुसाईं भी जॉन लेंग द्वारा मूसरी से 'मफेसिलाइट' अखबार निकाले जाने के दावे को कपोल कल्पना बताते हैं। जॉन लेंग द्वारा संपादित अखबार का नाम MOFUSILLITE था जबकि चार्ल्स लिड्डेल द्वारा स्थापित अखबार के नाम की स्पेलिंग MAFASILITE थी।

'मफेसिलाइट प्रेस' से 1936 में 'द रैम्बलर' के नाम से छपे 'द मसूरी मिसलेनी' में 'मफेसिलाइट' अखबार का उल्लेख तो है मगर उसमें जॉन लेंग का कहीं दूर-दूर तक

उल्लेख नहीं है। 'द मसूरी मिसलेनी' एक तरह से अंग्रेजों के बसने के बाद मसूरी का एक प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज है। गणेश सैली आदि बुद्धिजीवियों ने भी अपनी पुस्तकों में 'द मसूरी मिसलेनी' का हवाला दिया है। इस दस्तावेज के अनुसार मसूरी के 'मफेसिलाइट' के संस्थापक संपादक चार्ल्स लिड्डेल थे। सन् 1901 में एफ० बॉडीकॉट ने प्रेस समेत इसे खरीद लिया था। 'द मसूरी मिसलेनी' स्वयं मफेसिलाइट प्रेस का अपना प्रकाशन था। यह कैसे संभव है कि प्रेस के अपने प्रकाशन में सभी इतिहास पुरुषों का उल्लेख हो मगर अपने आदि पुरुष या संस्थापक (अगर था) का उल्लेख न हो। गणेश सैली ने भी अपनी पुस्तक 'मसूरी मिडले-टेल्स आफ यस्टर इयर्स' में जॉन लेंग द्वारा मसूरी से मफेसिलाइट अखबार निकालने का उल्लेख नहीं किया है। यही नहीं। मफेसिलाइट प्रिंटिंग वर्क्स मसूरी द्वारा 1907 में प्रकाशित 'गाइड टु मसूरी' में भी कहीं जॉन लेंग का उल्लेख नहीं है। ई०टी० एटकिन्सन ने भी जॉन लेंग के 'मोफुसिलाइट' का उल्लेख नहीं किया है। एटकिन्सन के 'दि हिमालयन गजेटियर' खंड-तीन, पृष्ठ 604 (सन् 1884) में मसूरी से 'द हिमालया क्रोनिकल' के प्रकाशित होने का उल्लेख किया है। जी०आर०सी० विलियम्स ने 'मेमोयर ऑफ देहरादून (सन् 1874) के पृष्ठ 311 पर मसूरी से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू होने का उल्लेख किया है, लेकिन उसने उस पत्रिका का जिक्र करने का बजाय उसे एक कम महत्व का प्रकाशन बताया है।

वास्तव में जॉन लेंग का जन्म 19 दिसम्बर, 1816 में आस्ट्रेलिया के पर्रामट्टा में हुआ था। वह एक कुशाग्र बुद्धि का बैरिस्टर ही नहीं बल्कि एक प्रख्यात उपन्यासकार भी था। 'मोफुसिलाइट' (Mofusillite) अखबार के माध्यम से वह अंग्रेजी हुकूमत की जमकर खिलाफत करता रहता था। जॉन लेंग 1842 में कलकत्ता पहुंचा था। वहां से उसने सन् 1845 में 'मोफुसिलाइट' अखबार शुरू किया। वह कलकत्ता के बाद 'मोफुसिलाइट' को अम्बाला ले गया वहां से वह इस अखबार को आगरा ले गया और फिर 1859 में मेरठ आ गया। यह बात सही है कि लेंग ने 1854 में रानी लक्ष्मी बाई की राज्यहरण मामले में वकालत की थी और बिना दुभाषिये के अदालत में उसने रानी से वार्तालाप किया था। मसूरी के कुछ लोग कहते हैं कि उसने 1861 में मसूरी में दूसरी शादी की मगर 20 अगस्त, 1864 में उसकी स्वास रोग के चलते मौत हो गयी। कुछ ही साल पहले प्रख्यात कहानीकार रस्किन बॉंड ने मसूरी के कैमेल्स बैक में जॉन लेंग की कब्र खोजी थी, जिसका अनावरण आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त जॉन फिशर ने किया। आस्ट्रेलिया की मुलिनी प्रेस ने जॉन लेंग के उपन्यासों का पुनर्प्रकाशन शुरू कर दिया है। उसी प्रेस से विक्टर क्रिटेण्डेन द्वारा जॉन लेंग पर लिखी गयी पुस्तक मुद्रित और प्रकाशित की गयी है। क्रिटेण्डेन की इस पुस्तक के अनुसार जॉन लेंग ने मसूरी से कभी भी 'मोफुसिलाइट' का प्रकाशन नहीं किया था। जॉन लेंग ने अपने विख्यात यात्रा वृतान्त 'वैण्डरिंग इन इण्डिया' में मसूरी के हिमालय क्लब के बारे में जो लेख लिखा था उसमें मसूरी के नैसर्गिक सौन्दर्य का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। कुछ लोगों का मत है कि जॉन लेंग हिमालय क्लब में ही ठहरा था। एच०जी० वाल्टन के

द्वारा लिखित 'गजेटियर ऑफ देहरादून' (1911) में मफेसिलाइट प्रेस का उल्लेख है मगर उस नाम के अखबार का जिक्र नहीं है।

आसिमा रंजन पारी की पुस्तक 'इंडियन इंग्लिश थ्रो न्यूजपेपर' के अनुसार सन् 1872 में आगरा से प्रकाशित मफुसिलाइट (1845) लाहौर क्रोनिकल (1846) पंजाब टाइम्स तथा इंडियन पब्लिक ओपिनियन (1867) के संविलियन के बाद सन् 1872 में 'सिविल एंड मिलिट्री गजट' का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रख्यात अंग्रेजी कहानीकार एवं कवि रुडयार्ड पिलिंग इस पत्र के सहायक संपादक रहे। किपलिंग 'पायनियर' के भी सह संपादक रहे। यह पत्र लाहौर और शिमला से 1949 तक एक साथ प्रकाशित होता रहा। रोनाल्ड ई० वोल्सले (गजट-इंटरनेशनल जर्नल फॉर मास कम्युनिकेशन स्टडीज-वाल्यूम-12, 1966) के अनुसार 91 सालों की जीवन यात्रा के बाद 'द सिविल एंड मिलिट्री गजट'-लाहौर 1963 में बंद हो गया।

(मसूरी के ऐतिहासिक प्रकाशनों का यह कोलाज 'मसूरी मिडले' से साभार लिया गया है।)

❑❑

कुम्भ नगरी में अखबारों का जन्म

कुम्भ नगरी हरिद्वार करोड़ों सनातन धर्मावलम्बियों की आस्था का केन्द्र होने के नाते विश्व में अपना विशेष स्थान तो रखती ही है लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इस नगर का योगदान कम नहीं है। स्वाधीनता आन्दोलन में भी कलम के धनी हरिद्वार के पत्रकार पीछे नहीं रहे। यहाँ तक कि साधु सन्तों ने भी मातृभूमि की आजादी के लिए जेल जाने में संकोच नहीं किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वामी श्रद्धानन्द (मुंशी राम) द्वारा स्थापित गुरुकुल का स्वतंत्रता से पूर्व और उसके बाद उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुंशी राम द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी के छात्रों ने देश भर में स्वाधीनता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रीय अभिलेखागार में गुरुकुल कांगड़ी के इन पूर्व छात्रों द्वारा लिखित साहित्य भरा पड़ा है जोकि ब्रिटिश राज में प्रतिबन्धित किया गया था। गुरुकुल कांगड़ी के सद्धर्म प्रचारक, श्रद्धा, वैदिक मैगजीन एवं गुरुकुल पत्रिकाओं के अंकों को भी ब्रिटिश राज में प्रतिबन्धित किया गया था, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इसी गुरुकुल से 'अलंकार', 'गुरुकुल समाचार', 'गुरुकुल पत्रिका', 'कामधेनु', 'वैदिक पत्रिका', 'वैदिक पथ', 'आर्य भट्ट', और 'प्रसाद' आदि पत्र निकले। वास्तव में हरिद्वार का गुरुकुल स्वतंत्रता सेनानियों और मूर्धन्य पत्रकारों का पालना भी रहा। कूर्मांचल केशरी बदरी दत्त पांडे का जन्म भी 15 फरवरी, 1882 को हरिद्वार के कनखल में ही हुआ था। गुरुकुल से दीक्षित कई पत्रकारों ने आजादी की लड़ाई को धार दी तो कई अन्य ने देश की हिन्दी पत्रकारिता को उन्नति के शिखर तक पहुँचाया। देश के जिन मूर्धन्य पत्रकारों के नाम के आगे विद्यालंकर, विद्यावाचस्पति, सिद्धालंकार, वेदालंकार एवं वेद तीर्थ उपनाम लगे हैं, वे इसी कुनबे के सदस्य रहे हैं। गुरुकुल से दीक्षित पत्रकारों और साहित्यकारों में इन्द्र विद्यावाचस्पति, सत्यकाम विद्यालंकार, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, सत्यदेव विद्यालंकार, हरिवंश विद्यालंकार, क्षितिज विद्यालंकार, कृष्ण चन्द्र मेहता और ब्रह्मदत्त

कभी राष्ट्रीय आन्दोलन का केन्द्र रहा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जिसने देश को कई स्वाधीनता सेनानी पत्रकार भी दिए।

विद्यालंकार आदि शामिल हैं। चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने 1927 में देहरादून से 'ज्योति' तथा चन्द्रमणि विद्यालंकार ने 1934 में 'हिमालय' नाम के पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था।

हरिद्वार के लिये पत्रकारिता की दृष्टि से 1908 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उस वर्ष धर्म नगरी में अखबारों की शुरुआत एक साथ चार अखबारों से हुयी। इनमें 3 अखबार अकेले मुंशीराम ने शुरू किए थे। उस वर्ष रुद्रदक्ष और पद्म सिंह शर्मा का 'सत्यवादी', मुंशी राम का मासिक पत्र 'आर्य पत्रिका' और मुंशीराम का ही 'सद्धर्म प्रचारक' तथा 'धर्मालय दीपिका' शामिल थे। इनके बाद हरिद्वार से एक के बाद एक अखबार निकलते गये। मुंशी राम (श्रद्धानन्द) के दो पुत्रों, हरिश्चन्द्र तथा इन्द्र विद्या वाचस्पति में से एक इन्द्र ने सन् 1918 में हरिद्वार से हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार 'विजय' निकाला। 'सत्यवादी', 'अर्जुन', 'नवराष्ट्र' तथा 'जन सत्ता' नाम के अखबार भी इन्द्र विद्या वाचस्पति ने ही निकाले थे। 'अर्जुन' नाम का अखबार काफी लोकप्रिय हुआ और बाद में 'वीर अर्जुन' नाम से दिल्ली से छपने लगा। एक अध्ययन (रघुबीर सिंह-हरिद्वार दर्पण-2001) के अनुसार सन् 1908 से लेकर 1985 तक के 77 वर्षों में हरिद्वार से कुल 64 समाचार पत्र शुरू हुये लेकिन 1985 तक आते-आते उनमें से केवल 6 अखबार और पत्रिकाएं ही जीवित रह सके। 1908 से लेकर 1947 तक ही हरिद्वार से 20 पत्र शुरू हुए।
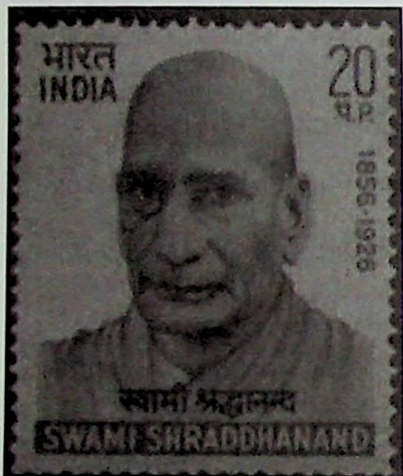
हरिद्वार से शुरुआती दौर में निकलने वाले अखबारों में मुंशी राम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से विख्यात) का 'धर्मालय दीपिका' (1909), नरेन्द्र देव शास्त्री एवं पद्म सिंह शर्मा पालीवाल का मासिक पत्र 'भारतोदय' (1909), हरिदेव शर्मा का मासिक 'भारतोदय' (1911), बाबा भगवान दास उदासी का पाक्षिक 'कामधेनु' (1911), श्रद्धानंद संन्यासी का साप्ताहिक 'श्रद्धा' (1920), गिरधर चतुर्वेदी तथा केदार शर्मा का मासिक 'ब्रह्मचारी' (1915), अज्ञात का 'हिन्दू गजट' साप्ताहिक (1922), 'अलंकार' मासिक पत्र (1924), सत्यवर्त सिद्धान्तालंकार का साप्ताहिक 'गुरुकुल समाचार' (1924), दुर्गा दत्त जोशी का कनखल से प्रकाशित साप्ताहिक 'तरंग' (1925), रघुनन्दन झा का साप्ताहिक 'हिन्दू सर्व सवर्ण' (1925), राम चन्द्र शर्मा का कनखल से मासिक 'बसन्त' (1925), हिन्दी साप्ताहिक 'हरिद्वार समाचार' (1929) हरिश्चन्द्र भाटी का साप्ताहिक 'हिन्दू' (1934), रामचन्द्र शर्मा का ही मासिक 'मनोरंजन' (1936), हरिबंश वेदालंकार का 'गुरुकुल' साप्ताहिक (1935), कनखल से ही कृपाल देव का मासिक 'विश्व ज्ञान' (1938), राम चन्द्र शर्मा का तीसरा पत्र मासिक 'आदर्श' शामिल हैं। 1929 में शुरू हुये हिन्दी साप्ताहिक 'हरिद्वार समाचार' के संपादक और प्रकाशक देवेन्द्र नाथ थे। सितम्बर 1934 में हरिद्वार से रामचन्द्र शर्मा के सम्पादकत्व में

हिन्दी मासिक पत्रिका 'आदर्श' का प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्रिका में कहानियाँ, उपन्यास और कविताएँ छपती थीं और इसका वार्षिक शुल्क एक रुपया था। अक्टूबर, 1935 में हरिद्वार से रामजीलाल वर्मा ने हिन्दी मासिक 'जीवन का सत्य' प्रकाशित किया जिसके संपादक आर०जी० कपूर थे।

ज्वालापुर हरिद्वार से 1909 में प्रकाशित 'भारतोदय' गुरुकुल महाविद्यालय का मुखपत्र था। पद्म सिंह शर्मा इसके संपादक, नरदेव शास्त्री सहायक संपादक और भीमसेन शर्मा इसके प्रकाशक थे। आरंभ में यह मासिक पत्र था। कालांतर में यह पाक्षिक और फिर साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। राम स्वरूप काव्यतीर्थ ने भी इसका संपादन किया। इसके संस्कृत एवं हिन्दी द्विभाषी संस्करण के संपादक हरि शंकर शर्मा थे। (विवरण वृहत् हिन्दी पत्रकारिता कोश-ले० डॉ० प्रतापनारायण टंडन) 'अलंकार' तथा 'गुरुकुल समाचार' का प्रकाशन 1 जनवरी, 1924 को स्नातक मंडल, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के मुखपत्रों के रूप में शुरू हुआ था। सीताराम सिद्धालंकार इनके पहले संपादक थे। अन्य संपादकों में सत्यकेतु विद्यालंकार तथा चन्द्रमणि विद्यालंकार के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् 1925 में 'हिन्दू सर्व सवर्ण' साप्ताहिक पत्र हरिद्वार के कनखल से प्रकाशित हुआ। रघुनंदन झा के संपादन में निकला यह पत्र सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों की कड़ी आलोचना करता था। इसका वार्षिक शुल्क 3 रुपये था।

14 अप्रैल, 1923 को इन्द्र विद्यावाचस्पति ने दैनिक 'अर्जुन' का प्रकाशन शुरू किया। इसके पीछे उनके पिता महात्मा श्रद्धानंद की प्रेरणा और आशीर्वाद था। दैनिक 'अर्जुन' दिल्ली का प्रतिष्ठित समाचार-पत्र था। इसकी स्थापना पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति ने की थी। सरदार भगतसिंह ने इस पत्र में 'बलवंत सिंह' के नाम से बिना वेतन के नौकरी की थी। वह अखबार की प्रूफ रीडिंग से लेकर संपादन तक का कार्य कर लेते थे। भगत सिंह के पास जयचंद्रजी की सिफारिश थी, इसलिए दिल्ली पहुँचते ही उन्हें 'अर्जुन' में नौकरी मिल गई। धर्मदेव वाचस्पति एवं विद्यावाचस्पति-के संपादन में दिल्ली से 'सार्वदेशिक' का प्रकाशन 1925 में हुआ था। भारतीय पत्रकारिता कोश-खंड-2 के विवरण के अनुसार 1926 में स्नातक मंडल गुरुकुल कांगड़ी का मासिक मुखपत्र 'अलंकार' सत्यव्रत सिद्धालंकार के संपादकत्व में गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित हुआ। इसमें गुरुकुल के विद्वान स्नातकों के लेख छपते थे और इसका वार्षिक शुल्क तीन रुपये था।

सितंबर सन् 1948 में गुरुकुल कांगड़ी की मासिक 'गुरुकुल पत्रिका' का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका का उद्देश्य गुरुकुल शिक्षा का प्रचार तथा संस्कृत एवं आर्य संस्कृति को लोकप्रिय बनाना था। इसके आद्य संपादक रमेश बेदी आयुर्वेदालंकार तथा सुखदेव विद्यावाचस्पति थे। सन् 1975 में इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। (वृहत् हिन्दी पत्रकारिता कोश-ले० डॉ० प्रतापनारायण टंडन)।

हरिद्वार से आजादी के बाद से लेकर सन् 1985 तक प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं में डॉ० भान सिंह का 'गुरुकुल' मासिक (1950), संसार सिंह एवं योगेन्द्र

पाल शास्त्री का 'शक्ति संदेश' (1957), किशनदास का 'बाल कल्याण' मासिक (1958), सदानन्द शर्मा का 'कीर्ति' (1959), कृष्णदत्त पालीवाल का 'उत्तर भारत' पाक्षिक (1960), धर्म दत्त वैद्य की 'गुरुकुल' मासिक पत्रिका (1961), तेज बहादुर सक्सेना का साप्ताहिक 'हिमकीर्ति' (1962), शोभानाथ का 'लोकार्थ' साप्ताहिक (1962), बाबूराम कीर्तिपाल का 'पुरोहित' (1962), ए०बी० गुरुदेव का 'जैन सखा' पाक्षिक (1962), उन्हीं का दूसरा मासिक पत्र 'गांधी संदेश' (1962), मुरलीधर अग्रवाल का 'विज्ञान की दुनियाँ' पाक्षिक (1964) गंगा प्रसाद की मासिक 'ऋषिकुल' पत्रिका (1964), डॉ० कौशल एवं जे०एम० कंसल का मासिक सर्वानन्द (1965), तेज बहादुर सक्सेना का साप्ताहिक 'पंचपुरी समाचार' (1966), नानक चन्द का साप्ताहिक 'हरिद्वार दर्शन' (1969), स्वामी धर्मानन्द का मासिक 'विवेक रश्मि' (1969), दर्शन सिंह का साप्ताहिक 'अपने लोग' (1969), हरिश्चन्द्र का मासिक 'घर की रानी' (1969), बल्देव राज का मासिक 'वन संदेश' (1970), गुरुदयाल का मासिक 'धर्म प्रचारक' (1970), फूल चन्द का मासिक 'आयुर्वेदिक विवेक' (1970), प्रकाश कुमार जौहर का मासिक 'आयुर्वेद रक्षक' (1970), अशोक भरद्वाज का साप्ताहिक 'आईना और सूरत' (1971), राम स्वरूप फलरिया का साप्ताहिक 'शत्रुघ्न' (1972), महावीर प्रसाद मिश्र का पाक्षिक 'सनभाग्य' (1972), विजय कुमार वैद्य का मासिक 'हितायु' (1972), उन्हीं का मासिक 'परिवार समाचार' (1974), रमेश कुमार का मासिक 'वैडवो का उसनत तंत्र' (1975), उन्हीं का मासिक 'आर्यों का प्रेतवाद' (1975), श्रीराम शर्मा का मासिक 'महिला जागृति' (1975), आनन्द स्वरूप शर्मा का साप्ताहिक 'कनखल विकास' (1975), रतन लाल गुप्ता का साप्ताहिक 'विडम्बना' (1976), सरदार रघुबीर सिंह का साप्ताहिक 'हरिद्वार दर्पण' (1976), आचार्य हरिदेव का मासिक 'वैदिक विजय' (1977), श्रीमती ज्योति राम का साप्ताहिक 'गंगा दर्शन' (1978), रमेश चन्द्र गुप्ता का साप्ताहिक 'पंचपुरी की आवाज' (1979), गुलशन नैयर का साप्ताहिक 'मुक्तिमोद' (1980), राम प्रकाश तिवारी, सेठ अच्छू राम और रमेश सैलानी आदि का दैनिक 'भागीरथी संदेश' (1981), (भागीरथी संदेश में इस लेखक ने भी सहायक सम्पादक के तौर पर कार्य किया) राम प्रकाश तिवारी का दैनिक 'बदरी विशाल' (1982), श्रीमती उषा सक्सेना का साप्ताहिक 'मधुर ज्योति' (1985), श्याम गोस्वामी का साप्ताहिक 'गीता भूमि' (1985), विष्णु दत्त राकेश का त्रैमासिक 'प्रहलाद' (1985), डॉ० विजय शंकर का त्रैमासिक 'आर्यभट्ट' (1985), डॉ० बी०एस० काज का साप्ताहिक 'होम्यो जगत' (1985) शामिल हैं। इसके बाद तो भारी भरकम विज्ञापन मुनाफा कमाने के लिये कुछ लोग एक साथ कई अखबार निकालने लगे। तीर्थनगरी ही नहीं बल्कि लगभग सभी जगह आज कई लोगों का अखबार निकालने का मकसद पत्रकारिता या समाजोत्थान न हो कर विज्ञापन राशि जुटाना, चौथ वसूली करना और पत्रकारिता के नाम पर रौब गालिब करना या अपना व्यवसाय के लिये ढाल तैयार करना रह गया है।

गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के कुनबे के प्रमुख पत्रकार

- **अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार :** इनका जन्म 22 मार्च, 1907 को बिहार के दानापुर जिले में हुआ था। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी विद्वता

को परखते हुये उन्हें वहीं शिक्षक नियुक्त किया गया। उन्होंने 1928 में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मुखपत्र 'आर्य' के संपादन के साथ ही पत्रकारिता का सफर शुरू किया। वह 1934-36 तक 'नव युग', 1936 -44 तक 'दैनिक हिन्दुस्तान', 1944-46 तक साप्ताहिक 'नव युग' और 1946-50 तक 'नवभारत' आदि अखबारों के संपादक रहे।

- **अमृतपाल वेदालंकार :** अमृतपाल ने 1947 में जालंधर के साप्ताहिक पत्र 'आकाशवाणी' के संपादक के रूप में कार्य किया। वह केन्या (अफ्रीका) में 17 वर्ष तक 'अमर भारती' का संपादन करते रहे और उसके बाद लीड्स, ग्रेट ब्रिटेन में विश्व हिन्दू परिषद के 'हिन्दू विश्व' का संपादन करते रहे।
- **आनंद विद्यालंकार :** का जन्म 7 सितंबर, 1907 को मुरादाबाद में हुआ। उन्होंने भी गुरुकुल कांगड़ी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने 1939 से बंबई से प्रकाशित 'नव राष्ट्र' से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद वह 'विश्वमित्र' तथा दिल्ली के 'अर्जुन' से सम्बद्ध रहे। उन्होंने 1947 में 'नव भारत टाइम्स' में प्रवेश किया जहां वह वरिष्ठ सह सम्पादक भी रहे तथा अग्रलेख लेखक का कार्य भी संभालते रहे।
- **इन्द्रलाल शास्त्री, विद्यालंकार :** उनका जन्म 21 सितंबर, 1897 को जयपुर में हुआ था। वह भी गुरुकुल कांगड़ी के छात्र रहे। उन्होंने 'सत्यवादी', 'खंडेलवाल जैन हितेच्छु', 'जैन गजट', 'सन्मार्ग' तथा 'अहिंसा' का संपादन किया। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद भी किया।
- **इन्द्र विद्यावाचस्पति :** वह महात्मा मुंशी राम (श्रद्धानंद) के पुत्र थे। उनका जन्म 9 नवम्बर, 1889 को जालंधर जिले के नवांशहर में हुआ था। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा ग्रहण की। गुरुकुल के एक प्रकाशन के अनुसार जब इन्द्र मात्र 7-8 साल के थे तो उन्होंने 'सत्य प्रकाश' नाम से एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। उन्होंने छात्र जीवन से ही 'सद्धर्म प्रचारक' पत्र का संपादन कर पत्रकारिता की शुरुआत कर दी थी। सन् 1913 में साप्ताहिक 'सद्धर्म प्रचारक' उनके संपादन में निकलने लगा था और वह कालांतर में दैनिक पत्र 'विजय' निकालने लगे। इस पत्र के माध्यम से वह दिल्ली के यशस्वी पत्रकार एवं साहित्यकार के रूप में प्रख्यात हुये। इसके बाद इन्द्र जी ने जनवरी, 1923 में दिल्ली से साप्ताहिक 'सत्यवादी', दैनिक वैभव एवं 'भविष्य' का संपादन किया परन्तु अपरिहार्य कारणों से उन्होंने 'वैभव' का संपादन छोड़ दिया। 12 अप्रैल, 1923 को उन्होंने 'अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्' के ध्येय वाक्य को लेकर दैनिक 'अर्जुन' का प्रवेशांक निकाला और 'सत्यवादी अर्जुन' के साप्ताहिक के रूप में यह पत्र आगे चलता रहा। 'अर्जुन' ने अपने जीवनकाल में आर्य समाज और सारे देश की जो सेवा की वह सर्व विदित है। बाद में राजनीतिक कारणों से 'अर्जुन' के नाम को बदलना पड़ा और वह 'वीर अर्जुन' के नाम से प्रकाशित होने लगा। भारत के आजाद होने के बाद आर्थिक कारणों से 'अर्जुन' का प्रकाशन बंद करना पड़ा। लगभग

25 वर्षों तक 'वीर अर्जुन' का संपादन करने के बाद उन्होंने मुंबई के 'नव राष्ट्र' और दिल्ली के 'जनसत्ता' का संपादन भी किया। उनकी संपादकीय टिप्पणियाँ और अग्रलेख जहां भारतीयों के मन में राष्ट्र प्रेम एवं देश पर मर मिटने की भावना जागृत करती थी वहीं विरोधियों के हृदय पर विष बुझे बाण की तरह प्रहार करते थे। यही कारण था कि तत्कालीन शासक उनको अपना प्रबल शत्रु मानते थे। उनकी प्रमुख कृति 'मेरे पत्रकारिता संबंधी अनुभव' थी। पत्रकारिता के अलावा इन्द्र विद्यावाचस्पति का शिक्षा जगत में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत् रहे। वह 1920 में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता चुने गये और 1934 से लेकर 1960 तक विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 23 अगस्त, 1960 को दिल्ली में उनका निधन हुआ।

- **कृष्ण चन्द्र विद्यालंकार :** उनका जन्म सन् 1904 में बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के बसीड़ा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल मुल्तान और गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में हुयी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अजमेर से प्रकाशित 'त्यागभूमि' मासिक के माध्यम से प्रवेश किया। उसके बाद वह 1938 में दिल्ली से प्रकाशित 'वीर अर्जुन' के संपादकीय विभाग से जुड़ गये। 'वीर अर्जुन' में सह संपादक और अग्रलेख लेखक के रूप में उन्होंने काफी नाम कमाया। 'वीर अर्जुन' के बाद उन्होंने 'संपदा' नामक मासिक पत्र का संपादन किया। निर्भीक एवं सत्यनिष्ठ पत्रकार कृष्णचन्द्र 'वीर अर्जुन' के आदि संपादक के रूप में जाने जाते हैं। वह कुछ समय तक 'त्यागभूमि' के संपादक भी रहे। वह 'हिन्दुस्तान' दैनिक में भी सह संपादक रहे।
- **क्षितीश कुमार वेदालंकार :** उनका जन्म दिल्ली में 10 अक्टूबर, 1917 को हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी तथा स्नातकोत्तर परीक्षा आगरा से पास की। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 'वीर अर्जुन' के साप्ताहिक संस्करण का संपादन 1947 से लेकर 1952 तक किया। उसके बाद वह दैनिक 'हिन्दुस्तान' के संपादकीय विभाग से सह संपादक के तौर पर 27 वर्षों तक संबद्ध रहे। उनके अग्रलेख काफी रोचक और प्रभावशाली होते थे। इसके बाद उन्होंने आर्य प्रादेशिक सभा के मुखपत्र 'आर्य जगत' का संपादन किया।
- **चन्द्र गुप्त विद्यालंकार :** पाकिस्तान के कोट अद्दू नामक स्थान पर 4 दिसम्बर, 1906 में जन्मे चन्द्र गुप्त ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में 'प्राचीन भारतीय इतिहास' में शोध कार्य सम्पन्न करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। वह गुरुकुल कांगड़ी से स्नातक बनने के बाद देहरादून से प्रकाशित 'ज्योति' के सहायक संपादक बने। सन् 1931 में उन्होंने लाहौर से दैनिक 'जन्मभूमि' का सम्पादन और प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद उन्होंने भारत सरकार के विदेशी मामलों के मासिक पत्र 'विश्व दर्शन' का संपादन किया। यह अपने प्रकार का पहला पत्र था। लगभग 6 वर्ष तक इसमें कार्य करने के बाद वह भारत सरकार की सांस्कृतिक पत्रिका 'आजकल' के संपादक

नियुक्त हुये। उनके सुझाव पर ही सरकार ने 'आजकल' को भारतीय साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बनाया था। मई, 1963 में चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने मुंबई में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की भारतीय कहानियों की मासिक प्रतिनिधि पत्रिका 'सारिका' का संपादन कार्य संभाला। उन्होंने 'ज्योति', 'दैनिक जन्मभूमि', 'विश्व साहित्य ग्रन्थ माला', 'विश्व दर्शन' तथा 'सारिका' के संपादन में उल्लेखनीय कार्य किया।

- **दीना नाथ सिद्धांतालंकार :** इनका जन्म 8 अप्रैल, 1894 में गुजरांवाला जिले के पिंडी महियां गांव में हुआ था। गुरुकुल से स्नातक होते ही सन् 1920 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका 'श्रद्धा' में उप संपादक के रूप में शामिल हो कर पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित 'वीर अर्जुन' में इंद्र विद्यावाचस्पति के साथ सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। सन् 1926-27 में लाहौर से प्रकाशित मासिक 'विश्व बन्धु' के संपादन तथा मुबई से प्रकाशित 'राष्ट्रदूत', जालंधर से प्रकाशित दैनिक 'आकाशवाणी', वाराणसी से दैनिक 'आज' तथा दिल्ली से प्रकाशित 'जनसत्ता', 'सफल जीवन', 'भारत सेवक', 'ग्राम सहयोगी', 'संपदा' आदि पत्र-पत्रिकाओं के मुख्य तथा सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने आर्य समाज के साप्ताहिक 'आर्य' तथा 'आर्य जगत' का भी संपादन किया।

- **धर्मदेव विद्यावाचस्पति :** इनका जन्म 1 नवम्बर, 1899 को दुनियापुर मुल्तान में हुआ था। उनकी शिक्षा भी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में हुयी। सन् 1942 से लेकर 1953 तक उन्होंने सार्वदेशिक सभा के मासिक मुखपत्र 'सार्वदेशिक' का संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के मुखपत्र 'गुरुकुल पत्रिका' का संपादन किया। उनकी मृत्यु नवम्बर, 1978 में हरिद्वार के ज्वालापुर में हुयी।

- **पं० नरदेव शास्त्री 'वेदतीर्थ' :** इनका जन्म 21 अक्टूबर, 1880 को हैदराबाद दक्षिण के शेडम नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम नरसिंह राव था। उन्होंने गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के मुखपत्र 'भारतोदय' के संपादक के रूप में पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। उन्होंने कई अन्य रचनात्मक कृतियों के साथ ही मुरादाबाद से प्रकाशित 'शंकर' का भी संपादन किया। उनका निधन 24 सितंबर, 1961 को देहरादून में हुआ। (इनके बारे में अलग से विवरण स्वतंत्रता सेनानी पत्रकारों वाले अध्याय में दिया जा रहा है)।

- **पद्म सिंह शर्मा :** बिजनौर जिले में सन् 1876 में जन्में पद्मसिंह शर्मा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने हिन्दी, संस्कृत, फारसी तथा उर्दू का अध्ययन किया था। वह ज्वालापुर महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक शिक्षक रहे। उन्होंने 'साहित्य', 'भारतोदय' तथा 'समालोचक' पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम कमाया। उनका 1932 में देहान्त हुआ।

- **भीमसेन विद्यालंकार :** इनका जन्म 22 अक्टूबर, 1900 में जम्मू में हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुयी थी। गुरुकुल में कुछ समय तक शिक्षण कार्य करने के पश्चात उन्होंने दैनिक 'वीर अर्जुन' के प्रधान संपादक का कार्य 1924 से लेकर 1925 तक संभाला। कानूनी तौर पर 'अर्जुन' के पहले संपादक वही माने जाते हैं। उन्होंने सन् 1925-26 तक लाहौर से 'सत्यवादी' का संपादन किया तथा सन् 1929 में वह लोक सेवक मंडल के साप्ताहिक पत्र 'पंजाब केसरी' के संपादक बने। सन् 1933-37 तक 'अलंकार' (यह कालांतर में हिन्दी संदेश के नाम से प्रकाशित हुआ) तथा 1934 से 1951 तक आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मुखपत्र 'आर्य' का संपादन भी किया। उन्होंने राजपाल एंड संस लाहौर की ओर से 'राजपाल' मासिक का संपादन भी किया। स्वाधीनता आन्दोलन समर्थक एवं देश भक्ति पूर्ण लेख लिखने पर 1947 से पूर्व वह दो बार जेल भी गये। उनका देहांत 18 जुलाई, 1962 को दिल्ली में हुआ।
- **पं.राम गोपाल विद्यालंकार :** वह अपने जमाने के जाने माने पत्रकार थे। पंडित जी का जन्म सन् 1900 में बिजनौर जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा भी गुरुकुल कांगड़ी में ही हुयी। सर्वप्रथम उन्होंने नागपुर से प्रकाशित दैनिक 'प्रणवीर' के संपादन से पत्रकारिता जीवन की शुरूआत की। उसके बाद उन्होंने दैनिक 'वीर अर्जुन', 'हिन्दुस्तान' और 'नवभारत टाइम्स' के संपादक के रूप में कार्य किया। उन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित 'विश्वमित्र' का संपादन भी किया। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक 'अर्जुन' के संपादन की जिम्मेदारी निभा कर उस अखबार को शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन् 1963 में उनका 63 साल में निधन हो गया।
- **आचार्य राम देव :** इनका जन्म 31 जुलाई, 1881 को लाहौर में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा भी लाहौर में ही हुयी। उन्होंने सर्वप्रथम 'आर्य पत्रिका' के संपादक के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की। अप्रैल, 1915 में गांधी जी जब पहले-पहल गुरुकुल पहुंचे थे तो मुन्शी राम के साथ ही रामदेव से भी काफी प्रभावित हुये थे। यह बात स्वयं गांधी जी ने अपने स्मरण में लिखी थी। उसके कुछ समय पश्चात वह गुरुकुल कांगड़ी के मुख्य अधिष्ठाता और आचार्य के पद पर नियुक्त हुये। बाद में उन्होंने गुरुकुल की पत्रिका 'दवैदिक मैग्जीन एंड गुरुकुल समाचार' का संपादन भी किया। 9 दिसम्बर, 1939 को देहरादून में आचार्य जी का देहावसान हुआ।
- **पं० रुद्र दत्त शर्मा :** मेधावी पत्रकार रुद्रदत्त शर्मा का जन्म धामपुर बिजनौर में हुआ था। उन्होंने देश की कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। वह दो साल तक हरिद्वार से प्रकाशित होने वाले 'सत्यवादी' के संपादक भी रहे।
- **पं० विनायक राव विद्यालंकार :** इनका जन्म सन् 1895 में हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा भी गुरुकुल कांगड़ी में ही हुयी। सन् 1946 से लेकर 1952 तक उन्होंने निजाम राज्य के साप्ताहिक मुखपत्र 'आर्यभानु' का संपादन किया। सन् 1962 में हैदराबाद में उनका निधन हुआ।

- **सत्यकाम विद्यालंकार :** इनका जन्म 1905 में लाहौर में हुआ था। गुरुकुल कांगड़ी से स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने 'अर्जुन' से पत्रकारिता की शुरुआत की। सरकार की दृष्टि में उस पत्र में कुछ आपत्तिजनक समाचार छपने के कारण उन्हें इन्द्र विद्यावाचस्पति के साथ जेल जाना पड़ा। आप ने सन् 1931 में दैनिक 'नवयुग' का संपादन करने के बाद देश बन्धु गुप्ता के 'तेज' की ओर से प्रकाशित 'विजय' साप्ताहिक तथा 'आपबीती' का संपादन भी किया। सत्यकाम ने 1950 में 'धर्मयुग' का संपादन किया। उनके संपादकत्व में 'धर्मयुग' ने लोकप्रियता की नयी ऊँचाइयों को छुआ। वह 1961 से लेकर 1971 तक 'नवनीत' पत्रिका गुजराती और मराठी संस्करणों के संपादक रहे।
- **सत्यदेव विद्यालंकार :** सत्यदेव जी का जन्म 9 अक्टूबर, 1897 में पंजाब में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा भी गुरुकुल कांगड़ी में ही हुयी। सत्यदेव ने गुरुकुल में पढ़ते समय 'राजहंस', 'अद्‌भुत', 'विजय दशमी' पत्रों के अलावा 'समालोचक' नामक हस्तलिखित पत्र भी निकाला। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के 'सद्धर्म प्रचारक' और 'श्रद्धा' के संपादन से पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। स्नातक उपाधि हासिल करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत इन्द्र विद्यावाचस्पति के मार्गदर्शन में की थी और उन्हीं के साथ 'विजय' पत्र में कार्य प्रारंभ किया था। वह दैनिक 'हिन्दुस्तान' के आदि संपादक माने जाते हैं और 'नव भारत टाइम्स' की शुरुआत भी सत्यदेव विद्यालंकार ने ही की थी। उसके बाद उन्होंने 'राजस्थान केसरी', 'प्रणवीर', 'मारवाड़ी', 'नवयुग' 'स्वतंत्र', दैनिक 'विश्वमित्र' एवं दैनिक 'अमर भारत' का संपादन कुशलतापूर्वक किया। 25 जनवरी, 1963 को उनका दिल्ली में देहावसान हुआ।
- **धीरेन्द्र कुमार विद्यालंकार :** गुरुकुल कांगड़ी के मेधावी स्नातक धीरेन्द्र कुमार ने भारतीय एवं विदेशी दूतावासों से निकलने वाले पत्रों का संपादन किया। उन्होंने 1939-51 तक 'वीर अर्जुन' के संपादकीय विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद 12 साल तक अमेरिकी दूतावास के साप्ताहिक पत्र 'अमेरिकन रिपोर्टर' में कार्य किया और उसी में हिन्दी संपादक के तौर पर कार्य करते रहे।
- **नरेन्द्र विद्यावाचस्पति :** इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद पत्रकारिता की दीक्षा 'अर्जुन' से प्राप्त की। नरेन्द्र जी ने नागपुर के दैनिक और साप्ताहिक 'लोकमत', बंबई के दैनिक हिन्दुस्तान (बाद में 'लोकमान्य'), साप्ताहिक 'छाया' तथा नागपुर की 'प्रतिमा' साप्ताहिक का संपादन करने के बाद साप्ताहिक हिन्दुस्तान में सह संपादक के रूप में भी कार्य किया।
- **विद्यासागर विद्यालंकार :** गुरुकुल कांगड़ी के छात्र विद्यासागर ने सबसे पहले 'अर्जुन' में संपादक तथा प्रबंधक के रूप में कार्य किया। इसके बाद वह 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संपादकीय विभाग में कार्यरत् रहे। उन्होंने बाद में नव भारती सहकार प्रकाशन प्रतिष्ठान की मासिक पत्रिका 'प्रकर' का भी संपादन किया।

- **सतीश (दत्तात्रेय) विद्यालंकार :** गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सतीश ने 1941 में हैदराबाद से प्रकाशित 'आर्यभानु' के संपादन के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने जयपुर के 'प्रभात', और 'लोकवाणी', दिल्ली के 'अमर भारत' तथा 'वीर अर्जुन' आदि अखबारों का संपादन किया। वह दिल्ली के दैनिक 'हिन्दुस्तान' के मुख्य उप संपादक भी रहे।
- **ब्रह्मदत्त विद्यालंकार :** कलम के धनी ब्रह्मदत्त ने 'जाग्रति', 'लोकमत' आदि पत्रों का संपादन किया। उन्होंने 'नव भारत टाइम्स' में उप-संपादक अग्रलेख लेखक के तौर पर भी कार्य किया। विभिन्न योजना-परियोजनाओं आदि के बारे में रिपोर्ट लिखने में उनको महारत हासिल थी।

गुरुकुल कांगड़ी परिवार के इन पत्रकारों के अलावा भी इस कुनबे ने कई मूर्धन्य पत्रकारों को जन्म दिया। स्थानाभाव के कारण इतनी सभी विभूतियों का अलग से परिचय देना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिये केवल उनके नाम ही इस पुस्तक में देने की विवशता है। इनमें दैनिक 'आज' और 'नवजीवन' में कार्य कर चुके सुभाष चन्द्र विद्यालंकार, 'वीर अर्जुन', 'धर्मयुग' एवं 'मिलाप' के संपादकीय विभागों में रहे उदयवीर विराज विद्यालंकार, हिन्दी स्क्रीन से पत्रकारिता जगत में प्रवेश करने वाले नारायण दत्त विद्यालंकार, 'वीर अर्जुन' तथा 'जनसत्ता' में रहे देवेन्द्र कुमार विद्यालंकार, 'गुरुकुल' तथा 'आर्य' के संपादक रहे हरिवंश विद्यालंकार आदि कई पत्रकार शामिल है। इन विभूतियों के अलावा भी वेदराज वेदालंकार 1945-47 में बनारस और कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'सात्विक जीवन' के संपादक रहे। उन्होंने कुछ समय तक 'हिन्दुस्तान' के संपादकीय विभाग में भी कार्य किया। डॉ० जयकृष्ण विद्यालंकार ने केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा की त्रैमासिक पत्रिका 'गवेशणा' का संपादन किया। सच्चिदानंद विद्यालंकार पटना के 'प्रदीप' दैनिक पत्र के उप संपादक रहे। कविराज पुरुषोत्तम देव आयुर्वेदालंकार ने आयुर्वेद संबंधी पत्रिका का संपादन किया था। जगदीश आयुर्वेदालंकार पंजाब लाहौर से प्रकाशित 'आर्य' में उप संपादक रहे तथा बाद में उन्होंने दैनिक ट्रिब्यून में मुख्य उप संपादक के रूप में भी कार्य किया। रवींद्र आयुर्वेदालंकार अरविन्द आश्रम के 'पुरोधा' तथा 'अग्निशिखा' के संपादक रहे। विद्यारत्न वेदालंकार 'नवभारत टाइम्स' के संपादकीय विभाग में उप संपादक रहे। यशपाल वेदालंकार दिल्ली के 'हिन्दुस्तान' अखबार के संपादकीय विभाग में लंबे समय तक कार्यरत् रहे। सत्यभूषण योगी वेदालंकार ने शिमला से प्रकाशित होने वाले 'प्रदीप' के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। सुरेश चन्द्र वेदालंकार ने गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले 'आरोग्य' के संपादक के रूप में कार्य किया।

❑❑

संदर्भ दो

किसी भी युग का अखबार तत्कालीन समाज का दर्पण होता है। उस अखबार में उस कालखंड की समस्त सामाजिक गतिविधियां दर्ज होती हैं। अगर हम स्वाधीनता आन्दोलन के अखबारों का उल्लेख कर रहे हैं तो हमें आईने की तरह उस दौर का सारा घटनाक्रम इन अखबारों में नजर आता है। स्वाधीनता संग्राम के काल खण्ड में उत्तराखंड में जन्मे अखबारों में हमें आन्दोलन की झलक तो मिलती ही है साथ ही अखबारों और उस महान राष्ट्रीय संकल्प के बीच अन्तर्संबंधों की जानकारी भी मिलती है। उस समय के अखबारों पर स्वाधीनता संग्राम की छाप और स्वाधीनता संग्राम पर उन अखबारों की छाप साफ नजर आती है।

उत्तराखंड में आजादी की मशाल प्रज्ज्वलित करने वाले शक्ति, कर्मभूमि, अल्मोड़ा अखबार, निर्बल सेवक, अभय जैसे कई अखबारों का उदय हुआ, तो उस दौर में उत्तराखंड की पत्रकारिता के आकाश पर बदरीदत्त पांडे, मोहन जोशी, अमीर चंद बंबवाल, राजा महेन्द्र प्रताप, हुलास वर्मा जैसे महान स्वाधीनता संग्रामी पत्रकार भी अवतरित हुये। प्रस्तुत खण्ड का उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम के दौर की पत्रकारिता का उल्लेख कर नयी पीढ़ी को परिचय कराना एवं उसमें नयी चेतना का विकास करना है। ....

* गढ़वाली *

मासिक पत्र

The Garhwalee.

(विषय सूची)

दिसम्बर १९३२

विशाल-कीर्ति
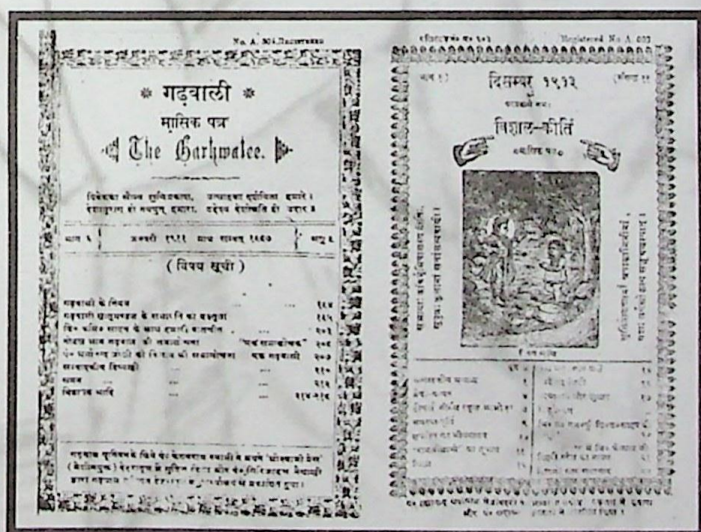
उत्तराखण्ड में स्वतंत्रता आन्दोलन

भारतीय पत्रकारिता का उदय राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए ही हुआ था। व्यावसायिक उद्देश्यों से दूर त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना उस दौर की पत्रकारिता में समाहित थी। सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से भारतीय पत्रकारिता ने समाज को नयी दिशा दी तथा उसे अतीत के गौरव से भी परिचित कराया। उपनिवेशवादी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झण्डा तो 1857 की गदर से ही शुरू हो गया था, मगर निर्णायक आन्दोलन सन् 1919-20 से ही शुरू हुआ जो कि 1947 में मुकाम तक पहुंचने के बाद ही थमा। सन् 1815 में टिहरी रियासत को छोड़ कर गढ़वाल का बाकी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन आने के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाने लगा था। किसी प्रबल विरोध के अभाव में अविभाजित गढ़वाल के राजकुमार सुदर्शनशाह को कंपनी ने आधा गढ़वाल देकर मना लिया, परन्तु चंद शासन के उत्तराधिकारी यह स्थिति भी प्राप्त न कर सके। उत्तराखण्ड का टिहरी रियासत वाला हिस्सा तो कभी प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं रहा, इसलिये वहां उस हुकूमत के खिलाफ आक्रोश न भड़कना और लम्बे समय तक गोरखों के चंगुल से पंवार वंश की सत्ता की बहाली पर जनता का सन्तुष्ट रहना स्वाभाविक ही था। लेकिन शेष उत्तराखण्ड में भी 1815 के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत आ सकी थी और लोग आततायी गोरखा सैन्य शासन (गोरख्याणी) की तुलना में अंग्रेजों को कम आतताई समझ रहे थे। देखा जाय तो 'गोरख्याणी' के जुल्मों से त्रस्त उत्तराखण्डवासी अंग्रेजों को मुक्तिदाता समझ बैठे थे। शायद यही कारण रहा कि भारत की पहली आजादी की लड़ाई या गदर का उत्तराखण्ड पर कम असर रहा। सन् 1857 की गदर के बाद अंग्रेज मसूरी और नैनीताल को अपने लिये सबसे सुरक्षित महसूस करने लगे थे।
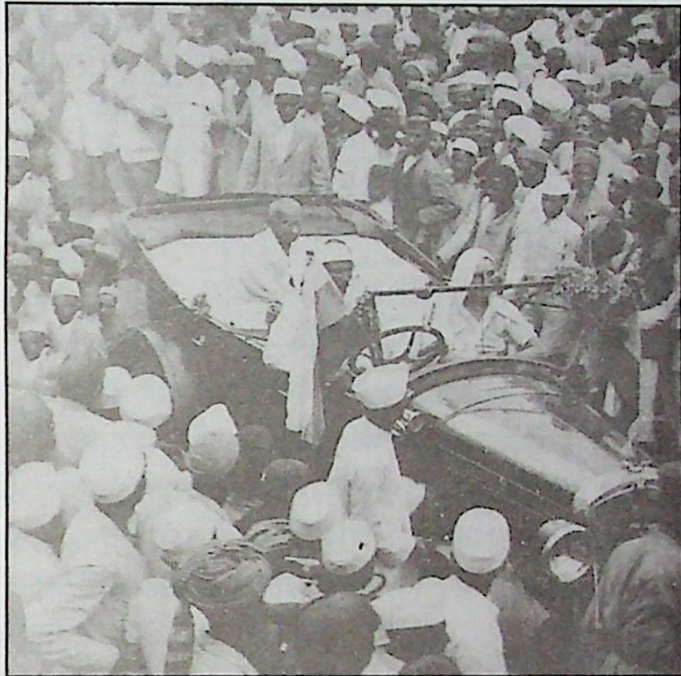
जून 1929 में महात्मा गांधी अल्मोड़ा में।

अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो सन् 1815 से 1857 तक यहाँ कंपनी शासन का दौर सामान्यत: शान्त और गतिशीलता से वंचित शासन के रूप में नजर आता है। सन् 1856 से 1884 तक ब्रिटिश शासित उत्तराखण्ड हेनरी रैमजे के शासन में रहा तथा यह युग ब्रिटिश सत्ता के शक्तिशाली होने के काल के रूप में पहचाना गया। हालांकि उस दौरान भी कुमाऊँ में बरमदेव थाने पर हमले के बाद कालू मेहरा, बिशनसिंह करायत और आनन्द सिंह फड़त्याल को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। फिर भी उत्तराखण्ड बीसवीं शताब्दी के शुरू होते ही उपनिवेशवाद के खिलाफ अंगड़ाई लेने लगा। हम यह भी कह सकते हैं कि सम्पूर्ण भारत के साथ ही उत्तराखण्ड के गढ़वाल और कुमाऊँ में भी बीसवीं सदी के बीस के दशक से ही राष्ट्रीय आन्दोलन ने अंगड़ाई लेनी शुरू की। सन् 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अल्मोड़ा के नंदा देवी नामक स्थान पर विरोध सभा हुयी। इसी वर्ष कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उत्तराखण्ड से हरगोविन्द पंत, बैरिस्टर मुकुन्दीलाल, गोविन्द बल्लभ पंत और बदरी दत्त पांडे आदि युवक भी सम्मिलित हुये। उसी दौरान सन् 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वन्देमातरम्, जिसका उच्चारण ही तब देशद्रोह माना जाता था, का कुमाउंनी अनुवाद किया। उस समय भारत में ही नहीं बल्कि चीन, स्पेन और इटली जैसे बाहरी देशों में भी गृहयुद्ध चल रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंन्दोलन की एक इकाई के रूप में उत्तराखण्ड में स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1913 के कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखण्ड के ज्यादा प्रतिनिधि सम्मिलित हुये। इसी वर्ष उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये गठित 'टम्टा सुधारिणी सभा' का रूपान्तरण एक व्यापक 'शिल्पकार महासभा' के रूप में हुआ। शेखर पाठक (पहाड़-2-1986-उत्तराखण्ड में सामाजिक आन्दोलनों की रूप रेखा) के अनुसार औपनिवेशिक काल से ही आधुनिक संस्थाओं तथा संगठनों के जन्म, प्रेस की स्थापना तथा स्थानीय पत्रकारिता का इतिहास जुड़ा है। डिवेटिंग क्लब, अल्मोड़ा (1870), गढ़वाल यूनियन तथा गढ़वाल हितकारिणी सभा, देहरादून (1901), हैप्पी क्लब, अल्मोड़ा (1902), सरोला सभा (1904), टमटा सुधारिणी सभा (1905), गढ़वाल भ्रातृमंडल (1907), युवक संघ, पौड़ी (1908-09), शिल्पकार सभा (1913), प्रेम सभा, काशीपुर (1914), कुमाऊं परिषद (1916), क्षत्रिय सभा (1919), गढ़वाल परिषद (1918), कुमाऊँ राजपूत परिषद (1948) आदि संगठनों का तत्कालीन दौर में सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
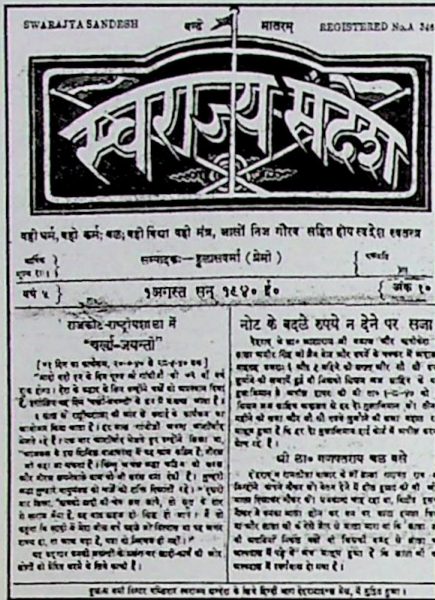
SWARAJYA SANDESH वन्दे मातरम् REGISTERED No.A 346

स्वराज्य संदेश

सम्पादक:—कृष्णदत्त शर्मा (प्रेमी)

वर्ष ५ } १ अगस्त सन् १९४० ई० { अंक १०

नोट के बदले रुपये न देने पर सजा

कांग्रेस बुलेटिन

अल्मोड़ा जिला राजनैतिक सम्मेलन

का

ऐतिहासिक अधिवेशन।

सभापति आचार्य नरेन्द्र देव जी का 3 मील लम्बा जुलूस

पंजाब में जलियांवाला बाग काण्ड के बाद कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में आ गयी थी। उसी समय उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल में बदरीदत्त पांडे और हरगोविन्द पन्त आदि और गढ़वाल में बैरिस्टर मुकुन्दी लाल तथा अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने कुली बेगार आन्दोलन छेड़ दिया था। कुमाऊँ मण्डल में अल्मोड़ा और बाद में नैनीताल और गढ़वाल में देहरादून तथा पौड़ी स्वाधीनता आन्दोलन के केन्द्र बन गये थे। आन्दोलन के मुख्य केन्द्र देहरादून और अल्मोड़ा में अखबारों ने आन्दोलन में न केवल उत्प्रेरक बल्कि दिग्दर्शक और आग में घी का जैसा काम किया। सन् 1916 के सितम्बर, माह में हरगोविन्द पंत, गोविन्द बल्लभ पंत, बदरी दत्त पांडे, इन्द्रलाल साह, मोहन सिंह दड़मवाल, चन्द्र लाल साह, प्रेम बल्लभ पांडे, भोलादत पांडे और लक्ष्मीदत्त शास्त्री आदि उत्साही युवकों के द्वारा कुमाऊँ परिषद की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन उत्तराखण्ड की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजना था। सन् 1926 तक इस संगठन ने उत्तराखण्ड में स्थानीय सामान्य सुधारों की दिशा के अतिरिक्त निश्चित राजनैतिक उद्देश्य के रूप में संगठनात्मक गतिविधियां संपादित कीं। सन् 1923 तथा 1926 के प्रान्तीय काउन्सिल के चुनाव में गोविन्द बल्लभ पंत, हरगोविन्द पंत, मुकुन्दी लाल तथा बदरी दत्त पांडे ने विपक्षियों को बुरी तरह पराजित किया। सन् 1926 में कुमाऊँ परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कर दिया गया। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा के तत्काल बाद इसके विरोध में स्वर उठने लगे और जब 1928 में कमीशन देश में पहुंचा तो इसके विरोध में 29 नवम्बर, 1928 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 16 व्यक्तियों की एक टोली ने विरोध किया जिस पर घुड़सवार पुलिस ने निर्ममतापूर्वक डंडों से प्रहार किया। जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिये गोविन्द बल्लभ पंत पर हुये लाठी के प्रहार के शारीरिक दुष्परिणाम स्वरूप वे बहुत दिनों तक कमर सीधी नहीं कर सके थे। (विवरण नेहरू एन आटोबाइग्राफी से)। हालांकि राष्ट्रीय आन्दोलन 1920 के बाद ही सुलगा, मगर उससे पहले ही अल्मोड़ा, हरिद्वार और देहरादून जिलों में स्वाधीनता सेनानियों ने अंग्रेजों की तोप-तलवारों का मुकाबला अखबारों से करना शुरू कर दिया था। उस समय इस पर्वतीय भूभाग के ज्यादातर आन्दोलनकारी नेता पत्रकार या वकील ही थे।
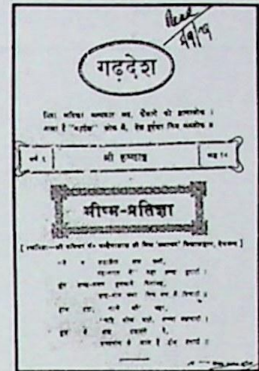
गढ़देश

ग्रीष्म-प्रतिज्ञा

आज़ादी का मोर्चा –

सरकार के वफ़ादार मुलाज़िमों से

पंजाब और उत्तर प्रदेश के मध्य में पड़ने के कारण जहां देहरादून में पेशावर और कश्मीर तक के आन्दोलनकारियों का आना-जाना होता था वहीं उत्तराखण्ड के रास्ते भी देहरादून और ऋषिकेश से ही गुजरते थे, इसलिये गढ़वाल और टिहरी रियासत के स्वतंत्रता

आन्दोलन का संचालन भी देहरादून से होता था। मसूरी, हरिद्वार और देहरादून जैसे तीन नगरों के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तथा तराई के लोगों का आवागमन भी बराबर इस क्षेत्र में होता रहा। देहरादून जेल में जवाहर लाल नेहरू जैसे देश के बड़े-बड़े नेता बन्द रहे। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रान्तिकारी ने देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया था और यहीं से उन्होंने 'निर्बल सेवक' नाम का अखबार शुरू किया था। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी रास बिहारी बोस एक जमाने में देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (एफ०आर०आइ०) में एक कर्मचारी के तौर पर काम करते थे और देहरादून में ही निवास करते थे। बाद में उन्होंने जापान जा कर वहां एक अखबार निकाला। प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक और कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल के सदस्य मानवेन्द्र नाथ राय ने देहरादून को ही अपना निवास स्थान बनाया। देहरादून के 13, मोहिनी रोड पर एम०एन० राय की कोठी आज भी मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार राधाकृष्ण कुकरेती के अनुसार स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने विश्वासपात्र खुर्शीद लाल के माध्यम से और लाल ने अपने मित्र ठाकुर कृष्ण सिंह परमार के माध्यम से उक्त कोठी का इन्तजाम राय के लिये कराया था। उन्होंने भी देहरादून से दो अखबार निकाले थे। यही नहीं एम०एन० राय ने टिहरी प्रजामण्डल के आन्दोलन में भी पूरा सहयोग दिया। पंजाब से लगा होने के कारण वहाँ के आन्दोलनों का प्रभाव उत्तराखण्ड और खासकर देहरादून पर भी पड़ता था। इसलिये जब रोलेट ऐक्ट का विरोध हुआ तो देहरादून ने भी उसमें दमदार भागीदारी निभाई थी।

शक्ति

साप्ताहिक पत्रिका

50/.

गढ़वाली सिपाही-विद्रोह (५९)

हिन्दुस्तान के बहादुर सिपाहियों और भारत माता के सपूतों! ४० करोड़ मनुष्यों की जन्मभूमि भारत माता सात समन्दर पार के मुट्ठी भर विदेशियों (गोरी चमड़ी) की गुलामी में जकड़ी हुई है। ३,४ लाख अंगरेज़ मां (भारत माता) की छाती पर दाल दल रहे हैं और आप (फौजों) के माथे पर यह कलंक लगाया गया है कि हिन्दुस्तानी फौजों के बल पर ही हिन्दुस्तान की गुलामी बनी हुई है। आपकी संगीनों के बल पर ही अंगरेजों का खूनी शासन कायम है क्या आप इस कलंक को न मिटायेंगे? कि हमारे ही भाई हमारे देश के दीवानों की छाती पर गोली चलायें। आप हमारे देश के सिपाही हैं, आपको हमारी रक्षा करनी है। क्या आप अपने निहत्थे भाइयों के खून से अपने पवित्र व बहादुर हाथों को रंगेंगे? समय आ गया अब कि आप को ढूंढ २ कर गोरी चमड़ी का नामो निशान मिटाकर देश से बाहर कर देना होगा। आपके बहादुर साथियों ने मिश्र और ईराक में विद्रोह कर दिया है। विद्रोह करना हर एक गुलाम का जाती पेशा है। सन् ५७ का सिपाही विद्रोह आपको याद होगा जिसने अंगरेजों के छक्के छुड़ा दिये थे। क्या बरमा की कहानी आपको याद नहीं है? इन जालिम अंगरेजों ने हम पर क्या २ गज़ब ढाये हैं, वे आपको मालूम हैं। जलियांवाला बाग, सरदार भगत सिंह आदि हमारे नौजवानों का बलिदान आपको पुकार रहा है। हवलदार चन्द्र सिंह आपको रास्ता बता चुका है। आज दुनियाँ के सभी मुल्क आजाद हैं या आजादी के लिये लड़ रहे हैं। रूस, चीन, फ्रांस आदि देशों के सिपाहियों ने जब समय आया, सरकार का साथ छोड़कर जनता का साथ दिया और आज़ादी हासिल की। आपको भी ऐसा ही करना चाहिये। आज़ादी हमेशा फौजें ही लाती हैं, लेकिन अब तक हमारी फौजें गुलामी लाती हैं। देश के पूज्य महात्मा गांधी और वीर बांका जवाहर लाल आज जालिमों की कैद में हैं। उनका आपके लिये यही पैगाम है कि आपका नाम व काम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। देश की पीड़ित जनता आशा भरी नज़र से आपकी ओर देख रही है।

महात्मा गांधी ने आपके लिये निम्न संदेश भेजा है :-

(१) पुलिस और फौज से हमारा निवेदन है कि वे अपना खून देश की बेड़ियों को तोड़ने के लिये बहावें न कि उनको मजबूत करने के लिये, उनकी संगीनें देश के दुश्मन पर चलें न कि देश के निहत्थे दीवानों पर। ब्रिटिश सरकार आपको आगे रखकर बदले भर की साथी है। आप की जान और आराम की कदर एक अंगरेज़ सिपाही की जान और आराम के पांचवें हिस्से के बराबर भी नहीं है जैसा कि उनकी और आपकी तनख्वाह से जाहिर है।

(२) हर एक हिन्दुस्तानी सिपाही अपने को कान्शेंस मैन माने। यदि ऐसा करने से उनको मदद किया जा सके तो उनकी खुशी व इस प्रकार के हुक्म को मानने से मना कर देना चाहिये। उनका कर्तव्य निहत्थों पर गोली चलाना, गैस फेंकना, या लाठी चार्ज करना नहीं है। [illegible] प्रत्येक देश के

पेशावर विद्रोह के बाद का एक पर्चा

उत्तराखण्ड में स्वाधीनता आन्दोलन को गति देने में लन्दन से बैरिस्टरी पढ़कर लौटे बुलाकी राम और मुकुन्दी लाल जैसे वकीलों, बाहर से आने वाले राजा महेन्द्र प्रताप, मानवेन्द्र नाथ राय, महावीर त्यागी और नरदेव शास्त्री, इलाहाबाद और लाहौर से पढ़कर आये तथा आन्दोलनकारियों की शागिर्दी

कर लौटे बदरीदत्त पांडे जैसे युवाओं के साथ ही मुंशी राम जैसे आर्य समाजियों तथा उनके शिष्यों ने अहम् भूमिका अदा की। ज्वालापुर का महाविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी का विद्यापीठ इन दोनों संस्थाओं ने स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन आर्यसमाजी संस्थाओं से निकले शिष्य बाद में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और मूर्धन्य पत्रकार बने। स्वाधीनता के जागरण का प्रभाव मंदिरों और मठों पर भी पड़ा। यहाँ के साधुओं और मठाधीशों ने भी आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। ऋषिकेश के महन्त परशुराम जैसे मठाधीशों और महन्तों का भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

एक क्रांति की कथा।
कुमाऊँ का कुली कलंक कैसे कटा।
बागेश्वर कांड का सच्चा इतिहास।
महात्मा गांधी जी के पत्र से उद्धृत।

अलमोड़ा अखबार

सन् 1920 में देहरादून में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष नरदेव शास्त्री 'वेदतीर्थ' थे और सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने की थी। विलायत से लौटने के बाद नेहरू का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। देहरादून के इस सम्मेलन में लाला लाजपत राय, किचलू तथा कई अन्य बड़े नेता शामिल हुये थे। बाद में असहयोग आन्दोलन के दौरान देहरादून के 80 सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ दीं थीं। उनमें से कुछ ने अखबार भी निकाले। देहरादून में ही 1922 में दूसरी राजनीतिक कान्फ्रेंस हुयी और उसके सभापति भी जवाहर लाल नेहरू ही थे। उस कान्फ्रेंस में बल्लभ भाई पटेल तथा चितरंजन दास जैसे अखिल भारतीय नेता पहुँचे थे। महात्मा गांधी ने देहरादून आने पर श्रद्धानन्द अनाथालय की आधारशिला रखी। सन् 1929 में जब महात्मा गांधी ने कुमाऊँ का दौरा किया तो विक्टर जोजफ मोहन जोशी उनके साथ रहे। उन्होंने गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक गांधी की डांडी को कन्धा दिया। गांधी ने जोशी को ए०आइ०सी०सी० का सदस्य भी बनाया। नेहरू के लिये देहरादून और देहरादून की जेल घर जैसे ही थे। सन 1929 में महात्मा गांधी की यह यात्रा 14 जून, को हल्द्वानी और ताकुला में भाषण से शुरू हुयी और 4 जुलाई तक चली। गांधी ताकुला में गोविन्द लाल साह के घर पर रहे। उनके साथ जवाहर लाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, जमना लाल बजाज और मीरा बहन आदि थे। कुमाऊँ यात्रा के दौरान गांधी ने हल्द्वानी, ताकुला नैनीताल, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा और कौसानी में कई

सभाओं को संबोधित किया। इससे पहले गांधी 1915 और 16 में हरिद्वार पहुंच गये थे। महामना मदन मोहन मालवीय का भी देहरादून से सम्पर्क बराबर बना रहा। बाद में बिजनौर से आकर महावीर त्यागी ने देहरादून को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया। ऐसा माना जाता है कि मोतीलाल नेहरू की 'इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी' की नींव भी देहरादून में ही पड़ी थी। गया में आयोजित कांग्रेस में जाने से पहले 'इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी' के सभी नेता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में देहरादून में एकत्रित हुये थे और वहीं पार्टी के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि गया कांग्रेस ने मात्र प्रस्ताव की पुष्टि की गयी थी। रोलेट ऐक्ट के विरोध में आन्दोलन की जो परम्परा उत्तराखण्ड में शुरू हुयी वह निरन्तर विकसित होती रही। उसके बाद देहरादून में नमक सत्याग्रह आन्दोलन भी बड़े दमदार तरीके से चला। जबकि गढ़वाल और कुमाऊँ के अन्य पहाड़ी इलाकों में कुली बर्दायश और वन आन्दोलन काफी अधिक भड़के। व्यक्तिगत सत्याग्रह, असहयोग और भारत छोड़ो आन्दोलनों ने उत्तराखण्ड के जनमानस को उद्वेलित कर दिया था और उन सभी आन्दोलनों को अखबार हवा देते रहे।

शिवरात्रि के मेलों में राष्ट्रीय कार्य की धूम

भिकियासैन में १४४ तोड़ी गयी।

समन और मुक़दमा।

20 फरवरी 1923 को भिकियासैण मेले में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा धारा 144 तोड़ने की खबर– इसका नेतृत्व हरगोविन्द पंत व मोहन जोशी ने किया

वास्तव में क्रांतिकारी आजादी के लिये अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों के खिलाफ बंदूक, तलवार जैसे हथियारों से लड़ रहे थे किंतु क्रांति का हर प्रयास विफल हो रहा था। सन् 1857 की गदर में भी यही हुआ। इसी दौर में हथियारों से परे आजादी की अलख जगाने का जिम्मा कलमकारों ने अपने जिम्मे लिया और कलम की ताकत कुछ ऐसी चमकी कि मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी को कहना पड़ा–*'खींचों न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो'*। वास्तव में आजादी की लड़ाई में अखबार अंग्रेजों के खिलाफ तोप–तलवार से ज्यादा कारगर हुये।

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही साहित्य की सदैव समाज में प्रमुख भूमिका रही है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान पत्र–पत्रिकाओं में विद्यमान क्रान्ति की ज्वाला क्रान्तिकारियों से कम प्रखर नहीं थी। इनमें प्रकाशित रचनायें जहाँ स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक मजबूत आधार प्रदान करती थीं, वहीं लोगों में बखूबी जन जागरण का कार्य भी करती थीं। गणेश

शंकर विद्यार्थी, साहित्य और पत्रकारिता के ऐसे ही शीर्ष स्तम्भ थे, जिनके अखबार 'प्रताप' ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभायी। 'प्रताप' के जरिये न जाने कितने क्रान्तिकारी स्वाधीनता आन्दोलन से रूबरू हुए, वहीं समय-समय पर यह अखबार क्रान्तिकारियों हेतु सुरक्षा की ढाल भी बना। इसी तरह पंजाब का 'जिमींदार' और कलकत्ता के 'युगान्तर' के अलावा कई मराठी और अन्य भाषायी अखबारों ने अंग्रेजी कुशासन की जम कर खिलाफत की जिसका खामियाजा उनके सम्पादकों को जेल की सजा और भारी भरकम जुर्माने के तौर पर भुगतना पड़ा। ये अखबार आन्दोलन सम्बन्धी समाचारों को दूर-दूर तक फैला कर लोगों को आन्दोलन में भाग लेने के लिये प्रेरित करने के साथ ही आन्दोलन को दिशा भी देते थे। दरअसल पत्रकारों और पत्रकारिता ने सम्पूर्ण भारत के साथ ही उत्तराखण्ड में भी स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को दावानल का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। स्वाधीनता आन्दोलन की पत्रकारिता का एक रोचक पहलू यह भी था कि भारत में अखबारी पत्रकारिता का श्रीगणेश करने वाले अंग्रेज ही थे तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अखबारों के माध्यम से चिंगारी छोड़ने वाले भी और कोई नहीं बल्कि अंग्रेज ही थे। भारत में मुद्रित अखबारों के युग की शुरुआत करने वाले ऑगस्टस हिक्की ने पहली बार पत्रकारिता के माध्यम से उपनिवेशवादी शासन की खिलाफत शुरू की तो उत्तराखण्ड में भी एक अंग्रेजी का अखबार 'मसूरी टाइम्स' और उसका अंग्रेज सम्पादक जॉनसन पीछे नहीं रहा और उसे अपनी हिमाकत का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हालांकि 'मसूरी टाइम्स' से पहले ही देहरादून और अल्मोड़ा के कलमकार भी अंग्रेजों की तोपों का मुकाबला अखबारों से करने लगे थे, फिर भी सामाजिक चेतना जगाने और ब्रिटिश नौकरशाही की ज्यादतियों की खिलाफत में अंग्रेजों के इन अखबारों का योगदान कम नहीं था। उस दौर में 'समय विनोद' के बाद सबसे दीर्घजीवी और सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले 'अल्मोड़ा अखबार' को निकालने की प्रेरणा भी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर विलियम म्यूर ने ही दी थी।

सन्देश

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक

रणचण्डी से

कोटद्वार से निकलनेवाला साप्ताहिक 'सन्देश', 18 दिसम्बर 1938

❑❑
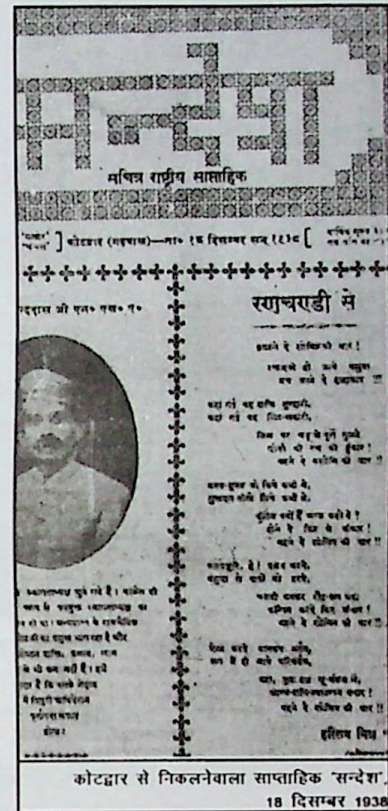
स्वाधीनता आन्दोलन में अंग्रेज पत्रकारों की भूमिका

'बंगाल गजट' या 'कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर' के सम्पादक और प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने न केवल भारत में अखबारी दुनिया की बुनियाद रखी बल्कि सत्ता के खिलाफ और खास कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी की जिसका खामियाजा उसे जेल की सजा और अन्य सरकारी दमनात्मक कार्रवाहियों के रूप में भुगतना पड़ा। व्यवस्था से लड़ते-लड़ते आखिरकार अखबार के साथ ही हिक्की की जीवनलीला भी समाप्त हो गयी।

भारत में अखबारी पत्रकारिता के जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की।

हिक्की के बाद दूसरे अंग्रेज, जेम्स सिल्क बकिंघम ने उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ और खास कर दास प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। बकिंघम ने 'कलकत्ता जर्नल' (1818) निकाला। लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1823 में उसे भारत से निकाल कर वापस ब्रिटेन भेज दिया। बकिंघम ने अपना पत्र जिन दो सहयोगियों को सौंपा था उनमें एक हिन्दुस्तानी और दूसरा अंग्रेज था। उस अंग्रेज को भी तत्कालीन कम्पनी सरकार विरोधी सामग्री छापने के कारण भारत निकाला दे दिया गया। बकिंघम ने लन्दन पहुंचने के बाद भी भारत में प्रेस की आजादी के लिये मुहिम नहीं छोड़ी। वहां उसने 'ओरियेण्टल हेराल्ड' निकाला जिसके लेख कलकत्ता जर्नल में दुबारा छपते थे। भारत में ब्रिटिश शासकों में तत्कालीन गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मैटकॉफ पत्रकारों की बिरादरी में सबसे लोकप्रिय रहा जो कि भारतीय प्रेस को दबाने या अंकुश लगाने का पक्षधर नहीं रहा। उसके बाद ही 'टाइम्स आफ इण्डिया' आदि कई अखबार अस्तित्व में आये।
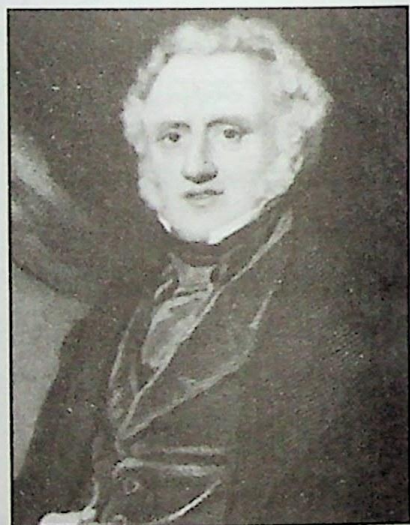
जेम्स सिल्क बकिंघम।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बी०जी० हार्नमैन ने 'बाम्बे क्रॉनिकल' निकाला। वह पत्र भी उपनिवेशवाद विरोधी और भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक था। आखिरकार हॉर्नमैन को भी अंग्रेजी हुकूमत ने उसके उग्र विचारों के चलते भारत

से देश निकाला दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक एनी बिसेण्ट भी अंग्रेज थीं और उन्होंने भी 'न्यू इण्डिया' नाम का पत्र निकाला था, जो कि भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का घोर समर्थक था।

बी०जी० हॉर्नीमैन, संपा. बोम्बे क्रोनिकल, (मुंबई)।

सन् 1930 के आसपास मसूरी में जनकल्याणार्थ धन जुटाने के लिये एक उत्सव या मेले का आयोजन किया गया। उस मेले के बारे में 'द मसूरी टाइम्स' के सम्पादक ने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि स्थानीय अंग्रेज मैजिस्ट्रेट की पत्नी ने मेले में एकत्र राशि से शराब के जाम और अपने लिये वस्त्र खरीद लिये। उन दिनों मसूरी में 'क्राइटेरियन रेस्तरां' नाम से एक जाना माना मिलन स्थल या गपशप केन्द्र होता था। एक शाम उस रेस्तरां में अचानक स्थानीय मैजिस्ट्रेट पहुंचा और उसने 'द मसूरी टाइम्स' के सम्पादक को तलब कर उसकी अच्छी खासी खबर ले ली। दरअसल उस दौर में अगर कोई अखबार 'द मसूरी टाइम्स' की तरह सीधे मैजिस्ट्रेट की पत्नी पर टिप्पणी करने जैसी हिमाकत करता था तो उसे दी जाने वाली छपाई का काम रोक दिया जाता था या फिर उसके विज्ञापन बन्द कर दिये जाते थे। इस प्रकार सरकारी मशीनरी का प्रयास होता था कि अखबारों में वही छपे जो कि वह चाहती है। मजबूरी में कई सम्पादकगण अक्सर हालात से समझौता कर लेते थे।

❑❑

स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखण्ड के अखबार

देश में पत्रकारिता का बीज जैसे ही अंकुरित होना शुरू हुआ, उत्तराखण्ड में भी उसका जन्म और विकास शुरू हो गया। शुरुआती अंग्रेज सम्पादकों के बाद भारत में मोहनदास कर्मचन्द गांधी, जी०ए० नतेशन (इण्डियन रिव्यू), बाल गंगाधर तिलक (केशरी) आदि ने पत्रकारिता को हथियार बना कर अंग्रेजी शासन का मुकाबला किया। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता की शुरूआत दक्षिण अफ्रीका से कर दी थी। वहाँ उन्होंने 'इण्डियन ओपीनियन' की स्थापना की। भारत लौटने पर गांधी ने अंग्रेजी में 'यंग इण्डिया' और गुजराती में 'नवजीवन' अखबार शुरू किये। सन् 1933 में गांधी जी ने अपना विख्यात अखबार 'हरिजन' शुरू किया। उसके बाद भारत की स्वाधीनता और समाजोत्थान के लिये समर्पित कई अखबार देशभर से निकले जिनमें लखनऊ का 'नेशनल हेराल्ड', कलकत्ता से अंग्रेजी में ही 'हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड' और बांग्ला में 'जुगान्तर', दिल्ली से 'डॉन', बम्बई से 'ब्लिट्ज' मैगजीन और 'लोकसत्ता', मदुरई से तमिल में 'दिनामनी' और पटना से अंग्रेजी का 'द सर्चलाइट' आदि कई अन्य शामिल हैं। सन् 1896 में गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे तो 5 जुलाई, को इलाहाबाद में उनकी गाड़ी छूट गई। अब उन्हें अगले दिन ही गाड़ी मिलनी थी। इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने जिस पहले व्यक्ति से भेंट की वह पायनियर अखबार के संपादक मिस्टर चेज़्नी थे। इससे साबित होता है कि गांधी जी अखबारों की ताकत से शुरू से परिचित थे।
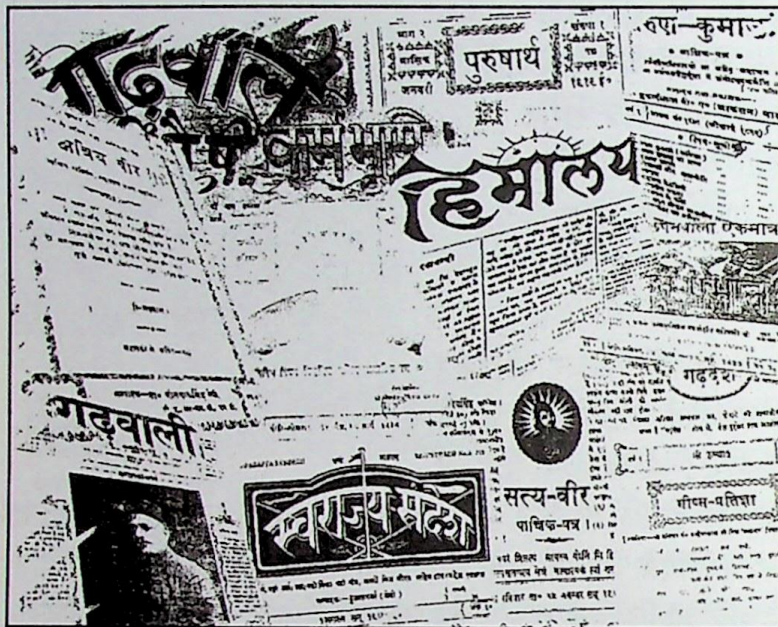
बीसवीं सदी के आरम्भ से ही उत्तराखण्ड के अखबारों में सुधारों की छटपटाहट, विचारों की स्पष्टता और आजादी की कुलबुलाहट प्रकट होने लगी थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के उभार के साथ-साथ स्थानीय पत्रकारिता में अधिक आक्रामकता, अधिक आक्रोश और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की प्रबल इच्छा साफ-साफ दिखाई देने लगी थी।

उत्तराखण्ड में पत्रकारिता के विकास की प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया के समानान्तर रही है। जब यहाँ 1815 में गोरखों के अत्याचारी शासन का अन्त ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया तो शुरूआत में अंग्रेजों का स्वागत हुआ, क्योंकि तब गोरखों के आतताई शासन से उत्तराखण्ड की जनता त्रस्त थी। हालांकि इस बीच भी 1815 से लेकर 1857 तक कंपनी के शासन के दौर में भी उत्तराखण्ड के कवियों मौलाराम (1743-1833) गुमानी (1779-1846) एवं कृष्णा पांडे (1800-1850) आदि की कविताओं में असन्तोष के बीज मिलते हैं। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार कैप्टन शूरवीर सिंह पंवार कवि मौलाराम को राष्ट्रभक्त नहीं मानते थे। उन्होंने मौलाराम के छन्द संख्या 429 और 434 का हवाला देते हुए उन्हें आतताई गोरखा आक्रमणकारियों का समर्थक साबित किया है।

चुंगी बोर्ड व राष्ट्रीय झंडा।

अल्मोड़ा में डायरशाही दृश्य

अधिकारियों की नृशंसता।

शक्ति का 21 मई, 1931 का अंक।

स्वदेशी भाषा के अखबारों में भले ही 'समय विनोद' उत्तराखण्ड का पहला अखबार था। मगर उसका लक्ष्य पूरी तरह आजादी के आन्दोलन के लिये समर्पित न हो कर बहुमुखी था। आप कह सकते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य समाजोत्थान ही था। कुछ विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि अपने नाम के अनुरूप उसका लक्ष्य समय व्यतीत करने के लिये 'मनो विनोद' करना था। 'समय विनोद' यदाकदा परिस्थितियों के अनुसार सरकार और उसकी मशीनरी पर कटु टिप्पणियाँ भी कर लेता था। अखबार ने 1 मई, 1872 के अंक में गढ़वाल के अकाल पीड़ितों की दुर्दशा को बखूबी उजागर किया। इसी अखबार ने एक समुदाय द्वारा कन्याओं की वैश्यावृति के लिये बिक्री पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने का स्वागत भी किया। डॉ० अनिल कुमार जोशी के शोध प्रबन्ध 'रोल ऑफ न्यूज पेपर्स आफ कुमाऊँ इन नेशनल मूवमेण्ट (1999)' के अनुसार उस समय कुमाऊँ के नायक समुदाय में यह कुप्रथा थी। 'समय विनोद' ने 1 मार्च, 1877 के अंक में लिखा था कि महारानी की 1858 की घोषणा के अनुरूप स्थानीय समुदाय को समुचित रोजगार नहीं मिल रहा है। उस अखबार ने अल्मोड़ा में गलत ढंग से गृहकर वसूलने के मामले को भी उठाया था।

स्वाधीनता आन्दोलन पर उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से डॉ० शेखर पाठक आदि द्वारा संपादित 'सरफरोशी की तमन्ना' ग्रन्थ (पृष्ठ-164-165) में कहा गया है कि, 'उत्तराखण्ड

के संदर्भ में स्थानीय आन्दोलनों और राष्ट्रीय संग्राम के सम्बन्धों को तीन महत्वपूर्ण तत्वों ने निर्धारित किया था। पहला तत्व स्थानीय पत्रकारिता था, जो उत्तराखण्ड निवासियों को स्थानीय तथा राष्ट्रीय कम से कम दो खुली खिड़कियां मुहैया कराता था। कभी-कभी तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय खिड़की भी नजर आती थी। 'अल्मोड़ा अखबार' (1871-1918) 'गढ़वाल समाचार' (1902-04, 1913-15) 'गढ़वाली' (1905-51) 'शक्ति' (1918 से), 'तरुण कुमाऊँ' (1922-23), 'स्वाधीन प्रजा' (1930-33), 'कर्मभूमि' (1937 से), 'जागृत जनता' (1938 से) तथा 'युगवाणी' (1947 से) आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदार, सरकार परस्त पत्रकारिता को प्रखर राष्ट्रवादी और निर्भीक क्षेत्रीय पत्रकारिता में बदलते हुये स्पष्ट देखा जा सकता है। साथ ही 'समता' जैसे पत्रों ने दलितों के बीच चेतना और संगठन का कठिन काम किया तो 'गढ़वाली' तथा 'कुमाऊँ कुमुद' ने भी अनेकों बार सामाजिक राजनैतिक प्रश्नों पर स्पष्ट राय प्रकट की थी।' इतिहास के विद्वानों द्वारा लिखी गयी 'सरफरोशी की तमन्ना' जैसे दस्तावेज में 'कर्मभूमि' का प्रकाशन वर्ष 1937 बताया गया है जबकि सही वर्ष 1939 था। इन विद्वानों ने बैरिस्टर बुलाकी राम के "कास्मोपालिटन" अखबार का भी उल्लेख नहीं किया जो कि सम्भवतः उत्तराखण्ड का पहला स्वतंत्रता समर्थक अखबार था। राजा महेन्द्र प्रताप का 'निर्बल सेवक' भी अल्मोड़ा अखबार से पहले आजादी के गीत गाने लगा था। अल्मोड़ा अखबार भी शुरू में देहरादून की "गढ़वाली प्रेस" से ही छपता था।

किसी भी आक्रमण का मुकाबला करेंगे

जागृत जनता का 10 मार्च, 1942 का अंक।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित कराई गई 'सरफरोशी की तमन्ना' में आगे कहा गया है कि—'अल्मोड़ा अखबार' (अन्तिम 6 साल) 'गढ़वाली', 'शक्ति', 'तरुण कुमाऊँ', 'स्वाधीन प्रजा', 'कर्मभूमि' तथा 'युगवाणी' आदि से संग्रामी समूह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। इन पत्रों का लगभग प्रत्येक सम्पादक जेल गया या सामाजिक आन्दोलन में सक्रिय रहा और स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण स्तम्भ भी रहा था। 'शक्ति' के सम्पादक बदरीदत्त पांडे, मनोहर पन्त, दुर्गादत्त पांडे, मोहन जोशी, रामसिंह धौनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी, देवी दत्त तिवाड़ी तथा देवी दत्त पन्त आदि सभी प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक आन्दोलनों के प्रमुख व्यक्तित्व थे। इसी तरह स्वाधीन प्रजा के विक्टर मोहन जोशी और कृष्णा नन्द शास्त्री 'जागृत जनता'

के 'पीताम्बर दत्त पांडे' और 'कर्मभूमि' के भैरव दत्त धूलिया, भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन तथा ललिता प्रसाद नैथाणी आदि प्रखर संग्रामी और संगठनकर्ता थे। 'युगवाणी' का प्रारम्भ ही प्रजा मण्डल के कार्यकर्ताओं, नेताओं-भगवती प्रसाद पांथरी तथा गोपेश्वर कोठियाल आदि ने किया। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 'गढ़वाली' के सम्पादक जेल अवश्य गये मगर उनकी जेल यात्राओं का स्वतंत्रता संग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं था।

तीन तरह के अखबार

आजादी से पहले उत्तराखण्ड से निकलने वाले समाचार पत्रों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनमें पहली श्रेणी में सरकार समर्थक अखबारों को रखा जा सकता है जिनमें राय बहादुर पीताम्बर दत्त पसबोला का 'हितैषी' भी एक था। मुंशी हरि प्रसाद टमटा का 'समता' भी लगभग सरकार समर्थक ही था। उसे ब्रिटिश सरकार के राज में ही दलितोत्थान नजर आता था। दूसरी श्रेणी में सरकार विरोधी पत्र थे जिनमें राजा महेन्द्र प्रताप का 'निर्बल सेवक', 'अल्मोड़ा अखबार', 'शक्ति', 'स्वाधीन प्रजा', 'जाग्रत जनता', 'कर्मभूमि', 'स्वराज संदेश', 'रणभेरी', स्वामी विचारानन्द सरस्वती का 'अभय', चन्द्रमणि विद्यालंकार के 'हिमालय' और 'दून समाचार', मानवेन्द्र नाथ राय के 'रेडिकल ह्यूमनिस्ट' और अंग्रेजी का 'इण्डिपेण्डेण्ट इण्डिया' आदि अखबार शामिल थे। तीसरी श्रेणी में 'गढ़वाली' जैसे अखबार थे जो के समाजोत्थान, देशोन्नति और कुरीतियों पर केन्द्रित थे। हालांकि 'गढ़वाली' ने भी कुली बेगारी और बरदायश के खिलाफ जम कर लिखा। 'गढ़वाली' ने अपने 4 जून, 1921 के अंक में लिखा था कि—

"शक्ति"

विजय—पत्र

गढ़वाली

साप्ताहिक-पत्र

भाग २ पुरुषार्थ संख्या १

मासिक पत्र

जनवरी १६१६ ई०

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

विषय-सूची
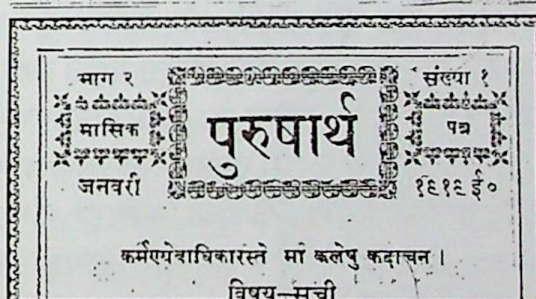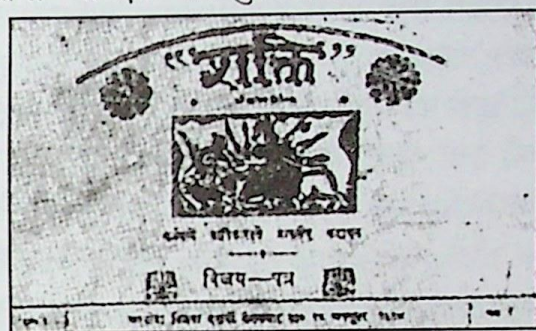
"अफवाह है कि सरकार प्रजा को बहुत से अधिकार जंगलों का देने का विचार कर रही है। परन्तु कुमाऊँ को इन पूरे अधिकारों को मिलने की उतनी आशा नहीं जितनी तब होती जब मि० विंढम और जोध सिंह कुमाऊँ की जंगलात कमेटी में न होते। जंगलात कमेटी में जनता के प्रतिनिधियों की आवश्यकता कुमाऊँ प्रान्त की जनता के लिये महत्व की है। जंगलात की सख्ती और कड़े नियमों के कारण, अल्मोड़ा और नैनीताल की जनता को जो कष्ट हैं, उसकी यदि एक फेहरिस्त दी जाय तो 'गढ़वाली' के कई पृष्ठ भर जाएं।

जंगलात के दु:खों से जनता बहुत तंग हो गयी है। कमेटी के संगठन में सरकार ने अदूरदर्शिता दिखाई है।"

सन् 1920 से लेकर 1947 तक गढ़वाल और कुमाऊँ में स्वाधीनता आन्दोलन अपने चरम पर रहा। उस समय गढ़वाल में बैरिस्टर मुकुन्दी लाल और अनुसूया प्रसाद बहुगुणा तथा कुमाऊँ में बदरीदत्त पांडे आदि के नेतृत्व में कुली बेगार विरोधी आन्दोलन चला। ये सभी किसी न किसी रूप में अखबारों से जुड़े रहे। गढ़वाल में इन 27 सालों में कुल 9 नये अखबार निकले। कुली बेगार के मामले में 'शक्ति' और 'गढ़वाली' के परस्पर विरोधी विचार रहे हैं। कुमाऊँ परिषद और खासकर बदरीदत्त पांडे के 'शक्ति' ने जहाँ कुली, उतार, बेगार और बर्दायश को गैरकानूनी और गुलामी का प्रतीक माना वहीं 'गढ़वाली' का मानना था कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। 'गढ़वाली' कुलियों को समुचित मजदूरी देने का हिमायती था। 'गढ़वाली' में कुली ऐजेंसी को एक ट्रेड यूनियन ही नहीं बल्कि स्वराज और रोजगार की दृष्टि से कामधेनु बताया गया। जबकि गिरजादत्त नैथाणी का अखबार 'पुरुषार्थ' भी 'शक्ति' की तरह कुली, बेगार और बरदायश व्यवस्था की कटु आलोचना करता था। 'पुरुषार्थ' के फरवरी, 1918 के अंक में गिरजा दत्त नैथानी ने लिखा था कि—

"परन्तु कुमाऊँ डिविजन की बात बिल्कुल न्यारी है। यहां के हाकिम स्वतंत्र हैं। ये लोग साल में शायद ही बिना दौरे के रहते होंगे। यहाँ के हाकिमों के दौरे में खूब लाभ होता है। बर्दायश में दूध, दही, लकड़ी, सब्जी, वगैरह सिर्फ ऐजेंसी लाइन को छोड़ कर प्राय: मुफ्त ही मिलती है। भत्ता भी खूब मिलता है, किन्तु प्रजा को जो दु:ख होता है उसका ठिकाना नहीं।"

सन् 1905 से प्रकाशित होने वाले 'गढ़वाली' के पन्ने पलटें तो स्पष्ट होता है कि वह अखबार एक ऐतिहासिक और समाज सुधारक जरूर रहा, मगर उसका लक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम या आजादी हासिल करना प्रतीत नहीं होता है। उसके लिये राष्ट्रीय आन्दोलन की बजाय क्षेत्रीय मुद्दे प्रमुख थे। 'गढ़वाली' एक राष्ट्रीय अखबार की तरह सामग्री देता रहा। गढ़वाल यूनियन के इस अखबार ने गढ़वाल की कुली बेगार, छुआछूत, कन्या विक्रय, बहु विवाह, बाल विवाह, गो हत्या, अशिक्षा, जंगलों का विनाश जैसी मुख्य समस्याओं को पूरी ताकत के साथ उठाया। यही नहीं तिलाड़ी काण्ड का पर्दाफाश करने और काण्ड संबंधी समाचार प्रकाशित करने पर सम्पादक विश्वम्भर दत्त चन्दोला ने एक साल की जेल भी भुगती, जो एक सम्पादक की व्यावसायिक नैतिकता का एक बड़ा उदाहरण है। 'गढ़वाली' प्रत्यक्ष रूप से अछूतोद्धार के पक्ष में तो दिखाई देता था, मगर वह स्वयं जातीय मानसिकता से ग्रस्त भी प्रतीत होता है। उस अखबार में अनुसूचित जातियों के लिये 'नीच' और 'अन्तज्य' जैसे शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में जातिवादी मानसिकता को उजागर करता है। जैसे अप्रैल, 1913 में छपे 'गढ़वाली' के सम्पादकीय से स्पष्ट हो जाता है—

"हमें चाहिये कि हम नीच जातियों से, जिनसे कि हम बहुत ही अन्तर रखते हैं, सद्बर्ताव करें। अन्तर की सीमा को घटावें। उनको घृणा की दृष्टि से न देखें। उनसे

सम्पर्क होने में हिचकें नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक उत्साह दिलावें और उन्हें समाज का एक मुख्य अंग समझें। यदि हिन्दू अन्त्यज जातियों की संख्या इसी प्रकार घटती ही गयी तो यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि भारत बिना हाथ पांव के रह गया..''।

इस संपादकीय से स्पष्ट हो जाता है कि अखबार की सोच अनुसूचित जाति के लोगों को बराबर का दर्जा दिलाने की नहीं थी। जबकि अछूतोद्धार के बारे में 'शक्ति' अखबार की राय थी कि–

"यदि हम चाहते हैं कि पुराने धार्मिक आधार पर बने हुये वर्णों के सहित आर्थिक आधार पर विभाजित समाज का अन्त हो कर एक नया समाज, जिसमें सबको समान अधिकार हो और सभी को समान रूप से उन्नति करने का अवसर मिले तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि समाज की आधारभूत व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किया जाय। जब तक समाज को वर्गों में विभाजित करने वाली और वर्ग विशेष को प्रधानता देने वाली आर्थिक प्रणाली को सबको समानता और समान अवसर देने वाली प्रणाली से हस्तान्तरित नहीं कर दिया जावेगा, तब तक अछूतों को ही नहीं, समस्त किसान मजदूरों को अधिकार नहीं मिल सकते। इसलिये समस्त अछूतों, किसानों और मजदूरों को संगठित हो कर मांग करनी चाहिये कि सम्पत्ति के उत्पादनों के व्यक्तिगत साधनों जमीन, कलें, पूंजी आदि का समाजीकरण किया जाये और वितरण तथा विनिमय के साधनों का पंचायतीकरण। इससे वर्ग विशेष के अधिकारों की जड़ उस प्रणाली का ही खात्मा हो जायेगा और एक वर्ग विहीन समाज की रचना हो सकेगी।" (शक्ति, 21 दिसम्बर, 1946)

राजशाही और अंग्रेज भक्ति

स्वर्गीय चन्दोला की विदुषी पुत्री तथा विश्वम्भर दत्त चंदोला शोध संस्थान की संस्थापिका ललिता चन्दोला 'वैष्णव' के अनुसार (गढ़वाल के जागरण में 'गढ़वाली' पत्र का योगदान)–"गांधी जी जब... थक गये तो उन्हें असहयोग आन्दोलन करना पड़ा। (गढ़वाली जुलाई, 1922) वैसे वे असहयोग के पक्ष में नहीं थे, उनका कहना था कि छात्रों की हानि हो रही है।" बकौल इतिहासकार प्रो० शेखर पाठक, उसी 'गढ़वाली' अखबार ने होम रूल और असहयोग आन्दोलन की आलोचना भी की। गढ़वाली की पुरानी फाइलें देखें तो अखबार द्वारा राजशाही की मुक्त कण्ठ से सराहना भी पढ़ने को मिलती हैं। अखबार के कई अंकों में टिहरी नरेशों की स्तुतियाँ भी भरी पड़ी हैं। इस बारे में माना जाता है कि यह अखबार 'गढ़वाल यूनियन' या 'गढ़वाल हितकारी सभा' का मुखपत्र था और यूनियन में उस जमाने के जंगलात के मशहूर ठेकेदार घनानन्द खण्डूड़ी और वन अधिकारी चन्द्र मोहन रतूड़ी जैसे सदस्य भी थे जो कि खुल कर अंग्रेजों या टिहरी नरेशों की आलोचना या खिलाफत में साथ नहीं दे सकते थे। 'गढ़वाली' के संस्थापकों में से एक तारादत्त गैरोला

गढ़वाली के संस्थापकों में से एक रायबहादुर तारा दत्त गैरोला।

को 'ऑनरेबल' और 'राय बहादुर' की उपाधियाँ हासिल थीं। सर्वविदित है कि अंग्रेज 'राय बहादुर' की उपाधि किसको और क्यों देते थे? तारादत्त गैरोला गढ़वाली के सम्पादक भी रहे। प्रथम विश्व युद्ध में कुछ अन्य भारतीय नेताओं की ही तरह तारादत्त गैरोला भी ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने में ही भारत की मुक्ति का मार्ग तलाशते थे। मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत कुमाऊँ से एक सदस्य को प्रान्तीय काउंसिल के लिये नामित किया जाता था। इस काउंसिल के लिये पहले महाराजा कीर्तिशाह अंग्रेजों द्वारा मनोनीत किये गये। वह 1906 से 1913 तक काउंसिल के मनोनीत सदस्य रहे। कीर्तिशाह की मृत्यु के बाद ब्रिटिश शासन ने उनके स्थान पर तारादत्त गैरोला को काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया। अंग्रेजों के प्रति अपने नरम रुख के कारण वह सन् 1920 में काउंसिल चुनाव में हार गये। सत्य प्रसाद रतूड़ी (गढ़वाल गौरव गाथा-पृष्ठ 71) के अनुसार—"30 मार्च, 1919 को श्रीनगर में प्रथम विश्वयुद्ध में विजय प्राप्ति तथा कुमाऊँ क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य के एक सौ वर्ष पूरे होने पर 'कुमाऊँ शताब्दी उत्सव' का आयोजन किया गया। उस वक्त सभी उच्च अधिकारियों के उपस्थित होने के बावजूद तारादत्त जी को ही उस समारोह का अध्यक्ष चुना गया।" अपने जमाने के जाने-माने पत्रकार सत्य प्रसाद रतूड़ी ने इसी पुस्तक के पृष्ठ 85 पर लिखा है कि—विश्वम्भर दत्त चंदोला एक कट्टर देशभक्त थे, "एक बार श्री तारा दत्त गैरोला पंडित विश्वम्भर दत्त चंदोला के कमरे में उन्हें मिलने गये और उन्होंने उनके कमरे में तिलक व अन्य देशभक्तों की तस्वीरें टंगी देखी तो उन्हें समझाया कि तुम पलटन की नौकरी कर रहे हो। तुमको राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें अपने यहाँ नहीं रखनी चाहिये तो चंदोला जी ने उत्तर दिया कि अगर देशभक्तों का आदर करने में नौकरी चली जाय तो परवाह नहीं।" 'गढ़वाली प्रेस' से छपे स्वामी विचारानंद के अखबार 'अभय' के 28 जुलाई 1925 और 25 अगस्त, 1925 के अंकों में एक संप्रदाय विशेष के बारे में आपत्तिजनक लेख छपने पर स्वामी विचारानंद के साथ ही विश्वम्भर दत्त चन्दोला के खिलाफ भी भा०दं०सं० की धारा 152-ए के तहत अपराधिक मामला भी दर्ज हुआ जिस कारण वह गिरफ्तार भी हुये। लेकिन इस मामले में चन्दोला का कहना था कि वह साम्प्रदायिक लेख अखबार में उनकी प्रेस से उनकी सहमति के बिना छापा गया था और अगर वह उस सामग्री को पहले ही पढ़ लेते तो कभी भी इस तरह की सामग्री नहीं छपने देते। अपने अखबार में छापे गये स्पष्टीकरण में चन्दोला ने लिखा था कि—"वह साम्प्रायिक सद्भाव और सामाजिक एकता के पक्षधर और हिन्दू-मुसलमान जातियों में विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ रहे हैं।" (विश्वम्भरदत्त चन्दोला की 'गढ़वाली' के अक्टूबर, 1925 के अंक में यह टिप्पणी छपी थी।) वास्तव में विश्वम्भर दत्त चंदोला एक समाज सुधारक थे और उनके अपने अखबार 'गढ़वाली' में साम्प्रदायिक विद्वेष वाली सामग्री कभी नहीं छपी। स्वतंत्रता संग्राम के लिये समर्पित 'शक्ति' ने तो गढ़वाल यूनियन द्वारा संचालित कुली ऐजेंसी की आलोचना तक की थी। बदरीदत्त पांडे ने 1920 में काशीपुर में आयोजित कुमाऊँ परिषद के अधिवेशन के बारे में एक जगह लिखा है कि—"तीन दिन काशीपुर में खूब जोश से काम हुआ। परिषद में असहयोग का प्रस्ताव होने के कारण सरकार की जी हुजूरी में रत् कुछ नरमदलीय वयोवृद्ध

एवं 'राय मण्डलीय' लोग तुरन्त सभा से भाग गये। पर सच्चे देशभक्त नवयुवक एवं ग्रामवासी अन्त तक बने रहे।" उनका राय मंडली से अभिप्राय राय बहादुर पद घारकों से था। इसके विपरीत गिरजा दत्त नैथाणी का अखबार 'गढ़वाल समाचार' या 'पुरुषार्थ' अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बेबाक टिप्पणियाँ कर दिया करते थे। नैथाणी वास्तव में एक जुझारू और निर्भीक पत्रकार थे। गढ़वाल यूनियन के 90 प्रतिशत से अधिक लोग 'सरोला सभा' के सदस्य होने के साथ ही उपनिवेशवाद के मामले में नरमपन्थी भी थे इसलिये अपने खुले विचारों के कारण ही नैथाणी का गढ़वाल यूनियन के पदाधिकारियों से मतभेद हो जाया करता था। वह जातीय सभाओं के सदैव खिलाफ रहते थे।

अल्मोड़ा अखबार की अन्त्येष्टि

पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के क्षेत्र में 1871 में अल्मोड़ा से प्रकाशित 'अल्मोड़ा अखबार' का विशिष्ट स्थान है। इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था और यह प्रमुख अंग्रेजी पत्र 'पायनियर' का समकालीन था। इसके 48 वर्ष के जीवनकाल में इसका संपादन क्रमशः बुद्धिबल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानन्द जोशी, सदानन्द सनवाल, विष्णुदत्त जोशी तथा 1913 के बाद बदरीदत्त पांडे ने किया। शुरुआत में 'अल्मोड़ा अखबार' सरकारपरस्त था फिर भी इसने औपनिवेशिक शासकों का ध्यान स्थानीय समस्याओं के प्रति आकृष्ट करने में सफलता पाई। कभी पाक्षिक तो कभी साप्ताहिक रूप से निकलने वाले इस पत्र ने अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त पर्वतीय जनता की वेदना को आवाज देने का कार्य किया। 'गढ़वाली' के मई, 1912 में छपे विवरण के अनुसार उस दौरान 'अल्मोड़ा अखबार' देहरादून की 'गढ़वाली प्रेस' में छपता था।

THE ALMORA AKHBAR

अल्मोड़ा अखबार

एक साप्ताहिकपत्र

खण्ड १४	श्रावणवदी ९ सोमवार संवत १९४१ १४ जौलाय सन ८४	अंक १५

अलमोड़ा अखबार– 14 जुलाई 1884

यद्यपि 'अल्मोड़ा अखबार' की स्थापना तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट गवर्नर विलियम म्यूर की प्रेरणा से ही हुयी थी लेकिन जब 1913 में उसका सम्पादन बदरीदत्त पांडे के हाथों में आ गया तो उसके स्वर बदल कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उग्र हो गये। उनके संपादकत्व में इसकी प्रसार संख्या भी 50-60 से बढ़कर 1500 तक हो गई। बेगार, जंगलात, स्वराज, स्थानीय नौकरशाही की निरंकुशता पर भी इस पत्र में आक्रामक लेख प्रकाशित होने लगे। अन्ततः 1918 में 'अल्मोड़ा अखबार' सरकारी दबाव के फलस्वरूप बन्द हो गया। बाद में इसकी भरपाई 1918 में बदरीदत्त पांडे के संपादकत्व में ही निकले पत्र 'शक्ति' ने पूरी की। शक्ति पर शुरू से ही स्थानीय मुद्दों और भारतीय राष्ट्रवाद दोनों का असाधारण असर था।
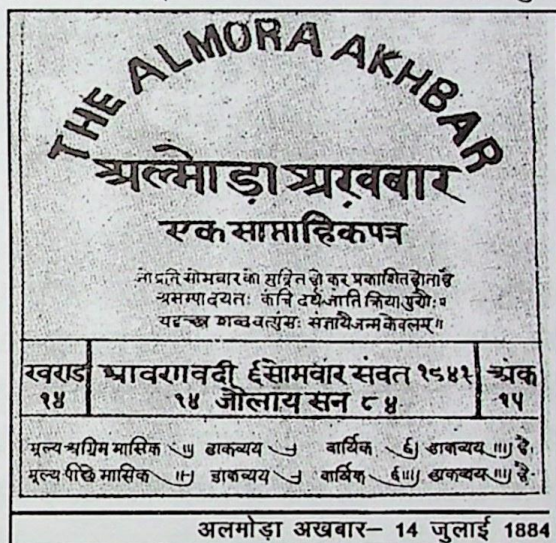
'अल्मोड़ा अखबार' में जंगलात और कुली बेगार पर छपे समाचारों पर तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस इतना नाराज हुआ कि उसने पांडे को तलब कर दिया और गम्भीर परिणामों की धमकी तक दे दी। उस पर भी पांडे नहीं झुके तो लोमस आग बबूला हो उठा। स्वयं बदरीदत्त पांडे ने उसके बाद शक्ति में लिखा था कि–

"लोमस कभी पैर पटकता, दांत पीसता और कभी जोर से मेज पर हाथ पटकता, वह फिरंगी मेरे से बेढंग बिगड़ चुका था और भालू की तरह गुस्से में था।"

इस अखबार में अंग्रेजों के प्रति आक्रामकता इसके अन्तिम 5 सालों में आई। स्वाधीनता के दीवाने बदरीदत्त पांडे की लेखनी का खामियाजा 1918 में 'अल्मोड़ा अखबार' को भुगतना पड़ा, और देखा जाय स्वतंत्रता संग्राम को मंजिल तक पहुंचाने के लिये उत्तराखण्ड की पत्रकारिता की ओर से पहली आहुति 'अल्मोड़ा अखबार' की ही मानी जाती है। हालांकि इससे पहले भी 'निर्बल सेवक' जैसे कुछ अखबार बंद हो गये थे। 'अल्मोड़ा अखबार' बन्द होने पर सी०वाइ० चिन्तामणि ने संयुक्त प्रान्त की काउंसिल में कई सवाल उठा दिये थे। बदरीदत्त पांडे इलाहाबाद में चिन्तामणि के सम्पादकत्व में चलने वाले अखबार 'लीडर' में उप सम्पादक रह चुके थे। लोमस के बारे में स्वयं बदरीदत्त पांडे ने लिखा था कि–

"–अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर लोमस स्याही देवी में मेम से रंगरलियां मना रहा था, कुली शराब व सोडा लेकर देर से आया तो वह आगबबूला हो गया। उसने बंन्दूक तान दी, छर्रा कुली को लग गया। यह समाचार अल्मोड़ा अखबार में छप गया। लोमस तेज मिजाज था ही पर तब एकदम तेज हो गया। मुझे बुलाया, मैं नहीं गया। मुंशी सदानन्द को बंगले में बुलाया और धमका कर उनसे मुद्रक-प्रकाशक का इस्तीफा दिला दिया। सारे शहर में आतंक छा गया और अल्मोड़ा अखबार बन्द हो गया। लोमस ने अपने बचाव में यह बात कही कि उसने फायर मुर्गी पर किया था, लेकिन कुली पर लग गया।"

इस घटना पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी लिखते हुये दुगड्डा से प्रकाशित होने वाले 'गढ़वाल समाचार' में पत्र के सम्पादक पं० गिरजा दत्त नैथाणी ने लिखा था कि –

"एक फायर में तीन शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार।"

पुराने दस्तावेजों के अनुसार अल्मोड़ा में 'होम लीग' की स्थापना के बाद बदरीदत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी न केवल करीब आ गये थे बल्कि दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में खटकने भी लगे थे। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस दोनों को हथकड़ियां डालने के लिये बहाने ढूंढ़ता रहता था। अल्मोड़ा अखबार के बन्द होने पर बदरीदत्त पांडे को बहुत धक्का लगा। उन्होंने शोक प्रकट करने के लिये हरिद्वार जा कर अपनी मूछें मुंडवा डालीं। उन्होंने इस बारे में स्वयं कहा था कि– *"मैने देशद्रोहियों का श्राद्ध कर एक बालू का पिण्ड दान किया है। और यह प्रतिज्ञा गंगा तट में की है, हे मात गंगे! जिन देशद्रोहियों ने अल्मोड़ा अखबार की अंन्तेष्टि की उनको तू सुबुद्धि दे। जब तक दूसरा पत्र अल्मोड़ा में न*

चलाऊँगा, मूँछ न रखूँगा, मूँछ मनुष्यता का चिह्न है। मर्द होकर पुरुषार्थ न किया तो धिक्कार इस जन्म को। पर दशहरे के दिन ऐन केन शक्ति का जन्म हो गया और मैंने उस दिन फिर से मूँछें रख लीं।"

बीसवीं सदी के प्रथम दो दशक

राष्ट्रीय आन्दोलन में 'शक्ति' और 'कर्मभूमि' जैसे समर्पित अखबारों की स्थानीय स्तर पर निर्णायक भूमिका से पहले ही उत्तराखण्ड से कुछ स्वाधीनता समर्थक अखबार निकल चुके थे। हालांकि वे दीर्घजीवी नहीं रहे। इनमें बैस्टिर बुलाकी राम का 'कास्मोपोलिटन' (1911) और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रान्तिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह का 'निर्बल सेवक' (1914) शामिल थे। इसी दौरान दिल्ली में वायसराय लार्ड हार्डिंग पर बम से हमला हो चुका था और उस काण्ड के सूत्रधार रास बिहारी बोस थे। इसलिये इस घटना का यहां उल्लेख करना समीचीन ही होगा। रास बिहारी बोस ने मानवेन्द्र नाथ राय की तरह देहरादून से अखबार तो नहीं निकाला मगर देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (एफ०आर०आइ०) में हेड क्लर्क के तौर पर उन्होंने कार्य अवश्य किया। दिल्ली में 12 दिसम्बर, 1911 को सम्पन्न जार्ज पंचम के दरबार के बाद जब वायसराय लार्ड हार्डिंग की शोभायात्रा निकाली जा रही थी तो उसी समय वायसराय पर बम फेंकने की योजना बनाने वालों में रास बिहारी प्रमुख थे। वायसराय तो बच गया मगर उसका एक अंग रक्षक मारा गया। अमरेन्द्र चटर्जी के एक शिष्य बसन्त कुमार विस्वास ने उस पर बम फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद में ब्रिटिश पुलिस रासबिहारी बोस के पीछे लग गयी और वह बचने के लिये रातों-रात रेलगाड़ी से देहरादून खिसक लिये और आफिस में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले दिन उन्होंने देहरादून के नागरिकों की एक सभा बुलायी, जिसमें उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निन्दा भी की। इस प्रकार उन पर इस षडयन्त्र और काण्ड का प्रमुख सरगना होने का किंचितमात्र भी सन्देह किसी को न हुआ। इस कांड में 26 फ़रवरी, 1912 को ही बसंत को पुलिस ने पकड़ लिया। बसंत सहित अन्य क्रांतिकारियों पर 23 मई, 1914 को 'दिल्ली षड़यंत्र केस' या 'दिल्ली-लाहौर षडयंत्र केस' चलाया गया। बसंत को आजीवन कारावास की सजा हुई किन्तु अंग्रेज सरकार तो उन्हें फांसी देना चाहती थी, इसीलिए उसने लाहौर हाईकोर्ट में अपील की और अंततः बसंत बिस्वास को बाल मुकुंद, अवध बिहारी व मास्टर अमीर चंद के साथ फांसी की सजा दी गयी। जबकि रास बिहारी बोस गिरफ़्तारी से बचते हुए जापान पहुँच गए। 11 मई, 1915 को पंजाब की अम्बाला सेंट्रल जेल में इस युवा स्वतंत्रता सेनानी बसंत कुमार को मात्र 20 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गयी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अत्यधिक छोटी उम्र में शहीद होने वालों में से बसंत बिस्वास भी एक हैं। रास बिहारी ने जापान में 'न्यू ऐशिया' नाम का अखबार निकाला और जापानी युवती से विवाह कर वह पत्रकार तथा लेखक के रूप में वहाँ रहने लगे।

शक्ति का उदय

हालांकि 'अल्मोड़ा अखबार' ने बदरी दत्त पांडे के सम्पादकत्व में आजादी की अलख जगा ही दी थी, फिर भी अंग्रेजी हुकूमत से लम्बा अखबारी घमासान 'शक्ति' के

जन्म के बाद ही शुरू हुआ जो कि अगस्त, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला। बदरीदत्त पांडे ने जलियांवालाबाग काण्ड से उद्विग्न हो कर शक्ति के 13 जनवरी, 1920 के अंक के सम्पादकीय में लिखा था कि–

"अब भारतवासियों को चाहिये कि वे पीछे पग न हटायें; अब प्रण कर लें कि चाहे सर्वस्व जाये पर भारत का मान, स्वाधीनता मेलजोल का अन्त न हो। सारे भारत माता के सपूत निर्भय हो कर अपनी जन्मभूमि की गोद में सुखपूर्वक रहें।"

अल्मोड़ा अखबार के जबरन बन्द कराये जाने के बाद बदरीदत्त पांडे ने हरिकृष्ण पन्त, हरगोविन्द पन्त, मोहन सिंह मेहता एवं गुरुदास शाह की मदद से अल्मोड़ा में 'देशभक्त प्रेस' की स्थापना की, जिसमें 'शक्ति' का मुद्रण शुरू हुआ। उस समय प्रेस के लिये मोहन जोशी ने भी पांडे के साथ चन्दा एकत्र किया। चन्दा देने वाले उपरोक्त सज्जनों के अलावा पं० गोविन्द बल्लभ पन्त भी एक थे। राय बहादुर हरिकृष्ण पन्त ने प्रेस के लिये एक हजार रुपये का चन्दा दिया था। सन् 1918 में ही बदरीदत्त पांडे लखनऊ से एक पुराना प्रेस खरीद कर ले आये और 'शक्ति' अखबार का उदय 1 अक्टूबर, 1918 को विजय दशमी के अवसर पर हो गया। शक्ति ने अपने पहले ही अंक के सम्पादकीय में लिखा था कि–

" ....उसका उद्देश्य देश की सेवा करना, देशहित की बातों का प्रचार करना, देश में अराजकता और कुराजकता के भावों को न आने देना, प्रजा पक्ष को निर्भीक रूप से प्रतिष्ठा पूर्वक प्रतिपादित करना है। शक्ति जन समुदाय की पत्रिका है। वह सदा विशुद्ध लोकतंत्र को प्रकाश करेगी। जहाँ-जहाँ अत्याचार, पाखण्ड और शासन की धींगामस्ती से लोक पीड़ित होता है, वहाँ शक्ति अपना प्रकाश डाले बिना नहीं रहेगी।"

शक्ति ने एक ओर बेगार, जंगलात, डोला-पालकी, नायक सुधार, अछूतोद्धार तथा गाड़ी-सड़क जैसे आन्दोलनों को मुखर अभिव्यक्ति दी तो दूसरी ओर असहयोग, स्वराज, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन जैसी अवधारणाओं को ग्रामीण जन मानस तक पहुँचाने का प्रयास किया, साथ ही साहित्यिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को भी मंच प्रदान किया। इसका प्रत्येक संपादक राष्ट्रीय संग्रामी था। एक-दो अपवादों को छोड़कर 'शक्ति' के सभी सम्पादक या तो जेल गये थे या तत्कालीन प्रशासन की घृणा के पात्र बने। उन दिनों मुकदमें, मुचलके और जेल यातनायें 'शक्ति' के सम्पादकों की नियति बनी। मई, 1921 में नैनीताल में एक जनसभा को सम्बोधित करने पर बदरीदत्त पांडे के साथ ही लक्ष्मी दत्त शास्त्री को धारा 144 का नोटिस दिया गया और मई, 1921 के दूसरे हफ्ते शक्ति से 6 हजार रुपये की जमानत मांगी गयी। परिणामस्वरूप 'शक्ति' कुछ हफ्तों के लिये बन्द हो गया। आजादी के बारे में 'शक्ति' में 7 दिसम्बर, 1935 के अंक में छपे सम्पादकीय के इस अंश से उस अखबार के एकलव्य की तरह मात्र एक लक्ष्य का स्पष्ट संकेत मिलता हैं–

"हम स्वतंत्रता चाहते हैं स्वतंत्रता भी ऐसी जिसमें हम भी उन्नति कर सकें और हमारे भाई बन्धु और भी। सरकार व्यवस्था कायम रखने हेतु चाहिये। राज्य व्यवस्था का ऐसा होना जरूरी है जिसकी छाया में राज्य का प्रत्येक सदस्य (वोटर) उन्नति कर सके। ऐसा ही खेल

सामाजिक व्यवस्था का है, कोई राज्य या समाज जिसमें कि उसके एक हिस्से की पसीनें की कमाई खा कर दूसरा हिस्सा फले-फूले अधिक दिन कायम नहीं रह सकता। भारत वर्ष में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक बदलाव अवश्य होने हैं। वह चाहे आज होने हैं या 10-20 वर्ष बाद, यदि बदलाव शिक्षित जनरुचि के अनुकूल होंगे तो वह बदलाव टिकेंगे, नहीं तो दूसरे बहुत बड़े बदलावों के लिये जगह खाली कर जावेंगे।"

शक्ति बनाम कुमाऊँ कुमुद

अल्मोड़ा में 'शक्ति' के शुरू होने के बाद पं० पूरन चन्द ने 'डिस्ट्रिक्ट गजट' नाम से एक मासिक पत्र निकाला जो कि 1925 में पाक्षिक हो गया और उसके सम्पादक बसन्त कुमार जोशी बने। सन् 1925 में उसका नाम बदल कर 'जिला समाचार' कर दिया गया और अगले ही साल उसका नाम फिर बदल गया और उसकी जगह वह 'कुमाऊँ कुमुद' हो गया। ये दोनों ही अखबार विदेशी आधीनता के खिलाफ तो थे मगर उन्होंने 'शक्ति' की तरह घोर अंग्रेज विरोधी रुख नहीं अपनाया और समाज सुधार पर अधिक जोर दिया। दूसरी ओर बैरिस्टर मुकुन्दी लाल के 'तरुण कुमाऊँ' (1922-23) में उच्च शिक्षित मुकुन्दी लाल की विद्वता और शालीनता साफ झलकती थी। इसी तरह 'कुमाऊँ कुमुद' में भी उच्च स्तरीय पठन सामग्री तो होती थी मगर इसके 'शक्ति' विरोधी नकारात्मक रुख के कारण वह पाठकों में अपनी खास जगह नहीं बना पाया। 'शक्ति' और 'कुमाऊँ कुमुद' की ऊर्जा एक दूसरे की काट करने में काफी खर्च होती थी। एक बार तो देवेन्द्र जोशी ने बदरीदत्त पांडे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तक ठोक दिया था, मगर बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया। फिर भी 'कुमाऊँ कुमुद' के राष्ट्रीय आन्दोलन समर्थक रुख की अनदेखी नहीं की जा सकती है। 'कुमाऊँ कुमुद' के 16 दिसम्बर, 1928 के अंक में छपे सम्पादकीय के ये अंश उसकी राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण हैं-

"भारतवासी आज स्वतंत्रता के लिये पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। यह कोई अस्वाभाविक विकार नहीं है। यदि वे स्वाधीनता का राग नहीं अलापते हैं तो ईश्वरकृत नियमों की अवहेलना करते हैं। परन्तु भारतवासियों के स्वाधीनता मार्ग में सबसे बड़े बाधक मतभेद और साम्प्रदायिक स्वार्थ हैं। पहले मतभेद और साम्प्रदायिक स्वार्थ को उत्पन्न करने वाले कारणों को मिटाना होगा और तब कहीं एक जोर लगा कर स्वाधीनता की प्राप्ति की जा सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओं का अन्तर्जातीय मतभेद और देश के अन्य सम्प्रदायों के साथ समागम का परहेज होने से राष्ट्रीयता में बड़ी बाधा पड़ रही है और उत्थान के मार्ग में ढिलाव हो रहा है। जो भी हो इस समय भारतवासियों में पूर्ण जागृति के चिह्न दिखाई देते हैं और इस छोर से उस छोर तक राष्ट्रीयता की लहरें हिलारें मार रह रही हैं। स्वाधीनता शंख का घोष फूंका जा रहा है अब स्वतंत्रता की चाह पूरी होने में देर न लगेगी।"

'शक्ति' से निकले स्वाधीनता संग्रामी

'शक्ति' में विभिन्न समय पर विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मथुरा दत्त त्रिवेदी, देवी दत्त पन्त, पीताम्बर पांडे और मनोहर पन्त जैसे आजादी के दीवाने बदरी पांडे के

सहयोगी रहे। इसी पुस्तक में 'शक्ति' अखबार और कुर्मांचल केसरी ब्रदीदत्त पांडे के बारे में अलग शीर्षक से विस्तृत जानकारी दी जा रही है। यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि उत्तराखण्ड लौटने से पहले मोहन जोशी ने इलाहाबाद से 'क्रिश्चियन नेशनलिस्ट' नाम का साप्ताहिक पत्र भी निकाला था जिसका मकसद इसाई युवाओं को राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से जोड़ना था। लेकिन वह अखबार भी कुछ ही अंकों के बाद बन्द हो गया।

कुमाऊँ में आजादी के आन्दोलन की लौ जलाये रखने वाले 'शक्ति' अखबार में इसके सर्वेसर्वा बदरीदत्त पांडे से मतभेद के बाद उनके साथी एक-एक कर अलग होते रहे मगर वे उसके बाद चुपचाप घर बैठने के बजाय फिर अखबारों के जरिये राष्ट्रव्यापी अभियान में लगे रहे। इनमें से विक्टर मोहन जोशी ने सन् 1930 से 'स्वाधीन प्रजा' नाम से अलग अखबार शुरू किया। यह अखबार भी 'शक्ति' की ही तरह राष्ट्रवादी और स्वाधीनता के लिये समर्पित था। 'स्वाधीन प्रजा' के 1 जनवरी, 1930 के अंक में छपे सम्पादकीय के इस अंश से उस अखबार के जज्बे को आंका जा सकता है–

"भारत की स्वाधीनता भारतीय प्रजा के हाथ में है। जिस दिन प्रजा तड़प उठेगी, स्वाधीनता की मस्ती उसे चढ़ जायेगी, ग्राम-ग्राम, नगर-नगर देश प्रेम के स्रोत उमड़ पड़ेंगे तो बिना प्रस्ताव, बिना बमबाजी या हिंसा के क्षणभर में देश स्वाधीन हो जायेगा। प्रजा के हाथ में ही स्वाधीनता की कुंजी है।"

उस अखबार में विक्टर मोहन जोशी ने 'पिण्डारी की सैर' शीर्षक से एक चर्चित सम्पादकीय लिखा जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेण्ट गर्वनर माल्कम हेली की इतनी खिंचाई कर डाली कि क्रुद्ध प्रशासन ने अखबार पर 6 हजार रुपये का मुचलका ठोक दिया। उस जमाने में 6 हजार की रकम बहुत बड़ी होती थी। नतीजतन मोहन जोशी उस रकम को नहीं जुटा पाये और अखबार बन्द हो गया। 'स्वाधीन प्रजा' के 15 जनवरी, 1930 के अंक में छपे हेमचन्द्र जोशी के लेख के इस अंश को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वह अखबार स्वाधीनता प्रेमियों को कितना प्रोत्साहित करता था–

"डोमीनियन स्टेट्स या औपनिवेशिक स्वराज्य पद प्रजा को कुछ नहीं देगा। उसको तो एक ही लगन वर्तमान दुःखों के गर्त से निकाल सकती है। अर्थात यूरोप की प्रजा की भांति अपने तथा अपने पुत्र कलवों को लौकिक सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने के लिये तन-मन धन से जूझ कर प्रजा पक्ष के लिये महत्वपूर्ण स्ववशता प्राप्त करना, अन्यथा भारत स्वतंत्र होने पर भी जनता परवश रह जायेगी।"

उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के इतिहास में अल्मोड़ा से प्रकाशित 'स्वाधीन प्रजा' (1930-1933) का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके सम्पादक प्रखर राष्ट्रवादी नेता विक्टर जोजफ मोहन जोशी थे। अल्पजीवी पत्र होने के बावजूद यह पत्र इतिहास में अपनी जगह बना गया। यह अखबार आन्दोलन के दौरान अत्यधिक आक्रामक सिद्ध हुआ।

गढ़वाल में भी जल उठी स्वाधीनता की मशाल

हरिद्वार, देहरादून और गढ़वाल में स्वतंत्रता संग्राम संयुक्त रूप से चल ही रहा था और इससे टिहरी रियासत के भीतर भी चेतना पहुंच रही थी कि उसी दौरान गढ़वाल मण्डल से सन् 1929 में एक और स्वतंत्रता आन्दोलन समर्थक पत्र शुरू हुआ, जिसका नाम 'गढ़देश' था और उसके सम्पादक और प्रकाशक पं० कृपा राम मिश्र 'मनहर' थे। पहले यह अखबार सहारनपुर में कन्हैयालाल मिश्र के प्रेस में छपा फिर लाला शीतला प्रसाद विद्यार्थी द्वारा उनके निजी प्रेस 'शान्ति प्रिण्टिंग' प्रेस में छपा। सन् 1932 में 'गढ़देश' के सम्पादक कृपा राम मिश्र राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते हुये गिरफ्तार किये गये जिस कारण 'गढ़देश' भी बन्द हो गया। 'गढ़देश' के सम्पादक कृपा राम मिश्र स्वयं राष्ट्रभक्त, प्रगतिशील और उत्साही व्यक्ति थे। वह अंग्रेजी शासन की अनीति और अन्याय की कड़ी निन्दा करते हुये जनता को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिये प्रोत्साहित करते थे। सन् 1936 में पौड़ी से 'उत्तर भारत' और 'संदेश' साप्ताहिक पत्रों का संविलयन कर 'नव प्रभात' नाम का स्वतंत्रता आन्दोलन समर्थक पत्र निकला, जिसका वार्षिक मूल्य 3 रुपये था। इसके शनिवार 17 मई, 1941 के अंक को वर्ष 5 और अंक 40 बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसमें 'उत्तर-भारत' और 'संदेश' साप्ताहिक पत्र सम्मिलित हैं। इस अखबार के मास्टहेड (टाइटिल) के नीचे "जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी" लिखा होता था और इसमें अक्सर स्वाधीनता आन्दोलन से संबंधित समाचार ही होते थे।

गढ़वाल में भी स्वाधीनता संग्रामियों का कुनबा बढ़ा

देहरादून में राष्ट्रीय आन्दोलन की शुरुआत करने वाले बैरिस्टर बुलाकी राम शास्त्री थे। राधाकृष्ण कुकरेती (सीमांत प्रहरी रजत जयंती विशेषांक-1989) के अनुसार बैरिस्टर बुलाकी राम ने 1911 में 'कास्मोपोलिटन' अखबार का प्रकाशन और संपादन शुरू कर दून घाटी में राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक अखबार था। देहरादून से ही राजा महेन्द्र प्रताप ने 1914 में स्वाधीनता आन्दोलन समर्थक 'निर्बल सेवक' शुरू किया। लेकिन यह अखबार ब्रिटिश अधिकारियों की नजरों में खटकने लगा और प्रकाशक से बार-बार जमानतें मांगी जाने लगीं। तंग आकर राजा महेन्द्र प्रताप ने 'निर्बल सेवक' का प्रकाशन बंद कर दिया और इसके साथ ही वह देश छोड़ कर भी चले गये। 1915 में उन्होंने काबुल में 'आजाद हिन्द सरकार' की स्थापना कर डाली। सन् 1913 में पौड़ी से प्रकाशित ब्रह्मानंद थपलियाल का 'विशाल कीर्ति' कुली बेगार, जंगलात के हक हुकूकों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लिखता रहा। देहरादून के गढ़वाली प्रेस से बैरिस्टर मुकुन्दी लाल ने 1922 में 'तरुण कुमाऊँ' का प्रकाशन शुरू किया जिसका उद्देश्य स्वाधीनता आन्दोलन को जनभावनाओं से जोड़ना था। इस पत्र के एक संपादकीय में बैरिस्टर मुकुन्दी लाल ने लिखा था कि—*"हम स्वराज्य चाहते हैं क्योंकि बिना राज्य के कोई जाति स्वतंत्र, गौरववान, प्रभावशाली, शक्तिशाली और आदरणीय नहीं हो सकती। परतंत्र राष्ट्रों का कोई सम्मान नहीं करता। पराधीन जाति की कोई नहीं*

सुनता। हम देश में हों या विदेश में, सब जगह हिकारत की नजर से देखे जाते हैं। "देहरादून से ही स्वामी विचारानंद सरस्वती का 'अभय' भी राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये समर्पित था। देहरादून से आर्य समाजी चन्द्रमणि विद्यालंकार ने सन् 1934 में हिन्दी साप्ताहिक 'हिमालय' शुरू किया जो कि भास्कर प्रेस से छपता था। 'हिमालय' अखबार भी कांग्रेस समर्थक था। अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के सहयोग से सन् 1934 में देवकी नन्दन ध्यानी ने हल्द्वानी से 'स्वर्गभूमि' का प्रकाशन शुरू किया। ध्यानी ने उससे पहले 1930 में मुरादाबाद से 'विजय' अखबार शुरू किया था जो कि सत्याग्रह आन्दोलन में ध्यानी के जेल चले जाने के कारण बन्द हो गया था। हुलास वर्मा ने भी देहरादून से सन् 1935 में एक हिन्दी साप्ताहिक अखबार निकाला था जिसका नाम 'स्वराज्य सन्देश' था। 'स्वराज्य संदेश' अखबार के टाइटिल (मास्टहेड) के ऊपर "वंदे मातरम" लिखा होता था। टाइटिल के नीचे ध्येय वचन के रूप में "वही धर्म, वही कर्म; बल; वही विद्या वही मंत्र, जासों निज गौरव सहित होय स्वदेश स्वतंत्र" लिखा होता था।

सन् 1929 में कृपाराम मिश्र 'मनहर' और कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' के संपादन में कोटद्वार से राष्ट्रीय जागृति का साप्ताहिक पत्र 'गढ़देश' का प्रकाशन शुरू हुआ। क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन जागृत करने के लिये उस पत्र के एक संपादकीय में लिखा गया था कि—

"रणभेरी बज उठी और झंकृत हो उठे मां के पुजारी सत्याग्रही योद्धाओं के वीर हृदय। वे शांति के अवतार महात्मा गांधी की छत्र छाया में 'स्वर्गादपि गरीयसी' जन्मभूमि के परतंत्रता-पाश का उन्मूलन करने के लिये व्यग्र हो उठे। अपनी जान हथेली पर धरे घर से निकल पड़े। वीरों के इस आत्मत्याग का अपूर्व उज्ज्वल उदाहरण का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। देश में उत्साह उमंग की धारा फूट पड़ी। जिसने तुझे देखा तुझसा हो गया।"

स्वाधीनता आन्दोलन में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण 'गढ़केशरी' के नाम से भी पुकारे जाने वाले अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने सन् 1936 में पौड़ी से 'उत्तर भारत' हिन्दी साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र 1939 तक 'उत्तर भारत प्रेस' पौड़ी गढ़वाल से ही छपता था। इसके सम्पादक महेशानन्द थपलियाल थे। अनुसूया प्रसाद बहुगुणा गढ़वाल के प्रथम कांग्रेस सदस्य और कार्यकर्ता थे। डॉ० शेखर पाठक (सरफरोशी की तमन्ना) के अनुसार 1940 में शुरू हुये "भारत छोड़ो आन्दोलन" का चमोली में नन्दप्रयाग मुख्य केन्द्र था और उस आन्दोलन के नेता अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ही हुआ करते थे। बहुगुणा के निर्देशन में ही जोशीमठ, बदरीनाथ, केदारनाथ तक राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर पहुंची। परन्तु डोला पालकी आन्दोलन के कारण गांधी जी ने 25 जनवरी, 1941 से गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी। सन् 1936 में ही पौड़ी से 'नव प्रभात' अखबार भी शुरू हुआ। इसके सम्पादक भी महेशा नन्द थपलियाल ही थे। यह 'गढ़वाल फाइन आर्ट प्रेस' में छपता था और कांग्रेस समर्थक था। सन् 1937 में ज्योति प्रसाद माहेश्वरी द्वारा दुगड्डा से शुरू किये गये। हिन्दी सप्ताहिक 'उत्थान' का मूल उद्देश्य समाजोत्थान ही था, साथ ही कांग्रेस नेता डबरालस्यूं, ढौंरी निवासी ठाकुर प्रताप सिंह नेगी और बलदेव

सिंह आर्य के मार्ग निर्देशन के कारण उस पत्र का स्वाधीनता आन्दोलन में भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। उत्थान ने राष्ट्रीय आन्दोलन, तत्कालीन समस्याओं के समाधान, जागृति, ग्राम सुधार और सामाजिक कुरीतियों के बारे में काफी लिखा। सन् 1940 में हरि राम मिश्र 'चंचल' का संदेश भी 'नव प्रभात' में विलीन हो गया था। दुर्भाग्य से गढ़वाल मंडल के इन स्वाधीनता सेनानी अखबार की प्रतियाँ दुर्लभ हैं। जबकि आजादी के आन्दोलन में उनका योगदान असाधारण रहा।

कर्मभूमि का जन्म

कर्मभूमि

टिहरी जेल से सब राजबन्दी बिना शर्त रिहा

उत्तराखण्ड में यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में कई अखबारों ने आहुति दी थी मगर उन सब में सबसे लम्बे समय तक जो अखबार आन्दोलन को आहुति के साथ ही हवा भी देते रहे। उनमें निश्चत् रूप से 'शक्ति' और 'कर्मभूमि' का नाम लिया जायेगा। इसीलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने आजादी के बाद इन दोनों ही अखबारों को स्वतंत्रता सेनानी अखबार का दर्जा दिया था। इन दोनों अखबारों से लम्बे समय तक स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार जुड़े रहे। इन दो अखबारों के अलावा सन् 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य गोपेश्वर कोठियाल और राधा कृष्ण वैष्णव को भी स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार का दर्जा दिया था। हालांकि आन्दोलन के दौरान उनके जेल जाने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान सन् 1939 में बसन्त पंचमी के दिन लैंसडौन में 'कर्मभूमि' का जन्म हुआ था। 'कर्मभूमि' के प्रवेशांक का विमोचन तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने कोटद्वार में किया था। शुरू में इस ऐतिहासिक अखबार के प्रबंध सम्पादक भक्त दर्शन और उनके सहसम्पादक भैरव दत्त धूलिया थे। सन् 1938 में गढ़वाल में स्वतंत्रता संग्राम चलाने के लिये कांग्रेस का एक सशक्त संगठन बना। राम प्रसाद नौटियाल इस संगठन के अध्यक्ष और भक्त दर्शन महामंत्री बने। उस समय स्वतंत्रता संग्राम का संचालन करने के लिये एक अखबार शुरू करने की योजना बनी और अगले ही साल 'कर्मभूमि' के रूप में उस योजना को साकार किया गया। 'कर्मभूमि' ने अपने जीवन के प्रारम्भ से ही अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध संघर्ष किया। इस स्वाधीनता संग्रामी अखबार के तेवर काफी उग्र हुआ करते थे। 'कर्मभूमि' के एक संपादकीय में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुये लिखा गया था कि– *"यदि ब्रिटिश सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं है –तो घर-घर, गांव-गांव, जिले-जिले, प्रान्त-प्रान्त तथा सारे देश में क्रांति का बिगुल बजा दो।* इस संपादकीय के तेवरों को महसूस कर ब्रिटिश हुक्मरानों ने 'कर्मभूमि' का प्रकाशन जारी रखने के लिये जमानत मांगी थी। इस पत्र ने टिहरी रियासत की राजशाही के विरुद्ध जन चेतना का बिगुल भी बजाया। 'कर्मभूमि' को

समय-समय पर ब्रिटिश सरकार तथा टिहरी रियासत दोनों के दमन का सामना करना पड़ा। 1942 में इसके संपादक भैरव दत्त धूलिया को चार वर्ष की नजरबंदी की सजा दी गयी।

गढ़वाल में शिल्पकारों के डोला पालकी आन्दोलन को उस अखबार ने पूरा समर्थन देकर, हरिजनों को मानवीय और सामाजिक अधिकार प्रदान कराने की दिशा में सक्रिय प्रयास किया। कर्मभूमि से जुड़े रहे योगेश्वर प्रसाद धूलिया ने आजादी मिलने के बाद ऋषिकेश से 'तरुण हिमालय' अखबार का प्रकाशन शुरू किया। 'कर्मभूमि' के सम्पादक मण्डल में अमर शहीद श्रीदेव सुमन, कलम सिंह नेगी, नारायण दत्त बहुगुणा, कुन्दन सिंह गुंसाई और ललिता प्रसाद नैथाणी भी रहे। इस पत्र से कांग्रेसी मधुर शास्त्री और योगेश्वर धूलिया भी जुड़े रहे। ये दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। योगेश्वर प्रसाद धूलिया 'कर्मभूमि' के सम्पादक भैरवदत्त धूलिया के चचेरे भाई थे और वह भी क्रान्तिकारी गतिविधियों में सहयोग देने के आरोप में जेल गये थे।

हस्तलिखित अखबार

भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान देहरादून जिले से शुरू हुये 4 अखबारों में से तीन पूरी तरह स्वाधीनता आन्दोलन के लिये ही समर्पित थे। सन् 1942 से शुरू होने वाले इन अखबारों में हुलास वर्मा का 'स्वराज्य संदेश' भी शामिल था। हुलास वर्मा देहरादून जिले के एक जाने माने स्वाधीनता सेनानी थे। वह देहरादून नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और स्वाधीनता आन्दोलन के जुझारू कार्यकत्ता के तौर पर कार्य करते रहे। उसी साल कांग्रेस की ओर से एक हस्तलिखित भूमिगत अखबार 'ढिंढोरा' निकला जिसे कभी-कभी वे 'ढंढोरा' भी लिख देते थे। 'ढिंढोरा' भले ही साइक्लोस्टाइल मशीन से निकलने के कारण कम ही छप पाता था, मगर उसकी डिमाण्ड काफी थी। उसका मूल्य 'देश प्रेम' रखा गया था। सीमान्त जिला चमोली में सन् 1953 में सबसे पहला मुद्रित अखबार निकालने वाले राम प्रसाद बहुगुणा ने उससे पहले सन् 1942 में 'समाज' नाम से एक हस्तलिखित अखबार निकाला था। वह अखबार दो साल चला मगर

आजाद

हिन्दुस्तान

INDEPENDENCE DAY on 26th JAN.:—

Do not attend the college on 26th Jan.

इश्तहार पत्रिका 'आजाद हिन्दुस्तान'
25 जनवरी 1943 को डी.ए.वी. कालेज देहरादून के छात्र धर्मवीर से बरामद की गयी

'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान सम्पादक बहुगुणा के जेल चले जाने के कारण 'समाज' भी बन्द हो गया। आजादी के बाद राम प्रसाद बहुगुणा ने नन्दप्रयाग से ही 'देवभूमि' साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। राम प्रसाद बहुगुणा भी अपने चाचा 'गढ़केशरी'
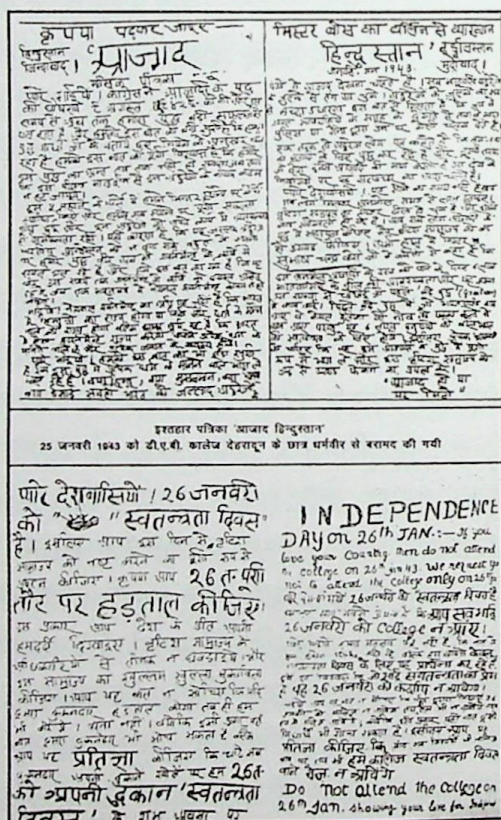
अनुसूया प्रसाद बहुगुणा से प्रेरित रहे हैं। गोपेश्वर कोठियाल का साइक्लोस्टाइल्ड अखबार 'रणभेरी' था, जो कि राजशाही के प्रतिबन्ध के बावजूद गुपचुप तरीके से उत्तरकाशी तक पहुँचता था। सन् 1942 में ही डी०ए०वी० कॉलेज के धर्मवीर नाम के छात्र से भी एक आजादी समर्थक हस्तलिखित अखबार पकड़ा गया था। दु:ख का विषय यह है कि वह क्रांतिकारी छात्र धर्मवीर इतिहासकारों की विस्मृति के कारण गुमनामी में खो गया। वह धर्मवीर कौन था और कहाँ गया, यह जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। वैसे सन् 1913 में भी अल्मोड़ा से 'बाजार बन्धु' नाम से एक हस्तलिखित अखबार निकला था, लेकिन वह पूर्णत: एक व्यावसायिक पत्र ही था। स्वाधीनता सेनानी एवं पत्रकार ठाकुर चन्दन सिंह नेगी ने भी छात्र जीवन में 'गोरखा स्टार' नाम की हस्तलिखित पत्रिका अपने सहपाठियों के साथ निकाली थी। इसके केवल 7 या 8 ही अंक निकले थे।

बदरीदत्त पांडे और शक्ति

अल्मोड़ा अखबार के बन्द होने पर बदरीदत्त पांण्डे को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने हरिद्वार जाकर अपनी मूंछे मुढ़ा डाली। बदरीदत्त पांडे के शब्दों में– "मैंने देशद्रोहियों का श्राद्ध कर एक बालू का पिण्ड प्रदान किया है। और यह प्रतिज्ञा गंगा तट में की है, हे मात गंगे ! जिन देशद्रोहियों ने अल्मोड़ा अखबार की, अन्त्येष्टि की उनको तू सुबुद्धि दे जब तक दूसरा पत्र अल्मोड़ा में न चलाउंगा मूंछ न रखूंगा.................. मूंछ मनुष्यत्व का चिन्ह है। मर्द होकर पुरुषार्थ न किया तो धिक्कार इस जन्म को। पर दशहरे के दिन येन केन "शक्ति" का जन्म हो गया और मैंने उस दिन फिर से मूंछे रख लीं।

❑❑

राम सिंह धौनी ने ३ नवम्बर १९२५ से २३ मार्च १९२६ तक "शक्ति" का सम्पादन किया। प्रस्तुत है उनके सम्पादकीय/लेखों के कुछ अंश-

1. *"दासता का आतंक राष्ट्र के ऊपर छाया हुआ है उसको हटा कर स्वतंत्रता की आभा, स्वावलम्बन का दैवी प्रकाश फैलाने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। इस देश रूपी कर्मक्षेत्र में देशप्रेम, स्वतंत्रता, एकता के बीज गये जिससे समय पर स्वराज्य के मीठे फल खाने को मिलें, पर नीच स्वार्थ, परालम्बन, फूट रुपी झाड फूंस बार–बार उखाड़े जाने पर भी आप से आप उग सकते हैं।"*
2. *"जिन देशो में राज–काज के लिए प्रजा के प्रतिनिधि चुने जाने की प्रथा का विकास हुआ है। वहां उम्मीदवार अपने नाम ही प्रकाशित नहीं करते वरन् अपने विचारों को निर्वाचकों पर प्रकट करने के लिए नाना प्रयत्न करते हैं। परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक कूर्मांचल से प्रतिनिधियों को चुनने के विषय को न तो जनता ने ही संगठित रूप से लिया है और न मेम्बरी के इच्छुक सज्जनों ने ही।"*
3. *"विदेशी आचार व्यवहार से आशातीत विसंस्कृतिकरण की चकाचौंध में अपनी लोक संस्कृति, भाषा भाषी प्रान्त में ही नहीं वरन् दूसरे प्रान्तों में भी हिन्दी गौरव की दृष्टि से देखी जाने लगी है। इस प्रान्त के कई जिला व चुंगी बोर्डो की कारवाई हिन्दी में होने लगी है और अनेक बोर्ड इस पर अग्रसर होते जा रहे हैं पर अल्मोड़ा नगर सारी दुनिया से अलग है इसलिए यहां के चुंगी बोर्डो के सदस्यों की बुद्धि भी अनमोल हो तो आश्चर्य नहीं ।"*

टिहरी के ढंढकी पत्रकार

अंग्रेजों की हुकूमत वाले शेष उत्तराखण्ड में चला स्वाधीनता आन्दोलन और टिहरी रियासत के ढंढक लगभग समकालीन ही रहे इसलिये इनमें से एक को जाने बिना दूसरे को जाना नहीं जा सकता। राष्ट्रीय आन्दोलन की ही तरह शुरू में टिहरी रियासत की जनता के आन्दोलन या 'ढंढक' बेहतर नागरिक अधिकारों के लिये तथा नौकरशाही की ज्यादतियों के खिलाफ ही रहे। शुरू में कड़ाकोट पट्टी के लोगों ने राजशाही की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई तो फिर इस चिंगारी से लोकतांत्रिक चाह की आग भड़कती गयी। कड़ाकोट पट्टी के गोपाल सिंह राणा टिहरी के जन आन्दोलन के पहले नेता थे जो कि पहली बार गिरफ्तार किये गये। जेल से भागने के बाद उन्हें फिर राजशाही की पुलिस द्वारा श्रीनगर में संयुक्त प्रांत के गवर्नर को मिलने से पहले ही गिरफ्तार किया गया। लेकिन टिहरी में परिपूर्णानन्द पैन्यूली जैसे कई आन्दोलनकारी राष्ट्रीय आन्दोलन में भी तपे हुये थे। इसलिये अन्ततः लोकतंत्र की चाह रियासत में भी भड़कती चली गयी। देखा जाय तो रियासत में आन्दोलनों का सिलसिला 1835 में सकलाना के कमीणों और सयाणों द्वारा मुआफीदारों की खिलाफत से शुरू हो गया था। इसकी शिकायत देहरादून में 300 लोगों ने कम्पनी के ऐजेण्ट से भी की थी। प्रख्यात इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के शब्दों में—

15 अगस्त, 2015 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर टिहरी रियासत के क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के सेनानी परिपूर्णानन्द पैन्यूली को सम्मानित करते हुए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत।

"यह पहला अवसर था जबकि भंगोली और कंबल लपेटे हुये, पीठ पर झाबी में सत्तू चिलम आदि सामग्री और हाथ में लाठी लिये हुये गढ़वाली ग्रामीणों ने इस प्रकार संगठित हो कर अपने शासक वर्ग के विरुद्ध पर्वतीय प्रदेश से बाहर मैदान में जा कर मोर्चा लिया। वे लगभग 300 ग्रामीण थे। उच्च अधिकारी की जाँच, राजा के आदेश पर मुआफीदार ने काफी तनातनी के पश्चात रय्यत की मांग मानी, भूकर में कमी की।"

राष्ट्रीय आन्दोलन की ही तरह अखबारों और पत्रकारों ने टिहरी रियासत के आन्दोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमर शहीद श्रीदेव सुमन स्वयं एक पत्रकार थे और कांग्रेस समर्थक 'कर्मभूमि' के सम्पादक मण्डल में थे। इसीलिये रियासत की असलियत 'कर्मभूमि' और 'शक्ति' में लगातार प्रकाशित होती रहती थी। सुमन ने अपने लेखों, भाषणों और आवेदनों के माध्यम से 'टिहरी प्रजा मण्डल' की मांग बड़े स्पष्ट ढंग से रखी थी। यही नहीं टिहरी 'प्रजामण्डल' के संस्थापकों में से एक श्यामचन्द सिंह नेगी एक जमाने के जाने माने पत्रकार थे। जय नारायण व्यास की मध्यस्थता के बाद प्रजा मण्डल को टिहरी राजदरबार ने 21 अगस्त, 1946 को मान्यता दी। उस दिन पंजीकरण के लिये आवेदनपत्र में कहा गया था कि प्रजा मण्डल उत्तरदायी शासन के लिये जनता को योग्य तथा शिक्षित बनाना चाहता है। उस आवेदन में राज्य पताका तथा तिरंगा झण्डा, दोनों के प्रति श्रद्धा प्रकट की गयी थी। वास्तव में टिहरी प्रजा मण्डल भी अखिल भारतीय प्रजामण्डलों से सम्बद्ध था और वह राष्ट्रीय स्तर का संगठन भी एक तरह से भारतीय रियासतों की कांग्रेस ही थी।

टिहरी: ढंढकों से प्रजामंडल तक

उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय संग्राम को टिहरी रियासत के आन्दोलनों को जाने बिना नहीं समझा जा सकता है। टिहरी रियासत में वृहत् गढ़वाल राज्य के ढंढकों की परम्परा जारी रही। 1815 में जब टिहरी रियासत को वृहत गढ़वाल राज्य के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था तो प्रजा में गोरखों के कुशासन से मुक्ति का भाव था। गाँव उजड़े हुए थे और भागे हुए ग्रामीण लौटकर पुनः बसने की तैयारी कर रहे थे। टिहरी रियासत के बनने से अपने राजा के वंशज को 10–12 साल बाद पुनः पा सकने का भाव जनता में था।

इस समय सकलाना तथा रवाँई के मुआफीदार तथा जागीरदार अपनी जागीर की या मुआफी की स्वायत्तता की माँग कर रहे थे। लेकिन प्रजा को राजा के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा सका। 1835 में सकलाना के ग्रामीण/सयाणों ने मुआफीदार के विरुद्ध आन्दोलन किया। 300 लोग देहरादून में कंपनी ऐजेन्ट से शिकायत करने भी गये थे। कंपनी सरकार ने यह कहा कि ऐसी शिकायतें राजा के पास ही की जायें। 7 फरवरी 1838

महक्मा पुलिस।
टिहरी गढ़वाल स्टेट।
नम्बर सिलसिला
नाम दाखिल कुनन्दा
मुबलिग
दाखिल किये इसलिये यह रसीद दी जाती है
मुकाम

सरफरोशी की तमन्ना 1998 से साभार.

'टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा' नामक पुस्तक में अपने जमाने के सुविख्यात पत्रकार सत्य प्रसाद रतूड़ी ने लिखा है कि–

"वैसे इस आजादी की लड़ाई में संवाददाताओं के रूप में प्रकट एवं अप्रकट वेश में श्री सुन्दरलाल बहुगुणा, श्री श्याम चंद नेगी, श्री विद्याधर डंगवाल एवं श्री भगवान दास मुल्तानी तथा श्री सत्य प्रसाद रतूड़ी की सेवाएं भुलाई नहीं जा सकतीं।" इसी पुस्तक में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने कहा है कि–*"आगे चल कर देहरादून से प्रकाशित 'युगवाणी' साप्ताहिक टिहरी प्रजामंडल के इस संघर्ष में विशेष भागीदार बना। इसके संपादक गोपेश्वर कोठियाल तो बहुत पहले से प्रजामंडल के युद्ध में पूर्णत: सहयोगी थे और उनके साथी श्री भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट भी टिहरी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। युगवाणी का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। बाद में अंतरिम सरकार की स्थापना के पश्चात् मसूरी से 'हिमाचल साप्ताहिक' का प्रकाशन और फिर अंग्रेजी के 'हिमाचल टाइम्स' का निकलना टिहरी जन संघर्ष की सफलता के फलस्वरूप, टिहरी-उत्तरकाशी क्षेत्र के विकास एवं प्रगति के पोषक के रूप में याद किया जाता रहेगा। और भी कई पत्रों एवं पत्रकारों ने जिनके संबंध में हमें पूरी जानकारी नहीं है, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के उनका इस संघर्ष में जो योगदान रहा, वह नगण्य नहीं कहा जा सकता।"*

'कर्मभूमि' ने टिहरी रियासत के आन्दोलनों या 'ढंढकों' को भी मंच दिया। सन् 1913 से लेकर 1919 तक राजमाता गुलेरिया के नेतृत्व में चलने वाले रीजेंसी शासन के दौरान रीजेंसी की आलोचना करने पर गिरजा दत्त नैथाणी के 'पुरुषार्थ' पर टिहरी रियासत में रोक लगा दी गयी थी। 'पुरुषार्थ', 'कर्मभूमि' और 'शक्ति' जैसे अखबारों और जागृत नेताओं के कारण रियासत में ढंढकों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि राजा नरेन्द्र शाह द्वारा बेगार उठाने की घोषणा के बाद भी असन्तोष थम नहीं रहा था। इसी असन्तोष का नतीजा अन्ततः मई 1930 में 'रवांई काण्ड' के रूप में बाहर निकला। शेष उत्तराखण्ड में जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था उस समय रवांई में समानान्तर सरकार की तैयारियाँ चल रहीं थीं। तिलाड़ी काण्ड का समाचार छपने पर 'द इंडियन स्टेट रिफार्मर' के संपादक पी अनंत नारायण और 'गढ़वाली' के सम्पादक विश्वम्भर दत्त चन्दोला को एक साल की सजा हुयी थी। इसके आठ साल बाद सत्य प्रसाद रतूड़ी ने सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में जागृति पैदा करने के लिये बाल सभा की स्थापना की जिसे बाद में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सत्य प्रसाद रतूड़ी ने सन् 1948 से 'हिमाचल' नाम का साप्ताहिक अखबार भी शुरू किया। वह अखबार भी प्रजा मण्डल समर्थक ही था।

सकलाना आन्दोलन के समर्थन में 1 नवम्बर, 1947 के कर्मभूमि के अंक में छपा लेख।

सत्यप्रसाद रतूड़ी ने अपनी पुस्तक 'टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा' में लिखा है कि– *"तिलाड़ी की इस निर्मम घटना के समाचार बाहर के पत्रों में प्रकाशित हुये। 'गढ़वाली', 'अभय', 'इंडियन स्टेट्स रिफार्मर', 'हिन्दू संसार' आदि में खबरें छपीं। गढ़वाली के दिनांक 28 जून 1930 के अंक में एक रवांई निवासी के नाम से इस संबंध में छपा था कि 30 मई को तिलाड़ी नामक स्थान पर दीवान चक्रधर के हुक्म से फौज द्वारा गोली चलाई गयी जिससे 100 व्यक्ति मारे गये घायलों का अंदाज न हो सका।"* सत्य प्रसाद रतूड़ी ने अपनी उक्त पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 में लिखा है कि– *"टिहरी राज्य की ओर से फौरन ही इसका प्रतिवाद किया गया। उसमें कहा गया था कि गोलियों से मात्र 4 व्यक्ति मरे और दो घायल हुये तथा 194 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गढ़वाली ने अपने 12 जुलाई 1930 के अंक में यह प्रतिवाद भी प्रकाशित कर दिया।"* वास्तव में टिहरी राज्य का प्रशासन चंदोला द्वारा अपने अखबार में प्रकाशित उक्त खंडन से संतुष्ट नहीं हुआ और इस खंडन के साथ ही क्षमा याचना करने और उस रवांई निवासी का नाम बताने पर अड़ गया जिसकी ओर से समाचार छापा गया था। हालांकि विश्वम्भर दत्त चंदोला एक प्रकाशक और संपादक के नाते कानूनन मुकदमे का सामना करने से बच नहीं सकते थे। इसलिये उन्होंने उक्त 'रवांईवासी' का नाम न बता कर स्वयं को उत्तराखण्ड की पत्रकारिता

के इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन उन्होंने संपादक और प्रकाशक के तौर पर 100 लोगों के मारे जाने के समाचार को साबित न कर अपनी संपादकीय कमजोरी को भी जाहिर कर दिया था। पत्रकारिता में केवल सुनी हुई या अपुष्ट बात को सच्ची खबर के तौर पर प्रसारित और प्रकाशित करना नियम विरुद्ध तो है ही।

बर्दायश सम्बन्धी टिहरी रियासत का एक पुराना दस्तावेज

टिहरी रियासत के आन्दोलन के दौरान कर्मभूमि में 'भिलंगना के तट से' एक स्तम्भ छपता था जिसमें टिहरी की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का उल्लेख होता था। 'कर्मभूमि' के 27 जनवरी 1941 के अंक में टिहरी की पीड़ा कुछ इस तरह चित्रित की गयी थी—

" .... प्रजा की स्थिति आज यह है कि उसे आन्तरिक पीड़ा है, पर वह रो नहीं सकती। कहीं बैठ कर अपना दु:ख दर्द किसी को सुना नहीं सकती। वहाँ न कोई प्रेस है न कोई प्लेटफार्म। तरह-तरह के टैक्सों से आर्थिक शोषण चरम सीमा पर पहुँच गया है। उद्योग धन्धों के अभाव में बेकार प्रजा अधिकांश छोटी-मोटी नौकरी के निमित्त बाहर पड़ी रहती है। भीतर बेगार और प्रभु सेवा की अमानवीय प्रथायें आज भी चालू हैं। युद्ध के बहाने प्रजा से जन-धन के लिये मनमानी हो रही है। विद्यार्थियों का दमन जारी है। इस तरह आज अपने ही राज्य में उसे पशु से भी पतित जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य किया जा रहा है .... ।"

अगस्त, 1942 में बम्बई में आयोजित लोक परिषद की बैठक में भाग लेकर श्रीदेव सुमन जब टिहरी लौट रहे थे तो उन्हें 29 अगस्त, 1942 को देवप्रयाग में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन तक उन्हें मुनि-की-रेती में पुलिस हिरासत में रखने के बाद 6 सितम्बर, 1942 को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर आगरा केन्द्रीय जेल भेज दिया गया। उसी दौरान प्रजामण्डल के जिन चार नेताओं को गिरफ्तार कर सेण्ट्रल जेल आगरा भेजा गया उनमें श्यामचन्द सिंह नेगी और भगवती प्रसाद पांथरी भी थे। ये दोनों ही मूर्धन्य पत्रकार थे। श्रीदेव सुमन को अन्तिम बार 30 दिसम्बर, 1943 को गिरफ्तार किया गया और 84 दिन की भूख हड़ताल सहित लगभग 209 दिन टिहरी जेल में रहने के बाद सुमन 25 जुलाई, 1944 को शहीद हो गये थे।

महाराजा नरेन्द्र शाह के जन विरोधी भूमि बन्दोबस्त के खिलाफ 24 नवम्बर, 1946 को कीर्तिनगर डांगीचौंरा में आन्दोलन भड़क उठा। उसी दौरान नागेन्द्र सकलानी, दौलत राम और परिपूर्णानन्द पैन्यूली जैसे नेता उभर कर सामने आये। किसान आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार 26 व्यक्तियों को तो जेल से रिहा कर दिया गया मगर परिपूर्णानन्द पैन्यूली, नागेन्द्र सकलानी और दौलत राम को नहीं छोड़ा गया। इसके बाद पैन्यूली ने रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के विरोध में तथा अत्याचारों की जांच की माँग को लेकर 13 सितम्बर, 1946 से भूख हड़ताल शुरू कर दी। पैन्यूली के साथ जेल में इन्द्र सिंह, भूदेव लखेड़ा, टीका राम, दौलत राम तथा नागेन्द्र उनियाल आदि ने भी अनशन शुरू कर दिया।

उत्तराखण्ड के सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में 'युगवाणी' एक मासिक अखबार ही नहीं है बल्कि उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का एक ऐतिहासिक सच भी है। अगस्त 15, 1947 को 'युगवाणी' साप्ताहिक पत्र की स्थापना टिहरी राजशाही के विरोध में जन्में आंदोलन का एक रूप था। उत्तराखण्ड में जन आंदोलनों के साथ अपनी प्रतिबद्धता की परम्परा को 'युगवाणी' ने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। टिहरी की राजशाही से मुक्ति संघर्ष को गति देने के लिए स्वर्गीय भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट के साथ मिलकर आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने 'युगवाणी' साप्ताहिक पत्र की स्थापना की थी। जब 5 अक्टूबर, 1946 को युवराज मानवेन्द्र शाह का राज्याभिषेक हुआ तो तेज राम भट्ट द्वारा 'शुभ अभिषेक' शीर्षक से नये महाराजा को शुभ कामना दी गयी और प्रजा की दीन दशा का वर्णन करते हुये कहा गया कि– *"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी"।* तेजराम भट्ट ने युगवाणी के 15 अगस्त, 1947 को प्रकाशित प्रवेशांक में स्वतंत्रता कैसे मनायें शीर्षक से टिहरी रियासत की प्रजा की दुर्दशा पर भी लेख लिखा था।

इधर टिहरी जेल में बन्द परिपूर्णानन्द पैन्यूली 10 दिसम्बर, 1946 को फरार हो गये और जोखिमभरी यात्रा के बाद दिल्ली पहुँचे। इसी दौरान कर्मभूमि के सम्पादक मण्डल ने प्रजा मण्डल तथा टिहरी दरबार के बीच समझौते को ध्यान में रख कर 5–6 जनवरी, 1947 को कोटद्वार में एक बैठक बुलाई उसमें प्रजा मण्डल, आजाद हिन्द फौज के प्रतिनिधि और कांग्रेस कमेटी के सदस्य शामिल हुये थे।

ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 26–27 मई, 1947 को टिहरी में ही प्रजा मण्डल का सालाना अधिवेशन आयोजित किया गया। राजशाही की ओर से इसे विफल करने के लिये धारा 144 लागू कर असफल प्रयास किया गया, लेकिन आयोजकों ने उसे अथक प्रयासों से सफल बना दिया। उस अधिवेशन में परिपूर्णानन्द की अनुपस्थिति में ही उन्हें प्रजा मण्डल का अध्यक्ष और डिक्टेटर और दौलत राम को मंत्री चुन लिया गया। दौलतराम 6 अगस्त, को गिरफ्तार कर लिये गये। जबकि 15 अगस्त, 1947 के दिन जब सम्पूर्ण राष्ट्र आजादी के जश्न में मग्न था उसी दिन परिपूर्णानन्द पैन्यूली को टिहरी राज्य में गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दौरान मात्र 14 साल के विद्यासागर नौटियाल को कॉलेज से निकाल कर जेल में डाल दिया गया। नौटियाल बाद में विधायक और जाने माने लेखक तथा कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद टिहरी गढ़वाल रियासत को सामंती शासन से मुक्त कराने का जो आंदोलन छिड़ा उसको घर-गाँव तक पहुँचाने के लिये एक समाचार पत्र की आवश्यकता महसूस की गयी। आंदोलन को गति देने के लिये 'युगवाणी' नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। जिस तरह भारत के स्वाधीनता आन्दोलन ने कई अखबारों को जन्म दिया उसी तरह टिहरी रियासत में प्रजा मण्डल के आन्दोलन की कोख से भी 'युगवाणी' नाम का अखबार निकला था। 'कर्मभूमि' तो पहले से ही आन्दोलनकारियों की आवाज बना हुआ था। 15 अगस्त, 1947 को जिस दिन पैन्यूली गिरफ्तार हुये उसी दिन देहरादून से टिहरी के लोकतंत्रकामियों द्वारा युगवाणी का प्रकाशन शुरू किया गया और उस

अखबार ने टिहरी के अन्तिम संघर्ष तथा वहां की अभिव्यक्ति को अन्तिम मंच दिया। उसी दौरान सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा मसूरी से प्रकाशित 'हिमाचल' ने भी प्रजामण्डल का पूरा साथ दिया। 'कर्मभूमि' और 'शक्ति' तो पहले से ही प्रजामण्डल को शक्ति दे रहे थे। इस प्रकार 15 दिसम्बर, 1947 को 'आजाद पंचायत' का गठन हो गया और उसी आजाद पंचायत ने जब कीर्तिनगर से क्रान्ति का झण्डा बुलन्द कर दिया तो 11 जनवरी, 1948 को नागेन्द्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत के बाद अराजक हालात में भारत सरकार ने 15 जनवरी, को टिहरी की व्यवस्था सम्भाल ली। टिहरी में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर टिहरी विधानसभा के चुनाव हुये, जिसमें प्रजा मण्डल को 24, प्रजा हितैषिणी सभा को 5 और स्वतंत्र को दो स्थान प्राप्त हुये। इसके बाद 15 फरवरी, 1949 को अंतरिम सरकार बनी और प्रजा मण्डल की बुनियादी मागें मान ली गयीं। इसी बीच टिहरी नरेश ने 18 मई, को रियासत को भारत संघ में विलय करने की औपचारिकतायें पूरी कर लीं और इसके साथ ही 1 अगस्त, 1949 को टिहरी रियासत संयुक्त प्रान्त का हिस्सा बन गयी। विलय की औपचारिकता में परिपूर्णानन्द पैन्यूली भी प्रजा मण्डल के अध्यक्ष की हैसियत से शामिल रहे। टिहरी के भारत संघ में शामिल करने के लिए तैयार विलय पत्र में गवर्नर जनरल की ओर से गृह सचिव तथा रियासत की ओर से महाराजा मानवेन्द्र शाह और परिपूर्णानन्द पैन्यूली ने हस्ताक्षर किए थे।

रामचन्द्र उनियाल का टिहरी के लोकतांत्रिक आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान अवश्य रहा मगर वह श्यामचन्द नेगी, परिपूर्णानंद पैन्यूली या फिर गोपेश्वर कोठियाल की तरह न तो किसी बड़े अखबार के संवाददाता रहे और ना ही उन्होंने कभी कोई अखबार निकाला। मगर टिहरी के लोकतांत्रिक आन्दोलन को गति देने के लिये उन्होंने अखबारों का जो सहारा लिया था वह अविस्मरणीय था और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के पत्रकार सेनानी के रूप में अवश्य ही याद किया जाना चाहिये। दरअसल वह टिहरी के लोकतांत्रिक आंदोलन के हिमायती 'कर्मभूमि' में 'एक टिहरी वासी' के नाम से निरंतर संवाद प्रेषित करते रहते थे। उनके संवादों से टिहरी आंदोलन को गति मिलती थी। कर्मभूमि के 24 फरवरी, 1941 के अंक में 'एक टिहरी वासी' के नाम से (भिलंगना के तट से, नाम की डेट लाइन से) प्रकाशित समाचार की बानगी भी देखिये—

भिलंगना के तट से : *थोड़े ही दिन हुये कि श्रीदेव सुमन जी टिहरी आये थे। उनके पीछे 10-10 और 20-20 पुलिस के सिपाही घूम रहे थे। मैं नहीं जानता कि जब भविष्य में बहुत से सुमन पैदा होंगे तो दरबार की क्या दशा होगी? यहाँ तक कि जिस जिसके घर सुमन जी गये उनसे मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हें सुमन जी को अपने घर न आने के लिये तथा उनको धिक्कारने को कहा। क्या इस कुटिल नीति से दरबार का काम चल जायेगा?*

10-11 दिन हुये कि सरकारी खच्चरखाने में एक नौजवान युवती की लाश पड़ी हुयी मिली। देखने में पता चला कि लाश 20-25 दिन की है। पुलिस को उसके बारे में कुछ भी खबर न थी। मैं नहीं समझता कि पुलिस के पहले के कुप्रबंधन से 6 जून और इस समय यह दशा। पुलिस इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या यह उसका कर्तव्य नहीं?—एक टिहरी वासी

❑❑

उत्तराखण्ड के प्रमुख स्वाधीनता संग्रामी पत्रकार

सन् 1857 की गदर के बाद बीसवीं सदी के पहले दशक में इलाहाबाद से एक उर्दू अखबार निकलता था। उसका नाम था 'स्वराज'। उस अखबार में जब सम्पादक की जरूरत हुयी तो उसके लिये प्रकाशित विज्ञापन कुछ ऐसा था—"स्वराज अखबार के लिये ऐसा सम्पादक चाहिये जिसे रोजाना दो सूखी रोटियाँ, गिलास भर सादा पानी और हर सम्पादकीय पर 10 साल काला पानी की जेल मिलेगी।" ये पंक्तियां कुछ अजीब सी तो लगतीं थीं, मगर इनके पीछे छिपी सच्चाई का अनुमान उस अखबार के सम्पादकों के महान त्याग और उनके जुनूनी राष्ट्रप्रेम के किस्सों से लगाया जा सकता है। क्रांतिवीरों के इस अखबार के शुरू से लेकर आठवें सम्पादक तक को कुल मिला कर सवा सौ साल की कालेपानी की जेल की सजा हुयी थी। इनमें से एक सम्पादक नन्द गोपाल चोपड़ा को तीन सम्पादकीय लेखों के लिये प्रति सम्पादकीय 10 साल की काले पानी की सजा और कुल मिला कर 30 साल की काला पानी की सजा हुयी थी। उत्तराखण्ड निवासियों और खास कर पत्रकार बिरादरी को इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है कि क्रमानुसार स्वराज के जिन आठ क्रांतिकारी सम्पादकों ने अखबार के माध्यम से राष्ट्रभक्ति और पत्रकारिता की व्यावसायिक नैतिकता की जो असाधारण मिसालें पेश कीं उनमें सातवें नम्बर के सम्पादक अमीर चन्द बम्बवाल थे, जो कि सजा की घोषणा से पहले ही अदालत से फरार हो गये और आजादी के बाद देहरादून में लम्बे अर्से तक 'फ्रण्टियर मेल' अखबार चलाते रहे। जिस सम्पादक को प्रति सम्पादकीय 10-10 साल की और कुल 30 साल की काले

गांधी जी की उत्तराखण्ड यात्राएं

- **6 अप्रैल, 1915 :** गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में महात्मा मुंशीराम से भेंट की
- **7 अप्रैल, 1915 :** ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम की यात्रा की
- **8 अप्रैल, 1915 :** गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों ने स्वागत किया।
- **18 मार्च, 1916 :** गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में अछूतोद्धार सम्मेलन में भाषण दिया।
- **19 मार्च, 1916 :** हरिद्वार में प्रवास के दौरान छिटपुट कार्य किये।
- **20 मार्च, 1916 :** गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के वार्षिकोत्सव में भाषण दिया।
- **21-22 मार्च, 1916 :** हरिद्वार प्रवास के दौरान छिटपुट कार्य।
- **मध्य मार्च, 1927 :** गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के रजत जयंती समारोह में भाग लिया।
- **14 जून, 1929 :** हल्द्वानी और तालुका में सभाएं। नैनीताल पहुंचे।
- **15 जून, 1929 :** नैनीताल में महिलाओं की सभा में भाषण दिया, भवाली में सार्वजनिक सभा की।
- **16-18 जून, 1929 :** ताड़ीखेत में रहे। प्रेम विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हिस्सा।
- **18 जून, 1929 :** अल्मोड़ा नगर पालिका का मानपत्र ग्रहण।
- **18 जून से 2 जुलाई, 1929 :** अल्मोड़ा और कोसानी में विश्राम।
- **15 अक्टूबर, 1929 :** हरिद्वार
- **16-17 अक्टूबर, 1929 :** देहरादून
- **18 अक्टूबर, 1929 से :** मसूरी में 15 दिन विश्राम किया।
- **16-21 मई, 1931 :** नैनीताल में विश्राम।
- **25 मई से 9 जून 1946 :** मसूरी में रहे।

पानी की सजा हुयी थी उसका नाम नन्द गोपाल चोपड़ा था जो कि पंजाब के थे। लेकिन कुछ विद्वानों (बचनेश त्रिपाठी का उपजा न्यूज स्मारिका, 2007 में प्रकाशित लेख) ने उन्हें भी देहरादून का बताया है। हालांकि खोजबीन करने पर उनके लिंक पंजाब के ही निकलते हैं। इसी देहरादून का नाम रास बिहारी बोस, एम०एन० राय और राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जैसे—

ऐतिहासिक अल्मोड़ा जेल की वह पट्टिका जिसमें पं० जवाहर लाल नेहरू और पं० गोविन्द बल्लभ पंत सहित विभिन्न स्वतन्त्रता सेनानी बन्दियों के नाम भी दर्ज हैं। —फोटो : कैलाश पाण्डे

अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी पत्रकारों ने गौरवान्वित किया था। हालांकि स्वाधीनता आन्दोलन के महायज्ञ में कई पत्रकारों ने अपनी लेखनी से आहुति दी थी मगर उनमें से कुछ ही लोगों के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई जा सकी है उसे यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इनके अलावा भी मथुरा दत्त त्रिवेदी जैसे कई अन्य स्वाधीनता संग्राम सेनानी पत्रकार रहे होंगे। उनके बारे में जानकारी न जुटा पाने का लेखक को खेद है। लेखक की अज्ञानता के कारण इस पुस्तक में ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी पत्रकारों के नाम न आ सकने से राष्ट्रीय आन्दोलन में उनके महान योगदान की महत्ता कम नहीं हो जाती। इस पुस्तक के अगले संस्करणों में भूल सुधारने का एक और प्रयास किया जा सकता है।

स्वाधीनता आन्दोलन में जब्त साहित्य

(राष्ट्रीय अभिलेखागार में ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिबन्धित उत्तराखण्ड के पत्रकारों/लेखकों से सम्बन्धित दस्तावेज)

अवाप्ति संख्या	दस्तावेज का नाम	लेखक	प्रेस
197-198	आजादी का जौहर, नमक का पुजारी	हरिशंकर देहरादून	अभय प्रेस (1930)
487-489	क्रान्ति गीतांजलि	हुलास वर्मा	भास्कर प्रेस (1929)
907	राष्ट्रीय बिगुल	द्वारिका प्रसाद देहरादून	गुरुकुल प्रेस कनखल (1930)
679-680	राष्ट्रीय संगीत माला का प्रथम कुसुम	कुंवर नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं पं० सत्यव्रत शर्मा	विद्या भास्कर प्रेस कनखल (1922)
781	सल्ट पर कैसी बीती	जांच समिति की रानीखेत, कांग्रेस कमेटी	(1931)
885-887	विचार तरंग	स्वामी विचारानन्द देहरादून	अभय प्रेस (1931)
87	गढ़वाली (पाक्षिक)	—	गढ़वाली प्रेस
90	गुरुकुल	गुरुकुल कांगड़ी	1935
239	सद्धर्म प्रचारक	सम्पादक श्रद्धानन्द गुरुकुल कांगड़ी	गुरुकुल प्रेस (1920)
285	वैदिक मैगजीन एण्ड गुरुकुल समाचार	सम्पादक रामदेव	गुरुकुल कांगड़ी
1900-1963	इन्द्र विद्यावाचस्पति के दस्तावेज		

अमीर चन्द्र बम्बवाल

इलाहाबाद से निकलने वाले क्रान्तिकारियों के अखबार 'स्वराज्य' में सम्पादक के लिये एक विज्ञापन दिया गया था जो कि इस प्रकार था—"स्वराज्य अखबार के लिये ऐसा सम्पादक चाहिये जिसे रोजाना दो सूखी रोटियाँ, गिलास भर सादा पानी और हर सम्पादकीय पर 10 साल कालेपानी की सजा मिलेगी।" आज के सम्पादकों के रहन-सहन और तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुये आम आदमी तो यही सोचेगा कि ऐसे अखबार में कोई सिरफिरा भी काम करना नहीं चाहेगा। मगर आजादी की लड़ाई के दौरान ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक जुनूनी या सिरफिरे सम्पादक मिल जाया करते थे। 'स्वराज' को भी प्रति सम्पादकीय वेतन के बदले 10 साल की सजा पाने वाले एक नहीं बल्कि पूरे 8 सम्पादक मिले थे और उनमें से एक नन्द गोपाल चोपड़ा थे जिन्हें तीन सम्पादकीय लिखने पर प्रति सम्पादकीय 10 साल के हिसाब से कुल 30 साल कालेपानी की सजा हुयी थी। नन्द गोपाल के उत्तराधिकारी सम्पादक अमीर चन्द बम्बवाल थे। पत्नी के जेवर बेच कर क्रान्तिकारियों के इस उर्दू अखबार 'स्वराज्य' में काम करने वाले पहले सम्पादक शान्ति नारायण भटनागर थे। क्रांतिकारियों की संस्था 'भारत माता सोसाइटी' द्वारा संचालित 'स्वराज्य' के अन्य सम्पादकों में रामदास सुरौलिया, होती लाल वर्मा, बाबूराम हरि, मुंशी राम सेवक, नन्द गोपाल चोपड़ा, लशराम कपूर तथा पंण्डित अमीर चन्द बम्बवाल शामिल थे। पण्डित अमीर चन्द का जन्म 8 अगस्त, 1886 को पेशावर में मेहता मेहर चन्द के घर हुआ था, जो कि वहाँ थानेदार थे। बचपन में ही माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था। अमीर चंद ने इंटरमीडिएट तक पेशावर में अध्ययन किया और उसके बाद स्वाध्याय से ही उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन करने के साथ ही ज्ञान का भंडार अर्जित किया। उन्होंने सन् 1905 में लाला लाजपत राय की प्रेरणा से पेशावर में सर्वप्रथम समाचार पत्र (फ्रण्टियर एडवोकेट) निकाला। वह 1907 में कांग्रेस कमेटी के संस्थापक मंत्री बने। उन्होंने उसी समय स्वदेशी बायकाट के प्रचार के आरोप में एक साल का कठोर कारावास पाया। सन् 1910 में भारत सरकार ने जब प्रेस ऐक्ट बनाया तो सारे भारत में सर्व प्रथम मुचलका या जमानत इसी अखबार से माँगी गयी और पत्र का सम्पादक होने के
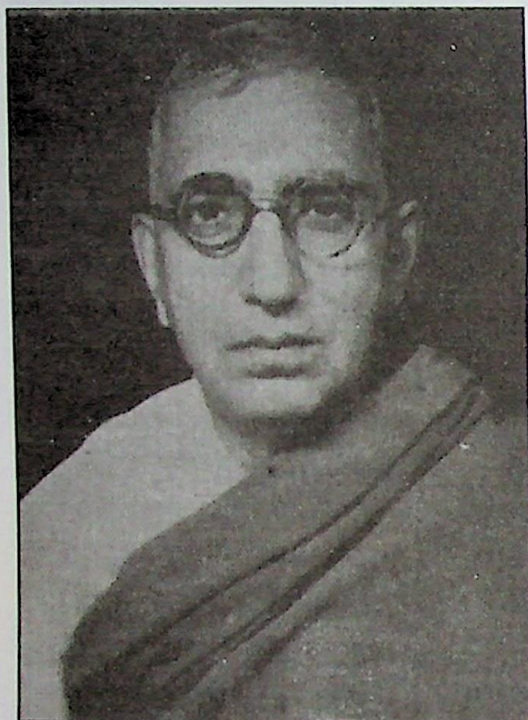
अपराध में 'फ्रण्टियर क्राइम रेगुलेशन' की धारा 36 के अन्तर्गत उन्हें 6 महीनों के लिये सीमान्त प्रान्त से तड़ी पार कर दिया गया। इसके बाद इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले उर्दू के साप्ताहिक क्रांतिकारी पत्र 'स्वराज्य' (1907-10) के अन्तिम सम्पादक बने और अदालत से फरार होने में सफल होने पर काला पानी जाने से बच गये। चन्द्रोदय दीक्षित ('स्वतंत्रता संघर्ष और उपलब्धि' पृष्ठ 23-सूचना एवं जन संपर्क विभाग उ०प्र० द्वारा जून, 1988 में प्रकाशित) के अनुसार सरकार विरोधी संपादकीय लिखने के इस केस में अमीर चंद बम्बवाल की पैरवी पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी।

युवा क्रान्तिकारी पं० अमीर चन्द बम्बवाल 3 वर्ष की सजा के दौरान पेशावर केन्द्रीय जेल से मुल्तान केन्द्रीय जेल में स्थानान्तरित किये जाते समय।

उन्होंने सन् 1914 में पेशावर षड़यंत्र केस में तीन वर्ष के कारावास की सजा पाई। वह राजा महेन्द्र प्रताप द्वारा सन् 1917 में काबुल में स्थापित अन्तरिम सरकार से सम्बन्ध होने के संदेह में 'फ्रण्टियर क्राइम रेगुलेशन' के तहत फिर एक वर्ष के लिये सीमान्त प्रान्त से निष्कासित किये गये। वह सन् 1918 में भी 6 माह के लिये प्रान्त से बाहर निकाल दिये गये। सन् 1919 में रोलेट ऐक्ट के विरोध में सत्याग्रह करने के अपराध में उनको बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट 1818 के तहत पुनः 6 माह के लिये तड़ी पार किया गया। इसके बाद 1920 के असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें डिफेंस आफ इण्डिया ऐक्ट के तहत पेशावर से बाहर निकाल दिया गया, मगर साथ ही डेरा इस्माइलखां जेल में 6 माह के लिये नजरबन्द कर दिया गया। वहाँ से आते ही ऐसे ही एक अन्य आरोप में उन्हें 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुयी। सन् 1925 में उनको पेशावर नगर पालिका की सीमा से बाहर न जाने और किसी भी समाचार पत्र में लेख न लिखने तथा 6 माह तक कहीं भी पत्र व्यवहार न करने के आदेश दिये गये। बम्बवाल ने सन् 1928 में एक बार फिर 'फ्रण्टियर एडवोकेट' निकाला जिससे 1930 में 'प्रेस ऐक्ट' के तहत जमानत माँगी गयी और सेंसर बिठा दिया गया। वह प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान के आदेश पर गुप्त रह कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समाचार भारतीय समाचार पत्रों को भेजते रहे। वह कांग्रेस के अध्यक्ष मोती लाल नेहरू से इलाहाबाद में मिले और उनसे 23 अप्रैल, 1930 को पेशावर में हुये गोलीकाण्ड की तहकीकात के लिये बिट्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता में पेशावर इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त कराई। उन्होंने सन् 1932 में पश्तो भाषा में एक अखबार निकाला। कहा

जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार बम्बवाल ने ही 'सरहदी गांधी' की उपाधि अपने अखबार के माध्यम से दी थी।

अमीर चंद बम्बवाल कलम के बहुत धनी थे। वह पश्तो, उर्दू, अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में लिखते थे। वह स्वाधीनता संग्राम के लिये अनुकूल माहौल बनाने के लिये पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम मानते थे। इसीलिये उन्होंने 1905 में 'फ्रंटियर एडवोकेट' नाम से साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। बाद में उन्होंने पेशावर से 'अफगान' और 'खुदाई खिदमदगार' नाम के अखबारों का प्रकाशन भी शुरू किया। सन् 1935 में उन्होंने पेशावर से उर्दू और अंग्रेजी में 'फ्रंटियर मेल' का संपादन और प्रकाशन शुरू किया।

सन् 1947 में देश का विभाजन होने के कारण अपने पठान साथियों के साथ वह भारत में शांति और सद्भावना यात्रा पर आये। मगर कश्मीर में कबाइली हमले के कारण परिस्थितियाँ बिगड़ने के कारण वह वापस लौट नहीं सके और देहरादून के महात्मा गांधी मार्ग पर मकान लेकर बस गये। वहीं से उन्होंने 1948 में 'फ्रण्टियर मेल' अखबार दुबारा शुरू किया। आजादी के बाद वह 'फ्रंटियर मेल' के प्रतिनिधि के रूप में संसद भवन भी जाया करते थे। प्रख्यात पत्रकार प्रकाशवीर शास्त्री के अनुसार *"प्रेस गैलरी में जब उन जैसा पुराना पत्रकार बैठता था तो वह गैलरी भरी हुयी लगती थी। उन्होंने अपने उस महान त्याग और बलिदान की कभी कीमत नहीं मांगी। उन जैसे कर्मठ सेनानी पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।"* इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बावजूद उन्हें स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक पेशन नहीं मिली। मगर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के हितों के लिये वह सदैव प्रयत्नशील रहे। उनके लिये वह एक बार राजा महेन्द्र प्रताप के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास भी गये। 10 फरवरी, 1972 को उनका दिल्ली में इलाज के दौरान देहावसान हो गया। डॉ० बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनके बारे में लिखा था कि– *"बम्बवाल जी की याद मुझे भुलाये नहीं भूलती। खादी का कुर्ता तथा पाजामा पहने और सफेद चद्दर लपेटे तथा खादी का झोला हाथ में लिये वे अक्सर (मेरे) 90 नॉर्थ एवेन्यू पर दर्शन देते रहते थे। सन् 1905 में इन्होंने 'फ्रंटियर एडवोकेट' उर्दू तथा पोश्तो में निकाला था, और फरवरी, 1972 तक वे 'फ्रंटियर मेल' का संपादन करते रहे। वे जन्मजात पत्रकार थे। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति निकले जो पूरे सड़सठ वर्ष तक संपादक रहा हो।"* महावीर त्यागी ने बम्बवाल को *"वरिष्ठतम् स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम श्रेणी के देशभक्त तथा राष्ट्र सेवा के लिये पूर्णतया समर्पित निस्वार्थ व्यक्ति"* बताया था। बाद में 'फ्रण्टियर मेल' के सम्पादन की जिम्मेदारी कई दशकों तक उनके दामाद यज्ञवल्क्य दत्ता ने सम्भाली। 'फ्रण्टियर मेल' दशकों तक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिस्पेंसरी रोड से निकलता रहा। स्वयं यज्ञवल्क्य दत्ता देहरादून के एक जाने माने पत्रकार रहे हैं। उन्होंने एक समय 'पीटीआइ' संवाद समिति का भी देहरादून में प्रतिनिधित्व किया। ऐसे स्वाधीनता सेनानी अखबार के संपादक यज्ञवल्क्य दत्ता का जीवन के अंतिम दिनों में अपना मकान नहीं था। वह अपनी पुत्री के परिवार के साथ महादेवी कन्या पाठशाला महा विद्यालय की कर्मचारी कालोनी में रह रहे थे। वहीं

उनका निधन भी हुआ। इस लेखक को उनका स्नेह और प्रोत्साहन हमेशा मिलता रहा। गांधी रोड पर जिस स्थान पर इस महान स्वतंत्रता सेनानी के निवास को स्मारक बनाया जाना था वहाँ आज स्वतंत्रता संग्राम की गौरवमयी यादों की कब्र पर विशालकाय व्यावसायिक इमारत खड़ी है।

अनुसूया प्रसाद बहुगुणा

गढ़वाल में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक 'गढ़केसरी' अनुसूया प्रसाद बहुगुणा चमोली गढ़वाल के नन्दप्रयाग के मूल निवासी थे, मगर उनका जन्म गोपेश्वर के निकट मण्डल घाटी के विख्यात अनुसूया देवी मंदिर परिसर में 18 फरवरी, 1894 में हुआ था। इसीलिये उनका नामकरण इसी मन्दिर के नाम पर उनके माता पिता द्वारा किया गया। उनके पिता सेठ गोकुला नन्द बहुगुणा थे। प्रारम्भिक शिक्षा अपने गृह नगर नन्दप्रयाग के अलावा पौड़ी और अल्मोड़ा से ग्रहण करने के बाद वह इलाहाबाद चले गये जहाँ उन्होंने म्योर सेण्ट्रल कॉलेज से 1914 में बी०एस०सी० और दो वर्ष बाद वहीं के विश्वविद्यालय से एल०एल०बी० की डिग्री हासिल की। उनके पिता उन्हें उच्च सरकारी पद पर देखना चाहते थे, जो उन्हें मिल भी रहा था, लेकिन स्वतंत्रता आन्दोलन में कूदने की चाह ने उन्हें वकालत के पेशे में थाम लिया। वह एक सफल वकील माने जाते थे। सन् 1919-20 में असहयोग आन्दोलन के दौरान उन्होंने चमोली गढ़वाल में घूम-घूम कर कुली बेगार के खिलाफ असहयोग का अलख जगाया। उस आन्दोलन के फलस्वरूप कुली बेगार और बर्दायश प्रथा समाप्त हो गयी। उस समय बैरिस्टर मुकुन्दी लाल ने लैंसडौन आदि क्षेत्रों में यह आन्दोलन शुरू किया था। सन् 1919 में उन्होंने गढ़वाल जिले से कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में प्रतिनिधित्व किया। सन् 1921 में उन्होंने ककोड़ाखाल में डिप्टी कमिश्नर की बर्दायश का विरोध किया तो इस साहसिक कार्य के लिये आम जनता द्वारा उन्हें 'गढ़केसरी' की उपाधि दी गयी। वह 1931 से लेकर 1935 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गढ़वाल के चेयरमैन रहे। चेयरमैन चुने जाने पर उन्होंने अपना निवास पौड़ी ही बना दिया। वह सन् 1937 में पौड़ी-चमोली तहसीलों के निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश असेम्बली के सदस्य चुने गये। सन् 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान वह 11 दिसम्बर को नन्दप्रयाग में गिरफ्तार किये गये और 14 दिसम्बर को चमोली के मैजिस्ट्रेट ने उन्हें एक साल की सजा सुना कर सेण्ट्रल जेल बरेली भेज दिया।
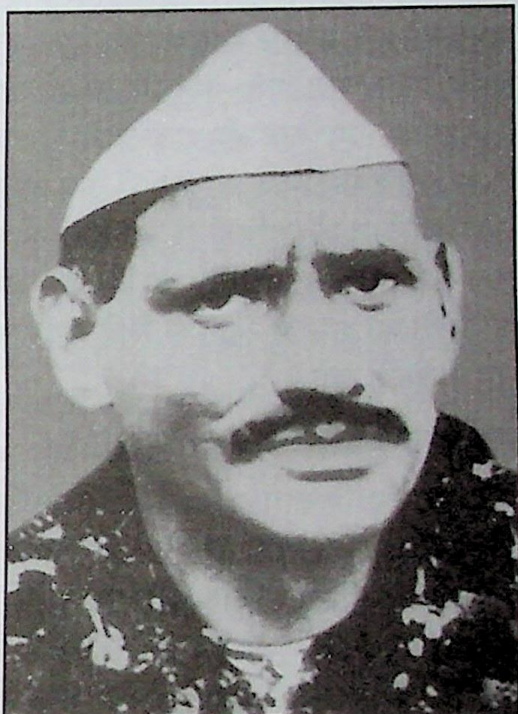
जिला बोर्ड गढ़वाल के अध्यक्ष पद पर रहते हुये वह पौड़ी से एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार निकालना चाहते थे। इसके लिये सन् 1932 में वह बम्बई से एक प्रेस खरीद कर पौड़ी लाये थे। लेकिन उन्हें कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं मिला फलस्वरूप वह प्रेस बेकार पड़ा रहा। सन् 1934 में उनके अनुरोध पर देवकी नन्दन ध्याणी ने 'स्वर्गभूमि प्रेस' के नाम से डिक्लेरेशन फाइल किया, मगर शीघ्र ही ध्याणी का निधन हो गया। उनके बाद 1936 में महेशा नन्द थपलियाल ने उस प्रेस को चालू कर 'उत्तर भारत' अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया। सन् 1939 में कुछ लोगों ने 'गढ़वाल प्रकाशन मण्डल' की योजना पेश की तो उदारतावश अनुसूया प्रसाद उसमें शामिल हो गये। प्रकाशन मण्डल की ओर से 'नव प्रभात' पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ मगर बाद में वह भी बन्द हो गया और 'गढ़केसरी' की गढ़वाल में एक उत्कृष्ट समाचार पत्र निकालने की हसरत धरी रह गयी और उनका हजारों रुपया बेकार चला गया। अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के कारण ही नन्दप्रयाग कभी चमोली गढ़वाल का सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केन्द्र रहा। उनके पदचिह्नों पर चलते हुये उनके भतीजे रामप्रसाद बहुगुणा भी कम आयु में ही स्वाधीनता आन्दोलन में कूद पड़े थे। अनुसूया प्रसाद के पद्चिह्नों पर चलते हुये ही रामप्रसाद बहुगुणा ने नन्दप्रयाग में प्रिंटिंग प्रेस लगा कर 'देवभूमि' अखबार का प्रकाशन शुरू किया। गढ़केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिये नन्दप्रयाग स्थित इंटर कॉलेज का नामकरण उन्हीं के नाम से किया गया है।

क्रांतिकारी इन्द्र सिंह 'गढ़वाली'

महान क्रान्तिकारी इन्द्र सिंह का जन्म 1903 में टिहरी रियासत में हुआ था। तेईस वर्ष की आयु में वह जीविकोपार्जन हेतु अमृतसर चले गए, जहाँ वह एक समाचार पत्र एजेंसी में कार्य करने लगे। इन्द्रसिंह सन् 1928 से 1930 तक अमृतसर में रहे। इस अवधि में वह 'नौजवान भारत सभा' और हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक संघ के सदस्य रहे। सन् 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्द्र सिंह ने एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया था।

उसी वर्ष महान क्रान्तिकारी शम्भूनाथ ने इन्द्र सिंह से प्रभावित होकर उन्हें क्रान्तिकारी दल की सदस्यता प्रदान की। दिसम्बर, 1930 में इन्द्र सिंह, शम्भुनाथ आजाद के साथ हथियारों का बण्डल दिल्ली से बनारस ले जाने के प्रयास में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए। पुलिस ने इन्द्र सिंह से जब जानकारी करनी चाही तो उन्होंने अपने क्रान्तिकारी दल के सम्बन्ध में जानकारी देने से इनकार कर दिया। नतीजतन उन्हें दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में 15 दिनों तक यातनाएँ देने के पश्चात् सात वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। जो लाहौर उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद तीन वर्ष कर दिया गया। 1933 में मुल्तान कारागार से तीन वर्ष की सजा समाप्त हो जाने के पश्चात् इन्द्र सिंह को रिहा कर दिया गया। रिहाई के तुरन्त बाद उन्हें 'नौजवान भारत सभा' ने एक क्रांतिकारी टुकड़ी का संचालक बनाकर कार्यवाही हेतु दक्षिण भारत में भेज दिया। मद्रास में उन्हें इस सभा की पंजाब, ग्वालियर, दिल्ली तथा कलकत्ता की शाखाओं से संपर्क स्थापित करने का कार्य

सौंपा गया। मद्रास में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात, क्रांतिकारियों ने मद्रास एवं बंगाल के गवर्नरों पर बम फेंकने की योजना बनाई। तब इन्द्र सिंह गवर्नर की यात्राओं की सूचनाओं का पता लगाने के लिए 'प्रेम प्रकाश मुनि' के नाम से साधु के वेश में रहने लगे और बाद में इसी नाम से क्रांतिकारी दल में प्रसिद्ध हो गए।

28 अप्रैल, 1933 को क्रांतिकारियों ने मद्रास में ऊटी बैंक लूटा। शम्भुनाथ आजाद लूटा हुआ माल लेकर भागने में सफल हो गए और शेष सभी साथी पुलिस द्वारा बंदी बना लिए गए। ऊटी बैंक लूटने के अवसर पर क्रांतिकारी रोशनलाल, गोविन्दराम, इन्द्र सिंह और हीरालाल मद्रास से बाहर थे, अत: यह सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत मद्रास लौटकर अपना निवास बदल दिया। जब क्रान्तिकारियों ने निर्णय लिया कि सर्वप्रथम अपने बंदी साथियों को मुक्त करवाया जाए, जो मद्रास और बंगाल के गवर्नरों की हत्या के उद्देश्य से रखे गए थे। उन्हीं के माध्यम से क्रांतिकारियों को छुड़ाने का निर्णय लिया गया, बम का प्रयोग करने से पूर्व उनका परीक्षण करना अनिवार्य था। इसलिये इन्द्र सिंह, रोशनलाल, गोविन्दराम, हीरालाल और शम्भुनाथ आजाद बम परीक्षण के लिए मद्रास के पूर्व में रामेश्वर के निकट गए। समुद्र तट पर बम का परीक्षण किया गया, किन्तु दुर्भाग्यवश रोशनलाल बम की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गयी।

इस घटना से पुलिस और सरकार दोनों सतर्क हो गये। 'गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ' पृष्ठ 573 में छपे राजबंदी शंभूनाथ आजाद के पत्र के अनुसार इस बीच गवर्नरों को समाप्त करने की योजना की खबर भी सरकार को मिल गयी। अत: सरकार ने गुप्तचर विभाग को भी सतर्क होने के आदेश दिए। 4 मई, 1933 की दोपहर जब शम्भुनाथ अन्य साथियों सहित मद्रास नगर के मध्य में स्थित 'तम्बू चेट्टी स्ट्रीट' नामक गली के अपने निवास में विश्राम कर रहे थे, कि अचानक उन्हें पुलिस ने घेर लिया। इन क्रांतिकारियों में इन्द्र सिंह भी थे, इन्द्रसिंह अपनी छह राउंड की पिस्तौल को लेकर अपने तीन साथियों शम्भूनाथ, हीरालाल, और गोविन्दराम बहल सहित मकान की छत पर चढ़ गए, सशस्त्र पुलिस के साथ इन क्रांतिकारियों ने पांच घंटे तक पूरी बहादुरी के साथ संघर्ष किया। इस संघर्ष में इन्द्र सिंह के सहयोगी गोविन्दराम बहल की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। शेष तीनों क्रांतिकारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। तत्पश्चात इन्द्रसिंह और उनके दो साथियों पर मद्रास बम कांड के अभियोग में मुकदमा चलाया गया और इन्द्रसिंह को बीस साल कालापानी का दंड सुना कर अंडमान भेजा गया। 1937 में अण्डमान द्वीप में राजनीतिक बन्दियों ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिनमें इन्द्रसिंह भी सम्मलित थे। उसके बाद प्रथम दल के साथ इन्द्रसिंह को लाहौर सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया।

सन् 1939 में वह जेल से मुक्त हुए, किन्तु पंजाब सरकार ने इन्द्रसिंह गढ़वाली, सरदार बन्तासिंह और खुशीराम मेहता को पंजाब से निष्कासित कर दिया। अब इन्द्र सिंह मेरठ पहुँचे और 'कीर्ति किशन' नामक पत्रिका में कार्य करने लगे। उन्होंने 1939 तक मेरठ में 'साम्यवादी दल' के कार्यालय में काम किया, उसके बाद इन्द्रसिंह के जीवन वृतांत के

सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। क्रांतिकारी इन्द्रसिंह गढ़वाली के विषय में उपरोक्त तथ्य उनके खास सहयोगी एवं क्रांतिकारी नेता शम्भुनाथ आजाद ने सार्वजनिक किये थे।

इस प्रकार गढ़वाल के इस वीर पुत्र ने क्रांतिकारी संगठनों में भाग लेकर देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1952 से उनके विषय में कुछ भी सामग्री न मिल पाना, इस बात का बोधक है कि संभवतः उनकी मृत्यु हो गयी हो। प्रोफेसर शेखर पाठक (सरफरोशी की तमन्ना-1998 पृष्ठ-99) के अनुसार इन्द्र सिंह गढ़वाली का निधन 1952 में हुआ था। इन्द्र सिंह में कठोर साधना शक्ति थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गयी यातनाओं को निर्भीकता से स्वीकार किया जो उनकी अदम्य राष्ट्रभक्ति का परिचायक है।

उत्तराखण्ड के कार्यकर्ताओं का क्रान्तिकारी आन्दोलन में भी योगदान रहा। भवानी सिंह रावत, इन्द्र सिंह 'गढ़वाली' और बच्चू लाल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन तीनों का चन्द्र शेखर आजाद और शम्भूनाथ आजाद आदि के संगठनों से सम्बन्ध था। उनके साथी बच्चू लाल भट्ट को भी काला पानी की सजा हुयी थी। बच्चू लाल भी एक महान क्रान्तिकारी थे जिन्होंने ऊंटी बैंक लूटा था और जो कालापानी की सजा के दौरान विक्षिप्त हो गये थे। बाद में उन्हें पागलखाने डाल दिया गया। बच्चूलाल भट्ट के पिता रामचन्द्र भट्ट को भी दस साल की सजा हुयी। बच्चूलाल जैसे महान क्रान्तिकारी का इस तरह गुमनामी में मरना आजाद देश की सरकार की कृतघ्नता ही मानी जा सकती है।

इन्द्र विद्यावाचस्पति

गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक और महान आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानन्द (संन्यास से पहले मुंशी राम) के कनिष्ठ पुत्र इन्द्र विद्यावाचस्पति का जन्म जालन्धर में 9 नवम्बर, 1889 को हुआ था। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय कार्यकर्ता और भारतीयता के समर्थक थे। उन्होंने जीवन का लम्बा समय हरिद्वार में बिताया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया और गांधी जी के 'नमक सत्याग्रह' के समय जेल की यात्रा भी की। इन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की थी। इन्द्र विद्यावाचस्पति की शिक्षा प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार हुई। सात वर्ष की उम्र में उन्हें गुजरांवाला के गुरुकुल में भेजा गया और संस्कृत के माध्यम से उनकी पढ़ाई शुरू हुयी। बाद में उन्होंने अन्य विषयों का अध्ययन किया। पिता की इच्छा उनको बैरिस्टर

बनाने की थी। विदेश जाने के बजाय उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में पहले विद्यार्थी और फिर अध्यापक बनना पसन्द किया। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सन 1900 से लेकर सन 1963 तक के इन्द्र विद्यावाचस्पति से सम्बन्धित दस्तावेज सुरक्षित है। (प्राइवेट पेपर्स ऑफ इमिनेन्ट पर्सन्स–क्रम संख्या–19)।

इन्द्र विद्यावाचस्पति सार्वजनिक कार्यों में भी शुरू से ही रुचि लेने लगे थे। कांग्रेस संगठन में सम्मिलित होकर उन्होंने हरिद्वार के बजाय दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। 1920–1921 में उनकी गणना दिल्ली के प्रमुख कांग्रेसजनों में होती थी। गुरुकुल के वातावरण के कारण वह 'आर्य समाज' से प्रभावित थे। बाद में उनके ऊपर हिन्दू महासभा का भी प्रभाव पड़ा। पत्रकार के रूप में उन्होंने दिल्ली के 'विजय' और 'स्र्वधर्म प्रचारक' का सम्पादन किया। उनके पिता मुंशीराम ने सबसे पहले सन् 1908 में 'स्वधर्म प्रचारक' अखबार हरिद्वार से शुरू किया था। उनको सर्वाधिक ख्याति 'वीर अर्जुन' के सम्पादक के रूप में मिली। वह इस पत्र के 25 वर्ष तक सम्पादक रहे। 'विजय' के एक अग्रलेख के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था। 'नमक सत्याग्रह' के समय भी उन्होंने जेल की सज़ा भोगी।

उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया और गांधी जी के 'नमक सत्याग्रह' के समय जेल की यात्रा भी की। इन्द्र विद्यावाचस्पति जीवन में सत्य और अहिंसा के स्थान को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान गुरुकुल कांगड़ी का संचालन एवं मार्गदर्शन है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने गुरुकुल की उपाधियों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों से मान्यता प्रदान कराने का उल्लेखनीय कार्य किया। गुरुकुल में हिन्दी माध्यम से तकनीकी विषयों की शिक्षण की व्यवस्था करके इन्होंने हिन्दी की अमूल्य सेवा की। उनकी मान्यता थी कि व्यक्तिगत जीवन में सत्य और अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है, किन्तु अहिंसा को राजनीति में भी विश्वास के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में वे नहीं थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी से मतभेद होने के कारण 1941 में कांग्रेस से सम्बन्ध तोड़ लिया था। सन् 1960 में इन्द्र विद्यावाचस्पति का देहान्त हुआ।

इन्द्र स्वरूप रतूड़ी

भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान देहरादून में कांग्रेस का एक भूमिगत हस्तलिखित 'ढिंढोरा' अखबार छपता था। उसे बाकायदा साइक्लोस्टाइल्ड कर वितरित किया जाता था ताकि आन्दोलन तेज भड़के। प्रेस सेंसरशिप के चलते कांग्रेस के ये युवा क्रांतिकारी विचार आम अखबार में नहीं छपवा सकते थे। इन्हीं युवा कांग्रेसियों में से एक इन्द्र स्वरूप रतूड़ी थे। रतूड़ी का जन्म 1927 में देहरादून के धामावाला में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरधारी लाल था। उनको 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में डेढ़ माह की कैद की सजा हुयी थी। उस समय ढिंडोरा अखबार का उपयोग खादी की उन्नति के लिये भी किया गया।

किशोरी लाल आनन्द

उनका जन्म 1 जनवरी, 1923 को गोकुल चन्द आनन्द के घर 32 ओल्ड कनाट प्लेस देहरादून में हुआ था। किशोरी लाल आनन्द ने 1970 में वामपन्थी विचारों के पोषक और मजदूर वर्ग के हिमायती अखबार 'दीवार' का प्रकाशन शुरू किया था। उन्होंने सन् 1982 में 'दून दीवार' अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। वह एक जाने-माने स्वाधीनता सेनानी रहे हैं। उन्होंने हाइस्कूल पास करने के बाद 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। वह 1942 में क्रांतिकारी गतिविधियों में पकड़े गये और उन्हें 10 माह का कारावास हुआ। वह हरिपुर सेण्ट्रल जेल में सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ रहे। वह सन् 1942 में कांग्रेस और फिर क्रांतिकारियों के संगठन 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी' से जुड़े। आन्दोलन के दौरान वह तार काटने वाले संगठन के अगुवा रहे। पत्रकारिता के साथ ही वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े रहे।

किशोरीदास वाजपेयी 'आचार्य'

आचार्य जी का जन्म कानपुर के मंधना के पास रामनगर नामक गाँव में हुआ था

लेकिन उनके जन्म वर्ष के बारे में कुछ भ्रांति है। इसलिये माना जाता है कि उनका जन्म सन् 1897 या 1898 में से किसी एक वर्ष में ही हुआ था। उन्होंने जीवन का अधिकांश समय हरिद्वार के पास कनखल में बिताया। हरिद्वार से ही उन्होंने 'क्रांति' अखबार का प्रकाशन शुरू किया और वहीं एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की। वह एक विद्वान लेखक-पत्रकार और प्रकाण्ड व्याकरणाचार्य ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा गाँव मे हुई। इसके बाद इनकी संस्कृत की पढ़ाई वृन्दावन में हुई। फिर वाराणसी से प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से विषारद और शास्त्री की परीक्षा सम्मान सहित उत्तीर्ण की।

वाजपेयी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना विशेष स्थान बनाया। 'सच्चाई' और 'खरी बात' ये दो उनके मूल मंत्र थे। 'मराल', जो समीक्षात्मक मासिक पत्रिका थी, में यह कह कर कि, 'तुम बिन कौन मराल करे जग, दूध को दूध और पानी को पानी' कह कर अपने उद्देश्य का ठप्पा लगा दिया। 'मराल' के अतिरिक्त वाजपेयी जी 'वैष्णव सर्वस्व' एवं क्रान्तिकारियों के अखबार 'चाँद' के सम्पादन से भी जुड़े रहे। मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ अपशब्द छपने पर उन्होंने 'चांद' के सम्पादकीय विभाग की नौकरी छोड़ दी थी।

वाजपेयी जी जलियांवाला काण्ड से बेहद आहत हुये तो उन्होंने 'अमृत में विष' नामक एक गद्य काव्य लिख डाला। वाजपेयी स्वाधीनता संग्राम में भी कूदे और जेल भी भेजे गये। उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर रुड़की जेल भेजा गया, मगर उन पर अपराध साबित नहीं हो सका। सविनय सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन में भाग लेने पर उनकी ए०बी० मिडिल स्कूल हरिद्वार की नौकरी भी चली गयी। आन्दोलन पर उनका पहला लेख 'वैष्णव सर्वस्व'

में छपा, जिससें साहित्य जगत को इनकी लेखनी का परिचय मिला। फिर तो इनके लेखों की झड़ी ही लग गई जो 'माधुरी' और 'सुधा' में छपे। हिन्दी में भाषा के क्षेत्र में उन्होंने आलोचना, काव्यशास्त्र, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में भी योगदान दिया। हिन्दी भाषा विज्ञान, व्याकरण, वर्तनी, हिन्दी शब्दों का विश्लेषण आदि के क्षेत्र में उनका ऐसा अभूतपूर्व योगदान रहा कि लोग इन्हें हिन्दी का पाणिनि कहने लगे। उन्होंने घर छोड़ने के बाद अपने जीवन का अधिकांश समय हरिद्वार के पास कनखल में बिताया और वहीं 12 अगस्त, 1981 को उनका निधन हो गया।

कोतवाल सिंह नेगी

'पौड़ी के कोतवाल' के नाम से सम्बोधित किये जाने वाले समाजसेवी और स्वाधीनता सेनानी कोतवाल सिंह नेगी का जन्म अक्टूबर, 1900 में ग्राम काण्डई पट्टी नांदलस्यूँ में सौणसिंह नेगी के घर हुआ था। डॉ० भक्त दर्शन (गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ-पृ० 594) के अनुसार कानपुर प्रवास के दौरान वह 'गढ़वाल डिबेटिंग क्लब' के मंत्री रहे और उन्होंने 'हिलमैन' नाम की पत्रिका का सम्पादन भी किया। बाद में वह पौड़ी में 'क्षत्रिय वीर' के सम्पादक भी रहे। वह 'गढ़वाल नव युवक सम्मेलन' के उप प्रधान भी निर्वाचित हुये। श्री नेगी डी०ए०वी० हाइस्कूल पौड़ी के संस्थापकों में से एक रहे। एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर सत्याग्रह आन्दोलन में सन् 1930 में 'इबटसन काण्ड' में उन्हें 6 माह के कारावास की सजा हुयी। सन् 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में उन्हें एक वर्ष का कारावास और 50 रुपये के आर्थिक दण्ड की सजा

हुयी। वह 1942 में नजरबन्द किये गये और 1943 के अन्त में मुक्त हुये। उस जेल प्रवास के दौरान ही उनके पुत्र की मृत्यु हुयी थी। वह सन् 1935 से मृत्युपर्यन्त जिला बोर्ड के सदस्य रहे और बाद में सन् 1938 से 1940 तक उपाध्यक्ष भी रहे। शक्ति सकलानी जैसे कुछ लेखकों ने कोतवाल सिंह नेगी के प्रति जातीय अवांछित और अनर्गल राय प्रकट की है। जबकि कोतवाल सिंह पौड़ी के सार्वजनिक जीवन के आधार स्तम्भ माने जाते रहे हैं। डॉ० भक्त दर्शन ने उन्हें 'बहुमुखी स्वयंसेवक' बताया है। जबकि स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने उन्हें 'पौड़ी के कोतवाल' की उपाधि दी थी। 23 मार्च, 1948 को उनका देहावसान हो गया। डॉ० योगेश धस्माना की पुस्तक 'उत्तराखंड में जन-जागरण और आन्दोलनों का इतिहास' के पृष्ठ-47 के विवरण के अनुसार कोतवाल सिंह नेगी ने 'क्षत्रिय वीर' के संपादकीय में जनता से प्रार्थना की थी कि क्षत्रिय सभा और 'क्षत्रिय वीर' को जातीय संकीर्णता से न देखे। अपने संपादकीय में कोतवाल सिंह नेगी ने लिखा था कि *"हम उनके साथ सदैव मिल कर रहना चाहते हैं, जैसे कि पूर्व में सहयोग देते आये हैं। जातीयता राष्ट्रीयता की विपक्षी कही जाती है और हम ऐसी जातीयता का अवलंबन नहीं करना चाहते,*

जिससे नये राष्ट्र की जड़ों को धक्का पहुँचे। हम तो केवल अपने में से कुरीतियों को दूर कर भातृ भाव पैदा करना चाहते हैं। इसकी मजबूती से हिन्दू समाज ही नहीं वरन राष्ट्र विशेष सुदृढ़ होगा।"

कृपा राम मिश्र 'मनहर'

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार कृपाराम मिश्र 'मनहर' का जन्म अगस्त, 1902 में जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा के निकट सरूड़ा गाँव में हुआ था। उनके पिता धनी राम मिश्र उस जमाने के जाने-माने समाजसेवी और व्यवसायी थे। 'मनहर' जी ने प्रारम्भिक शिक्षा कोटद्वार और दुगड्डा से प्राप्त की। उन्होंने 1929 में 'गढ़देश' अखबार का प्रकाशन शुरू किया। इस अखबार का सम्पादन प्रख्यात साहित्यकार कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर' ने भी देवबंद सहारनपुर से किया था। सन् 1930 में आठ अंक निकलने के बाद 'गढ़देश' बन्द हो गया था। मनहर जी ने 1934 में 'गढ़देश' का प्रकाशन पुन: शुरू किया। उस समय वह पत्र देहरादून से छापा जाता था। लेकिन कठोर प्रेस कानून की जकड़ के कारण उनका यह प्रयास भी सफल नहीं हो पाया। ब्रिटिशराज विरोधी कुछ लेखों के कारण 'गढ़देश' के सम्पादक और मुद्रक से दो-दो हजार रुपयों की जमानतें मांगी गयीं। वह रकम जमा करना कठिन समझ कर कृपा राम मिश्र ने अखबार बन्द करना ही उचित समझा। गढ़देश के पूरी तरह बन्द हो जाने के बावजूद उनकी समाचार पत्र छापने की उत्कण्ठा शान्त नहीं हुयी। अत: उन्होंने अपने छोटे भाई हरिराम मिश्र चंचल के सहयोग से सन् 1940 में कोटद्वार से साप्ताहिक 'संदेश' अखबार का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान 'मनहर' जी के जेल चले जाने के कारण 'संदेश' भी बन्द हो गया।

सन् 1930 में दुगड्डा में आयोजित सत्याग्रह कान्फ्रेंस सम्पन्न होने पर कार्यकर्ताओं की टोली लेकर उन्होंने गढ़वाल में जागृति अभियान का कार्य किया। आन्दोलन छिड़ने पर सर्व प्रथम गिरफ्तार होने वालों में कृपा राम मिश्र भी थे। उस समय उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुयी थी। महात्मा गांधी ने 16 से 21 मई, 1931 तक नैनीताल में प्रवास किया था। नैनीताल में 21 मई, 1931 को जब महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टण्डन की उपस्थिति में तथा नरदेव शास्त्री की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो गढ़वाल से कृपाराम

मिश्र और जयानन्द भारती उस में शामिल हुये। सन् 1936 में कठुलिया महादेव मेले में राजद्रोहात्मक भाषण देने के आरोप में उन्हें दूसरी बार 3 माह की सजा और 50 रुपये जुर्माना हुआ था। संगठन का मंत्री होने के नाते उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त सजा हुयी, मगर हर गोविन्द पन्त की पैरवी पर वह छूट गये। सन् 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री की हैसियत से वह गढ़वाल जिले में पहले सत्याग्रही बने तथा देवीखाल (पट्टी सीला) में गिरफ्तार किये गये। वह 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में कोटद्वार तथा दुगड्डा में एक वर्ष तक नजरबन्द रहे। सन् 1972 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वाधीनता की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में गढ़वाल जिले से जिन 4 स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली बुला कर राजकीय ढंग से सम्मानित किया गया था उनमें से मनहर भी एक थे। आखिरकार 4 अक्टूबर, 1975 को ग्राम काशी रामपुर कोटद्वार में 73 साल की उम्र में मनहर जी का देहावसान हो गया।

कृष्ण लाल ढींगरा

स्वतंत्रता सेनानी और हरिद्वार के प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक रहे कृष्ण लाल ढींगरा का जन्म सन् 1919 में पाकिस्तान के सरगोधा में हुआ था। ढींगरा ने 1937 में कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में प्रवेश के बाद सन् 1938 में पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। उन्होंने 'वीर भारत', 'मिलाप' और उर्दू के 'प्रताप' में संवाद प्रेषण किया। वह स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने पर पकड़े गये और सरगोधा जेल भेजे गये। वह 11 माह की जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुये और पाकिस्तान से भारत आ गये। अन्ततः वह जगाधरी से हरिद्वार पहुँच गये। हरिद्वार में भी वह मिलाप और प्रताप के संवाददाता रहे। उन्होंने 1974 में हरिद्वार से अपना हिन्दी साप्ताहिक 'हरिद्वार एक्सप्रेस' निकाला। वह पत्रकार संघ, पत्रकार परिषद और प्रेस क्लब आदि के भी सदस्य रहे। वह आज भी हरिद्वार की पत्रकारिता को वटवृक्ष की तरह छांव दे रहे हैं।

पण्डित खुशदिल

देहरादून में उर्दू पत्रकारिता के स्तम्भ रहे पण्डित खुशदिल को कई अन्य लोगों की तरह तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में तो नहीं रखा था मगर उनकी पृष्ठभूमि पर गौर किया जाय तो स्वतंत्रता आन्दोलन में उनकी लेखनी के योगदान को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। उनका जन्म लाहौर कैण्ट में 15 अक्टूबर, 1912 को हुआ था। डिफेंस ऑफ इण्डिया एक्ट के तहत उनके खिलाफ जब लाहौर में गिरफ्तारी का वारण्ट जारी हुआ तो वह वहाँ से फरार हो कर दिल्ली होते हुये ऋषिकेश पहुंचे गये, जहाँ उन्होंने 1942 में उर्दू का 'कौमी शिकवा' अखबार शुरू किया। पण्डित जी 1948 में देहरादून पहुँचे तो उन्होंने यहाँ से 'देश सेवक' नाम का उर्दू अखबार निकाला जो कि कई दशकों तक चलता रहा।

पण्डित खुशदिल ने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद महज 18 साल की उम्र में ही शाहू-की-गढ़ी लाहौर से उर्दू साप्ताहिक 'गरीब मजदूर' का प्रकाशन शुरू किया, जिसका मकसद ही स्वाधीनता आन्दोलन में योगदान देना था। लेकिन बार-बार के पुलिस हस्तक्षेप और आर्थिक कारणों से कुछ ही महीनों के अन्दर उन्हें वह पत्र बन्द करना पड़ा। सन् 1938 में पण्डित जी ने अपना दूसरा उर्दू अखबार 'वीर बैरागी' शुरू किया, जो कि काफी लोकप्रिय हुआ लेकिन राष्ट्रवादी विचारों के कारण अंग्रेजी प्रशासन को उसके तेवर पसन्द नहीं आये। बाद में उन्होंने जब अखबार का दफ्तर लाहौर कैण्ट से धर्मपुरा लाहौर स्थानान्तरित करने की अनुमति डिप्टी कमिश्नर से मांगी तो उनसे 1000 रुपये की जमानत मांगी गयी। 'फ्रंण्टियर मेल' के सम्पादक रहे यज्ञवल्क्य दत्ता द्वारा लिखी गयी एक पुस्तिका के अनुसार दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने पर पण्डित जी की गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ लाहौर प्रशासन ने गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया तो वह फरार हो कर पहले दिल्ली और फिर ऋषिकेश पहुँच गये। स्वर्गाश्रम को सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने में पण्डित जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऋषिकेश में भी वह स्वाधीनता आन्दोलन की गतिविधियों में सक्रिय रहे। देहरादून पहुँचने पर उन्होंने जब 'देश सेवक' अखबार निकाला तो वह उसकी छपाई सहारनपुर और देवबन्द से कराते थे। देश सेवक का अन्तिम अंक 15 अगस्त, 1984 को निकला था। खुशदिल भारत के उन गिने चुने उर्दू शायरों में से एक थे जिन्होंने इश्क या मुहब्बत पर एक भी शेर या कविता नहीं लिखी। उनका सारा लेखन और काव्य सृजन, राष्ट्रवाद, अध्यात्म और समाजोत्थान पर आधारित रहा।

गिरिजा दत्त नैथाणी

गढ़वाल के पहले हिन्दी संपादक गिरिजा दत्त नैथाणी स्वतंत्रता संग्राम में जेल तो नहीं गये और ना ही उन्होंने कुछ अन्य सम्पादकों की तरह भारत छोड़ो या व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारी की, मगर उनकी लेखनी स्वाधीनता आन्दोलन के पक्ष में सदैव खड़ी रही। उनके द्वारा संपादित 'पुरुषार्थ' में राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी सामग्री काफी छपती थी। इसके जनवरी, 1919 के अंक रोलेट बिल के खिलाफ लेख छपा था। उस में हकारे बटखर के नाम खुली चिट्ठी भी छपी थी। उसी अंक में कुली ऐजेंसी पर भी लेख छपा था। उन्होंने गढ़वाली समाज में जागरूकता पैदा करने तथा स्वाधीनता और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में जो भूमिका सबसे पहले अदा की वह किसी स्वाधीनता सेनानी से कम नहीं थी। गढ़वाल में हिन्दी पत्रकारिता के आदि पुरुष होने के नाते नैथाणी जी के बारे में यहां स्वाधीनता संग्राम सेनानी पत्रकारों के साथ विशेष उल्लेख किया जा रहा है। उन्होंने न केवल कुली बेगार के विरोध में बल्कि टिहरी में लोकतंत्र के समर्थन में भी काफी कुछ लिखा था।

गिरिजा दत्त नैथाणी का जन्म सन् 1872 में पौड़ी गढ़वाल की मन्यारस्यूं पट्टी के नैथाणा गाँव में हुआ था। सन् 1888 में कांसखेत से मिडिल पास करने के बाद उन्होंने बरेली कालेज से मैट्रिक परीक्षा पास की। उन्होंने मई, 1902 में लैंसडौन से मासिक पत्र 'गढ़वाल समाचार' शुरू किया। वह पत्र फुलस्केप आकार का कुल 16 पृष्ठों का था और आर्य भास्कर प्रेस मुरादाबाद से छपाया जाता था। बाद में वह अपना कार्यालय कोटद्वार ले आये और 'गढ़वाल समाचार' का छटा अंक अक्टूबर, 1902 में कोटद्वार से ही प्रकाशित हुआ। आर्थिक कारणों से मात्र दो वर्षों के अन्दर ही उन्हें अपना अखबार बन्द करना पड़ा। यह एक तरह से भारत के पहले हिन्दी पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' की तरह ही गढ़वाल का पहला हिन्दी अखबार था। हालांकि इससे पहले 1901 में टिहरी से 'रियासत टिहरी गढ़वाल' नाम का हिन्दी पत्र अवश्य निकला मगर वह एक तरह से राजशाही का गजट ही था।

सन् 1905 में जब 'गढ़वाल यूनियन' की ओर से 'गढ़वाली' मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ तो गिरजा दत्त नैथाणी की लेखन प्रतिभा और उनके अनुभव को देखते हुये यूनियन ने 'गढ़वाल समाचार' को 'गढ़वाली' में ही समाहित कर नैथाणी को उसका संस्थापक सम्पादक नियुक्त कर दिया। उन्हें सम्पादन कार्य के लिये गढ़वाल यूनियन द्वारा 150 रुपये वार्षिक मानदेय तय किया गया था। इसके साथ ही उन्हें अपना निवास स्थान चुनने की भी स्वतंत्रता दी गयी थी। उस समय 'गढ़वाली' के एक अंक की छपाई का खर्च 38 रुपये आता था। धीरे-धीरे उनके गढ़वाल यूनियन के संचालकों के साथ मतभेद बढ़ने लगे और वह सन् 1910 में गढ़वाली से अलग हो गये। लेकिन अपनी धुन के पक्के गिरजा दत्त कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अपने शुभ चिन्तकों और धनी राम शर्मा जैसे समाज सेवियों की सहायता से 4 हजार रुपये जुटा कर दुगड्डा में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नाम से 'स्टॉवल प्रेस' स्थापित कर दी और फरवरी, 1913 में 'गढ़वाल समाचार' का दुबारा प्रकाशन शुरू कर दिया। इसी बीच पौड़ी से 'विशाल कीर्ति' का प्रकाशन भी शुरू हुआ। इसके बाद एक बार फिर गढ़वाल के बुद्धिजीवियों और साधन सम्पन्न लोगों ने गढ़वालियों के तीनों प्रेसों को एक करने का प्रयास किया। इसके लिये कोटद्वार में सन् 1914 में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों अखबारों और प्रेसों को एक कर दिया गया और नैथाणी को पुनः 'गढ़वाली' का सम्पादक बना दिया गया। स्टौवल प्रेस की कीमत उस समय 4700 रुपये आंकी गयी और गढ़वाल यूनियन ने उसकी अदायगी बाद में किश्तों में स्टौवल के मूल संचालकों को कर दी। गढ़वाली का पुनः सम्पादक नियुक्त होने पर नैथाणी फिर देहरादून आ गये, लेकिन वह जनवरी, 1915 से लेकर अगस्त, 1916 तक ही 'गढ़वाली' का सम्पादन कर सके तथा सम्पादकीय नीति में मतभेद होने पर वह दुबारा उससे अलग हो गये। उनके द्वारा लिखे गये संपादकीयों से साफ झलकता है कि वह खुले विचारों के पत्रकार थे तथा जातीय सभाओं और अंग्रेज या राजशाही की भक्ति के खिलाफ थे।

सम्पादकाचार्य नैथाणी ने अक्टूबर, 1917 से 'पुरुषार्थ' मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। वह बिजनौर से छपता था और कभी दुगड्डा तो कभी नैथाणा से प्रकाशित होता था।

उसके कुछ अंक बाराबंकी से भी छपे। लेकिन वह बन्द हो गया। बाद में उन्होंने सन् 1921 में अपने ही गांव नैथाणा से 'पुरुषार्थ' का प्रकाशन शुरू किया लेकिन इस बार भी वह पत्र नियमित नहीं हो सका और फिर बन्द ही हो गया। दुगड्डा में निमोनिया हो जाने के कारण 21 नवम्बर, 1927 को मात्र 55 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। उनके निधन पर 'गढ़वाली' अखबार ने लिखा था कि *"पं० गिरिजा दत्त नैथाणी ने देशप्रेम की पवित्र ज्वाला को, जो अब हाकिमों की और राजनीतिक अज्ञानता की राख से बुरी तरह दबी हुयी थी, अपनी निर्भीक और तीव्र ध्वनि से प्रज्वलित किया।"* वह सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसी संकीर्णताओं के घोर विरोधी थे। उस युगदृष्टा की जातिवाद के प्रति आशंकाएं निर्मूल नहीं थीं। आज उत्तराखण्ड के विकास में वह संकीर्णता सबसे बड़ी बाधक बनी हुयी है। जाति बिरादरी के नाम पर अपात्र भी चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिये उन्होंने पं० तारादत्त गैरोला के नेतृत्व में गठित 'सरोला सभा' का प्रबल विरोध किया था। वह हर तरह की जातीय सभाओं के विरोधी थे। पं० नैथाणी के बारे में गढ़वाली अखबार में मौजी नाम से विश्वम्भर दत्त चन्दोला ने अप्रैल, 1908 में लिखा था कि—

"यदि गढ़वाल में जातीय सभाएं, पूर्वोक्त कथानानुसार चलाई जाएं, तो मेरी समझ सम्पादक महाशय और पं० तारादत्त गेरोला जी की सम्मति किसी तरह मिल जायेगी। राष्ट्रीय सभा भी देखभाल करने को हो जायेगी और जातीय सभाएं भी काम करती रहेंगी। इस तरह पर मतभेद भी नहीं समझा जावेगा और कार्य में भी बाधा नहीं होगी।"

इससे स्पष्ट है कि रायबहादुर तारादत्त गैरोला और 'गढ़वाली' के पहले सम्पादक गिरजा दत्त नैथाणी के बीच जातीय सभाओं को लेकर गम्भीर मतभेद थे। तारादत्त गैरोला 'सरोला ब्राह्मण सभा' के संस्थापक थे। जाहिर है कि विश्वम्भर दत्त चन्दोला भी जातीय सभाओं के समर्थक थे और उन्होंने प्राचीन प्रथाओं के समर्थन में भी लेख लिखे थे। उस समय 'पुरुषार्थ' जैसे अखबारों द्वारा कुली बेगार प्रथा के खिलाफ पैदा की गयी जनजागृति ने ही इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को जगाया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वाधीनता आन्दोलन का श्रीगणेश भी कुली बेगार प्रथा के खिलाफ चलाया गया आन्दोलन ही बना। गिरजा दत्त नैथाणी और उनका अखबार 'पुरुषार्थ' टिहरी रियासत में लोकतांत्रिक आन्दोलन का भी प्रबल समर्थक रहा। सन् 1918 में जब अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के बारे में कटु टिप्पणी करने पर प्रशासन ने 'अल्मोड़ा अखबार' बन्द कराया तो नैथाणी ने 'पुरुषार्थ' में लिखा था—

एक फायर में तीन शिकार,
कुली, मुर्गी और 'अल्मोड़ा अखबार'।

गिरजा दत्त नैथाणी की यह टिप्पणी युगान्तरकारी बनी। आज भी पत्रकारिता पर जब चर्चा होती है तो नैथाणी की ये कालजयी टिप्पणी जरूर दोहराई जाती है।

आचार्य गोपेश्वर कोठियाल

आचार्य गोपेश्वर कोठियाल का जन्म टिहरी गढ़वाल की कुंजणी पट्टी के अन्तर्गत उदखण्डा गाँव में 10 फरवरी, 1909 को एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। छोटे लाल कोठियाल तथा जानकी देवी का यह पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण 8 साल तक अपने माता-पिता के साथ नहीं रह सका। इस अवधि में उनका पालन-पोषण उनकी बुआ ने किया। उसके बाद ही उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उदखण्डा ग्राम में शुरू हुई। प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे पहले दो वर्ष हरिद्वार और उसके बाद वाराणसी चले गये। बनारस से उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में आचार्य की उपाधि ग्रहण की। आचार्य जी को पंडित रामचन्द्र शुक्ल और डॉ० सम्पूर्णानन्द जैसे गुरुजनों का सानिध्य मिला। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने देहरादून को अपनी कर्मस्थली बनाया। वाराणसी में उन्हें अपने छात्र जीवन में स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला। उस समय 'नमक सत्याग्रह' चल रहा था। छात्र समुदाय के साथ नमक बनाते हुए उन्हें अनेक बार पुलिस द्वारा पकड़कर राजघाट के जंगलों में छोड़ दिया गया, जहाँ से वे रात तक वापस लौट आते थे।
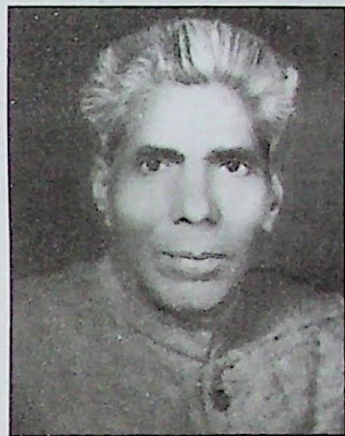
छात्र जीवन में ही उन्हें देशभक्ति, समाज सेवा राजनीति की शिक्षा मिली। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्हें बनारस से प्रकाशित और विष्णु पराड़कर द्वारा सम्पादित समाचार पत्र 'आज' से पत्रकारिता, लेखन और रचनाधर्मिता की प्रेरणा मिली। पराड़कर के देशभक्ति से ओत-प्रोत लेखों ने गोपेश्वर कोठियाल के युवा हृदय को स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी बनने के लिए प्रेरणा प्रदान की। उन दिनों कृष्ण चन्द्र पालीवाल द्वारा सम्पादित आगरा से प्रकाशित दैनिक 'सैनिक' ने भी आचार्य जी को काफी प्रभावित किया। उनके कुछ समाचार जब 'सैनिक' और 'कर्मभूमि' में छप गये तो पत्रकारिता में उनका रुझान बढ़ना स्वाभाविक था। सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान आचार्य कोठियाल बनारस में ही थे किन्तु 1954 में जब श्रीदेव सुमन की शहादत टिहरी में हुयी तब वह वापस पहाड़ आ गये। देहरादून के इन्दर रोड में रह कर 'प्रजा मण्डल' आन्दोलन के साथ-साथ भारत के मुक्ति संग्राम में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। 'कांग्रेस ढिंढोरा' की ही तरह देहरादून से सन् 1945 से 47 तक उन्होंने 'रणभेरी' नाम से एक साइक्लोस्टाइल्ड अखबार भी निकाला, जिसे रात को छाप कर सुबह-सुबह शहर में बांट दिया जाता था। वह अखबार निरन्तर दो सालों तक प्रसारित होता रहा। सुमन की शहादत के बाद टिहरी में आन्दोलन ने गति पकड़ी और आन्दोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिये एक समाचार पत्र की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, तब आचार्य कोठियाल ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांथरी, तेजराम भट्ट और श्यामचन्द सिंह नेगी आदि

आन्दोलनकारियों के सहयोग से 15 अगस्त, 1947 को 'युगवाणी' समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। साप्ताहिक से पहले यह पत्र कुछ समय तक पाक्षिक छपता रहा। इसके प्रकाशन के तुरन्त बाद आन्दोलन ने और भी गति पकड़ी और प्रजामण्डल का मुखपत्र होने के कारण टिहरी के राजा ने 'युगवाणी' को अपने राज्य की सीमा में प्रतिबन्धित कर दिया। राजदरबार में युगवाणी का इतना खौफ था कि जिस किसी भी व्यक्ति के घर या झोले में 'युगवाणी' मिल जाती तो उसे गिरफ्तार करने के लिये और सबूतों की आवश्यकता नहीं होती। देहरादून में प्रकाशित कर 'युगवाणी' को या तो मालदेवता से या फिर मसूरी के रास्ते गुपचुप तरीके से टिहरी और उत्तरकाशी तक पहुँचाया जाता था। इस पत्र की इतनी विश्वसनीयता थी कि इसमें प्रकाशित हर खबर का व्यापक असर होता था। 'युगवाणी' जनता की आवाज थी और आन्दोलन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिये गये फैसलों को युगवाणी के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया जाता था। आजादी के बाद भी आचार्य जी का 'युगवाणी' जनसरोकारों का प्रतिनिधि पत्र रहा। सन् 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जिन 39 वरिष्ठ पत्रकारों और अखबारों को स्वाधीनता संग्राम सेनानी घोषित कर सम्मानित किया उनमें उत्तराखण्ड के दो अखबार और दो पत्रकार भी थे जिनमें से एक आचार्य गोपेश्वर कोठियाल और दूसरे राधा कृष्ण वैष्णव थे और उत्तराखण्ड के वे दो यशस्वी अखबार 'शक्ति' और 'कर्मभूमि' थे। देहरादून में गढ़वाल सभा की स्थापना में भी आचार्य जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा वह इसके अध्यक्ष भी रहे। युगवाणी के माध्यम से उन्होंने नये लिखने वालों को एक मंच दिया और आज देश-विदेश में स्थापित कई पत्रकार और साहित्यकार युगवाणी की ही देन हैं। लगभग 50 वर्षों तक युगवाणी साप्ताहिक का सफल संपादन करने के बाद 19 मार्च, 1999 में उनका 90 वर्ष की अवस्था में देहान्त हुआ। अब 'युगवाणी' साप्ताहिक पत्र के साथ-साथ मासिक पत्रिका के रूप में भी प्रकाशित हो रही है जिसका संपादन आचार्य जी के सुपुत्र संजय कोठियाल कर रहे हैं।

ठाकुर चन्दन सिंह

स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और भारत में नेपाली मूल के लोगों के हितों के प्रहरी, ठाकुर चन्दन सिंह का जन्म 1886 में हुआ था। इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय तक उन्होंने देहरादून के डीएवी कालेज में अध्यापन किया, फिर कुछ वर्षों तक प्रतापगढ़ और बीकानेर के रजवाड़ों में शानदार काम करके आइ०डी०एस०एम० की उपाधि अर्जित की। ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया ठाकुर चन्दन सिंह की भतीजी थीं जिनका नाम जिवाजीराव सिंधिया से विवाह से पहले लेखा दिव्येश्वरी था। चंदन सिंह ग्वालियर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के सहायक पुलिस महानिरीक्षक जैसे पदों पर रहे। लेकिन भतीजी के महारानी बनते ही उन्होंने पद त्याग दिया। देखा जाय तो चंदन सिंह विख्यात राजनीतिज्ञ माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया के नाना हुए। देहरादून लौट कर वह असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े और नेशनल स्कूल स्थापित करके उसके पहले हेडमास्टर रहे। वह प्रथम विश्व युद्ध में सराहनीय सेवाओं के

लिये "इण्डियन डिस्टिंग्विस्ड मैडल सर्विस" (आइ०डी०एम०एस०) प्राप्त करने के बाद कैप्टन पद से सेवानिवृत्ति हुये। चन्दन सिंह का असहयोग आन्दोलन में पूरा सहयोग रहा। उन्होंने 5 फरवरी, 1920 को पालिटिकल कान्फ्रेंस, हर्रावाला देहरादून में परेड की कमान सम्भाली। उनको स्वाधीनता आन्दोलन में 9 माह की जेल की सजा भी हुयी लेकिन वह जल्दी ही छूट गये। चन्दन सिंह 1922 के कांग्रेस के प्रान्तीय सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष रहे। वह काफी समय तक आल इण्डिया 'गोरखा लीग' के अध्यक्ष भी रहे। वह हिन्दी और अंग्रेजी के अच्छे लेखक थे। साहित्य अकादमी द्वारा 1997 में ठाकुर चंदन सिंह पर प्रकाशित महेन्द्र पी० लामा की पुस्तक के विवरण के अनुसार चंदन सिंह ने छात्र जीवन से ही एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका "गोरखा स्टार" से पत्रकारिता की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने देहरादून के 'महेन्द्र स्टार प्रेस' से 1919 में अंग्रेजी का "नादर्न स्टार" और हिन्दी का "नवभारत" छपाना शुरू किया। दोनों ही पत्र स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए समर्पित थे। इनमें गांधी जी के भाषण आदि छपते थे। आल इंडिया गोरखा लीग के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने 1926 में देहरादून में डांडीपुर में "ग्रांड हिमालयन प्रेस" की स्थापना की। इस क्षेत्र से उन्होंने नेपाली में "गोरखा संसार" और अंग्रेजी में "द हिमालयन टाइम्स" शुरू किया। 1927 में गोरखा संसार की प्रसार संख्या 400 थी। बाद में यह पत्र गोरखा छावनियों में प्रतिबंधित हो गया। "हिमालयन टाइम्स" 3 अक्टूबर, 1926 को शुरू हुआ। उन्होंने देहरादून से ही 8 अगस्त, 1928 को "तरुण गोरखा" शुरू किया जो कि 1933 तक चला। उनके अखबारों का प्रसार क्षेत्र भारत से बाहर नेपाल, बर्मा और भूटान भी था। ठाकुर चंदन सिंह के ससुर जनरल खड़ग शमशेर जंग राणा बहादुर थे, जिन्हें उनके बड़े भाई महाराजा खड़ग वीर ने नेपाल से निर्वासित कर दिया था। ठाकुर चंदन सिंह को भी नेपाली अदालत द्वारा बागी घोषित किया गया था। इसलिये उनका अखबार 'गोर्खा संसार' नेपाल में प्रतिबंधित था। 18 अक्टूबर, 1968 को ठाकुर चंदन सिंह का देहरादून में निधन हो गया। 'गोरखा संसार' अखबार 'ग्रांड हिमालयन' प्रेस से छपता था। इस प्रिंटिंग प्रेस का उल्लेख वाल्टन के गजेटियर में भी है।

चन्द्रमणि विद्यालंकार 'पालीरत्न'

स्वाधीनता सेनानी चन्द्रमणि विद्यालंकार भी स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल हरिद्वार के विद्वानों और पत्रकारों की पौधशाला की ही एक उपज थे। उन्होंने देहरादून में सन्

1934 में हिन्दी साप्ताहिक 'हिमालय' और 1936 में 'दून समाचार' अखबार शुरू किये। उनका जन्म जालन्धर पंजाब में 1892 में हुआ था तथा मृत्यु देहरादून के कचहरी रोड स्थित

आवास पर 1968 में हुयी थी। उनके पिता का नाम शालिग राम था। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान सन् 1941 में नमक सत्याग्रह में 1 मास और 1942 में डेढ साल तक जेल में रहे। वह एक आर्य समाजी थे और शिक्षा के प्रसार में भी उनका योगदान रहा। वह जालन्धर में महात्मा मुन्शी राम के पड़ोसी होने के कारण उनसे काफी प्रभावित रहे। उन्होंने कांगड़ी जाकर गुरुकुल से विद्यालंकार स्नातक की डिग्री ली। इस डिग्री के अतिरिक्त उन्होंने कुछ वर्षों के बाद श्रीलंका विश्वविद्यालय से 'पाली रत्न' की उपाधि भी हासिल की। उन्होंने गुरुकुल में अध्यापन भी किया जहाँ वे वेद पढ़ाते थे। फिर कुछ दिनों आवागढ़ में नौकरी करने के बाद वह सदा के लिये देहरादून आ गये। विद्यालंकार ने सन् 1934 में बैरिस्टर बुलाकी राम से उनका 'भास्कर प्रेस' खरीद लिया। उस प्रेस में जॉब वर्क भी होता था। वहाँ इनकी अपनी तथा अन्य लेखकों की पुस्तकें और कुछ अखबार छपते थे। उन्होंने कुल छह किताबें लिखीं। वह कांग्रेस के प्रायः सभी आन्दोलनों में शामिल हुये जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सन् 1941 में 1 मास का कारावास हुआ और अगले साल 1942 में वह डेढ़ वर्ष तक नजरबन्द रहे। बाद में उन्होंने हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह में भी जेल यात्रा की थी। उनकी पुस्तकों में निरुक्त भाष्य, आर्य मनु स्मृति, सुबोध संन्ध्या, वाल्मीकीय रामायण एवं कल्याण पथ शामिल थीं। उन्होंने पाली साहित्य पर भी पुस्तकें लिखीं जो कि प्रकाशित नहीं हुयीं। (भक्त दर्शन-गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां)। भारत के स्वाधीन होते ही उन्होंने भी सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और देहरादून से बाहर चले गये। वह गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में 6 वर्षों तक मुख्य अधिष्ठाता पद पर रहे और उसके बाद बीमार होने पर वापस देहरादून लौट आये। देहरादून में ही जून 1968 में उनका देहावसान हो गया।

जयसिंह भाटिया

देहरादून के जाने-माने स्वाधीनता सेनानी जयसिंह भाटिया 'हिमसागर' अखबार के सम्पादक रहे। उनका अखबार राजपुर रोड के अनेकांत प्लेस स्थित उनके अपने प्रेस से सन् 1979 तक छपता रहा। वह एक सक्रिय कांग्रेसी थे। उनका जन्म सन् 1921 में गुजरांवाला पंजाब (अब पाकिस्तान) में हुआ था। वह गुजरांवाला में नगर कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी रहे। उन्होंने कई ट्रेड यूनियन आन्दोलनों में भाग लिया। उन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने पर सन् 1940 में दो माह, 1941 में एक माह तथा 1942 में 18

माह की कैद की सजा हुयी। उनकी पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में सदैव रुचि रही। देहरादून में उनका 'बड़े भाई' का सम्बोधन काफी मशहूर रहा, क्योंकि वह हर छोटे बड़े को 'बड़े भाई' कहकर सम्बोधित करते थे। 'हिमाचल टाइम्स' अखबार समूह के प्रकाशन स्थल के पड़ोस में होने के कारण उनके प्रख्यात पत्रकार एस०पी० पांधी से घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। उनका निधन अक्टूबर, 1999 को देहरादून में हुआ।

जयदत्त वैला

वकील जयदत्त वैला ने 'प्रजा बन्धु' साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन आजादी के बाद रानीखेत से 1947 में किया था, मगर उससे पहले उनकी स्वाधीनता आन्दोलन में महती भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। वे वैला रानीखेत के रिखाड़ गांव के निवासी थे। छात्र जीवन में 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर उन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। सन् 1940 में उन्हें एक साल की कठोर कारावास की सजा और जुर्माना किया गया था। वह सन् 1942 में अल्मोड़ा जेल में रहे तथा बाद में सन् 1945 तक नजरबन्द रहे। आजादी के बाद भी उनका कुमाऊँ के सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जंगी लाल शाह 'बन्धु'

स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार जंगी लाल शाह का जन्म 1914 में पौड़ी गढ़वाल की बनेलस्यूं पट्टी के एक गांव में हुआ था लेकिन वह 1938 में चमोली जिले के डुंगर गांव स्थित अपने ससुराल में रहने लगे थे। यह वही डुंगर गाँव है जहाँ डाक्टर पाती राम परमार का जन्म हुआ था। 'बन्धु' के नाम से पुकारे जाने वाले जंगी लाल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो तक सभी आन्दोलनों में भाग लिया था। वह आजीवन एक कांग्रेस कार्यकर्ता रहे। वह नन्दप्रयाग से प्रकाशित 'देवभूमि' अखबार के सहयोगी रहे। उनका परिवार काफी पहले से ही डुंगर गाँव से आकर चमोली कस्बे में अलकनन्दा के किनारे रहने लगा था। उनकी मृत्यु भी इसी कस्बे में 1985 में हुयी।

तेजराम भट्ट

टिहरी रियासत में लोकतंत्र की स्थापना के आन्दोलन की कोख से जन्मे 'युगवाणी' के संस्थापकों में से एकतेजराम भट्ट भी थे। जब 5 अक्टूबर, 1946 को युवराज मानवेन्द्र शाह का राज्याभिषेक हुआ तो तेज राम भट्ट द्वारा 'शुभ अभिषेक' शीर्षक से नये महाराजा को शुभ कामना दी गयी और प्रजा की दीन दशा का वर्णन करते हुये कहा गया कि—"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी"। तेजराम भट्ट ने 'युगवाणी' के 15 अगस्त, 1947 को
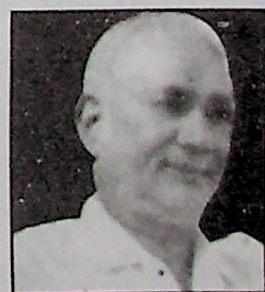
निकले प्रवेशांक में स्वतंत्रता कैसे मनायें शीर्षक से टिहरी रियासत की प्रजा की दुर्दशा पर मार्मिक लेख लिखा था। उस लेख में भट्ट ने लिखा था कि—"15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जायेगा, इस अवसर पर भारत का साथ देने के लिये यद्यपि रियासती जनता भी खुशी मनायेगी, किन्तु साथ ही साथ वह अपनी गुलामी पर क्योंकि अधिकांश रियासती जनता आज भी गुलामी में जकड़ी हुयी है, आँसू बहायेगी। कुछ राजाओं द्वारा समय-समय पर प्रेषित शीतल और मनोहर वक्तव्य उनकी रियासतों की वस्तुस्थिति को नहीं बदल सकते।"

दामोदर प्रसाद नवानी

अपने जमाने के मशहूर पत्रकार दामोदर प्रसाद नवानी का जन्म वर्ष 1903 में ग्राम एरोली, पट्टी परगना चाँदपुर चमोली गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता रविदत्त नवानी एवं स्व० गोविन्द बल्लभ पंत के पिता पौड़ी गढ़वाल कलक्ट्रेट में एक साथ कार्यरत थे तथा इन दोनों ने जिला कार्यालय पौड़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रविदत्त तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के सिरस्तेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
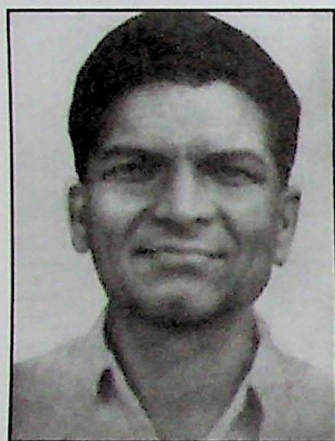
दामोदर प्रसाद नवानी की शिक्षा पौड़ी, कुमाऊँ व कानपुर कृषि विश्वविद्यालय से हुई थी। श्री नवानी के पुत्र एस०पी० नवानी के अनुसार कुछ समय सरकारी सेवाकाल के उपरान्त वर्ष 1938 के बाद दामोदर नवानी स्वाधीनता आन्दोलन के कार्यक्रमों में निरन्तर भाग लेते रहे। स्वाधीनता आन्दोलन के लिये पूरी तरह समर्पित 'शक्ति' अखबार के लिये वह निरन्तर लिखते रहे। नवानी के समकालीन पत्रकार भैरवदत्त धूलिया, ललिता प्रसाद नैथानी, रामप्रसाद बहुगुणा, हरिराम मिश्र 'चंचल' व अल्मोड़ा के रामदत्त जोशी थे। दामोदर नवानी चाटुकारिता के विरोधी थे तथा वही लिखते थे जो आँखों देखा हो। वह अमृत बाजार पत्रिका, हिन्दुस्तान, भारत पत्रिका तथा गढ़वाल कुमाऊँ के कई अखबारों के संवाददाता थे। वर्ष 1940 से 1960 तक उन्होंने गढ़वाल की पत्रकारिता को नई दिशा देकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम छेड़ी, जिस कारण सरकारी तंत्र हमेशा उनसे नाखुश रहता था।

दामोदर नवानी की लेखनी सदैव ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा, महिला उत्पीड़न का निराकरण, निःशुल्क पुस्तकालयों की सुविधा, सरकारी विभागों में घूसखोरी की समाप्ति तथा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सुविधा, बाल विवाह व दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पर चलती रही। उन्होंने अपने संवादों के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊँ के मुख्य यात्रा मार्ग श्रीनगर-कर्णप्रयाग-रानीखेत-रामनगर क्षेत्र में मोटर मार्ग बनवाने पर बल दिया। 27 फरवरी, 1960 को वह कर्णप्रयाग लो०नि०वि० डाक बंगले में मृत अवस्था में पाये गये थे।

डॉ० दीवान सिंह

भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान प्रशासन की नाक में दम करने वाले कांग्रेस के 'ढिंडोरा' अखबार के संचालकों में से एक डॉ० दीवान सिंह भी थे।

उनका जन्म 5 अक्टूबर, 1922 को देहरादून में हुआ था। सन् 1942 में वह सरकारी नौकरी छोड़कर आन्दोलन में कूद पड़े और देहरादून के साथ ही मेरठ, लखनऊ और दिल्ली में भी सक्रिय रहे। उन्हें आन्दोलन में भाग लेने पर दो माह की जेल की सजा हुयी थी।

देवकी नंदन ध्यानी

अपने जमाने के जाने-माने पत्रकार तथा स्वाधीनता सेनानी देवकी नंदन ध्यानी का जन्म 1907 में अल्मोड़ा जिले की सल्ट पट्टी के जखल गाँव में हुआ था। मात्र दो साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ जाने के बावजूद उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा और अपने गाँव से दूर देहरादून के डी०ए०वी० कॉलेज से 1925 में हाइस्कूल परीक्षा पास की। उन्होंने लैंसडौन तहसील में जन आन्दोलन खड़ा कर सन् 1930 के असहयोग आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी प्रेरणा से कई थोकदारों और मालगुजारों ने भूमिकर वसूली का काम छोड़ दिया था। वह 1930 में सत्याग्रह कान्फ्रेंस दुगड्डा और जून में कुमाऊँ परिषद सम्मेलन में शामिल हुये, तथा 'बार काउंसिल' के सदस्य चुने गये। इसी दौरान चमोली पहुँचते ही उन्हें धारा 108 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सन् 1931 में वह जिला बोर्ड के सदस्य चुने गये।

देवकी नंदन की बचपन से ही लेखन में रुचि थी। सन् 1928 में जब 'गढ़देश' अखबार शुरू हुआ तो उन्होंने उसमें लेखन शुरू किया। ध्यानी जी ने 1930 में मुरादाबाद से साप्ताहिक 'विजय' का प्रकाशन प्रारंभ किया। भक्त दर्शन (गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ द्वितीय संस्करण) के अनुसार 'विजय' के 8-10 अंक निकल ही पाये थे कि ध्यानी सत्याग्रह आन्दोलन में कूद पड़े और 'विजय' का प्रकाशन बंद हो गया। गढ़केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा सन् 1932 में एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद कर पौड़ी ले आये थे। इसलिये उन्होंने ध्यानी जी को पौड़ी बुला दिया। देवकी नंदन ध्यानी ने 15 जनवरी, 1934 को 'स्वर्गभूमि' का पहला अंक प्रकाशित किया। इससे पहले वह 'स्वर्ग भूमि' के कुछ अंक हल्द्वानी से निकाल चुके थे। नवम्बर, 1936 में ध्यानी जी का देहान्त हो गया।

धर्मानन्द पांडे

पत्रकार, लेखक और स्वाधीनता सेनानी धर्मानन्द पांडे का जन्म 16 अप्रैल, 1914 को अल्मोड़ा जिले के माला गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम टीकाराम पांडे था। उनकी शिक्षा और लालन-पालन मामा रामदत्त जोशी के घर हुआ था। बदरीदत्त पांडे, हरगोविन्द पन्त, मोहन जोशी और गोविन्द बल्लभ पन्त द्वारा धर्मानन्द के स्वाधीनता आन्दोलन में

उल्लेखनीय योगदान के लिये उन्हें रजत पदक दिया गया था। उन्होंने 1935-36 से 'इन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस' में व्यवस्थापक के रूप में कैरियर शुरू किया और 'नटखट' पत्रिका के साथ

अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत भी की। बाद में अपने मामा रामदत्त जोशी की प्रेरणा से वह 'शक्ति' से जुड़े। उन्होंने सन् 1948 में शक्ति का कार्यभार ग्रहण किया और 1958 से 1969 तक उसका सम्पादन किया। सन् 2002 में प्रकाशित शक्ति की 'स्मारिका' के अनुसार 28 नवम्बर, 1975 को शक्ति में धर्मानन्द पांडे का नाम शक्ति के मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी के रूप में अन्तिम बार छपा था। आपात्काल के दौरान सेंसर नियमों से क्षुब्ध हो कर धर्मानन्द पांडे ने 14 नवम्बर, 1975 को ऐसी सामग्री प्रथम पृष्ठ में स्वयं लिख कर प्रकाशित की थी जो कि सेंसर नियमों के प्रतिकूल थी। अखबार से हटते समय उन्होंने उसमें लिखा था कि— *"बदरीदत्त जी को मैंने वचन दिया था कि शक्ति रूपी ये पेड़ मेरे जीवन तक नहीं ढहेगा, मैं चाहूंगा कि शक्ति सन् 2018 में अपनी शताब्दी धूम धाम से मनाये।"* धर्मानन्द पांडे का 2 सितम्बर, 1998 को देहान्त हुआ।

नरदेव शास्त्री, 'वेदतीर्थ'

प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, शिक्षाविद और आर्य समाजी नरदेव शास्त्री मूल रूप से हैदराबाद के निवासी थे, मगर उनका कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड ही रहा। वह उत्तराखण्ड

के शीर्ष स्वतंत्रता संग्रामियों में से एक रहे हैं। उनका मूल नाम नरसिम्हा राव था और जन्म 21 अक्टूबर, 1880 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार से 'भारतोदय' नाम से एक मासिक समाचार पत्र शुरू किया। वह आजीवन अविवाहित रहे तथा उन्होंने ऋगवेद में 'तीर्थ' की उपाधि हासिल की थी। नरदेव सन् 1923 से 25 तक गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के अधिष्ठाता और कुलपति भी रहे। वह बाद में भोगपुर, देहरादून आ गये। सन् 1915 में वह कांग्रेस में शामिल हुये और देहरादून के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता होने के नाते वह 5 बार जेल गये। वह 1921 से लेकर 1930 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। सन् 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के प्रवेश द्वार पर देशभर के जिन सत्याग्रहियों के नाम अंकित किये गये थे, उनमें सबसे पहला नाम देहरादून के नरदेव शास्त्री का था। सन् 1921 में असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत 200 रुपये के जुर्माने सहित उन्हें 15 माह के कठोर कारावास की सजा हुयी। नमक

सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान सन् 1930 में प्रथम डिक्टेटर की हैसियत से उन्हें 6 माह सादी कैद की सजा हुयी। सन् 1932 में शराब की भट्टी पर सत्याग्रह के कारण उन्हें 50 रुपये के जुर्माने के साथ 6 माह की कैद की सजा सुनाई गयी। उनको 50 रुपये का जुर्माना अदा न करने पर 45 दिन की अतिरिक्त सजा हुयी। वह 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान लक्ष्मणझूला में गिरफ्तार हुये और उन्हें एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा हुयी। उन्हें सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान भारत रक्षा कानून (डी०आइ०आर०) की धारा 20 के तहत गिरफ्तार किया गया और 18 माह की कड़ी कैद की सजा हुयी। वह सन् 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष रहे। वह 1952 से 57 तक उत्तरप्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 'भारतोदय' के साथ ही 'शंकर' नाम की मासिक पत्रिका का भी सम्पादन किया था। उनका निधन 24 सितम्बर, 1961 को देहरादून में हुआ।

परिपूर्णानन्द पैन्यूली

उत्तराखण्ड की पत्रकारिता के भीष्म पितामह परिपूर्णानन्द पैन्यूली वह 'जीवित इतिहास' हैं, जिन्होंने भारत के दीर्घजीवी राजवंशों में से एक 'पंवार राजवंश' को दो ऐसे झटके दिये जो कि युगों-युगों तक भूले नहीं जा सकेंगे। इनमें पहला झटका रियासत का भारत संघ में विलय कराना था और दूसरा झटका बोलांदा बदरीनाथ (बोलता हुआ बदरीनाथ) महाराजा मानवेन्द्र शाह को लोकसभा चुनाव में पहली और अंतिम बार पटखनी देना था।
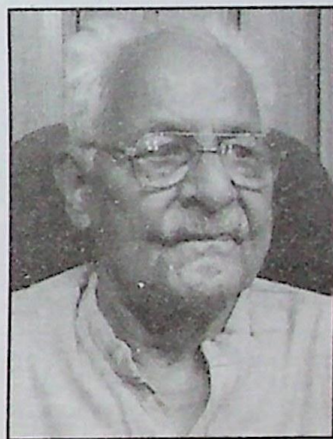
उनका जन्म 19 नवम्बर, 1922 में टिहरी नगर में हुआ था। उनके दादा राघवानन्द पैन्यूली टिहरी रियासत के दीवान थे और पिता कृष्णा नन्द रियासत के इंजीनियर थे। इनका पूरा परिवार माता श्रीमती बचुली देवी सहित, समाज सेवा और स्वाधीनता आन्दोलन के लिये समर्पित रहा। टिहरी रियासत के इस क्रांतिकारी की शिक्षा बनारस में हुयी। मूर्धन्य पत्रकार पैन्यूली प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं। उन्होंने देश की आजादी के साथ ही टिहरी रियासत के लोकतांत्रिक आन्दोलन में लगभग 7 साल की जेल की सजा भुगती और अन्ततः टिहरी रियासत के भारत संघ में विलय की औपचारिकता भी पूर्ण की। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में सन् 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उसके बाद मेरठ बम काण्ड में उनको साढ़े पाँच साल की कठोर कारावास की सजा हुयी। मेरठ जेल में वह चौधरी चरण सिंह के साथ थे। कारावास की अवधि पूरी होने से कुछ दिन पहले ही वह जेल से फरार हो गये और पकड़े जाने पर उन्हें 6 माह की सजा हुयी। इस दौरान उन्हें लखनऊ केन्द्रीय कारागार में तन्हाई वाली कोठरी में रखा गया। जेल से छूटने के बाद पैन्यूली टिहरी रियासत के विरुद्ध प्रजा मण्डल में सम्मलित हो गये। प्रजा मण्डल के प्रमुख नेता श्रीदेव सुमन की मृत्यु के बाद प्रजा मण्डल का नेतृत्व पैन्यूली के हाथ में आ गया था।

रियासत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहने पर टिहरी नरेश के आदेश पर उन्हें बन्दी बनाया गया और 500 रुपये के जुर्माने सहित उन्हें 18 मास की कठोर कैद की सजा दी गयी। उन्होंने टिहरी जेल में 11 दिन और 21 दिन तक दो बार अनशन किया था। वह अंतिम बार जब जेल से फरार हुये तो उन्हें फिर पकड़ा नहीं जा सका।
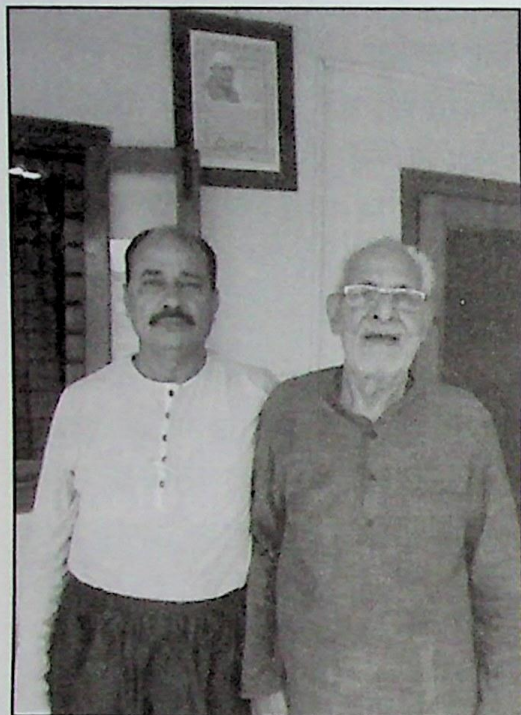
स्वतन्त्रता सेनानी परिपूर्णानन्द पैन्यूली के साथ लेखक जयसिंह रावत, श्री पैन्यूली के साथ लेखक सांध्य दैनिक 'हिमानी' में संपादक रह चुके हैं।

पैन्यूली जी ने लेखक को स्वयं बताया कि रियासत के तत्कालीन जज ने झूठे आरोपों पर उन्हें जब दो साल की सजा सुनाई तो भरी अदालत में उन्होंने जज को चुनौती देते हुये कहा था कि राजा की जेल उन्हें ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख पायेगी और वह स्वयं ही जल्दी ही मुक्त हो जायेंगे। इसी चुनौती को साकार करने के लिये वह जेल जाने के 13 वें ही दिन भाग गये। पैन्यूली जी ने लेखक को बताया कि उन दिनों मोर सिंह नाम का एक सख्त मिजाज जेलर होता था। उससे जेल स्टाफ कांपता था। लेकिन वह जैसे ही भोजन आदि के लिये इधर उधर होता था तो जेल के कर्मचारी बेहद लापरवाह हो जाते थे। इसी का लाभ उठा कर वह दिन में उस समय जेल से भाग गये जबकि जेलर मोरसिंह भोजन करने अपने आवास पर गया था। बकौल पैन्यूली जी उन दिनों जब टिहरी जेल से कोई भागता था तो टिहरी नगर के नीचे झाड़ियों में छिप जाता था, लेकिन बाद में जेल कर्मचारी उन झाड़ियों में ऐसा पथराव करते थे कि भगोड़े कैदी को झाड़ियों से बाहर निकल कर सरेंडर करना पड़ता था। इसलिये पैन्यूली झाड़ियों में छिपने के बजाय सीधे भिलंगना में कूछ पड़े और आसानी से नदी पार कर गये। साँप के निकलने के बाद लकीर पीटने की तरह उनके पीछे जेल कर्मचारी झाड़ियों में दिनभर पथराव करते रहे। सर्दियों के दिनों वह नंगे पाँव और केवल लंगोट में 10 दिनों तक जंगलों में भटकते रहे और भिलंगना के बाद भागीरथी और फिर यमुना को तैर कर पार करने के बाद राजा की रियासत से बाहर चकराता पहुँचे। दिल्ली पहुंचने पर जवाहर लाल नेहरू ने पैन्यूली जी को जय प्रकाश नारायण के पास बम्बई भेज दिया। वहाँ पैन्यूली जी 'शंकर' नाम से रहे। वह लम्बे समय तक चौधरी चरण सिंह के घर पर भी रहे। प्रबल आन्दोलन के बाद जब 15 फरवरी, 1948 को टिहरी में प्रजा मण्डल का 4 सदस्यीय अन्तरिम मंत्रिमण्डल बना तो उस समय पैन्यूली प्रजा मण्डल के प्रधान तथा डिक्टेटर थे। यह मंत्रिमण्डल 1 अगस्त, 1948 तक चला। उसके बाद रियासत का भारत संघ में विलय हो गया।

टिहरी प्रजामंडल के डिक्टेटर के तौर पर उनके हिमाचल प्रदेश के प्रजामंडलों से भी घनिष्ट सम्बन्ध थे। इसलिये उन्होंने शिमला की 30 पहाड़ी रियासतों को एक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाद में इन्हीं प्रजामंडलों के प्रयास से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। टिहरी रियासत के विलीनीकरण से पहले टिहरी प्रजामंडल का हिमाचल के इन्हीं प्रजामंडलों के साथ गठबंधन रहा। उस जमाने में टिहरी रियासत और हिमाचल प्रदेश की रियासतों की एक ही 'रीजनल हिल स्टेट कांग्रेस' हुआ करती थी। परिपूर्णानंद पैन्यूली इन प्रजा मंडलों द्वारा गठित उस रीजनल कांग्रेस कमेटी के दो बार अध्यक्ष रहे। एक बार उन्होंने संगठन के चुनाव में आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ० यशवंत सिंह परमार को भी परास्त किया। सन् 1949 में जब टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हुआ तो विलय की औपचारिकता के लिये विलय पत्र पर भारत सरकार के गृह सचिव और महाराजा मानवेन्द्र शाह के साथ ही प्रजामंडल के डिक्टेटर की हैसियत से परिपूर्णानन्द पैन्यूली ने भी हस्ताक्षर किये थे। परिपूर्णानन्द पैन्यूली वह पुरुष थे जिन्होंने एक हजार से अधिक वर्षों तक गढ़वाल पर शासन करने वाले पंवार राजवंश को दो सबसे बड़े झटके दिये थे। पहला झटका उन्होंने 1949 में राजशाही के अंत का दिया और दूसरा झटका सन् 1971 में उन्होंने तब दिया जबकि राजशाही के खात्मे के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम नागरिक बन जाने के बाद भी पूर्व की भांति लोगों के दिलों में महाराजा की ही तरह राज करने वाले मानवेन्द्र शाह को टिहरी संसदीय क्षेत्र से पराजित कर दिया। महाराजा को तब भी बोलांदा बदरीनाथ कहा जाता था। महाराजा के लिये यह इतना बड़ा झटका था कि लगभग 20 साल तक वह राजनीतिक से तौबा कर घर बैठे रहे। श्री पैन्यूली को सन् 1971 से लेकर 1977 तक देश की सबसे लम्बी अवधि वाली लोकसभा का सदस्य होने का गौरव भी हासिल है। उसके बाद जनता पार्टी के शासन में लोकसभा का पाँच साल का कार्यकाल पुन: बहाल कर दिया गया था। वह संसद की कई कमेटियों के अध्यक्ष रहे। सन् 1972 से लेकर 74 तक वह उत्तर प्रदेश की पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित समाचारपत्रों में 300 से अधिक लेख लिखे।

परिपूर्णानन्द पैन्यूली न केवल महान स्वतंत्रता सेनानी रहे बल्कि कई दशकों से उत्तराखण्ड के मूर्धन्य पत्रकारों में से एक हैं। भारत की आजादी और फिर टिहरी रियासत के विलय के बाद सन् 1949 में पैन्यूली पत्रकारिता से जुड़ गये। वह सबसे पहले 'टाइम्स आफ इण्डिया' की ओर से इलाहाबाद में स्टाफ रिपोर्टर नियुक्त हुए, मगर उन्होंने अखबार की नौकरी करने के बजाय देहरादून में उसी अखबार का स्टिंगर बनना पसन्द किया। वह 'टाइम्स आफ इण्डिया' के अलावा 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'नेशनल हेरल्ड', 'पायनियर' एवं 'इकोनोमिक टाइम्स' आदि अखबारों से लगभग 60 वर्षों तक जुड़े रहे। उनके लेख कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रों में छपते रहे हैं। उन्होंने देहरादून से कई वर्षों तक हिमानी साप्ताहिक अखबार चलाया। बाद में 'हिमानी' सान्ध्य दैनिक भी निकला। उसमें पैन्यूली जी प्रबन्ध सम्पादक तथा जयसिंह रावत सम्पादक रहे। बाद में उमाकान्त लखेड़ा ने भी साप्ताहिक मैग्जीन के रूप में 'हिमानी' के कुछ अंक निकाले। परिपूर्णानन्द पैन्यूली ने दो दर्जन से

अधिक हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकें भी लिखीं। उनमें से 'देशी राज्य जन आन्दोलन' की भूमिका कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष बी० पट्टाभिरमैया ने लिखी थी। इसी प्रकार 'नेपाल का पुनर्जागरण' की भूमिका डॉ० सम्पूर्णानन्द और 'भारत का संविधान और संसद तथा संसदीय प्रक्रिया' की भूमिका आचार्य नरेन्द्र देव ने लिखी थी। यह इतिहासपुरुष इन दिनों देहरादून के बसंत विहार में अपनी पत्नी के साथ लगभग उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। वह व्यवस्था से सतुष्ट नहीं हैं।

पीताम्बर दत्त पांडे

क्रान्तिकारी और पत्रकार पीताम्बर दत्त पांडे का जन्म 1908 में अल्मोड़ा जिले के पांडे गाँव, पाटिया में हुआ था। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान उनका वामपन्थी विचारधारा की ओर झुकाव हुआ और वह भारत की नौजवान सभा, यूथ लीग तथा किसान मजदूर पार्टी के सदस्य बन गये। वह कानपुर बम काण्ड में सुरेन्द्र नाथ पांडे के साथ सह अभियुक्त रहे। इस काण्ड में सुरेन्द्र नाथ को तो आजीवन कारावास की सजा हो गयी मगर पीताम्बर अवयस्क होने के कारण छूट गये। मगर अन्य मामलों में उन्हें 2 बार जेल हुयी। चन्द्रशेखर आजाद की शहादत के बाद वह अल्मोड़ा लौट आये वहां से उन्होंने 1932 में "जागृत जनता" साप्ताहिक अखबार शुरू किया। बाद में पीताम्बर अपने अखबार को हल्द्वानी ले आये। वहाँ सन् 1942 में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लेख छापने पर उनके प्रेस पर प्रशासन ने ताला ठोक दिया जो कि आजादी के बाद सन् 1947 में ही खुला। वह जीवनभर मुफलिसी में जीते रहे मगर अपने उसूलों से कभी नहीं डिगे। उनके "जागृत जनता" अखबार के प्रकाशन में उनकी पत्नी और पुत्री का उल्लेखनीय योगदान रहा।

पूरणचन्द्र तिवारी (पीसी तिवारी)

स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार पूरण चन्द्र तिवारी हालांकि कांग्रेसी थे, मगर उनके समाजवादी विचारों और तेजतर्रार राजनीतिक शैली के चलते उन्हें कामरेड पी०सी० तिवारी के नाम से ज्यादा जाना जाता था। सन् 1946 में उन्होंने सन् 1942 से बन्द पड़े 'शक्ति' अखबार का प्रकाशन पुनः शुरू कराया था। इस पर स्वयं बदरीदत्त पांडे ने उनका आभार व्यक्त किया था। इससे पहले सन् 1937 में जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अल्मोड़ा पहुँचे तो उनका अभिनन्दन करने वालों में पूरणचन्द्र भी प्रमुख युवा थे। सन् 1941 में जब कामरेड पी०सी० कांग्रेस की ओर से अस्कोट में हो रहे बन्दोबस्त की शिकायतों की जाँच के लिये जा रह थे तो उन्हें गिरफ्तार कर पिथौरागढ़ हवालात में रखा गया। वहाँ बंदियों की दयनीय हालत के विरोध में उन्होंने अनशन किया तो प्रशासन ने झुक कर जेल की व्यवस्था में सुधार किया। उस समय उनको डेढ़ साल का कठोर कारावास और 200 रुपये के जुर्माने की सजा हुयी थी। जेल से छूटने के बाद सन् 1942 के आन्दोलन में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और बीमार होने के कारण उन्हें डांडी पर बिठा कर जेल ले जाया गया। उनका 24 अक्टूबर 1976 को देहान्त हो गया।

'कूर्मांचल केसरी' बदरी दत्त पांडे

बदरीदत्त पांडे के बिना न तो उत्तराखण्ड में स्वाधीनता संग्राम का और ना ही पत्रकारिता के इतिहास को पूर्ण माना जायेगा। यथार्थ में स्वाधीनता आन्दोलन और बदरीदत्त पांडे पर्याय ही थे। उनका जन्म ही पत्रकारिता और स्वतंत्रता आन्दोलन के लिये हुआ था। इस युगपुरुष का जन्म 15 फरवरी, सन् 1882 को हरिद्वार के कनखल में हुआ था। उनके पिता विनायक पांडे हरिद्वार के एक विख्यात वैद्य थे। बदरीदत्त के सिर से माता पिता का साया मात्र 7 साल की उम्र में ही उठ गया था। जब वह बरेली कालेज में पढ़ रहे थे तो उनकी पढ़ाई का खर्च वहन करने वाले उनके देहरादून निवासी ताऊ का निधन भी हो गया। सन् 1903 में बदरीदत्त नैनीताल के डाइमण्ड जुबली स्कूल के फोर्थ मास्टर नियुक्त हुये और उसी वर्ष उनका विवाह अन्नपूर्णा देवी से हुआ। सन् 1905 में उनको मिलिट्री वर्क्स में नौकरी मिली तो वह कुछ दिन देहरादून में सेवा देने के बाद स्थानान्तरित हो कर चकराता चले गये। वहाँ से उनका तबादला पेशावर हुआ तो घर वालों ने वहाँ जाने से रोक दिया और वह नौकरी छोड़ कर इलाहाबाद में "लीडर" अखबार के उप सम्पादक बनने के साथ ही प्रेस के सहायक प्रबन्धक बन गये। यहीं से उस क्रान्तिकारी पत्रकार की पत्रकारिता शुरू हुयी। उस पत्र के सम्पादक मिस्टर चिन्तामणि होते थे जो कि स्वयं राष्ट्रवादी और स्वाधीनता आन्दोलन समर्थक पत्रकार थे। वह 1910 तक 'लीडर' में रहे और उसके बाद 1913 तक देहरादून में बैरिस्टर बुलाकी राम के सानिध्य में 'कास्मोपोलिटन' अखबार में रहे। चूंकि उन दिनों 'कास्मोपालिटन' गढ़वाली प्रेस में ही छपता था। अत: उन्होंने गढ़वाली में सम्पादकाचार्य गिरजा दत्त नैथाणी की शागिर्दगी भी की। सन् 1871 से अल्मोड़ा से 'अल्मोड़ा अखबार' का प्रकाशन हो रहा था। इस पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र से लम्बे समय तक प्रकाशित होने के बावजूद अखबार को न तो अपेक्षित ग्राहक मिल पाये थे न प्रबुद्ध पाठक ही इससे जुड़े। अंग्रेज प्रशासकों की सहमति से प्रकाशित वह अखबार अपेक्षित प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा था, जितना कि इसके प्रकाशक चाहते थे। सन् 1913 में 'अल्मोड़ा अखबार' के निदेशक मण्डल ने नये सम्पादक की नियुक्ति का मन बनाकर उस समय के सर्वाधिक अनुभवी पत्रकार बदरीदत्त पांडे को अखबार का सम्पादक नियुक्त कर दिया और यहीं से उनके जीवन का निर्णायक मोड़ शुरू हुआ। उनकी लगन और सम्पादकीय प्रतिभा का पता इस तथ्य से चल जाता है कि जब

उन्होंने अखबार सम्भाला था तो उस समय उसका प्रसार मात्र 60 प्रतियों का था। केवल दो-तीन महीनों के अन्दर ही उसकी 1500 प्रतियाँ छपने लगीं थी। सन् 1918 में जब स्वाधीनता का राग अलापने पर डिप्टी कमिश्नर लोमस थामस ने अखबार बन्द कराया तो उसकी प्रसार संख्या 2000 तक पहुँच गयी थी।

सन् 1913 में जिस समय बदरीदत्त को "अल्मोड़ा अखबार" का सम्पादक बनाया गया, उस समय देश में "बाल-पाल-लाल" शिक्षित नवयुवकों में काफी चर्चित थे। ऐसे वातावरण में पांडे ने 'अल्मोड़ा अखबार' को स्वराज्य आन्दोलन से जोड़कर विदेशी हुकूमत के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने उन युवाओं को अखबार का एक मंच दे दिया जो स्वराज्य का स्वप्न देख रहे थे। दूसरी तरफ पहाड़ की समस्याओं, कुली बेगार कुप्रथा और जंगलों से छीने जा रहे अधिकारों के खिलाफ प्रभावकाली लेख लिखने शुरू कर दिये। अखबार और बदरीदत्त पांडे दोनों ही जनता के बीच जल्दी ही ख्याति प्राप्त कर बदरीदत्त पांडे स्वाधीनता संग्रामियों की प्रेरणा स्रोत और लीडर बन गये, जिनके साथ दर्जनों युवा जुड़ गये। विदेशी हुकूमत के खिलाफ कोई बैठक अथवा सभा होती तो वह अल्मोड़ा अखबार में छप जाता। इससे अंग्रेज प्रशासक खार खाने लगे। स्वयं बदरीदत्त पांडे ने लिखा है कि "....अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर लोमस स्याही देवी में मेम से रंगरलियाँ मना रहा था, कुली शराब और सोडा लेकर देर से आया तो वह आग बबूला हो गया। उसने बन्दूक तान दी, छर्रा कुली को लग गया। यह समाचार अल्मोड़ा अखबार में छप गया। लोमस तेज मिजाज था ही पर तब एकदम तेज हो गया। मुझे बुलाया, मैं नहीं गया। मुंशी सदानन्द को बंगले में बुलाया और धमका कर उनसे मुद्रक-प्रकाशक का इस्तीफा दिला दिया। सारे शहर में आतंक छा गया और अल्मोड़ा अखबार बन्द हो गया। लोमस ने अपने बचाव में यह बात कही कि उसने फायर मुर्गी पर किया था, लेकिन कुली पर लग गया। इस घटना पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी लिखते हुये दुगड्डा से प्रकाशित होने वाले 'गढ़वाल समाचार' में पत्र के समपादक पं० गिरजा दत्त नैथाणी ने लिखा कि—*'एक फायर में तीन शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार।"*

'अल्मोड़ा अखबार' तो बन्द हो गया मगर स्वाधीनता की चिंगारी छोड़ गया। लोगों ने धन एकत्र किया और पं० बदरीदत्त पांडे के सम्पादकत्व में 1 अक्टूबर, 1918 को विजय दशमी के अवसर स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के वटवृक्ष 'शक्ति' अखबार का उदय हो गया। वास्तव में 'शक्ति' एक तरह से 'अल्मोड़ा अखबार' का ही पुनर्जन्म था। उसके बाद तो मुकदमें, मुचलके और जेल यात्राएँ 'शक्ति' के सम्पादकों की नियति बन चली। 'शक्ति' स्वतन्त्रता संग्राम का पर्याय बनकर मुखरित हुआ जिसकी प्रशंसा गांधी, तिलक, नेहरू जैसे अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने की।

'शक्ति' अखबार का जिक्र हो और उसमें बदरीदत्त पांडे के जुनूनी सहयोगियों का उल्लेख न हो तो बात जमेगी नहीं। दरअसल उस अखबार में पांडे के अलावा विक्टर जोसेफ मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मथुरा दत्त त्रिवेदी, देवी दत्त पन्त, पीताम्बर पांडे और

मनोहर पन्त जैसे आजादी के परवानों का योगदान भी रहा। उनमें से अधिकांश अलग हो गये, मगर वे पत्रकारिता के माध्यम से आजादी की अलख जगाते रहे। उत्तराखण्ड में एक तरफ जहां पढ़े लिखे और साधन सम्पन्न लोगों में राय बहादुरी के लिये अंग्रेजों की जी हुजूरी की होड़ लगी थी, वहीं बदरीदत्त पांडे सरीखे कई लोग स्वाधीनता के जुनून के कारण अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बने हुये थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ राय बहादुर घुसे हुये थे। इसीलिये बदरीदत्त पांडे ने सन् 1921 में शक्ति के एक अंक में लिखा था कि–

"गेहूँ और धान की फसलें पानी बिना सूखती हैं पर रायबहादुरी की फसलें हर साल तरक्की पर हैं।"

आजादी के आन्दोलन के समर्थन में लेख लिखने पर शक्ति से 20 मई, 1921 में 2000 की जमानत मांगी गयी। यही नहीं उसकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिये उन लोगों पर अपना पैसा वापस माँगने के लिये दबाव डाला गया, जिन्होंने प्रेस लगाने के लिये चन्दा दिया था। कुछ लोगों ने अदालत के मार्फत अपनी सहयोग राशि वापस मांगी। सन् 1921 में ही पांडे जी को कुली बेगार आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में डिप्टी कमिश्नर डाइबिल के सामने ही स्थानबदर के उसके आदेश और कुली बेगार सम्बन्धी रजिस्टर आदि नदी में फिकवाने के बाद उन्हें 'कुमाऊँ केसरी' की पदवी और दो स्वर्ण पदक मिले जिन्हें उन्होंने 1962 तक अपने पास रखा, लेकिन भारत-चीन युद्ध के दौरान उन्होंने रक्षा कोश के लिये वे दोनों ही पदक समर्पित कर दिये। सन् 1956 में अल्मोड़ा लोक सभा सीट पर हुए उप चुनाव में बदरीदत्त पाण्डे विजयी रहे। मगर सांसद के रूप में उनका कार्यकाल मात्र एक साल रहा। उससे पूर्व वह प्रान्तीय तथा केन्द्रीय एसेंबलियों के लिए भी चुने गए। वह 1926 में संयुक्त प्रान्त की काउंसिल के लिये भी चुने गये। बदरीदत्त के बारे में 'शक्ति' के 22 नवम्बर, 1921 में कार्यवाहक सम्पादक मोहन जोशी ने लिखा था कि– *"बदरीदत्त पांडे की दृष्टि आज कारागृह के फाटकों की ओर लगी हुयी है, क्योंकि माता को स्वाधीन करने का दूसरा मार्ग नहीं है। शक्ति को उनके विदा होने से हानि अवश्य होगी पर कौन वीर योद्धा को रणक्षेत्र जाने से रोक सकता है।"*

आजादी के बाद 'शक्ति' ने इस पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को मुखरित किया। 'शक्ति' के लम्बे संघर्षों की ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो आर्थिक परेशानियाँ झेलते हुए एक साथ कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। सुमित्रानन्दन पन्त हों अथवा उनके बाद हिन्दी साहित्य के चर्चित व्यक्तित्व रमेश चन्द्र शाह, उनकी रचनायें शक्ति में प्रकाशित हुई हैं। सैकड़ों शोधार्थी अलग-अलग विषयों में शोध करने के लिये शक्ति की फाइलों से लाभ उठा चुके हैं। 'शक्ति' वर्तमान में देश के प्राचीन जीवित साप्ताहिकों में से एक है।

बंशी लाल पुण्डीर

पुण्डीर का जन्म टिहरी रियासत में हुआ था। वह छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़ गये थे। उन्होंने प्रजा मण्डल से जुड़ कर राजशाही के खिलाफ चले आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर

हिस्सा लिया। वह 9 दिसम्बर, 1942 से लेकर 6 अक्टूबर, 1944 तक नजरबन्द रहे। वह बाद में कांग्रेस छोड़ कर 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी' में चले गये। पुण्डीर ने मोटर मजदूर संघ का संगठन बनाया और दो वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे। वह 1949 तक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे और लम्बे समय तक विभिन्न अखबारों से जुड़ कर पत्रकारिता भी करते रहे। उन्होंने 1972 में टिहरी से 'शैल शिखर' नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। उनका निधन 25 नवम्बर, 2012 को देहरादून में हुआ।

बुलाकी राम, बैरिस्टर

वह देहरादून जिले के उन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं जिन्होंने आजादी के आन्दोलन को धार देने के लिये अखबार का सहारा लिया था। उन्होंने 1910 में इंग्लैण्ड से 'बार एट लॉ' की डिग्री लेकर देहरादून लौटते ही वकालत शुरू कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी प्रवेश किया। वह लगभग 10 वर्षों तक देहरादून कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वह संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने सन् 1911 में 'कास्मोपोलिटन' अंग्रेजी पाक्षिक अखबार शुरू किया था। यह पत्र शुरू में 'गढ़वाली प्रेस में छपता था। बाद में उन्होने 'भास्कर प्रेस' की स्थापना कर अपने अखबार को उसी में छापना शुरू किया। यह अखबार 1920-22 तक चला (शक्ति सकलानी उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का इतिहास) कूर्मांचल केसरी बदरीदत्त पांडे ने भी इस अखबार में काम किया था। यह स्वतंत्रता संग्राम के लिये समर्पित गढ़वाल मंडल का पहला अखबार था। (हालांकि उस समय देहरादून गढ़वाल से अलग था।) स्वतंत्रता आन्दोलन में बैरिस्टर बुलाकी राम देहरादून में नरदेव शास्त्री, महावीर त्यागी, फखरूद्दीन अहमद फारुखी, हुलास वर्मा, इशहाक हुसैन आदि के घनिष्ठ सहयोगी रहे। सन् 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का देहरादून आगमन हुआ तो कांग्रेसियों ने उनके स्वागत में नगर पालिका से एक भी पैसा खर्च न करने का आह्वान किया था। उस दौरान सम्भावित विरोध को दबाने के लिये बाबू बुलाकी राम और फखरुद्दीन पर धारा 144 लगा दी गयी, लेकिन इसके बावजूद 5 दिसम्बर, को हर्रावाला में बुलाकी राम की अध्यक्षता में आन्दोलनकारियों ने सभा कर ही डाली। शक्ति सकलानी (उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का इतिहास) के अनुसार बैरिस्टर बुलाकी राम मूल रूप से हाफिजाबाद, जिला गुजरांवाला पंजाब (अब पाकिस्तान) के रहने वाले थे। वह सन् 1928 में भास्कर प्रेस को चन्द्रमणि विद्यालंकार को बेच कर वापस हाफिजाबाद चले गये। (गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पृष्ठ 662) जहाँ 1946 में उनका निधन हो गया। देखा जाए तो 'अल्मोड़ा अखबार' से पहले आजादी का राग अलापने वाला अखबार बुलाकी राम का 'कास्मोपालिटन' ही था। बदरीदत्त पांडे ने इसी अखबार से प्रेरणा और दीक्षा ली थी।

भक्तदर्शन (कर्मभूमि के संस्थापक संपादक)

भक्तदर्शन का जन्म 12 फरवरी, 1912 को गोपाल सिंह रावत के घर हुआ। उनका मूल गाँव भौंराड़, पट्टी सांबली, पौड़ी गढ़वाल में था। सम्राट जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण वर्ष में

पैदा होने के कारण उनके पिता ने उनका नाम राजदर्शन सिंह रखा था, परन्तु राजनीतिक चेतना विकसित होने के बाद जब उन्हें अपने नाम से गुलामी की बू आने लगी, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर भक्तदर्शन कर लिया। जाति विहीन समाज के समर्थक भक्तदर्शन, प्रतिष्ठित गढ़वाली राजपूत परिवार में जन्में थे, मगर उन्होंने राजपूतों द्वारा अपने नाम के आगे लगाया जाने वाले 'सिंह' का भी अपने मूल नाम के साथ ही परित्याग कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 'रावत' उपजाति से भी किनाराकसी कर ली। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उन्होंने डी०ए०वी० कॉलेज देहरादून से इंटरमीडिएट किया और विश्व भारती 'शान्ति निकेतन' से कला स्नातक और 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की। शिक्षा प्राप्त करते हुए ही उनका सम्पर्क गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि से हुआ।

1929 में ही डॉ० भक्तदर्शन लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयंसेवक बने। 1930 में नमक आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रथम बार जेल यात्रा की। इसके बाद वे 1941 से 1942 तक कुल 4 बार जेल गये। 18 फरवरी, 1931 को शिवरात्रि के दिन उनका विवाह जब सावित्री जी से हुआ था, तब उनकी जिद के कारण सभी बारातियों ने खादी वस्त्र पहने। उन्होंने न मुकुट धारण किया और न शादी में कोई भेंट ही स्वीकार की। शादी के अगले दिन ही वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिये चल दिये और संगलाकोटी में सरकार विरोधी भाषण देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

भक्तदर्शन ने 1934 में 'गढ़देश' के सम्पादकीय विभाग में भी कार्य किया। उन्होंने 1935-36 में प्रयाग के दैनिक 'भारत' के संपादकीय विभाग में भी कार्य किया। वह 'कर्मभूमि' लैंसडौन के 1939 से 1949 तक प्रबन्ध सम्पादक रहे। प्रयाग से प्रकाशित 'दैनिक भारत' के लिये काम करने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वह एक कुशल लेखक थे। वह 1945 में गढ़वाल में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि तथा आजाद हिन्द फौज के सैनिकों हेतु निर्मित कोश के संयोजक रहे। उन्होंने प्रयत्न कर आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को भी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेंशन व अन्य सुविधायें दिलवायी थीं।

उन्होंने सन् 1952,1957, 1962 और 1967 में लोकसभा में चार बार गढ़वाल का प्रतिनिधित्व किया। नवम्बर, सन् 1963 से मार्च, 1971 तक वह जवाहर लाल नेहरू, लाल

बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडलों पहले उपमंत्री और फिर राज्य मंत्री रहे। केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री के रूप में उन्होंने केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करवायी और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पहले अध्यक्ष रहे। त्रिभाषी फार्मूला को महत्व देकर उन्होंने संगठन को प्रभावशाली बनाया। गांधी जी के हिन्दी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना करायी। दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उनका अद्वितीय योगदान रहा था। संसद में वह हिन्दी में ही बोलते थे। प्रश्नों का उत्तर भी हिन्दी में ही देते थे। एक बार नेहरू जी ने उन्हें टोका तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक कह दिया कि मैं आपके आदेश का जरूर पालन करता, परन्तु मुझे हिन्दी में बोलना उतना ही अच्छा लगता है जितना अन्य विद्वानों को अंग्रेजी में।

भक्त जी ने 1971 में सक्रिय राजनीति से स्वेच्छा से संन्यास ले लिया। वह उन दुर्लभ राजनेताओं में थे, जिन्होंने उच्च पद पर रह कर स्वेच्छा से राजनीति छोड़ी। राजनीति की काजल की काली कोठरी में रहकर भी वह बेदाग निकल आये। तत्पश्चात् उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा व साहित्य की सेवा में लगा दिया। उनकी लोकप्रियता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उनसे पराजित होने वाले कोई और नहीं बल्कि पेशावर काण्ड के हीरो वीर चन्द्र सिंह 'गढ़वाली' थे। वह जिस किसी पद पर भी रहे, उन्होंने निष्ठा तथा ईमानदारी से कार्य किया। वह सादा जीवन और उच्च विचार की मिसाल थे। बड़े से बड़ा पद प्राप्त होने पर भी अभिमान और लोभ कभी उन्हें छू न सके। वह ईमानदारी से सोचते थे, ईमानदारी से काम करते थे। निधन के समय भी वह किराये के मकान में रह रहे थे। किसी दबाव पर अपनी सत्यनिष्ठा छोड़ने को वह कभी तैयार नहीं हुए।

भक्त दर्शन सन् 1971 से 1972 तक उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के पूर्णकालिक उपाध्यक्ष रहे और 1972 से 1977 तक कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। उन्हें एक बार छात्र आन्दोलन के दौरान छात्रों का अभद्र व्यवहार इतना आहत कर गया कि उन्होंने तत्काल पद से इस्तीफा दे दिया। वह 1988-90 में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे और दक्षिण भारत के अनेक हिन्दी विद्वानों को उन्होंने सम्मानित करवाया। उन्होंने हिन्दी और भारतीय भाषाओं के लेखकों की पुस्तकों का अनुवाद करवाया और उनके प्रकाशन में सहायता की। डॉ० भक्तदर्शन ने अनेक उपयोगी ग्रंथ लिखे और कुछ सम्पादित किये। इनमें श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ (दो भाग) कलाविद् मुकुन्दी लाल बैरिस्टर, अमर सिंह रावत एवं उनके आविष्कार तथा स्वामी रामतीर्थ पर आलेख प्रमुख हैं। इसीलिये उनको डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया था। 79 वर्ष की उम्र में 30 अप्रैल, 1991 को देहरादून में दिवंगत विभूतियों का यह लेखक स्वयं दिवंगत विभूतियों में शुमार हो गया।

भगवान दास मुल्तानी

मुल्तानी का जन्म 3 मार्च, 1918 को हुआ था। वह टिहरी रियासत के प्रमुख आन्दोलनकारी एवं प्रजा मंडल के सदस्य थे। उनका परिवार टिहरी में भी रहा मगर उनका

कार्यक्षेत्र ऋषिकेश भी रहा। मुल्तानी कई अखबारों से जुड़े रहे। उन्होंने सन् 1954 में ऋषिकेश से 'हिमालय' अखबार शुरू किया। उनके पिता का नाम लाला चेतराम था। वह भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान सन् 1842 में 23 अक्टूबर से 7 महीनों के लिये नजरबन्द रहे। दूसरी बार वह 10 अगस्त, 1943 को डेढ़ महीने के लिये नजरबन्द रहे। टिहरी प्रजामंडल का सदस्य होने के कारण उन्हें श्रीदेव सुमन, शंकर दत्त डोभाल, आनन्द शरण रतूड़ी एवं श्यामचंद सिंह नेगी के साथ राजाज्ञा के उल्लंघन में देहरादून से धारा 26-ए के तहत आगरा सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया। अपने कार्यों के कारण मुल्तानी सामाजिक जीवन में काफी लोकप्रिय रहे। वह शुरू से ही कांग्रेस के सदस्य रहे। बेहद खुशमिजाज मुल्तानी जी की ऋषिकेश में अच्छी खासी सम्पत्ति थी। इसलिये वह पत्रकारों की मदद के मामले में भी कभी पीछे नहीं रहते थे। इसलिये कुछ लोग उन्हें दानवीर भी कहा करते थे। पत्रकारिता सम्बन्धी सम्मेलनों के आयोजनों में वह दिल खोल कर मदद करते थे। वह आजादी के आन्दोलन से लेकर जीवन पर्यन्त कांग्रेसी रहे। उनकी उनकी तीक्ष्ण यादाश्त के लिये उनके समकालीन पत्रकार और समाजसेवी उनका लोहा मानते थे। भगवान दास मुल्तानी ने ऋषिकेश से 'हिमालय की आवाज' (1971) नामक साप्ताहिक अखबार भी निकाला था। उनका निधन सन् 2004 में ऋषिकेश स्थित उनके आवास पर हुआ।

प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांथरी

जाने-माने पत्रकार लेखक और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांथरी का जन्म 19 मार्च, 1914 को टिहरी नगर में हुआ था। वह छात्र जीवन में ही महात्मा गांधी से प्रभावित हो कर 1931-32 में आजादी के आन्दोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करने के मकसद से 'गढ़वाली साहित्य कुटीर' की स्थापना की और 'असन्तोष की लय' पुस्तक निकाली। वह श्रीदेव सुमन के करीबी सहयोगी तथा प्रजा मण्डल के संस्थापकों में से एक थे। वह देहरादून से ही टिहरी प्रजा मण्डल आन्दोलन में सक्रिय रहे। वह मसूरी में गिरफ्तार किये गये और मसूरी में ही सितम्बर, 1942 से नवम्बर, 1943 तक नजरबंद रहे। प्रोफेसर पांथरी ने 1945 के जन आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। पन्द्रह अगस्त 1947 से देहरादून में 'युगवाणी' अखबार प्रकाशित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। युगवाणी के संस्थापकों में प्रो० पांथरी के साथ आचार्य गोपेश्वर कोठियाल और तेजराम भट्ट प्रमुख थे। भारत के आजाद हो जाने पर 'युगवाणी'
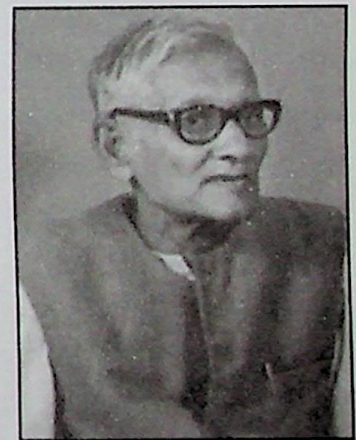
का मकसद टिहरी रियासत में राजशाही की जगह लोकतंत्र की स्थापना के लिये मुहिम चलाना था। प्रोफेसर पांथरी काशी विद्यापीठ के उप कुलपति भी रहे।

भैरव दत्त धूलिया

गढ़वाल की पत्रकारिता के युगपुरुषों में से एक भैरव दत्त धूलिया का जन्म 18 मई, 1901 को पौड़ी गढ़वाल के मदनपुर गाँव में हुआ था। उनको स्वाधीनता आन्दोलन के दौर की उच्च आदर्शों वाली पत्रकारिता के संवाहक के रूप में जाना जाता रहा है। बनारस में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भैरव दत्त काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गये। उसी दौरान उन्होंने वहाँ 'नव शक्ति' अखबार के सम्पादकीय विभाग में भी काम किया। उसके बाद देश की आजादी की धुन सवार होने पर धूलिया फिर गढ़वाल लौट आये

और बैरिस्टर मुकुन्दी लाल आदि द्वारा शुरू किये गये कुली बर्दायश विरोधी आन्दोलन में शामिल होने के साथ ही राजनीति में आ गये। फरवरी, सन् 1939 में जब लैंसडौन से 'कर्मभूमि' समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ तो वह भक्तदर्शन के साथ उसके सह सम्पादक बन गये। उस समय एक लाख की लाटरी जीतने वाले प्रयाग धस्माना और ठाकुर हरेन्द्र सिंह की सलाह पर कुंवर सिंह नेगी की 'कालेश्वर प्रेस' को 'हिमालयन ट्रेडिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी' के नाम से पुनर्गठित कर उसमें 'कर्मभूमि' को छापने की व्यवस्था की गयी। इस कम्पनी के कुछ संचालक सरकार के पक्षधर थे, जबकि भक्तदर्शन और भैरव दत्त कांग्रेसी विचारधारा के होने के कारण स्वाधीनता के कट्टर समर्थक थे। इसलिये संचालकों और सम्पादकों में मतभेद शुरू हो गये। इन दोनों सम्पादकों को उस समय 50 रुपये मासिक मिलता था। बाद में धूलिया दिल्ली के तिब्बतिया कॉलेज में प्रोफेसर बन गये। वह कालेज आन्दोलनकारियों का केन्द्र हुआ करता था, इसलिये धूलिया भी 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में कूद पड़े। उन दिनों दिल्ली में भैरव दत्त के नाम से तीन मकान किराये पर लिये गये थे। इन मकानों से क्रान्तिकारी युवा अपनी गतिविधियाँ चलाते थे। प्रोफेसर धूलिया अंग्रेजी हुकूमत विरोधी पर्चे छपाकर गुपचुप रूप से गढ़वाल भेजते थे। उन्होंने हुकूमत विरोधी एक पुस्तक लिखी जिसे 'हनुमान चालीसा' नाम से वितरित किया गया। लेकिन धूलिया छवाण सिंह जैसे अपने क्रान्तिकारी साथियों के साथ पकड़े गये और उन्हें 7 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। उनकी सजा के आदेश में जज ने लिखा था कि– *"यह मुल्जिम पढ़ा-लिखा विद्वान व्यक्ति दिल्ली*

में बैठ कर गढ़वाल के सारे आदोलन को चलाता है और शासन को उलटने की निकम्मी साजिश रचता है।" उनकी सजा 27 दिसम्बर, 1942 को शुरू हुयी और उन्हें बरेली जेल भेज दिया गया। धूलिया सन् 1945 में जेल से छूटे और फिर तिब्बतिया कालेज चले गये। भक्तदर्शन के अनुरोध पर भैरव दत्त प्रोफेसरी छोड़ कर एक बार फिर 1946 में 'कर्मभूमि' के सम्पादक बन गये। वह सन् 1948 में कांग्रेस से भी अलग हो गये थे और अपनी लोकप्रियता के दम पर वह स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुँच गये थे। आजादी के बाद भी लम्बे समय तक 'कर्मभूमि' के जरिये पाठक उनकी लेखनी का लाभ उठाते रहे। धूलिया के सम्पादकत्व में 'कर्मभूमि' समूचे उत्तराखण्ड के लोकप्रिय और व्यापक प्रसार वाला पत्र रहा जो कि आजादी के बाद भी समाज का मार्ग दर्शन करता रहा। गढ़वाल के इस विद्वान सम्पादक और स्वाधीनता सेनानी का 5 जुलाई, 1988 को निधन हो गया। उत्तराखण्ड के जिन दो अखबारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वाधीनता सेनानी अखबार घोषित कर सम्मानित किया गया था, उनमें एक 'शक्ति' और दूसरा 'कर्मभूमि' ही था।

मानवेन्द्र नाथ रॉय

भारतीय दार्शनिकों में क्रान्तिकारी विचारक तथा मानवतावाद के प्रबल समर्थक मानवेन्द्र नाथ रॉय (एम०एन० रॉय) का जन्म पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में सन् 1887 में हुआ था। उनके पिता धर्मपरायण व्यक्ति थे और धर्मप्रचार के द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। राय का बाल्यकालीन नाम 'नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य' था। उनका भारतीय दर्शनशास्त्र में भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। मानवेन्द्र नाथ रॉय ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी संगठनों को विदेशों से धन व हथियारों की तस्करी में सहयोग दिया। सन् 1912 ई० में वह 'हावड़ा षड़यंत्र केस' में गिरफ्तार भी कर लिये गए थे। उन्होंने भारत में 'कम्युनिस्ट पार्टी' की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सन् 1922 में बर्लिन से 'द वैन्गार्ड ऑफ़ इण्डियन इण्डिपेंडेंन्स' नामक पत्रिका निकाली। राय ने देहरादून से 1937 में अंग्रेजी मासिक पत्र

'रेडिकल ह्यूमनिस्ट' और उसी साल अंग्रेजी साप्ताहिक 'इण्डिपेण्डेण्ट इंडिया' अखबार निकाले। देहरादून में इन्दर रोड पर उनकी कोठी आज भी मौजूद है। जाने-माने पत्रकार राधाकृष्ण कुकरेती के अनुसार स्वयं पंण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपने विश्वासपात्र

खुर्शीद लाल को मानवेन्द्र नाथ राय के लिये देहरादून में मकान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसमें ठाकुर किशन सिंह ने भी सहयोग किया।

14 वर्ष की अल्पायु में ही वह भारत की स्वतंत्रता के लिये होने वाले क्रान्तिकारी आन्दोलनों में सम्मिलित हो गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। वह सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को विदेशी शासन से स्वतंत्र कराना चाहते थे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक जर्मनी, रूस, चीन, अमेरिका, मैक्सिको आदि देशों की यात्राएं भी कीं। एम०एन० रॉय की क्रांतिकारी गतिविधि के कारण उनकी अनुपस्थिति में कानपुर षड़यंत्र का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे, फिर भी 1930 में वह गुप्त रूप से भारत लौटने में सफल हो गए। मुंबई आकर वह 'डाक्टर महमूद' के नाम से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। 1931 में वह गिरफ्तार कर लिए गए। छह वर्षों तक कारावास की सजा काटने के बाद 20 नवम्बर, 1936 को वह जेल से मुक्त किए गए। कांग्रेस की नीतियों से उनका मतभेद हो गया था। इसलिये उन्होंने 'रेडिकल डिमोक्रेटिक पार्टी' की स्थापना की थी। मार्क्सवादी राजनीतिक विषय पर उन्होंने लगभग 80 पुस्तकें लिखीं। सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर रॉय जीवन के अंतिम दिनों में देहरादून में रहने लगे और यहीं 25 जनवरी, 1954 को उनका निधन हो गया। एम०एन० रॉय टिहरी रियासत में भी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। डॉ० शेखर पाठक ('सरफरोशी की तमन्ना' 1998 पृष्ठ–152) के अनुसार जून, 1938 में मानवेन्द्र नाथ राय की अध्यक्षता में एक राजनैतिक सम्मेलन हुआ। इसमें टिहरी की प्रजा के कष्टों पर विस्तार से विचार हुआ और रियासत से बेगार, प्रभु सेवा उठाने, लगान तथा पनटौटी कम करने और अभिव्यक्ति की आजादी की माँग की गयी। एक अन्य लेखक शक्ति सकलानी (उत्तराखण्ड की विभूतियाँ) के अनुसार 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी प्रजा मण्डल की बैठक की अध्यक्षता एम०एन०राय ने की थी।

मनोहर पन्त

'शक्ति' अखबार में आखिर तक बदरीदत्त पांडे का साथ देने वाले मनोहर पन्त का जन्म अल्मोड़ा जिले के तिलाड़ी गाँव में 25 जून, सन् 1898 में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णानन्द पन्त था। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में सन् 1921 में बदरीदत्त पांडे के सुझाव पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तथा 1923 में सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़ी और बदरीदत्त पांडे के सहयोगी के तौर पर 'शक्ति' अखबार में काम करने लगे। सन् 1922 से लेकर 1923 तक बदरीदत्त पांडे के बाहर रहने पर मनोहर पन्त ने ही 'शक्ति' का पूर्णरूप से सम्पादन और प्रबन्धन किया। कुमाऊँ केसरी बदरीदत्त के प्रान्तीय एसेंबली के लिये चुने जाने पर पन्त सन् 1937 से लेकर 1942 तक शक्ति के सम्पादक रहे।
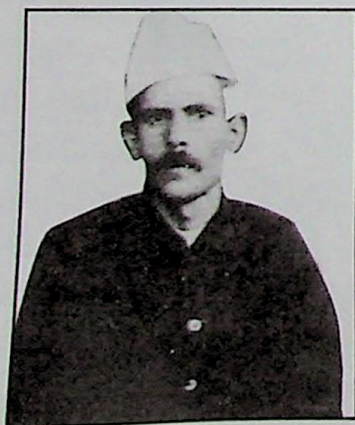
'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान 1942 में मनोहर पन्त गिरफ्तार किये गये और भारत सुरक्षा कानून (डी०आई०आर०) के तहत 4 साल तक अल्मोड़ा, बरेली और इलाहाबाद जेलों में रहे। जेल से छूटने के बाद पन्त पुन: 'शक्ति' के सहायक सम्पादक बन गये। वह सन् 1952 से लेकर 1959 में पक्षाघात होने तक इस अखबार के फुल फ्लेज्ड सम्पादक रहे। मनोहर पन्त कट्टर राष्ट्रवादी अवश्य थे, वह सुभाष चन्द्र बोस से भी काफी प्रभावित थे, मगर वह भगत सिंह के क्रांतिकारी मार्ग के पक्षधर नहीं थे।

सन् 1942 में मनोहर पन्त के नेतृत्व में कुमाऊँ के पत्रकारों ने मुहम्मद अली जिन्ना की प्रेस कान्फ्रेंस का बहिष्कार किया और उन्होंने सम्पूर्ण भारत के पत्रकारों से जिन्ना के प्रति यही रवैया अपनाने की अपील की। वह 1922 से लेकर 1925 तक अल्मोड़ा तहसील कांग्रेस कमेटी के मंत्री, 1925 से 1931 तक जिला महामंत्री रहे। उनके ही लेखन के कारण शक्ति पर 1942 में ताले पड़े थे। 10 अक्टूबर, 1942 को उनके द्वारा सरकार के विरुद्ध छपे लेखों के कारण 'शक्ति' में तालाबन्दी कर उन्हें डी०आई०आर० की धारा 129 के तहत गिरफ्तार कर नजरबन्द कर 22 दिन तक अल्मोड़ा जेल में रखने के बाद वहाँ से बरेली और बाद में इलाहाबाद जेल में बन्द रखा गया। उन्हें पूरे 1 वर्ष 10 माह और 5 दिन जेल में रखने के बाद 15 जून, 1944 को रिहा किया गया। उस दौरान उनके परिवार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शक्ति के 'देशभक्त प्रेस' के बन्द होने से उसके कर्मचारी और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये थे, इसलिये धर्मानन्द पांडे के स्वामित्व में प्रेस 1944 में फिर चालू किया गया। वह उसके बाद जीवन के लगभग अन्तिम क्षणों तक 'शक्ति' के सम्पादक बने रहे।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह

नाम के राजा मगर फकीरों की तरह जीने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और समाज सुधारक महेन्द्र प्रताप सिंह का उत्तराखण्ड से गहरा सम्बन्ध रहा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मुसरन नामक स्थान पर 1 दिसम्बर, 1886 को हुआ। उन्होंने सन् 1914 में देहरादून से 'निर्बल सेवक' नाम का अखबार निकाला था। चूँकि उस अखबार का लक्ष्य ही राष्ट्रीय स्वाधीनता था, अत: उसमें छपी सामग्री भी अंग्रेज शासकों को कहाँ रास आने वाली थी। इसलिये उनसे बार-बार जमानतें माँगी जाती रहीं और अन्तत: राजा साहब ने वह अखबार बन्द कर दिया और देश छोड़ कर विदेश चले गये। विदेश में स्वतंत्र भारत राष्ट्र की निर्वासित सरकार चलाने वाला यह महान क्रान्तिकारी 1946 में भारत लौटने के बाद आजाद देश की संसद का सदस्य रहा, मगर उन्होंने जीवन के अन्तिम क्षण देहरादून में ही बिताये। कभी उनके करीबी रहे वामपन्थी पत्रकार राधाकृष्ण कुकरेती के अनुसार राजा महेन्द्र प्रताप का एक मकान देहरादून शहर के निकट ही राजपुर में रहा मगर वह शहर के अन्दर राजपुर रोड वाले दूसरे मकान पर रहते थे।

राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में राजा महेन्द्र प्रताप से सम्बन्धित सन 1915 से लेकर सन 1970 तक के 1148 दस्तावेज सुरक्षित हैं। इन दस्तावेजों में कुछ ऐतिहासिक

चित्र, पम्फलेट, पत्रिकाएँ और समाचार पत्रों की कतरनों के अलावा वे पत्र भी शामिल हैं जो उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर, जर्मनी के चांसलर महात्मा गांधी, जार्ज लांसबरी, डॉ० सम्पूर्णानन्द, जवाहरलाल नेहरू, एम० सहाय, आर०बी० बोस, डॉ० राधाकृष्णन, बर्नाड रसेल एवं वर्ल्ड फेडरेशन फॉर इक्वलिटी को लिखे थे।

ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार हाथरस के राजा दयाराम ने 1817 में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया था, मगर अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। 1841 में दयाराम का देहान्त हो गया तो उनके पुत्र गोविन्दसिंह गद्दी पर बैठे। सन् 1857 में गोविन्दसिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया फिर भी अंग्रेजों ने गोविन्द सिंह का राज्य नहीं लौटाया। उन्हें कुछ गाँव, 50 हजार रुपये नकद और राजा की पदवी देकर हाथरस राज्य पर पूरा अधिकार छीन लिया। राजा गोविन्द सिंह की 1861 में मृत्यु होने पर रानी कुँवरी ने जटोई के ठाकुर रूपसिंह के पुत्र हरनारायण सिंह को गोद ले लिया और फिर अपने दत्तक पुत्र के साथ रानी अपने महल वृन्दावन में रहने लगी। राजा हरनारायण सिंह अंग्रेजों के भक्त थे। उनकी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मुरसान के राजा घनश्यामसिंह के तीसरे पुत्र महेन्द्र प्रताप को गोद ले लिया। इस प्रकार महेन्द्र प्रताप मुरसान राज्य को छोड़कर हाथरस राज्य के राजा बने।
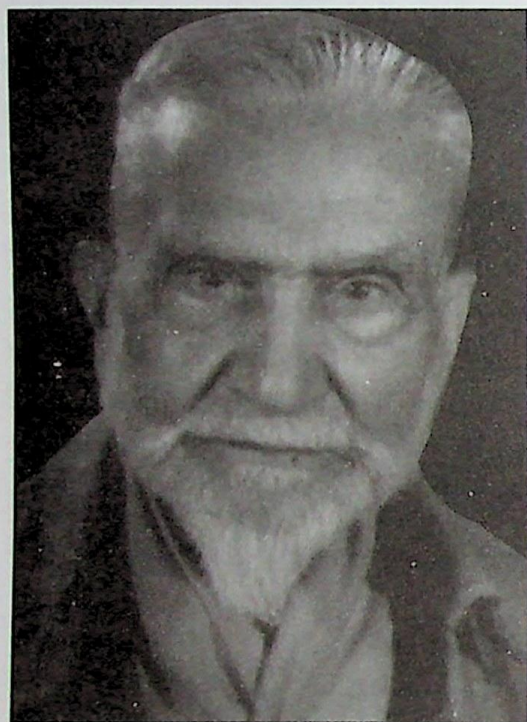
आर्य पेशवा के नाम से भी प्रसिद्ध रहे महेन्द्र प्रताप का जींद रियासत के राजा की पुत्री से संगरूर में विवाह हुआ। कहा जाता है कि विवाह के बाद जब कभी महेन्द्र प्रताप ससुराल जाते तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। सन् 1909 में उनकी पुत्री भक्ति और 1913 में पुत्र प्रेम प्रताप सिंह का जन्म हुआ। सन् 1906 में जींद के महाराजा की इच्छा के विरुद्ध राजा महेन्द्र प्रताप ने कलकत्ता में इन्डियन नेशनल काँग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और वहाँ से स्वदेशी के रंग में रंगकर लौटे। उस समय किसी राजा का कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेना बहुत बड़ी बात होती थी। उन्होंने 1909 में वृन्दावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की और उसके लिये अपने पाँच गाँव वृन्दावन का राजमहल और चल संपत्ति को दान दे दिया। उन्होंने वृन्दावन में ही 80 एकड़ में फैले एक विशाल फलवाले बगीचे को 1911 में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को दान में दे दिया।

वह प्रथम विश्वयुद्ध से लाभ उठाकर भारत को आजादी दिलवाने के पक्के इरादे से देहरादून छोड़ कर विदेश चले गये। देहरादून में वह 'निर्बल सेवक' समाचार-पत्र निकालते

थे। उसमें जर्मनी के पक्ष में लिखे लेख के कारण उन पर 500 रुपये का दण्ड किया गया जिसे उन्होंने भर तो दिया, लेकिन देश को आजाद कराने की उनकी इच्छा प्रबलतम् हो गई। उन्हें विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं मिला तो मैसर्स थौमस कुक एण्ड संस का मालिक बिना पासपोर्ट के अपनी कम्पनी स्टीमर द्वारा राजा महेन्द्र प्रताप और हरिद्वार के स्वामी श्रद्धानंद के ज्येष्ठ पुत्र हरिचंद्र को इंग्लैण्ड ले गया। उसके बाद राजा ने जर्मनी के शासक कैसर से भेंट की जिसने आजादी में हरसंभव सहायता देने का वचन दिया। वहाँ से वह अफगानिस्तान गये। वहाँ अफगान बादशाह से मुलाकात की और वहीं से उन्होंने एक दिसम्बर, 1915 को काबुल से भारत के लिए अस्थाई सरकार की घोषणा कर दी, जिसके राष्ट्रपति वह स्वयं तथा प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खाँ बने। जब अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तो उसी दौरान वह रूस गये और लेनिन से मिले। राजा साहब 1920 से 1946 तक विदेशों में भ्रमण करते रहे और उसी दौरान उन्होंने विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। उन्होंने चीन में चांगकाइ शेक से भी मुलाकात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह जापान में अन्य देशभक्तों के साथ पकड़े गये। मगर जब 1946 में अस्थाई राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ तो पण्डित जवाहर लाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद उन्हें जापान की जेल से रिहा किया गया और वह वहाँ से सीधे स्वदेश लौट आये। वह 1957-1962 के दौरान लोक सभा के सदस्य रहे।

ठाकुर देशराज के अनुसार (जाट इतिहास- पृष्ठ-572-574) छूआछूत के खिलाफ राजा साहब सबसे पहले अग्रसर हुए। जिन दिनों वह देहरादून में थे (शायद सम्वत् 1971 विक्रमी में) उन्होंने वहाँ अनुसूचित जाति के टमटों के घर पर जाकर भोजन कर लिया। आगरा में एक स्वच्छक वाल्मीकि परिवार के साथ बैठकर राजासाहब ने भोजन कर लिया था, इससे बड़ी खलबली मची थी। ये बातें उस समय की हैं जबकि अछूतोद्धार का नाम भी न था।

उक्त पुस्तक में ठाकुर देशराज लिखते हैं कि राजा साहब ने पर्दे के विरुद्ध और स्त्री समानता के पक्ष में तथा किसानों के हित के लिए 'निर्बल सेवक' में बहुत कुछ लिखा था। 'निर्बल सेवक' के निकलने के कुछ दिन बाद यूरोप में विश्वयुद्ध छिड़ गया। युद्ध को देखने के लिए विक्रमी संवत् 1971 में स्वामी श्रद्धानन्द के पुत्र हरिश्चन्द्र के साथ विलायत रवाना हो गए। सरकार की ओर से कहा गया था कि मई सन् 1916 में सरकार को उनकी बगावती गतिविधियों का पता चल गया है, इसलिए उनकी रियासत कुर्क की जाती है। यदि वे भारत में आयेंगे तो न्यायालय में विचार किया जाएगा। उनकी रानी साहिबा के लिए 200/- रुपये माहवार और कुंवर प्रेम प्रताप के लिए 400/- रुपये मय दाई के खर्च के लिए दिए जाएंगे। 'इडिपेण्डेण्ट' पत्र में महेन्द्र प्रताप ने जो पत्र छपवाया था उससे मालूम होता है कि युद्ध के दिनों में वे जर्मनी के चांसलर, टर्की के सुल्तान और काबुल के अमीर से भी मिले थे।

उन्होंने प्रेम-धर्म नामक एक पुस्तक भी लिखी है। वह कुछ समय तक चीन में भी रहे। समय-समय पर राजा महेन्द्र प्रताप भारत के राष्ट्रीय पत्रों में अपने विचार भी प्रकट करते रहते थे। चीन से उन्होंने 'गदर' नाम का पत्र निकालने की भारतीय पत्रों में भी सूचना दी थी। उन्होंने अपना नाम पीटर पीर प्रताप रख लिया था। इससे मालूम होता है कि वह सभी धर्मों से प्रेम करते थे। सन् 1979 में 93 साल की उम्र में देहरादून में उनका देहान्त हो गया।

मनोहर लाल उनियाल 'श्रीमन'
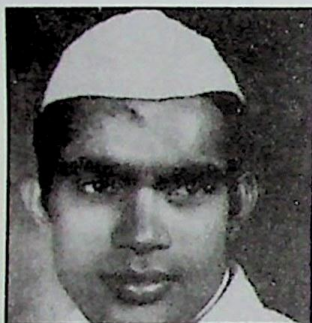
'श्रीमन' मुख्यरूप से एक साहित्यकार थे, मगर उन्होंने सन् 1960 में 'पर्वतीय संस्कृति' पत्र का सम्पादन और प्रकाशन भी किया था। वह 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में 1942 में पकड़े गये और जेल की कोठरी में उन पर 35 किलोग्राम की बेड़ियाँ डाल दी गयीं। वह 17 महीनों तक जेल में रहे। श्रीदेव सुमन के सम्पर्क में आने पर उन्होंने टिहरी में सत्याग्रह किया और पकड़े गये। वह सांस्कृतिक सम्मेलन के संस्थापक, हिन्दी के प्रमुख कवि तथा अनेक पुस्तकों के लेखक रहे। वह मूल रूप से टिहरी की सकलाना पट्टी के निवासी थे, मगर बाद में देहरादून में ही बस गये थे। तिलाड़ी काण्ड पर श्रीमन जी ने तिलाड़ी का मैदान शीर्षक से एक आग उगलती कविता लिखी थी जो इस प्रकार थी–

"अरे ओ जलिया– बाग,
रियासत टिहरी के अभिमान,
रवांईं के सीने के दाग,
तिलाड़ी के खूनी मैदान,
...शहीदों के उज्ज्वल बलिदान,
दिलायेंगे तेरी पावन याद,
रहेगा जब तक तू आजाद,
जलेंगे शत्-शत् क्रान्ति चिराग!
जहाँ पर होंगे लाल निशान!
अरे ओ जलियाँ वाले बाग,
रवांईं के सीने के दाग।

महेशा नन्द थपलियाल

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और पत्रकार महेशानंद थपलियाल का जन्म सन् 1901 में ग्राम टोलू, पट्टी मनियारस्यूँ जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने 1918 में श्रीनगर गढ़वाल से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहीं पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल भी उन दिनों पढ़ते थे। इसलिये महेशानंद पर बड़थ्वाल की साहित्य साधना का भी प्रभाव पड़ा। वह

गोरखा रायफल्स में क्लर्क भी रहे मगर यह नौकरी उनके मिजाज के अनुकूल न होने के कारण उन्होंने उससे त्यागपत्र दे कर अध्यापन का काम शुरू किया। उन्होंने मेरठ प्रवास के दौरान रत्नाम्बर दत्त चंदोला के सहयोग से 'हृदय' नाम की साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। यह पत्र दो साल तक ही चल पाया। बाद में जब वह पौड़ी गढ़वाल लौट आये तो उन्होंने अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के साथ उनका प्रिंटिंग प्रेस 'स्वर्गभूमि' चलाया और वहीं से 'उत्तर भारत' पत्र का संपादन भी किया। उस पत्र के संपादन के लिये उन्हें घंडियाल गाँव से पौड़ी तक पैदल आना होता था। उस पत्र के बंद होने पर वह लैंसडौन में सरकारी नौकरी करने लगे। इसी दौरान उन्होंने साप्ताहिक 'नव प्रभात' शुरू किया। उनके बारे में भक्तदर्शन अपनी पुस्तक 'गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ' में कहते हैं कि, चूँकि वह सरकारी नौकरी में थे, इसलिये इस पत्र का संपादन ललिता प्रसाद 'ललाम' और प्रकाशन नेत्र सिंह बिष्ट के छद्म नाम से करते थे। उन्हें लेखन का काफी शौक था। इसलिये उन्होंने 'गढ़वाल जिले का भूगोल' आदि पुस्तकें भी लिखीं। उन्हें सन् 1930 में सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान 'इबटसन-कांड' में 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। उस दौरान वह डी०ए०वी० स्कूल पौड़ी में अध्यापन कर रहे थे। इसलिये उनकी वह नौकरी भी गयी। 20 फरवरी, 1969 को दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। वहाँ थपलियाल जी अपने पुत्र अशोक कुमार थपलियाल के साथ रह रहे थे।

मुरारी लाल गुप्ता

उनका जन्म 27 अक्टूबर, 1917 को देहरादून में रामजीलाल गुप्त के घर हुआ था। वह भी कांग्रेस के चर्चित 'ढिंडोरा' अखबार के संचालकों में से एक थे। वह सन् 1942 के आन्दोलन के दौरान 'कांग्रेस ढिंढोरा' (ढंढोरा) बुलेटिन निकालने के कारण जेल गये और भारत रक्षा कानून की धारा 29 के अन्तर्गत 12 दिसम्बर, 1943 से 1 फरवरी, 1944 तक नजरबन्द रहे। यह हस्तलिखित अखबार साइक्लोस्टाइल मशीन पर छपता था और भूमिगत तरीके से रातों रात देहरादून शहर में बंट भी जाता था।

मुकुन्दीलाल, बैरिस्टर

अगर आप ऐतिहासिक घटनाक्रम को टटोलें तो गढ़वाल में कांग्रेस के संस्थापक बैरिस्टर मुकुन्दीलाल ही नजर आते हैं। स्वतंत्रता सेनानी, कलाविद् और पत्रकार बैरिस्टर मुकुन्दीलाल का जन्म 14 अक्टूबर, 1885 को चमोली गढ़वाल के पाटली गाँव में हुआ था। पढ़ने-लिखने में विशेष रुचि और कुशाग्र बुद्धि के धनी मुकुन्दीलाल का जन्म एक साधारण गढ़वाली परिवार में होने के बावजूद वह इतिहास पढ़ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लन्दन गये थे। वहीं उन्होंने बार-एट-लॉ की डिग्री हासिल की और तदोपरान्त विदेशी पत्नी समेत वह गढ़वाल लौट आये। गढ़वाल में कुली बेगार और बर्दायश प्रथा के खिलाफ जबरदस्त

आन्दोलन चलाने वाले बैरिस्टर मुकुन्दीलाल ने 1922 में लैंसडौन से 'तरुण कुमाऊँ' अखबार शुरू किया, मगर वह अधिक समय तक नहीं चल सका। यह पत्र जुलाई, 1922 से लेकर सितम्बर, 1923 तक गढ़वाली प्रेस देहरादून से मुद्रित और प्रकाशित होता रहा और उसके बाद देहरादून में ही 'भास्कर प्रेस' से छपने लगा। इसका वार्षिक मूल्य 3 रुपये था। लेकिन इसका प्रकाशन 1924 तक ही जारी रह सका। इस अखबार का मूल उद्देश्य भी स्वाधीनता आन्दोलन को जन भावनाओं से जोड़ना था। पत्र के एक सम्पादकीय में मुकुन्दीलाल ने लिखा था—

"हम स्वराज्य चाहते हैं क्योंकि बिना स्वराज्य के कोई भी जाति स्वतंत्र और गौरववान, प्रभावशाली, शक्तिशाली और आरदणीय नहीं हो सकती है। परतंत्र राष्ट्रों का कोई सम्मान नहीं करता। पराधीन जाति की कोई नहीं सुनता। हम देश में हों या विदेश में, सब जगह हिकारत की नजर से देखे जाते हैं।" हालांकि यह पत्र मात्र दो साल ही चल सका, मगर राष्ट्रीय भावना जगाने में उसका स्मरणीय योगदान रहा।

ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मुकुन्दीलाल गढ़वाल के शीर्ष स्वाधीनता संग्रामियों में से एक और कुली बर्दायश विरोधी आन्दोलन के एक प्रमुख नायक रहे हैं। अल्मोड़ा से प्रकाशित 'शक्ति' के 25 नवम्बर, 1919 के अंक में छपे बैरिस्टर मुकन्दीलाल के लेख के इन अंशों से राष्ट्रीय आन्दोलन और नेतृत्व के बारे में उनकी धारणा का पता चलता है। लेख के अंश इस प्रकार थे—

"एक व्यक्ति तभी एक नेता बना रहता है जब तक कि वह देश की आकांक्षा, भय, आशा और आदर्शों को नहीं छिपाता और उनको प्रकट करता हुआ अपने आदर्शों तथा उद्योग से नहीं विमुख होता। संसार के इतिहास में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि नेता कोई विशेष या विलक्षण व्यक्ति नहीं वह सर्वसाधारण में से एक है। वह एक अगुवा है जिसे सभी लोग तभी तक मानते हैं जब तक वह ठीक रास्ते पर लोगों को ले जाता है, ज्यों ही वह लोगों को गुमराह करने लगा या कुमार्ग की ओर जाने लगा, लोग उसे छोड़ देते हैं।"

बैरिस्टर मुकुन्दीलाल को पेशावर काण्ड के हीरो चन्द्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों की पैरवी करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। इस पर बाद में कुछ विवाद भी हुआ। वह सन् 1923 में गढ़वाल से लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिये चुने गये।

मुकुन्दीलाल जब 6 अप्रैल, 1919 को इंग्लैण्ड से बैरिस्टरी की डिग्री लेकर बम्बई पहुँचे तो उन्हें पुलिस ने एक सप्ताह तक रोके रखा। उसके बाद मुकुन्दीलाल इलाहाबाद आ गये जहाँ जवाहर लाल नेहरू स्वयं उन्हें रिसीव करने के लिये स्टेशन पर पहुँचे थे। वहाँ से वह सीधे लैंसडौन आ कर वकालत करने लगे। सन् 1919-21 में उन्होंने गढ़वाल में कुली बेगार विरोधी आन्दोलन शुरू किया। बीसवीं सदी के आरम्भ में जब गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिये 2 हजार रुपये मुकुन्दीलाल के हाथों ही भिजवाये थे (गढ़वाली जुलाई, 1908)। गढ़वाल के कुली बेगार विरोधी आन्दोलन के तीन प्रमुख नेताओं में चमोली में अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, पौड़ी में मथुरा प्रसाद नैथाणी और लैंसडौन में मुकुन्दीलाल बैरिस्टर थे। मुकुन्दीलाल ने उस समय तिलक फण्ड के लिये चार आना कांग्रेस मेम्बरशिप के द्वारा कुछ रुपये जमा कर इलाहाबाद में तिलक फण्ड के संयोजक को भेज दिये। इसके साथ ही गढ़वाल में कांग्रेस का प्रवेश हुआ और बैरिस्टर साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिये चुन लिये गये। लेकिन जब 25 दिसम्बर, 1929 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में लिये गये निर्णय के अनुसार मुकुन्दीलाल ने उत्तर प्रदेश की लेजिसलेटिव काउंसिल से इस्तीफा नहीं दिया जबकि उस निर्णय का पालन करते हुये गोविन्द बल्लभ पन्त और हरगोविन्द पन्त ने अपने इस्तीफे दे दिये थे (पट्टाभिरमैया-कांग्रेस का इतिहास)। पेशावर कांड के नायक चन्द्र सिंह गढ़वाली के मामले में कमजोर पैरवी करने पर भी मुकुन्दीलाल की आलोचना हुयी थी।

रमेश कुमार शर्मा

इनका जन्म 1926 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। पी०एच०डी० की उपाधि प्राप्त करके वह 'विशाल भारत', 'वितस्ता', 'योग', दैनिक 'केसरी', 'सैनिक' के माध्यम से पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे। स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण उन्हें 'यूपी षड़यंत्र केस' में 2 वर्ष का कारावास हुआ।

रामसिंह धौनी

उत्तराखण्ड के इस अग्रणी राष्ट्रसेवी पत्रकार एवं शिक्षक का जन्म 24 फरवरी, 1893 को तल्ला सालम के बिनौला गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर हिम्मत सिंह धौनी और माता का नाम कुन्ती देवी था। वह स्वाधीनता सेनानी अखबार 'शक्ति' के चौथे सम्पादक रहे। सन् 1925 में जेल से छूटने के बाद बदरीदत्त पांडे जिला बोर्ड अल्मोड़ा के सक्रेटरी बने इसलिये उन्होंने तत्काल शक्ति का सम्पादन नहीं सम्भाला। इस दौरान 3 नवम्बर, 1925 से लेकर 23 मार्च, 1926 तक 'शक्ति' के सम्पादन का दायित्व रामसिंह धौनी के कन्धों पर रहा। धौनी जी ने 'शक्ति' का खण्ड-8 अंक-5 से लेकर खण्ड- 8 अंक 22 तक का सम्पादन किया और इस दौरान भी 'शक्ति' के उग्र तेवर अंग्रेजशाही के खिलाफ जारी रहे। शक्ति में लिखे अपने सम्पादकीय में रामसिंह धौनी ने कहा था—

"दासता का आतंक राष्ट्र के ऊपर छाया हुआ है, उसको हटा कर स्वतंत्रता की आभा, स्वावलम्बन का दैवी प्रकाश फैलाने के लिये तपस्या की आवश्यकता है। इस देश रूपी कर्मक्षेत्र में देशप्रेम, स्वतंत्रता, एकता के बीज बोये गये जिससे समय पर स्वराज्य के मीठे फल खाने को मिलें, पर नीच स्वार्थ, परावलम्बन, फूट रूपी झाड़ फूँस बार-बार उखाड़े जाने पर भी आप से आप उग सकते हैं।"

थोड़े समय बाद नेपाल चले जाने के कारण धौनी ने 'शक्ति' का सम्पादकीय दायित्व छोड़ दिया। वह 1921-22 में राजस्थान चले गये थे। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार धौनी ने भारत में सबसे पहले 'जयहिन्द' का नारा दिया था और वह अपने मित्रों का अभिवादन भी 'जयहिन्द' से ही करते थे। उन्होंने अपने जयपुर प्रवास के दौरान सबसे पहले 1922 में 'बन्धु' नाम का मासिक अखबार शुरू किया। उसमें उनके देशभक्ति और स्वतंत्रता सम्बन्धी कवितायें और लेख छपते थे। राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 'बन्धु' पत्र की सभी प्रतियाँ जब्त करा कर उसका प्रकाशन ही बन्द करवा दिया। उसके बाद सन् 1922 में उन्होंने अपने शिष्य गोपाल नेवटिया और युधिष्ठर प्रसाद सिंहानिया को 'श्री स्वदेश' नामक पत्र निकालने के लिये प्रेरित किया। उसमें भी धौनी की देशभक्तिपूर्ण कवितायें और लेख छपते रहे।

उन्होंने 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी०ए० की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की और फिर होम रूल लीग से जुड़ गये। धौनी जब राजस्थान गये तो वहाँ उन्होंने सूरतगढ़ में अध्यापन किया। उन्होंने 1921 में फतेहपुर में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। वह 1923 से 1927 तक अल्मोड़ा जिला बोर्ड के सदस्य रहे तथा इसके बाद वह बम्बई चले गये जहाँ उन्होंने 'हिमालय पर्वतीय संघ' का गठन किया। बम्बई में 12 नवम्बर, 1930 को मात्र 37 साल की उम्र में उनका देहान्त हो गया। कुमाऊँ केसरी बदरीदत्त पांडे ने धौनी के बारे में 'शक्ति' में लिखा था—

"इस समय तो बहुत नेता हो गये हैं व विद्यमान हैं, लेकिन देहात ने अभी तक देशभक्त रामसिंह जी की टक्कर का देशभक्त, चुपचाप तथा तरतीबवार काम करने वाला नेता पैदा नहीं किया।"

स्वतंत्रता सेनानी शान्तिलाल त्रिवेदी ने 'अल्मोड़ा स्मारिका' में लिखा था—

"श्री धौनी जी की आत्मा में राष्ट्रीय प्रेम और भक्ति कूट-कूट कर भरी हुयी थी। उन्होंने भारतवर्ष में सर्वप्रथम 'जयहिन्द' का नारा सन् 1921 ई० में दिया और हमेशा अपने मित्रों और परिजनों को जयहिन्द से सम्बोधित कर ही पत्र लिखा करते थे। जिसकी याद सन् 1955 में सालम में बने हुये शहीद स्तम्भ पर अभी भी विद्यमान है।"

धौनी के 'जयहिन्द' नारे को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के समक्ष 1943 में बुलन्द किया था। इस महान देशभक्त की याद में सन् 1935 में सालम में 'रामसिंह धौनी आश्रम' बना जो कि 1942 की जनक्रान्ति का केन्द्र बना। उस क्रान्ति में नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल शहीद हुये थे।

राधा कृष्ण वैष्णव

राधाकृष्ण वैष्णव ने अपनी लेखनी से न केवल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया अपितु वह इस पेशे के माध्यम से पूरे 6 दशक तक गढ़वाल जैसे पिछड़े क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों और दलितों तथा पिछड़ों की पैरोकारी करते रहे। चमोली गढ़वाल के एक सम्पन्न एवं सुशिक्षित व्यवसायी वैष्णव परिवार में 1 जनवरी, 1920 को जन्में राधाकृष्ण पाँच भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्हें मसूरी के घनानन्द इण्टर कालेज से 1938 में हाइस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपना पारिवारिक व्यवसाय सम्भालने के लिये अपने घर नन्दप्रयाग लौटना पड़ा। मसूरी में अध्ययन के दौरान राधाकृष्ण का देहरादून से छपने वाले ऐतिहासिक अखबार 'गढ़वाली' से सम्पर्क बना रहा। 'गढ़वाली' के अलावा, अल्मोड़ा से प्रकाशित 'शक्ति', 'समता', 'कुमाऊँ कुमुद' और लैंसडौन से भक्तदर्शन और भैरव दत्त धूलिया आदि द्वारा शुरू किये गये 'कर्मभूमि' में लिखने की प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने सन् 1940 में दिल्ली से प्रकाशित दैनिक 'हिन्दुस्तान' में लिखना शुरू किया। गढ़वाल में डोला पालकी और हरिजन उत्पीड़न के खिलाफ जब हिन्दुस्तान में खबरें छपने लगी तो राधाकृष्ण पूरे गढ़वाल में चर्चित हो गये। उस समय चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी एक ही जिला था जिसे जिला गढ़वाल कहा जाता था और गढ़वाल के दलित नेता जयानन्द भारती 'डोला पालकी' आन्दोलन चला रहे थे।
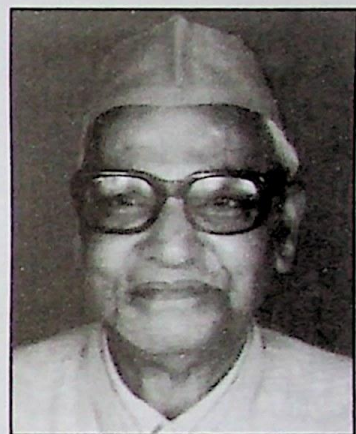
'दैनिक हिन्दुस्तान' के अलावा उन्होंने 'नवभारत टाइम्स', 'गाण्डीव', 'देशदूत', 'नव जीवन', 'अमृत प्रभात' और संवाद समिति 'हिन्दुस्तान समाचार' के लिये संवाद प्रेषण किया। उसके अलावा वैष्णव जी ने 60 से अधिक छोटी-बड़ी पत्र पत्रिकाओं में निरन्तर लेखन किया। आजादी के आन्दोलन में वैष्णव जी कभी जेल नहीं गये। जबकि उनके पड़ोसी रामप्रसाद बहुगुणा ने जेल यात्राएं की थीं। सन् 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने स्वतंत्रता आन्दोलन में अपनी लेखनी से सक्रिय भूमिका निभाने के लिये उत्तर प्रदेश के जिन 39 वरिष्ठ पत्रकारों को लखनऊ में सम्मानित किया उनमें उत्तराखण्ड के आचार्य गोपेश्वर कोठियाल और राधाकृष्ण वैष्णव भी थे। उसके बाद उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलने लग गयी। अक्टूबर, 2011 में उनका निधन हो गया।

राम प्रसाद बहुगुणा

गढ़केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के भतीजे और गढ़वाल के जाने-माने पत्रकार रहे राम प्रसाद बहुगुणा का जन्म 19 दिसम्बर, 1920 को नन्दप्रयाग में गोपाल दत्त बहुगुणा और राधवी देवी के घर हुआ था। उनके जन्म के एक वर्ष के अन्दर उनकी माता का देहावसान हो गया था और 14वें वर्ष में वह अपने पिता को भी खो चुके थे। सन् 1977 में उनके द्वारा

लिखे गये एक आत्म विवरण में उन्होंने स्वयं लिखा था कि—"अपनी दादियों, चाचा-चाची एवं छोटी माता के स्नेह में पोषित होता हुआ, कई दोषों के आक्रमण करने पर भी सार्वजनिक एवं साहित्यक रुचियों का समावेश हुआ। शिक्षा 18वें वर्ष में इसलिये छोड़ दी, कि देश के
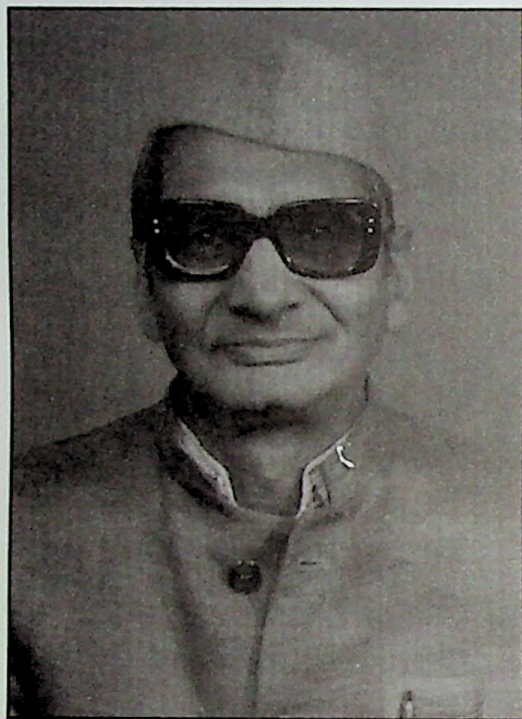
लिये, स्वाधीनता संग्राम के लिये गुलामी की शिक्षा नहीं लेनी और फिर यह कि मुझे जीवन में नौकरी नहीं करनी, हाँ ! अपना स्वाध्याय जारी रहा और 20वें वर्ष में (1940 में) प्रयोग के रूप में 'समाज' नामक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। लिखने का अभ्यास बढ़ता गया किन्तु सन् 1942 के भारत छोड़ो संग्राम में कूद पड़ने तथा सन् 44 तक यह अभ्यास जेल में कागज-पेंसिल न रहने से छोड़ना पड़ा।" राम प्रसाद जी स्वयं लिखते हैं कि—"जेल रहने के दौरान स्वराज्य संग्राम के योद्धा अपने चाचा श्री अनुसूया प्रसाद जी के स्वर्गीय होने पर भी माफीनामा लिखने के बजाय एक वर्ष और जेल में पड़ा रहना श्रेयस्कर समझा।" उन्होंने सन् 1953 में कुछ साथियों के साथ मिल कर राम नवमी के दिन 'देवभूमि' साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। देहरादून में कांग्रेस कमेटी ने भी भूमिगत हस्त लिखित अखबार 'ढंडोरा' सन् 1942 में ही निकाला था। इसलिये देहरादून कांग्रेस के 'ढंढोरा' और राम प्रसाद बहुगुणा के 'समाज' में तारतम्य का अहसास जरूर होता है। इसके बाद आचार्य गोपेश्वर कोठियाल आदि ने भी हस्तलिखित अखबार 'रणभेरी' निकाला था। 26 जनवरी, 1943 को डी०ए०वी० कालेज देहरादून के छात्र धर्मवीर से भी 'आजाद हिन्दुस्तान' नाम की एक हस्तलिखित इश्तिहार पत्रिका बरामद हुयी थी।

श्री बहुगुणा ने इस लेखक को सबसे पहले 'देवभूमि' अखबार से 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेस मान्यता दिलाई थी। वह इतने सहज, सरल और बालमन के व्यक्ति थे कि आज की क्षेत्रवादी और जातिवादी राजनीति में कभी 'फिट' नहीं बैठे। उनके चाचा गढ़केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुन्दी लाल गढ़वाल में कांग्रेस के संस्थापकों और आजादी के आन्दोलन के पहले झंडाबरदार रहे। इन दोनों ने ही गढ़वाल में कुली-बेगार के खिलाफ सबसे पहले आन्दोलन भड़काया था। इसलिये समाज सेवा और राष्ट्रप्रेम के संस्कार उन्हें घुट्टी में मिले थे। उनके चाचा ने पौड़ी में प्रिंटिंग प्रेस खोली थी जिसमें कुछ अखबार छपते थे। इसलिये पत्रकारिता भी उन्हें संस्कार के रूप में हासिल हुयी थी। कांग्रेसियों के कुनबे में पैदा होने के कारण वह जन्मजात कांग्रेसी अवश्य थे, मगर बाद

में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ वह कांग्रेस फार डेमोक्रेसी, दलित मजदूर किसान पार्टी और लोकदल जैसे राजनीतिक दलों में भी रहे मगर उन दलों से कभी चुनाव नहीं लड़े। उनके द्वारा संपादित 'देवभूमि' चमोली जिले की उपेक्षित और शोषित जनता की सशक्त आवाज बना रहा। इस लेखक ने संपादक के नाम पत्र के रूप में 1977 में पत्रकारिता की शुरुआत इसी अखबार से की थी। उत्तराखण्ड सरकार ने राम प्रसाद बहुगुणा के स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान को देखते हुये उनके सम्मान में एक पत्रकारिता पुरस्कार भी शुरू किया है, जिसकी पहली चयन समिति में प्रिंट मीडिया की ओर से इस लेखक को भी राज्यपाल की ओर से सदस्य नामित किया गया।

रुद्रदत्त भट्ट

स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार रुद्रदत्त भट्ट का जन्म सन् 1889 में हुआ था। वह ऐतिहासिक 'शक्ति' अखबार के संस्थापकों में से एक थे। वह कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'अमृत बाजार पत्रिका' के संवाददाता रहे मगर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बन्द कराये जाने पर जब यह दैनिक इलाहाबाद से 'नार्दर्न इण्डिया पत्रिका' के नाम से छपने लगा तो रुद्रदत्त भट्ट उसके संवाददाता बने रहे। सन् 1929 में गांधी जी की कुमाऊँ यात्रा के बाद वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गये और विभिन्न अखबारों में छद्म नामों से राष्ट्रहित के मामले उठाते रहे। उन्होंने 'शक्ति' साप्ताहिक के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कुमाऊँ मण्डल के प्रमुख कांग्रेस नेताओं में से रहे तथा पण्डित जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं के सम्पर्क में बने रहे। आजादी के बाद भी वह निष्पक्ष और निर्भीक हो कर पत्रकारिता करते रहे। मई, 1969 में उनका देहावसान हो गया।

लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार और लेखक लीलाधर शर्मा का जन्म 1 जनवरी, 1918 को अल्मोड़ा जिले के बगस्वाड़ (जैंती) में हुआ था। उनकी शिक्षा पहले बगस्वाड़, फिर जैंती के मिडिल स्कूल में हुई। उसके बाद अनेक वर्षों तक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से स्नातक (शास्त्री) की उपाधि हासिल की। वह स्वतंत्रता आन्दोलन में लाल बहादुर शास्त्री के साथी रहे। आदोलन में उन्हें चार साल से अधिक की जेल की दो सजायें हुयीं थीं। सन् 1945 में जेल से छूटने के बाद 'पर्वतीय' पत्रकारिता के क्षेत्र में चले गये। उन्होंने दो अखबारों का सम्पादन किया और तीन सौ से अधिक लेख लिखे। वह कई वर्षों तक हिन्दी समिति के सचिव रहे। उन्होंने कई पुरस्कृत पुस्तकों का लेखन और सम्पादन किया। वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर सम्मानित हुये। लीलाधर 'पर्वतीय' सन् 1979 में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुये।

ललिता प्रसाद नैथाणी

पौड़ी गढ़वाल की मन्यारस्यूँ पट्टी के नैथाणा गाँव में गढ़वाल के पहले हिन्दी अखबार के सम्पादक गिरजा दत्त नैथाणी का जन्म हुआ था और इसी गाँव से नैथाणी ने 'पुरुषार्थ' जैसा अखबार भी निकाला था। उसी नैथाणा गाँव में स्वतंत्रता सेनानी, मूर्धन्य पत्रकार और वकील ललिता प्रसाद नैथाणी का जन्म 1913 में हुआ था। ललिता प्रसाद नैथाणी ने गढ़वाल के प्रतीष्ठित साप्ताहिक 'सत्यपथ' का सन् 1956 से सम्पादन शुरू किया। 'सत्यपथ' उत्तराखण्ड के जाने माने अखबारों में से एक रहा। लेकिन उससे पहले वह 1942 में ही 'कर्मभूमि' से जुड़ गये थे। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 'कर्मभूमि' पर सेंसर लगने के कारण वह 1942 से लेकर 1945 तक बन्द रहा। उस दौरान नैथाणी को 'भारत सुरक्षा कानून' (डी०आई०आर०) के तहत निरुद्ध किया गया। सन् 1949 में वह पुन: 'कर्मभूमि' से जुड़ गये। वह लम्बे समय तक कोटद्वार नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। सन् 1988 में उनका देहान्त हो गया।
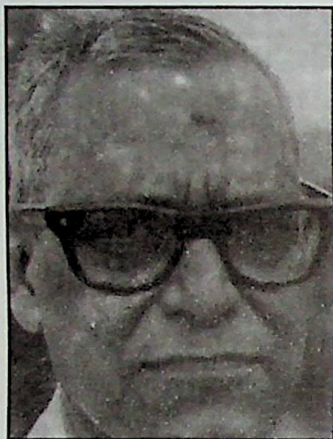
बृन्दावन ध्यानी

इनका जन्म जनवरी, 1902 में देवप्रयाग के समीप रणाकोट गाँव में हुआ था। इनका परिवार देवप्रयाग और बदरीनाथ में पण्डा व्यवसाय करता था। डॉ० भक्तदर्शन के अनुसार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लगभग दो सौ लेख प्रकाशित हुये थे। (गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पृष्ठ 629) श्री ध्यानी ने 1920 में असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था और गढ़वाल में जिला कांग्रेस कमेटी के गठन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तभी से उन्होंने खादी वस्त्र पहनने शुरू किये जो कि जीवनभर उनके साथ रहे। वह गया कांग्रेस में भी गढ़वाल से डेलीगेट हो कर गये थे, लेकिन बाद में वह सक्रिय राजनीति से अलग हो गये। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विद्यालय खुलवाये और दो बार नगरपालिका देवप्रयाग के अध्यक्ष भी रहे। वह टिहरी प्रजामंडल के सदस्य भी रहे। वह साहित्य प्रेमी एवं लब्ध प्रतिष्ठित लेखक रहे। उन्होंने देवप्रयाग में पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना भी की थी।
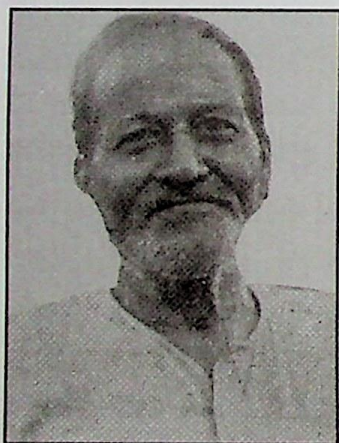
सदानन्द सनवाल

उत्तराखण्ड की हिन्दी पत्रकारिता के अग्रदूतों में पण्डित सदानन्द सनवाल का नाम भी एक है। यही नहीं वह इस पहाड़ी भूभाग में स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद डालने वालों में से

भी एक रहे। सनवाल 'अल्मोड़ा अखबार' के दूसरे सम्पादक थे तथा सन् 1918 में जब डिप्टी कमिश्नर ने अल्मोड़ा अखबार को जबरन बन्द कराया तो मुन्शी सदानन्द उसके प्रकाशक-मुद्रक थे। सनवाल से उस समय डिप्टी कमिश्नर ने जबरन इस्तीफा लिखवा दिया था। हिन्दी और अंग्रेजी में प्रवीण होने के साथ ही उर्दू भाषा में भी एकाधिकार के चलते उन्हें मुंशी के नाम से पुकार जाता था। वह अन्य स्वाधीनता सेनानियों की ही तरह स्वतंत्रता आन्दोलन में काफी सक्रिय रहे।
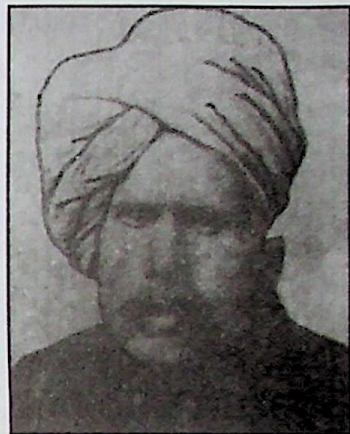
सच्चिदानन्द पैन्यूली

स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात पत्रकार परिपूर्णानन्द पैन्यूली के अनुज सच्चिदानन्द का जन्म भी टिहरी नगर में ही हुआ था। उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा। वह दैनिक 'आज' बनारस और 'नवभारत टाइम्स' नयी दिल्ली के टिहरी में अंशकालिक संवाददाता रहे। वह भी टिहरी प्रजामण्डल के सदस्य और रियासत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं। परिपूर्णानंद पैन्यूली जब 10 दिसम्बर, 1946 को टिहरी जेल से भागे तो उनके अनुज सच्चिदानंद पैन्यूली को 14 दिसम्बर, 1946 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तीन दिन तक नरेन्द्रनगर हवालात में रखा गया। उन पर अपने बड़े भाई परिपूर्णानंद को भगाने का आरोप था। लेकिन सच्चिदानंद भी फरार हो गये। वह कुछ दिन स्वाधीनता सेनानी श्यामचंद सिंह नेगी के पास देहरादून में भी छिपे रहे।

सतपाल पांधी (एस०पी० पांधी)

'हिमाचल टाइम्स पत्र समूह' के संस्थापक सतपाल पांधी (एस०पी० पांधी) का नाम देहरादून जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में तो नहीं रहा, लेकिन उत्तराखण्ड की पत्रकारिता में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान स्वरूप उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उनके परिजनों के अनुसार उन्होंने अपने छात्र जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लिया था और एक बार उन्होंने कालेज पर तिरंगा भी फहराया था। श्री पांधी का जन्म 23 फरवरी, 1923 को पंजाब के फतेहगढ़ चूड़ियां अमृतसर जिले में हुआ था। उनके पिता श्री जगन्नाथ पांधी मसूरी में व्यवसायी थे, इसलिए वह बचपन में ही मसूरी आ गये थे। उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मसूरी में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्हें देहरादून आना पड़ा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह नगर पालिका मसूरी के अंग्रेज अध्यक्ष के स्टेनो भी रहे, जिससे उनके अंग्रेजी ज्ञान में वृद्धि हुई। पहाड़ों की रानी मसूरी 'द हिल्स' जैसे ऐतिहासिक अखबारों की जननी रही है। इसलिए मसूरी की अंग्रेजी पत्रकारिता का एस०पी० पांधी पर भी गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने 1949 में मसूरी से 'हिमाचल टाइम्स' के नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। बाद में वह मसूरी छोड़ कर देहरादून आ गये और यहीं उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर 'हिमाचल टाइम्स' का

प्रकाशन शुरू कर दिया। यह पत्र 1967 में दैनिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। किसी जमाने में 'हिमाचल टाइम्स' अखबार उत्तराखण्ड का एकमात्र अंग्रेजी दैनिक अखबार होता था। उस समय यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी एकमात्र नियमित अंग्रेजी दैनिक था। श्री

पांधी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ट्रिब्यून आदि कई अंग्रेजी अखबारों और संवाद समितियों के संवाददाता रहे। श्री पांधी आई०एफ० डब्ल्यू०जे० सहित कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सम्बद्ध रहे। दलाईलामा जब तिब्बत छोड़कर भारत आये थे तो वह सबसे पहले मसूरी ही पहुँचे थे। दलाई लामा के मसूरी प्रवास के दौरान एस०पी० पांधी द्वारा भेजे गये समाचार देश-विदेश के अखबारों में काफी छपे थे। पांधी की गिनती राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों में होती थी, इसीलिए उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के सम्पादकों तथा वरिष्ठ पत्रकारों से घनिष्टता बनी रहती थी। एस०पी० पांधी का कार्यक्षेत्र केवल गढ़वाल ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी था। उन्होंने शिमला के यू०एस० क्लब से भी हिमाचल टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया था। पांधी की आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ० वाई०एस० परमार से भी घनिष्टता थी। हिमाचल संस्करण को अब उनके मझले पुत्र देव कुमार पांधी देख रहे हैं। सन् 1977 में एस०पी० पांधी ने 'पेट्रोलियम एशिया जर्नल' का प्रकाशन शुरू किया। यह त्रैमासिक पत्रिका अन्तर्राष्ट्रीय प्रसार के लिए शुरू की गई थी, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हाइड्रोकार्बन एवं भूगर्भ विशेषज्ञों के लेख छपते थे। इस पत्रिका की माँग विदेशों में भी होती थी। पेट्रोलियम एशिया जर्नल से पहले श्री पांधी ने सन् 1957 से हिन्दी में भी 'हिमाचल टाइम्स' का प्रकाशन शुरू किया, जो 1980 से दैनिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। 25 जनवरी, 1881 को देहरादून में श्री पांधी का हृदय गति रुकने से देहान्त हो गया। उनके पुत्र विजय पांधी, देव पांधी और अशोक पांधी ने हिमाचल टाइम्स पत्र समूह के संचालन के लिए पेट्रोलियम एशिया प्रा०लि० कंपनी की भी स्थापना की, जो कि अब भी एकाधिक पत्रों का प्रकाशन कर रही है। एस०पी० पांधी के मार्गदर्शन में कई मूधन्य पत्रकारों ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की और बाद में वे राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता में नाम कमाने में सफल रहे। इसीलिए किसी जमाने में 'हिमाचल टाइम्स' को पत्रकारों की नर्सरी भी कहा जाता था। इस लेखक ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत श्री पांधी के संरक्षण में की थी और उस प्रकाशन समूह के पत्रों में एक संवाददाता से लेकर समाचार सम्पादक तक के विभिन्न पदों पर रहते हुए स्वर्गीय पांधी के पदचिह्नों पर चलने का प्रयास किया।

अमर शहीद श्रीदेव 'सुमन'

अमर शहीद श्रीदेव 'सुमन' का जन्म टिहरी गढ़वाल जिले की बमुण्ड पट्टी के ग्राम जौल में 25 मई, 1916 को हुआ था। इनके पिता का नाम हरिराम बड़ोनी और माता जी का नाम श्रीमती तारा देवी था। इनके पिता हरिराम बडोनी अपने इलाके के लोकप्रिय वैद्य थे। इनकी पत्नी श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन देवप्रयाग क्षेत्र से दो बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिये चुनीं गयीं। सुमन की प्रारम्भिक शिक्षा अपने गाँव और चम्बाखाल में हुई और 1931 में टिहरी से हिन्दी मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् 1931 में वह देहरादून गये और वहाँ नेशनल हिन्दू स्कूल में अध्यापकी करने लगे, साथ ही साथ अध्ययन भी करते रहे। यहाँ से यह कुछ दिनों के लिये लाहौर भी गये और उसके बाद दिल्ली आ गये।

सुमन जी इस बीच पत्रकारिता के प्रति आकर्षित हुये और भाई परमानन्द के अखबार 'हिन्दू' में कार्य करने लगे, फिर उन्होंने 'धर्म राज्य' अखबार में कार्य किया। इसी दौरान वह वर्धा गये और राष्ट्र भाषा प्रचार कार्यालय में काम करने लगे, इस दौरान वे काका कालेलकर, बाबूराव पराड़कर, लक्ष्मीधर वाजपेई आदि के सम्पर्क में आये। वहाँ से वह इलाहाबाद चले आये और वहाँ पर 'राष्ट्र मत' नामक समाचार पत्र में सहकारी सम्पादक के रूप में काम करने लगे। 23 जनवरी, 1938 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मण्डल की स्थापना हुई, जिसमें वे संयोजक मन्त्री चुने गये। इस बीच लैंसडौन से प्रकाशित 'कर्मभूमि' पत्रिका के सम्पादन मंडल में शामिल होकर उन्होंने कई विचारपूर्ण लेख लिखे।

अगस्त, 1942 में जब भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो टिहरी आते समय इन्हें 29 अगस्त, 1942 को देवप्रयाग में ही गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन मुनि-की-रेती जेल में रखने के बाद 6 सितम्बर, को उन्हें देहरादून जेल भेज दिया गया। ढाई महीने देहरादून जेल में रखने के बाद इन्हें आगरा सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया, जहाँ ये 15 महीने नजरबन्द रखे गये। वह 19 नवम्बर, 1943 को आगरा जेल से रिहा हुये। उन्होंने 30 दिसम्बर, 1943 से 25 जुलाई, 1944 तक 209 दिन टिहरी की जेल में बिताये, झूठे गवाहों के आधार पर जब उन पर मुकदमा दायर किया गया तो इन्होंने अपनी पैरवी स्वयं की लेकिन इस पर भी ध्यान दिये बिना झूठे मुकदमे और फर्जी गवाहों के आधार पर 31 जनवरी, 1944 को दो साल का कारावास और 200 रुपया जुर्माना लगाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया। इस दुर्व्यवहार से खीझकर उन्होंने 3 मई, 1944 से अपना ऐतिहासिक आमरण

अनशन शुरू कर दिया और 25 जुलाई, 1944 को शाम करीब चार बजे इस अमर सेनानी ने अपने देश, अपने आदर्श की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी।

इनकी शहादत का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने राजशाही के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया, इनके बलिदान के बाद जनता के आन्दोलन ने टिहरी नरेश को प्रजामण्डल को वैधानिक घोषित करने पर मजबूर कर दिया। मई, 1947 में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 1948 में तो जनता ने देवप्रयाग, कीर्तिनगर और टिहरी पर अधिकार कर लिया और प्रजामण्डल का मंत्रिपरिषद गठित हो गया। इसके बाद 1 अगस्त, 1949 को टिहरी गढ़वाल रियासत का भारत गणराज्य में विलीनीकरण हो गया।

सुन्दरलाल बहुगुणा

प्रख्यात पर्यावरणवादी सुन्दरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी, सन् 1927 को टिहरी गढ़वाल के सिलयारा नामक गाँव में हुआ था। वह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में तो जगप्रसिद्ध हुये ही लेकिन पत्रकारिता और टिहरी रियासत के लोकतांत्रिक आन्दोलन में भी उनका योगदान कम नहीं रहा। प्राथमिक शिक्षा के बाद वह लाहौर चले गए थे और वहीं से उन्होंने कला स्नातक किया था। अपनी पत्नी श्रीमती विमला बहुगुणा के सहयोग से इन्होंने सिलयारा में ही 'पर्वतीय नवजीवन मण्डल' की स्थापना भी की। सन् 1949 में मीराबेन व ठक्कर बाप्पा के सम्पर्क में आने के बाद वह दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आन्दोलन छेड़ दिया। उन्होंने सिलयारा में ही 'पर्वतीय नवजीवन मण्डल' की स्थापना की। हालांकि वह विश्वप्रसिद्ध चिपको आन्दोलन के प्रणेता तो नहीं रहे (जैसा कि मीडिया का एक वर्ग प्रचारित करता रहा है। उस आन्दोलन की जननी सीमांत जोशीमठ ब्लाक के रैणी गाँव की गौरादेवी तथा उस आन्दोलन के असली प्रणेता चण्डी प्रसाद भट्ट, गोविन्द सिंह रावत, आलम सिंह बिष्ट और आनंद सिंह बिष्ट को ही माना जा सकता है।) लेकिन इस आन्दोलन को विश्व मंच पर प्रचारित करने में बहुगुणा जी का असाधारण योगदान रहा। एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने स्थानीय से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र-पत्रिकाओं में अपना विशेष स्थान बनाया। उन्हें पर्यावरण दार्शनिक कहा जा सकता है। वह अपने आप में एक आन्दोलन रहे हैं। सुन्दरलाल बहुगुणा शुरू में टिहरी बाँध समर्थक रहे। भागीरथी के जल के समाज और राष्ट्रहित में सदुपयोग के लिये उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया। बहुगुणा जी ने 22-28 मई, 1977 के 'धर्मयुग' में 'गंगा मैया का शक्ति रूप' शीर्षक के तहत छपे अपने लेख में नदियों पर बाँध परियोजनाओं का समर्थन किया था। धर्मयुग के उस अंक के पृष्ठ 12 पर छपे लेख के दूसरे कॉलम में चमोली जिले में भूस्खलन से बने 'गौना ताल' के बारे में उन्होंने लिखा था कि *"इन झीलों का निर्माण गंगा मैया का*
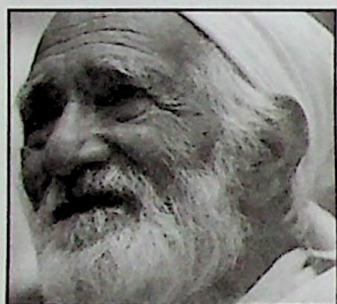
संकेत था, मुझे रोक कर मेरा शक्ति रूप प्रकट करो।" श्रमिक नेता और श्रम संविदा संघों के संस्थापक के तौर पर शुरू में वह वृक्षों के संतुलित कटान और लीसा दोहन के पक्ष में भी रहे, लेकिन ज्यों-ज्यों उनका अनुभव बढ़ता रहा त्यों-त्यों वह वनों का पर्यावरणीय महत्व समझते और समझाते रहे। इसी प्रकार जब उन्हें टिहरी बाँध से खतरे की आशंका नजर आई तो वह बाँध के निर्माण के आगे चट्टान की तरह खड़े हो गये। वह सन् 1952 तक कांग्रेसी ही थे। मगर उनकी असली पहचान एक सर्वोदयी नेता की रही। उनका टिहरी प्रजामंडल के गठन से लेकर उसके सफल संचालन और टिहरी के भारत संघ में विलय तक में असाधारण योगदान रहा।

सुन्दरलाल बहुगुणा का उत्तराखण्ड के सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए टिहरी में 1950 में ठक्कर बाबा छात्रावास की स्थापना तथा 1957 में गंगोत्री, यमुनोत्री व बूढ़ाकेदार के मंदिरों में हरिजन प्रवेश कराया। वह चिपको आन्दोलन के प्रमुख नेता रहे और उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में 1000 मी० से ऊपर के क्षेत्रों में हरे पेड़ों की व्यापारिक कटाई पर पाबन्दी चिपको आन्दोलन का ही परिणाम थी। इसका श्रेय चण्डी प्रसाद भट्ट के साथ ही सुन्दरलाल बहुगुणा को भी जाता है। यह प्रतिबन्ध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में अब भी कायम है। इससे पूर्व उन्होंने 1965 से 1971 तक शराबबन्दी आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने 1981-83 में पारिस्थितिकी चेतना के लिए कश्मीर से कोहिमा तक की 4870 किमी० की पैदल यात्रा की। उन्हें 1984 में दशरथ मल्ल सिंघवी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार तथा 1985 में वृक्षमित्र सम्मान मिला। उसके बाद 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार और 1987 में चिपको आन्दोलन के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुगुणा जी को 1987 में शेर-ए-कश्मीर पुरस्कार, उसी साल सरस्वती सम्मान, 1998 में पहल सम्मान, 1999 में दिवाली बहिन मेहता पुरस्कार, 1999 में ही गाँधी सेवा सम्मान, सन् 2000 में सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड, 2001 में पर्यावरण रक्षा के लिए यशवंत राव चह्वाण स्मृति सम्मान तथा सन् 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपने महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उन्हें स्थानीय जनमत की परवाह किये बिना कई बार धारा के विपरीत भी जाना पड़ा। जिस कारण उन्हें अलोकप्रियता और स्थानीय लोगों के गुस्से को भी झेलना पड़ा, मगर वह अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुये।

स्वामी श्रद्धानन्द (मुंशी राम)

जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे और अपने आन्दोलन की रणनीति बनाई तो उनके सहयोगी चार्ल्स एंड्रयू ने उन्हें सलाह दी थी कि भारत की तीन महान विभूतियों से मिले बिना आप अपने आंदोलन को मूर्त रूप नहीं दे सकते। ये तीन शख्स थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक मुंशीराम और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्रा। सन् 1915 में हरिद्वार में जब महाकुंभ लगा तो गांधी जी भी वहाँ आए थे। गांधी जी ने अपनी डायरी में भी लिखा था कि हरिद्वार आने का एक और बड़ा उद्देश्य

मुंशीराम से भेंट करना था। कालांतर में यह भेंट इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गयी। गांधी जी को 'महात्मा' नाम से पहली बार संबोधन इसी मुलाकात की देन थी। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 'महात्मा' की मानद उपाधि देकर गांधी जी को सम्मानित किया था।

गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्था के संस्थापक और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के संन्यासी महात्मा श्रद्धानन्द का जन्म 22 फरवरी, 1856 को पंजाब के जालन्धर जिले के तलवन गाँव में हुआ था। उनका बचपन और गृहस्थ जीवन का नाम मुन्शी राम था। उन्होंने 1883 में मुख्तारी की परीक्षा पास कर जालन्धर में ही मुख्तारी शुरू की तथा सन् 1888 में कानून की परीक्षा पास करने के साथ ही वह कांग्रेस में शामिल हो गये। उन्होंने जालन्धर कांग्रेस की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वह आर्य समाज के प्रचारक भी रहे। मुंशी राम ने हिन्दी के माध्यम से शिक्षा का बड़ा केन्द्र खोलने के लिये पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा से प्रस्ताव पारित कराया और इसके लिये उन्होंने उस समय 30 हजार रुपये चन्दे से एकत्र किये और 19 मई, 1900 को उन्होंने गुजरांवाला (अब पाकिस्तान) में गुरुकुल की स्थापना कर दी। बाद में हरिद्वार में गंगा के तट पर कांगड़ी गांव में मुन्शी अमन सिंह द्वारा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को शिक्षण संस्था के लिये दान में दी गयी 1400 बीघा जमीन पर 2 मार्च, 1902 को गुरुकुल की गुजरांवाला से स्थानान्तरित हो कर स्थापना हो गयी। आश्रम प्रणाली से संचालित इस संस्था में वैदिक ज्ञान विज्ञान, प्राचीन आर्य आदर्श, राष्ट्रीय चेतना, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है। तत्कालीन वायसराय ने गुरुकुल से प्रसन्न होकर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुदान देने का प्रस्ताव किया था जिसे मुंशीराम ने सरकारी छाया से बचने के लिये अस्वीकार कर दिया। इस संस्थान को देखने और परखने के लिये देश-विदेश से शिक्षाशास्त्री, राजनेता और साहित्यकार आते रहते थे। मुन्शी राम ने 1908 में हरिद्वार से मासिक 'आर्य पत्रिका', साप्ताहिक 'सद्धर्म प्रचारक' और 'धर्मालय दीपिका' मासिक पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। गांधी जी सन् 1915 से लेकर 1927 तक तीन बार गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे। गांधी जी ने 9 जनवरी, 1927 को वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट पर स्वामी श्रद्धानंद को जलांजलि भी दी थी। गांधी जी सबसे पहले 5 अप्रैल, 1915 को हरिद्वार पहुँचे और तीन दिन तक गुरुकुल में ही ठहरे रहे। उन्होंने 8 अप्रैल, को ब्रह्मचारियों की ओर से गांधी जी का अभिनन्दन करा कर उन्हें सबसे पहले 'महात्मा' की उपाधि से विभूषित किया। गुरुकुल को
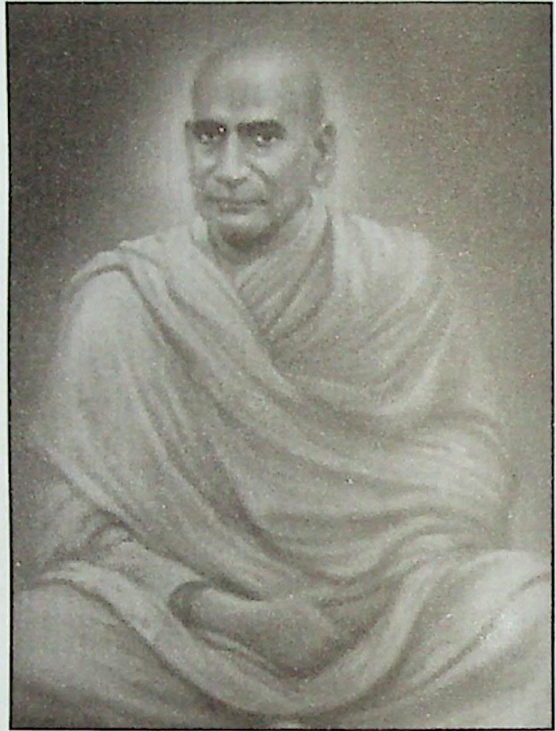
शिखर तक पहुँचाने के बाद मुन्शी राम ने 11 अप्रैल, 1917 को गुरुकुल से विदा ले ली और अगले ही दिन 12 अप्रैल, को कनखल की मायापुर वाटिका में संन्यास ले लिया और अपना नाम बदल कर वह श्रद्धानन्द हो गये। महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में शुरू किये गये सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल हो कर स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली में आन्दोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में भी भाषण दिये। सन् 1920 में वह फिर गुरुकुल लौट आये और वहाँ उन्होंने 'श्रद्धा' नाम का पत्र शुरू किया। उनका महात्मा गांधी के विचारों से अक्सर टकराव हो जाया करता था। आन्दोलन के दौरान 10 सितम्बर, 1922 को वह अमृतसर में गिरफ्तार किये गये और उन्हें एक साल के कारावास के दौरान मियांवाली जेल में रखा गया। स्वामी श्रद्धानन्द ने हिन्दुत्व से धर्म परिवर्तन कर गये लोगों को वापस लाने के लिये शुद्धिकरण आन्दोलन भी चलाया जिससे कई शहरों में साम्प्रदायिक तनाव भी भड़का और अन्ततः एक धर्मान्ध युवक ने 23 सितम्बर 1926 को स्वामी श्रद्धानन्द के कमरे में घुस कर उन्हें गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। महात्मा श्रद्धानन्द के दोनों बेटे स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनमें से एक इन्द्र वाचस्पति ने कई पत्र निकाले जब कि ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चन्द्र महान क्रांतिकारी राजा महेन्द्र प्रताप के साथी रहे। 'वीर अर्जुन' साप्ताहिक (दिल्ली) के जुलाई, 1941 के अंक में छपे एक लेख के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने सन् 1917 में अन्न संकटकाल में गढ़वाल पहुँच कर अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ गढ़वाल रिलीफ फण्ड की स्थापना की थी। इसके लिये पंजाब आदि मैदानी क्षेत्रों से चंदा एकत्र कर गढ़वाल में सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवाई गयीं।

मुंशीराम के बारे में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, 'सत्य के प्रयोग' (माय एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ) में लिखा है—

"जब मैं पहाड़ से दीखने वाले महात्मा मुंशीराम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया, तो मुझे वहाँ बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद स्पष्ट दिखायी देता था। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। ब्रह्मचारी मेरे पास से हटते ही न थे। रामदेवजी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरन्त पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतभेद का अनुभव हुआ, फिर भी हम परस्पर स्नेह की गाँठ से बँध गये। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में रामदेव और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुःख हुआ।"

श्यामचन्द सिंह नेगी

स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार श्यामचन्द सिंह नेगी अपने जमाने में सम्भवतः उत्तराखण्ड के अकेले पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता का बाकायदा डिप्लोमा हासिल किया था। नेगी जी ने लाहौर विश्वविद्यालय से 1940 में बी०ए० की डिग्री तथा पंजाब विश्वविद्यालय से 1945 में पत्रकारिता का डिप्लोमा हासिल किया। उनका जन्म टिहरी गढ़वाल की पट्टी अठूड़ के बेलगाँव में 1 अक्टूबर, 1912 को श्री केदारसिंह नेगी के घर में हुआ था। उन्होंने

प्रारम्भिक शिक्षा प्रताप हाइस्कूल टिहरी से प्राप्त की थी। इनके माता-पिता ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया था। उन्होंने 1930 में हाइस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की

थी। वह अठूड़ क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में पहली बार में ही हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। प्रताप हाइस्कूल से हाइस्कूल पास करने के बाद उन्होंने डी०ए०वी० कॉलेज देहरादून से इण्टर की परीक्षा पास की। वह 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में गिरफ्तार हुये और 1 वर्ष 10 दिन तक नजरबन्द रहे। टिहरी प्रजामंडल का सदस्य होने के कारण उन्हें श्रीदेव सुमन, शंकर दत्त डोभाल, आनन्द शरण रतूड़ी एवं भगवान दास मुल्तानी के साथ राजाज्ञा के उल्लंघन में देहरादून से धारा 26-ए के तहत आगरा सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें 1943 में रिहा किया गया। वह श्रीदेव सुमन के साथ ही राजबंदियों के रूप में टिहरी जेल में भी रहे। वह अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की कार्यसमिति में भी रहे। श्री नेगी देहरादून कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ता, आजाद हिन्द फौज समिति के सदस्य तथा टिहरी रियासत प्रजामण्डल के प्रमुख संस्थापकों में से थे। उन्होंने मजदूर आन्दोलन का भी नेतृत्व किया। वह नेशनल हेराल्ड, ट्रिब्यून (लाहौर), इण्डियन एक्सप्रेस, नव जीवन, जन्मभूमि, हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, टाइम्स आफ इंडिया और हिन्द समाचार जैसे अखबारों तथा पी०टी०आई० जैसी संवाद समिति से जुड़े रहे। उन्होंने "प्रगति (1954) 'नार्दर्न टाइम्स' (1962) और 'गढ़वाल' आदि अखबारों का सम्पादन भी किया। उनके द्वारा सम्पादित 'गढ़वाल' पत्र गढ़वाली भाषा का पहला अखबार था। वह कलम के धनी थे और उनकी गिनती उत्तराखण्ड के मूर्धन्य पत्रकारों में की जाती थी। उनकी 'सम इमिनेण्ट गढ़वालीज' (1942), 'गंगा द ग्रेटेस्ट' (1962) और फ्रीडम फाइटर्स ग्रीवियस स्ट्रेन (1978) आदि पुस्तकें प्रकाशित हुर्यी मगर धनाभाव के कारण 'साइन्सेज इन एन्सियेण्ट इण्डिया' और 'हिस्ट्री आफ गढ़वाली लिटरेचर' आदि कुछ पुस्तकें अप्रकाशित ही रह गयीं। श्यामचन्द नेगी, श्रीदेव सुमन, गोविन्दराम भट्ट, तोताराम गैरोला और महिमानन्द डोभाल टिहरी के 'प्रजा मण्डल' के संथापक सदस्यों में से थे। स्वयं श्यामचन्द नेगी के अनुसार टिहरी राज्य प्रजामण्डल की स्थापना सन् 1939 में देहरादून के चुक्खूवाला स्थित उनके मकान में आयोजित बैठक में हुयी थी। श्री नेगी 1957 में हुये देश के दूसरे आम चुनाव में टिहरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे, मगर महाराजा मानवेन्द्र शाह से हार गये थे। चुनाव में वह दूसरे नम्बर पर थे। गढ़वाल के पूर्व सांसद जगन्नाथ शर्मा के अनुसार श्यामचंद नेगी ने 1924 में मसूरी से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार 'द हेराल्ड' में टिहरी जनक्रांति के समाचारों को प्राथमिकता से प्रकाशित कराया था। 3 दिसम्बर, 1982 को हृदय गति रुकने से उनका देहान्त हो गया।

स्वामी विचारानन्द सरस्वती

स्वाधीनता सेनानी स्वामी विचारानन्द सरस्वती सन् 1915 में देहरादून आ गये थे। स्वामी जी मूलत: प्रयाग के निवासी थे। स्वामी जी उन स्वाधीनता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने न केवल कांग्रेस के झण्डे के नीचे एक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि उन्होंने अपनी लेखनी से भी आजादी की मशाल को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके द्वारा सम्पादित अखबार में राष्ट्रीय आन्दोलन की लौ तो जलती ही थी, लेकिन इसके अलावा भी उनकी क्रान्तिकारी कविताएँ अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम किए रहती थीं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में अंग्रेजी राज के दौरान प्रतिबन्धित स्वामी विचारानन्द की कविताएँ आज भी सुरक्षित हैं। यही नहीं उनके अभय प्रेस में भी स्वाधीनता आन्दोलन से सम्बन्धित साहित्य छपता रहता था। उस दौर के ये प्रतिबन्धित साहित्य अभिलेखागार में देखे जा सकते हैं, कुछ साहित्य इसी पुस्तक में आगे अलग से दिए जा रहे हैं। सन् 1916 में वह होम लीग रूल में सक्रिय रहे। सन् 1920 की कांग्रेस की राजनीतिक कान्फ्रेंस के वह स्वागत मंत्री रहे और 1921 में उन्हें पंजाब में एक वर्ष के कारावास की सजा हुयी। वह देहरादून के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता थे। उन्होंने देहरादून से 1928 में हिन्दी साप्ताहिक 'अभय' का प्रकाशन शुरू किया था। पहले यह अखबार गढ़वाली प्रेस में छपता था और बाद में उनके उनके अपने 'अभय प्रेस' से छपने लगा। वह स्वाधीनता आन्दोलन में तीन बार जेल भेजे गये। उनको असहयोग आन्दोलन के दौरान 1921 में एक वर्ष और नमक सत्याग्रह आन्दोलन में 1930 में 6 माह की जेल की सजा हुयी थी। वह देहरादून की नमक सत्याग्रह कमेटी के सदस्य भी थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काफी कार्य किये और अन्य आन्दोलनों में भी दो बार जेल गये। वह शहर कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी रहे और उसी हैसियत से उन्होंने नमक सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। वह 'अभय आश्रम' में गिरफ्तार हुये थे। गौहत्या पर साम्प्रदायिक सामग्री लिखने पर उन्हें 6 माह की सजा हुयी थी। उसी मामले में सम्पादकाचार्य विश्वम्भर दत्त चन्दोला भी गिरफ्तार हुये थे। बाद में 'गढ़वाली' में अपने सम्पादकीय में चन्दोला ने उस साम्प्रदायिक सामग्री के बारे में पूर्व जानकारी न होने और हिन्दू मुस्लिम एकता का हिमायती होने की बात लिख कर अपना स्पष्टीकरण दे दिया था। नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ के अनुसार *"अपने ढंग के वे अनोखे ही जनसेवक थे।"* स्वामी जी ने 10 सितम्बर, 1940 में महाप्रयाण किया।

विक्टर जोजफ मोहन जोशी

हरगोविन्द पंत और बदरी दत्त पांडे जैसे आन्दोलनकारियों ने हालांकि विक्टर जोजफ मोहन जोशी के स्वाधीनता संग्राम में असाधारण योगदान के लिये उन्हें 'देशभक्त' की पदवी दी थी, फिर भी इस जुनूनी आन्दोलनकारी को वे आजादी का दीवाना कहते तो यह पदवी उन पर कुछ ज्यादा ही सटीक बैठती। सन् 1922 में जेल से छूट कर कुमाऊँ केशरी बदरीदत्त ने जब दुबारा 'शक्ति' का सम्पादन सम्भाला तो उन्होंने 'शक्ति' के 12 जून, 1922 के अंक में लिखा था कि—

"देशभक्त मोहन जोशी ने 'शक्ति' की जो सेवा की है उसके लिये 'शक्ति' व देश उनका अनुप्रोत है। उनसा स्वतंत्र और उदार विचारों वाला देशभक्त कुमाऊँ में क्या भारत में कम हैं।"

दरअसल उत्तराखण्ड के महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार बदरी दत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी एक ही डगर के दो राही थे। राष्ट्र तथा समाज के लिये समर्पित पत्रकार मोहन जोशी का जन्म 1 फरवरी, 1896 को नैनीताल में हुआ था। उनके पिता जयदत्त जोशी एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, मगर बाद में उन्होंने इसाई धर्म अपना लिया था। जय दत्त जोशी सरकारी खजाने में प्रधान लिपिक थे। वह बाद में पादरी भी बने इसलिये वह सरकार समर्थक थे, जबकि मोहन शुरू से ही अंग्रेज विरोधी होने के साथ ही सर्वधर्म प्रेमी थे। उनके पिता ने उनका नाम 'विक्टर जोजफ मोहन जोशी' रखा था, मगर उन्हें विक्टर और जोजफ जैसे अंग्रेजी नाम पसन्द नहीं थे और वह स्वयं को केवल मोहन जोशी कहलाना पसन्द करते थे। वह जीवनपर्यन्त कुंवारे रह कर देश और समाज की सेवा करते रहे। मोहन जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो तब से ही क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत हो गये थे। उन्होंने वहाँ से 20 सितम्बर, 1920 से 'क्रिश्चियन नेशनलिस्ट' नाम की अंग्रेजी पत्रिका भी निकाली थी। उक्त पत्र राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत होता था और उसमें विशेषकर इसाई समाज को आग्रहपूर्वक याद दिलाई जाती थी कि उनके धर्मगुरु हजरत ईसा फिलिस्तीन देश के यहूदियों की आजादी के लिये सूली पर चढ़े थे। इलाहाबाद से लौटने के बाद वह अल्मोड़ा में 'कुमाऊँ केसरी' बदरीदत्त पांडे के सहयोगी बन गये और 'शक्ति' के प्रकाशन में हाथ बटाने लग गये। अल्मोड़ा नगर में 1916 में उन्होंने बदरीदत्त पांडे, लाला चिरंजी लाल, डॉ० हेमचन्द्र जोशी, हरगोविन्द पन्त, हीराबल्लभ पांडे आदि के सहयोग से होम रूल लीग की स्थानीय शाखा की स्थापना की तथा 1916 में कुमाऊँ परिषद के गठन में भी सक्रिय भूमिका अदा की। वह 1921 से लेकर 1923 तक और फिर 1925 में 'शक्ति' के सम्पादक रहे। सन् 1930 में बदरीदत्त पांडे से मतभेद होने पर वह 'शक्ति' अखबार से अलग हो गये और उन्होंने 1 जनवरी, 1930 से अपना अलग अखबार 'स्वाधीन प्रजा' शुरू कर दिया। इस अखबार ने अपने जन्मकाल से ही अंग्रेजों से अदावत शुरू कर दी थी, क्योंकि उसका लक्ष्य ही

महात्मा गांधी के साथ अल्मोड़ा में विक्टर जोजफ मोहन जोशी।

स्वाधीनता था। 'स्वाधीन प्रजा' में मोहन जोशी ने 'पिण्डारी की सैर' नाम से एक सम्पादकीय लिखा, जिसमें तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माल्कम हेली की इतनी खिंचाई की गयी थी कि प्रशासन ने 'स्वाधीन प्रजा' पर 6 हजार रुपये की जमानत ठोक दी। इतनी बड़ी रकम का प्रबन्ध न होने पर 'स्वाधीन प्रजा' को बन्द करना पड़ा। 'स्वाधीन प्रजा' के कुल 84 अंक निकले उनमें कुछ अंकों का सम्पादन कृष्णानन्द शास्त्री ने भी किया।

दस्तावेज बताते हैं कि मोहन जोशी ने कुमाऊँ परिषद के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और छूआछूत के घोर विरोधी थे। सन् 1929 में महात्मा गांधी जब कुमाऊँ के दौरे पर आये तो मोहन जोशी उनके साथ रहे और गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक उन्होंने गांधी की डांडी को कन्धा भी दिया। अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह झण्डा सत्याग्रह में बदल चुका था। अतः 25 मई को अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने का निर्णय आन्दोलनकारियों द्वारा किया गया था। लेकिन गोविन्द बल्लभ पन्त की नैनीताल में गिरफ्तारी के कारण अगले दिन 26 मई, सन् 1930 को अल्मोड़ा में विरोध सभा हुयी। उस दिन (सरफरोशी की तमन्ना) मोहन जोशी और शान्तिलाल शाह के नेतृत्व में लगभग 150 सत्याग्रही अल्मोड़ा की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने पहुँचे तो तब तक 80 गोरखा सैनिक वहाँ मशीनगनों से लैस हो कर पहुँच गये। उन्होंने सभी को 5 मिनट के अन्दर तितर-बितर होने का आदेश दिया तो वहाँ केवल जोशी और शान्तिलाल के साथ मात्र 5 लोग ही रह गये। मगर मोहन जोशी बेखौफ 'झण्डा ऊँचा रहे हमारा' गाते हुये अपने साथियों के साथ झण्डा फहराने के लिये आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान गोरखा सैनिक उन पर टूट पड़े। उस हमले में शान्तिलाल की पसली टूट गयी जबकि मोहन जोशी की रीढ़ की हड्डी पर खुखरी के घातक वार से वह गिर पड़े और शेष जीवन उस चोट से नहीं उबर पाये। लेकिन बाद में अंग्रेज नगरपालिका चेयरमैन ने आन्दोलनकारियों के डर से स्वयं म्युनिसपैलिटी भवन पर तिरंगा फहरा दिया। मोहन जोशी को उस झण्डा सत्याग्रह की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस घटना से लेकर 4 अक्टूबर, 1940 को उनकी मृत्यु तक वह फायरब्राण्ड नेता बीमार और विक्षिप्त ही रहा। उन्होंने मात्र 44 साल में देश की स्वाधीनता के लिये जीवन गंवा दिया। आजादी के लिये उनकी दीवानगी की मिसाल देखिये कि एक बार जब वह सोमेश्वर में हैजा पीड़ितों की सेवा के लिये जा रहे थे तो उनके पिता ने उन्हें वहाँ जाने से रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने स्वयं अपने पिता के बारे में कहा था कि– *"मेरे पिता पादरी बनने लायक नहीं हैं। क्योंकि उनको अपना पुत्र औरों के पुत्रों से अधिक प्यारा है।"*

मोहन जोशी को महात्मा गांधी ने अपनी 'यंग इण्डिया' पत्रिका में इसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था। बदरीदत्त पांडे को 'कुमाऊँ केसरी' और हरगोविन्द पन्त को 'जननायक' का सम्बोधन मोहन जोशी ने ही दिया था, जबकि मोहन जोशी को 'देशभक्त' का खिताब बदरीदत्त पांडे ने दिया। हरगोविन्द पन्त द्वारा 1924 में संयुक्त प्रान्त की काउंसिल में मोहन जोशी के बारे में की गयी अपील से ही मोहन के व्यक्तित्व और कृतित्व का पता चलता है–

"विक्टर मोहन को प्रत्येक कुमाउंनी जानता है और उनका ईसामसीह के प्रतिरूप के रूप में आदर करता है। ऐसे व्यक्ति को केवल इस कारण कि वह स्वतंत्रता के सिद्धान्त में विश्वास करता है, जेल के सींखचों में डाल देने पर सरकार को लज्जा आनी चाहिये। इस कारण मैं काउंसिल से कहूँगा कि इन बन्दियों को क्षमादान दिया जाय और उन्हें तत्काल छोड़ा जाय।"

सन् 1935 में अल्मोड़ा में अपने अभिनन्दन का उत्तर देते हुये पं० गोविन्द बल्लभ पन्त ने कहा था कि– *"मुझे देशप्रेम की शिक्षा पं० बदरीदत्त पांडे, श्रीयुत मोहन जोशी और हरगोविन्द पन्त ने दी है। इन लोगों के सामने मेरी कोई गिनती नहीं है।"*

स्वतंत्रता सेनानी और मोहन जोशी के सहयोगी रहे शान्ति लाल को 16 अक्टूबर, 1962 को लिखे पत्र में पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि– *"मोहन जोशी हमारी आजादी की लड़ाई और असहयोग आन्दोलन में एक वीर सैनिक थे और उन्होंने सब कुछ उसके लिये त्याग किया। अल्मोड़ा जिले में तो उनका बहुत असर था और सब लोग उनके लिये श्रद्धा भक्ति रखते थे। लेकिन असर खाली अल्मोड़ा जिले में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भर में था। मैं आशा करता हूँ कि उनका जीवन चरित्र पढ़ कर आजकल के लोगों पर विशेषकर नौजवानों पर असर होगा और उनसे बहुत कुछ देश सेवा की बातें वह सीखेंगे।"*

मोहन जोशी ने 'शक्ति' का सम्पादन कार्य दो बार निभाया और अपने कार्यकाल में उन्होंने शक्ति के स्वरूप को निखारने का भरसक प्रयास किया। उनके जोशीले लेख मुर्दा दिलों में भी प्राण फूँकने की क्षमता रखते थे। उन्होंने 'शक्ति' के 13 दिसम्बर, 1921 के अंक में लिखा था–

"सरकार एक-एक देशभक्त को बीन-बीन कर जेल डालना चाहती है यों वह सोचती है कि उसका शासन बना रहेगा। पर 33 करोड़ भारतवासी इस युद्ध में सम्मिलित हो जायेंगे, तो यह नौकरशाही किसको प्रजा बनायेगी, किसे जेल में डालेगी।"

मोहन जोशी ने 'शक्ति' के 7 फरवरी, 1922 के अंक में लिखा था– *"यह लज्जा की बात है कि पहाड़ पराधीन है। हमारे पहाड़ों से गंगा, यमुना तथा अनेक नदी नाले निकल कर भारत के मैदानों को जीवन देते हैं। क्या इन्हीं पहाड़ों से स्वतंत्रता की नदियाँ नहीं निकलेंगी? जिससे हम मैदानों में रहने वाले भाइयों को नया जीवन और नया आदर्श पैदा कर दें।"*

विद्याधर डंगवाल

समाज सेवी एवं पत्रकार विद्याधर डंगवाल एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। उनका जन्म देवप्रयाग में हुआ था। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान सन् 1942 में वह नजरबंद किये गये थे। वह दैनिक हिन्दुस्तान के संवाददाता भी रहे। डंगवाल एक साहित्यप्रेमी पत्रकार भी थे। उनके कविताएँ और लेख अखबारों में छपते रहते थे। इससे अधिक जानकारी उनके बारे में नहीं मिल सकी।

हरिराम मिश्र 'चंचल'

कृपाराम मिश्र 'मनहर' के चार भाइयों में से सबसे छोटे हरिराम मिश्र ने 'गढ़देश' और 'संदेश' जैसे राष्ट्रवादी अखबारों के प्रकाशन में मनहर जी को सहयोग देने के साथ ही 'श्रमयुग', 'पहाड़ी मंच' और 'हिमालय की ललकार' नाम से अलग अखबार भी निकाले जो कि जल्दी ही बन्द होते रहे। सन् 1942 के आन्दोलन में लीसा और लकड़ी डिपो, अंग्रेजों की ऐशगाह, सरकारी डाक बंगले तथा डाकखाने आदि जलवाने वाले मार्ग अवरुद्ध करने में कप्तान नौटियाल, छवाणसिंह नेगी और चमोली जिले के शिवसिंह चौहान तथा नारायण सिंह नेगी आदि प्रमुख आन्दोलनकारियों में से एक थे। वह साम्यवादी विचारों के कवि और समाजसेवी रहे हैं। उनकी 'कविते मेरी बरस पड़ो तुम बन कर विप्लव के अंगार' कविता अपने आप में अंगारे बरसाने वाली थी। (शेखर पाठक द्वारा संपादित 'सर फरोशी की तमन्ना') 30 अप्रैल, 1930 को नमक सत्याग्रह में सोमेन्द्र मुखर्जी के साथ 'चंचल' जी भी गिरफ्तार हुये थे। 'सन्देश' के दिसम्बर, 1938 के अंक के प्रथम पृष्ठ के आधे हिस्से पर चंचल ने 'रणचण्डी से' शीर्षक से एक कविता दी थी जिसका मुखड़ा कुछ इस तरह था—"बहने दे शोणित की धार, रक्तमई हो जाये वसुधा, मच जाने दे हाहाकार!!!"

शोभानाथ

स्वतंत्रता सेनानी, तपस्वी और 'लोकार्थ' अखबार के यशस्वी संस्थापक सम्पादक शोभानाथ का जन्म सन् 1924 में चमोली गढ़वाल के बजवाड़ गाँव के एक जोशी परिवार में हुआ था। नाथ जी की प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल के ज्योलीकोट में हुयी। वह 11 वर्ष की उम्र में 'ब्वाइज कम्पनी' में भर्ती हो गये थे। भारत छोड़ो आन्दोलन से प्रभावित होकर वह सेना से फरार हो गये और आगरा पहुँचकर उन्होंने नाथ सम्प्रदाय की दीक्षा लेकर तपस्वी जीवन शुरू कर दिया। इसी दौरान वह लाहौर, पेशावर, रावलपिण्डी आदि स्थानों में घूमते हुये जलालाबाद तक गये। कुछ दिन जलालाबाद में ठहरने के बाद वह कराँची होते हुये रावलपिण्डी, मानसेरा, मुजफ्फराबाद हो कर कश्मीर पहुँचे। वहाँ से दिल्ली की भंगी बस्ती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समीप रहने का उन्हें मौका मिला। स्वाधीनता के बाद भी वह राम मनोहर लोहिया के अनन्य साथियों में से एक रहे और कईबार जेल भी गये। वह गोवा की आजादी के आन्दोलन में भी शामिल रहे। उनके लेख दैनिक 'सैनिक', दैनिक 'उजाला', दैनिक 'संदेश' और 'अमर उजाला' में निरन्तर प्रकाशित होते रहे। उन्होंने सन् 1952 में लोकार्थ का प्रकाशन शुरू किया।
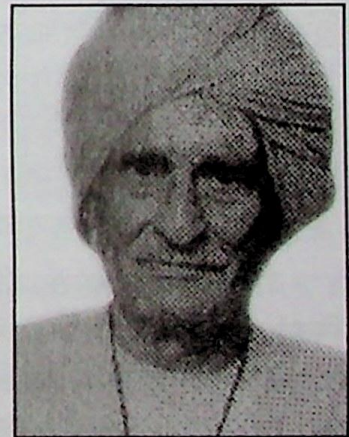
सदानन्द कुकरेती

गढ़वाल क्षेत्र में हिन्दी पत्रकारिता के संस्थापकों में से एक तथा 'विशाल कीर्ति के सम्पादक' सदानन्द कुकरेती का जन्म 7 मार्च, 1886 में पौड़ी गढ़वाल की ढांगू पट्टी के गुइली गांव में हुआ था। उनके पिता बाला दत्त कुकरेती लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निकटवर्ती बड़ेथ स्कूल में हुई थी तथा उन्होंने 10वीं कक्षा मिशन हाई स्कूल चोपड़ा से उत्तीर्ण की थी। श्री कुकरेती गढ़वाल क्षेत्र में बंगभंग आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। इस सिलसिले में उन्होंने चीनी तक का परित्याग कर दिया था।

सदानन्द कुकरेती ने पौड़ी से फरवरी सन 1913 में 'विशाल कीर्ति' मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया जो कि 1915 तक चला। बाद में पत्र भी गढ़वाली अखबार के साथ विलीन कर दिया गया। उस समय विशाल कीर्ति के साथ ही गिरिजा दत्त नैथानी का 'गढ़वाल समाचार' भी गढ़वाली अखबार मिला लिया गया था। इस अखबार में उनके लेख काफी कटाक्षपूर्ण होते थे जिस कारण यह पत्रिका अधिकारियों की आंखों में काफी खटकती थी। इस पत्रिका के कुछ स्तम्भ काफी लोकप्रिय थे। जिसमें 'गढ़वाली टाठ' भी एक स्तम्भ होता था। जिसमें प्राय: प्रहसन पूर्ण चुटकले तथा गद्य-पद्य की सामग्री होती थी। उसमें महिलाओं के लिए भी विशेष सामग्री दी जाती थी। अधिकारियों पर सीधा कटाक्ष करने के बजाय वह द्विअर्थी भाषा में अधिकारियों की करतूतों का पर्दाफाश करते थे इसलिए उन पर मानहानि के मुकद्दमे भी नहीं चल पाते थे। हर माह जब यह पत्रिका प्रकाशित होती थी तो नौकरशाही में काफी खलबली मचती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जब वह विशाल कीर्ति से अलग हुए तो उसी दौरान जोधसिंह नेगी टिहरी रियासत में बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त हुए। श्री नेगी अपने साथ सदानन्द कुकरेती को भी अपने रीडर के तौर पर टिहरी ले गए। जहां श्री कुकरेती ने बन्दोबस्त अधिकारी के साथ 4 साल तक ईमानदारी के साथ कार्य किया। टिहरी रियासत की इस सेवा के दौरान भी वह अपनी ईमानदारी और कर्त्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे।

टिहरी के बन्दोबस्त अधिकारी के रीडर पद से छूटने के बाद उन्होंने अपने गांव के ही निकट चेलूसैंण में स्थापित 'हिन्दू पाठशाला' में अध्यापन किया। वहां भी मतभेद होने के कारण वह चेलूसैंण से कुछ अध्यापकों और छात्रों को लेकर सिलोगी चले गए जहां उन्होंने एक नई पाठशाला शुरू कर दी। इस विद्यालय में उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम 11 वर्ष व्यतीत किए और उस विद्यालय को शिखर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्वयं भूखे-प्यासे रहकर, गांव-गांव जाकर लोगों से चन्दा एकत्रित किया। इस विद्यालय को स्थापित करने में उन्होंने अपना शरीर ही होम कर दिया। 18 जुलाई, 1937 को सदानन्द कुकरेती का निधन हो

गया। यह विद्यालय आज इण्टर कॉलेज का रूप ले चुका है। श्री कुकरेती के इस समर्पण को देखकर डॉ० पार्थ सारथि डबराल ने उनके बारे में लिखा था कि–

विद्या हेतु मांगने भिक्षा,
साधो! जहां कहीं तुम विचरे,
वहां सदा अंकुराई शिक्षा।
माथे पर बंध गया कफन था,
'जन-हित' तुमको बना व्यसन था।
निष्ठा के यज्ञायोजन में,
तिल-तिल जीवन हुआ हवन था।
भारत के संतों को क्रम,
सदा मिटाना रहा तमस भ्रम।
तुम जीवन में सफल प्रमाणित,
संतों की उत्तीर्ण परीक्षा।

हर्षदेव ओली

काली कुमाऊँ के 'मुसोलिनी' के नाम से भी पुकारे जाने वाले हर्षदेव ओली का जन्म सन् 1890 में ग्राम गोसनी, खेतीखान अल्मोड़ा में हुआ था। वह एक शुरुआती पत्रकार एवं कुमाऊँ मण्डल के प्रमुख स्वाधीनता सेनानी थे। उनके कारनामों के कारण गोरे शासक जहाँ उन्हें 'मुसोलिनी' कहते थे, वहीं कुमाऊँ की जनता में वह 'टाइगर' के नाम से प्रसिद्ध थे। सबसे पहले वह स्वामी विवेकानन्द द्वारा खेतीखान के निकट मायावती आश्रम से प्रकाशित 'प्रबुद्ध भारत' के प्रकाशन से जुड़े थे। वह 1914 में 'आइटीडी' प्रेस के प्रबन्धक नियुक्त हुये। सन् 1916 में वह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पण्डित मोती लाल नेहरू के सम्पर्क में आये। 5 फरवरी, 1919 में मोती लाल नेहरू ने जब इलाहाबाद से 'इंडिपेंडेन्ट' का प्रकाशन शुरू किया तो हर्षदेव उसके उप सम्पादक नियुक्त हुये। उसके सम्पादक सी०एस० रंगायर के गिरफ्तार होने पर 27 जुलाई, 1920 को वह 'इंडिपेंडेन्ट' अखबार के सम्पादक बने, मगर दिसम्बर, 1921 में मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र जवाहर लाल नेहरू की गिरफ्तारी के बाद वह अखबार ही बन्द हो गया। इसी अखबार में कुमाऊँ केसरी बदरीदत्त पांडे ने भी काम किया था। सन् 1923 में हर्षदेव ओली, मोती लाल नेहरू के साथ नाभा एस्टेट चले गये। वहाँ के राजा रिपुदमन सिंह ने ओली को अपना सलाहकार बनाया था। वह पहली बार वहीं पर मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू के साथ गिरफ्तार हुये। नाभा एस्टेट से लौटने के बाद वह कुमाऊँ में वन आन्दोलन सहित विभिन्न आन्दोलनों में शामिल होते रहे। वह 1924 में फारेस्ट ग्रीवांस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। देवीधुरा मेले में अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
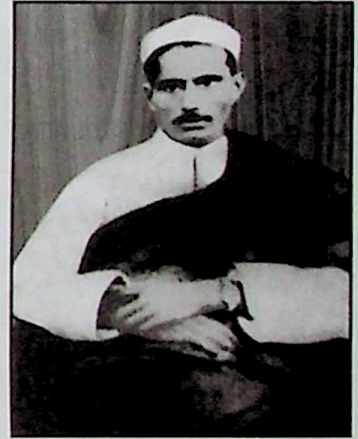
आग उगलने पर पर उन्हें 12 अगस्त, 1930 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 माह की कठोर कारावास की सजा हो गयी। सन् 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भी उन्हें 6 मास की सजा हुयी। लाल बहादुर शास्त्री सन् 1934 में उनके साथ गोसनी गाँव में आठ दिन तक रहे थे। कलम के धनी हर्षदेव ओली 'लीडर', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'आज' समाचार पत्रों के भी संवाददाता रहे।

हुलास वर्मा (प्रेमी)

स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार हुलास वर्मा देहरादून के उन गिने-चुने स्वाधीनता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस के झण्डे के नीचे स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने के साथ ही इस आन्दोलन में अपनी लेखनी का भी जौहर दिखाया था। उनके द्वारा सम्पादित समाचार पत्र तो स्वाधीनता आन्दोलन के लिए ही समर्पित था, लेकिन इसके अलावा उनकी कविताओं ने भी आजादी के आन्दोलन में आग में घी का काम किया। वह हुलास वर्मा 'प्रेमी' के नाम से क्रान्तिकारी कविताएँ लिखते थे। उनके द्वारा लिखा गया अधिकांश साहित्य ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिबन्धित किया गया। उनके द्वारा रची गई कई प्रतिबन्धित कविताएँ आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित हैं। इसी पुस्तक में उनकी प्रतिबन्धित कुछ कविताओं का अलग से संग्रह दिया जा रहा है।
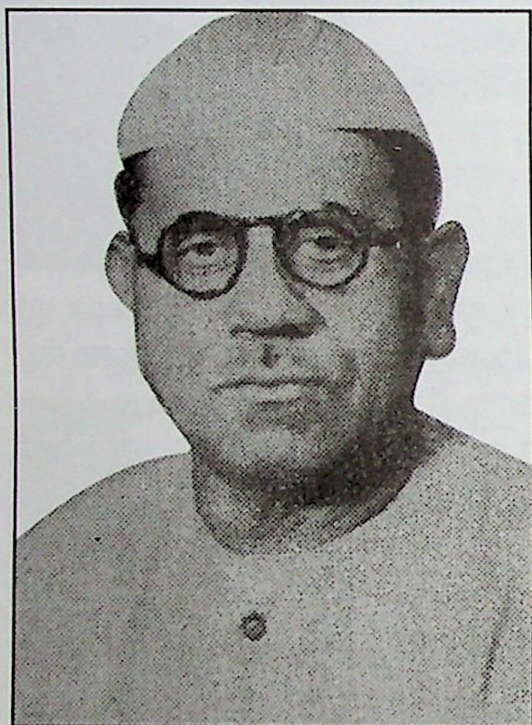
हुलास वर्मा का जन्म 1887 में पुरैनी दुर्बेशपुर जिला बिजनौर में हुआ था। वह ज्वालापुर महाविद्यालय में अध्ययन और फिर अध्यापन के बाद देहरादून आ गये और यहीं बस गये। उन्होंने 1920 से स्वाधीनता आन्दोलन में भागीदारी शुरू कर दी थी। उन्होंने डी०ए०वी० कॉलेज में वार्डन के पद पर काम करने के बाद ज्योति स्वरूप के प्रेस में काम किया और फिर बाद में अपना ही छापाखाना शुरू कर दिया। उन्होंने आर्यसमाज से अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपने प्रेसों और समाचार पत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले 'भारतीय प्रेस' और फिर 'भारत प्रेस' चलाया। इन्हीं छापाखानों से उन्होंने आन्दोलन समर्थक पाक्षिक 'स्वराज्य संदेश' अखबार चलाया। लेकिन उससे पहले 'स्वराज संदेश' देहरा टाइम्स प्रेस से भी छपा। यह अखबार लगभग 1930 के आसपास से छपने लगा था। जिसके टाइटिल (मास्टहेड) के नीचे यह नीति वाक्य लिखा होता था—"वही धर्म वही कर्म; बल; वही विद्या वही मंत्र, जा सौं निज गौरव सहित होय स्वदेश स्वतंत्र।" हुलास वर्मा से अखबार प्रकाशित

करने के लिये कई बार ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जमानतें मांगी गयीं और उन पर जुर्माने भी किये गये। उन्होंने 1930, 1931, 1941 और 1942 के आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई। वह नरदेव शास्त्री, बैरिस्टर बुलाकी राम, चौधरी बिहारी लाल, फखरूद्दीन फारूखी और महावीर त्यागी आदि प्रमुख नेताओं के सहयोगी रहे। इसके अलावा उन्होंने हरिजनोत्थान के कार्य भी किये। इसी कारण उन्होंने जेल में एक बार 21 दिन और दूसरी बार 39 दिन उपवास किया। उन्हें सन् 1921 में एक वर्ष के कारावास की सजा मिली थी। उसके बाद देहरादून कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में वह प्रत्येक आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। आजादी के बाद उन्होंने केवल समाज सेवा पर ध्यान केन्द्रित किया। 22 दिसम्बर, 1960 को उनका देहावसान हो गया। उनके पुत्र रणवीर सिंह वर्मा भी एक स्वाधीनता सेनानी रहे हैं। इस महान स्वाधीनता सेनानी से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज एवं उनकी कविताओं का संग्रह इसी पुस्तक में आगे अलग अध्याय में दिया जा रहा है।

❑❑

साप्ताहिक कांग्रेस ढंढोरा

सच्चा रास्ता

'सिविल नाफरमानी' या 'खुली बगावत'

भारत में आजादी हासिल करने के लिये कई आन्दोलन हमारे पूज्य नेता गांधी जी ने किये। आज भी आन्दोलन का सारा भार उन्हीं पर है। पिछले आन्दोलन और इस बार के आन्दोलन में बड़ा अन्तर है। हम जब पीछे घूम कर देखते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस की नीति सरकार की मनोवृत्ति को बदलने की थी और इसी कारण हमने इन आन्दोलनों का नाम सत्याग्रह रखा था। हमने सरकार की सत्ता को तब तक माना था और सर्वदा चाहते थे कि यह हकूमत की बागडोर भारतवासियों के हाथ में सौंप दे। इसके लिये हमारे भाई जेलों में गये, नमक कानून भंग किया, दफा 144 को तोड़ा, जलूस और मीटिंगें हुयीं, सब प्रकार के कानूनों की अवहेलना की और अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसलिये पिछले सब आन्दोलन 'सिविल नाफरमानी' के दायरे में सुमार थे।

कांग्रेसी - ढंढोरा

सच्चा रास्ता

'सिविल नाफरमानी' या 'खुली बगावत'
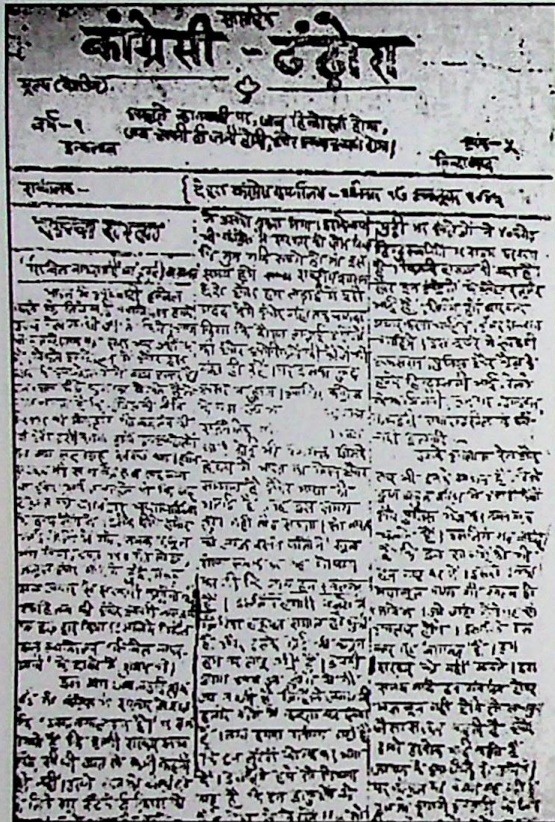
इस बार जब लड़ाई शुरू हुयी तो कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि 'उनका क्या लक्ष्य है।' पर सब जानते हैं कि हमारी सरकार सच और सीधी बात तो कभी कहती ही नहीं। उसने भारत को धोखा देने के लिये सर स्टेंफोर्ड क्रिप्स को भेजा। उसने भारत को टुकड़े- टुकड़े करने की स्कीम रक्खी। कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया। इसके बाद भी कांग्रेस ने सरकार को जोर दिया कि तुम यदि सच्चे हो तो इस समय हमें राष्ट्रीय शासन दे दो और हम लड़ाई में पूरी मदद देंगे और यहाँ तक वायदा किया कि दौरान लड़ाई अंग्रेजों की और अमेरिकनों की फौजें भी यहाँ ही रहें। पर इसका कुछ असर न हुआ। आखिर कांग्रेस के पास जो भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, क्या चारा था ? कोई भी देशभक्त जिसके हृदय में भारत का गौरव और सम्मान है और भारत की भलाई है, वह इस समय चुप नहीं बैठ सकता। सो भारत की लाज रखने वालों ने खूब सोच समझ कर यह घोषणा कर दी कि **अब हम स्वतंत्र हैं।** इसलिये हमारी नजरों में ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हो चुकी है और इसके कोई भी कानून हम पर लागू नहीं हैं। इनकी उपमा अब उन लुटेरों से दी जा सकती है जिन्होंने जबरदस्ती

हमारे घरों में कब्जा कर लिया है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम लुटेरों को मार कर भगा दें। इसलिये हमें तो सोचना यह है कि इन डाकुओं को कैसे देश से निकालें। यह तो आपको मालूम ही है कि मुट्ठीभर अंग्रजों ने चालीस करोड़ हिन्दुस्तानियों पर राज्य कर रखा है। कितनी लज्जा की बात है। खैर इन अंग्रेजों के औजार हमारे भाई हैं, जिनमें हमें बार-बार प्रचार करना चाहिये, और समझाना चाहिये। इस दायरे में सरकारी अफसरान, पुलिस और फौज के हमारे हिन्दुस्तानी भाई, रेलवे के कर्मचारी, तारघर, डाकघर, कचहरी तथा तहसील के कर्मचारी इत्यादि—

इसके अलावा रेल और तार भी इनके साधन हैं, जिनके द्वारा बहुत शीघ्र ये अपनी फौजें और पुलिस भेज कर दमनचक्र चलाते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि इन साधनों को भी हम नष्ट कर दें। इससे इनका मजबूत पाया भी खत्म हो जायेगा। जो जहाँ होंगे वह वहाँ आजाद होंगे। इसलिये इस बार यह **'बगावत'** है। हम सरकार को नहीं मानते। इस समय यदि हम संगठित हो कर मजबूत नहीं होंगे तो सचमुच जैसा सरकार कहती है और हमारे डरपोक भाई कहते हैं जापान के आधीन हो जायेंगे। पर कांग्रेस का ध्येय यह नहीं है, हम तो अपनी आजादी के लिये मिट जायेंगे। हमारे बच्चे भारत पर राज करेंगे।

पृष्ठ-2

सामयिक विचारधारा

1. कांग्रेस की ओर से यह घोषणा की जाती है कि प्रत्येक रविवार की हड़ताल उपस्थिति बन्द की जाती है, पर देहरादून के नागरिक तथा दुकानदारों को यह सूचना भी दी जाती है कि 9 तारीख (दमन दिवस) तथा 23 तारीख (आजादी दिवस) के दिन अवश्य 2-3 घण्टे की हड़ताल (जैसा कांग्रेस आदेश करे) रक्खें। इससे भी हमारी सरकार को हमारी मनोवृति का पता चलेगा तथा जो लोग आज आपके बल पर आन्दोलन में भाग ले रहे हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी।

2. देहरादून तो अब सारे बड़े-बड़े सरकारी दफ्तरों का केन्द्र बन गया है। देहरादून के पढ़े लिखे नौजवानों की निगाह शायद उन दफ्तरों की तरफ दौड़ रही होगी। अब 45 रुपये मिलेंगे, फिर 60 मिलेंगे, गर्ज एक साल में ही शायद 90 रुपये तक पहुँच जाएंगें। पर क्या किसी ने यह भी सोचा है कि लड़ाई के दौरान में क्या से क्या होगा अथवा लड़ाई के बाद क्या होगा?

3. अपने राम को तो पढ़े लिखों से बड़ी कोफ्त होती है क्यों कि एक तो वे बुजदिल हो जाते हैं, दूसरे अपनी बुजदिली को छिपाने के लिये वह व्यर्थ की बहस करते हैं और स्वराज्य हासिल करने का रास्ता वह दरख्वास्तों और दस्तखतों से बतलाते हैं। इसके लिये फिसलू भाइयों (कम्युनिस्टों) ने एक सभा भी की जिसकी उपस्थिति बहुत कम थी और जिम्मेदार आदमी जिनके आने की आशा थी, गैरहाजिर रहे। मुँह छिपाने की जगह नहीं रही तो एक सब **कमेटी बनाई** और अब नगर में प्रचार कर रहे हैं कि एक बड़ी कान्फ्रेंस करेंगे, और 50 हजार दस्तखत करावा कर गर्वनर हैलेट साहेब के पास भेजेंगे। क्या अच्छी क्रान्तिकारी योजना है?

4. रूस में अब जनरैल विण्टर (याने जाड़ा) आ गये है। 3 फुट बरफ पड़ गयी है। बस इसी बड़े जनरैल पर अंग्रेज बहादुरों की सारी लड़ाई का दारोमदार है। जितना ज्यादा जाड़ा पड़ेगा और बरफ पड़ेगी उतना ही यहाँ के बहादुर सिपाही और अफसरान खुशियाँ मनायेंगे और पी कर उल्टे हो रहेंगे।

साप्ताहिक खबरें

1. अल्लाहबख्श जी को मंत्री पद से हटा कर सरकार ने यह जाहिर कर दिया है कि वह बड़े से बड़े पद के हिन्दुस्तानी को एक मिनट में पृथक कर सकती है। उनकी जगह सलामत तभी तक है जब तक वह जी हजूरी में मशगूल रहें।
2. प्रशान्त महासागर में एक बड़ा जंगी बेड़ा गश्त करता हुआ नजर आया। देखना है कि किस तरफ अग्रसर होता है ?
3. 10 तारीख को बुद्ध सिंह और देवकी नन्दन की गिरफ्तारी के विरोधस्वरूप डांडा, भोगपुर, रानीपोखरी, गडूल और माल्कोट इत्यादि में मुकम्मिल हड़ताल रही और शाम को बड़कोट में सभा हुयी।
4. इस बार ईद के त्योहार में कई बड़े शहरों में हिन्दू भी शामिल हुये और बरादराना सलूक उनसे बरता गया। क्या अंग्रेज इस बात को छुपा सकते हैं ? भारत की आजादी अब निकट प्रतीत होती है।
5. एक नया रोजाना अखबार देहली से निकलता है जिसमें यह लिखा गया था कि हिन्दू महासभा में फूट हो गयी है। पर डाक्टर मुकर्जी जो मौजूदा प्रधान, महासभा हैं, ने खबर की तरदीद कर दी है। न जाने इस अखबार के सम्पादक ने ऐसी गैर जिम्मेवारी की बात कैसे लिख दी।

छपते-छपते

- नगर में 16 तारीख को पुलिस ने दो जगह तलाशी ली पर सुना गया है कुछ मतलब की चीज प्राप्त नहीं हुयी।
- इस बार जिस लारी से हमारा अखबार आ रहा था उस पर पुलिस ने छापा मारा, दो कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। इसलिये अब की बार देरी हुयी।

कांग्रेस प्रेस से छपकर कांग्रेस कार्यालय से प्रकाशित हुआ।

नोट : *इस हस्तलिखित अखबार को अगर हूबहू यहाँ दिया जाता तो उतने बड़े आकार को छोटे से पृष्ठ पर समाहित करना सम्भव न था और अगर उसे रिड्यूस किया जाता तो भी वह अपठनीय होता। इसलिये समूचे 'ढिंढोरा' जिसे 'ढंढोरा' भी लिखा गया है, पाठकों की सहूलियत के लिये दुबारा लेजर टाइप सेटिंग से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कांग्रेस ढिंढोरा को छापने के आरोप में देहरादून के इन्द्र स्वरूप रतूड़ी, डॉ०*

दीवान सिंह तथा मुरारी लाल गुप्ता को 1942 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस हस्तलिखित अखबार में कई अन्य स्वाधीनता सेनानियों की भी भूमिका अवश्य ही रही होगी मगर उनकी जानकारी हासिल न हो सकने का खेद है। इसी तरह का आजादी समर्थक भूमिगत हस्तलिखित अखबार डी०ए०वी० कॉलेज के एक छात्र धर्मवीर से बरामद किया गया था। उसके बाद आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने भी देहरादून से ही टिहरी की आजादी का समर्थक हस्तलिखित भूमिगत अखबार 'रणभेरी' पूरे दो साल तक चलाया था। सन् 1913 में अल्मोड़ा से भी एक हस्तलिखित अखबार 'बाजार बन्धु' निकला। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान रामप्रसाद बहुगुणा ने भी 'समाज' नाम से एक हस्तलिखित अखबार निकाला था।

❑❑

अंग्रेजी कानून और अखबारों की जद्दोजहद

भारतीय पत्रकारिता का उदय राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए ही हुआ। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिये किसी न किसी तरह पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। इससे स्वधीनता आन्दोलन की खबरें दूर-दूर तक पहुँचने के साथ ही स्वाधीनता संग्रामियों के विचार भी आम आदमी तक पहुँचने लगे और आजादी के लिये देश में जनमत बनता गया। अंग्रेजों को आग में घी डालने वाली प्रेस की भूमिका का अहसास हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत ने प्रेस को लगाम देने की नीति अख्तियार कर ली।

हालांकि भारत का पहला छपा हुआ ऑगस्टस हिक्की का अंग्रेजी का अखबार अपने आप में भारत के स्वाधीनता संग्राम का अग्रदूत ही था। चाहे बंगाली 'युगान्तर' हो, या उर्दू का 'स्वराज', या फिर हिन्दी के कई अन्य अखबार! स्वाधीनता आन्दोलन में इन भाषायी अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसीलिये अंग्रेजी हुकूमत को बहुचर्चित वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट 1878 लाना पड़ा। राजाराम मोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा था। उन्होंने भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। राजा राम राय ने कई पत्र शुरू किये। इसके अलावा उन्होंने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना जगाई। पण्डित युगल किशोर शुक्ल द्वारा 30 मई, 1826 को 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्र हिन्दी पत्रकारिता की विकास यात्रा का अग्रदूत था। यद्यपि 4 दिसम्बर, सन् 1927 को उस पत्र का प्रकाशन बन्द हो गया था, किन्तु जो मशाल 'उदन्त मार्तण्ड' ने जलाई उससे हिन्दी पत्रकारिता का अगला मार्ग प्रशस्त होता रहा। 'उदन्त' का अर्थ समाचार है और मार्तण्ड का अर्थ सूर्य है। अर्थात सूर्य की किरणों की भांति। 'उदन्त मार्तण्ड' ने अपने विचारों को आम जनता में फैलाया तथा क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहयोग दिया।

किसी भी युग का साहित्य तत्कालीन समाज का दर्पण होता है इसीलिये मानव सभ्यता के विकास के साथ ही साहित्य की सदैव से समाज में प्रमुख भूमिका रही है। भले ही वह क्षणिक हो मगर अखबारों में छपी सामग्री अपने आप में साहित्य ही होती है। इसीलिये पत्रकारिता को भी समाज के आईने का दर्जा दिया गया है। वास्तव में पत्रकारिता समाज को आइना दिखाने के साथ ही उसका मार्गदर्शन भी करती रही है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान पत्र-पत्रिकाओं में विद्यमान क्रान्ति की ज्वाला क्रान्तिकारियों को प्रखर करती रही, उन्हें प्रेरित करती रही। उन पत्रों में छपी सामग्री जहाँ स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक मजबूत

आधार प्रदान करती थीं, वहीं लोगों में जनमत भी तैयार करती थीं। उस दौर के पत्रकारों में गणेश शंकर 'विद्यार्थी' साहित्य और पत्रकारिता के ऐसे ही शीर्ष स्तम्भ थे, जिनके अखबार 'प्रताप' ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभायी। 'प्रताप' के माध्यम से जहाँ कई क्रान्तिकारी स्वाधीनता आन्दोलन से कूद पड़े और वहीं अखबार क्रान्तिकारियों के लिये सुरक्षा की ढाल भी बना।

सामाजिक माहौल में बदलाव के साथ जिस उद्देश्य से पत्र-पत्रिकाएं शुरू हुयीं, उनका विस्तार होता गया और आगे चल कर 'निर्बल सेवक', 'शक्ति', 'स्वराज्य', 'समाचार सुधावर्षण', 'अभ्युदय', 'शंखनाद', 'हलधर', 'सत्याग्रह' (देहरादून से बाबू बुलाकी राम का पत्र) 'समाचार', 'स्वाधीन प्रजा', 'युद्धवीर', 'क्रांतिवीर', 'स्वदेश', 'नया हिन्दुस्तान', 'कल्याण', 'हिंदी प्रदीप', 'बुन्देलखण्ड केसरी', 'मतवाला', 'सरस्वती', 'विप्लव', 'अलंकार', 'चाँद', 'हंस', 'प्रताप', 'सैनिक', 'क्रांति', 'बलिदान', 'वालंटियर' आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने लोगों को जागृत किया और क्रांति का माहौल बनाया। इसके फलस्वरूप इन अखबारों को सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा और कई प्रेस अधिनियमों का सामना करना पड़ा। अखबारों की पुरानी प्रतियों के पन्नों में छिपे इतिहास को टटोला जाय तो ऐसे कई युगपरिवर्तनकामी लेख नजर आते हैं। उन लेखों में 'वर्तमान पत्र' में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखा 'राजनीतिक भूकम्प' शीर्षक का लेख, 'अभ्युदय' का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, 'नया हिन्दुस्तान' के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और फांसीवादी विरोधी लेख, 'स्वदेश' का विजय अंक, 'चाँद' का अछूत अंक, फाँसी अंक, 'बलिदान' का नववर्षांक, 'क्रांति' के 1939 के सितम्बर-अक्टूबर अंक, 'विप्लव' का चंद्रशेखर आजाद अंक क्रांतिकारी तेवर और राजनैतिक चेतना फैलाने के आरोप में अंग्रेजी सरकार के कोपभाजन बने। उन क्रान्तिवीर अखबारों को जब्ती, प्रतिबन्ध, जुर्माना आदि का दमन और उनके संपादकों को कारावास भुगतना पड़ा। उर्दू 'स्वराज' अखबार के बारे में प्रसिद्ध था कि उसमें सम्पादक को मेहनताने के तौर पर काला पानी की सजा मिलती थी। इस अखबार के अंतिम संपादक देहरादून के अमीर चंद बम्बवाल थे।

अखबारों को नकेल डालने के लिये भारत का पहला प्रेस अधिनियम गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली के शासनकाल में 1799 को ही आ गया था। भारत में पत्रकारिता के संस्थापक आगस्टस हिक्की के समाचार पत्र 'बंगाल गजट' को हुकुम विरोधी होने के कारण सर्वप्रथम प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। उससे पहले सन् 1766 में कलकत्ता में पहला छापाखाना लगाने वाले अंग्रेज विलियम बोल्ट को कम्पनी के शासकों ने वापस इंग्लैण्ड भेज दिया था। जेम्स हिक्की को एक साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा हुई तथा उसे भी भारत से निकाल कर वापस इंग्लैण्ड भेज दिया गया। भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के दौर में 1857 में 'गैंगिंक एक्ट', 1878 में 'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट', 1908 में 'न्यूज पेपर्स एक्ट' (इन्साइटमेंट अफैंसेज) 1910 में 'इंडियन प्रेस एक्ट' 1930 में 'इंडियन प्रेस आर्डिनेंस' 1931 में 'दि इंडियन प्रेस एक्ट' (इमरजेंसी पावर्स) जैसे दमनकारी

कानून ब्रिटिश हकूमत द्वारा अखबारों की आजादी पर अंकुश लगाने के लिये लागू किये गये। इन कानूनों के बाद भी आजादी की धुन में सवार कई अखबार अपना कर्तव्य निभाते रहे और संपादकों के तेवर उग्र से उग्रतर होते चले गए।

बीसवीं सदी में सन् 1919-20 के बाद आन्दोलनों का दौर शुरू हो गया था। उस दौरान सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू चले। इन आन्दोलनों को अखबारों ने खूब हवा दी। इस दौर में उत्तराखण्ड से 'शक्ति', 'स्वराज संदेश' और 'कर्मभूमि' जैसे अखबार निकले। कुछ अखबार तो आन्दोलन के मुखपत्र और प्रवक्ता की तरह कार्य करते रहे। पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' उग्र विचारधारा का हामी था। अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदनमोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेख प्रकाशित हुए। जिसके परिणामस्वरूप इन पत्रों को प्रतिबंध और जुर्माना का सामना करना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप' सज्जाद जहीर एवं शिवदान सिंह चौहान के संपादन में इलाहाबाद से निकलने वाला 'नया हिन्दुस्तान' राजाराम शास्त्री का 'क्रांति' यशपाल का 'विप्लव' अपने नाम के मुताबिक ही क्रांतिकारी तेवरों वाले अखबार थे। आजादी के आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल आदि स्थानों से कई आन्दोलन समर्थक पत्र निकले। उन पत्रों के सम्पादक या तो कांग्रेसी थे या फिर साम्यवादी विचारों से प्रेरित थे। उन कांग्रेसियों में लन्दन से बैरिस्टरी की डिग्री हासिल कर लौटे वकील भी थे। देहरादून से ही राजा महेन्द्र प्रताप सिंह और एम०एन० राय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारियों ने अखबार शुरू किये। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा इलाहाबाद से संपादित 'चाँद' का फाँसी अंक क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ था। इस पत्र में हरिद्वार के आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने भी काम किया था।

अखबारों पर अंकुश लगाने का सिलसिला

भारतीय समाचार पत्रों को लगाम देने के लिये 1799 ई० में लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा पत्रों का 'पत्रेक्षण अधिनियम' और जॉन एडम्स द्वारा 1823 ई० में 'अनुज्ञप्ति नियम' लागू किये गये। एडम्स द्वारा समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबन्ध के कारण राजा राममोहन राय का 'मिरातुल' अख़बार बन्द हो गया। सन् 1830 में राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से बंगाली भाषा में 'बंगदूत' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। बम्बई से 1831 ई० में गुजराती भाषा में 'जामे जमशेद' तथा 1851 में 'रास्त गोफ़्तार' एवं 'अख़बारे सौदागार' का प्रकाशन हुआ।

ऐसा नहीं कि सारे अंग्रेज प्रशासक भारतीय प्रेस के लिये दमनकारी ही साबित हुये हों। लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। कार्यवाहक गर्वनर-जनरल चार्ल्स मेटकॉफ़ ने 1823 के प्रतिबन्ध को हटाकर समाचार पत्रों को मुक्ति दिलवाई थी। यही कारण है कि उसे 'समाचार पत्रों का मुक्तिदाता' भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले ने भी प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन

किया। 1857-1858 के विद्रोह के बाद भारत में समाचार पत्रों को भाषाई आधार के बजाय प्रजातीय आधार पर विभाजित किया गया। अंग्रेज़ी समाचार पत्रों एवं भारतीय समाचार पत्रों के दृष्टिकोण में अंतर होता था। जहाँ अंग्रेज़ी समाचार पत्रों को भारतीय समाचार पत्रों की अपेक्षा बहुत सारी सुविधायें उपलब्ध थीं, वही भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा था। इस दौरान सभी समाचार पत्रों में 'इंग्लिश मैन' सर्वाधिक रुढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी था। 'पायनियर' सरकार का पूर्ण समर्थक समाचारपत्र था, जबकि 'स्टेट्समैन' कुछ तटस्थ दृष्टिकोण रखता था।

अंग्रेजों द्वारा सम्पादित समाचार पत्र		
समाचार पत्र	स्थान	वर्ष
टाइम्स ऑफ़ इंडिया	बम्बई	1861 ई०
स्टेट्समैन	कलकत्ता	1878 ई०
इंग्लिश मैन	कलकत्ता	1861 ई०
फ्रेण्ड् ऑफ़ इंडिया	कलकत्ता	1877 ई०
मद्रास मेल	मद्रास	1868 ई०
पायनियर	इलाहाबाद	1876 ई०
सिविल एण्ड मिलिटरी गजट	लाहौर	1872 ई०

पंजीकरण अधिनियम

सन् 1857 में हुए विद्रोह के परिणामस्वरूप सरकार ने 1857 का 'लाईसेंसिंग एक्ट' लागू कर दिया। इस एक्ट के आधार पर बिना सरकारी लाइसेंस के छापाखाना स्थापित करने एवं उसके प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक मात्र एक वर्ष तक लागू रही।

विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम

अधिनियम	वर्ष	लागू करने वाले प्राधिकारी
समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम	सन् 1799	लॉर्ड वेलेज़ली
अनुज्ञप्ति नियम	1823 ई०	जॉन एडम्स
अनुज्ञप्ति अधिनियम	1857 ई०	लॉर्ड केनिंग
पंजीकरण अधिनियम	1867 ई०	जॉन लॉरेंस
देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम	1878 ई०	लॉर्ड लिटन
समाचार पत्र अधिनियम	1908 ई०	लॉर्ड मिण्टो द्वितीय
भारतीय समाचार पत्र अधिनियम	1910 ई०	लॉर्ड मिण्टो द्वितीय
भारतीय समाचार पत्र अधिनियम (संकटकालीन शक्तियाँ)	1931 ई०	लॉर्ड इरविन

सन् 1867 के 'पंजीकरण अधिनियम' का उद्देश्य छापाखानों को नियमित और नियंत्रित करना था। उसके प्रावधानों के तहत प्रत्येक मुद्रित पुस्तक एवं समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे उस पर मुद्रक, प्रकाशक एवं मुद्रण स्थान का नाम लिखें। पुस्तक के छपने के बाद एक प्रति निःशुल्क स्थानीय प्रशासन को देनी होती थी। वहाबी विद्रोह से जुड़े लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण सरकार ने 'भारतीय दण्ड

संहिता' की धारा 124 में 124-क जोड़ कर ऐसे लोगों के लिए आजीवन निर्वासन, अल्प निर्वासन तथा जुर्माने की व्यवस्था भी की।

स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव

सन् 1857 हुये पहले स्वाधीनता संग्राम के बाद भारतीय समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और उसके बाद वे अधिक मुखर होकर सरकार के आलोचक बन गये थे। उसी दौरान बड़े भयानक अकाल से लगभग 60 लाख लोग काल के ग्रास बन गये थे, वहीं दूसरी ओर जनवरी, 1877 में दिल्ली में हुए 'दिल्ली दरबार' पर अंग्रेज़ सरकार ने बहुत अधिक फिजूलख़र्ची की थी। इसके परिणामस्वरूप लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के खिलाफ़ भारतीय अख़बारों ने आग उगलना शुरू कर दिया था। लिटन ने 1878 में 'देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम' (वर्नाक्यूर एक्ट) द्वारा भारतीय समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का गला घोंट दिया था।

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट

'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' सन् 1878 में तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र 'सोम प्रकाश' को लक्ष्य बनाकर लाया गया था। देखा जाय तो यह अधिनियम मात्र 'सोम प्रकाश' पर लागू हो सका। लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 'अमृत बाजार पत्रिका' (समाचार पत्र), जो बंगला भाषा की पत्रिका थी, अंग्रेज़ी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गयी। 'सोम प्रकाश', 'भारत मिहिर', 'ढाका प्रकाश', 'सहचर' आदि के खिलाफ़ ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मुकदमे चलाये गये। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 'मुँह बन्द करने वाला अधिनियम' भी कहा गया। भारी विरोध के बाद इस दमनकारी अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने सन् 1882 में रद्द कर दिया था।

समाचार पत्र अधिनियम

लॉर्ड कर्ज़न द्वारा 'बंगाल विभाजन' के कारण देश में उत्पन्न अशान्ति तथा 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' में चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव के कारण अख़बारों के द्वारा सरकार की आलोचना का अनुपात बढ़ने लगा था। इसलिये अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए 1908 का समाचार पत्र अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि जिस अख़बार के लेख में हिंसा और हत्या को प्रेरणा मिलेगी, उसके छापाखाने तथा सम्पत्ति को जब्त कर लिया जायेगा। अधिनियम में दी गई नई व्यवस्था के अन्तर्गत 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की सुविधा दी गई। इस अधिनियम द्वारा नौ समाचार पत्रों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये एवं सात के छापेखानों को जब्त करने के आदेश दिये गये।

सन् 1910 के 'भारतीय समाचार पत्र अधिनियम' में यह व्यवस्था की गयी थी कि समाचार पत्र के प्रकाशक को कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 2000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमानत के रूप में स्थानीय सरकार को देना होगा, इसके बाद भी सरकार को

पंजीकरण समाप्त करने एवं जमानत जब्त करने का अधिकार होगा तथा दोबारा पंजीकरण के लिए सरकार को 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक की जमानत लेने का अधिकार होगा। इसके बाद भी यदि समाचार पत्र सरकार की नज़र में किसी आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित करता है तो सरकार के पास उसके पंजीकरण को रद्द करने एवं अख़बार की समस्त प्रतियाँ जब्त करने का अधिकार होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित समाचार पत्र दो महीने के अन्दर स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते थे।

अन्य अधिनियम

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध के समय 'भारत सुरक्षा अधिनियम' पास कर राजनैतिक आंदोलन एवं स्वतन्त्र आलोचना पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सन् 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक 'प्रेस इन्क्वायरी कमेटी' नियुक्त की गई। समिति के ही सुझावों पर 1908 और 1910 ई० के अधिनियमों को समाप्त किया गया। सन् 1931 में 'इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट' लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा सन् 1910 के 'प्रेस अधिनियम' को पुन: लागू कर दिया गया। इस समय गांधी जी द्वारा चलाये गये 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' के प्रचार को दबाने के लिए इस अधिनियम को विस्तृत कर 'क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट' अथवा 'आपराधिक संशोधित अधिनियम' लागू किया गया। मार्च, 1947 में भारत सरकार ने 'प्रेस इन्क्वायरी कमेटी' की स्थापना समाचार पत्रों से जुड़े हुए क़ानून की समीक्षा के लिए की थी।

कुल मिलाकर देखा जाय तो भारत में अंग्रेज प्रशासकों में से जहाँ एक ओर लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड मिण्टो, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड कैनिंग तथा लॉर्ड लिटन जैसे प्रशासकों ने प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया, वहीं दूसरी ओर लॉर्ड बैंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकॉफ़, लॉर्ड मैकाले एवं लॉर्ड रिपन जैसे प्रशासकों ने प्रेस की आज़ादी का समर्थन भी किया।

❑❑

संदर्भ तीन

किसी भी युग में मीडिया चाहे जिस रूप में भी रहा हो मगर उसकी सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखा जाय तो समय विशेष का मीडिया ही सामाजिक बदलाव का संवाहक रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति तथा अमेरिकी "स्वतंत्रता की घोषणा" (Declaration of Independence 1776) के मुख्य लेखक थामस जेफरसन से जब पूछा गया कि— अगर आप को बिना अखबारों वाली एक शासन व्यवस्था और बिना शासन व्यवस्था के अखबारों वाली सामाजिक व्यवस्था में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इस पर जेफरसन का कहना था कि— वह दूसरी वाली व्यवस्था को चुनने में एक पल की देरी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जेफरसन सरकार से जरूरी अखबार को मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार सामाजिक बदलाव और मानव सभ्यता के निरंतर विकास का सबसे बड़ा कारक अखबार या मीडिया ही साबित हो रहा है। प्रस्तुत खण्ड में अखबारी पत्रकारिता के उदय से लेकर आज इलैक्ट्रानिक और साइबर मीडिया तक के सामाजिक बदलावों में मीडिया की भूमिका का उल्लेख किया गया है। ..
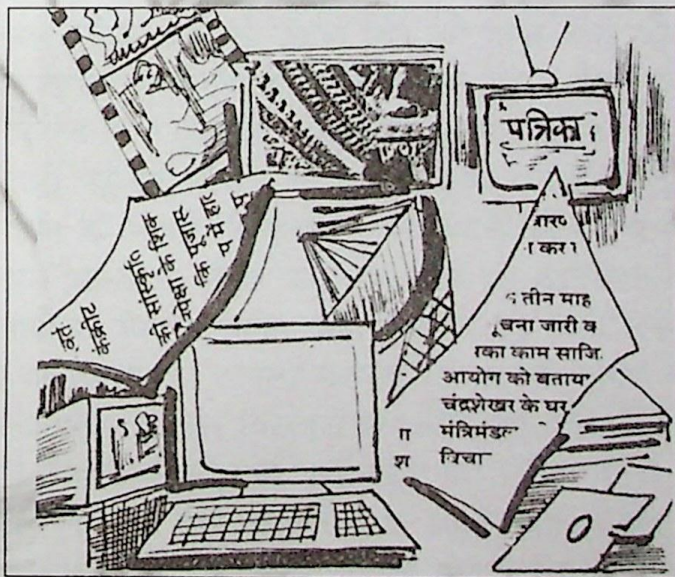
सामाजिक चेतना का उत्प्रेरक है मीडिया

कारगिल युद्ध के दौरान देशभर में राष्ट्र प्रेम और पाकिस्तान विरोध का जितना उन्माद पैदा हुआ, उतना पिछले युद्धों में कभी नहीं देखा गया था। इस उन्मादी राष्ट्रप्रेम के पीछे मीडिया ही था। सन् 1965 का भारत-पाक युद्ध जब शुरू हुआ था तो देशवासियों को हफ्तेभर तक युद्ध छिड़ जाने की खबर नहीं मिली थी। जब युद्ध की जानकारी दी भी गई तो उस समय मोर्चे का ऐसा आंखों देखा हाल सीधे घरों के अन्दर नहीं पहुंचता था, जैसा कि कारगिल युद्ध के दौरान दिखाई दिया। सन् 1962, 1965 और 1971 के युद्धों और आज की स्थिति में जमीन-आसमान का फर्क मीडिया में आ गया है। इसी मीडिया का कमाल था कि देशभर में जबरदस्त उन्माद पैदा हुआ। सारा राष्ट्र चट्टान की तरह एक हुआ और जब जन भावनाएं युद्ध के मोर्चे पर पहुँची तो हमारे रणबांकुरों के हौसले दुगने हो गये।

उत्तराखण्ड आन्दोलन को ही ले लीजिए। दशकों से अलग राज्य की मांग उठाई जा रही थी। छुटपुट आन्दोलन भी चल रहे थे, लेकिन 1994 में उत्तराखण्ड में अलग राज्य की मांग के लिए ऐसा बवंडर उठा कि दुनिया के कान खड़े हो गये कि आखिर यह हो क्या रहा है। इस बवंडर को खड़ा करने के पीछे भी मीडिया ही था। दरअसल मांग पहले भी उठ रही थी और मीडिया भी पहले से ही था, लेकिन पहले मीडिया इतना सक्षम नहीं था। मीडिया के नाम पर छोटे साप्ताहिक अखबार थे तथा राष्ट्रीय मीडिया के पन्नों में इतनी जगह नहीं होती थी। उत्तराखण्ड में जब क्षेत्रीय व्यापक प्रसार वाले दैनिक आये तो उन्होंने इधर की खबर उधर और उधर की इधर देकर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड को सूचना के मामले में एक सूत्र में पिरो दिया। किसी जमाने में जब तिलाड़ी काण्ड हुआ होगा तो 'गढ़वाली' अखबार को उस खबर को कोटद्वार, गोपेश्वर और टिहरी पहुँचाने में कम से कम दो हफ्ते लगे होंगे, लेकिन उत्तराखण्ड आन्दोलन में देर रात को किसी भी हिस्से में घटी घटना की सूचना सुबह दूसरे हिस्से में मिल गई। इससे आन्दोलन भड़क उठा। हालांकि इस आन्दोलन को भड़काने का श्रेय जिन अखबारों को मिलना चाहिए वही अखबार इस आन्दोलन को भटकाने के जिम्मेदार भी थे क्योंकि उनका असली मकसद भावनात्मक शोषण कर अपनी प्रसार संख्या बढ़ाना तथा प्रसार बढ़ाकर विज्ञापनों के जरिये आमदनी और रुतवा बढ़ाना था। उन्हीं अखबारों ने पत्रकारिता का एक नया नमूना पेश किया। नमूना यह था कि एक पैराग्राफ की खबर होती थी तथा उस पर 8 या 10 पैराग्राफ केवल नामों के होते थे ताकि अधिक से अधिक लोग उन अखबारों को खरीदें। इसका नतीजा यह हुआ कि आन्दोलन में नेता अधिक हो गये और कार्यकर्ता घट गये। फिर आन्दोलन का अंजाम

क्या हुआ यह सभी जानते हैं। बहरहाल सकारात्मक पहलू पर ही हम गौर करें तो मीडिया ने जनचेतना के मामले में प्रभावशाली भूमिका निभाई है।

अभिप्राय यह है कि मीडिया ने उत्तराखण्ड जैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में जनचेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जब जन जागृति आई तो तब ही विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। आजादी से पहले मीडिया ने इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक तौर पर जागृत किया। उन्हें आजादी के आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया तो एक समाज सुधारक के रूप में सामाजिक बुराइयों पर भी प्रहार किया। आजादी के बाद मीडिया की भूमिका, समाज सुधारक के रूप में जारी रही। इसके साथ ही उसने जनता और सत्ता के बीच पुल का कार्य किया तथा विकास प्रक्रिया की खामियों को उजागर करने के साथ ही हर अच्छाई और बुराई को प्रतिबिम्बित किया। चूंकि आज समय काफी बदल गया है। सूचना क्रांति आ चुकी है। शेष दुनिया की देखा-देखी करने से मीडिया में व्यावसायिकता भारी पड़ गई। फिर भी जो कुछ भी हो रहा है वह समाज के नाम पर ही हो रहा है और उससे जागृति तो आ ही रही है। आज मीडिया के आकार-प्रकार में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं कि दूर-दराज के गाँव में बैठा एक पहाड़ी ग्रामीण देश और दुनिया के हालात की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर रहा है। यही वे जानकारियां हैं जो समाज को जागरूक बनाती हैं।

आज जो हो रहा है वह सबके सामने है। देहरादून से भी अखबार उपग्रह प्रणाली से छप रहे हैं। ज्यादातर अखबारों के ई-पेपर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अब दुनिया के किसी भी कोने पर बैठा पाठक या प्रवासी भोर होते ही उत्तराखण्ड या देश के किसी भी अखबार का ई-पेपर खोलकर उत्तराखण्ड या किसी प्रदेश के किसी भी हिस्से की खबर पढ़ सकता है। देश-विदेश में फैले उत्तराखण्ड के प्रवासी आज इसी माध्यम से अपने गाँव या क्षेत्र की खबरसार लेते हैं। कुछ प्रवासियों ने वेबसाइट बना लिए हैं जिन पर उत्तराखण्ड सम्बन्धी तमाम जानकारियां दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध हैं। जहाँ दूरसंचार कम्पनियों के टावर गये वहाँ कम्प्यूटर ले जाकर इण्टरनेट की सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन सवाल उस जमाने का है जब इन सुविधाओं की कल्पना भी नहीं की गई थी। उत्तराखण्ड के जिन लोगों पर सामाजिक जागृति की धुन सवार थी वे मुरादाबाद, आगरा, इलाहाबाद जैसे शहरों में जाते थे और अपने अखबार छपा कर लाते थे। जो चीज आज इण्टरनेट पर माउस को थोड़ा सा घुमाने और फिर क्लिक करने से उपलब्ध हो रही है उसे दूर-दराज के डाकखाने हफ्तों में अखबार के रूप में उपलब्ध कराते थे। ऐसे भी उदाहरण हैं जब लोगों ने अखबार छपवाने के लिए जमीन-जायदादें बेच दीं, लेकिन कुछ ही अंकों के बाद अखबार बंद हो गये। गढ़वाल के पहले हिन्दी अखबार 'गढ़वाल समाचार' के सम्पादक गिरजा दत्त नैथानी वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थितियों से लड़ते-लड़ते थक गये और अन्ततः खुद ही

खप गये। पण्डित विश्वम्भर दत्त चन्दोला द्वारा पत्रकारिता के लिए किये गये त्याग और संघर्ष का एक इतिहास है। इन सब लोगों ने इतना त्याग और इतनी तपस्या विज्ञापन के जरिये धन कमाने के लिए नहीं की थी। उनका मकसद सत्ता का परोक्ष उपभोग करना नहीं था। उनका ध्येय पत्रकारिता की आड़ में अपने व्यापार की वृद्धि करना नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र ध्येय सामाजिक चेतना को जगाना था। उनका उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों के कष्ट कम कराकर उनका जीवन बेहतर बनाने में सहायक होना था। सामाजिक चेतना को आप विकास से अलग नहीं कर सकते हैं। बिना जागृति के विकास सम्भव ही नहीं है और उत्तराखण्ड में जागृति का संवाहक केवल मीडिया रहा है, और मीडिया में भी आजादी से पूर्व तथा आजादी के बाद साधनों के अभाव में काम करने वाले लोगों की भूमिका सर्वोच्च रही है। आज मीडिया की भूमिका पर बहस चल रही है। हमारे कुछ बड़े पत्रकार विदेशी तर्ज पर कहते हैं कि 'वी आर नॉट सोशियल रिफॉर्मर' समाज में जो दिखेगा वो लिखेंगे। आधुनिक पत्रकारिता के विद्वानों का कहना है कि हमारा काम 'डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन' है। लेकिन सच्चाई यह है कि 'वी हैव टु कीप अवर रीडर्स एण्ड व्यूवर्स इन्फॉर्म्ड'। इसका मतलब ही जागृत रखना है। गांधी जी ने जब 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' पत्र निकाले तो उनका ध्येय जनचेतना ही था।

दुनिया का पहला अखबार 'टी चान' बताया जाता है। उसका मतलब भी जानकारी देना था और जानकारी जागृत करने के लिए ही होती है। उत्तराखण्ड में तब पहला अखबार सन् 1870 में 'अल्मोड़ा अखबार' के नाम से शुरू हुआ तो उसका ध्येय जनचेतना ही था। उसके बाद 1902 में जब गढ़वाल से गिरजादत्त नैथानी का 'गढ़वाल समाचार' शुरू हुआ तो उसका लक्ष्य भी सामाजिक चेतना ही था। 1905 में 'गढ़वाली' शुरू हुआ तो वह भी एक सामाजिक योद्धा ही था जो कि लम्बे समय तक मोर्चे पर डटा रहा और विषम परिस्थितियों में भी समाज को दिशा देता रहा। सन् 1918 से श्री बद्रीदत्त पाण्डे का 'शक्ति' अखबार केवल राष्ट्रीय आन्दोलन को ताकत देने के लिए ही शुरू हुआ था। सन् 1939 में श्री राम प्रसाद नौटियाल, श्री भक्तदर्शन एवं श्री भैरव दत्त धूलिया ने जिस 'कर्मभूमि' की शुरुआत की थी उसका ध्येय विज्ञापन के जरिये धन कमाना नहीं बल्कि आजादी के आन्दोलन का संदेश दूर-दराज के दुर्गम पहाड़ी गाँवों तक पहुँचाना था। आप जानते ही होंगे कि कुमाऊँ का 'शक्ति' आज भी जैसे-तैसे चल रहा है। जबकि कर्मभूमि बंद हो गया है। इन दोनों अखबारों को स्वतंत्रता सेनानी अखबार का दर्जा हासिल है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार आचार्य गोपेश्वर कोठियाल और श्री राधा कृष्ण वैष्णव का निधन हो चुका है। पुराने अखबारों ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी मोर्चा खोला और अखबार के माध्यम से साबित किया कि छुआछूत वास्तव में बहुत बड़ी बुराई है। हालांकि उत्तराखण्ड में छुआछूत की बीमारी आज भी

मौजूद है, फिर भी यह बुराई आज बहुत सीमित रूप में है। इसी प्रकार कन्या विक्रय प्रथा समाप्त हो चुकी है। आज की पीढ़ी के लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखण्ड में वर पक्ष कन्या पक्ष को धन देता था। धन के लालच में या मजबूरी में कुछ लोग बूढ़े या अयोग्य वर के गले में अपनी कन्या बांध देते थे। बच्चे और बच्चियों की शादी हो जाती थी। एक पुरुष की दो-तीन पत्नियां होती थीं। समाज में कई तरह के अंधविश्वास थे, लेकिन आज हालात बदल गये हैं। ये बातें अतीत की हो गई हैं। इन बुराइयों को खोद-खोद कर मिटाने में तत्कालीन सीमित साधनों वाले मीडिया का ही हाथ था। अंग्रेजों के जमाने में कुली बर्दायश व्यवस्था थी। यानी कि पहाड़ के लोगों को अंग्रेज अफसरों की मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ती थी। यह प्रथा पहाड़ के लोगों को याद दिलाती रहती थी कि तुम गुलाम हो। इसके खिलाफ सन् 1920 के आस-पास कुमाऊँ में हरगोविन्द पंत, बदरी दत्त पांडे और मोहन जोशी आदि ने और गढ़वाल में बैरिस्टर मुकुन्दीलाल और गढ़ केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा आदि ने आन्दोलन चलाया और उस जन आन्दोलन को अखबारों ने खूब हवा दी और अन्ततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। टिहरी राजशाही हो या ब्रिटिश हुकूमत, तत्कालीन सत्ता जंगलों का बेतहाशा दोहन करती थी और ऐसा व्यवहार करती थी कि जनता का दायित्व केवल वनों की सुरक्षा करना है। इसके खिलाफ उस जमाने के अखबारों ने जनता को जागृत किया। अखबारों द्वारा पैदा की गई चेतना ने जन आन्दोलनों को जन्म दिया। सकलाना का आन्दोलन ऐसा ही एक ऐतिहासिक आन्दोलन था। रवांई काण्ड ही ले लीजिए, इसमें गढ़वाली अखबार तथा अखबार के सम्पादक पण्डित विश्वम्भर दत्त चंदोला ने जेल जाकर एक अनुकरणीय भूमिका निभाई।

दरअसल उत्तराखण्ड के विकास और अखबारों या मीडिया के विकास की यात्रा समानांतर चली है, जब यहाँ स्थानीय अखबार चलने लगते हैं। मीडिया के प्रवेश के साथ ही उत्तराखण्ड में स्कूल खुलने लगे, डाकखाने खुलने लगे, सड़कें बनने लगीं। उस समय के अखबारों ने पिछड़ी और उपेक्षित पहाड़ी जनता को आवाज दी। वे जनता की आवाज बने और तब जनता की आवाज सुनी जाने लगी। तत्कालीन सत्ता को एहसास हुआ कि उस पर भी नजर रखी जा सकती है। उस समय जो साधन सम्पन्न लोग थे वे अपने बेटों को पढ़ने के लिए लाहौर और इलाहाबाद भेज देते थे। ये दोनों शहर आजादी की गतिविधियों के केन्द्र हुआ करते थे, इसलिए पहाड़ी लड़कों को भी आजादी की हवा लग जाती थी। वे वहाँ बड़े नेताओं के सम्पर्क में आ जाते थे। ये पहाड़ी लड़के जब पहाड़ लौटते थे तो अपने साथ आजादी के आन्दोलन की हवा भी ले आते थे और उन्हें पहाड़ों पर भी आजादी का आन्दोलन चलाने के लिए तथा अपनी बात फैलाने के लिए अखबार की जरूरत पड़ती थी। इन्हीं युवकों में श्यामचंद नेगी, परिपूर्णानंद पेन्यूली, भक्तदर्शन, गिरजा दत्त नैथानी, विश्वम्भर दत्त चंदोला, चन्द्रमोहन रतूड़ी और सत्यशरण रतूड़ी आदि थे। इन्हीं युवकों के अथक

प्रयासों से 'गढ़वाल समाचार' और फिर 'गढ़वाली' पत्र शुरू हुए। 1918 में अल्मोड़ा से 'शक्ति' का प्रकाशन शुरू करने वाले बद्रीदत्त पाण्डे इलाहाबाद में कांग्रेसी नेताओं के साथी थे तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक 'इंडिपेण्डेंट इंडिया' के वरिष्ठ सम्पादकीय सहयोगी थे। 'शक्ति' का भी एकमात्र ध्येय पहाड़ियों में आजादी के प्रति जज्बा पैदा करना था।

तब और अब में बहुत परिवर्तन आ गया है। यूं समझिए कि मीडिया बैलगाड़ी युग से सुपरसोनिक युग में आ गया है। सूचना और सूचना जानने वाले के बीच की दूरी समाप्त ही हो गई है। सूचना क्रांति के दौर में मीडिया समाज के लिए काफी कुछ कर रहा है, लेकिन वह जितना कर सकता है उतना नहीं कर पा रहा है। कारण यह कि अंधी प्रतिस्पर्धा हो गई है। पत्रकारिता का उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना, बिना किए प्रसिद्धि पाना और सत्ता पर परोक्ष नियंत्रण की लालसा है। प्रतिस्पर्धा के दौर में हम पाठकों और दर्शकों की रुचि बिगाड़ रहे हैं और अंध विश्वास भी फैला रहे हैं। नयेपन या सनसनी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसी का नतीजा है कि हम परिवार के साथ टेलीविजन नहीं देख पाते हैं। कई बार अखबार अपने बच्चों से छिपाने पड़ते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने परिदृश्य ही बदल दिया है। अब टीवी चैनलों के लिए सोशियल मीडिया चुनौती के लिए तैयार है। कुल मिलाकर देखा जाय तो मिशनरी पत्रकारिता का क्षरण हो रहा है। चुनावों में 'पेड न्यूज' का चलन बढ़ गया है। देहरादून में अगर कभी स्टिंग ऑपरेशन खलबली मचाता है तो प्रमुख चेनलों के हेड देहरादून में डेरा डाल देते हैं। इन चेनल हेडों की मुलाकातें होती हैं और दूसरे ही दिन उनके तेवर ढीले हो जाते हैं। जिनके तेवर शांत नहीं कराये जा पाते हैं वे स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाते हैं। टीवी चैनल टी०आर०पी० बढ़ाने के लिए हर तरह का हथकड़ा अपना रहे हैं। देखा जाय तो श्रव्य दृश्य पत्रकारिता के इस युग में अक्षर ज्ञान भी बहुत महत्व नहीं रखता।

❑❑

परिजनों की चिट्ठी की तरह पढ़े जाते थे अखबार

जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ सूरज की धूप भी नहीं पहुँचती है, वहाँ कवि पहुँच जाता है। उत्तराखण्ड में यह कहावत छोटे अखबार भी चरितार्थ करते रहे हैं क्योंकि संचार-कांति से पहले देश के दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ टेलीविजन और बड़े अखबार नहीं पहुँचते थे वहाँ डाक से जाने वाले ये अखबार एक मुद्दत से पहुँचते रहे हैं तथा लोगों द्वारा अपने परिजनों की चिट्ठियों की तरह गाँव के सारे साक्षरों द्वारा पढ़े जाते रहे हैं।

संचार क्रांति के इस युग में दुनिया सिमट कर रह गई है। कुछ मिनटों में एक खबर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच रही है। सिडनी, लॉर्ड्स या शारजाह में क्रिकेट का खेल हो रहा होता है और दुनिया के किसी भी कोने में लोग उस खेल को सीधे देख रहे होते हैं। यह संचार क्रांति का ही कमाल है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौबीसों घंटे ताजा खबरें देने लगा है। संचार क्रांति के इस युग में मुफलिसी की हालत में सदियों पुराने किस्म के छापाखानों में छपने वाले और भारतीय डाक विभाग द्वारा चिट्ठियों के साथ गाँवों तक पहुँचाये जाने वाले छोटे अखबारों के भविष्य पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। यह दुख और हैरत की बात है कि इन अखबारों को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है।

भारत गाँवों का देश है। इसकी अधिसंख्य आबादी भी गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ टेलीविजन के कार्यक्रम नहीं दिखाई देते। देश के सारे लोग आज भी टेलीविजन नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए दूर-दराज के लोगों तथा गरीब लोगों को रेडियो या अखबारों पर सूचनाओं के लिए निर्भर रहना पड़ता है और ये सूचनाएं छोटे साप्ताहिक पत्र ही पहुँचाते रहे हैं। बड़े अखबार जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पत्र कहलाते हैं, दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाते हैं। भारत में ऐसा कोई राष्ट्रीय अखबार नहीं जो देश के चप्पे-चप्पे में हर भाषा-भाषी द्वारा पढ़े जाने का दावा कर सकता हो। इसलिए ऐसे क्षेत्रों का मीडिया आज भी छोटा अखबार ही है।

अगर टेलीविजन के सारे दर्शकों और राष्ट्रीय पत्रों के तमाम पाठकों को एक साथ जोड़ दिया जाय तो यह संख्या तमाम छोटे पत्रों की मिली-जुली प्रसार संख्या से आज भी बहुत कम है। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर०एन०आइ०) की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक देश में कुल 99,660 प्रकाशन पंजीकृत थे जिनमें दैनिक समाचार पत्र श्रेणी के 13,761 पंजीकृत

थे। इनके अलावा साप्ताहिक, अर्द्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक श्रेणी के सर्वाधिक प्रकाशनों की संख्या 85,899 थी। इनमें हिन्दी के प्रकाशन 40,159 तथा अंग्रेजी के प्रकाशनों की संख्या 13,138 थीं। सभी प्रकाशनों की प्रसार संख्या 45,05,86,122 प्रतियाँ थी। इनमें हिन्दी प्रकाशनों की प्रसार संख्या सर्वाधिक 22,64,75,517 तथा अंग्रेजी की 6,44,05,643 की जबकि उर्दू प्रकाशनों की प्रसार संख्या 3,45,85,404 प्रतियां थी।

आर०एन०आइ० को वर्ष 2013-14 में विभिन्न प्रकाशनों द्वारा जो वार्षिक विवरण प्राप्त हुए उनमें कुल 6730 दैनिक पत्र थे जिनकी घोषित प्रसार संस्था 26,42,89,811 थी। इनमें से 3213 हिन्दी दैनिकों की प्रसार संख्या 12,64,77,693 प्रतियाँ, 695 अंग्रेजी दैनिकों की प्रसार संख्या 3,31,48,808 तथा 929 उर्दू दैनिकों की प्रसार संख्या 2,72,88,254 प्रतियाँ थी।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 में 65.36 प्रतिशत प्रकाशन, अर्द्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रकाशन थे। इनमें कुल 12,744 ने अपना वार्षिक विवरण दाखिल किया। जिनकी कुल घोषित प्रसार संख्या 18,54,03,183 प्रतियाँ थीं। वर्ष 2012-13 में इनकी घोषित प्रसार संख्या 17,95,12,283 थी। वर्ष 2013-14 में घोषित वार्षिक विवरणों में साप्ताहिक पत्रों की घोषित प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन थीं। इसी प्रकार मासिक पत्रों की 4,58,85,796 प्रतियाँ, पाक्षिक की 2,27,59,091 प्रतियाँ, त्रैमासिक 18,07,667 प्रतियाँ तथा वार्षिक प्रकाशनों या पत्रिकाओं की घोषित प्रसार संख्या 15,67,610 प्रतियाँ थीं।

जाहिर है कि ज्यादा लोगों तक आज भी छोटे अखबार ही पहुँचते हैं लेकिन इन पत्रों को उतना महत्व नहीं मिलता। इसीलिए आये दिन नये-नये पत्र शुरू होते हैं और थोड़े ही दिनों बाद वे आर्थिक अभाव में दम तोड़ देते हैं। इन छोटे अखबारों के संकट का प्रमुख कारण यह भी है कि इनके हिस्से के विज्ञापन टेलीविजन और बड़े अखबार हड़प रहे हैं। सरकारी विज्ञापन इन्हें बहुत कम मिलते हैं। निजी क्षेत्र टेलीविजन की चमक-दमक से चौंधियाया हुआ है। अखबार की उत्पादन लागत भी इतनी हो गई कि एक मिशनरी पत्रकार के लिए अखबार निकालना 'फूंक झोपड़ी देख तमाशा' वाली बात हो गई है। केवल अखबार की प्रतियां बेचने से कोई अखबार नहीं चल सकता। उसके लिए विज्ञापन जरूरी है और विज्ञापन इनकी पहुँच से बाहर हो रहे हैं।

'खींचों न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।' यही भावना हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे नेताओं की और देश के चिंतकों की उस समय थी जब आजादी की तमन्ना और उपनिवेशवाद तथा स्वराज्यवाद के बीच मुकाबला शुरू हुआ था। हमारे क्रांतिकारियों ने भूमिगत छापेखाने खोले और बुलेटिन निकाले। पर्चे छपवाये। स्वयं गांधी जी ने हरिजन अखबार निकाला। हमारे नेताओं ने अखबार शुरू करके उनमें लेख लिखे जिससे आजादी की ज्वाला भड़की

और अन्ततः इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से खदेड़ दिया गया। उस समय के अखबारों के पास बड़ी-बड़ी मशीनें और आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं थी। आज के ये छोटे अखबार उसी श्रृंखला की अगली कड़ी हैं। इनमें से बहुत से अखबारों को फैक्स और इंटरनेट जैसी अतिआधुनिक प्रणालियां हासिल नहीं हैं। ऐसे में आज हमारे समाज और हमारी व्यवस्था का नैतिक दायित्व बनता है कि जो चिराग हमारे महान क्रांतिकारियों और महान नेताओं ने जलाया था उसे बुझने न दें। ये छोटे अखबार हमारी विरासत का हिस्सा हैं।

सरकार, समाज और स्वयं पत्रकारिता जगत में छोटे पत्रों के प्रति भ्रांतियां हैं। यही नहीं कुछ लोग संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में प्रिंट मीडिया को ही खतरे में मानने लगे हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आपसी प्रतिद्वन्द्वी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। रेडियो, टेलीविजन अपनी जगह है और अखबार अपनी जगह हैं। अखबार अपने आप में एक लिखित दस्तावेज होते हैं, जिनका कोई भी आसानी से संग्रह कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ यह सुविधा नहीं है। इसी प्रकार छोटे अखबार और बड़े अखबार भी एक-दूसरे के पूरक हैं। इन अखबारों में लम्बी दूरी और लघु दूरी वाली मिसाइल जैसी बात है। जहाँ पर बड़ा अखबार अपनी खबरें तथा सामग्री छोड़ता है वहीं से आगे और मुकाम तक सूचना पहुँचाने की जिम्मेदारी छोटे अखबार की होती है। बड़े अखबार के पास बहुत बड़ा इलाका होता है और वह उस इलाके की गली-कूचे की छोटी-मोटी खबर नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास इतना स्थान नहीं होता और इतने साधन भी नहीं होते इसलिए चप्पे-चप्पे पर उसकी पैनी निगाह नहीं हो सकती है।

छोटा अखबार जिस इलाके से निकलता है वह उस इलाके को माइक्रोस्कोप की तरह देखता है और दिखाता है। ये छोटे पत्र स्थानीय जनजीवन से जुड़े होते हैं तथा जन संघर्षों से भी तपे हुए होते हैं। ये अपने क्षेत्र की जनता की तकलीफों को आवाज देते हैं तथा क्षेत्रीय विकास में रचनात्मक भूमिका भी निभाते हैं। जबकि राष्ट्रीय अखबार राष्ट्रीय सामग्री देते हैं। इसी प्रकार दैनिक अखबार रोज की खबरें देता है तो साप्ताहिक पत्र तमाम घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण करता है। वह समाचार के साथ समाज को विचार भी देता है। पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक भिन्न-भिन्न प्रकार की विशेष सामग्री देकर पाठक का ज्ञानवर्धन करते हैं और साथ ही उसे मानसिक खुराक भी देते हैं। इसलिए किसी को किसी का प्रतिद्वन्द्वी मानना और किसी को कम तथा किसी को अधिक महत्वपूर्ण मानना उचित नहीं है। चूंकि इस समय सर्वाधिक संकट छोटे अखबारों या पत्रिकाओं पर है इसलिए जरूरत उन्हें हर हाल में बचाने की है।

छोटे अखबारों का की सबसे बड़ी समस्या उनका आर्थिक संकट है और वह अपने खर्चे पूरे करने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करते हैं। मौजूदा सरकारी विज्ञापन

नीति में भारी खामियां हैं। सरकारी विज्ञापनों का वितरण भी न्यायपूर्ण न होने की शिकायतें हैं। गलत नीतियों के कारण धन्धेबाज प्रसार संख्या के फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाकर ऊँची दरों पर विज्ञापन ले लेते हैं, जबकि सीधे सच्चे मिशनरी लोगों को कम दरों पर भी विज्ञापन नहीं मिल पाते। विज्ञापनों का वितरण राज्यों के मुख्यालयों पर होने के कारण वे प्राय: छोटे अखबारों तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर सरकार छोटे पत्रों को न्याय देना चाहती है तथा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का सही प्रचार कराना चाहती है तो उसे विज्ञापन व्यवस्था का विक्रेन्द्रीकरण कर जिला स्तर से विज्ञापन जारी करने चाहिए। अखबारों के सरकारी विज्ञापन मान्यता के लिए मंडल स्तर पर समितियों का गठन किया जाना चाहिए। विज्ञापन मान्यता भी बहुत सोच-समझकर और गहरी छानबीन कर ही दी जानी चाहिए। समय-समय पर अखबारों की नियमितता एवं अखबारों के स्तर की जांच से भी कुछ गड़बड़ियां दूर की जा सकती हैं। अखबारों की प्रसार संख्या की जाँच प्रक्रिया में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए।

पहले दो पैसे का टिकट लगा कर पाठक को अखबार भेजा जाता था। अब एक अखबार पर 15 पैसे का टिकट लगाना पड़ता है जो कि काफी अधिक है। खुले बाजार में अखबारी कागज की दरें आसमान छू रही हैं और छोटे अखबार वालों को यही महंगा कागज फुटकर विक्रेताओं से खरीदना पड़ता है। सरकार ने अखबारी कागज की कोटा प्रणाली तो शुरू की परन्तु उसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिस कारण छोटे अखबार वाले उस कोटे का लाभ नहीं उठा पाते, जबकि धंधेबाज वहाँ भी ऊँचा हाथ मार रहे हैं।

कोटा प्रणाली के तहत अखबारों को अपना सालभर का कोटा एक साथ उठाना जरूरी है और इतना कागज खरीदने के लिए छोटे अखबार वाले के पास इतना धन नहीं होता। इतना अधिक कागज सुरक्षित रखने के लिए स्थान की भी समस्या होती है। इन कमियों के कारण कुछ चालाक लोग अपना कोटा ब्लैक में बेच देते हैं। अगर सरकार सचमुच सस्ता कागज छोटे पत्रों को भी उपलब्ध कराना चाहती है तो उसे जिला स्तर पर डीलर नियुक्त कर अखबारों के लिए मासिक कोटे तय करने चाहिए।

छोटे अखबारों की आज जो दुर्दशा है उसके लिए कुछ आंतरिक कारण भी जिम्मेदार हैं। ये ऐसे कारण हैं जिनसे छोटे अखबारों का संकट भी बढ़ा है और पत्रकारिता कलुषित भी हुई है। कोई पढ़ा-लिखा है या नहीं है, उसे लिखना आता है या नहीं, परन्तु वह अखबार निकाल कर सम्पादक बन जाता है। किसी नेता को अपना प्रचार और पार्टी में रुतबा बढ़ाना हो तो, किसी को पुलिस तथा प्रशासन को धौंस देनी हो तो वह सीधे अखबार निकाल कर सम्पादक बन जाता है। किसी दफ्तर में चपरासी के पद के लिए भी कम से कम एक व्यक्ति का हाई स्कूल पास होना जरूरी है, परन्तु किसी पत्र का स्वयंभू सम्पादक बनने के लिए शैक्षिक योग्यता की

बाध्यता नहीं समझी गई है। इससे पत्रकारिता का स्तर भी गिरा और मिशनरी पत्रकारिता में लगे लोगों की मुसीबतें भी बढ़ीं। उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में अखबारी दुनिया में एक माफिया तंत्र खड़ा हो गया है। एक ही आदमी या परिवार दो-दो दर्जन अखबार निकाल रहा है। ये 'अखबार माफिया' सरकार से उतने अखबारों के विज्ञापन हड़पकर सरकार पर चूना लगा रहे हैं। ये लोग केवल अखबार का टाइटिल या मास्टहेड बदलवाकर 5-5 या 10-10 प्रतियाँ फाईल और सूचना विभाग के रिकार्ड के लिए छपवा देते हैं। ऐसे अखबार न तो पढ़ने लायक होते है और ना ही ये कभी पाठक तक पहुँचते हैं। देहरादून में ही कुछ छापेखाने ऐसे हैं जो कि एक ही मालिक के 20-20 अखबार आधे घंटे में छापकर दे देते हैं। इनके पास समाचार सामग्री भी रेडीमेड होती है। इसलिए 20 अखबारों के सम्पादक को एक शब्द भी नहीं लिखना-पढ़ना पड़ता है। ऊपर से नेतागिरी ऐसी कि उनकी जाँच करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है। पत्रकारिता के नाम पर इस अनाचार का एक पूरा तंत्र उत्तराखण्ड जैसे नये राज्यों में भी खड़ा हो गया है जोकि दीमक की तरह राज्य के संसाधनों को चाट रहा है।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा पहले भी बड़े अखबार निकाले जाते थे और आज भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि हमारे राष्ट्रीय पत्रों की भूमिका सराहनीय रही है फिर भी स्वाभाविक ही है कि जो बड़ा व्यवसायी करोड़ों रुपये खर्च कर अखबार निकालेगा उसका मकसद भी विशुद्ध व्यवसाय ही होगा। छोटे और बड़े पत्रों की भावनाओं में भी अंतर देखा जाता है। छोटे पत्रों में मिशनरी भावना अधिक देखी गई है इसलिए जरूरी है कि इन पत्रों को भरपूर प्रोत्साहन और संरक्षण मिले। पेशे के लिए समर्पित और जुझारू पत्रकारों के लिए आज भी रोजी-रोटी का संकट बरकरार है। जबकि धंधेबाज और दलाल किस्म के लोग पत्रकारिता के नाम पर चाँदी काट रहे है।

❑❑

समाचार क्या है?

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि समाचार जानना नहीं चाहता हो क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। समाचार की इतनी ग्राह्यता के कारण ही सूचना टेक्नोलॉजी इतनी अधिक विकसित हो गई है और मीडिया का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता पाने लगा है। वह इसलिए कि समाचार सीधे मनुष्य की जिज्ञासा से जुड़ा होता है। देखा जाए तो समाचार मनुष्य की भूख और प्यास की तरह ही एक नैसर्गिक आवश्यकता है। यह बात अलग है कि मनुष्य की रुचि में विविधता के कारण जिज्ञासाओं की मांग में भी विविधता आ जाती है और इसीलिए मीडिया भिन्न-भिन्न रुचियों के हिसाब से समाचार एकत्र कर परोसता है। अगर कोई निपट अनपढ़ भी है तो वह भी अपनी जरूरत की चीजों और आस-पास के बारे में जानकारी जरूर चाहता है। कुछ नहीं तो मरने जीने की खबर तो सभी जानना चाहते हैं।

अब सवाल उठता है कि समाचार है क्या? यह सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और देखा भी जाता है। इसका कोई भी माध्यम हो सकता है। समाचारों की विविधता और प्रमुखता के कारण अखबार को समाचार पत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में समाचार को न्यूज (NEWS) कहते हैं। इसकी व्याख्या नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एवं साउथ के रूप में भी की जाती है। यानी कि चारों दिशाओं (सर्वत्र) के बारे में जानकारी या सूचनाएं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि भी एक खबरची ही थे। उसके बाद महाभारत में संजय का जिक्र खबरची के रूप में आया। इसका मतलब है कि समाचार की जरूरत प्राचीन काल से महसूस की जाती रही है।

अंग्रेजी के News शब्द के पूर्वजों में NEWIS, NEWYES एवं NEWES थे। शोधकर्ताओं के अनुसार Newis शब्द 1423 में, Newyes शब्द 1485 में तथा NEWES शब्द 1523 के आसपास प्रकट हुए। अन्ततः 1550 में समाचार के लिए News शब्द का प्रयोग होने लगा।

समाचार लेखन में NEWS के अक्षरों की कुछ इस तरह से व्याख्या की जाती है—N - Newsworthy - क्या तथ्य या सामग्री समाचार बनने योग्य है? E - Emphasis- क्या इंट्रो में सबसे जरूरी बात है? W - Ws - क्या Ws (ककारों-क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन) के उत्तर स्टोरी में है? S - Source - जहाँ जरूरी हुआ वहाँ क्या स्रोत का उल्लेख है?

समाचार जगत के विद्वानों ने समाचार की अपने-अपने ढंग से परिभाषाएं दी हैं। जैसे—

1. कोई भी ऐसी घटना, जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो वह समाचार है।

2. पाठक जिसे जानना चाहते हैं, वह समाचार है।
3. पर्याप्त संख्या में लोग जिसे जानना चाहें वह समाचार है।
4. अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में हो वह समाचार है।
5. सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है जिसमें बहुसंख्यकों की अधिकतम रुचि हो।
6. समाचार वह है जिसे प्रस्तुत करने में किसी बुद्धिमान (समाचार पत्र के) व्यक्ति को सबसे अधिक संतोष हो और जो ऐसा है जिसे प्रस्तुत करने से पत्रकार को कोई आर्थिक लाभ तो न होता हो, परन्तु जिसके संपादन से ही उसकी व्यावसायिक कार्यकुशलता का पूरा-पूरा पता चलता हो।
7. संपादक की इस क्षमता की सबसे बड़ी कसौटी अस्पष्टताओं और दुरूहताओं की ओट में छिपे महत्वपूर्ण तथ्यों को इस ढंग से प्रस्तुत करना है कि उन तथ्यों को इस दुनिया के वे लोग भी समझ जायें, जिनमें अज्ञानता और लापरवाही ही भरी है और जिसमें विचारों के संघर्ष के प्रति रुचि का अभाव है।
8. समाचार की शास्त्रीय परिभाषा कुछ भी स्थिर की जाए किन्तु इतना तो निर्विवाद है कि साधारण व्यवहार से समाचार वह है जो समाचार पत्र में छपते हैं और समाचार पत्र वे हैं जिन्हें समाचार पत्र में काम करने वाले तैयार करते हैं।
9. समाचार घटना का विवरण है। घटना स्वयं में समाचार नहीं है।
10. समाचार गतिशील साहित्य है। समाचार पत्र समय के करघे पर इतिहास के बहुरंगे बेल-बूटेदार कपड़े को बुनने वाले तकुए हैं।

एक विद्वान ने समाचार की बड़ी गंभीर परिभाषा दी है। 'जिसे कहीं कोई दबाना चाह रहा हो, वह समाचार है तथा शेष विज्ञापन है।' इस एक पंक्ति में समाचार पत्र और उसके पाठक की अनुभूति का बड़ा मर्म छिपा हुआ है। यह समाचार की परिभाषा खोजी पत्रकारिता के लिए बेहद सटीक है।

आप किसी भी सामान्य समाचार पत्र को सामने रख कर खोलें तो उसके समाचारों में इतनी विविधता होती है कि आप समाचार को किसी एक परिभाषा में बांध नहीं पायेंगे। खासकर समय के साथ-साथ समाचारों का आकार-प्रकार, चरित्र और रूप रंग बदलता जा रहा है। फिर भी हम कुछ शब्दों में समाचार की परिभाषा इस तरह से देने का प्रयास कर सकते हैं कि 'समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना की अविलम्ब सूचना को कहते हैं जिसके बारे में लोग पहले प्रायः नहीं जानते हों लेकिन जिसे जानने की ज्यादा से ज्यादा लोगों में अभिरुचि हो।'

कहा जाता है कि बुराई में अधिक समाचार होते हैं क्योंकि लोगों का कौतूहल होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अगर एक पुरुष एक हमउम्र स्त्री से विवाह करता है तो वह सामान्य बात है। इस घटना में उस स्त्री-पुरुष के जानने वाले या

रिश्तेदार ही रुचि रखेंगे लेकिन अगर एक बुजुर्ग एक नवयौवना से विवाह कर ले तो इस बुराई में एक सनसनीखेज समाचार निकलता है। इस समाचार को वे भी पढ़ेंगे जो विवाह करने वालों को नहीं जानते हैं। खबरों की दुनिया में कहते हैं कि कुत्ता आदमी को काटे तो समाचार नहीं बनता लेकिन आदमी कुत्ते को काटे तो वह समाचार है। प्रायः घटनाओं से अधिक दुर्घटनाओं में समाचार तत्व अधिक होते हैं।

भारतीय पत्रकारिता के प्रकाण्ड विद्वान तथा 'नेशनल हेराल्ड' के पूर्व संपादक मनुकोण्डा चलपति राव ने समाचार की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी दे। वह जानकारी चाहे राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक हो। परिवर्तन में ही उत्तेजना है। श्री चलपति राव ने समाचार की उस पुरानी धारणा को बदलने पर जोर दिया जिसके अनुसार 'अगर कुत्ता आदमी को काटे तो वह समाचार नहीं बनता। हाँ यदि आदमी कुत्ते को काटे तो वह समाचार बन जाता है।' यह पश्चिमी देशों की परंपरा पर आधारित प्राचीन परिभाषा है। अब संचार क्रांति के युग में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और समाचार के बारे में मान्यताएं भी बदल रही हैं।

समाचार के तत्व

आमतौर पर समाचार के तत्वों में तात्कालिकता, निकटता, आकार, महत्व और विचित्रता शामिल होते हैं। जिन दिनों चुनाव हो रहे होते हैं उन दिनों चुनावी खबरें और चुनाव आयोग ही मीडिया में छाया हुआ रहता है। उसके बाद चुनाव आयोग भूला-बिसरा हो जाता है। अगर कहीं भूकंप की विनाशलीला हो गई तो उन दिनों मीडिया में भूकंप की घटना का विवरण तो होता ही है साथ ही भूकंप सम्बन्धी जानकारियों की भरमार भी होती है। वह इसलिए क्योंकि उन जानकारियों का या बयानों का या विचारों का तात्कालिक या सामयिक महत्व होता है। अगर प्रधानमंत्री उन दिनों कहीं भाषण देते हैं तो वह एक विभिन्न विषयों पर बोलेंगे। लेकिन कई विषयों पर बोलने के बाद भी उसके भाषणों की रिपोर्टिंग में भूकंप वाली बात को प्रमुखता मिलेगी। समाचार के दूसरे तत्व निकटता से अभिप्राय यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस अखबार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा अनुभव करें। भूकंप चमोली में 28 मार्च 1999 को आया जिसमें लगभग 100 लोग मरे उसके कुछ माह बाद एक विनाशकारी भूकंप टर्की में आया जिसमें 35000 से अधिक लोग मारे गये। पहले दिन तो दोनों भूकंपों को भारत की मीडिया ने बराबर कवरेज दी उसके बाद टर्की के भूकंप की खबरें बैनर खबर से सिमट कर 2 कॉलम और फिर एक कॉलम में अन्दर के पृष्ठों में चली गई। जबकि चमोली की विनाशलीला भारतीय अखबारों में कई दिनों तक प्रथम पृष्ठ पर छाई रही और वह जब अन्दर के पृष्ठों पर भी गई तो कई कॉलमों में गई। क्षेत्रीय अखबारों और स्थानीय अखबारों के लिए कम से कम

15 दिनों तक यह प्रथम पृष्ठ की सामग्री रही। माना कि हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उत्तराखण्ड के बारे में प्रसंगवश प्रधानमंत्री के मुँह से कुछ बात निकल जाती है तो वहाँ के संवाददाता उसे महत्व नहीं देंगे। अगर वहाँ पर कोई एजेंसी का संवाददाता है तो, उसने अगर कम महत्व देकर उत्तराखण्ड की बात शेष समाचार में जोड़ कर भेज दी और उसे एजेंसी मुख्यालय ने रिलीज कर दिया तो उत्तराखण्ड तथा उसके आसपास के अखबार सारे समाचार की अन्य बातों से अधिक उत्तराखण्ड की बात को प्रमुखता से छापेंगे। निकटता या स्थानीयता का महत्व रिपोर्टिंग में कम नहीं है। एक बार न्यूयॉर्क से एक खबर आई कि अमेरिका में भारतीय बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। एक छोटी सी बीड़ी का छोटा सा एक कॉलम का भी छोटा आकार का समाचार होना स्वाभाविक था। लेकिन इस छोटे से समाचार का भारत में तथा दुनिया के अप्रवासी भारतीयों के लिए बहुत महत्व था। इसलिए सभी ने बड़े आकार के समाचार छोड़ कर पहले इस छोटी सी खबर को पढ़ा होगा। भारत में ही इस बीड़ी के समाचार को कई तरह से पढ़ा गया होगा। बीड़ी पीने वालों ने तो इसे छोड़ा ही नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा था कि बीड़ी सिगरेट से अधिक खतरनाक है। यह समाचार उन्होंने भी पढ़ा होगा जिनके परिजन या मित्र बीड़ी पीते हैं। निकटता के तत्व को सम्बद्धता भी कह सकते हैं। जहाँ तक समाचार के आकार का प्रश्न है तो यह समाचार के महत्व पर निर्भर करता है। समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व उसका महत्व है। प्राय: किसी न किसी तरह महत्वपूर्ण घटनाएं, बातें या जानकारियां ही खबरें बनती हैं। एक रिपोर्टर के लिए समाचार के महत्व को बारीकी से परखने की आवश्यकता पड़ती है। महत्व सामयिक हो सकता है। महत्व स्थानीय और क्षेत्रीय हो सकता है तथा महत्व राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। इस तत्व को समाचार संकलन और समाचार लेखन के साथ ही संपादन के समय ध्यान में रखना जरूरी होता है। समाचार का एक और तत्व है विचित्रता! विचित्रता का मतलब अनोखा है। जो देखा न हो, सुना न हो या जिसके बारे में सोचा न गया हो। विचित्रता के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा अधिक होती है और इतनी बड़ी दुनिया में इतने विविधापूर्ण समाजों और समुदायों में तथा इतनी भिन्न-भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में विचित्रता हो ही जाती है। इन विविधताओं में प्राय: जो बात दुनिया के किसी कोने के लोगों के लिए सामान्य है वही बात दूसरे कोने के लोगों के लिए विचित्र हो जाती है। कई बार कुदरत भी विचित्रताएं पैदा करती है, जैसे किसी बच्चे की तीन टांगें हो गई या दो जुड़े हुए पैदा हो गये। दरअसल इन विचित्रताओं वाले समाचारों की सार्वभौमिकता अधिक होती है। ये समाचार छोटे होते हैं परन्तु इन्हें खूब पढ़ा और सुना जाता है।

एक विद्वान ने समाचार के तत्वों में जानकारी, नवीनता, बहुसंख्यकों की रुचि, उत्तेजक सूचना और परिवर्तन की सूचना को शामिल किया है। जबकि प्रख्यात पत्रकार

डॉ० नन्द किशोर त्रिखा ने समाचार के तत्व या जरूरी गुण–1. नवीनता और असामान्यता 2. अनपेक्षित भाव 3. आत्मीयता आकांक्षा 4. व्यक्तिगत प्रभाव 5. निकटता 6. करुणा और भय 7. धन 8. मानवीय पक्ष 9. सहानुभूति और 10. रहस्य माने हैं। उधर बलजीत सिंह भतीर ने समाचार के गुण या विशेषताओं में 1. नवीनता 2. स्थानीयता 3. प्रतिक्रिया 4. ख्याति 5. हिंसा 6. रहस्य 7. नारी या सैक्स एवं 8. आंकड़े को शामिल किया है।

पत्रकार प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने समाचार में आकर्षण के मूल गुण इस प्रकार माने हैं–1. नवीनता, 2. सामयिकता, 3. सामीप्य, 4. स्वहित, 5. धन, 6. काम वासना, 7. संघर्ष और रोमानी, 8. असाधारण, 9. वीर पूजा, 10. यथ, 11. रहस्य, 12. मानवीय गुणों का उद्वेग, 13. साहस के कार्य, 14. आविष्कार और खोज, 15. कुकृत्य, 16. प्रगति की कहानी, 17. नाटकीयता, 18. विशिष्टता, 19. परिणाम, 20. संस्कृति, 21. विकास, 22. स्वास्थ्य, 23. सुरक्षा, 24. बन्धुत्व, 25. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन।

दरअसल आज पत्रकारिता का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि पत्रकारिता या समाज को एक सीमा में और एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। एक सत्ताधारी नेता अगर कोई नई बात कह रहा है तो वह समाचार बन जाता है। वह नेता प्रायः एक जैसी बात भी करता है फिर भी उसकी कही बात समाचार बन जाती है। क्योंकि उस नेता की न्यूज वैल्यू होती है। वर्तमान प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहे उसे प्रमुखता दी जाती है लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और कूटनीतिशास्त्र की चाहे कितनी भी जरूरी बात कह दें, उसे प्रायः अखबारों में प्रथम पृष्ठ नहीं मिलता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वह बीच में कहीं होता है। समाचार का असली तत्व तो सत्य है। सत्य ही समाचार की आत्मा है या उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन कई बार नेता अपनी सफाई में तथा प्रतिद्वन्द्वी को नीचा दिखाने के लिए सफेद झूठ बोलता है फिर भी वह झूठ छप जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित भी हो जाता है। Celebrity का समाचार महत्व होता है।

वास्तव में पत्रकारिता जगत के विद्वानों ने समाचार के जितने गुण अपने अनुभवों के आधार पर बताये हैं वे सही हैं परन्तु इन सबमें सबसे बड़ा गुण सत्य है। वास्तव में सत्य ही समाचार है और यह सत्य किसी भी रूप में हो सकता है। सत्य अगर विचित्र है, नया दिखाई देता है और उसे जाना नहीं गया है तो वही समाचार है। समाचार के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के कारण समाचार की विश्वसनीयता स्थापित होती है। समाचार या पत्रकार का काम समाचार जानने वाले को गुमराह करना या निर्देशित करना नहीं, अपितु उसे सत्य से अवगत कराना होता है।

समाचार बोध और समाचार महत्व

समाचार बोध को अंग्रेजी में News Sense कहा जाता है। अगर समाचार की आत्मा सत्य है तो एक संवाददाता और संपादक की आंखें उसका समाचार बोध है।

देखा जाए तो यह आंख से भी अन्दर की बात है। समाचार बोध बाहर से दिखने वाली आंखें नहीं, बल्कि ज्ञान के चक्षु हैं जिसमें यह ज्ञान चक्षु नहीं वह असली पत्रकार नहीं हो सकता। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि मनुष्य की प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं। उनकी सोच भी भिन्न होती हैं। उनकी रुचियां भी भिन्न होती हैं। कोई किसी को महत्वपूर्ण मानता है तो कोई किसी चीज को शास्वत सत्य मानता है। यह विविधता एक प्राकृतिक गुण है लेकिन समाचार बोध में यह विविधता नहीं होनी चाहिए। समाचार बोध महसूस तो किया जा सकता है परन्तु इसका वर्णन करना कठिन है। यह sense एक रिपोर्टर के अवचेतन सूत्र से आता है। प्रायः समाचार की पहचान तथा समाचार महत्व को नापने की क्षमता को ही समाचार बोध कहते हैं।

जहाँ तक सवाल समाचार महत्व का है तो महत्व के हिसाब से ही समाचार बनता है और महत्व कई बातों पर निर्भर करता है। किसी समाचार में जितने अधिक गुण होंगे, उसका उतना ही अधिक महत्व होगा। प्रायः समाचार का स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व होता है। समाचार के महत्व को निम्न बातों पर मापा जा सकता है—1. परिवर्तन 2. टकराव या द्वन्द्व 3. हादसा या दुर्घटना 4. प्रगति 5. घटना का परिणाम या परिणाम का भय 6. घटना के कारण 7. घटना या व्यक्ति का महत्व तथा ख्याति 8. समय आने के पहले बताना 9. सामयिकता या स्थानीयता 10. मानवीय रुचि।

❑❑

संदर्भ चार

आजादी की जद्दोजहद वाले और आज की सूचना प्रोद्यौगिकी के दौर में सुविधाओं की दृष्टि से जमीन-आसमान का अंतर आ गया है। आज मीडिया ने स्वयं को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया है। आज मीडिया की ताकत असाधारण रूप से बढ़ गयी है तो उसकी जिम्मेदारी में भी उतनी ही वृद्धि हो गयी है। इसके साथ ही आज बाजारवाद और मीडिया घरानों के व्यावसायिक हितों, राजनीतिक आकाओं के हितों तथा मीडिया के बल पर रातोंरात मालामाल बनने की चाह को लेकर मीडिया की नीयत पर सवाल उठने भी शुरू हो गये हैं। प्रस्तुत खण्ड में मीडिया संबंधी कुछ कानूनी प्रावधानों का परिचय दिया गया है। ......

कर्मभूमि

...ढ़वाल-सत्याग्रह से प्रतिबन्ध उठा लिया गया!
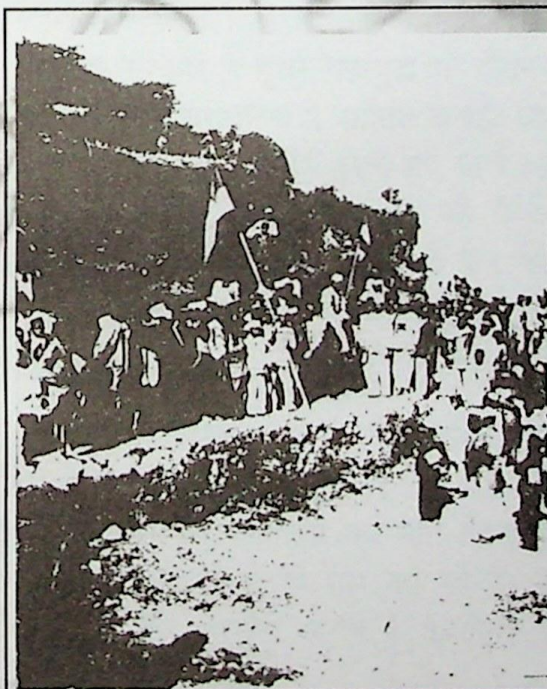
पत्रकारिता और कानून

हमारे देश में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का जन्म ही अंग्रेजी हुकूमत के अन्यायों का विरोध करने के उद्देश्य से हुआ था। ये पत्र अंग्रेजों की असलियत देशवासियों के समक्ष रख कर जनमत तैयार करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों द्वारा इनकी शक्ति को क्षीण करने, कुण्ठित करने और उन्हें लगाम देने के लिए शुरू से ही कानून बनाये जाते रहे हैं।

अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1878 में भाषाई समाचार पत्र अधिनियम (Vernacular Press Act 1878) बनाया। इसके बाद इसी उद्देश्य के लिए इण्डियन स्टेट्स एक्ट 1922 (Indian States Act 1922) बना फिर सरकारी गोपनीयता कानून 1923 (Official Secrets/Act 1923) बना। इसके बाद इण्डियन प्रेस (इमरजेंसी पावर) एक्ट 1931 (Indian Emergency Power) Act 1931), फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1932 (Foreign Regulation Act 1932), इण्डियन प्रोटेक्ट एक्ट 1934 (Indian Protect Act 1934) एवं न्यूजपेपर्स इन्साइट टु ऑफिसेज एक्ट-7-1908, इण्डियन प्रेस एक्ट 1901 (Indian Press Act 1901) आदि बनाकर भारतीय पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया।

ब्रिटिश सरकार ने दूसरे महायुद्ध के दौरान मजबूर होकर भारतीय प्रेस का सहयोग लेने के लिए प्रेस परामर्शदात्री समिति बनाई। अन्ततः स्वतंत्र भारत के गौरव के अनुसार स्वतंत्र पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए मार्च 1947 में समाचार पत्र कानून जांच समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिश पर अनेक कानून रद्द किये गये, लेकिन अंग्रेजों के कुछ कानून आज भी प्रेस की आजादी में खलल डालने तथा सूचना के नैसर्गिक अधिकार को प्रभावित करने के लिए मौजूद हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता या अधिकारों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद (19)(1)(क) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को मान लिया जाता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक नागरिक को भी है तो प्रेस को भी है। क्योंकि प्रेस एक नागरिक की ओर से उस स्वतंत्रता को उपभोग करती है, इसलिए प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रेस के लिए ही है।

उक्त अनुच्छेद में कहा गया है कि 'समस्त नागरिकों को अधिकार होगा कि वे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठा सकें। किन्तु इसका प्रभाव राज्य

के न तो वर्तमान किसी कानून पर पड़ेगा और न राज्य को ऐसा कानून बनाने से रोका जा सकेगा जिसके द्वारा भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों से मैत्री सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में अथवा न्यायालय के अपमान, मानहानि या अपराध को बढ़ावा देने से सम्बन्धित उचित रोकथाम लागू की गई हो।'

इसी के साथ ही अनुच्छेद 105 और 194 में यह प्राविधान भी है कि संसद और विधान मण्डलों की कार्यवाही या उसके किसी अंश के प्रकाशन पर रोक लगाई जा सकती है और सदन की अवमानना या विशेषाधिकारों की अवहेलना के लिए लोगों को दण्डित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अधिकार दिये गये हैं उनके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निष्प्रभावी किया जा सकता है।

प्रेस और कानून

हमारे देश के पत्रकार को आज भी ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट अथवा डिफेमेशन लॉ यहाँ तक कि इण्डियन इवीडेन्स एक्ट (1872) के सेक्शन 122 से 126 तक में किसी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अतः प्रत्येक भारतीय पत्रकार को ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट 1963 (Official Secrets Act 1963) की जानकारी भी आवश्यक है। जिसमें जासूसी और गुप्त सूचनाओं के अनुचित संचार को रोकने की भी व्यवस्था है। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार व्यक्ति पर अनेक प्रकार के अवरोध लगाये गये हैं। जिनकी जानकारी पत्रकार को भी होनी चाहिए। इस सेक्शन के अनुसार वर्ज्य (Prohibited) स्थान में जाना व निरीक्षण वर्ज्य है। साथ ही साथ वहाँ का कोई स्केच, प्लान, मॉडल या ऐसा कुछ नोट करना भी वर्ज्य है। जो शत्रु के लिए किसी भी रूप में उपयोगी हो सकता है। ऐसे मामले में जमानत भी संभव नहीं है। जैसा कि C.R.P.C. की धारा 418 में प्राविधान है। इस एक्ट के सेक्शन 5 के अन्तर्गत किसी गुप्त दस्तावेज की गोपनीयता भंग का दण्ड भी है। जिसमें 14 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है। इस एक्ट के अन्तर्गत बजट आउट कर देने वाले समाचार पत्र को भी दण्डित किया जा सकता है। इसी के अन्तर्गत स्टेट ऑफ केरल वर्सेज के० बालाकृष्णन और 'केरल कौमुदी' का मामला चला था। इस एक्ट के सेक्शन 14 में कोर्ट प्रोसीडिंग के सम्बन्ध में अवश्य सुविधा प्राप्त है। यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि C.R.P.C. में नए सम्बद्ध किये गये सेक्शन 198 बी में पब्लिक सर्वेण्ट समाचार पत्रों पर अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने पर मानहानि होने के कारण मुकदमा दायर कर सकता है। यह सरकारी पदाधिकारियों को एक प्रकार की विशेष सुरक्षा दी गई है। अतः इससे भी पत्रकारों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेस कानून की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता (1860) की धारा 499 मानहानि की स्थिति को समझने के लिए विशेष महत्व की है। इस धारा में

मानहानि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के सम्बन्ध में कोई आरोप लगाये या प्रकाशित करे और यह जानता हो या जानने की स्थिति में हो कि यह आरोप या लांछन उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचायेगा तो वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। इस धारा के चार स्पष्टीकरण हैं। तीन उदाहरण तथा दस अपवाद भी दृष्टव्य हैं।

डिफेन्स ऑफ इण्डियन एक्ट

1962 के क्लॉज 3 के अन्तर्गत सेक्शन 3 से भी समाचार पत्र और उसके मुद्रक प्रभावित हो सकते हैं। अत: डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट सिविल डिफेन्स, पब्लिक सेफ्टी, मेन्टीनेन्स ऑफ दी पब्लिक ऑर्डर तथा इफीशिएण्ट कण्डक्ट ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन अथवा मेन्टीनेन्स ऑफ एसेंसियल सप्लाइज एण्ड सर्विसेज सम्बन्धी समाचार, सूचनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार और जानकारी करने के पश्चात् ही प्रकाशित करने या न करने का निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि ऐसी दशाओं की गंभीरता के अनुसार सरकार द्वारा जमानत मांगी जा सकती है। समाचार पत्र पर रोक लगाई जा सकती है और प्रेस पर रोक लगाने के साथ ही सम्पत्ति पर भी कब्जा किया जा सकता है। पत्र को डाक, टेलीग्राफ संदेश, टेलीफोन की सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है और सेंसरशिप भी लागू हो सकती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को प्रेस (Objectionable Matters) एक्ट 1955 को पढ़ने के साथ ही इण्डियन पैनल कोड तथा C.R.P.C. के उन अंशों की जानकारी भी आवश्यक है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता से सम्बद्ध हैं। सेक्शन 124 ए से राज्य को प्रेरणा मिली, उसी का उपयोग 1956 में प्रेस पर नियन्त्रण के लिए पंजाब स्पेशल पावर एक्ट 499-502 I.P.C. में मानहानि को लेकर C.R.P.C. के सेक्शन 108 (और पूर्व कथित 295 ए में) पब्लिक ऑर्डर के नाम पर भी प्रेस की स्वतंत्रता बाधित या सीमित है। कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952 भी सभी पत्रकारों को कोर्ट से सम्बद्ध मामलों में अपनी 'सीमा रेखा' के भीतर रहकर काम करने के लिए विवश करता है। अन्यथा अदालत की अवमानना में पत्रकार भी दण्डित हो सकता है। यह एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। इण्डियन पैनल कोड सेक्शन 505 के सन्दर्भ में जो नये संशोधन किये गये हैं वे भी दृष्टव्य हैं क्योंकि इससे कानून का क्षेत्र पहले से भी विस्तृत हो गया है। साथ ही अपराध गैर जमानती भी है।

❑❑

मानहानि कानून

जब भी किसी व्यक्ति के मान और सम्मान को आरोप लगाकर या सरेआम उसका अपमान कर ठेस पहुंचाई जाती है तो ऐसे मामले में मानहानि का मामला बन सकता है। लेकिन इसमें नियम यह है कि ऐसी घटना सार्वजनिक तौर पर हुई हो। जब भी कोई व्यक्ति या अखबार या मीडिया ऐसी टिप्पणी करे, जिससे किसी के मान-सम्मान को ठेस पहुँचे तो यह टिप्पणी मानहानि के दायरे में आ सकती है। लेकिन कानूनी कार्यवाही के लिए जरूरी है कि टिप्पणी या तो मौखिक हो या फिर लिखित। अगर मौखिक तौर पर किसी के खिलाफ टिप्पणी हुई है तो यह टिप्पणी किसी के सामने होनी चाहिए। लेकिन किसी शख्स के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किसी अखबार के जरिए प्रकाशित की जाती है या फिर मीडिया के दूसरे माध्यम से उसे सार्वजनिक किया जाता है तो उस सूरत में भी वह मानहानि का मामला बन सकता है।

मानहानि एक कानूनी गलती है, जो एक व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा पर ठेस लगाने और उसके चरित्र को बगैर कानूनी प्रामाणिकता अथवा साक्ष्य के साथ कलुषित करने से होती है। निन्दा लेख और अपयश (दोनों ही मानहानि के प्रकार), अंग्रेजों के सामान्य कानून की उपज हैं, लेकिन भारतीय न्यायशास्त्र में ये एक-दूसरे से भिन्न संसाधित नहीं किए जाते। दंड सम्बन्धी कानून मानहानि को भारतीय दंड संहिता (धारा 499 एवं 500) के तहत दंडनीय अपराध मानता है।

एक नागरिक कार्यवाही में, वादी को ये साबित करने की जरूरत होती है कि प्रकाशित वक्तव्य किसी व्यक्ति के सम्मान को आहत कर रहा है। फिर प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर आ जाता है। उसे यह साबित करना होता है कि अभियोग पत्र अथवा वक्तव्य या तो सही था अथवा टिप्पणियाँ निष्पक्ष थी अथवा पूरी अथवा मर्यादित विशेषाधिकार वाली स्थितियों जैसे संसदीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बोला अथवा उल्लिखित किया गया। दंड कानून में, अभियोजन पक्ष पर निश्चित तौर पर ये साबित करने का भार रहता है कि अपराध मानहानि के इरादे से किया गया था।

तब ये आरोपी पर निर्भर होता है कि वह ये सिद्ध करे कि वे उन 10 अपवादों में से एक के द्वारा सुरक्षित है, जो धारा 499 के तहत सूचीबद्ध हैं। ये अपवाद काफी व्यापक हैं। वे तमाम तरह के संरक्षण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें शामिल हैं—एक सही तथ्य को किसी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक हित के लिए उल्लिखित करना, एक लोक सेवक के बारे में अच्छी भावना से एक विचार प्रस्तुत करना अथवा किसी के चरित्र पर एक अभियोगपत्र तैयार करना, लेकिन वह अच्छी भावना से किया गया हो और लोक हित के लिए हो। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के एक पहलू के रूप में अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता का संरक्षण करता है—(अनुच्छेद 19 के तहत), लेकिन उचित प्रतिबन्धों के तहत, जिसमें शालीनता और मानहानि शामिल है। मानहानि के मामले प्रायः राजनीतिक नेताओं द्वारा ज्यादा दायर किये जाते हैं, क्योंकि उनकी जनछवि पर ही उनका कैरियर निर्भर होता है। वे डराने के लिये भी अक्सर मानहानि के मुकदमें दायर करते हैं, ताकि उनकी छवि को छेड़ने की कोई हिम्मत न कर सके।

मानहानि पर कानूनी रास्ता

ऐसे मामले में जिसकी मानहानि हुई है, उसके पास दो विकल्प हैं। पहला यह कि वह क्रिमिनल या सिविल केस में से कोई एक मामला दायर कर सकता है। दूसरा यह कि वह क्रिमिनल और सिविल दोनों ही रास्ते अपना सकता है।

आपराधिक मानहानि का मामला आइ०पी०सी० की धारा 499 एवं 500 के तहत दर्ज कराया जाता है। इसके लिए शिकायती सीआरपीसी की धारा-200 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल करता है और वह आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत पेश करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाता है। शिकायती के सबूत एवं बयान से अगर अदालत संतुष्ट हो जाए तो वह आरोपी के खिलाफ मानहानि के मामले में समन जारी करता है और फिर केस चलता है। आपराधिक मानहानि या क्रिमिनल डिफेमेशन एक समझौतावादी अपराध का मामला होता है। यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में दोषी साबित होने के बाद ज्यादा से ज्यादा दो साल कैद की सजा का प्रावधान है।

शिकायती क्रिमिनल केस के साथ-साथ सिविल डिफेमेशन का मुकदमा भी कर सकता है। इसके लिए सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने का प्रावधान है। और इस प्रावधान के तहत वादी मुआवजे की माँग कर सकता है। मुआवजे के लिए उसके दावे पर प्रतिवादी को नोटिस जारी होता है और फिर केस चलता है। इस मामले में भी वादी को अपने दावे के पक्ष में सबूत पेश करने होते हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन दोनों केस अलग-अलग चलते हैं।

❑❑

भारतीय प्रेस परिषद्
(PRESS COUNCIL OF INDIA)

भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) एक संविधिक स्वायत्तशासी संस्था है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने एवं उसे बनाए रखने, जन अभिरुचि का उच्च मानक सुनिश्चित करने से और नागरिकों के अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति उचित भावना उत्पन्न करने के दायित्व का निर्वहन करती है। सन् 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद् की स्थापना की सिफारिश की थी और पहली बार 4 जुलाई, सन् 1966 को इसकी स्थापना हुयी थी। आन्तरिक आपातकाल के समय 1 जनवरी, 1976 को प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया गया था। सन् 1978 में नया प्रेस परिषद अधिनियम लागू हुआ और सन् 1979 में इसे नए सिरे से स्थापित किया गया। बदली हुयी परिस्थितियों में और खास कर इलैट्रानिक मीडिया के दमदार प्रवेश के बाद अब इस संस्था को मीडिया काउंसिल के नाम से संचालित करने की मांग उठने लगी है, ताकि प्रिंट के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया इस एक ही छतरी के नीचे आ सकें।

प्रेस परिषद का प्रमुख इसका अध्यक्ष होता होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज होता है। अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। परिषद के अधिकांश सदस्य पत्रकार बिरादरी से होते हैं, लेकिन इनमें से तीन सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार कांउसिल आफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं तथा पाँच सदस्य राज्यसभा और लोकसभा से मनोनीत किए जाते हैं। इनमें राज्य सभा से दो और लोकसभा से तीन सदस्य होते हैं।

प्रेस परिषद, पत्रकारिता के क्षेत्र से प्राप्त या पत्रकारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विचार करती है। परिषद सरकार सहित किसी समाचारपत्र, संवाद समिति, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है या उसकी भर्त्सना या निंदा कर सकती है। वह किसी सम्पादक या पत्रकार के आचरण को गलत ठहरा सकती है। परिषद के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

काफी मात्रा में सरकार से धन प्राप्त करने के बावजूद इस परिषद को काम करने की पूरी स्वतंत्रता है तथा इसके संविधिक दायित्वों के निर्वहन पर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

प्रेस परिषद अधिनियम 1978

प्रेस परिषद् की शक्तियाँ अधिनियम की धारा 14 और 15 में निम्नानुसार दी गई हैं।

परिषद की निधि

अधिनियम में दिया गया है कि परिषद, अधिनियम में अंतर्गत अपने कार्य करने के उद्देश्य से, पंजीकृत समाचारत्रों और समाचार एजेंसियों से निर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहण शुल्क ले सकती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को अपने कार्य करने के लिये, इसे धन, जैसा कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, देने का व्यादेश दिया गया है।

परिषद की शक्तियाँ

परिनिंदा करने की शक्ति

14.1 जहाँ परिषद् को उससे किए गए परिवाद के प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी समाचारपत्र या सामाचार एजेंसी ने पत्रकारिक सदाचार या लोक-रुचि के स्तर का अतिवर्तन किया है या किसी सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक अवचार किया है, वहाँ परिषद् सम्बद्ध समाचारत्र या समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस रीति से जाँच कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गये विनियमों द्वारा उपबन्धित हो और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, यथास्थिति उस समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकेगी, उसकी भर्त्सना कर सकेगी या उसकी परिनिंदा कर सकेगी या उस संपादक या पत्रकार के आचरण का अनुमोदन कर सकेगी, परंतु यदि अध्यक्ष की राय में जाँच करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो परिषद् किसी परिवाद का संज्ञान नहीं कर सकेगी।

14-2 यदि परिषद् की यह राय है कि लोकहित् में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह किसी समाचारपत्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह समाचारपत्र या समाचार एजेंसी, संपादक या उसमें कार्य करने वाले पत्रकार के विरुद्ध इस धारा के अधीन किसी जाँच से सम्बन्धित किन्हीं विशिष्टयों को, जिनके अंतर्गत उस समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार का नाम भी है उसमें ऐसी नीति से जैसा परिषद् ठीक समझे प्रकाशित करे।

14-3 उपधारा 1, की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह परिषद् को किसी ऐसे मामले में जाँच करने की शक्ति प्रदान करती है जिसके बारे में कोई कार्रवाई किसी न्यायालय में लम्बित हो।

14-4 यथास्थिति उपधारा 1, या उपधारा 2, के अधीन परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

परिषद् की साधारण शक्तियाँ

14-5 इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन या कोई जाँच करने के प्रयोजन के लिए परिषद् को निम्नलिखित बातों के बारे में संपूर्ण भारत में वे ही शक्तियाँ होंगी

जो वाद का विचारण करते समय 1908 का 5, सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निहित हैं, अर्थात—

(क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा करना,

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण,

(ग) साक्ष्य का शपथ कर लिया जाना,

(घ) किसी न्यायालय का कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना,

(ङ) साक्षियों का दस्तावेज़ की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,

(च) कोई अन्य विषय जो विहित जाए।

2, उपधारा 1, की कोई बात किसी समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को उस समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित या उस समाचार ऐजेंसी, संपादक या पत्रकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट किये गये किसी समाचार या सूचना का स्रोत प्रकट करने के लिए विवश करने वाली नहीं समझी जायेगी।

1860 का 45, 3, परिषद् द्वारा की गयी प्रत्येक जाँच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

4, यदि परिषद् अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, आचरण के संबंध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे०आर० मधोलकर, परिषद के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने 16 नवम्बर, 1966 से 1 मार्च, 1968 तक परिषद् की अध्यक्षता की। इसके पश्चात न्यायमूर्ति श्री एन० राजगोपाला अय्यंगर 4 मई, 1968 से 1 जनवरी, 1976 तक, न्यायमूर्ति श्री एन०एन० ग्रोवर 3 अप्रैल, 1979 से 9 अक्टूबर, 1985 तक, न्यायमूर्ति श्री एन०एन० सेन 10 अक्टूबर, 1985 से 18 जनवरी, 1989 तक, न्यायामूर्ति श्री आर. एस. सरकारिया 19 जनवरी, 1989 से 24 जुलाई, 1995 तक, श्री पी०बी० सावंत 24 जुलाई, 1995 से और फिर न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू अब तक परिषद् के अध्यक्ष रहे हैं। ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इन सभी ने परिषद् के दर्शन और कार्यों में गहन वचनबद्धता के साथ, परिषद् का मार्गदर्शन किया।

परिषद् की कार्यप्रणाली

परिषद् मूलतः अपनी जाँच समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती है तथा पत्रकारिता नियमों के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरुद्ध अथवा प्राधिकारियों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के लिए ब्रेक्स से प्राप्त शिकायतों पर निर्णय देती है। परिषद् में

शिकायत दर्ज करने की नियत प्रक्रिया है। एक शिकायतकर्ता के लिये अनिवार्य है कि वह प्रतिवादी समाचारपत्र के संपादक को लिखकर उनका ध्यान प्रथमत: पत्रकारिता नीति के उल्लंघन अथवा लोकरुचि के विरुद्ध अपराध की ओर आकृष्ट करे। शिकायत किये गये मामले की परिषद् को कतरन भेजने के अतिरिक्त शिकायतकर्ता के लिये यह घोषणा करना आवश्यक है कि उन्होंने अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार परिषद् के समक्ष संपूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर दिये हैं तथा शिकायत में कथित किसी विषय में किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है और यह कि यदि परिषद् के सम्मुख जाँच लंबित होने के दौरान शिकायत में कथित कोई मामला न्यायालय की किसी कार्यवाही का विषय बन जाता है तो वे तत्काल इसकी सूचना परिषद् को देंगे। इस घोषणा का कारण यह है कि अधिनियम की धारा 14, 3, को देखते हुए परिषद् ऐसे किसी मामले में कार्यवाही नहीं कर सकती जोकि न्यायाधीन हो।

यदि परिषद के अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि जाँच के पर्याप्त आधार नहीं है, तो शिकायत खारिज कर, परिषद् को इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अन्यथा समाचारपत्र के संपादक अथवा सम्बद्ध पत्रकार से कारण बताने के लिए कहा जाता है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये। संपादक अथवा पत्रकार से लिखित वक्तव्य तथा अन्य सम्बद्ध सामग्री प्राप्त होने पर, परिषद् का सचिवालय, जाँच समिति के सम्मुख मामला रखता है। जाँच समिति विस्तार से शिकायत की जाँच और परीक्षण करती है। यदि आवश्यक हो, तो यह दोनों पक्षों से अन्य विवरण अथवा दस्तावेजों की माँग करती है। पार्टियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अथवा कानूनी पेशेवर सहित अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से जाँच समिति के सम्मुख साक्ष्य देने का अवसर दिया जाता है। उपलब्ध तथ्यों और जाँच समिति के सम्मुख दिये गये शपथपत्रों अथवा मौखिक साक्ष्य के आधार पर समिति अपनी उपलब्धियाँ और सिफारिशें तैयार करती है और परिषद् के सम्मुख रखती है जोकि उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है । जहाँ परिषद् संतुष्ट होती है कि एक समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी ने पत्रकरिता नीति के स्तरों अथवा जनरुचि का उल्लंघन किया है अथवा एक संपादक अथवा श्रमजीवी पत्रकार ने व्यावसायिक कदाचार किया है, तो परिषद् जैसी स्थिति हो, समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक अथवा पत्रकार की परिनिन्दा, भर्त्सना कर सकती है अथवा उन्हें चेतावनी दे सकती है अथवा उनके आचरण का अनुमोदन कर सकती है। प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस द्वारा दर्ज शिकायतों में, परिषद् को सरकार सहित किसी प्राधिकारी के आचरण के सम्बन्ध में ऐसी टिप्पणियाँ, जैसी वह उचित समझे, करने का अधिकार है। परिषद् के निर्णय अंतिम होते हैं और किसी विधि न्यायालय में उन पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अत: इस प्रकार परिषद् को अत्यधिक नैतिक प्राधिकार हैं। यद्यपि इसके पास कानूनी रूप से देने के लिये दंडात्मक अधिकार नहीं है।

परिषद् द्वारा तैयार किये गये जाँच विनियम, अध्यक्ष को प्रेस परिषद् अधिनियम की परिधि में आने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में मूल कार्यवाही करने अथवा किसी पार्टी

को नोटिस जारी करने का अधिकार देते है। सामान्य जाँच के लिये शिकायतकर्ता द्वारा परिषद् के सम्मुख एक शिकायत दर्ज करनी होती है, इसके अलावा मूल कार्यवाही के लिए काफी हद तक वही प्रक्रिया होती है जैसाकि सामान्य जाँच में होती है। अपने कार्य करने के लिये अथवा अधिनियम के अंतर्गत जाँच करने के लिये, परिषद् निम्नलिखित मामलों के सबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत एक मुकदमें की छानबीन के लिये सिविल न्यायालय में निहित कुछ अधिकारों का इस्तेमाल करती है।

(क) लोगों को समन करने और उपस्थिति हेतु दबाव डालने तथा शपथ देकर उनका परीक्षण करने हेतु।

(ख) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता हेतु।

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति हेतु।

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा इसकी प्रतियों की माँग हेतु।

(ङ) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य मामला, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाये।

परिषद् अपना कार्य करने के लिये पार्टियों से सहयोग की आशा करती है। कम से कम दो मामलों में, जहाँ परिषद् ने गौर किया कि पार्टियाँ (पक्ष) एकदम असहयोगी अथवा कठोर थीं, वहाँ परिषद् ने अत्यधिक संयम एवं अनिच्छा से, अपने समक्ष उपस्थित होने और अथवा रिकार्ड आदि देने हेतु उन्हें विवश करने के अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अपने प्राधिकार का इस्तेमाल किया। चण्डीगढ़ के कुछ पत्रकारों की मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के विरुद्ध शिकायत में, परिषद् द्वारा भेजे गये नोटिस का जवाब देने में प्राधिकारियों द्वारा असमर्थ रहने पर, उन्हें प्राधिकारियों को परिषद् के बल प्रयोग संबंधी अधिकारों के इस्तेमाल के बारे में, पहले परिषद् को चेतावनी देनी पड़ी। इसी प्रकार बी०जी० वर्गीज के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' के विरुद्ध चर्चित मामलें में, अखबार के मालिकों को वर्गीज और के०के० बिरला के बीच हुआ पूर्ण पत्राचार प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

एक समाचारपत्र, जिसे परिषद् द्वारा तीन बार परिनिंदित किया गया था, के मामले में कुछ अवधि हेतु डाक की रियायती दरों अथवा अखबारी कागज के वितरण, विज्ञापनों, मान्यता के रूप में कुछ सुविधाएँ और रियायतें न देने पर सम्बद्ध प्राधिकारियों से सिफारिश करने का परिषद् को अधिकार दिये जाने के लिए, परिषद् ने 1980 में अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया था।

प्राधिकारियों की ओर से परिषद् की सिफारिशों के स्वीकृति की अनिवार्य होने की माँग की गई। इसके अतिरिक्त परिषद् का विचार था कि, समाचारपत्रों के मामलों के समान प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 15 (4) के अंतर्गत, सरकार सहित किसी प्राधिकरण के आचरण का सम्मान करते हुए अपने किन्हीं निर्णयों अथवा रिपोर्टों में, ऐसी टिप्पणियाँ,

जैसी वह उचित समझे, करने के परिषद् के अधिकार में ऐसे प्राधिकारियों को चेतावनी देने, उनकी भर्त्सना करने अथवा उन्हें परिनिंदित करने के अधिकार भी शामिल होना चाहिए और यह कि, इस सम्बन्ध में परिषद् की टिप्पण्यों को संसद के दोनों सदनों और अथवा सम्बद्ध राज्य के विधान के सम्मुख रखा जाना चाहिए। वर्ष 1987 में, परिषद् ने मामले पर पुनर्विचार किया और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात दंडात्मक अधिकार हेतु प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय किया क्योंकि इस संबंध में पुनर्विचार किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये प्राधिकारियों द्वारा इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता था।

तभी से, बार-बार, सुझाव संदर्भ परिषद् को दिये गये हैं कि चूककर्ता समाचारपत्रों या पत्रकारों को दंड देने के लिए परिषद् के पास दंडात्मक अधिकार होने चाहिए। इस सम्बन्ध में परिषद् की ओर से विचार आता रहा है कि अधिनियम की विद्यमान योजना के अंतर्गत इसे दिये गये नैतिक अधिकार पर्याप्त हैं। अक्टूबर, 1992 में नई दिल्ली में प्रेस परिषदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में सूचना और प्रसारण केन्द्रीय मंत्री द्वारा यह सुझाव दोहराया गया, परंतु परिषद् नें निम्मिलिखित कारणों से इसे सर्व सम्मति से अस्वीकार कर दिया।

यदि परिषद् को दंड देने/जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया जाता तो यह दंड देने के अधिकार के समान होता जो कि केवल तभी लागू होता है जब प्रेस द्वारा सरकार तथा इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं। सार्थक दंड देने का अधिकार कई मामलों को उठाता है जिनमें क-प्रमाण का दायित्व, ख-प्रमाण का स्तर, ग-कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार और लागत, और घ-समीक्षा अथवा अपील उपलब्ध होगी अथवा नहीं, शामिल हैं। इन मामलों में से सभी अथवा किसी एक का प्रभाव मूल आधार के विरोध में हो सकता है कि प्रेस परिषद शिकायतों की सुनवाई के लिये लोकतांत्रिक, प्रभावी और सस्ती सुविधा प्रदान करती हैं और यह कि परिणामी अनिवार्यता यह होगी कि इसके परिणामस्वरूप प्रेस परिषद औपचारिकता, लागत और पहुँच की जानी-मानी समस्याओं और न्यायिक अधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय बन जायेंगे और समान रूप से विलंब होगा जिससे प्रेस परिषद् का मूल उद्देश्य विफल हो जायेगा।

दिसम्बर 1992 में, परिषद् को केन्द्रीय सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें इस विषय पर परिषद् के विचार माँगे गये कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि, साम्प्रदायिक लेखों के सम्बन्ध में मार्गनिर्देशों के उल्लंघन हेतु प्रेस परिषद् द्वारा परिनिंदित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन जैसे विज्ञापन आदि से वंचित रखा जा सकता है, कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट की जा सकती है, और क्या प्रेस परिषद् यह सुझाव देने की स्थिति में होगी कि जब यह एक समाचारपत्र/पत्रिका को मार्गनिर्देशों के उल्लंघन का दोषी ठहराती है तब क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। परिषद् ने जून, 93 की अपनी बैठक में, परिषद् को दंडात्मक अधिकार दिये जाने के विरुद्ध विगत समय में इसके द्वारा लिये गये

स्टैंड के प्रकाश में मामले पर विचार किया। मामले पर गहराई से विचार करने पर, परिषद् ने अनुभव किया कि इस समय परिषद् द्वारा जिस नैतिक अधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह काफी प्रभावी है और प्रेस को आत्म नियमन का मार्ग दिखाने में दंडात्मक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि परिषद् ने निर्णय किया कि यदि एक समाचारपत्र तीन वर्षों में किसी प्रकार के अनैतिक लेखन के लिये दो बार परिनिंदित किया जाता है, तब ऐसे निर्णयों की प्रतियाँ भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव और सम्बद्ध राज्य सरकार के मुख्य सचिव, को सूचनार्थ और ऐसी कार्यवाही, जैसा कि वे अपने विवेक और मामले की परिस्थितियों में उचित समझें, हेतु भेजी जानी चाहिए। परिषद् ने निर्णय किया कि तीन वर्षों की अवधि को दूसरी बार परिनिंदा की तारीख से उल्टे गिनते हुए पूर्ववर्ती तीन वर्षों के रूप में लिया जायेगा।

आचार संहिता

प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 13(2) (ख) द्वारा परिषद् को समाचार कर्मियों की सहायता तथा मार्गदर्शन हेतु उच्च व्यावसायिक स्तरों के अनुरूप समाचारपत्रों/समाचार ऐजेंसियों और पत्रकारों के लिये आचार संहिता बनाने का व्यादेश दिया गया है। ऐसी संहिता बनाना एक सक्रिय कार्य है जिसे समय और घटनाओं के साथ कदम से कदम मिलाना होगा।

यह प्रावधान संकेत करता है कि प्रेस परिषद् द्वारा मामलों के आधार पर अपने निर्णयों के जरिये संहिता तैयार की जाये। परिषद् द्वारा जनरुचि और पत्रकारिता नीति के उल्लंघन शीर्षक के अंतर्गत भारतीय विधि संस्थान के साथ मिलकर पहले वर्ष 1984 में अपने निर्णयों/मार्गनिर्देशों के जरिये व्यापक सिद्धातों का संग्रह तैयार किया गया था। सिद्धांतों का यह संकलन परिषद् के निर्णयों अथवा अधिनिर्णयों अथवा इसके अथवा इसके द्वारा अथवा इसके अध्यक्ष द्वारा जारी मार्गनिर्देशों से चुना गया है। वर्ष 1986 में, सरकार और इसके प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों अथवा मामलों, जो कि दूरगामी और महत्वपूर्ण प्रकृति के थे और जिसमें सरकार सहित किसी प्राधिकारी के आचरण का सम्मान करते हुए टिप्पणियाँ शामिल थीं, में निर्णयों और सिद्धांतों से सम्बद्ध प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन शीर्षक के अंतर्गत संकलन का दूसरा भाग प्रकाशित किया गया।

वर्ष 1986 से संहिता निर्माण की त्वरित प्रकिया सहित शिकायतों की संस्थापना और प्रेस परिषद् द्वारा उनके निपटान में लगातार वृद्धि होती रही है। 1992 में परिषद् ने पत्रकारिता नीति निर्देशिका प्रस्तुत की जिसमें परिषद् द्वारा जारी मार्ग निर्देशों और निर्णयों से छाँटकर लिये गये पत्रकारिता नीति सिद्धांत हैं। चूँकि तब से परिषद् द्वारा प्रेस के अधिकारों और दायित्वों से सम्बद्ध कई अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये हैं, मार्ग निर्देशिका का 162 पृष्ठों का विस्तृत और व्यापक दूसरा संस्करण जारी किया जा चुका है। इसमें निजता के अधिकार की संकल्पना भी दी गई है और इस संबंध में तथा मार्गदिग्दर्शन हेतु उच्च व्यावसायिक स्तरों के अनुरूप समाचार पत्रों के लिये मार्ग निर्देश भी विनिर्दिष्ट किये गये

हैं। प्रेस, सार्वजनिक कर्मचारियों और लोकप्रिय व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु इसके कुछ पहलुओं में मानहानि कानून का भी सहयोग लिया गया है। परिषद् ने नगरपालिका समिति के सार्वजनिक पदाधिकारियों की कथित मानहानि के संबंध में महत्वपूर्ण अधिनिर्णय दिया कि प्रेस अथवा मीडिया के विरुद्ध नुकसान हेतु कार्यवाही का उपचार, सरकारी पदाधिकारियों को उनकी सरकारी ड्यूटी के निर्वाह से सम्बद्ध उनके कार्यों और आचरण के सम्बन्ध में, जब तक कि पदाधिकारी यह स्थापित न करे कि प्रकाशन, सत्य का आदर और परवाह न करते हुए, किया गया था। ऐसे मामले में बचाव पक्ष मीडिया अथवा प्रेस के सदस्य के लिये यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि उन्होंने तथ्यों के समुचित सत्यापन के पश्चात कार्य किया, उनके लिये यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह सत्य है। परन्तु जहाँ यह सिद्ध होता है कि प्रकाशन दुर्भावना अथवा व्यक्तिगत बैर से प्रवृत्त और झूठा है, वहाँ बचाव पक्ष के लिये कोई बचाव नहीं होगा और नुकसान हेतु उत्तरदायी होगा। हालाँकि एक सार्वजनिक पदाधिकारी को उन मामलों में जोकि उनकी ड्यूटी के निर्वाह से सम्बद्ध न हों, वही सुरक्षा मिलती है, जैसा कि किसी अन्य नागरिक को मिलती है। हालाँकि न्यायपालिका, संसद और राज्य विधानमंडल इस नियम का अपवाद हैं क्योंकि पूर्ववर्ती इसकी अवमानमा हेतु दंड के अधिकार से सुरक्षित है और उत्तरवर्ती संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के अंतर्गत विशेषाधिकारों से सुरक्षित है। परिषद् ने मार्गनिर्देशिका में आगे दिया है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 अथवा कोई समान अधिनियमन अथवा उपबंध जिसे कानूनी शक्ति प्राप्त हो, प्रेस अथवा मीडिया पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यह भी दिया गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जोकि प्रेस/मीडिया पर पूर्व नियंत्रण रखने अथवा वर्जित रखने का राज्य अथवा इसके अधिकारियों को अधिकार देता हो।

सार्वजनिक पदाधिकारी के निजता के दावे के संबंध में, परिषद् ने निर्दिष्ट किया है कि यदि सार्वजनिक पदाधिकारी की निजता और उनके निजी आचरण, आदतों व्यक्तिगत कार्यों और चरित्र की विशेषताओं, जिनका टकराव अथवा संबंध उनकी शासकीय ड्यूटी के समुचित निर्वाह से हो, के बारे में जानने के जनता के अधिकार के मध्य टकराव हो, तो पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती के सामने झुकना चाहिए। हालाँकि, व्यक्तिगत निजता के मामलों में, जोकि उनकी शासकीय ड्यूटी के निर्वाह से सम्बद्ध नहीं है, सार्वजनिक पदाधिकारी को वही सुरक्षा मिलती है जो कि किसी अन्य नागरिक को मिलती है।

यह मार्गनिर्देशिका कुल मिलाकर विधि सम्बन्धी, नैतिक और सदाचार सम्बन्धी समस्याओं जो कि प्रतिदिन समाचारपत्रों के मालिकों, पत्रकारों संपादकों का विरोध करती है, के माध्यम से सुरक्षा और जिम्मेवारी का मार्ग सुझाती है। मार्गनिर्देशिका अकाट्य सिद्धान्तों का संकलन नहीं है बल्कि इसमें व्यापक सामान्य सिद्धान्त हैं, जोकि प्रत्येक मामले की परिस्थिति को देखते हुए समुचित विवेक और अनुकूलन के साथ लागू किये जाते हैं, तो वे व्यावसायिक ईमानदारी के मार्ग सहित पत्रकारों को उनके व्यवसाय के संचालन को

आत्म-संयमित करने में उनकी सहायता करेंगे। किसी भी तरह ये थकाऊ नहीं हैं, न ही इनका अभिप्राय सख्ती है, जोकि प्रेस के स्वतंत्र कार्य में बाधा डाले।

बृहद-सिद्धांतों का विकास

पत्रकारिता के स्तरों और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों के बारे में विभिन्न विषयों पर अपने निर्णय के सिलसिले में परिषद् द्वारा विकसित किये गये कुछ बृहद सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार दिया गया है—

सांप्रदायिक लेख

संप्रदायों और व्यक्तियों पर अपमानजनक और उत्तेजक हमले नहीं किये जाने चाहिए। अफवाहों पर आधारित सांप्रदायिक घटनाओं पर कोई भी समाचार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार महत्वपूर्ण चूक करते हुए विकृत रिपोर्टिंग करना सही नहीं होगा। जहाँ शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से किसी संप्रदाय की सही शिकायत को दूर करने के इरादे से इस ओर ध्यानाकृष्ट करना प्रेस का वैध कार्य है, वहीं शिकायतों की खोज, अथवा इन्हें बढ़ा चढ़ाकर नहीं देना चाहिए, विशेष रूप से उन शिकायतों को, जिनमें सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने की क्षमता हो। स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करने में यह अत्यधिक लाभदायक होगा यदि सनसनीखेज उत्तेजक और खतरनाक शीर्षकों को छोड़ दिया जाये और हिंसा अथवा बर्बरता के कार्यों की रिपोर्ट इस प्रकार से की जाये कि राज्य की कानून और व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम न हो तथा इसके साथ-साथ इसमें ऐसे कार्यों को हतोत्साहित करने और उनकी निंदा करने का प्रभाव हो। एक संप्रदाय को बदनाम करना गंभीर मामला है और यह राष्ट्र विरोधी गतिविधि के समान है।

विगत गलतियों को दोहराने के विरुद्ध वर्तमान पीढ़ी को चेतावनी देने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकाशित करने में कोई असंगति नहीं है चाहे ये गलतियाँ एक विशेष संप्रदाय के लिये रुचिकर न हों। धार्मिक संप्रदायों के बारे में वक्तव्य देने में कोई आपत्ति नहीं है यदि ये संयमित भाषा में दिये जाते हैं और गलत अथवा बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिये जाते हैं।

पत्रकारिता का अनुचित प्रयोग

पत्रकारिता के अनुचित प्रयोग के सम्बन्ध में अपने निर्णयों के माध्यम से परिषद् द्वारा विकसित किये गये कुछ सिद्धान्त हैं, जैसे विश्वास में लेकर दर्शाया गया अथवा विचार-विमर्श किया गया कोई मामला, स्रोत की सहमति लिये बिना प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। यदि संपादक को ऐसा लगता है कि प्रकाशन जनहित में है, तब उसे उचित पाद-टिप्पणी में यह स्पष्ट करना चाहिए कि सम्बद्ध वक्तव्य अथवा विचार-विमर्श प्रकाशित किया जा रहा था यद्यपि इसे अनाधिकारिक दिया गया था।

एक विज्ञापन जिसमें कुछ भी गैरकानूनी अथवा अवैध हो अथवा जो कि सद्रुचि अथवा पत्रकारिता नीति अथवा औचित्य के विपरीत हो, प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। समाचारपत्रों द्वारा उद्धरणों के सम्बन्ध में सटीकता बनाये रखने के लिये समुचित सावधानी

बरती जानी चाहिए। जहाँ एक समाचारपत्र पर पत्रकारिता नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, यह तर्क कि उसने प्रकाशन बंद कर दिया है, संपादक का बचाव नहीं होगा, क्योंकि उनका आचरण ही शिकायत का विषय है।

अश्लीलता और कुरुचि

रुचि का अर्थ संदर्भ के अनुसार अलग-अलग होता है। पत्रकार के लिये इसका अर्थ है कि जिसे शालीनता अथवा औचित्य के आधार पर उन्हें प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जहाँ एक मामले में यौन सम्बन्धी भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति हो, पत्रिका में इसका प्रकाशन जनता, युवा अथवा वृद्ध के लिये अवांछनीय होगा। जनरुचि को वातावरण, परिस्थिति के साथ समसामयिक समाज में विद्यमान रुचि की धारणाओं के साथ परखा जाना चाहिए।

अश्लीलता का मूल परीक्षण यह है कि क्या मामला इतना अभद्र है कि यह चरित्र को बिगाड़ अथवा भ्रष्ट कर सकता है। अन्य परीक्षण यह है कि क्या प्रयुक्त भाषा और दृश्य का चित्रांकन गंदा, अश्लील, अरुचिकर अथवा कामुक समझा जा सकता है।

कोई भी कहानी अश्लील है अथवा नहीं, पत्रिका की साहित्यिक अथवा सांस्कृतिक प्रकृति और सामाजिक विषय के स्तर वस्तु जैसे कारकों पर निर्भर करेंगी। एक पत्रिका अथवा समाचार पत्र के विषयगत् मामले की तस्वीर का इस प्रश्न से सम्बन्ध होता है कि, क्या प्रकाशित किया गया मामला जनरुचि के स्तरों से कम है अथवा नहीं। तस्वीर जनरुचि से कम है अथवा नहीं, यह परखने के सम्बद्ध कारकों में से एक पत्रिका की प्रकृति अथवा उद्देश्य होगा। क्या यह कला, चित्रकला, दवा शोध, अथवा यौन सुधार से सम्बद्ध है।

प्रेस परिषद् ने मुद्रण मीडिया में अश्लील विज्ञापनों के बढ़ते हुए उदाहरणों पर चिंता व्यक्त की। यह सैंसरशिप के विरुद्ध थी परन्तु प्रकाशन से पूर्व किसी अश्लील सामग्री की जाँच हेतु निवारण सम्बन्धी उपायों का समर्थन किया गया। चूँकि ऐसे अधिकतर विज्ञापन, विज्ञापन एजेंसियों के जरिये,जो कि एक औसतन नागरिक द्वारा परिवार में देखते हुए आपत्तिजनक समझा जाये, को तैयार और जारी करते समय अधिक सावधानी और समय बरतें। इन्होंने महसूस किया कि भारत की विज्ञापन एजेंसियों का संघ इन सभी विज्ञापन एजेंसियों के संरक्षक संगठन के रूप में मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकेगा और ऐसे विज्ञापन न देने में इनके सहयोग की माँग की जोकि जिनसे शीघ्र समय में देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान पहुँचने की संभावना हो। परिषद् ने समाचारपत्रों से भी अपील की कि वे विज्ञापनदाताओं से प्रत्यक्षतया अथवा विज्ञापन एजेंसियों से प्राप्त होने वाले विज्ञापनों की सावधानीपूर्वक जाँच करें और अश्लील तथा आपत्तिजनक समझे जाने वाले विज्ञापनों को अस्वीकार करके आत्म संयम बरतें। आक्षेपित प्रकाशन के विरुद्ध स्वयं द्वारा बनाये गये निम्नलिखित मार्गनिर्देशों को भी इन्होंने दोहराया।

समाचारपत्रों को ऐसे विज्ञापन नहीं देने चाहिए जोकि अश्लील हों अथवा महिला को नग्नावस्था में दर्शाते हुए पुरुषों की कामुकता को उत्तेजित करें जैसे कि वह स्वयं बिक्री की वस्तु हो।

एक तस्वीर अश्लील है अथवा नहीं, यह तीन परीक्षणों के सम्बन्ध में परखा जाना चाहिए, जैसे–

1. क्या यह अश्लील और अशालीन है?
2. क्या यह केवल अश्लील लेखन का अंश है?
3. क्या इस प्रकाशन का उद्देश्य केवल मात्र ऐसे लोगों में, जिनके बीच इसे परिचालित करने का इरादा है, तथा किशोरों की यौन भावनाओं को उत्तेजित करके पैसा कमाना है। दूसरे शब्दों में, क्या यह वाणिज्यिक लाभ के लिये हानिकारक शोषण है।

अन्य सम्बद्ध विचार योग्य विषय यह है कि क्या तस्वीर पत्रिका के विषयगत मामले से सम्बद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या इसका प्रकाशन कला, चित्रकला, दवा, शोध अथवा यौन सुधार किसी सामाजिक अथवा लोक उद्देश्य के पूर्व चिंतन की पूर्ति करता है।

उत्तर का अधिकार

मूल सिद्धान्त जो कि इस विषय पर विभिन्न अधिनिर्णयों से निकलता है, पत्रों के प्रकाशन में संपादक के स्वनिर्णय का समर्थन करता है। हालाँकि, इनसे आशा की जाती है कि वे सार्वजनिक प्रकृति के मामले पर गलत वक्तव्य अथवा रिपोर्ट को स्वयं ठीक करेंगे। जानने के सार्वजनिक अधिकार के आधार पर आम पाठक वैध अधिकार का दावा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कोई व्यक्ति जिसका प्रकाशन में विषय रूप से संदर्भ दिया गया हो, समाचारपत्र के स्तंभों में उत्तर के अधिकार के लिये स्वत: दावा कर सकता है। यदि परिषद् को यह अधिकार नहीं है कि वह एक समाचारपत्र को प्रत्युत्तर प्रकाशित करने के लिए बाध्य करे, यह समाचारपत्र को इसके विरुद्ध जाँच पड़ताल का विवरण प्रकाशित करने के निर्देश दे सकती है।

समाचारपत्र का पूर्व सत्यापन

प्रकाशन से पूर्व समाचार का सत्यापन आवश्यक है विशेष रूप से जब रिपोर्ट में अपमानजनक अथवा लिखित मानहानि सम्बन्धी अधिस्वर हों अथवा इससे साम्प्रदायिक तनाव हो सकता हो, न ही किन्हीं परिस्थितियों में भी लोगों के दूसरे वर्ग के विचारों के रूप में अफवाहों का प्रकाशन न्यायोचित ठहराया जा सकता है। जब भी किसी झूठे अथवा विकृत प्रकाशन पर सम्पादक का ध्यानाकृष्ट किया जाता है, तो उन्हें आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

मानहानि-अपमानजनक लेख

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के दूसरे अपवाद के अंतर्गत एक सार्वजनिक कर्मचारी के सार्वजनिक कार्यों के निर्वाह में उनके आचरण का सम्मान करते हुए अथवा उनके चरित्र का सम्मान करते हुए, जहाँ तक उस आचरण में उनका चरित्र दिखाई देता है, कुछ अन्य नहीं, सद्भावना में राय अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। तदनुसार परिषद् की

राय है कि जनजीवन पर उचित टिप्पणियों को अनुचित नहीं कहा जा सकता। परन्तु यदि कोई तथ्यात्मक वक्तव्य दिये जाते हैं, तो वे सत्य और सही होने चाहिए।

यदि कोई मानहानिजनक तत्व जुड़ा होता है, तो नुकसान हेतु किसी भी प्रकार की सिविल कार्यवाही में अधिक सद्भावना बचाव नहीं होगा।

निजता का अधिकार बनाम लोकप्रिय व्यक्ति

भारतीय प्रेस परिषद् ने लोकप्रिय व्यक्तियों के निजता के अधिकार और सार्वजनिक हित तथा सार्वजनिक महत्व की सूचना तक पहुँचने के प्रेस के अधिकार के मध्य संतुलन प्राप्त करने के लिये मार्गनिर्देश बनाये हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तथा दिल्ली में अप्रैल 1998 में प्रेस परिषदों के विश्व संघ के सम्मेलन में हुई गरमा-गरम बहस में बल दिया गया कि इस सम्बन्ध में तीन प्रतियोगी संवैधानिक मूल्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, अर्थात–

(क) एक व्यक्ति का निजता का अधिकार।

(ख) प्रेस की स्वतंत्रता और

(ग) जनहित में लोकप्रिय व्यक्तियों के बारे में जानने का लोगों का अधिकार।

परिषद् ने इस मामले पर रिपोर्ट तैयार की है और निम्नानुसार मार्गनिर्देश बनाये हैं–

निजता का अधिकार अनुल्लंघनीय मानवाधिकार है। हालाँकि निजता की डिग्री स्थिति और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिये अलग-अलग होती है। सार्वजनिक व्यक्ति जोकि जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, प्राइवेट व्यक्ति के समान निजता की वही डिग्री पाने की आशा नहीं कर सकते। उनके कार्य और आचरण जनहित में होता है। जनहित, जनता की रुचि से अलग रखा जा रहा है, यदि प्राइवेट भी किये जायें, तब भी प्रेस के माध्यम से लोगों की जानकारी में लाये जायें। इसके अनुरूप यह सुनिश्चित करना प्रेस का कर्तव्य है कि सार्वजनिक व्यक्ति के सार्वजनिक हित के ऐसे कार्यों और आचरण के बारे में सूचना सही तरीकों से प्राप्त की जाती है, समुचित रूप से सत्यापित करने और तत्पश्चात सटीक रिपोर्ट दी जाती है। लोगों की निगाह से दूर किये कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये, प्रेस से निगरानी वाले तरीके की आशा नहीं की जाती है। जहाँ से यह आशा की जाती है कि लोकप्रिय व्यक्तियों को तंग न करें, वहीं लोकप्रिय सार्वजनिक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वे अपनी कार्यप्रणाली में अधिक खुलापन लायें तथा जनता को उनके प्रतिनिधियों के कार्यों के बारें में सूचित करने की प्रेस की ड्यूटी को पूरा करने में प्रेस को सहयोग दें।

प्रेस की स्वतंत्रता

(क) समाचारपत्र अथवा वे लोग, जोकि संपादकीय के रूप में इससे जुड़े हुए हैं अथवा मैनेजमैंट में है, पर समाचारपत्र में अभिव्यक्त की गयी राय के लिये उन पर दबाव

डालने अथवा उन्हें भयादोहित करने के इरादे से हमला प्रेस की स्वतंत्रता में घोर हस्तक्षेप है। मलयाला का मामला, पी०सी०आई० रिव्यू, जनवरी 1983 पृ० 62,

समाचारपत्रों को तथ्य प्रकाशित करने से रोकने के लिये अथवा विशेष आदेश का पालन करने के लिये बाध्य करने की प्रवृत्तियाँ चिंताजनक विषय हैं। मलयाला मनोरमा का मामला पी०सी०आई० वार्षिक रिपोर्ट 1968 पृ० 38।

स्थानीय प्रशासन से आशा की जाती है कि वह पत्रकार द्वारा ड्यूटी निर्वाह करने में, उनकी बिना किसी दबाव के सहायता करे। ब्लिट्ज़ का मामला, पी०सी०आई० रिव्यू अप्रैल, 1984, पृ० 30।

पुलिस प्राधिकारियों द्वारा एक समाचारपत्र के संपादक को उनके समाचार अथवा आलोचनात्मक लेखों के कारण उत्पीड़ित करना अथवा झूठे मामले में फँसाना, प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के समान है। महाजाति का मामला, पी०सी०आई०, अक्टूबर, 1983 पृ० 55।

अनियंत्रित भीड़ द्वारा समाचारपत्र कार्यालयों में सामूहिक छापे प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। पुलिस द्वारा समुचित एहतियाती सुरक्षात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। समाचारपत्र कार्यालयों के घेराव पर भी यही लागू होता है। प्रेस परिषद् द्वारा कर्नाटक सरकार के विरुद्ध मूल कार्यवाही, पी०सी०आई० रिव्यू अप्रैल, 1982 पृ० 36।

पत्रकारों को उत्पीड़ित और परेशान करना प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले का प्रत्यक्ष मामला है। मध्य प्रदेश लघु समाचारपत्र संघ का मामला पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट 1972 पृ० 66।

समाचार कवर करते हुए एक प्रेस फोटोग्राफर से पुलिस द्वारा कैमरा ज़ब्त करना तथा फिल्म निकालना पत्रकार को अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने से रोकने के समान है और इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सर्चलाईट का मामला, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट, 1972 पृ० 65।

एक पत्रकार के विरुद्ध साभिप्रेत मनगढ़ंत मामले दर्ज करना उनके कार्यों में हस्तक्षेप के समान होगा। मलयाला मनोरमा का मामला, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट, 1968 पृ० 38 और पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट 1967, पृ० 52-58।

रिपोर्टिंग के मामले में एक रिपोर्टर को किसी मंत्री द्वारा अपने आदेश का पालन करने के लिये धौंस देने का प्रयास प्रेस के प्रति मंत्री के आचरण के समुचित स्तरों को बनाये रखने के विपरीत होगा दैनिक जन्मभूमि का मामला, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट 1980, पृ० 56।

एक समाचारपत्र संवाददाता द्वारा लिखे गये लेखों/समाचारों के कारण उनसे मान्यता पत्र और आवासीय सुविधायें वापिस लेना संवाददाता और प्रेस पर दबाव डालने के प्रयास के समान होगा। चण्डीगढ़ पत्रकार यूनियन का मामला, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट, 1974 पृ० 68।

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, जिला मजिस्ट्रेट को, भावी संपादकों को घोषणापत्र देने से इंकार करने से पूर्व, उनसे आश्वासन पत्र प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता। उत्तर प्रदेश लघु एवं मझोले समाचारपत्र संपादक परिषद् का मामला, पी०सी०आई०, रिव्यू, जन० 1983, पृ० 58।

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अंतर्गत सामाचारपत्रों का घोणापत्र इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि सम्बद्ध समाचारपत्र पीत पत्रकारिता में लगे हुए थे। पीत पत्रकारिता से सम्बद्ध कोई भी शिकायत प्रेस परिषद् के सम्मुख दर्ज की जानी चाहिए। प्रेस परिषद् द्वारा मूल कार्यवाही पी०सी०आई० वार्षिक रिपोर्ट 1983, पृ० 37।

एक आलोचनात्मक लेख के आने की तारीख और मान्यता पत्र न देने में सामीप्य यह देखने के लिये महत्वपूर्ण कारक होंगे कि क्या मान्यता पत्र न देना उस लेख के कारण था। सरिता, मुक्ता आदि का मामला, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट 1981, पृ० 60।

विज्ञापन और प्रेस स्वतंत्रता

संपादकीय नीति को प्रभावित कर लाभ उठाने के रूप में सरकार अथवा व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन देना अथवा वापस लेना एक धमकी तथा प्रेस की स्वतंत्रता को संकट डालने अर्थात इस संदर्भ में संपादक की स्वतंत्रता को संकट में डालने के समान है। सरकार के मामले में ऐसा विशेष रूप से होता है क्योंकि यह सार्वजनिक निधि न्यासी है, अत: भेदभाव किये बिना इसके उपयोग के लिये बाध्य है। ट्रिब्यून का मामला, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट, 1970, पृ० 45।

एक समाचारपत्र द्वारा अधिकार के रूप में सरकार सहित किसी पार्टी से विज्ञापनों का दावा नहीं किया जा सकता। सरकार वस्तुपरक कसौटी के आधार पर विज्ञापन देने की अपनी नीति बना सकती है। परन्तु समाचारपत्र की संपादकीय नीति पर विचार किये बिना सार्वजिनक रूप से विवेचित सिद्धान्तों के आधार पर यह किया जाना चाहिए। साप्ताहिक मुजाहिद के मामले, पी०सी०आई०, रिव्यू जुलाई, 1983 पृ० 44 और ट्रिब्यून, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट 1970, पृ० 45।

यदि एक संपादक अपने समाचारपत्र से असम्बद्ध अनुचित व्यवहार अथवा कार्यवाही का दोषी है, तो उसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु वह समाचारपत्र जिसका वह संपादक हो, को विज्ञापन देने से इंकार करना न्यायोचित नहीं होगा। यह एक समाचारपत्र के कर्मचारी अथवा इसके मालिक तक पर लागू होता है। (सर्चलाइट और प्रदीप का मामला, पी०सी०आई० वार्षिक रिपोर्ट, 1974, पृ० 11) हो सकता है कि एक संपादक, अथवा अन्य पत्रकारों के बाह्य कार्यकलाप, उस पर प्रकाश डालें जोकि वह समाचारपत्र के लिये लिखता है, तथा ऐसे लेखों के अनुचित होने पर समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही न्यायसंगत है। तथापि, यह अनुचित प्रकाशन और कर्मचारियों के कार्यकलापों जोकि समाचारपत्र से असम्बद्ध हों, के लिये है।

अनुचितता और प्रेस स्वतंत्रता

टिप्पणी की एक विशेष रेखा स्वीकार करने के लिये पत्रकार को प्रलोभन देना और पत्रकार द्वारा ऐसे प्रलोभन को स्वीकार करना अनुचित है। सरकार द्वारा अनुचित प्रलोभन दिये जाने पर स्थिति बदतर हो जायेगी, क्योंकि तब मीडिया कानूनी रूप से दबाव डालने का शस्त्र वन जायेगा। (पूर्वोक्त)

एक पत्रकार के लिये ऐसा कार्य स्वीकार करना जोकि उनके व्यवसाय की निष्ठा और गौरव के विरुद्ध हो अथवा पत्रकार के रूप में उनके स्टेटस का शोषण हो, अनुचित है। (पूर्वोक्त)

एक समाचारपत्र के संपादक को उनके समाचारपत्र में प्रकाशित पत्र की सूचना के स्रोत को प्रकट करने के लिये नहीं कहा जा सकता। (अर्जुन बाण का मामला, पी०सी०आई०, रिव्यू, जुलाई, 1983, पृ० 53)।

एक पत्रकार को अपने निजी और गोपनीय सूचना का स्रोत प्रकट करने के लिये कहना, जनहित की घटनाओं पर रिपोर्ट करने के उनके दायित्व के उल्लंघन के समान है और प्रेस की स्वतंत्रता को धमकी देना है। प्रेस संवाददाता का मामला हिन्द समाचार, पी०सी०आई०, वार्षिक रिपोर्ट 1973 पृ० 27।

पुलिस द्वारा एक समाचारपत्र के संपादक को, पुलिस के कार्यों से सम्बद्ध समाचार के प्रकाशन के विरुद्ध अपने संवाददाता को चेतावनी देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह प्रेस के मौलिक अधिकार के विरुद्ध होगा। (विश्व मानव, का मामला, पी०सी०आई०, रिव्यू अक्टूबर, 1983 पृ० 52)।

इस भावना के कारण कि किसी स्थिति की रिपोर्ट बढ़ा-चढ़ाकर दी गई थी और एजेंसी पर दबाव डालने के लिये समाचार एजेंसी की टेलीपिन्टर सेवा के अंशदान को जानबूझकर बंद करना प्रेस की स्वतंत्रता को धमकी के समान होगी। (संसद के पूर्व सदस्य का मामला पी०सी०आई० वार्षिक रिपोर्ट 1972 पृ० 7)।

एक समाचारपत्र को समाचार प्रेषण के लिये निकालना और संपादकों के व्यावसायिक कर्त्तव्य के निर्वाह में कार्यकलापों के लिये उन्हें गिरफ्तार करना और समाचारपत्रों को कुछ ग्रुपों के कार्यों से सम्बद्ध कुछ भी प्रकाशित करने से रोकने के लिये सरकार द्वारा चेतावनी पत्र जारी वैध रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को धमकी की आशंका को बढ़ावा दे सकता है। (प्रेस परिषद् द्वारा मूल कार्यवाही पी०सी०आई०, रिव्यू, अपैल 1983, पृ० 52)।

मार्ग निर्देश और नीति निर्माण

परिषद् ने मार्ग निर्देश जारी किये हैं और प्रेस तथा लोगों से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर नीति रूपरेखा की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी गंभीर स्थिति पैदा हुई जिसमें प्रेस से संयम और सावधानी के साथ कार्य करने की आशा की गई वहाँ परिषद् के अध्यक्ष, वक्तव्यों के माध्यम से प्रेस का मार्गदर्शन करते रहे हैं। जब कभी भी सुनियोजित वृहत हमले किये गये, तब इन्होंने ऐसे वक्तव्यों के माध्यम से तीव्र प्रतिक्रिया भी की।

1969 में, परिषद् ने साम्प्रदायिक सम्बन्धों से सम्बद्ध मामलों पर रिपोर्टिंग और टिप्पणियाँ करने में नियमों और स्तरों को निर्दिष्ट करते हुए 10-सूत्री मार्गनिर्देश जारी किये। सुविस्तार के बिना मार्गनिर्देशों में यह सूचीबद्ध और स्पष्ट किया गया कि पत्रकारिता औचित्य और नीति के विरुद्ध क्या आपत्तिजनक होगा, अत: उससे बचना चाहिए।

पुन: 1990 में अयोध्या की घटनाओं को देखते हुए, परिषद् ने 1969 के मार्गनिर्देशों को दोहराते हुए, नये अनुभव के प्रकाश में अन्य 12 सूत्री मार्गनिर्देश जारी किये। परिषद् ने कहा कि इसमें रेखांकित सिद्धान्त प्रशिक्षण की अवस्था से लेकर मीडिया के प्रत्येक स्तर पर अंतर्निविष्ट किये जाने चाहिए। इन सिद्धान्तों संलग्नक बी-2 ने प्रेस और राज्य दोनों के लिये कुछ कार्य करने और कुछ कार्य न करने निर्दिष्ट किये।

परिषद् ने पिछले वर्षों में राट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के विदेशी दौरे पर उनके साथ जाने के लिये पत्रकारों के चयन, विज्ञापनों, अखबारी कागज़, मान्यता के नियमों जैसे कुछ विषयों के बारे में नीति रूपरेखा का निर्माण किया है।

जैसा कि पहले विवेचित किया गया है, परिषद् ने, अक्टूबर, 1982 में अपनी बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात् अपने अधिनिर्णयों के दो संकलन, मामलों के समान सैट के अंत में अधिनिर्णयों को रेखांकित करके सिद्धान्त देते हुए पत्रकारिता नीति के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर प्रकाशित किये।

कुछ महत्वपूर्ण दिये गये निर्णय और परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत

1966 में इसकी स्थापना से ही, परिषद् ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं जिनका देश में प्रेस पर काफी प्रभाव रहा है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें ऐसे निर्णय दिये गये हैं।

परिषद, न केवल प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करने बल्कि यह सुनिश्चत करने की, पत्रकारिता का स्तर बनाए रखा जाये और उसमें सुधार करने जैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में भी कुछ हद तक प्रयासरत् रही है। जहाँ प्रेस, परिषद् के हस्तक्षेप के पश्चात प्राधिकारियों को, आमतौर पर, प्रेस पर अनुचित दबाव न डालते हुए देखा गया है वहीं प्रेस कर्मियों ने भी इस प्रकार की पत्रकारिता से स्वयं पर संयम रखा है जोकि उनसे, जिस स्तर की आशा की जाती है, को कम कर सकती थी। परिषद् का नैतिक प्रभाव व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

शिकायतों की संख्या 1979 में 80 से 1997 में 1075 तक की अत्यधिक वृद्धि, समाचारपत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए परिषद् जैसी संस्था की आवश्यकता, महत्व और कार्यप्रणाली में मीडिया कर्मियों और जनता दोनों द्वारा अभिव्यिक्त किये गये विश्वास का पर्याप्त प्रमाण है।

विशेष जाँच

नियमित शिकायतों पर जाँच के अतिरिक्त परिषद् ने कई बार विशेष जाँच की मूल कार्यवाही की है, परन्तु कभी-कभी प्रेस से सम्बद्ध घटनाओं और मामलों की शिकायतों की जाँच भी की है।

देशर कथा, त्रिपुरा 1990 पर रिपोर्ट

अगरतला, त्रिपुरा के एक बंगाली समाचारपत्र 'डेली देशर कथा' के संपादक श्री गौतम दास द्वारा उनके समाचारपत्र बेचने वालों और कर्मचारियों पर कांग्रेस (आई०) कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार हिंसात्मक हमले किये जाने की शिकायत के पश्चात् प्रेस परिषद् ने घटनास्थल की समुचित जाँच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया है। समिति ने अगरतला का दौरा किया और शिकायतकर्ता तथा त्रिपुरा सरकार के प्रतिनिधियों को सुना। इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा सरकार ने आश्वासन दिया कि वे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेंगे और 'देशर कथा' को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे।

अयोध्या रिपोर्ट 1990

1990 में अयोध्या की घटनाओं पर तथा 1992 में अन्य पर विशेष जाँच की गई। इनकी रिपोर्ट क्रमश: 1991 और 1993 में सार्वजनिक की गई। प्रथम जाँच में, परिषद् ने उत्तर प्रदेश के चार दैनिक अखबारों, जागरण, आज, स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र चेतना को ऐसी रिपोर्टें, जिन्होंने पत्रकारिता नीति नियमों का घोर उल्लंघन किया, प्रकाशित करने का दोषी पाया। परिषद् ने नियमों का उल्लंघन करने पर इन समाचारपत्रों को परिनिंदित किया। परिषद् ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थिति से निपटने में कई त्रुटियों और प्रेस के प्रति इसके व्यवहार को लेकर इसकी आलोचना भी की।

जागरण ने परिषद् के इस निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती भी दी। इन्होंने प्राधिकारियों द्वारा परिस्थिति की माँग से अधिक दंडात्मक और निवारक कार्यवाही का आश्रय लेने पर चिंता व्यक्त की और अविद्यमान प्रेस आपत्तिजनक मामलों अधिनियम 1951 के उपबंधों के आह्वान और प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के उपबंधों के दुरुपयोग पर खेद प्रकट किया।

अयोध्या रिपोर्ट 1993

अयोध्या में दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को विवादास्पद मस्जिद गिराये जाने पर ऐसे पत्रकार/प्रेस मीडिया फोटोग्राफर/कैमरामैन जोकि दिनांक 6 दिसम्बर, 92 को अयोध्या की घटनाओं और इसके आस-पास कवरेज कर रहे थे, पर कई हमले किये जाने की रिपोर्ट आयीं। चूँकि यह अत्यधिक महत्व और चिंता का मामला था, परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मामले की जाँच हेतु विशेष जाँच समिति का गठन किया गया। इससे पूर्व अध्यक्ष, सांप्रदायिक सम्बन्धों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए और घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हुए प्रेस की ओर से संयम और नियंत्रण रखे जाने का आग्रह करते हुए पहले ही अपील जारी कर चुके थे। इसके साथ-साथ, उन्होंने पत्रकारों पर उस समय, जब वे अपने व्यावसायिक कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए घटनाओं को कवर करने की कोशिश कर रहे हों, हमलों की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने प्राधिकारियों से भी यह सुनिश्चित करने की अपील की कि प्रेस को जनमहत्व के मामलों पर सूचना के प्रचार-प्रसार के लिये स्वतंत्रता और निर्भीकता से कार्य करने दिया जाये।

विशेष समिति ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1992 के आदेश के जरिये अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ और दिल्ली की अपनी बैठकों में मौखिक और लिखित साक्ष्य एकत्रित किये और दिनांक 7 जनवरी, 1993 को पूर्ण परिषद् के सम्मुख अपनी रिपोर्ट दी। परिषद् द्वारा स्वीकार की गई रिपोर्ट दिनांक 8 जनवरी, 1993 को जारी की गई।

पंजाब रिपोर्ट 1991

पंजाब में आतंकवाद के दौरान प्रेस और प्रेस कर्मियों का विरोध किये जाने और इन पर दबावों के सम्बन्ध में जाँच की गई। 'ओवरकमिंग फीयर' डर पर काबू पाना शीर्षक के अंतर्गत विशेष समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, परिषद् ने पंजाब प्रेस को, राज्य की स्थिति और घटनाओं के बारे में लोगों को सच्चाई और निष्पक्षता से सूचित करने और किसी बाह्य प्राधिकरण अथवा संगठन द्वारा बल अथवा भयादोहन के माध्यम से इस पर कोई संहिता अथवा नियम की माँग के विरोध में, अपना पूर्ण सहयोग दिया।

जम्मू एवं कश्मीर रिपोर्ट 1991

इसी प्रकार जम्मू व कश्मीर में प्रेस द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर विशेष जाँच की गई। जुलाई, 1991 में इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए परिषद् ने कहा कि—कश्मीर में जटिल और कठिन स्थिति में सूचना और संचार के महत्व को सरकार अथवा स्वयं मीडिया द्वारा पर्याप्त रूप से महसूस नहीं किया गया। इन्होंने स्थिति के विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रभावी उत्तर देने के लिये मापदंडों की श्रृंखला का सुझाव दिया। पूर्ण रिपोर्ट 'क्राइसिस एण्ड क्रैडिबिलिटी' शीर्षक के अंतर्गत बाद में प्रकाशित की गई।

बिहार रिपोर्ट 1993

बिहार में प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली के मार्ग में दबावों/बाधाओं और पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं पर रिपोर्ट जिसे परिषद् ने दिनांक 31 मार्च, 1993 को स्वीकार किया, में प्रेस और प्राधिकारियों को अपने सम्बन्ध अधिक स्वस्थ संस्थापित करने का परामर्श दिया गया।

एड्स और मीडिया पर रिपोर्ट 1993

एड्स एंड दी मीडिया पर रिपोर्ट में मीडिया द्वारा कुछ कार्य करने और कुछ न करने निर्दिष्ट किये गये और उन्हें परामर्श दिया गया कि छिटपुट समाचार से एड्स अवश्य ही प्रचार का लक्ष्य होना चाहिए। इसी समय, प्रेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनहित जोकि व्यक्तिगत निजता के संरक्षण के अंतर्गत एक मामले के प्रकाशन को न्यायोचित ठहरा सकता है, वैध हित होना चाहिए न कि विषयासक्त अथवा विकृत जिज्ञासा।

रक्षा रिपोर्ट 1993

जून, 1993 की एक अन्य रिपोर्ट जिसका शीर्षक पैन एण्ड स्नोर्ड (कलम और तलवार) था, में रक्षा से सम्बद्ध सूचना में अधिक खुलेपन के रवैये का समर्थन किया गया।

जम्मू एवं कश्मीर रिपोर्ट 1994

जम्मू व कश्मीर में उग्रवादी संगठनों से मीडिया को धमकियाँ पर परिषद् की नवीनतम रिपोर्ट ने उग्रवादी प्रचार का सामना करने के लिये सरकारी स्तर पर सूचना के तुरंत प्रसार की सिफारिश की है। रिपोर्ट ने मीडिया कर्मियों को जोकि स्वतंत्र रुख अपनाने पर उग्रवादियों से धमकियों का सामना करते हैं, को संस्थानीय और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को भी परामर्श दिया है।

आदर्श विज्ञापन नीति 1994

वर्ष 1994 में परिषद् ने सम्पूर्ण भारत में लागू करने हेतु समान विज्ञापन नीति का निर्माण किया। यह विज्ञापन हेतु प्राधिकारियों द्वारा नामिका में दर्ज करने के लिये समाचारपत्रों के अनुमोदन के लिए कसौटी प्रदान करती है।

मतदान पूर्व और पश्च मतदान सर्वेक्षण पर मार्गनिर्देश

1. भारतीय प्रेस परिषद् का, वांछनीयता अथवा अन्यथा मतदान पूर्व सर्वेक्षणों की उपलब्धियों के प्रकाशन और उनके द्वारा पूरा किये जाने वाले उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करने के पश्चात विचार है कि समाचारपत्रों को चुनावों में हेरफेर और विकृतियों के लिये अपने मंच का इस्तेमाल किये जाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए और पक्षपाती पार्टियों द्वारा स्वयं के शोषण की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। अतः प्रेस परिषद् का परामर्श है कि हमारे जैसे आदर्श लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की संगीन स्थिति को देखते हुए समाचारपत्रों को सजग रहना चाहिए कि उनके बहुमूल्य मंच का चुनाव के हेरफेर और विकृतियों के लिये इस्तेमाल न किया जाये। आज इस पर बल देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि कथित मतदान पूर्व सर्वेक्षणों से गलत तरीकों के इस्तेमाल के साथ-साथ जातीय, धार्मिक और नैतिक आधार पर जटिल और तीक्ष्ण प्रचार द्वारा मतदाताओं को अप्रत्याशित भ्रमित और गुमराह करने के लिये दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों और समूहों द्वारा मुद्रण मीडिया के शोषण की माँग बढ़ती जा रही है। जहाँ कई मामलों में सांप्रदायिक और राजद्रोहात्मक प्रचार का पता लगाना कठिन नहीं होगा वहीं मतदान पूर्व सर्वेक्षण का पक्षपाती उपयोग, कभी-कभी जानबूझकर किया गया, को प्रकट करना उतना आसान नहीं है। अतः प्रेस परिषद् का सुझाव है कि जब कभी भी समाचारपत्र मतदान-पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं, तो उन्हें उन संस्थाओं जिन्होंने ऐसे सर्वेक्षण किये हैं, व्यक्ति और संगठन जिन्होंने सर्वेक्षण करवाये हैं, चयन किये गये नमूने का आकार-प्रकार जाँच परिणाम हेतु नमूने के चयन का तरीका और जाँच परिणाम में त्रुटि की संभावित गुंजाइश का संकेत देते हुए उन्हें सुस्पष्ट रूप से प्रस्तावना में देने का ध्यान रखना चाहिए।
2. इसके अतिरिक्त मतदान की तारीखों के डांवाडोल होने पर मीडिया को पहले ही हो चुके पश्च-मतदान सर्वेक्षण देते हुए देखा जाता है। इसमें उन मतदाताओं को

प्रभावित करने की सम्भावना रहती है जहाँ मतदान अभी आरम्भ होना है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि चुनाव प्रक्रिया को विशुद्ध रखा गया है और मतदाताओं के मस्तिष्क को बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित नहीं किया गया है, यह आवश्यक है कि मीडिया अंतिम मतदान तक पश्च मतदान सर्वेक्षण प्रकाशित न करे।

3. अत: प्रेस परिषद् प्रेस से पश्च-मतदान के बारे में निम्नलिखित मार्गनिर्देश का पालन करने का अनुरोध करती है।

मार्गनिर्देश

अंतिम मतदान समाप्त होने तक कोई भी समाचारपत्र, पश्च मतदान सर्वेक्षण, चाहे वे कितने भी सही हों, प्रकाशित नहीं करेगा।

घ, भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा वित्तीय पत्रकारों के लिये मार्गनिर्देशों का निर्माण।

भारतीय प्रेस परिषद् ने रिपोर्टरों/वित्तीय पत्रकारों/समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया है कि वे नकद अथवा किसी भी प्रकार के उपहार/अनुदान/ रियायतें/ सुविधाएँ आदि, जिनमें वित्तीय मामलों पर स्वतंत्र और निपक्ष रिपोर्टिंग के साथ समझौता करने की संभावना हो, न लें।

2, परिषद् ने अपनी रिपोर्ट में अवलोकन किया कि वित्तीय पत्रकार, पाठकों के मस्तिष्क को काफी प्रभावित करते हैं, अत: एक कंपनी के स्टेट्स, भविष्य, वित्तीय सौदों का संतुलन और वस्तुपरक विचार देना उनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने अवलोकन किया कि कुछ कंपनियों के समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में अत्यधिक समाचार दिये जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस मुद्रण मीडिया को विज्ञापन जारी किये हैं। कभी-कभी उन कंपनियों की प्रतिकूल रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं जोकि समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं देते हैं। पुन: जब किसी भी कारण से मीडिया किसी कंपनी/मैनेजमेण्ट से खुश न हो, तो कंपनी के नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जाता है, जबकि इसके विपरीत, किन्हीं नकारात्मक पहलुओं को प्रकाश में नहीं लाया जाता। कुछ कंपनियों को कुछ वित्तीय पत्रकारों से कंपनियों के समर्थन में सकारात्मक रिपोर्टें प्राप्त करने के लिये, उन्हें उपहार, ऋण, छूट, प्राथमिक शेयर आदि देने के लिये भी जाना जाता है। इस के साथ-साथ ऐसे गलत कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाने अथवा निवेशकों की शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं है।

3, नियमित क्षेत्र में कदाचार पर चिंतित परिषद् ने, प्रतिनिधि वित्तीय संस्थानों और पत्रकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात वित्तीय पत्रकारों द्वारा अवलोकन हेतु निम्न वर्णित मार्गनिर्देशों की सिफारिश की है—

1. वित्तीय पत्रकारों को उपहार, ऋण, दौरे, छूट, प्राथमिक शेयर आदि जोकि उनकी पोजीशन से समझौता करते हों, अथवा समझौते की संभावना हो, को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

2. किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट में प्रमुख रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय प्रायोजकों अथवा कंपनी द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित है।
3. जब एक कंपनी की व्यवस्था का दौरा करने के लिये दौरे प्रायोजित किये जाते हैं, रिपोर्ट के लेखक, जिन्होंने दौरे का लाभ उठाया है, को यह अवश्य उल्लेख करना चाहिए कि सम्बद्ध कंपनी द्वारा दौरा प्रायोजित किया गया था और यह कि इन्होंने यथास्थिति आतिथ्य भी किया।
4. कंपनी से तथ्यों को सत्यापित किये बिना, कंपनी से सम्बन्ध कोई मामला प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट का स्रोत भी दर्शाया जाना चाहिए।
5. एक रिपोर्ट, जिसने किसी घोटाले का पर्दाफाश किया है अथवा किसी हितकर परियोजना को बढ़ावा देने के लिये रिपोर्ट प्रकाशित की है, को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
6. एक पत्रकार जिसकी एक कंपनी में शेयर होल्डिंग्स, स्टाक होल्डिंग्स आदि में वित्तीय रुचि है, को उस कंपनी पर रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए।
7. पत्रकार को प्रकाशन हेतु पहले से प्राप्त सूचना को अपने सगे संबधियों और दोस्तों के लाभ के लिये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
8. समाचारपत्र के मालिक, संपादक अथवा समाचारपत्र से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को अपने अन्य व्यावसायिक हित के संवर्धन के लिये समाचारपत्र के साथ अपने संबधों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
9. जब कभी भी भारतीय विज्ञापन परिषद् द्वारा एक विशिष्ट विज्ञापन एजेंसी अथवा विज्ञापनदाता पर अभ्यारोपण हो, तब वह समाचापत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, को प्रमुख रूप से अभ्यारोपण का समाचार प्रकाशित चाहिए।

मीडिया में महिलाओं का चित्रांकन (1996)

महिलाओं की प्रगति में इलैक्ट्रॉनिक और प्रिण्ट मीडिया की संभव भूमिका पर महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश को केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1995 में प्रेस परिषद् के सम्मुख, इसके विचारों के लिए भेजा। परिषद् की उपसमिति ने प्रमुख फिल्म/मीडिया कर्मियों और अन्य प्रसिद्ध लोगों से संपर्क किया। इसकी रिपोर्ट परिषद् द्वारा 8 जनवरी, 1996 को स्वीकार की गई। महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की नीति की सिफारिशों को पृष्ठांकित करते हुए तथा इनसे सहमत होते हुए, परिषद् ने कई सिफारिशें की जिनमें से प्रमुख हैं—

(क) महिलाओं पर अत्याचार के समाचार प्रकाशित किये जाने चाहिए परंतु उन्हें सनसनीखेज न बनायें।

(ख) मीडिया के प्रयास इस प्रकार होने चाहिए कि महिलाओं की सकारात्मक उपलब्धियों को उजागर किया जाये।

(ग) नैतिक आचार में आधुनिकता की ओर सिखाने की अश्लीलता और अभद्रता का मुकाबला करते हुए जाँच की जानी चाहिए।

(घ) भारतीय प्रेस परिषद् को, महिलाओं की अवमानना के आरोपों पर लायी जाने वाली शिकायतों पर विचार करने को अपनी ओर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अन्य मार्गनिर्देश आदि बनाने चाहिए।

लघु और मझौले समाचारपत्रों की समस्यायें (1996)

देश में लघु और मझौले समाचारपत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिये परिषद् के सदस्यों की एक उप समिति गठित की गयी थी। उपसमिति ने परिषद् को दी गयी अपनी रिपोर्ट में, लघु और मझौले समाचारपत्रों के सामने आने वाली समस्याओं को पहचानते हुए मामलों में कुछ ठोस दीर्घावधि/अल्पावधि सिफारिशें की–

(क) लघु और मझौले समाचारपत्रों के विकास को सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिये लघु और मझौले समाचारपत्रों के लिये विकास निगम को गठित किया जाना चाहिए अथवा विकल्प के तौर पर उन्हें सहकारी समिति बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ख) सरकार को भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा बनाये गये मार्गनिर्देशों के अनुरूप समुचित विज्ञापन नीति बनानी चाहिए जिन्हें प्रत्येक तिमाही में विज्ञापन दिये जाते हैं।

(घ) समाचारपत्रों के सभी विज्ञापन बिल, दृश्य प्रचार निदेशालय और सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय द्वारा इन्हें प्राप्त करने पर निर्धारित समय के भीतर निपटाये जाने चाहिए।

(ङ) मुद्रण कागज को अखबारी कागज की सीमा में लाया जाये, इसकी विशिष्ट मात्रा लघु और मझौले समाचारपत्रों के लिए अलग से रखी जाये।

(च) 75 फीसदी विज्ञापन जैसे बायोगैस चूल्हा का विज्ञापन, जिनका शहरों से कोई लेना–देना नहीं है, लघु और मझौले समाचारपत्रों को दिये जाने चाहिए। ये सिफारिशें जोकि कुल मिलाकर 22 थीं, प्रेस परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

समाचारपत्रों का बंद होना और उर्दू समाचारपत्रों की समस्यायें

समाचारपत्रों के बंद होने में बढ़ोतरी के कारणों को आंकने के लिये परिषद् ने अध्ययन किया। परिषद् की समिति ने सम्पूर्ण देश में विभिन्न प्रदेशों में स्थिति का अध्ययन किया। इसी दौरान उर्दू समाचारपत्रों के सामने आ रही विशिष्ट समस्याओं पर भी परिषद् का ध्यानाकृष्ट किया गया। (वा.रि. 1997-98) पी०सी०आई० रिव्यू अक्टूबर 97)

विधानों का परीक्षण

परिषद् ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (संशोधन) बिल, 1988 के उपबंधों पर गहराई से विचार किया और निर्णय दिया कि यह इसके उद्देश्यों के विवरण से बाहर था। इन्होंने

विषय से सम्बद्ध दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों को समुचित रूप से लागू नहीं किया। यद्यपि कुछ उपबंध सकारात्मक प्रकृति के थे, कुछ अन्य शरारत से भरे हुए थे जिनके परिणामस्वरूप प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा था। परिषद् ने बिल में कई मौलिक परिवर्तनों का सुझाव दिया। बाद में सरकार ने बिल वापिस ले लिया।

इसी प्रकार, परिषद् ने जम्मू कश्मीर विशेषाधिकार (प्रेस) बिल, 1984 का मूल परीक्षण किया। इन्होंने बिल के उपबंधों पर दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को प्रेस के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और राज्य के मंत्रियों को भी सुना। इसके पश्चात् परिषद् ने निर्णय दिया कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास पहले से ही विद्यमान राज्य और केन्द्रीय विधानों के रूप में पर्याप्त अधिकार थे जिनका बिल के अंतर्गत मांगे गये नये अधिकारों के लिये प्रेस द्वारा घोर कदाचार के मामलों से निपटने के लिये प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था।

परिषद् ने कहा कि पूर्व सेंसरशिप और जब्ती के व्यापक अधिकारों सहित निवारक कानून, प्रेस को दबाकर अफवाहों को खुली छूट दे देंगे और जम्मू व कश्मीर तथा बाकी देश में संपूर्ण प्रिण्ट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता को नष्ट कर देंगे। परिषद् का विचार था कि पूर्व सेंसरशिप सहज रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थी। इन्होंने सिफारिश की कि बिल वापिस ले लिया जाये। इन्होंने राज्य में प्रेस सलाहकार परिषद् को फिर से लाने की सिफारिश की। बाद में राज्य विधानसभा में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बिल वापिस ले लिया गया।

परिषद् ने कर्नाटक (प्रेस की स्वतंत्रता) बिल, 1988 और कर्नाटक विधानमंडल (अधिकार विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) बिल, 1988 का भी परीक्षण किया और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिये कई सुझाव दिये।

परिषद् ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (आफिशियल सीक्रेट एक्ट) को निरस्त/संशोधित करने के बारे में ठोस और व्यापक सिफारिशें की। 1982 में पहली बार तथा 1990 में पुन: ऐसा किया गया। 1990 में परिषद् ने कहा कि विद्यमान अधिनियम पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना चाहिए। अनुपयुक्त कानून में संशोधन करने से कोई लाभ नहीं है। शासकीय गुप्त/अधिनियम उदार सरकार के विरुद्ध है और अनुच्छेद 19 (1) (क) में दी गयी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध हिंसात्मक भी है। इसकी जगह एक नया विधान अधिनियमित किया जाना चाहिए जोकि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाये। ऐसा न किये जाने पर परिषद् ने प्रेस पर अधिनियम के कई उपबंधों के हानिकारक प्रभावों को हटाने के लिये कई संशोधनों का सुझाव दिया।

परिषद् ने प्रेस बिल 1974 में वी०एन० गाडगिल (सांसद) के उत्तर के अधिकार पर चर्चा की और इस पर संघ सरकार द्वारा किये गये प्रेषण के जवाब पर विचार किया। इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि प्रस्तावित विधान आवश्यकता, औचित्य, जीवन क्षमता, कार्य क्षमता और इन सबसे अपने ऊपर वैधता के दृष्टिकोण से सुभेद्य है। इसी कारण बिल वापस ले लिया गया है।

विदेशियों द्वारा भारत में समाचारपत्रों के प्रकाशन पर केन्द्रीय सरकार के अन्य संदर्भ के जवाब में, परिषद् ने 22 जून, 1992 को अपनी राय दी कि यह इक्विटी और मैनेजमैंट भागीदारी से सम्बद्ध भारत में विदेशी समाचारपत्रों/समाचार पत्रिकाओं के प्रकाशन का समर्थन नहीं करती, साथ ही जोड़ा कि वर्तमान प्रबंध पर 3 से 5 वर्षों के पश्चात् पुन: विचार अथवा पुन: समीक्षा की जा सकती थी।

अध्ययन

प्रेस परिषद् 1978, प्रेस से सम्बद्ध मामलों के बारे में अध्ययन करने का परिषद् को अधिकार देता है। परिषद् ने भारतीय विधि संस्थान के साथ मिलकर जहाँ तक कि प्रेस से सम्बन्ध है, अध्ययन किये हैं, जैसे शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923, (सिफारिशें 1990 से) न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, संसदीय विशेषाधिकार और मानहानि कानून आदि। ये प्रकाशन मीडिया कर्मियों की कार्यप्रणाली की सीमाओं और उनके अधिकारों का स्कोप समझने में, उनकी सहायता करते हैं।

सूचना के गोपनीय स्त्रोत की सुरक्षा

न्यायालय कार्यवाही की अवमानना में प्रेस अक्सर बता देती है कि इसे गोपनीय स्त्रोत दर्शाने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। न्यायोचित ठहराने के लिये इस प्रकार के तर्क को सीमित आधार पर अनुमति दी गई है। सूचना के अपने स्त्रोतों को बनाये रखने के प्रेस के अधिकार को जनहित के अन्य पहलुओं के सामने संतुलित किया गया है। अंतिम टिप्पणी के द्वारा यह भी जोड़ा गया है कि प्रेस अपने गोपनीय स्त्रोतों को बनाये रखने का अधिकार मांगने से, कहीं अधिक अक्सर विश्वास तोड़ने के अधिकार की माँग करती है। केवल यही उचित है कि प्रेस के खोजी और सत्य सत्यापन कार्यों के बारे में प्रेस को पूर्ण अधिकार दिये बिना प्रत्येक दावे को अन्य दावों के सामने संतुलित करना चाहिए। (देखें राजीव धवन द्वारा तैयार और भारतीय विधि संस्थान तथा भारतीय प्रेस परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में 1983 में भारतीय विधि संस्थान ने प्रश्नावली भेजी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक पत्रकार द्वारा अपने व्यवसाय के उद्देश्य से विश्वास में प्राप्त किये गये सूचना के स्त्रोतों को दर्शाने के सबंध में प्रेस परिषद् के विचार माँगे गये। इस विषय पर विधि, आयोग के प्रश्न के जवाब में, प्रेस परिषद् ने निम्नानुसार अभिव्यक्त किया—

परिषद् की राय में, प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 15 (2) में दिये गये उपबंध में विषय पर नवीनतम् प्रवृत्ति और सिद्धांत समाविष्ट हैं। यद्यपि उपरोक्त अधिनियम के अतंर्गत यह केवल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही तक ही सीमित है, इसकी सशक्त सिफारिश की गयी है कि इसे देश के सामान्य कानून का हिस्सा बनाया जाये।

यह बराबर महसूस किया गया कि यदि कोई अपवाद दिया जाता है, तो चरम सीमा वाले मामलों में जहाँ न्याय देने के हित में प्रकटीकरण कुल मिलाकर अपरिहार्य हो, ऐसा किया जाना चाहिए, परन्तु प्रकटीकरण आदेश के अधिकार केवल सक्षम न्यायालय को ही

प्रदान किये जाने चाहिए और यह भी कि पहली बार में पीठासीन अधिकारी को विश्वास में लेकर जोकि तब यदि संतुष्ट है कि मामले के निर्णय में यह उपयुक्त है, ऐसे कदम उठा सकते हैं जोकि इस साक्ष्य का हिस्सा बनाने के लिये आवश्यक हों।

विधि आयोग ने भारत सरकार को अपनी 93वीं रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त, 1983 को दी जिससे निम्नानुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 132 निवेशित करने की सिफारिश की गई–

132 (क) कोई भी न्यायालय एक व्यक्ति से प्रकाशन, जिसके लिये वह जिम्मेवार है, जहाँ ऐसी सूचना उनके द्वारा स्पष्ट समझौते अथवा अंतर्निहित तालमेल के आधार पर प्राप्त की गई है कि स्रोत गोपनीय रखा जायेगा, में दी गई सूचना का स्रोत दर्शाने की अपेक्षा नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण इस धारा में

(क) प्रसारण का अर्थ है कोई भाषण, लेख, अथवा कोई पत्र चाहे किसी भी रूप में हो, जोकि बड़े पैमाने पर जनता अथवा किसी जनसमूह को संबोधित हो।

(ख) स्रोत का अर्थ है व्यक्ति जिससे, अथवा साधन जिनके जरिये सूचना प्राप्त की गई है।

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड

प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 27, परिषद् को प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 8-ग की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाये गये प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समाचारपत्रों के घोषणापत्रों को गैर कानूनी रूप से रद्द करने अथवा इनके अप्रमाणन के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई का कार्य सौंपती है। बोर्ड में अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामित एक अन्य सदस्य होता है। बोर्ड जब पहली बार 1979 में बनाया गया था, तब से ही इसने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं।

❑❑

संदर्भ पाँच

गद्य के साथ ही पद्य भी हमेशा से अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहा है। इसीलिये मानव सभ्यता के साथ गीत और संगीत का अटूट रिश्ता रहा है। आजादी के आंदोलन में नेताओं के भाषणों, अखबारों में छपे लेखों और निबंधों के साथ ही देशभक्ति के गीतों ने लोगों में आजादी का जज्बा भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जन मानस को आन्दोलित तथा उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखी गयी रचनाओं को छपते ही ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, ताकि वे आम देशवासी तक न पहुँच सकें। ये चुनिंदा प्रतिबंधित गीत राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित हैं। उत्तराखंड के पत्रकारों द्वारा लिखे गये ये गीत स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक भी हैं। प्रस्तुत खण्ड में कुछ प्रतिबंधित गीतों, पुराने अखबारों के मुखपृष्ठ, स्वाधीनता आन्दोलन संबंधी दस्तावेज एवं भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आदि अभिलेख दिये गए हैं। ....

राष्ट्रपताका

यह राष्ट्र ध्वजा धन मेरा, जीवन बलिदान करेंगे।
झंडा है प्राण हमारा, प्राणों से बढ़ कर है प्यारा,

तन मन धन इस पै वारा, जीवन कुरबान करेंगे ॥1॥
शूली पर उछल चढ़ेंगे, बन्धन से नहीं डरेंगे,

सब कुछ सानन्द सहेंगे, पर झंडा नहीं तजेंगे ॥2॥

आओ झंडा फहरावें, शुचि राष्ट्र भाव दर्शावें,
सत्याग्रह समर दिखावें, पर हिंसा नहीं करेंगे ॥3॥

उच्च हिमालय की चोटी पर जाकर इसे उड़ायेंगे
विश्व विजयनी राष्ट्र पताका का गौरव फहरायेंगे

सबसे ऊंची रहे न इसको नीचे कभी झुकायेंगे
समरांगण में लालताडिले लाखों बलि बलि जायेंगे

गूंजे स्वर संसार-सिन्धु में स्वतन्त्रता का नमोनमो
राष्ट्र-गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमोनमो

मोहन और मोहन दास

उठो लेखनी आज फिर लेकर वह अभिमान।
मोहन मोहन दास का करना है गुण गान॥

इसी देश को भेटने आये दोनों नाम।
वह केवल मोहन रहे यह हैं मोहनदास॥

वह विख्यात ब्रज बिहारी थे तो यह गुजरात बिहारी हैं।
वह चक्र सुदर्शन धारी थे, तो यह भी तकलीधारी हैं।

वह काली कमली वाले थे यह खादी सब दिखलाते हैं।
वह वंशी मधुर बजाते थे, यह चरखा खूब चलाते हैं।

वह प्रगटे कारागार में थे, यह कारागार के वासी हैं।
वह सूत्र महाभारत के थे यह नेता सत्याग्रह के हैं।

वह दूध गाय का पीते थे, इनको बकरी का भाया है।
गोवर्धन उधर उठाया था, भारत को इधर जगाया है।

वह मथुरा से द्वारिका आये थे, यह अफ्रीका से यहां आये हैं।
वह माखन चोर कहाते हैं, यह नमक चोर कहलाये हैं।

उनका भी भक्त जमाना था, इनका भी भक्त जमाना है।
उन मोहन का बरसाना था इन मोहन का घरसाना है।

तब भी यह भारत निर्भय था अब भी यह भारत निर्भय है।
इस कारण राधेश्याम कहो, सब मिल कर मोहनदास की जै।

गीतों से अंग्रेजों का मुकाबला

सर फ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है

सर फ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है ॥

राहरवे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में।
लज्जते सहरा नवरदी दूरिये मंजिल में है ॥

वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आस्मां।
हम अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है ॥

आके मकतल में यह कातिल कह रहा है बार बार।
क्या तमनाये शहादत भी किसी के दिल में है।

ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत तेरे कदमों पर निसार।
तेरी कुरबानी का चर्चा गैर की महफिल में है।

अब न अगले वलवले हैं और न अरमाणों की भीड़।
एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल है।

"अक्सीर सियालकोटी" द्वारा संग्रहीत, ऐंग्लो ओरियन्टल प्रेस. लाहौर से मुद्रित.
"स्वराज्य की गूंज" पुस्तक से।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य।

अवाप्ति संख्या : 829-830।

स्वदेश प्रेम

सेवा में तेरी भारत ! तन मन लगायेंगे हम ।
फिर स्वर्ग का सहोदर, तुझ को बनायेंगे हम ।।

तुझ से जिये तुझी ने, पालन किया हमारा ।
उपकार जितना करता, क्या क्या गिनायेंगे हम ।।

तेरे ऋणों का बोझा, सर पर धरा हमारे ।
करके प्रयत्न पूरा, उसको चुकायेंगे हम ।।

तेरे लिये जियेंगे, तेरे लिये मरेंगे ।
आखिर स्वतन्त्र करके तुझको दिखायेंगे हम ।।

हुलास वर्मा, "प्रेमी" द्वारा संपादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून मे मुद्रित, "क्रान्ति गीतांजलि" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य मे ।

अवाप्ति संख्या 487—489 ।

वार की

जान ली सारी हकीकत आपके सरकार की ।
तारीफ क्यों करते हो झूठी जालिमें बदकार की ।।

बद चलन को सर चढ़ा कर नाचते भी आप हैं ।
फक्र करते हो उसी पे जो कौम है मक्कार की ।।

भूलकर कौमी मुहब्बत बन गये गद्दार तुम ।
खाते हो टुकड़ा हमारा गाते हो उस पार की ।।

देख चुके हम तुम्हें पहिचान भी पूरा लिया ।
कर दिया सीना अगाड़ी गम नहिं है वार की ।।

स्वामी विचारानन्द सरस्वती द्वारा लिखित तथा अभय प्रेस, देहरादून से मुद्रित, "विचार तरंग" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या 885—887 ।

भारत भक्त

बनेंगे हिन्द के योगी धरेंगे ध्यान भारत का ।
उठा कर भक्ति का झंडा करें उत्थान भारत का ।।

गले में शील की माला पहिन कर ज्ञान की कफनी ।
पकड़ कर त्याग का डंडा रखेंगे मान भारत का ।।

जला कर कष्ट कीहोली उठा कर कष्ट की झोली ।
जमा कर सन्त की टोली करेंगे गान भारत का ।।

तजें सब लोक की लज्जा तजें सुख भोग की शय्या ।
न छोड़े बान ऋषियों की जो है विद्वान भारत का ।।

न है सुख भोग आकांक्षा न है धन माल की इच्छा ।
न है संसार की बांछा चहें सम्मान भारत का ।।

स्वरों में तान भारत की है मुख में गान भारत का ।
नसों में रक्त भारत का उदर में प्राण भारत का ।।

हमारे जन्म का सार्थक हमारे मोक्ष का मारग ।
हमारे लक्ष्य में वह हो बने उद्यान भारत का ।।

पं० नित्यानन्द पाण्डेय द्वारा संग्रहीत, अभय प्रेस, देहरादून मे मुद्रित "स्वराज्य का विगुल" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या 810 ।

बन्देमातरम्

कौम के खादिम की है, जागीर बन्देमातरम् ।
है वतन के वास्ते, अक्सीर बन्देमातरम् ॥

जालिमों को है उधर, बन्दूक पर अपनी गरूर ।
है इधर हम बेकसों का, तीर बन्देमातरम् ॥

कत्ल की हमको न दें, धमकी हमारे सब्र से ।
तेग पर हो जायगा, तहरीर बन्देमातरम् ॥

किस तरह भूलूं इसे मैं, जबकि किस्मत में मेरी ।
लिख चुका है राकिमें, तहरीर बन्देमातरम् ॥

फिक्र क्या जल्लाद ने गर, कत्ल पर बांधी कमर ।
रोक देगा दूर से, शमशीर बन्देमातरम् ॥

जुल्म से गर कर दिया, खामोश मुझ को देखना ।
बोल उट्ठेगी मेरी, तस्वीर बन्देमातरम् ॥

सर जमीं इंगलैण्ड की, हिल जायगी दो रोज में ।
गर दिखायेगी कभी, तासीर बन्देमातरम् ॥

सन्तरी भी मुजतरिब थे, जब कि हर झंकार पर ।
बोलती थी जेल में, जंजीर बन्देमातरम् ॥

हुलास वर्मा "प्रेमी" द्वारा संपादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून से मुद्रित, "क्रान्ति गीतांजलि" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या 487—489 ।

अरूजे कामयाबी पर कभी हिन्दोस्तां होगा ।
रिहा संयाद के हाथों से अपना आशतां होगा ।।

चखायेंगे मजा बरबादिये गुलशन का गुलची को ।
बहार आजायेगी उस दिन जब अपना बागवां होगा ।।

वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है ।
सुना है आज मक़तल में हमारा इमतिहां होगा ।।

जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज ।
न जाने बाद मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा ।।

यह आये दिन की छेड़ अच्छी नहीं ऐ खंजरे क़ातिल ।
बता कब फैसला उन के हमारे दर्मियां होगा ।।

शहीदों की चितावों पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले ।
वतन पर मरनेवालों का यही बाकी निशां होगा ।।

कभी वह दिन भी आयेगा कि जब स्वराज देखेंगे ।
जब अपनी ही जमीं होगी जब अपना आसमां होगा ।।

हुलास वर्मा "प्रेमी" द्वारा सम्पादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून से मुद्रित, "क्रांति गीतांजलि" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य।

अवाप्ति संख्या 487—489।

राष्ट्रपताका

यह राष्ट्र ध्वजा धन मेरा, जीवन बलिदान करेंगे ।
झंडा है प्राण हमारा, प्राणों से बढ़ कर है प्यारा,

तन मन धन इस पै वारा, जीवन कुरबान करेंगे ॥1॥
शूली पर उछल चढ़ेंगे, बन्धन से नहीं डरेंगे,

सब कुछ सानन्द सहेंगे, पर झंडा नहीं तजेंगे ॥2॥

आओ झंडा फहरावें, शुचि राष्ट्र भाव दर्शावें,
सत्याग्रह समर दिखावें, पर हिंसा नहीं करेंगे ॥3॥

उच्च हिमालय की चोटी पर जाकर इसे उड़ायेंगे
विश्व विजयनी राष्ट्र पताका का गौरव फहरावेंगे

सबसे ऊंची रहे न इसको नीचे कभी झुकायेंगे
समरांगण में लाललाडिले लाखों बलि बलि जायेंगे

गूंजे स्वर संसार-सिन्धु में स्वतन्त्रता का नमोनमो
राष्ट्र-गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पतका नमोनमो

हुलास वर्मा "प्रेमी" द्वारा संपादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून से मुद्रित, "क्रांति गीतांजलि" नामक पुस्तक से ।
राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।
अवाप्ति संख्या 487—489 ।

आजाद करो

भारत के वीरो भारत को आजाद करो आज़ाद करो ।
इस फैशन से मत घर को बरबाद करो बरबाद करो ।।

अब देश तुम्हारा है उजड़ा और काम तुम्हारा है सब बिगड़ा ।
इस उजड़े भारत को अब तुम आबाद करो आबाद करो ।।

गर ऋषियों की सन्तान हो तुम तो देश पै अब बलिदान हो तुम ।
अपने बल पौरुष की अब तुम कुछ याद करो कुछ याद करो ।।

लाखों जन भूखों मरते हैं और आह तलक नहीं करते हैं ।
कुछ गौर से अपने भाइयों की इम्दाद करो इम्दाद करो ।।

अब द्वेषभाव को छोड़ो तुम और तौके गुलामी तोड़ो तुम ।
जिस तरह से होवे उसी तरह इतिहाद करो इतिहाद करो ।।

जो वीर देशहित मरते हैं वह अमर सदा ही रहते हैं ।
इस बात "शुक्ल" की पर प्यारो इत्तफाक करो इत्तफाक करो ।।

पं० नित्यानन्द पाण्डेय द्वारा संग्रहीत तथा अभय प्रेस, देहरादून में मुद्रित, "स्वराज्य का बिगुल" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या ४१० ।

बलिदान आह्वान

मेरी जां न रहे मेरा सर न रहे, सामान रहे न ये साज रहे ।
फकत हिन्द मेरा आजाद रहे, माता के सर पर ताज रहे ।।

पेशानी में सोहे तिलक जिसकी, औ गोद में गान्धी विराज रहे ।
न ये दाग बदन में सफेद रहे, न तो कोढ़ रहे न ये खाज रहे ।।

मेरे हिन्दु मुसलमां एक रहें, भाई भाई सा रस्मो रिवाज रहे ।
मेरे वेद पुराण कुरान रहें, मेरी पूजा सन्ध्या नमाज रहे ।।

मेरी टूटी मण्डैया में राज रहे, कोई गैर न दस्तन्दाज रहे ।
मेरी बीन के तार मिले हों, सभी एक भीनीमधुर आवाज रहे ।।

ये किसान मेरे खुश हाल रहें, पूरी हो फसल सुख साज रहे ।
मेरे बच्चे वतन पै निसार रहें, मेरी मां बहिनों में लाज रहे ।।

मेरी गाय र मेरे बैल रहें, घर-घर में भरा नित नाज रहे ।
घी दूध की नदियां बहती रहें, हरसूआनन्द स्वराज्य रहे ।।

"शर्मा" की है चाह खुदा की कसम, मेरे बाद वफात ये याद रहे ।
ाढ़े का कफन हो मुझपे पड़ा, वन्दे मांतरम् अल्फाज रहे ।।

"हुलास वर्मा," प्रेमी, द्वारा संपादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून से मुद्रित, "क्रांति गीतांजलि" पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबन्धित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या : 487—489

सत्याग्रह का बिगुल

बिगुल बजा है सत्याग्रह रण थल में अड़ जाना होगा ।
हसते बलि वेदी पर गोरव मे चढ़ जाना होगा ।।

जीवन की है ज्योति अनुपम इसको आज बुझाना होगा ।
रणचण्डी को युद्ध भूमि में मर कर तुम्हें रिझाना होगा ।।

ऐ जीवन मद के मतवाले नींद त्याग कर शस्त्र उठाले ।
उठ पड़ ऐ मद होश युद्ध में सोना और सुलाना होगा ।।

शत्रु कोप की प्रबल प्रचंड ज्वाल में आहुति देनी है ।
उफ़ तक मुंह से बिना निकाले हंस हंस कर जल जाना होगा ।।

मातृभूमि के दर्द भरे करुणा क्रंदन को सुन कर के ।
रक्त ऋणी सैनिकगण मां आज स्वतंत्र कराना होगा ।।

धर्म अहिंसा पर दृढ़ रह कर जीवन की बलि दे दो वीर ।
जती जतीन दास सम भूखों तड़प तड़प मर जाना होगा ।।

प्राणों की बाजी का सौदा प्रेम से करलो ऐ वीरो ।
जीवन और मृत्यु का पल पल पर इस खेल खिलाना होगा ।।

प्रेम धर्म के प्रेम विश्व में सदा प्रेम जय पाता है ।
इसी तत्व को सन्मुख रख कर प्रेम भाव दरसाना होगा ।।

सोमेन्द्र मुकर्जी देहरादून द्वारा सम्पादित तथा शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद से मुद्रित ।
"क्रांति पुष्पांजलि" नामक पुस्तक से ।
राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।
अवाप्ति संख्या 524 ।

मोहन और मोहन दास

उठी लेखनी आज फिर लेकर यह अभिमान ।
मोहन मोहन दास का करना है गुण गान ।।

इसी देश को मेटने आये दोनों त्रास ।
वह केवल मोहन रहे यह हैं मोहनदास ।।

वह विख्यात बृज बिहारी थे तो यह गुजरात बिहारी हैं ।
वह चक्र सुदर्शन धारी थे, तो यह श्री तकलीधारी हैं ।

वह काली कमली वाले थे यह खादी मय दिखलाते हैं ।
वह वंशी मधुर बजाते थे, यह चरखा खूब चलाते हैं ।

वह प्रगटे कारागार में थे, यह कारागार के वासी हैं ।
वह सूत्र महाभारत के थे यह नेता सत्याग्रह के हैं ।

वह दूध गाय का पीते थे, इनको बकरी का भाया है ।
गोबरधन उधर उठाया था, भारत को इधर जगाया है ।

वह मथुरा से द्वारिका आये थे, यह अफ्रीका रह आये हैं ।
वह माखन चोर कहाते हैं, यह नमक चोर कहलाये हैं ।

उनका भी भक्त जमाना था, इनका भी भक्त जमाना है ।
उन मोहन का बरसाना था इन मोहन का धरसाना है ।

तब भी यह भारत निर्भय था अब भी यह भारत निर्भय है ।
इस कारण राधेश्याम कहो, सब मिल कर मोहनदास की जै ।

सोमेन्द्र मुकर्जी देहरादून द्वारा सम्पादित तथा शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद से मुद्रित ।
"क्रान्ति पुष्पांजलि" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या 524 ।

बलिदान

चाहती है माता बलिदान, जवानों उठो हिन्दू संतान ।।

चाहती है माता ०

हंसते हुये फूल से आकर, शीश झुका दो मां के पग पर ।
कटता हो कट जाने दो सर, तनिक न हो हैरान ।।

जवानों उठो ०

सोनेवालो ! उठो कड़क कर, जागे हुये बढ़ो वेदी पर ।
बूढ़ा हो नारी हो या नर, सबको है आह्वान ।।

जवानों उठो ०

हो चमार भंगी या पासी विप्र पुजारी या सन्यासी ।
धनी दरिद्री हो उपवासी, सबका भाग समान ।।

जवानों उठो ०

उठो अपढ़ मूरख विद्वानों, हिन्दू मुस्लिम और किरस्तानों ।
जैन, पारसी, सिक्ख, महानों, प्यारी मां के प्रान ।।

जवानों उठो ०

ओ छात्रो ! भावी अधिकारी, उठो-2 निद्रित व्यापारी ।
उठो मजूरो दीन भिखारी, दुखी दरिद्र किसान ।।

जवानों उठो ०

हो गुलाम कैसा ही दागी, वर्तमान शासन अनुरागी ।
नरम गरम वैरागी त्यागी, उठो सभी मतिमान ।।

जवानों उठो ०

स्वार्थ और मतभेद मिटाओ, बैर फूट को दूर भगाओ ।
फहराओ तुम आज हिन्द में, इक जातीय निशान ।।

जवानों उठो ०

फांसी चढ़ो जेल में जाओ, भयवस कभी न देश भुलाओ ।
हथकड़ियों पर मिल कर गाओ, स्वतन्त्रता का गान ।।

जवानों उठो०

पूरन करो यज्ञ माता का, ज्यों प्रताप अभिमानी बांका ।
ज्यों शिव सूर्य हिन्द गुरुता का, जैसे तिलक महान ।।

जवानों उठो०

मीठी गमन झंकार सुखारी गांधी वीणा की अतिप्यारी ।
"माधव" मस्त उठो दिखलादो, कालों में है जान ।।

जवानों उठो०

हुलास वर्मा "प्रेमी" द्वारा संपादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून में मुद्रित, "क्रांति गीतांजलि " नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या 487—489 ।

देशभक्त वीर की गर्जना

तेरी इस ज़ुल्म की हस्ती को ऐ ज़ालिम मिटा देंगे ।
ज़ुबां से जो निकालेंगे वह हम करके दिखा देंगे ॥

भड़क उट्ठेगी जब सीनए सोज़ां की दुइ आतिश ।
तो हम यक सर्द आह भरकर तुझे ज़ालिम जला देंगे ॥

हमारे आह व नाले को तुम बे सूद मत समझो ।
जो हम रोने पै आएंगे तो एक दरया बहा देंगे ॥

हमारे सामने सख्ती है क्या इन जेलखानों की ।
वतन के वास्ते हम दारपर चढ़कर दिखा देंगे ॥

हमारे फाके मस्ती कुछ न कुछ रंग लाके छोड़ेगी ।
निशां तेरा मिटा देंगे तुझे जब बद्दुआ देंगे ॥

हजारों देश भक्त अब कौमी परवाने हैं जिन्दा में ।
हम उनके वास्ते सब माल ज़र अपना लुटा देंगे ॥

कुछ इस में राज था मुद्दत से जो खामोश बैठे थे ।
हम अब करने पै आये हैं तो कुछ करके दिखा देंगे ॥

अगर कुछ भेंट आज़ादी की देवी हमसे मांगेगी ।
समझ कर हम उसे किस्मत सब अपने सर चढ़ा देंगे ॥

नहीं मंज़ूर अब इज्ज़त हमें सरमायेदारों की ।
बनाकर शाह कृति को सिंहासन पर बिठा देंगे ॥

कुन्दन शर्मा "प्रेमी" द्वारा संपादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून से मुद्रित, "क्रान्ति गीतांजलि" नामक पुस्तक से ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य ।

अवाप्ति संख्या 487—489 ।

हिन्दोस्तां हमारा

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।
हम बुलबुले हैं उसकी वह गुलिस्तां हमारा।

गुर्बत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में।
समझो हमें वहीं पर दिल हो जहां हमारा।

पर्वत वह सबसे ऊंचा हम साया आसमां का।
वह संतरी हमारा वह पांस वां हमारा।

गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदियां।
गुलशन है जिनके दम से रश्के जिनां हमारा।

ऐ आबे रोदे गंगा वह दिन है याद तुझको।
उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा।

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिंदी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।

यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गये जहां से।
अब तक मगर है बाकी नामों निशां हमारा।

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं मिटाये।
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।

"इकबाल" कोई महरम अपना नहीं जहां में।
मालूम क्या किसी को दर्दे निहां हमारा।

"आर० एन० शर्मा" द्वारा संग्रहीत तथा मातंण्ड प्रेस, दिल्ली से मुद्रित, "भारतमाता के जख्मी लाल" पुस्तक से।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य।

अवाप्ति संख्या : 288—293।

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती...

स्वयं प्रभा समुज्वला
स्वतंत्रता पुकारती...

"अमर्त्य वीर-पुत्र हो
दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो।

प्रशस्त पुण्य पंथ है
बढ़े चलो बढ़े चलो॥"

असंख्य-कीर्ति रश्मियां
विकीर्ण दिव्य दाह सी

सपूत मातृभूमि के
रुको न शूर साहसी

अराति-सैन्य-सिन्धु में
सुबाड़वाग्नि से जलो

प्रवीर हो जयी बनो
बढ़े चलो बढ़े चलो॥

विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव ("विशारद") द्वारा संकलित तथा सरस्वती प्रेस, काशी से मुद्रित, "संगीत सरोवर" नामक पुस्तिका से।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य।

अवाप्ति संख्या 731—733।

सफल जीवन

जननी जन्म भूमि बेदी पर जो सर्वस्व चढ़ाते हैं।
धन्य धन्य जीवन है उनका, वही जन्म फल पाते हैं॥

अत्याचार अनीति दबाते, दीन दुखी का हाथ बटाते।
स्वतंत्रता का श्रोत बहाते, मातृ भूमि की लाज बचाते॥

जो बन्दी जाते हैं।

धन्य धन्य जीवन है उनका वही जन्म फल पाते हैं।
निर्वासन है चन्दन बनसा, कटि कोपीन विचित्र वरूण सा,

है जंजीर सुमन-बंधन सा, कारागृह है देव सदन सा,

वही स्वर्ग-सुख पाते हैं।

धन्य धन्य जीवन है उनका वही जन्म फल पाते हैं।

हुलास वर्मा "प्रेमी" द्वारा संपादित तथा भास्कर प्रेस, देहरादून से मुद्रित, "क्रान्ति गीतांजलि" नामक पुस्तक से।

राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य।

अवाप्ति संख्या 487—489।

अभिलेखागारों में ऐतिहासिक अखबार एवं दस्तावेज

THE

INDIAN FORESTER

(FOUNDED IN 1875)
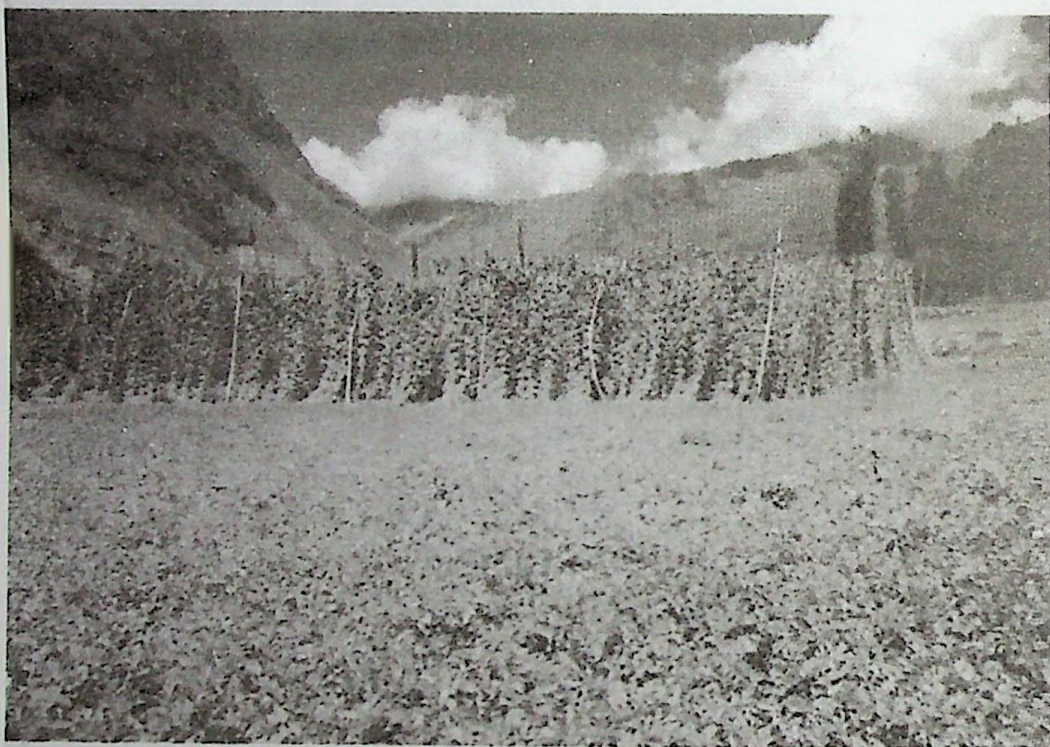
VOL. 123 MAY 1997 NO. 5

Registerd No A. 879

ओ३म्

गढ़वाल-समाचार

मासिकपत्र

पृष्ठांक विषयसूची पृष्ठांक

THE ALMORA AKHBAR

अल्मोड़ा अखबार

एक साप्ताहिकपत्र

जो प्रति सोमबार को मुद्रित हो कर प्रकाशित होता है

असम्पादयतः कानि दर्शजाति क्रियागुणैः॥

यदृच्छा शब्दवत्पुंसः संज्ञायैजन्मकेवलम्॥

खण्ड १४	श्रावणवदी ६ सोमवार संवत १९४१ १४ जौलाय सन ८४	अंक १५

मूल्य अग्रिम मासिक ।) डाकव्यय) वार्षिक ६) डाकव्यय ।।।) है

मूल्य पीछे मासिक ।।) डाकव्यय) वार्षिक ६।।।) डाकव्यय ।।।) है

अलमोड़ा अखबार– 14 जुलाई 1884

एक क्रांति की कथा।

कुमाऊँ का कुली कलंक कैसे कटा।

बागेश्वर कांड का सच्चा इतिहास।

महात्मा गांधी जी के पत्र से उद्धृत।

अलमोड़ा अखबार

भाग २ | संख्या १
मासिक पत्र
जनवरी १९१९ ई०

पुरुषार्थ

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

विषय-सूची

प्रति शुक्रवार को प्रकाशित होता है { १२ वैशाख सं० १९७७ वि० { दयानन्दाब्द ३७ } ता० २३ अप्रैल सन् १९२० ई० } संख्या १ भाग १

ओ३म्

श्रद्धाञ्जलिः

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् ।
दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ यजु० १९ । ३० ॥
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ ऋग्वेद । मं० १० । सूक्त १५१ ॥

व्रत को धारण कर होते हैं नर दीक्षा के अधिकारी ।
दीक्षित होने से मिलती है पुण्य दक्षिणा सुखकारी ।
वही दक्षिणा मन में श्रद्धा का अंकुर उपजाती है ।
जो असत्य को दूर हटा कर सत्य प्राप्त करवाती है ॥ १ ॥
यज्ञ कुण्ड में श्रद्धा से ही अग्नि प्रदीप्त की जाती है ।
श्रद्धा ही उस दीप्त अग्नि में आहुति भी दिलवाती है ।
श्रद्धा ही बन मुकुट धर्म के सिर पर शोभा पाती है ।
श्रद्धा की यह अद्भुत महिमा श्रुति स्वयं बतलाती है ॥ २ ॥
उड़ते २ जहां तर्क के पंख बंद होजाते हैं ।
जहां विकल हो प्रतिभा के भी नेत्र बंद होजाते हैं ।
[illegible] मात्र से जहां कि तारे झिलमिल २ करते हैं ।
[illegible] हृदय [illegible], जहां स्वतन्त्र विचरते हैं ॥ ३ ॥
जहां प्रेम की शीतल छाया से हृदय कुसुम खिलजाता है ।
और शान्ति के रम्य धाम में सुख अनुपम मिलजाता है ।
[illegible] जहां से नीचे ही रह जाते हैं ।
श्रद्धा के शुभ द्वार वहां पर अपनी छटा दिखाते हैं ॥ ४ ॥
हटा तिमिर, आलोकमयी शुभ उषा मनोहर आती है ।
खिली लतायें झूम रही हैं कोकिल कूक सुनाती हैं ।
श्रद्धा को यह कुसुमाञ्जलि है वसन्त का नव उपहार ।
प्रिय पाठक ! स्वीकार कीजिये सुख सुरभित नित सुरभित हार ॥ ५ ॥

"पार्थी"

श्रद्धा

हे ! भीम झञ्झावात ! बस तेरी कुटिल चालें रहें,
उन कंटीली झाड़ियों में वेग से जा कर बहें ।
देख, श्रद्धा कुसुम का होता यहां उल्लास है,
स्वर्गीय-पावन-रम्य ओह ! कैसा मधुर सहवास है ॥ १ ॥
इस की मनोहर क्यारि में कैसी अनूठी गन्ध है,
सारा महकता बाग है उड़तीं सभी दुर्गन्ध हैं ।
प्रेममय-अमृत-जलों से एक इस को सींचते,
स्वच्छन्द हो, निर्भीक हो, भौंरे यहां हैं गूंजते ॥ २ ॥
विषमय पवन इसके मृदुलतम देह का बस स्पर्श कर,
होता सुरभिमय छोड़ देता एकदम अपनी जहर ।
संसार के सब रूप हैं इसकी मनोहर कान्ति में,
रहता सदा इस से ही यह सारा जगत् सुख शान्ति में ॥ ३ ॥
सच्चे हृदय का एक ये ही शुद्ध तम आगार है,
सुहृता यहीं—पर बस निराली एकता का [illegible] है ।
क्या रङ्क क्या राजा सभी हैं एक सम सु[illegible] में,
हर नहीं, ईर्षा नहीं आकर यहां उस [illegible] में ॥ ४ ॥

"आनन्द"

स्वाधीनता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की पत्रकारिता

॥ ओ३म् ॥

"ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत" Reg. No. A. 2927

सम्पादक—भारतभूषण वेदालङ्कार

एक प्रति का मूल्य -) [गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र] वार्षिक मूल्य २॥)

वर्ष ३] गुरुकुल काङ्गड़ी, शुक्रवार २१ ज्येष्ठ १९९५ ; ३ जून १९३८ [संख्या ३

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ॥

[ले०—श्री स्वामी [illegible]पुरी जी महाराज]

(गतांक से आगे)

"साम सन्तान:" इन शब्दों पर विचार किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वर्ण, स्वर, मात्रा और बल इन सबको बीज समझा जाय तो उसके फलस्वरूप में "साम" की प्राप्ति होती है। "साम" नामक एक वेद है यह तो हम सब भलीभांति जानते ही हैं इसलिये यदि हमको सामवेदज्ञ बनना है या अपनी सन्तान को सामवेदज्ञ बनाना है तो हमें वर्ण, स्वर, मात्रा तथा बल यह चार बातें सबसे प्रथम अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए और अपनी सन्तान को भी सबसे प्रथम यही चार बातें सिखाना चाहिये। इनमें से प्रथम दो (वर्ण और स्वर) तो सामान्यतया किसी न किसी स्वरूप में सिखा ही दिये जाते हैं परन्तु मात्रा और बल पर पूरा लक्ष २ दिये जाने ही से भाषा की ठीक २ रचना हो सकती है वर्ना नहीं।

इसी शब्द "साम सन्तान" का यह भी अर्थ हो सकता है कि वर्ण, स्वर, मात्रा और बल इन बातों को ठीक ठीक तौर पर सीख लेने से बालक का "शीन काफ" दुरुस्त होकर वह "साम" अर्थात् वेद पढ़ने का अधिकारी हो सकता है। और इसी कारण से आर्यों के पूर्वजों ने शिशु-अवस्था वाले विद्यार्थी का पहिले उसका शीन काफ दुरुस्त करने के बाद उसको उपनयन संस्कार कर वेदारम्भ करने की परिपाटी प्रचलित की थी। और वेदारम्भ संस्कार करने के साथ ही उसे गायत्री मन्त्र सिखा देने की पद्धति परम्परा से चली आती है।

वेदारम्भ संस्कार होने के बाद बच्चे को यह सिखाना चाहिये कि जिस प्रकार तुमने अपनी बारहखड़ी में से अक्षर "बो" तथा इसी "[illegible]" तलाश करके अपनी स्लेट पर लिखा था उसी प्रकार जो कुछ आवाज तुम अपने मुख से निकालो उसको लिखने के लिये वही अक्षर बारहखड़ी में से तलाश करके लिखते जाओ। फिर उसके बाद लक्ष इस बात पर दो कि कितने अक्षर तुम्हारे मुंह से एक साथ निकलते हैं फिर उनको स्लेट पर इकट्ठे एक ही यत्न में एक ही रेखा के नीचे लिखो। जैसे कि तुम बोले कि "घोड़ा दौड़ता है" तो चूंकि "घोड़ा" यह दो अक्षर हम इकट्ठे बोलते हैं इसलिये हमको अक्षर "घो" तथा अक्षर "ड़ा" एक ही रेखा के नीचे लिखना चाहिये और इसी प्रकार अक्षर "दौ" तथा अक्षर "ड़" तथा अक्षर "ता" इनको भी एक ही रेखा के नीचे (जोड़ता) लिखना चाहिये क्योंकि इन तीनों ही वर्णों को तुम अपने मुंह से एक साथ ही बोलते हो। इस प्रकार के कई एक दृष्टान्त देकर अन्त में बालक को समझाना चाहिये कि जितने वर्ण तुमने इकट्ठे एक लाइन के नीचे लिखे हैं उन सब वर्ण समूह को "शब्द" कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थी को यह समझाना चाहिये कि जैसे कई एक अक्षरों को मिलाकर तुमने एक शब्द बनाया है उसी प्रकार कई एक शब्दों को एकत्र मिलाकर लिखने से जो रचना बनती है उसको "वाक्य" कहते हैं।

फिर बालक को यह समझाया जाय कि जैसे तुम अपने मुख से वाक्यों को बोलते हो वैसे ही तुमको अपनी कलम से कागज़ के ऊपर वाक्यों को लिखना चाहिये और फिर अपने किसी मित्र को उसे पढ़ने को कहना चाहिये और तुमको लक्ष देना चाहिये कि जो कुछ बात तुमने अपने मन से उत्पन्न करके वाक्यों द्वारा कागज़ पर लिखी थी वही बात तुम्हारा मित्र पढ़ रहा है या क्योंकर। यदि कागज़ पर लिखे हुए वाक्यों को पढ़ने पर तुम्हारा मित्र तुम्हारे मन की बात ठीक तौर पर नहीं पढ़ रहा तो तुमको समझना चाहिये कि तुम्हारा लेख अशुद्ध है और तुमने मात्रा या बल अर्थात् स्वर और व्यञ्जन की मिलावट में कुछ भूल की है और उस भूल को अपने मुख से शब्दों के उच्चारण द्वारा समझकर शुद्ध कर लेना चाहिये।

मिटा अविद्या अन्धकार अरु, फैलाने को ज्ञानालोक ।
जन्मा है "गढ़देश" लोक में, देश दुर्दशा निज अवलोक ॥

वर्ष १	श्री कृष्णाङ्क	अङ्क १८

भीष्म-प्रतिज्ञा

[रचयिता—श्री कविवर पं० कन्हैयालाल जी मिश्र 'प्रभाकर' विद्यालङ्कार, देवबन्द]

"मैं न उठाऊँगा शस्त्र कभी,
महाभारत में" कहा कृष्ण मुरारी ।
सुन कृष्ण-कथन मुसकाये पितामह,
क्षण-मात्र कथा निज मन में विचारी ॥
हाथ उठा, गरजे औ' कहा,
"यदि भीष्म अहो, सच्चा ब्रह्मचारी ।
युद्ध में शस्त्र उठाएंगे वे,
घनश्याम से आज है होड़ हमारी ॥

———

"शक्ति"

विजय—पत्र

मैनेजर का निवेदन

SWARAJYA SANDESH वन्दे मातरम् REGISTERED No.A 346

वही धर्म, वहो कर्म; वल; वहो विद्या वहो मंत्र, जासों निज गौरव सहित होय स्वदेश स्वतन्त्र

वार्षिक मूल्य १॥। } सम्पादकः—हुलासवर्मा (प्रेमो) { एकप्रति)॥

वर्ष ५ } १अगस्त सन् १६४० ई० { अंक १०

राजकोट-राष्ट्रीयशाला में "चर्खा-जयन्ती"

[७१ दिन का कार्यक्रम, २०-७-४० से २८-६-४० तक]

"भादो वदी १२ के दिन पूज्य श्री गांधीजी की ७२ वाँ वर्ष शुरू होगा। देश के उद्धार के लिए उन्होंने चर्खे को अग्रस्थान दिया है, इसीलिए यह दिन 'चर्खा-जयन्ती' के रूप में मनाया जाता है।

६ साल से राष्ट्रीयशाला की ओर से कताई के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हर साल गांधीजी अपना आशीर्वाद भेजते रहे हैं। एक बार आशीर्वाद भेजते हुए उन्होंने लिखा था, "आजकल के इस शिथिल वातावरण में यह काम कठिन है; नीरस भी कहा जा सकता है। किन्तु अचल श्रद्धा कठिन को सरल और नीरस लगनेवाले काम को भी सरस बना देती है। तुम्हरी श्रद्धा तुम्हारे वायुमंडल को चर्खे की शक्ति दिखाती रहे।" दूसरी बार लिखा, "सबको खदी की चेप लग जायें, तो सूत के तार से स्वराज बँधा है, यह बात सहज ही सिद्ध हो जाये। मैं तो कहूंगा कि खादी में मेरा बीस वर्ष पहले जो विश्वास था वह अगर शक्य हो, तो आज बढ़ा है, घटा तो निश्चय ही नहीं।"

यह उद्गार उनकी जयन्ती के प्रसंग पर खादी-कार्य की ओर लोगों को प्रेरित करने के लिये काफी हैं।

नोट के बदले रुपये न देने पर सजा

देहरादून के ला० आशाराम जी बजाज और ऋषीकेश के लाला अमीर सिंह जी जैन नोट और रुपयें के चक्कर में अदालत माहवह क्रमशः ६ और ६ महिने की सख्त और सौ सौ रुपये जुर्माने की सजायें हुई थी जिसको सिसन जज साहिब के यहां मुलाजिमान ने अपील दायर की थी ता० १-८-४० को श्री सिसन जज साहिब अदालत से हर दो मुलाजिमान को तीन २ महीने की सजा और सौ सौ रुपये जुर्माने की सजा बहाल रही मालूम हुआ है कि हर दो मुलाजिमान हाई कोर्ट में अपील करने सोच रहे हैं।

श्री ला० गणपतराय चल बसे

देहरादून रामलीला बाजार के श्री लाला गणपत राय जी, जिन्होंने अपने नौकर को वेतन देने में हील हुज्जत की थी और भाला दिखाकर नौकर को धमकाना चाह रहा था, विप्रीत इसके नौकर ने उनका भाला छीन कर उन पर उल्टा हमला किया था और लाला जी के ऐसे जोर से भाला मारा था कि लाला जी की अंतड़ियाँ निकल पड़ी थी जिसकी वजह से लाला जी अस्पताल में पड़े थे अब मालूम हुआ है कि लाला जी का अस्पताल में स्वर्गवास हो गया है।

हुलास वर्मा प्रिन्टर पब्लिशर स्वराज्य सन्देश के लिये हिन्दी भाग देहरादाइम्स प्रेस, में मुद्रित हुआ।

स्वराजयन्ती विशेषांक १९७२

समर्पण

सम्पादकीय

परमात्मने नमः

विशाल-कीर्ति

मासिक पत्र

भाग १ | भाद्र सितम्बर-अक्टूबर १९२३ | संख्या ७-८-९

अर्थात् सभा की शोभा ज्ञानोपदेशक से होती है, राजा का भूषण न्यायानुकूल प्रजापालन है, कुल की शोभा सुशील पुत्र से होती है, सज्जनों का अलंकार यथोचित वाणी है, ब्राह्मणों का भूषण वमन वेद ही है, स्त्रियों का उत्तम लज्जा है और 'यश' मनुष्यमात्र का भूषण है।

"नीतिसार".

50%

❀ गढ़वाली सिपाही-विद्रोह ❀ (५९)

हिन्दुस्तान के बहादुर सिपाहियों और भारत माता के सपूतों ! ४० करोड़ मनुष्यों की जन्मभूमि भारत माता सात समन्दर पार के मुट्ठी भर विधर्मियों (गोरी चमड़ी) की गुलामी में जकड़ी हुई है। ३,४ लाख अंगरेज आज (भारत माता) की छाती पर दाल दल रहे हैं और आप (फौजों) के माथे पर यह कलंक लगाया गया है कि हिन्दुस्तानी फौजों के बल पर ही हिन्दुस्तान की गुलामी बनी हुई है। आपकी संगीनों के बल पर ही अंगरेजों का खूनी शासन कायम है क्या आप इस कलंक को न मिटायेंगे ? कि हमारे ही भाई हमारे देश के दीवानों की छाती पर गोली चलायें। आप हमारे देश के सिपाही हैं, आपको हमारी रक्षा करनी है। क्या आप अपने निहत्थे भाइयों के खून से अपने पवित्र व बहादुर हाथों को रंगेगें ? समय आ गया जब कि आप को ढूंढ २ कर गोरी चमड़ी का नामों निशान मिटाकर देश से बाहर कर देना होगा। आपके बहादुर साथियों ने मिश्र और ईराक में विद्रोह कर दिया है। विद्रोह करना हर एक गुलाम का जाती पेशा है। सन् ५७ का सिपाही विद्रोह आपको याद होगा जिसने अंगरेजों के छक्के छुड़ा दिये थे। क्या बरमा की कहानी आपको याद नहीं है ? इन जालिम अंगरेजों ने हम पर क्या २ गजब ढाये हैं, वे आपको मालूम हैं। जलियांवाला बाग, सरदार भगत सिंह आदि हमारे नौजवानों का बलिदान आपको पुकार रहा है। हवलदार चन्द्र सिंह आपको रास्ता बता चुका है। आज दुनियाँ के सभी मुल्क आजाद हैं या आजादी के लिये लड़ रहे हैं। रूस, चीन, फ्रांस आदि देशों के सिपाहियों ने जब समय आया, सरकार का साथ छोड़कर जनता का साथ दिया और आजादी हासिल की। आपको भी ऐसा ही करना चाहिये। आजादी हमेशा फौजें ही लाती हैं, लेकिन अब तक हमारी फौजें गुलामी ला रही हैं। देश के पूज्य महात्मा गांधी और वीर बांका जवाहर लाल आज जालिमों की क़ैद में हैं। उनका आपके लिये यही पैग़ाम है कि आपका नाम व काम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। देश की पीड़ित जनता आशा भरी नज़र से आपकी ओर देख रही है।

महात्मा गांधी ने आपके लिये निम्न संदेश भेजा है :—

(१) पुलिस और फ़ौज से हमारा निवेदन है कि वे अपना खून देश की बेड़ियों को तोड़ने के लिये बहावें न कि उनको मज़बूत करने के लिये, उनकी संगीनें देश के दुश्मन पर चलें न कि देश के निहत्थे दीवानों पर। ब्रिटिश सरकार आपको आगे रखकर कटाने भर की साथी है। आपकी जान और आराम की वकत एक अंगरेज़ सिपाही की जान और आराम के पांचवे हिस्से के बराबर भी नहीं है जैसा कि उनकी और आपकी तनख्वाह से ज़ाहिर है।

(२) हर एक हिन्दुस्तानी सिपाही अपने को कांग्रेस मैन माने। यदि ऐसा करने से उनको मदद किया जा सके तो उनको खुशी २ इस प्रकार के हुक्म को मानने से मनाह कर देना चाहिये। उनका कर्तव्य निहत्थों पर गोली चलाना, गैस फेंकना, या लाठी चार्ज करना

पेशावर विद्रोह के बाद का एक पर्चा

किसी भी आक्रमण का मुकाबला करेंगे

हल्द्वानी की विराट सभा में पूज्य पन्त जी का भाषण

ब्रिटिश सरकार की मौजूदा हालत नहीं रह सकती नई व्यवस्था में सभी विचारों का बोल बाला रहेगा

(पृष्ठ २ से आगे)

लाला मोहनलाल साह जी ने कहा कि आज यह मेरे लिए दूसरा मौका है जब कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कह रहा हूं। पहिली बार जब हमारे प्रान्त के भूत पूर्व प्रधान मन्त्री तथा हमारे नगर के सर्व श्रेष्ठ पुरुष तथा पूज्य पं० गोविन्दवल्लभ पन्त जी जब जेल को गए थे तब मैं पन्त जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए आप लोगों के सामने आया था। आज यह दूसरा मौका है और मुझे खुशी है कि आज मैं अपने दो साथियों का जो कि जेल से छूट कर आ रहे हैं स्वागत कर रहा हूं। इन में से एक पं० मोतीराम पांडे जी हैं और दूसरी श्रीमती भागीरथी देवी हैं। आगे चल कर आपने कहा कि हम आजादी के लिए लड़ रहे थे और इसी लिए हम लोग जेल में गए। मगर युद्ध के कारण ऐसी परिस्थिति आगई है कि हमें अपने देश वासियों की सेवा के लिए बाहर रहना आवश्यक होगया है। कांग्रेस ने हमें आदेश दिया है कि ऐसे समय में जब लड़ाई हमारे नजदीक आगई है हम जनता की अधिक से अधिक सेवा करें और उन्हें भय भीत न होने दें।

पूज्य पन्त जी का भाषण

पूज्य पन्त जी ने अपना भाषण देते हुए कहा कि आज व्याख्यान देने की न तो आवश्यकता थी और न मैं इस विचार से आया था। मेरा विचार था कि नगर के सभी विचारों के लोग बैठकर बातें करें और सलाह करें कि हम किस प्रकार आने वाली मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं।

पन्त जी ने फिर पं० मोतीराम पांडे जी तथा श्रीमती भागीरथी देवी का जेल से लौटने पर स्वागत करते हुए उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये दोनों हमारे बहादुर सिपाही हैं और दोनों कई बार जेल में हो आए हैं।

आप ने कहा मैं अब तक कई बार आप के सामने बोला और सरकार की आलोचना की मगर अब मैं जरूरत नहीं समझता कि ऐसी सरकार की जो कि अपने दिन गिन रही हो, लड़ खड़ा रही हो, आलोचना कर समय बर्बाद किया जाय। आज दुनियां की हालत बदल गई है। २-२॥ साल पहिले जब लड़ाई आरम्भ हुई और जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तब हम से बिना सलाह लिए हिन्दुस्तान को उस में शामिल कर दिया गया और कहा गया कि पोलैन्ड को जर्मनी ने छीन लिया है उस की आजादी के लिए हिन्दुस्तान को लड़ाई में शरीक होना चाहिए। हम ने कहा तुम हमारी स्वतन्त्रता स्वीकार करो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हर समझदार आदमी समझ सकता है कि जो देश खुद ही स्वतन्त्र नहीं वह दूसरे की स्वतन्त्रता की रक्षा किस प्रकार कर सकता है मगर बार २ यही कहा गया कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं और तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दो। अगर आजादी ऐसी चीज है तो पहिले हमें आजाद क्यों नहीं किया जाता? तब हमें फौज में भर्ती होकर तथा हर प्रकार आजादी के लिए लड़ सकेंगे। वह आदमी दूसरे का क्या इलाज कर सकता है जो खुद बीमार है हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं तो हम क्या कर सकते हैं?

आज चीन और रूस इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। चीन ४॥ साल से लगातार जापान का मुकाबला कर रहा है और रूसी सेना जर्मनी का मुकाबला कर रही है। यह इसी लिए कि ये दोनों देश स्वतन्त्र हैं और अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं, चर्चिल एमेरी व ब्रिटेन के अन्य लोग बार २ कहते हैं "हम एक २ इंच भूमि के लिए शत्रु से लड़ेंगे"। "हम कभी भी दूसरे देश का राज्य सहन नहीं करेंगे" "हम अपने बच्चे बूढ़े और जवान को अपने देश की रक्षा के लिए कटा देंगे" "अपने मुल्क की आजादी के लिए मर जाना अच्छा है मगर दूसरे के मातहत रहना अच्छा नहीं" हम भी यही कहते हैं जो कि वे कहते हैं। क्या हम इस लिए लड़ें कि हम इनको हमेशा के लिए अपना मालिक बनाए रहें? क्या हम अपने मुल्क में तुम्हारी गुलामी कायम रखने के लिए तुम्हारी मदद करें?

जापान ने जब से वह लड़ाई में आया इतनी जल्दी हांग कांग मलाया, सिंगापुर आदि देशों को लेलिया मगर चीन जिस के पास लड़ाई के विशेष अस्त्र शस्त्र नहीं हैं, इतनी बड़ी तैयारी भी नहीं ४॥ वर्ष से जापान का मुकाबला करता आरहा है क्यों? इसलिए कि उस की अपनी आजादी खतरे में है। वह अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है और सब कुछ खो कर भी लड़ेगा। लाखों सिपाहियों की टांगें कट गईं और लाखों घायल होगए। चीन में बहुत अधिक डाक्टर भी नहीं जो कि घायलों की मरहम पट्टी कर सकें मगर वे बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं।

रूस के लाखों सिपाही अपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे हैं। वे अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु को भी अपने हाथों नष्ट कर देते हैं ताकि दुश्मन उनका उपयोग न कर सके। नीपर नदी पर वर्षों परिश्रम और बहुत सा धन व्यय करके उन्हों ने बांध था और जिसमें उनके कारखाने चलते थे उसे उन्हों ने अ... से बर्बाद कर दिया। जहां जा... हांगकांग, मलाया आदि देश के लो... बहादुरी से नहीं लड़े वहां भी लोग... हैं। यही हाल हिन्दुस्तान का है।

पन्त जी ने आगे कहा: अब ह... सरकार की गलतियों व वायदों पर... जरूरत नहीं है, क्यों कि इस स... स्वयं भयानक कठिनाइयों में ग्रस्त... को चाहिये कि स्थिति का पुरुषों... मुकाबला करें। कांग्रेस पूर्ण... चाहती है: लेकिन अब हमारे साम... नई स्थिति उत्पन्न हो रही है। ब्रिटि... ने कांग्रेस की मांग पर ध्यान न दे... को अधिक खराब कर दिया है... हम यहां किसी भी आक्रमण का... से मुकाबला करने के उपायों की बा... विचार करने के लिये एकत्रित हुए।

चाहे जापानियों का हो या जर्म... हम आक्रमणों का पुरुषों की भांति... करेंगे और अपने राष्ट्र की स्वत... लिये अन्त तक लड़ेंगे।

पण्डित जी ने रूसियों व चीनि... वीरता के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित... कहा: "ये दोनों देश अपनी स्वत... लिए भारी बलीदान करते हुए वीर... लड़ रहे हैं और अब यह बात भी... सी है कि स्वतन्त्र भारत ही एक... लड़ाई लड़ सकता है। एक महान... रहा है और कोई भी बाह्य शक्ति... स्वतन्त्रता के मार्ग में सामने न... सकती। जो भी हो नई व्यवस्था में... व चर्चिल का कोई स्थान नहीं रहे... स्वयं ब्रिटेन में भी शेष यूरोप की त... विचार-धाराओं का आवश्यक मे... साथ बोल बाला होगा।"

अन्त में पन्त जी ने लोगों को भ... न होने की सलाह दी और कहा... आप लोग दूसरों की मदद करेंगे... भी आप को कभी मुसीबत में नहीं... मेरे ख्याल में गांवों व कस्बों को... सामग्री आदि में संचित रखना... आपने लोगों में स्वयं सेवक बन... खतरे का धैर्य के साथ मुकाबला... अपील की।

अन्त में सभापति महोदय ने... प्रभाव शाली भाषण द्वारा जनता... सेवक बनने तथा नगर की तथा अप... के लिए संगठित होने की जोरदार... की।

आप ने आने वाले खतरे... इशारा करते हुए कहा कि इस सम... मजहबी या सियासी भेद भाव भु... होकर काम करना चाहिए।

जागृत जनता 10 मार्च 1942

Reg. No. A. 1780

सम्पादकः—

ठा० हरदेवसिंह ऋषिकेश।

(१) विज्ञापन चटवाई ॥=) प्रति सैकड़ा
(२) विज्ञापन छपवाई –) पंक्ति।
(३) वार्षिक मूल्य सर्वसाधारण से २) रु० और अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों से सन्मानार्थ ४)
(४) सत्यवीर के प्रेमी ग्राहकों से निवेदन है कि यदि किसी के पास 'सत्यवीर' महीने में दो वक्त न पहुंचता हो, या कोई भी सज्जन इस पत्रमें लेख, कविता, चिट्ठी भेजना चाहें और जो सम्वाद-दाता हैं उनको चाहिये कि वे हर महीने की १४ और २६ तारीख तक सूचना तथा समाचार सत्यवीर कार्यालयऋषिकेश में पहुंचादें।
(५) ग्राहक होने पर पिछले अङ्क सं० १ से इकट्ठे भेजे जाते हैं।

सत्य-वीर

पाक्षिक-पत्र।

(१) संसार में ज्ञानी पुरुष ही साधु कहे जाते हैं। साधु के ही संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग करना सबके लिये उत्तम बात है। परन्तु जिन लोगों को सत्संग करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता उनको ऋषिकेश से सत्य-वीर पत्र मंगाकर पढ़ना चाहिये। इसका वार्षिक मूल्य नकद से २) रु० मनी आर्डरसे २=) रु० पड़ता है और वी०पी० से २।) रु० पड़ता है। जिन सज्जनों की सेवा में यह पत्र नमूने के बतौर उपस्थित होता है या जिनका चन्दा समाप्त होगया है। उनसे यदि इनकारी का समाचार न मिला तो वी०पी० अवश्य भेजी जावेगी जिसको छुड़ा करकृतार्थ करना उनका परम कर्तव्य होगा।
(२) मामूली मूल्य एक प्रति एक आना। स्पेशल मूल्य =) आना।
(३) पिछली कापी के लिए पत्र व्यवहार से मूल्य निश्चित कीजिये।

सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नि हितं चसत्ये।
सत्यस्य सत्यमृतसत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः॥

भाग २ } ऋषिकेश रविवार ता० २५ नवम्बर सन् १९२८ ई० { संख्या २

सत्य-वीर के प्रेमियों के समर्पण।

महानुभावो! २५ अक्टूबर २८ वें अंक के साथ २ सत्यवीर का प्रथम वर्ष कुशलता पूर्वक समाप्त होगया है जिन सज्जनों का वार्षिक चन्दा पूरा हो गया उनकी सेवा में दूसरा अंक वी० पी० भेजा जायगा यदि इस बीच उन्होंने इनकारी की चिट्ठी या मनीआर्डर भेजने की ही स्वयं कृपा न की।

(२) गत वर्ष "सत्यवीर" मे कुल २३ अंक निकाले केवल २५ फरवरी २८ के अंक को ही न निकालकर छुट्टी मनाई थी सो भी कोई खुशमगती की नहीं किन्तु कतिपय कारणों की मजबूरी से जिसके लिये क्षमा के प्रार्थी है।

(३ छापाखाना की ढील से पत्र कभी २ देरी में प्रकाशित होता रहा है माफ करेंगे भविष्य में इस देरी के उपाय का प्रबन्ध किया गया है और यदि भगवान सहाय होंगे तो अपना ही मुद्रणयंत्रालय शीघ्र स्थापित होजायगा।

(४) कई सज्जनों ने पत्र के नमूने लेकर दूसरा अंक हमको वी० पी० भेजने का साहस तो दिया परन्तु फेर वी० पी० को छुडाने का परम धर्म्म पालन नहीं सेवा जैसी हमारे दिल में थी यथोचित रूप में नहीं कर सके परमात्मा की कृपा और आप सज्जनों की सहायता के हम कृतज्ञ हैं कि इस काम में हमारा हाथ बटाया आइन्दे भी आशा है आप जैसे महानुभाव अपनी असीम कृपा बनाय रखेंगे।

(५) ईश्वर सर्वशक्तिमान का नाम लेकर हमने निश्चय कर लिया है कि आगामी वर्ष में सत्यवीर उत्तम २ लेखों सहित कार्टून इत्यादि से परिपूर्ण करके ठीक समय पर आप श्रीमानों की सेवा में साप्ताहिक रूप से उपस्थित हुआ करेगा अतएव वर्तमान समस्त ग्राहकों तथा अन्य पाठकों से नम्र निवेदन है कि ३१ दिसम्बर २८ तक जो वर्तमान ग्राहक तथा अन्य सज्जन कमसे कम ५) पांच रुपया बतौर सहायता कार्य्यालय में भेज देगें उनको आगामी वर्ष में साप्ताहिक पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित दो पुस्तकें भी भेंट की जायंगी:—

(१) टिहरी गढ़वाल रहस्य (यह अपने ढंग की बहुत उत्तम पुस्तक होगी)

(२) भारत वासियों का कर्तव्य. (इसमें [illegible]

बर्दायश सम्बन्धी टिहरी रियासत का एक पुराना दस्तावेज

आजादी का मोर्चा—

सरकार के वफ़ादार मुलाज़िमों से

सच्ची मेहनत इंसान को आज़ाद बनाती है, आपकी मेहनत आप को गुलाम बना रही है। अंग्रेजों का दावा है कि उन्होंने आप को रोटी के टुकड़ों पर खरीद लिया है। यह झूठ है, हकूमत जो पैसा आप को दे रही है वह हिन्दुस्तान के ग़रीबों की पसीने की कमाई का है। अंग्रेजों का नहीं बल्कि आप के ही देश भाइयों का है। जिस मशीनरी के आप पुर्जे हैं वह आप के ही भाइयों के खून से सनी हुई है देश का सब से बड़ा रहनुमा महात्मा गांधी उस खूनी मशीनरी के टुकड़े टुकड़े करने का फ़ैसला कर चुका है। हर हिन्दुस्तानी का फ़र्ज़ हो गया है कि वह जहां कहीं भी हो आज़ादी का मोर्चा बना ले और हकूमत को बरबाद करने के लिए कमर कस ले।

यदि केवल आठ पहर के लिए भी आप सरकार की मशीनरी की चाल बंद करदें तो उसका खूनी शिकंजा ढीला हो जाए और अगले ही दिन सूर्य निकलने के बाद हिन्दुस्तान आज़ाद हो जाए।

अगर आप के लिए यह मुमकिन नहीं है तो भी आप खामोश न बैठिए अपने मोर्चों पर रहते हुए भी आप हिन्दुस्तान की जंगे आज़ादी की शानदार मदद कर सकते हैं। हकूमत की कुंजी आप के पास है, अपने मोर्चों पर खड़े रह कर आप मशीनरी को इस ढंग से क़ाबू कीजिए कि अंग्रेज हाकिम आपके हाथ की कठपुतली बन जाए। केवल वक्त का इंतज़ार कीजिए इशारा पाते ही आज़ाद हिन्दुस्तान का झंडा अपने दफ्तरों पर फहरा दीजिए।

आज़ादी की यह आखीरी लड़ाई केवल कांग्रेस या किसी खास तबक़े की नहीं। यह सारे मुल्क की लड़ाई है आप मौजूदा हकूमत के खरीदे हुए गुलाम हैं। आप को इसी मुल्क में रहना है, आप के बच्चों को यहीं जीना है यहीं मरना है।

यह हकूमत आप की है, आज़ाद हिन्दुस्तान में आप ही को वह कुरसी मिलेगी जो इस समय आपके बजाए चंद गोरे हाकिमों को मिली हुई है।

हकूमत के कांपते हुए पैरों को गिराने के लिए केवल एक झोंके की ज़रूरत है। आप अपने हाथ से आज़ादी का झंडा सब सरकारी दफ्तरों पर लगा देंगे वह दिन दूर नहीं है।

अगर आप सरकारी काम करते हैं, तो कीजिए, मगर सीधा करने की बजाए उल्टा कीजिए जिससे हकूमत की जड़ खोखली हो। हकूमत पूरब जाने को कहे तो आप पश्चिम को जाइए। हकूमत के कीमती रिकार्ड जलादो, काम में उलझनें पैदा करदो। हर काम में देर लगाओ घुन की तरह लग कर हकूमत की मशीन को बेकार करदो।

नोट—यह पढ़ कर आगे चलता कर दीजिए। इसकी नक़लें करके बांटिए। आज़ादी की लड़ाई में हाथ बटाइए।

भाग १ { जून १९११ आषाढ़ १९६८ } अंक २

गढ़वाली

मासिक पत्र

The Garhwali.

गढ़वाल यूनियन देहरादून के कार्य्यालय से

प्रकाशित

सम्पादक तथा प्रकाशक
पं० गिरिजादत्त नैथाणी

प्रिन्टर
पं० [illegible]

गढ़वाली प्रेस

देहरादून।

'गढवाली'

टिहरी जेल से सब राजबन्दी बिना शर्त रिहा

सब जगह सन्तोष की लहर—रियासत घोषणा पर प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय पत्र

Regd. No. A-80

प्रजाबन्धु

साप्ताहिक

सम्पादक—
जयदत्त वैला, वकील
(अवैतनिक)

"क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप"
—गीता

वार्षिक मूल्य ६)
एक प्रति का =)॥

वर्ष १] * रानीखेत, सोमवार ता० १ दिसम्बर, १९४७ * [अंक २२

पाकिस्तान काश्मीर को जबर्दस्ती हड़पना चाहता था
भारतीय पार्लियामेंट में प्रधान मंत्री पं० नेहरू की गर्जना

प्रजाबंधु, रानीखेत

चुंगी बोर्ड व राष्ट्रीय झंडा।

अल्मोड़ा में डायरशाही दृश्य

अधिकारियों की नृशंसता।

श्री मोहन जोशी जी से हमारे प्रतिनिधि की बातें।

श्री

Regd No. A. 1635

तारको ठेगाना देहरादून "गोर्खा लीग"
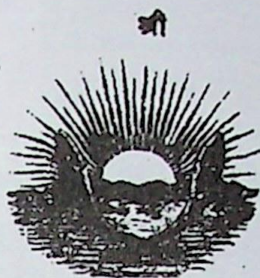
❁ गोरखा लीग को मुख-पत्र ❁

साप्ताहिक

सम्पादकः—
नन्दराम थापा

उठ उठ दाजु भाई, पलक उघार।
खेर गए जाति भाई, मुलुक सपार॥

मूल्य { वार्षिक ३)
एक प्रतिको -)

वर्ष ३ } देहरादून मंगलवार, गते २९ फाल्गुन सम्वत् १९८५ वि०, ता० १२ मार्च सन् १९२९ ई० { किरण १७

शोक समाचार।

श्रीयुत पंडित जनार्दन उपाध्याय फटेल, जो गोर्खा-संसार का परिचीतै हुनु हुन्थ्यो। वहाँले गंगीरीमा एक संस्कृत पाठशाला स्थापन गरि १ वर्ष सम्म १५-२० छात्र-हरूलाई पढ़ाई वस्नु भए को थियो। महान् दुःख को वात छ कि सो पाठशाला पनि हाम्रा दुर्भाग्य वशात् वर्त्तमान एक मारवाड़ि का हातमा विक्रि भै दोकान् भै रहे को छ। पं० जी ले वृद्धावस्था का मातृ पितृ र २ पुत्रि सहित पत्नी-लाई छाड़ि १५-१२-२८ तारिक शनिवार रात्रि १० बजे इह लोक बाट विदाई हुनु भो। यस्ता जस्ता भगवद्भक्त, समाज सेवी शुद्धात्मालाई सदैव स्वर्गमा पनी सुख मिलोस् भन्ने हाम्रो हार्दिक कामना छ।

पाठकहरूलाई परिचयार्थ, पण्डित् जी को लेख पनि निम्नलिखित यहाँ उध्दृत गर्छूं।

भवदीय—
श्री पुष्पलाल उपाध्याय
तेजपुर।

विधीहरूका पनि गर्दै परिक्षा,
दी घक्सियोस् हित हवोस् भनि शास्त्र शिक्षा।
पाटी, खरी, कलम, पत्र, मसी लिएर,
बाउन्‍ति लेख पढ़ गर्न सदैव धेर॥

सर्कार का हुकुम बाट हुँदै परिक्षा,
पाउन कैदि पनि उत्तम शास्त्र शिक्षा।
आध्यात्मिकादि तिन ताप समाप्त गर्ने,
विद्या मिलोस् न तिनलाई पनी सपार्ने॥
हुोस् जीविका न तिनको पनि लेख बाट,
धेरै जसो त चलला तब सभ्य ठांट।
अज्ञान को सकल मूल उखेलिएला,
गोर्खालि को उदय क्यै तब देखिएला॥
माहात्म्य केहि पनि अक्षर कै नजानी,
सर्वस्व को हुन गयो अति मात्र हानी।
जो नाश हुन्न उहि अक्षर नै प्रसिद्ध,
सर्वस्व हो भनि कहन्छन सभ्य वृद्ध॥
आबाल वृद्ध सबका व्यवहार सारा,
लाग्छन् सुचारु गरि अक्षर बाट पारा।
यस्ता यहां मन अगोचर वस्तु रत्न,
दिन्छन् इ अक्षर गरेत हुशेर यत्न॥
संसार का फगत सौख्य ति रूप वृक्ष,
देलान् विपत अति मात्र गरे अपेक्ष।
पाउँन् इ अक्षर त याक् मन देखि दूर,
जो आत्मवस्तु छ उसैकन आफुनेर॥
सत्शास्त्र कै भइसवा उपदेश नाना,
शब्दायमान यदि हुन्छन् खेलखाना।
विद्यालयै सरि, उद्देश विषये विशेष,
पाऊं छ क्या रहन दुःख नभै अशेष॥
हाम्रा अब विषयमै सरि साफ शिक्षा,
हुन्थ्योत अक्षर विषेय सहस्रा अपेक्षा।

शक्ति ता० २० फरवरी १९२३

शिवरात्रि के मेलों में राष्ट्रीय कार्य की धूम।

भिकियासैन में १४४ तोडी गयी।

रामगङ्गा पर "गान्धी-गीता"

समन और मुकदमा।

[लेखक- सेवक]

तरुण-कुमाऊं।

✲ मासिक-पत्र ✲

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥
[४७ गीता २ अ०]

सम्पादक तथा प्रकाशक-
श्री० मुकन्दीलाल बी० ए० (आक्सन) बार-एट-ला

वर्ष १ | श्रावण सं० १९७९ (जौलाई १९२२) | अङ्क १

✲ विषय-सूची ✲

[वार्षिक मूल्य ३)] [प्रति संख्या ।-)]

सन्देश

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक

कोटद्वार (गढ़वाल)—ता० १८ दिसम्बर सन् १९३८

रणाचराडी से

20 फरवरी 1923 को भिकियासैण मेले में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा धारा 144 तोड़ने की खबर– इसका नेतृत्व हरगोविन्द पंत व मोहन जोशी ने किया

कोटद्वार से निकलनेवाला साप्ताहिक 'सन्देश', 18 दिसम्बर 1938

गढ़वाली

सम्पादक—
पं० विश्वम्भर दत्त
चन्दोला (जेल में)

स्थानापन्न सम्पादक
पं० त्र्यम्बक दत्त
चन्दोला बी० ए०

वार्षिकमूल्य २॥)
एक प्रति का -)

* साप्ताहिक-पत्र *

Regt.
No. A 304

मासिक अङ्क सं० २१९
साप्ताहिक " " ६५
पाक्षिक " " ३२८

ज्येष्ठ गते १ सम्वत् १९९० रविवार ता० १४ मई, सन् १९३३ ई०
देहरा दून।

वर्ष ३९ अङ्क २
साप्ताहिक अङ्क २०

सम्पादकाचार्य्य

विदा !

"मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ किया है वह अपना कर्तव्य समझ कर ही किया है। संसार में जो कुछ होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से होता है, और वह जो कुछ करता है भलाई के लिये ही करता है। अतएव मेरे जेल जाने में भी ईश्वर ही की इच्छा है। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जेल जारहा हूं !"
—विश्वम्भरदत्त चंदोला
['गढ़वाली']
(२६ मार्च, १९३३)

पवित्र भार !

"उस ज्योतिर्मय व्यक्तित्व को, उस प्रभावशाली त्यागमूर्ति को — जिसने देश-सेवा की वेदी पर अपने सांसारिक सुखों को ठुकरा दिया—और उस पवित्र अधिष्ठाता आत्मा को - जिसका 'गढ़वाली' से उसके जन्मकाल से घनिष्ठ-संबन्ध रहा है — अनुपस्थिति मुझे और सहृदय पाठकों को बार - बार अवश्य खटकती रहेगी"
—त्र्यम्बकदत्त चन्दोला
['गढ़वाली']
(२६ मार्च, १९३३)

—: 'गढ़वाली'—सम्पादक :—
त्यागमूर्ति पंडित विश्वम्भरदत्त चन्दोला
[जेल में]

वर्ष १, अंक १३
२१ अक्टूबर ३०
कीमत)॥ प्रति

संपादक—
चन्द्रमणि
विद्यालंकार
पालीरत्न

सत्यं वद धर्मं चर

ओ ३ म

हिमालय

हर सोम
प्रकाशित
होता है

मुद्रक व
प्रकाशक—
पं० चन्द्रमणि
अध्यक्ष—
भास्कर प्रेस
देहरादून

सभाओं में दलवन्दी

हमने गतांक में लिखा था कि देहरादून का वायुमण्डल कुछ एक व्यक्तियों के कारण बड़ा विषैला बन रहा है। घातक दलबन्दी ने मनुष्य समाज के जीवन को अशान्त बना रखा है। हम आज दलबन्दी बनाकर सभा-समाजों में जाने वाले सभासदों के लिए मनुमहाराज की प्राचीन आज्ञाओं का उल्लेख करके इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके क्या कर्तव्य हैं। सभासदों के उन कर्तव्यों का यदि ठीक २ पालन किया जावे तो सामाजिक सुधार होना कोई दुर्लभ कार्य नहीं। देहरादून की सभी प्रकार की सभाओं में काम करने वाले सभासद लोग अपने इन कर्तव्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, मनन करें और फिर उन पर अमल करके कल्याण के भागी बनें। मनु की आज्ञायें 'हिन्दू-कानून' समझी जाती हैं। सरकारी कचहरियों के फैसले भी इसी मनु के कानून के पीछे चलते हैं। अतः कम से कम हिंदू मात्र के लिए तो मनु की आज्ञाओं का मानना कानूनी तौर पर भी अत्यावश्यक हो है। सभासदों के लिए वे आज्ञायें ये हैं—

" विवाद-ग्रस्त व्यवहारों में अत्यधिक विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय का ठीक २ निर्णय, सनातन धर्म का आश्रय लेकर, किया करे। अर्थात्, किसी का पक्षपात कभी न करे "

" क्योंकि, जहां सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है और वे उसके शल्य को नहीं उखेड़ते अर्थात अधर्म का छेदन

" इसलिए धार्मिक मनुष्य को चाहिए कि वह या तो सभा में प्रवेश न करे, और यदि प्रवेश करे तो सत्य-न्याय ही कहे। क्योंकि, जो सभा में प्रवेश करके सभा में होते हुए अन्याय को देख कर मौन रहता है या अन्याय का समर्थन करता हुआ सत्य-न्याय के विरुद्ध बोलता है, वह मनुष्य महापापी होता है।"

"जिस सभा में अधर्म से धर्म व असत्य से सत्य का, सब सभासदों के देखते हुए, खून किया जाता है, मानो वहां सभी सभासद मृतक-समान मुर्दे व मरे हुए हैं।"

"क्योंकि मरा हुआ धर्म ही मारने वाले का नाश, तथा रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। इसलिए, धर्म का हनन कभी न करना चाहिए, ऐसा न हो कि कहीं हनन किया हुआ धर्म हमें ही मार डाले।"

"धर्म सब ऐश्वर्यों का देने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला है। उसका जो लोप करता है, उसको विद्वान लोग वृषल अर्थात् नीच समझते हैं। इसलिए किसी मनुष्य को धर्म का लोप न करना चाहिए।"

"इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है, जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है। और सब पदार्थ व संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात्, उन सब का उसी समय संग छूट जाता है, परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता।"

" जब सभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है तब अधर्म के [illegible]

को, और एक भाग सभापति को प्राप्त होता है।"

" परन्तु जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा, अर्थात् दण्ड के योग्य को दण्ड मिलता है, वहां सभापति पाप से रहित होता है, और सब सभासद पाप से मुक्त हो जाते हैं। तब, केवल पापकर्ता को ही उपर्युक्त संपूर्ण पाप-फल प्राप्त होता है।

३ पृष्ठ का शेष

थोड़े से मंत्र बतलाता हूं। उन्हें तुम अपने हृदयमें लिख रखो:—

१ जो दूसरोंको दुःख देता है वह मानो अपनेमें अपनेको दुःखदेनेवाले बीजोंको बोता है।

२ जो दूसरोंको सुख देता है वह अपने हृदयमें अपनेको सुखी रखनेके बीजोंको बोता है।

३ यह बड़ा ही भ्रामक विचार है कि मैं अपने जातिभाइयोंसे जुदा हूं।

इन तीन मन्त्रोंकी आराधना करते रहनेसे तुम सत्यके मार्ग पर आ पहुंचोगे।

क्रमशः

देहरादून की जन्म मृत्यु पत्री

ता० १२ अक्टूबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में देहरा म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में ४८ जन्म, १ मृतजन्म और २७ मृत्युयें हुई हैं—

४ मलेरिया से
१ आंत्रिक ज्वर से
१ अन्य ज्वर से
२ डिप्थीरिया से

समाचार ।

The Mussoorie Times
TREVILLION'S
VARIETY
HAKMAN'S
THE MASONIC BALL
CABARET
I LIVE MY LIFE
ON WINGS OF SONG
JUBILEE THEATRE
CHAMELEON
1000
The Mussoorie Times

कांग्रेस बुलेटिन

[जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा द्वारा प्रकाशित]

अल्मोड़ा जिला राजनैतिक सम्मेलन

का

ऐतिहासिक अधिवेशन।

सभापति आचार्य नरेन्द्र देव जी का ३ मील लम्बा जुलूस

जनता में अभूतपूर्व जागृति और अपार जन-समूह का अनोखा दृश्य।

जुलूस और स्वागत।

रानीखेत से विमलानगर तक, आठ मील रास्ते पर मनोनीत सभापति के स्वागतार्थ, दर्जनों सुसज्जित फाटक खड़े किये गये थे। सिलोर का नक्कारा ता० २८ की शाम को ही सभापति के स्वागत थं, रानीखेत पहुँच गया था जो कि ता० २९ को रानीखेत से विमलानगर तक सभापति के साथ गया। दड़माड़ के पुल पर सभापति, सेठ दामोदर स्वरूप के साथ, ठीक १० बजे पहुँच गये, जहां से स्वागत समिति ने जलुस का प्रबन्ध किया था।

लेकिन रानीखेत से ही, जहां पं० पूर्णानन्द उपाध्याय स्वागत समिति की ओर से पूज्य आचार्य जी की अगवानी के लिये गये थे, सभापति के साथ, जितनी भीड़ व गाजे बाजे आये थे, उससे यह दड़माड़ तक भी स्वतः ही जलूस बन गया था। दड़माड़ के पुल के इस पार स्वागताध्यक्ष पं० मदनमोहन उपाध्याय व श्री हरीदत्त कांडपाल मन्त्री जिला कांग्रेस कमेटी ने आचार्य नरेन्द्रदेव जी व सेठ दामोदर स्वरूप जी का स्वागत किया और मालायें पहिनाईं।

पुल के उस पार कौमी सेवादल के के ट्रेनिंग प्राप्त सरदारों ने सभापति को 'गार्ड आफ औनर' दिया। उसके बाद स्वागत समिति का आयोजित जलूस–जो इस तरतीब से निकलाः—सबसे आगे घोड़े पर जलुस के कमाण्डर श्री किशोरीलाल के स्थानीय तथा द्वाराहाट तक के नक्कारे, फिर आम जनता उसके बाद कौमी सेवादल के सरदार, फिर सोमेश्वर का बाजा जो पं० हरिकृष्ण जी के अध्यक्षता में आया था, उसके बाद कौमी सेवादल के सरदार, फिर स्त्रियां, उसके पीछे सभापति और सेठ दामोदर स्वरूप जी डांडी पर थे और स्वागताध्यक्ष जो घोड़े पर थे और स्वागत समिति के प्रमुख कार्यकर्ता उसके पीछे कौमी सेवादल के सरदार, इनके पीछे कौमी सेवादल के कप्तान और जिला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री तथा स्वागत समिति के मन्त्री ठा० रामसिंह जो घोड़े पर थे, इनके पीछे अन्य घुड़ सवार, जिनकी संख्या ६० से कम नहीं थी, इसके पीछे द्वाराहाट हाईस्कूल के स्वयंसेवक थे और इन सबके पीछे अपार जन समूह का समुद्र और सबसे पीछे फिर स्थानीय नक्कारे।

जलूस की लम्बाई पूरे तीन मील थी जिसमें नर मुण्ड ही नर मुण्ड दिखाई देते थे। इतनी बड़ी भीड़ के होने और रास्ते के तंग होने पर भी जलूस का संचालन कौमी सेवादल के सरदारों ने इस सुन्दरता से किया कि एक आदमी का धक्का दूसरे आदमी को नहीं लगा और न कोई बच्चा दबा, या भिंचा ही। जलूस विमलानगर में समाप्त हुआ। टेढ़े मेढ़े जाते हुए पहाड़ी रास्ते के इस जलूस की एक बारगी पूरी शोभा देखना नामुमकिन था। हां, अगर हवाई जहाज से कोई इस दृश्य को देखता तो सचमुच जलूस की शोभा का आनन्द उठा पाता।

इस के बाद नेताओं ने लीडर्स कैम्प में जलपान किया। ठीक तीन बजे जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति पं० हरगोविन्द पन्त तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य मेम्बर और स्वागताध्यक्ष के साथ मनोनीत सभापति आचार्य नरेन्द्रदेव जी व सेठ दामोदर स्वरूप गगन भेदी नारों के बीच मञ्च पर पहुँचे। फिर कार्यवाही शुरू हुई। सब से पहिले वन्देमातरम् गीत गाया गया इसके बाद स्वागताध्यक्ष ने सम्माननीय

कांग्रेस बुलेटिन 5 नवम्बर 1939

युगवाणी

(पाक्षिक रियासती पत्र)

सम्पादक :
प्रो० भगवतीप्रसाद पान्थरी एम. ए.

श्रावण ३१ सम्वत् २००४, तारीख १५ अगस्त १९४७

मूल्य =)॥
वार्षिक ३॥)

१५ अगस्त—भारतीय स्वतन्त्रता का अरुणोदय

१५ अगस्त का शुभ-दिन भारत के इतिहास में अमर व अमिट रहेगा। इस दिन से हम स्वतन्त्रता के नये युग में प्रवेश करेंगे। हमारा वह चिर-अभिलाषित स्वप्न इस प्रकार पूर्ण हो जायेगा। आज दो सौ वर्षों से जिस स्वातन्त्र्य के लिए ब्रिटिश-साम्राज्यशाही से हम जिहाद किए थे वह पूरा हो जायेगा।

दो सौ वर्षों के इस स्वतन्त्रता संग्राम में भारत-माता के अनेकानेक पुत्र और पुत्रियों ने अपना सर्वस्व निछावर किया था। १८५७ के शहीदों से लेकर १९४२ के शहीदों के त्याग, बलिदान और तपस्या के फल से ही हमें आज यह शुभ दिन देखने को मिला है। हमारा हृदय आज अपने उन शहीदों के लिए प्रेम और कृतज्ञता से उमड़-उमड़ आता है। हमें विश्वास है कि मां की बलि-वेदी पर निछावर होने वाली आत्माएं आज स्वर्ग से दिल्ली में यूनियन जैक की जगह तिरंगे की प्रतिष्ठा और सलामी होते देखकर खुशी में नाच उठेंगी। उन शहीदों की आत्माओं को अपने देश-वासियों को स्वतन्त्र हुआ देखकर चिरवांछित शान्ति और सुख प्राप्त होगा।

महान् तिलक की आत्मा को आज अपनी उस उक्ति को चरितार्थ हुआ देखकर कि 'स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है,' कितना हर्ष हो रहा होगा।

फाँसी के तख्तों पर, भारत माता की परतन्त्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हंसते, हंसते झूलने वाले भगत, बिस्मिल, राजगुरु आदि शहीदों की आत्मा आज यूनियन-जैक की जगह तिरंगे को फहराता देखकर कितनी प्रसन्न होगी।

'जय हिन्द' के नारे को आज विशाल दिल्ली के राजकीय भवनों और भारत भर में गूंजता देखकर स्वतन्त्रता की भूखी और प्यासी महान् सुभाष की महान् आत्मा तृप्त हो जायगी।

अपने सामने और अपने ही समय में तथा अपने ही हाथों द्वारा जीवन के एक मात्र ध्येय और लक्ष्य—भारत की स्वतन्त्रता—को उपलब्ध कर आज राष्ट्र के बापू महात्मा गाँधी और उनके चिर-साथी पण्डित जवाहरलाल नेहरू आदि के समान भाग्यशाली संसार में और कौन हो सकता है?

'युगवाणी' परिवार अपने इन स्वतन्त्रता के नए और पुरातन देवदूतों को श्रद्धा और प्रेम के पुष्प भेंट करता है।

'४२ का आन्दोलन सफल

—पं० नेहरू

दिल्ली, ९ अगस्त—स्वाधीनता सप्ताह के प्रथम दिन रामलीला मैदान में भाषण देते हुए नेहरू जी ने कहा—"१५ अगस्त दुनिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना का दिन होगा। इस दिन दुनियां से औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का अन्त हो जायगा जिसकी नींव १५० वर्ष पहले ब्रिटेन ने भारत में डाली थी।

५ वर्ष हुए १९४२ में कांग्रेस ने ब्रिटेन को भारत छोड़ने को कहा था। आज से ६ दिन बाद वह उद्देश्य पूरा हो जायगा और भारत अपने स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता पर खुशी मनायेगा।"

श्री सम्पूर्णानन्द जी शिक्षामन्त्री का 'युग-वाणी' को आशीर्वाद

"श्री भगवतीप्रसाद पान्थरी के परिपक्व विचारों से मैं परिचित हूं। मुझको विश्वास है कि उनका पत्र 'युग-वाणी' सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से ऊंचे स्तर पर होगा।"

स्वतन्त्रता कैसे मनायें ?

(श्री तेजराम भट्ट)

१५ अगस्तको भारत स्वतन्त्र हो जायगा। इस अवसर पर भारत का साथ देने के लिये यद्यपि रियासती जनता भी खुशी मनायेगी किन्तु साथ ही साथ वह अपनी गुलामी पर—क्योंकि अधिकांश रियासती जनता आज भी गुलामी में जकड़ी हुई है, आंसू बहायेगी। कुछ राजाओं द्वारा समय समय पर प्रेषित शीतल और मनोहर वक्तव्य उनकी रियासतों की वस्तु स्थिति को नहीं बदल सकते। पटियाला और बीकानेर इस पक्ष के ज्वलन्त प्रतीक हैं, और ट्रावनकोर का तो कहना ही क्या, जहां के बारे में यह कहना भी मुश्किल है कि वहां महाराजा की चलती है या दीवान की।

छोटी रियासतों में टिहरी स्टेट गुलाम स्थिति का अच्छा प्रतीक है। लोग एक वर्ग निरंकुशता के तले हैं। भारत की बदली हुई अवस्था का वहां कोई असर नहीं पड़ सका है। वहां के महाराज अपने को देवपद समझते हुए स्वयंको बद्रीनाथका प्रत्यक्ष स्वरूप माना करते हैं।

स्वर्गीय श्रीदेव 'सुमन'—जिनकी तृतीय वार्षिक तिथि सर्वत्र शोक और हर्ष के साथ मनायी गई—का बलिदान भी राजा के हृदय को न बदल सका। इस स्थिति में टिहरी की जनता स्वतन्त्रता-दिवस कैसे मनाये ?

स्वतन्त्रता का स्वप्न पूरा

—पं० पन्त

८ अगस्त को मेरठ की एक विराट सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने घोषित किया—'आज हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं। स्वतन्त्रता हमारा चिर-अभिलाषित स्वप्न पूरा हो गया है। इस समय हमारा यह पवित्र कर्तव्य है कि हम इस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सब कुछ करें तथा देश को समृद्ध व सुखी बनाने का यत्न करें।'

आगे प्रधान मन्त्री ने जनता से कहा कि और १५ अगस्त को स्वतन्त्रता-दिवस उचित तरीके से मनायें। गौ-रक्षा पर भी प्रधान मंत्री ने जोर दिया और कहा कि गाय हमारा धन है।

झण्डे के बारे में प्र० मन्त्री ने कहा कि इसकी रक्षा के लिए हजारों आदमियों ने अपने जीवन दिए। अब यह हमारे राष्ट्र का झण्डा है, अब यह सब सरकारी इमारतों, अदालतों, कार्यालयों तथा प्रत्येक पुलिस चौकी पर फहरायेगा।'

नवीन भारतीय संघ की सरकार का उल्लेख करते हुए आपने कहा 'हम नये प्रजातन्त्र राज्य को जन्म दे रहे हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होगा।'

—:०:—

बेगार के भूत द्वारा युवक की हत्या।

—बदरपुर (टिहरी)—हमारे संवाददाता लिखते हैं कि राज्य के पुलिस तथा अन्य कर्मचारी भोली भाली प्रजा को तंग कर उनसे मुफ्त बरा (खाना) और बेगार लिया करते हैं। आषाढ़ १५, २० गते की घटना है कि पुलिस के दो सिपाहियों ने सिमली गांव के मालगुजार श्री दौलतसिंह के लड़के गोकुलदेव को जबर्दस्ती बेगार में पकड़ा। उक्त लड़का बेगार पहुंचा कर जब रात को घर लौटा तो रास्ते में पड़ते हैं, भूतों ने उसे डराया, जिसके फलस्वरूप वह पागल होगया और [illegible]

युगवाणी 15 अगस्त 1949

Regd NO. A-649

गढ़वाल से छपनेवाला एकमात्र पत्र

वार्षिक मूल्य- ३) रु०
छ मास का २) रु०

❀ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ❀

शहर में- २) रु०
एक प्रति का एक आना

[इसी में 'उत्तर-भारत' और 'सदेश' साप्ताहिक-पत्र सम्मिलित हैं]

वर्ष ५ | पौड़ी, शनिवार, ४ ज्येष्ठ — १७, मई, १९४१ | वर्ष ?, अंक ४०

हेस के पलायन से अचंभा !

हिटलर के नायब रुडोल्फ हेस की विमान द्वारा इंगलैंड भागकर आये हैं स्काटलैंड में इनकी परीक्षा की है। हेस स्वस्थ हैं। और पागल नहीं हैं। कहा जाता है कि आप जर्मनी से भागकर आये हैं। आप अपने साथ सुलह का कोई सन्देश नहीं लाये, बल्कि नाजी सत्ता के त्यागी होकर आये हैं। श्री आइवन कर्कपाट्रिक जो १९३३ से १९३८ तक बर्लिन में ब्रिटिश दूतावास में एक ब्रिटिश सलाहकार रहे हैं आपको पहचानते हैं। कर्कपाट्रिक ने आपको देखा और पूरी तौर पहचान लिया कि आप ... हैं।

... नीय घृणा होने के कारण ही हेस भाग कर आये हैं।

हेस पहले हिटलर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और लैंड्सबर्ग में उन्हीं के साथ नजरबन्द रखे गये थे। वहीं हिटलर की "माइन काम्फ" पुस्तक का पहिला भाग हिटलर के बोलने पर हेस ने लिखा था। हेस ही हिटलर के सबसे विश्वासपात्र समझे जाते थे। हेस का लड़कपन मिश्र में बीता। इस्कन्द्रिया के अंग्रेजी स्कूल में उनकी पढ़ाई शुरू हुई थी।

हेस की घटना के सम्बन्ध में अमेरिका के लोगों का कहना है कि नाजियों में फूट पड़नेकी भी सम्भावना है।

बङ्गाल में शासन-विधान स्थगित हो

लखनऊमें हिंदुओं की एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें ढाका के हिंदुओं के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट की गई। एक प्रस्ताव पास करके बंगाल के गवर्नर से अपील की गई कि चूँकि बंगाल का वर्तमान मंत्रि मंडल हिंदुओं को जान-मान के खतरों से बचाने में असफल सिद्ध हुआ है इसलिये वे बंगाल में शासन विधान को स्थगित कर दें।

—मेरठ में बड़े जोर की आंधी आयी और उसके बाद पानी बरसा। बहुत से पेड़ गिर गए और टिन तथा फूस के छप्पर उड़ गए किसी की जान नहीं गयी।

—प्रयाग में कुंभ मेले के लिए ...

राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र

वर्ष १ संख्या १ | मसूरी, रविवार २५ जुलाई १९४८ | मूल्य दो आने

बापू !

तुम्हारी मधुर वाणि अब हम न सुन सकेंगे लेकिन तुम्हारे शब्द आज भी वातावरण में गूंज रहे हैं। बापू ! आशीष दो कि हम अपने को उन शब्दों का अनुगामि बना सकें।

बापू मानवता के अमर पुजारी !
सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि के एक निष्ठ अधिकारी।
जीवन—ज्योति—जगाने वाले, पतितों के उद्धारी,
राष्ट्र—पिता तेरी छाया में अभय हुये संसारी;
कोटि-कोटि-कंठो से निकली तेरी जय-जयकारी !
बापू मानवता के अमर पुजारी !
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई जितने हैं नर-नारी,
मसित हुये हैं अमित शोक में, दुःख छाया है भारी,
तेरी छवि घर-घर में छाई कंपित अत्याचारी,
ऐ भारत के भाग्य–विधाता, स्वतंत्रता बलिहारी !
बापू मानवता के अमर पुजारी !

'हिमाचल' का एक अंक– गाँधी की स्मृति को

शुभ कामना

टिहरी-राज्य-प्रजामंडल
टिहरी
१५ जुलाई ४८

तेरह सौ वर्षों की गुलामी से मुक्त होने के बाद आज हमारी जबान का ताला टूटा है। इतने वर्षों से रुकी हुई हमारी भावनायें एकाएक फूट रही हैं। ऐसी दशा में इस समय पहले तो एक दैनिक पत्र की नहीं तो कम से कम एक साप्ताहिक-पत्र की तो कई दिनों से बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही थी। मुझे आशा है कि हमारे पूज्य नेता अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का 'हिमाञ्चल' फिर प्रकाशित होकर आजादी के लिये मर मिटने के उनके अमर संदेश के साथ साथ एक नयी चेतना लेकर आवेगा।

श्री सत्यप्रसाद जी रतूड़ी तथा उनके साथियों का यह प्रयत्न सराहनीय है और उनके पिछले वर्षों के एक कुशल पत्रकार जीवन के आधार पर मुझे उनके उद्योग की महान सफलता पर पूर्ण विश्वास है।

भूपनसिंह नेगी

प्रधान
टिहरी-राज्य-प्रजामंडल

INDIAN NEWSPAPER REPORTS, c1868-1942
from the British Library, London

Part 4 Detailed Listing of Newspaper and Periodical Titles

Name of Newspaper	Place of Publication	Language	Frequency	Circulation
Abhaya	Dehra Dun	Hindi	Weekly	500
Almora Akhbar	Almora			
Almora College Magazine	Almora	English	Quarterly	200
Bharat Bhal	Dehra Dun	Hindi	Weekly	150
Bishal Kirti	Pauri	Hindi	Fortnightly	500
Cosmopolitan (It was Edited by Barister Bulaki Ram from Dehradun)	Naini Tal (not correct)	English	Weekly	
Dehra Chronicle	Dehra Dun	English	Weekly	500
Fauji Risala	Dehra Dun	Urdu	Monthly	500
Garhwali	Dehra Dun	Hindi	Bi-monthly	900
Himalayan Times	Dehra Dun	English	Weekly	500
Hindu Gazette	Saharanpur, Hardwar	Urdu	Weekly	500
Hindu sarvasva	Kankhal Haridwa	Hindi weekly		250
Kshattriya Bir	Garhwal	Hindi	Fortnightly	500
Kurmanchal Mitra	Almora	Hindi	Weekly	300
Mussoorie Herald	Dehra Dun	English	Weekly	500
Mussoorie Times	Dehra Dun	English	Weekly	1,000
Naini Tal Gazette and Lake Zephyr	Naini Tal	English	Weekly	400
Nirbhai	Dehra Dun	Hindi	Weekly	300
Satyagrah	Dehra Dun	English	Monthly	40
Shakti	Almora	Hindi	Weekly	1,500
Sherwood Magazine	Naini Tal	English	Annual	200
Sudarshan	Dehra Dun	Hindi	Weekly	300
Tarun Kumaun	Dehra Dun	Hindi	Monthly	300

REGISTRAR OF NEWS PAPER FOR INDIA
NEWS PAPER REPORT

(As on 31st March, 2014)

1	**The total number of registered publications** i) Newspaper category ii) Periodicals category	:	**99,660** **13,761** **85,899**
2	The number of new publications registered during 2013-14	:	**5,642**
3	Number of publications ceased during 2013-14	:	**49**
4	Percentage of growth of total registered publications over the previous year	:	**5.95%**
5	The largest number of publications registered in any Indian language **(Hindi)**	:	**40,159**
6	The second largest number of publications registered in any language other than Hindi **(English)**	:	**13,138**
7	The State with the largest number of registered publications (Uttar Pradesh)	:	**15,209**
8	The State with the second largest number of registered publications (**Maharashtra**)	:	**13,375**
9	The number of publications that submitted **Annual Statements** (this figure includes 256 Misc. publications)	:	**19,755**
10	The total circulation of publications during 2013-14 i) Hindi Publications ii) English Publications iii) Urdu Publications	:	**45,05,86,212** 22,64,75,517 6,44,05,643 3,45,85,404
11	The largest number of publications that submitted Annual Statements in any Indian language ***(Hindi)***.	:	**11,184**
12	The second largest number of publications that submitted Annual Statements in any language ***(English)***	:	**1,889**
13	The largest circulated Daily: "***Ananda Bazar Patrika***", Bengali, Kolkata.	:	**11,81,112**
14	The Second largest circulated Daily: "***The Times of India***", ***English***, Mumbai.	:	**10,26,153**
15	The largest circulated Hindi Daily: "***Punjab Kesari***", Jallandar	:	**7,23,862**
16	The largest circulated multi-edition daily: "***The Times of India***", *English, (29 editions)*	:	**47,42,671**
17	The second largest circulated multi-edition daily : "***DainikBhaskar***", Hindi, (35 *editions*)	:	**35,49,796**
18	The largest circulated Periodical: "***The Sunday Times of India***", *English/Weekly edition*, Mumbai.	:	**10,21,260**
19	The largest circulated Periodical in Hindi: "***Sunday Navbharat Times***", *Hindi/Weekly edition, Mumbai*		**6,88,330**
20	**i) Total title applications received** **ii) Titles approved** **iii) Titles deblocked**	: : :	**22,347** **13,084** **5,746**

TOTAL NUMBER OF REGISTERED NEWSPAPERS AS ON 31.03.2014
(Language & Periodicity-wise)
UTTRAKHAND

Languages	Dailies	Tri/Bi-weeklies	Weeklies	Fortnightlies	Monthlies	Quarterlies	Others	Annual	Total
English	16	4	41	7	35	19	5	0	127
Hindi	277	3	1661	298	319	46	35	1	2640
Gujarati	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Marathi	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Nepali	0	0	1	0	3	0	1	0	5
Odia	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Punjabi	0	0	3	1	3	0	1	0	8
Sanskrit	0	0	0	1	2	0	0	0	3
Urdu	27	0	27	5	7	9	1	0	76
Bilingual	10	0	61	13	31	13	7	8	143
Multilingual	0	0	0	0	3	3	2	1	9
Others	2	0	5	1	3	0	0	1	12
TOTAL	332	7	1799	326	409	90	52	11	3026

CIRCULATION OF NEWSPAPERS
Language & Periodicity-wise
(Based on Annual Statements 2013-14)
UTTRAKHAND

Language	DAILY		WEEKLY		FORTNIGHTLY		MONTHLY		QUARTERLY		OTHERS		ANNUAL		TOTAL	
	No.	Circulation	No.	Circulation	No.	Circulation	No.	Circulation	No.	Circulation	No.	Circulation	No.	Circulation	No.	Circulation
BILINGUAL	5	112454	23	223732	6	36175	8	54494	2	7500	0	0	0	0	44	434355
ENGLISH	10	498485	17	143658	0	0	7	88893	0	0	0	0	0	0	34	728956
HINDI	184	5028525	1149	7682145	154	1042502	132	1828019	8	17660	4	38301	1	2200	1532	14048741
NEPALI	0	0	0	0	0	0	1	800	0	0	0	0	0	0	1	800
OTHERS	1	2000	4	58000	1	5200	3	9891	0	0	0	0	0	0	9	65591
SANSKRIT	0	0	0	0	1	2500	1	2100	0	0	0	0	0	0	2	4600
URDU	38	796650	13	212522	5	34089	2	3965	0	0	0	0	0	0	53	1047536
Total	228	6436032	1211	8310050	187	1121076	154	1184702	10	24660	4	38301	1	2200	1775	17119779

UTTRAKHAND

CAPITAL : Dehradun

POPULATION : 1,01,16,752 (2011)

LITERACY : 79.63 % (2011)

Registered Newspapers

In all 174 new publications were registered during 2013-14. Out of these 25 were dailies, 101 weeklies, 16 fortnightlies, 26 monthlies, and 02 quarterlies and 04 of other periodicities. Four weeklies and two dailies publications of Hindi Language and one multilingual monthly were ceased during the reporting period. Hence, by the end of 2013-14 the

The Press In India 2013-14

number of registered newspapers and periodicals increased to 3026 comprising 332 dailies, 07 tri-bi/weeklies, 1799 weeklies, 326 fortnightlies, 409 monthlies, 90 quarterlies, 11 annuals and 52 with other periodicities.

From the State of Uttrakhand, a total of 1775 publications had submitted their annual statements for the year 2013-14. The publications that submitted their annual statements comprised 228 dailies, 1211 weeklies, 154 monthlies, 167 fortnightlies, 10 quarterlies, 01 annual and 04 were of other periodicities. Hindi dominated the scene with a total of 1632 publications.

Circulation

The above 1775 publications claimed a total circulation of 1,71,19,779 copies per publishing day in 2013-14. Weekly publications were leading with 83,10,858 copies followed by dailies 64,38,032 copies per publishing day. Language-wise- Hindi publications were leading with 1,48,48,741 copies.

करो या मरो

GOVERNMENT, UNITED PROVINCES.

Police Department.

Dated, Naini Tal, September 24, 1925.

ORDER.

The local Government hereby directs you to file a complaint in the court of the District Magistrate, Dehra Dun, with a view to his taking proceedings under section 153-A, Indian Penal Code, against Swami Vicharanand Saraswati and Pandit Bishwambhar Datt Chandola, in respect of two articles headed "Increase of Hooliganism" and "Who says that Muslims are not Satans" which appeared in the issues of the Abhaya newspaper of Dehra Dun dated July 28 and August 25, 1925, respectively, of which newspaper the said persons are respectively the editor and publisher and the printer; inasmuch as the said articles contain matter which is intended to promote hatred between classes of His Majesty's subjects.

By order of the Governor in Council.

Chief Secretary to Government,
United Provinces.

To
The Superintendent of Police,
DEHRA DUN.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DISTRICT CONGRESS COMMITTEE

ज़िला कांग्रेस कमेटी देहरादून

टिहरीः ढंढकों से प्रजामंडल तक

उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय संग्राम को टिहरी रियासत के आन्दोलनों को जाने बिना नहीं समझा जा सकता है। टिहरी रियासत में वृहत् गढ़वाल राज्य के ढंढकों की परम्परा जारी रही। 1815 में जब टिहरी रियासत को वृहत गढ़वाल राज्य के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था तो प्रजा में गोरखों के कुशासन से मुक्ति का भाव था। गाँव उजड़े हुए थे और भागे हुए ग्रामीण लौटकर पुनः बसने की तैयारी कर रहे थे। टिहरी रियासत के बनने से अपने राजा के वंशज को 10–12 साल बाद पुनः पा सकने का भाव जनता में था।

इस समय सकलाना तथा रवाँई के मुआफीदार तथा जागीरदार अपनी जागीर की या मुआफी की स्वायत्तता की माँग कर रहे थे। लेकिन प्रजा को राजा के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा सका। 1835 में सकलाना के कमीण/सयाणों ने मुआफीदार के विरुद्ध आन्दोलन किया। 300 लोग देहरादून में कंपनी ऐजेन्ट से शिकायत करने भी गये थे। कंपनी सरकार ने यह कहा कि ऐसी शिकायतें राजा के पास ही की जायँ। 7 फरवरी 1838

महकमा पुलिस।

टिहरी गढ़वाल स्टेट।

नम्बर सिलसिला १५५

नाम दाखिल कुनन्दा

ने बाबत रजिस्ट्रेशन फीस के

मुबलिग १२)रु०

दाखिल किये इसलिये यह रसीद दी जाती है

मुकाम

तारीख

द० बहुदे कुनिन्दा मय ओहदा

नमक कानून तोड़ने पर श्री बिहारी लाल, श्री हुलास वर्मा एवं श्री महावीर त्यागी जी को सजा

सन–30.4.1930

टिहरी राज्य प्रजामंडल देहरादून

Tehri State Prajamandal Dehra Dun

(HEAD QUARTER)

[illegible]

डांडी सल्ट पद यात्रा : 12 मार्च से 5 अप्रैल, 1930 तक

अल्मोड़ा में श्रीमती अरुणा आसफ अली के साथ गांधी जी

स्वाधीनता आन्दोलन में उत्तराखण्ड के शहीद

तिलाड़ी के शहीद

1. अजीत सिंह पुत्र काशी सिंह (1904-1930)
2. झूना सिंह पुत्र खड़ग सिंह (1912-1930)
3. गौरू पुत्र सिनकया (1907-1930)
4. नारायण सिंह पुत्र देबू सजवाण (1908-1930)
5. भगीरथ मिस्त्री पुत्र जुल्मू (1898-1930)
6. हरि राम पुत्र रूपराम (1904-1930)

तिलाड़ी के आन्दोलकारी जो जेल में शहीद हुये

1. गुन्दरू पुत्र सागरू (1890-1932)
2. गुलाब सिंह ठाकुर (1910-टिहरी जेल में मृत्यु)
3. ज्वाला सिंह पुत्र जमना सिंह (1880-1931)
4. जमन सिंह पुत्र लच्छू (1880-1931)
5. दिला पुत्र दलपति (1880-टिहरी जेल में मृत्यु)
6. मदन सिंह (1875-टिहरी जेल में मृत्यु)
7. लुन्दर सिंह पुत्र रणदीप (1890-1932)

टिहरी के शहीद

1. श्रीदेव सुमन पुत्र हरिराम बडोनी (1916-1944 टिहरी जेल में मृत्यु)

कीर्तिनगर के शहीद

1. नागेन्द्र सकलानी पुत्र कृपा राम (1920-1948)
2. मोलू राम भरदारी पुत्र लीला नन्द (1918-1948)

खुमाड़ (सल्ट) के शहीद

1. खीमानन्द पुत्र टीकाराम (1913-1942)
2. गंगादत्त पुत्र टीकाराम (1909-1942)
3. चूड़ामणि पुत्र परमदेव (1886-1942)
4. बहादुर सिंह पुत्र पदम सिंह (1890-1942)

जैती (सालम) के शहीद

1. नरसिंह धानक (1896–1942)
2. टीका सिंह कन्याल पुत्र जीत सिंह (1919–1942)

देघाट के शहीद

1. हरिकृष्ण (1942)
2. हीरामणि (1942)

जेलों में शहीद स्वतंत्रता सेनानी

1. रतन सिंह पुत्र दौलत सिंह बोरारौ (1916)
2. उदय सिंह पुत्र भवान सिंह बोरारौ (1917)
3. किशन सिंह पुत्र दान सिंह, बोरारौ (1906)
4. बाग सिंह पुत्र खीम सिंह बोरारौ (1905)
5. दीवान सिंह पुत्र खीम सिंह बोरारौ (1905)
6. अमर सिंह पुत्र देव सिंह बोरारौ (1918)
7. त्रिलोक सिंह पांगती, चनौदा आश्रम
8. विशन सिंह, चनौदा
9. रामकृष्ण दुमका, हल्दूचौड़
10. दीवान सिंह, पहाड़कोटा (1943)

❑❑

यह वंश ग्राम चांजी, पट्टी ग्यारह गांव हिन्दाव, जिला टिहरी गढ़वाल से आया था। सन् 1814 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा सरदार बलभद्र सिंह को पराजित किये जाने के बाद सुदर्शन शाह को अपना पुश्तैनी राजपाठ वापस मिला। बुजुर्गों का कहना है कि टिहरी नरेश द्वारा अपने राज्य की चौकसी हेतु अपने भरोसेमंद लोगों एवं रिश्तेदारों को गढ़वाल में जगह-जगह भेजा गया। चांजी के रावतों की टिहरी नरेश से नजदीकी रि तों के कारण उन्हें भी कुछ स्थानों पर भेजा गया। इसी योजना के तहत चांजी गांव से मोती सिंह रावत सन् 1817 में चमोली की बिचला नागपुर पट्टी में भेजे गये। यह आदि पुरुष मोती सिंह रावत अपनी पत्नी दो बच्चों सहित 1817 ई० में ग्राम पाब (पोखरी के निकट) पहुंचे। दो वर्ष ग्राम पाब में बिताने के बाद जून 1819 ई. में वह सामने निगोल नदी के पार समतल स्थान सांकरी पहुंचे। जहां पर तब उन्होंने अपना एक स्थाई घर, गौशाला, खेती-बाड़ी का कार्य प्रारम्भ किया। तब यह स्थान बामेश्वर के निकट वीरान था। वहां कोई खेती-बाड़ी एवं आबादी नहीं थी। उनके एक पुत्र जटा सिंह रावत ने सांकरी तथा दूसरे पुत्र बसंत सिंह रावत के वंशजों ने सेम में खेतीबाड़ी शुरू की। बाद में जटासिंह के वंशजों का एक परिवार चमोली के निकट सैकोट चला गया। यह इतिहास मैंने अपने गांव के सबसे शिक्षित बुजुर्ग श्री गोपी राम चमोला, केदारनाथ के पण्डों एवं अपने पूर्वजों की जानकारी से प्राप्त कर बनाया है। श्री गोपीराम चमोला यह वृतांत विद्यापीठ गुप्तका ाी से प्राचीन अभिलेखों से लाये थे।

सन्दर्भ सूची

1. जी०आर०सी० विलियम्स : मेमोयर ऑफ देहरादून (पृष्ठ-311)-अप्रैल, 1874.
2. एडविन थॉमस एटकिन्सन : द हिमालयन गजेटियर, खंड-तीन, सन् 1884.
3. एच०जी० वाल्टन : द गजेटियर ऑफ देहरादून, सन् 1911.
4. गोर्खा संसार की फाइलें : डिजिटल साउथ ऐशिया लाइब्रेरी (ग्रेण्ड हिमालयन प्रेस, देहरादून)-1926.
5. ठाकुर देशराज : जाट इतिहास (पृष्ठ-572-574) 1934.
6. द रैम्बलर (हेरोल्ड सी. विलियम्स) : मसूरी मिसलेनी- मेफेसिलाइट प्रेस मसूरी, 1936.
7. ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन : इंडियन न्यूजपेपर्स रिपोर्ट, (सी 1868-1942).
8. 11वां संस्करण इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका : 1911 (संपादक-ह्यूघ चिशोम).
9. रोनाल्ड ई० वोल्सले : गजट-इंटरनेशनल जर्नल फॉर मॉस कम्युनिकेशन स्टडीज-(वाल्यूम-12, 1966).
10. श्रीरामनाथ 'सुमन' : उत्तर प्रदेश में गांधी जी (सूचना एवं जन संपर्क विभाग उ०प्र० का प्रकाशन, प्रथम संस्करण) 1969.
11. उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग : स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक-जिला देहरादून-1970.
12. डॉ० धर्मपाल सिंह मनराल/डॉ० अरुण मित्तल : उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1977.
13. भक्त दर्शन : गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, द्वितीय संस्करण 1980.
14. भैरव दत्त धूलिया : गढ़वाल के पत्र, पत्रकार और पत्रकारिता (वसुधारा, इलाहाबाद-1981).
15. डॉ० प्रताप नारायण टंडन : वृहद हिन्दी पत्रकारिता कोश (साहित्य शिल्पी प्रकाशन)-1986.
16. शेखर पाठक : पहाड़-2-1986 (उत्तराखण्ड में सामाजिक आन्दोलनों की रूपरेखा).
17. डॉ० अतुल सकलानी : द हिस्ट्री आफ हिमालयन प्रिंसली स्टेट चेंज, कॉन्फलिक्ट एंड अवेकनिंग, दुर्गा प्रकाशन, दिल्ली-1987.
18. अनिल कुमार जोशी : शोध ग्रन्थ-रोल ऑफ न्यूजपेपर्स ऑफ कुमाऊँ इन नेशनल मूवमेण्ट (1871-1947)-1988.
19. कैप्टन शूरवीर सिंह पंवार : गढ़ परिवृढ वंश बैजयंती- पृष्ठ-53-1989.
20. सत्य प्रसाद रतूड़ी : मसूरी में पत्रकारिता (सीमांत प्रहरी-रजत जयंती विशेषांक-1989).
21. राधाकृष्ण कुकरेती, सम्पादक : नया जमाना-राष्ट्रीय आंदोलन में गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्रों का योगदान (सीमांत प्रहरी-रजत जयंती विशेषांक-1989).

22. ललिता चन्दोला वैष्णव : गढ़वाल के जागरण में गढ़वाली पत्र का योगदान-1989 (गढ़वाली पत्र के 1905 से 1913 तक के अंकों का संकलन).
23. डॉ० शेखर पाठक, सम्पादक : सरफरोशी की तमन्ना (1998).
24. धरती की पुकार : संपादक डॉ० राजेश कुमार परती, राष्ट्रीय अभिलेखागार नयी दिल्ली (अप्रैल 1991).
25. सत्य प्रसाद रतूड़ी : गढ़वाल गौरव गाथा-1996.
26. जयसिंह रावत : उत्तराखंड की पत्रकारिता का गौरवमय इतिहास (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन की त्रैमासिक पत्रिका-जन संचार माध्यम) अप्रैल-जून, 1998.
27. सिल्विकल्चर डिविजन, एफआरआइ-द इंडियन फॉरेस्टर, 1997.
28. बृज भूषण गैरोला: रियासती षड़यंत्रों का इतिहास-1999.
29. पं० भैरव दत्त धूलिया स्मृति ग्रन्थ : सन् 2000.
30. जयसिंह रावत : पीटीआइ मैग से जारी लघु पत्रों पर लेख (2 फरवरी, 2001).
31. जयसिंह रावत : ग्रामीण पत्रकारिता वर्ष-2001 (हार्क प्रकाशन).
32. सरदार रघुबीर सिंह : 'हरिद्वार दर्पण' का रजत जयंती विशेषांक-2002).
33. कैलाश पाण्डे द्वारा संपादित : 'शक्ति' साप्ताहिक की स्मारिका-2002 एवं 'शक्ति' का 92वां वार्षिकांक.
34. शक्ति प्रसाद सकलानी : उत्तराखण्ड में पत्रकारिता-2004.
35. डॉ० योगेश धस्माना : उत्तराखण्ड में जन-जागरण और आन्दोलनों का इतिहास, 2006.
36. बचनेश त्रिपाठी : लद्धाराम की पुस्तक 'बैड ब्वायज' पर आधारित लेख-उपजा न्यूज, लखनऊ-2007.
37. संजय कोठियाल : संपादक युगवाणी-आचार्य गोपेश्वर कोठियाल की जन्म शताब्दी पर युगवाणी का विशेषांक-जनधारा-2009.
38. गणेश सैली : मसूरी मेडले-टेल्स ऑफ यस्टर इयर्स-2010.
39. डॉ० उमाशंकर सतीश : स्वाधीनता संग्राम में श्रीदेव सुमन की भूमिका-2011.
47. डॉ० उमा शंकर थपलियाल : गढ़वाल में पत्रकारिता और हिन्दी साहित्य-2012.
40. विजय दत्त श्रीधर : भारतीय पत्रकारिता कोश-खंड-2 (वाणी प्रकाशन).
41. चन्द्रोदय दीक्षित : स्वतंत्रता संघर्ष और उपलब्धि (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित).
42. कुलभूषण शर्मा : दैनिक 'जन लहर' में प्रकाशित लेख.
43. वाइ०डब्ल्यु० दत्ता-'अ पेन-पोर्ट्रेट ऑफ पंडित खुशदिल' फ्रंटियर मेल का प्रकाशन.
44. एम.एस.मेहता : मेरा पहाड़.
45. राकेश पंवार : एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ टिहरी एस्टेट.
46. गढ़वाली, शक्ति और कर्मभूमि पत्रों की पुरानी फाइलें.

अभिलेख

1. राज्य अभिलेखागार देहरादून में उपलब्ध अभिलेख एवं पुराने समाचार पत्र.
2. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नयी दिल्ली : बैन्ड लिटरेचर बाइ राज.
3. राष्ट्रीय अभिलेखागार नयी दिल्ली-पैट्रियॉटिक पोइट्री बैन्ड बाइ राज, (1982).
4. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नयी दिल्ली : पैट्रियॉटिक राइटिंग्स बैन्ड बाई राज, (1984).
5. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नयी दिल्ली : देशभक्ति के गीत-ब्रिटिश राज द्वारा प्रतिबंधित साहित्य (1985).
6. राष्ट्रीय अभिलेखागार नयी दिल्ली- क्लेक्शन ऑफ प्राइवेट पेपर्स इन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया (1990).
7. न्यूज पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स : नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तीन मूर्ति हाउस, नयी दिल्ली (2013).
8. ऐतिहासिक दस्तावेज : मैन्युस्क्रिप्ट डिविजन, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तीन मूर्ति हाउस, नयी दिल्ली.
9. शक्ति अखबार एवं गढ़वाली अखबार की पुरानी फाइलें.
10. सीमान्त प्रहरी मसूरी, उत्तरक्रान्ति, हिमानी सांध्य दैनिक, युगवाणी साप्ताहिक, हिमाचल टाइम्स, नया जमाना, देवभूमि, कर्मभूमि, सत्यपथ आदि की पुरानी फाइलें.
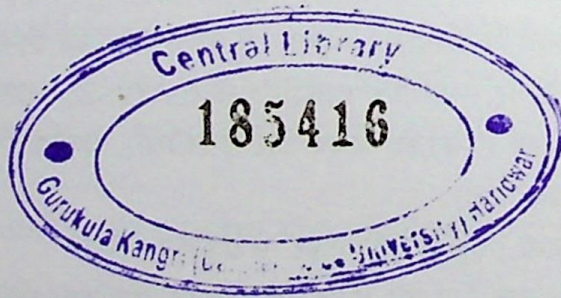
❑❑
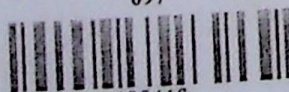
जयसिंह रावत : जन्म-10 अप्रैल, 1955, ग्राम-सांकरी, ब्लॉक- पोखरी, जिला-चमोली गढ़वाल। पिता श्री रामसिंह रावत और माता श्रीमती गैणा देवी। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, स्नातक गोपेश्वर एवं स्नातकोत्तर डीएवी (पी.जी.) कॉलेज देहरादून। ***ग्रामीण पत्रकारिता, उत्तराखण्ड : जनजातियों का इतिहास एवं हिमालयी राज्य सन्दर्भ कोश*** पुस्तकें प्रकाशित। विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों में चार दशकों तक वरिष्ठ पदों का निर्वहन। राजस्थान पत्रिका के प्रतिष्ठत के.सी. कुलिस अन्तर्राष्ट्रीय प्रिन्ट पत्रकारिता पुरस्कार सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित।

स्वतंत्र पत्रकार के रूप में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख प्रकाशित। विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय समितियों में सदस्य एवं कुछ स्वेच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के लिए रिसर्च कन्सलटेंट। वर्तमान में राष्ट्रीय सहारा - उत्तराखंड संस्करण के संपादकीय सलाहकार एवं स्वतन्त्र पत्रकार।

सर फ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है

सर फ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है।।

राहरवे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में।
लज्जते सहरा नवरदी दूरिये मंजिल में है।।

वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आस्मां।
हम अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है।।

आके मकलत में यह कातिल कह रहा है बार-बार।
क्या तमन्नाये शहादत भी किसी के दिल में है।।

ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत तेरे कदमों पर निसार।
तेरी कुरबानी की चर्चा गैर की महफिल में है।।

अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़।
एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है।।

''अक्सीर सियालकोटी' द्वारा संग्रहीत, ऐंग्लो ओरियन्टल प्रेस, लाहौर द्वारा मुद्रित
'स्वराज की गूंज' पुस्तक से।
राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रतिबंधित साहित्य।
अवाप्ति : 829-830

8, First Floor, K.C. City Centre
(Opp. Gandhi School)
4, Dispensary Road
Dehradun, Uttarakhand

Web.: www.winsar.org
e-mail : winsar.nawani@gmail.com
An ISO Certified 9001:2008 - Publisher